वार्षिक रिपोर्ट
2016-17

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
भारत सरकार
Website : http://www.labour.nic.in

fo"k; lwph

Ø-la-	v/;k;	i`"B la[;k
1.	egRoiw.kZ fØ;kdyki	5-35
2.	laxBukRed <kapk vkSj dk;Z	36-46
3.	vkS|ksfxd lac/k dUæ vkS|ksfxd lac/k ra= ¼lh-vkbZ-vkj-,e-½	47-74
4.	mRikndrk	75-76
5.	etnwjh	77-85
6.	lkekftd lqj{kk	86-96
7.	Je dY;k.k	97-103
8.	vlaxfBr dkexkj	104-110
9.	cU/kqvk Jfed	111-113
10.	Bsdk Jfed	114-115
11.	efgyk,a ,oa Je	116-122
12.	cPps ,oa dk;Z	123-130
13.	O;kolkf;d lqj{kk ,oa LokLF;	131-178
14.	Jfed f'k{kk	179-187
15.	;kstuk vkSj ;kstukRrj dk;ZØe	188-190
16.	vuqlwfpr tkfr rFkk vuqlwfpr tutkfr dY;k.k	191-194
17.	Je lkaf[;dh	195-216
18.	Je vuqla/kku ,oa çf'k{k.k	217-226
19.	lwpuk çkS|ksfxdh igy@bZ&xousZal	227
20.	lrdZrk vkSj yksd f'kdk;rksa dk fujkdj.k	228-236
21.	varjkZ"Vªh; lg;ksx	237-260
22.	jkstxkj egkfuns'kky; ¼MhthbZ½	261-267
23.	jk"Vªh; jkstxkj lsok	268-273
24.	fo'ks"k Jf.k;ksa ds fy, jkstxkj lgk;rk	274-280
25.	jkstxkj lsok esa vuqla/kku o çf'k{k.k	281-282
26.	fyax vk/kkfjr ctV	283-284

अध्याय – 1

महत्वपूर्ण कार्यकलाप

çLrkouk

1-1 श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के पुराने और महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है। इस मंत्रालय का मुख्य उत्तरदायित्व सामान्य तौर पर, कर्मकारों और विशेष रुप से समाज के वंचित, उपेक्षित एवं निर्धन वर्गों के हितों की रक्षा करना और उन्हें संरक्षण प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय का लक्ष्य उत्पादन एवं उत्पादकता के लिए स्वस्थ कार्य माहौल सृजित करना तथा व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण और रोजगार सेवाओं को विकसित और समन्वित करना है। उदारीकरण प्रक्रिया के दृष्टिगत सरकार का ध्यान संगठित तथा असंगठित क्षेत्र दोनों में श्रम बल का कल्याण संवर्धन करने और सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने पर भी केन्द्रित है। इन उद्देश्यों को ऐसे विभिन्न श्रम कानूनों के अधिनियम एवं क्रियान्वयन से प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, जो कर्मकारों की सेवा एवं नियोजन की शर्तों को विनियमित करते हैं। राज्य सरकारें भी विधानों को अधिनियमित करने के लिए सक्षम हैं क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत श्रम समवर्ती सूची का विषय है।

1-2 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मर्यादित कामकाजी दशाएं और कामगारों को जीवन की उन्नत गुणवत्ता प्रदान करने, बाल श्रम से मुक्त भारत सुनिश्चित करने, नियोजनीयता, व्यवसाय करने की आसानी हेतु श्रम कानूनों के सरलीकरण का प्रवर्तन करने के लिए अनेक सुधारात्मक – विधायी और प्रशासनिक – उपाय किए हैं। श्री बंडारू दत्तात्रेय, माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के नेतृत्व में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने देश के श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा, मजदूरी सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और उसे अमल में लाने के लिए अनेक पहलें की हैं।

jkstxkj egkfun'kky; dh ubZ igy@egRoiw.kZ dk;Zdyki

1-3 यह मंत्रालय कैरियर परामर्श, व्यावसायिक मार्ग–दर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षुता, इंटर्नशिप आदि से संबंधित सूचना जैसी रोजगार से सबद्ध विभिन्न सेवाऐं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय रोजगार सेवा के रुपांतरण हेतु मिशन मोड परियोजना के रूप में राष्ट्रीय कैरियर सेवा का कार्यान्वयन कर रहा है। एनसीएस पोर्टल (www.ncs.gov.in) को कार्यात्मक बना दिया गया है। यह पोर्टल 20.07.2015 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। यह एनसीएसपी प्रयोक्ताओं की सहायता करने हेतु मंगलवार से रविवार तक (8.00 बजे पूर्वाह्न से 8.00 बजे अपराह्न तक) 18004251514 पर उपलब्ध बहुभाषीय समर्पित हेल्पडेस्क से समर्थित है। इसमें 3000 से अधिक व्यवसायों के कैरियर विषयवस्तु का समृद्ध भंडार है।

1-4 एनसीएस परियोजना को सभी रोजगार कार्यालयों को एनसीएस पोर्टल के साथ इंटरलिंक करने के लिए भी बढ़ाया गया है ताकि सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा सकें। यह योजना सूचना प्रौद्योगिकी उन्नयन और रोजगार कार्यालयों के छोटे–मोटे नवीकरण और रोजगार मेलों का आयोजन करने हेतु राज्यों को आंशिक निधि प्रदान करती है।

1-5 मंत्रालय रोजगार सृजन का संवर्धन करने के उद्देश्य से 2016–17 में "प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना" भी कार्यान्वित कर रहा है और 1000 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार अपने रोजगार के प्रथम तीन वर्षों के लिए ईपीएफओ में नामांकित होने वाले सभी नए कर्मचारियों के संबंध में 8.33% का कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) अंशदान अदा करेगी। इससे नियोक्ता बेरोजगार व्यक्तियों को भर्ती करने और अनौपचारिक कर्मचारियों को औपचारिक बनाने हेतु भी प्रोत्साहित होंगे। यह योजना प्रतिमाह 15,000/– रुपये आमदनी वालों पर लागू होगी। इस योजना के संबंध में 1000/– करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। वस्त्र (परिधान) क्षेत्र के लिए, भारत सरकार इन नए कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण 12% नियोक्ता अंशदान (8.33% ईपीएस 3.67% ईपीएफ) अदा करेगी। 02 नवम्बर, 2016 तक, 151 स्थापनों ने प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पंजीकरण करवाया था और 19 लाभार्थियों के लिए ईपीएस अंशदान की प्रतिपूर्ति की गई।

1-6 bl, lvkblh dh LokLF; l/kkj dk;lph 2-0 d rgr ubl igy

क) द्वितीय पीढ़ी सुधार ईएसआईसी 2.0 के भाग स्वरुप, ईएसआई निगम ने ईएसआई योजना को देशभर में लागू करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, ईएसआई योजना 393 जिलों जिनमें यह पहले आंशिक रुप से कार्यान्वित की गई थी, में से लगभग 250 जिलों में पूर्णरुप से पहले ही कार्यान्वित कर दी गई है।

ख) ईएसआई योजना के अंतर्गत कवरेज हेतु मजदूरी सीमा को विद्यमान प्रतिमाह 15000 हजार रुपये से बढ़ाकर प्रतिमाह 21,000/– रुपये कर दिया गया।

ग) ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत प्रसूति प्रसुविधा को उन महिला कामगारों के लिए जिनके 2 से कम बच्चे हैं 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। यह प्रसुविधा कमिशनिंग और गोद लेने वाली माताओं को भी विस्तारित कर दी गई।

घ) ईएसआई अस्पतालों में विभिन्न स्तारों पर पीपीपी मॉडल के आधार पर समुचित कैंसर निदान उपचार सुविधाएं, हृदय संबंधी उपचार सुविधाएं, डायलोसित सुविधाएं प्रदान करना।

ड.) ईएसआई लाभार्थियों के लिए सितम्बर, 2016 में टेलीमेडिसीन सेवाओं का प्रथम चरण शुरु किया गया। द्वितीय चरण पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में माननीय मंत्री द्वारा 01.12.2016 को शुरु किया गया।

च) सभी औषधालयों में चरणों में पीपीपी मॉडल के आधार पर पैथोलौजिकल एवं एक्सरे सुविधाएं प्रदान की जानी हैं।

छ) सभी ईएसआईसी अस्पतालों और सभी औषधालयों में आयुष की सुविधाएं विस्तारित की गईं।

ज) दिल्ली/हैदराबाद में प्रायौगिक आधार पर रिक्शा चालकों/ऑटो रिक्शा चालकों और घरेलू कामगारों जैसे असंगठित कामगारों के चयनित समूह के लिए स्वास्थ्य योजना शुरु करना।

झ) औषधालयों का चरणों में छः विस्तर वाले अस्पतालों में उन्नयन

ञ) सभी राज्यों में राज्य ईएसआई निगम/सोसाइटियां ईएसआई निगम की सहायक के रुप में स्थापित करना।

ट) प्रतिबीमित व्यक्ति प्रति वर्ष चिकित्सा व्यय की सीमा को 2150 रुपये से बढ़ाकर 3000/– रुपये करना।

Je lfo/kk ikVZy

1-7 श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रम कानूनों के प्रवर्तन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने तथा अनुपालना की जटिलता को कम करने हेतु एकीकृत वेबपोर्टल 'श्रम सुविधा पोर्टल' विकसित किया है। यह पोर्टल श्रम मंत्रालय के अधीन 4 मुख्य संगठनों की आवश्यकताओं को पूरा करता है अर्थातः–

- मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय,
- खान सुरक्षा महानिदेशालय,
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, और
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम।

1-8 ikVZy dh fo'k"krk,%

- ऑनलाइन पंजीकरण को सुविधाजनक बनाने हेतु इकाईयों को विशिष्ट श्रम पहचान संख्या (एलआईएन) का आबंटन। दिनांक 06.02.2017 की स्थिति के अनुसार, 18,26,879 ईकाईयों को विशिष्ट श्रम पहचान संख्या (एलआईएन) जारी की गई है।
- स्थापनों द्वारा स्व–प्रमाणित एवं सरलीकृत एकल ऑनलाइन सामान्य वार्षिक विवरणी दाखिल करना। इकाईयां अलग–अलग विवरणियां दाखिल करने के बजाय केवल एक ही एकल समेकित विवरणी दाखिल करेंगी।
- जोखिम आधारित मानदंडों के आधार पर कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी श्रम निरीक्षण योजना और श्रम निरीक्षकों द्वारा 72 घंटों के भीतर निरीक्षण रिपोर्टें अपलोड करना।

1-9 dUæh; {k= esa ikjn'khZ Je fujh{k.k ;kstuk

- जोखिम आधार पर वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर निरीक्षणों की कम्प्यूटरीकृत सूची यादृच्छिक रुप से तैयार की जाती है।
- गंभीर मामलों को अनिवार्य निरीक्षण सूची के तहत कवर किया जाना है।
- आंकड़ों और साक्ष्य पर आधारित जांच के उपरांत शिकायत आधारित निरीक्षणों का केन्द्रीकृत रूप से अभिनिर्धारण ।
- निरीक्षण रिपोर्टों की 72 घंटों के भीतर अनिवार्य अपलोडिंग।
- श्रम निरीक्षण योजना के प्रारम्भ से 06.02.2017 की स्थिति के अनुसार 2,76,060 निरीक्षण सौंपे गए हैं तथा उनमें से 2,57,339 श्रम सुविधा पोर्टल पर पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं।

1-10 श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 8 श्रम अधिनियमों के संबंध में एकल एकीकृत वार्षिक विवरणी शुरू की है। इससे निम्नलिखित अधिनियमों के अंतर्गत स्थापनों द्वारा अलग–अलग विवरणियां दाखिल करने के बजाय सरलीकृत एकल ऑनलाइन विवरणी दाखिल करने में सुविधा मिलेगी।

1. मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936
2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
3. ठेका श्रम (विनिमयन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970
4. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
5. भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कामगार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996
6. बोनस संदाय अधिनियम, 1965
7. अंतर–राज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979
8. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

- अब उपर्युक्त सभी अधिनियमों/नियमों के संबंध में केवल एक विवरणी होगी। इस विवरणी को दो भागों में तैयार किया गया है:

    (i) सामान्यध्साधारण सूचना भाग

    (ii) प्रत्येक अधिनियम विशेष के संबंध में खंड (जिसे लागू होने पर ही दाखिल किया जाना आवश्यक है)।

- ठेका श्रम (विनिमयन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970, अंतर–राज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम,1979, और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत विवरणियां, जो पहले अर्धवार्षिक/वार्षिक हुआ करती थी, अब उन्हें सभी नियोक्ताओं द्वारा केवल वार्षिक आधार पर दाखिल किए जाने की आवश्यकता है।

Mhvkbihih ds b&fct iksVZy ds lkFk leUo; djds 5 dsUæh; Je vf/kfu;eksa ds varxZr lkekU; iathdj.k

1-11 पांच केन्द्रीय श्रम अधिनियमों के अंतर्गत सामान्य पंजीकरण हेतु सुविधा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के ई–बिज पोर्टल पर विकसित की गई है। इसके अंतर्गत शामिल किए गए अधिनियम इस प्रकार हैं:–

- कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952,
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948,
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (आरईसीएस) अधिनियम, 1996,
- ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 और
- अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (आरईसीएस) अधिनियम, 1979

Je lfgrk,¡

1-12 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने प्रत्येक कामगार की सुरक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने और रोजगार अवसरों के सृजन को उत्प्रेरित करने के लिए स्थापन को चलाने हेतु अनुपालना में आसानी लाने के उद्देश्य से, श्रम कानूनों के प्रवर्तन में पारदर्शिता और जबावदेही लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इन पहलों में प्रौद्योगिकी उपायों के उपयोग के माध्यम से शासन सुधार तथा विद्यमान श्रम कानूनों को 4 संहिताओं में सरलीकृत, युक्तियुक्त एवं समामेलित करके विधायी सुधार भी शामिल हैं।

fo/kk;h igy

çk#i y?kq dkj[kkuk fo/ks;d

1-13 इस विधेयक में 40 से कम कामगार नियोजित करने वाली लघु विनिर्माण इकाईयों में कामगारों की कामकाजी और सेवा शर्तों के विनियमन का प्रावधान है। इस विधेयक में इन छोटे कारखानों के लिए एक ही स्थान पर छरू श्रम कानूनों के उपबंधों को समामेलित, सरलीकृत और युक्तियुक्त बानाया गया है। इस विधेयक से छोटे कारखानों के प्रचालन में आसानी होगी तथा इससे इस तरह अन्य बातों के साथ–साथ कामगारों की सामाजिक सुरक्षा, रक्षा एवं स्वास्थ्य सुनिश्चित करते हुए लघु कारखानों के माध्यम से रोजगार के सृजन में तेजी आएगी।

1-14 श्रम और रोजगार मंत्रालय 43 श्रम कानूनों के प्रावधानों को 4 श्रम संहिताओं में युक्तियुक्त बनाने के संबंध में कार्य कर रहा है। इस समय यह मंत्रालय निम्नलिखित चार संहिताओं पर कार्य कर रहा हैः–

- मजदूरी संबंधी संहिता
- औद्योगिक संबंधों के बारे में संहिता
- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी संहिता
- सुरक्षा एवं कामकाजी दशाओं संबंधी संहिता

etnwjh lac/kh lafgrk

1-15 इस संहिता में निम्नलिखित चार श्रम कानूनों के संगत प्रावधानों को युक्तियुक्त, आमेलित और सरलीकृत किया गया हैः–

- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
- मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936
- बोनस संदाय अधिनियम, 1956
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

vk|kSfxd lac/kksa ds ckjs esa lafgrk

1-16 यह संहिता निम्नलिखित तीन श्रम कानूनों के संगत प्रावधानों को युक्तियुक्त, आमेलित और सरलीकृत करेगीः–

- श्रमिक संघ अधिनियम, 1926
- औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946
- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

1-17 इसी तरह अन्य दो संहिताएं अर्थात् 'सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी संहिता' तथा 'सुरक्षा एवं

कामकाजी दशाओं संबंधी संहिता' अन्य विभिन्न श्रम कानूनों के प्रावधानों को युक्तियुक्त, आमेलित और सरलीकृत करेंगी।

lkekftd lqj{kk

deZpkjh jkT; chek fuxe ¼bZ,lvkbZlh½

1-18 बीमारी, प्रसूति एवं रोजगारजन्य चोटों के मामले में चिकित्सा देखभाल तथा नकदी सुविधाएं प्रदान करने के लिए, 1948 में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम अधिनियमित किया गया था। कर्मचारी राज्य बीमा निगम, 1952 से प्रारम्भ की गई ईएसआई योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस संबंध में उपलब्धियां इस प्रकार हैः–

d- bZ,lvkbZlh dh LokLF; lq/kkj dk;Zlwph 2-0½ भारतीय श्रम सम्मेलन के उद्घाटन के समय माननीय प्रधानमंत्री ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की स्वास्थ्य सुधार कार्यसूची श्रृंखला शुरू की थी, जिसमें निम्नलिखित बिन्दु शामिल हैं:

- ईएसआई लाभार्थियों (बीमित व्यतियों तथा उनके परिवार के सदस्यों) को इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य अभिलेख की ऑन लाइन उपलब्धता।
- vfHk;ku bUæ/kuq"k% सप्ताह के दौरान वीआईबीजीवाईओआर पद्धति के अनुसार बेडशीट बदलना सुनिश्चित करना अर्थात् इसे हर रोज बदला जाना होगा।
- आपातकाल के लिए चिकित्सा हेल्पलाइन संख्या 1800 11 3839 तथा ईएसआईसी अस्तपालों के कैज्युलटी/आपातकाल से मार्गदर्शन लेना।
- ईएसआईसी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष ओपीडी।

ईएसआईसी 2.0 की कुछ अन्य मुख्य विशेषताएं औषधालयों को चरणों में छः विस्तर वाले अस्पतालों में उन्नयन करना, अस्पतालों में विभिन्न स्तरों पर समुचित कैंसर निदान, ह्रदय रोगों संबंधी उपचार, योग सुविधाएं, सभी ईएसआईसी मॉडल अस्पतालों में पीपीपी मोड पर डायलेसिस सुविधाएं प्रदान करना, ऑउटसोर्सिंग अथवा उन्नयन द्वारा अस्पताल परिसर में सभी संभव पैथोलोजिकल सुविधाएं, पंजीकरण और फार्मेशी में सहायता हेतु प्रत्येक अस्पताल में पंक्ति प्रबंधन प्रणाली, अस्पतालों के परा–चिकित्सा और अन्य स्टॉफ को व्यवहार से संबद्ध प्रशिक्षण जिसमें उन्हें रोगियों/अटेंडेंट से निपटने सम्यक विनम्रता दिखाने हेतु मार्गदर्शन मिले, सभी अंतरंग रोगियों के संबंध में फीडबेक प्रणाली, सभी ईएसआई अस्पतालों में आगंतुकों के मार्गदर्शन तथा उचित सूचनार्थ अपेक्षित स्थानों पर उचित एवं आकर्षक संकेत चिह्न, औषधालय स्तर पर चरणों पर आयुष सुविधाएं, लाभार्थियों को चरणों में टेलीमेडिसीन सुविधाएं विस्तारित की जानी थीं।

[k&bZ,lvkbZ ;kstuk dk lkekftd lqj{kk usV dh dojst dk foLrkfjr djuk ¼bZ,lvkbZlh 2-0 ds vUrxZr½

1. ईएसआई योजना की सामाजिक सुरक्षा प्रसुविधाएं पूर्वोत्त के शेष राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर में और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में भी विस्तारित कर दी गई हैं।
2. वर्तमान में ईएसआई योजना जिलों के भीतर औद्योगिक/वाणिज्यिक समूहों में कार्यान्वित की जा रही है। अब, लक्ष्य राज्यों के सभी 393 जिलों को, जहां यह समूह अवस्थित हों, कवर करना है।

3. रिक्शा चालकों/आटो रिक्शा चालकों जैसे असंगठित कामगारों के चयनित समूह के लिए प्रायोगिक आधार पर चयनित शहरी/महानगरीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य योजना आरम्भ करने की घोषणा कर दी गई है।

4. कार्यान्वित क्षेत्रों में ईएसआई कवरेज सन्निर्माण कामगारों को विस्तारित कर दी गयी है। सन्निर्माण स्थल कामगारों को ईएसआई योजना के अंतर्गत प्रसुविधाओं का लाभ उठाने के लिए 01 अगस्त, 2015 से कवर कर लिया गया है।

5. ईएसआई योजना चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार, अतिरिक्त 89,117 कर्मचारियों को शामिल करते हुए 99 नए भौगोलिक क्षेत्रों में विस्तारित कर दी गई।

6. ईएसआई योजना के अंतर्गत शामिल बीमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 21361880 हो गई है। योजना के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 82884094 हो गई है।

x- fMthVy bfM;k& b, lvkbZlh dh bZ&igy

- ई–बिज प्लेटफॉर्मः ईएसआईसी अपनी सेवाएं समेकित करने हेतु व्यवसाय की आसानी का संवर्धन करने और लेन–देन की लागत को कम करने के लिए (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग डीआईपीपी के ई–बिज पोर्टल द्वारा नियोक्ताओं के पंजीकरण) केन्द्रीय सरकार का प्रथम संगठन है।

- अपनी महत्वाकांक्षी डिजीटल परियोजना 'पंचदीप' के अंतर्गत ईएसआई ने नियोक्ता द्वारा ईएसआई अंशदान का ऑनलाइन भुगतान भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा, 58 अन्य बैंकों के भुगतान गेटवेय द्वारा 01 अप्रैल, 2015 से सुविधाजनक बनाया है।

- ईएसआईसी ने ईएसआईसी वेबसाइट 'www.esic.in' अथवा 'www.esic.nic.in' के माध्यम से ईएसआईसी से संबद्ध शिकायतें ऑनलाइन दाखिल करने के लिए 15.08.2015 से स्वतंत्र लोक शिकायत मॉड्यूल 2.0 शुरू किया है।

- ईएसआईसी अस्पतालों और औषधालयों के संबंध में दिसम्बर, 2015 में www.esichospitals.gov.in समर्पित वेबसाइट का शुभारम्भ किया गया। यह वेबसाइट ईएसआईसी बीमित व्यक्तियों और उनके लाभार्थियों को बिना झंझट के अनेक सुविधाएं प्रस्तुत करता है। इसमें सुविधाजनक तारीख को सभी 36 ईएसआईसी अस्पतालों में स्थान और उपचार की विशेषताओं के अनुसार इलाज हेतु ईएसआईसी विशेषज्ञ डॉक्टरों से ऑनलाइन एपॉइन्टमेंट की बुकिंग भी शामिल है।

?k- volajpuk dk mUu;u

- ईएसआईसी ने राज्य स्तर पर सहायक निगम के रुप में नई संरचना स्थापित करने हेतु तौर तरीके ढूंढ़ने के लिए ईएसआईसी उप–समिति गठित की है जिसमें राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार तथा साथ ही कर्मचारी और नियोक्ता संगठनों का विधिवत प्रतिनिधित्व होगा।

- ईएसआईसी ने विद्यमान उप क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा को आंध्र प्रदेश को क्षेत्रीय कार्यालय के रुप में उन्नत करने का निर्णय लिया है। एक और उप क्षेत्रीय कार्यालय तिरुपति (आंध्र प्रदेश) में खोला जाएगा।

- ईएसआईसी ने ईएसआईएस अस्पताल, पांडु नगर, कानपुर (उ.प्र.) को उन्नत करने और उसे अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया है। पांडु नगर, कानपुर में डेंटल कॉलेज बिल्डिंग/पैरामेडिकल कॉलेज बिल्डिंग को सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में परिवर्तित किया जाएगा।

- ईएसआई औषधालय, दिघा, (बिहार) को 100 विस्तर वाले ईएसआईसी में अपग्रेड करने और भूमि और अन्य अपेक्षाओं आदि के मानदंडों को पूरा करने के अध्यधीन, ईएसआईसी मॉडल अस्पताल, फूलवाड़ी शरीफ (पटना) को उसी अस्पताल बिल्डिंग में बदलने का भी निर्णय लिया गया है।

- निगम ने कुछ ईएसआई औषधालयों को 6 बिस्तर और 30 बिस्तर वाले अस्पतालों में परिवर्तित करने के लिए मानक और मानदंड भी अनुमोदित कर दिए हैं।

M- çlfo/kkvksa vkSj eq[; ladrdksa esa lq/kkj

- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, ईएसआईसी ने 703. 98 करोड़ रुपये नकद में प्रसुविधाओं के रुप में संवितरित किए हैं। नकद प्रसुविधा भुगतानों की संख्या बढ़कर 31.6 लाख तक पहुंच गई है।

- वर्ष के दौरान, चिकित्सा लाभ पर 6112.97 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

- अंशदान आय बढ़कर 11455.57 करोड़ रुपये हो गई है।

- स्थायी निरूशक्तता लाभ और आश्रित लाभ दरें मुद्रास्फीति के कारण वास्तविक मूल्य में हुई कमी का निराकरण करने हेतु बीमित व्यक्तियों के लिए बढ़ा दी गई हैं।

- ईएसआईसी ने मसकट, ओमान में 02 नवम्बर, 2015 से 04 नवम्बर, 2015 तक आयोजित 'आईएसएसए–गुड प्रेक्टिस अवाड फार एशिया एण्ड पैसिफिक' में अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एसोसिएशन (आईएसएसए) के अंतर्राष्ट्रीय फोरम में 'प्रशासनिक एवं प्रचालनात्मक कार्यकुशलता' हेतु अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। यह क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा प्रत्येक 3 वर्ष में आयोजित की जाती है तथा इसमें 16 राष्ट्रों से 48 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी।

deZpkjh Hkfo"; fuf/k laxBu ¼bZih,Qvks½

1-19 ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कवरेज में सुधार की आवश्यकता पर ध्यान केद्रित रखता है। विगत में स्थापनो का निरीक्षण करने के पारंपरिक तरीके पर पुनर्विचार किया गया है और प्रवर्तन अधिकारियों के क्षेत्राधिकार संबंधी अधिकार– क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया। इस स्थिति की चालू वर्ष के दौरान आगे और समीक्षा की गई।

1-20 यद्यपि शामिल प्रतिष्ठानों की अनुपालना की निगरानी हेतु, ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों को सीसीटीएस (कम्प्यूटरीकृत अनुपालना ट्रेकिंग प्रणाली) के रुप में प्रणाली समर्थित साधन प्रदान किया गया था, अनुपालना तंत्र को शामिल किए जाने वाले स्थापनों का पता लगाने हेतु कोई ठोस प्रणाली अथवा प्रक्रिया उपलब्ध नहीं थी। इसका यह परिणाम हुआ कि स्थापनों की परिणामी विधिक विवक्षाओं के साथ देर से कवरेज हुई चूंकि स्थापन पूर्वव्यापी तारीखों से शामिल किए जाने योग्य पाए गए परन्तु उन्होंने सांविधिक देय राशियों, विलंबित घनप्रेषण के लिए ब्याज और क्षति के भुगतान, अभियोजन मामले आदि से संबद्ध विगत देयता

चुकाने से मना कर दिया। यह अधिनियम स्वेच्छा से लागू है और ये विधिक कार्रवाईयां किसी भी कारण से अननुपालना हेतु की जाती है।

1-21 इससे अनुपालना/कवरेज में सुधार हेतु संशोधित दिशानिर्देश जारी करने की आवश्यकता पड़ी। तदनुसार, ईपीएफओ ने प्रवर्तन अधिकारियों के क्षेत्राधिकार संबंधी अधिकार– क्षेत्र को बहाल करते हुए प्रवर्तन अधिकारियों के आचरण के बारे में पर्यवेक्षीय तंत्र को उनके निष्पादन और परिणाम की निरंतर मॉनिटरिंग और स्थापनों, नियोक्ताओं, कर्मचारी और उनके संघों/एसोसिएशनों से प्रत्यक्ष फीडबेक के माध्यम से सुदृढ़ करके नियोक्ताओं की ओर से उत्पीड़न घटक का निराकरण करने हेतु सम्यक ध्यान रखे जाने के साथ अप्रैल, 2009 में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को नए दिशानिर्देश में जारी किए हैं।

1-22 कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में इस अधिनियम की अनुसूची–1 में उल्लिखित उद्योगों में बीस अथवा उससे अधिक कर्मचारी नियुक्त करने वाले कारखानों/स्थापनों में भविष्य निधि, पेंशन योजना और बीमा निधि का प्रावधान है। भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 को प्रशासित करती है तथा इसके अधीन निर्मित निम्नलिखित तीन योजनाएं हैं:

- कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952;
- कर्मचारी पेंशन योजना, 1995; और
- कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976;

1-23 विभिन्न क्षेत्रों के तहत वर्ष 2014–15 के दौरान ईपीएफ संगठन द्वारा की गई प्रगति और शुरू किए गए सुधार इस प्रकार हैं:–

l nL; rk

1-24 दिनांक 31 मार्च, 2016 तक की स्थिति के अनुसार, अधिनियम के अन्तर्गत 9,26,297 प्रतिष्ठान शामिल थे जिनमें से 4,365 मुक्त प्रतिष्ठान थे। कर्मचारी भविष्य निधि में कुल सदस्यता (गैर–मुक्त तथा मुक्त) 1,629.72 लाख थी, जिनकी पेंशन निधि में सदस्यता 9,698.76 लाख थी।

nkok fuiVku

1-25 वर्ष 2015–16 के दौरान, 118.69 लाख सदस्यों के दावे निपटाए गए ।

l nL;k dk vi'knku

1-26 दिनांक 31, मार्च, 2016 तक की स्थिति के अनुसार, सभी 3 स्कीमों में प्राप्त सम्मिलित अंशदानों की कुल संचय निधि 10,43,581.67 करोड़ रुपये थी। वर्ष 2015–16 के दौरान, सभी 3 स्कीमों के अन्तर्गत प्राप्त कुल अंशदानों की राशि 1,23,043.90 करोड़ रुपये थी।

C;kt nj

1-27 कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों की जमा राशि पर घोषित ब्याज दर वर्ष 2015–16 के लिए 8.80% (मासिक शेष आधार पर) थी। इस वर्ष के दौरान, गैर– मुक्त प्रतिष्ठानों के सदस्यों को जारी वार्षिक लेखा विवरण 1732.19 लाख थे।

vuqikyuk

1-28 वर्ष 2015–16 के दौरान, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अंतर्गत चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरुद्ध 3,016 अभियोजन मामले शुरु किए गए और वर्ष के दौरान 10,909 मामलों में निर्णय दिया गया। ईपीएफ योजना के अंतर्गत अधिनियम की धारा 8 के तहत 950.66 करोड़ देय राशियों के लिए वसूली प्रणाम पत्र जारी किए गए। कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत 505.45 करोड़ रुपये देय राशियों के विरुद्ध वसूली प्रणाम पत्र और ईडीएलआई योजना के अंतर्गत 43. 38 करोड़ रुपये देय राशियों के विरुद्ध वसूली प्रणाम पत्र जारी किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत चूककर्ता प्रतिष्ठानों से देय राशियों की वसूली हेतु विभिन्न न्यायालयों में पुलिस द्वारा 286 एफआईआर और 2 चालान दाखिल किए गए।

i'ku l/kkj

U;wure i'ku çko/kku dk dk;kZUo;u

1-29 वर्ष के दौरान लंबे समय से प्रतिक्षित मांगों में से एक न्यूनतम पेंशन के कार्यान्वयन को अमल में लाया गया। केन्द्र सरकार ने दिनांक 19.08.2014 को राजपत्र अधिसूचना संख्या 593 (अ) जारी कर दी थी, जिसमें सदस्य/विधवा/विधुर/विकलांग/नामिती/आश्रित माता/पिता पेंशनरों के लिए 1,000/–रुपये प्रतिमाह, अनाथ पेंशनरों के लिए 750/–रुपये प्रतिमाह तथा बाल पेंशनरों के लिए 250/–रुपये प्रतिमाह के न्यूनतम पेंशन का प्रावधान किया गया है।

1-30 अधिसूचना के तत्काल बाद, संशोधित न्यूनतम पेंशन का भुगतान शुरु करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन किए गए। लागू संशोधित न्यूनतम पेंशन से पेंशन का भुगतान सितम्बर, 2014 से आरंभ कर दिया गया है। प्रभावित पेंशनभोगियों और रिपोर्टाधीन वर्ष में उनके संबंध में संवितरित धनराशि इस प्रकार है:

वर्ष	प्रभावित पेंशनभोगियों की संख्या	मूल पेंशन के अनुसार भुगतान की गई राशि (रु. करोड़ में)	न्यूनतम पेंशन अधिसूचना के अनुसार भुगतान की गई राशि (रु. करोड़ में)	धनराशि अंतर (रु. करोड़ में)
2014-15	18,55,273	7,97,57,05,395	12,37,03,29,331	4,39,46,23,936
2015-16	18,34,791	14,25,29,18,832	22,46,99,59,669	8,21,70,40,837

1-31 न्यूनतम पेंशन अधिसूचना के कार्यान्वयन के उपरांत सभी सदस्य/विधवा/विधुर/विकलांग/नामिती/आश्रित माता/पिता पेंशनरों जिनकी मूल पेंशन 1000/– रुपये प्रतिमाह से कम थी, उनकी पेंशन न्यूनतम 1000/– रुपये प्रतिमाह नियत कर दी गई है। सदस्यों द्वारा संराशिकरण, पूंजी की वापसी और अल्प सेवा जैसे दावे करते समय उनके द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर प्रसुविधाओं का लाभ उठाने के कारण कटौतियां 1000/– रुपये प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन पर की गई हैं। न्यूनतम पेंशन अधिसूचना के कार्यान्वयन के उपरांत ईपीएस, 1995 के अंतर्गत पेंशन का निर्धारण योजना के प्रावधानों तथा उपर्युक्त न्यूनतम पेंशन

अधिसूचना द्वारा उनमें किए गए संशोधनों के अनुरुप है। 1000/– रुपये प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन संराशिकरण, पूंजी की वापसी आदि के कारण कटौती पर ध्यान दिए बिना अनुमत करना उन सदस्यों/पेंशनभोगियों के सापेक्ष असमान और अनुचित होगा जिन्होंने दावे के समय ये लाभ नहीं लिए थे और किन्हीं वैकल्पिक लाभों के बिना केवल मूल पेंशन लेने का विकल्प दिया था।

1-32 वर्ष 2015–16 के संबंध में 1000/– रुपये प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन से लाभान्वित पेंशनभोगियों का माहवार ब्यौरा

delpkjh i'ku ;ktuk] 1995 dk thokdd eY;kdu

1-33 कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 परिभाषित लाभ और परिभाषित अंशदान की संयुक्त विशेषताओं से युक्त वित्तपोषित योजना है। तदनुसार, इस योजना में देय अंशदान की दर और अनुमत्य लाभों का पैमाना निर्धारित है। कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैरा 32 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त मूल्यांकक द्वारा कर्मचारी पेंशननिधि के वार्षिक मूल्यांकक हेतु प्रावधान किया है।

1-34 केन्द्र सरकार ने क्रमशः 31.03.2010, 31.03. 2011 और 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी पेंशन निधि के 14वें, 15वें और 16वें मूल्यांकनों के लिए पहले मैसर्स के.ए. पंडित, कंसलटेंट्स एण्ड एक्चुरीज को मूल्यांकक के रुप में नियुक्त किया था। बाद में केन्द्र सरकार ने क्रमशः 31.03.2013, 31.03.2014 और 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी पेंशन निधि के 17वें, 18वें और 19वें मूल्यांकनों के लिए मैसर्स के. ए. पंडित, कंसलटेंट्स एण्ड एक्चुरीज को मूल्यांकक के रुप में जारी रखा।

1-35 नियुक्त मूल्यांककों द्वारा 31.05.2015 को 19वें मूल्यांकन हेतु जमा की गई जीवांकिक मूल्ययांकन रिपोर्ट प्रस्तुत अनुमोदन हेतु दिनांक 27.06.2016 को केन्द्रीय सरकार को भेज दिया गया है।

<u>जीवांकिक रिपोर्टें निम्नलिखित मूलधारणाओं के साथ निष्पादित की गई हैं:</u>

<u>/kkj.kk lkjk'k</u>

भावी वेतन वृद्धि (सक्रिय चरण)	7.00% प्रतिवर्ष
भावी वेतन वृद्धि (भुगतान चरण)	0.00% प्रतिवर्ष
छूट की दर	8.00% प्रतिवर्ष
नौकरी छोड़ने की दर	आयु से संबद्ध
मृत्यु दर	भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2006–08) यूएलटी
पेंशन योजना	कर्मचारी पेंशन योजना, 1995
अधिकतम पेंशन	की गई सेवा के अनुसार
पेंशन के लिए अधिकतम वेतन (प्रतिमाह)	15000 रुपये जो 15,000 अथवा उससे कम का अंशदान कर रहे हैं
पेंशनभोगी लाभ हेतु विहित अवधि	10 वर्ष
सामान्य सेवा निवृति की आयु	58 वर्ष
पति–पत्नी का आयु अंतर (मानो पुरुष एवं महिला का रोजगार 50:50%)	0 वर्ष
अंशदान दर (नियोक्ता अंश)	8.33%
अंशदान दर (सरकारी अंश)	1.16%
अंशदान हेतु अधिकतम वेतन (प्रतिमाह) (सरकारी अंश) (चालू वेतन 15,000 रूपये से कम वाले सक्रियों के लिए)	15,000 रुपये
अंशदान हेतु अधिकतम वेतन (प्रतिमाह) (नियोक्ता अंश) (चालू वेतन 15,000 रूपये से कम वाले सक्रियों के लिए)	15,000 रुपये

1-36 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार 19वीं मूल्यांकन रिपोर्ट में, मूल्यांकक ने 31.03.2015 को 5]026-87 djkM #i;s निवल देयता अथवा अधिशेष रिकार्ड किया है।

1-37 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार 13वें मूल्यांकन में उजागर हुआ कमी 61]068 djkM #i;s था, जबकि 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार 16वीं रिपोर्ट में 10]855 djkM #i;s कमी दर्शायी गई थी। 13वीं मूल्यांकन रिपोर्ट की तुलना में प्रचलित रिपोर्ट में मूल्यांकन देयता में 50]753 djkM #i;s की कमी दर्शायी गई है। 31.03.2013 और 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार 17वीं और 18वीं मूल्यांकन रिपोर्ट में क्रमशः 6]712-96 djkM #i;s और 7]832-74 djkM #i;s की कमी दर्शायी गई है। अतः 16वीं मूल्यांकन रिपोर्ट की तुलना में मूल्यांकन देयता में कमी रही है।

1-38 मूल्यांकक ने सुझाया है कि वर्तमान मूल्य के अनुसार 5]026-86 djkM #i;s का निवल अभिशेष कुल देयता का 2.50% से कम है और अंशदान में अपेक्षित कमी का संकेत नहीं देता, यद्यपि यह सिफारिश की जाती है कि ईपीएस को निवेष वापसी में अपेक्षाकृत अधिक सावधानी से विचार करना चाहिए और लाभों को जीवांकक से परामर्श के बिना बढ़ाना नहीं चाहिए तथा संवेदनशीलता विश्लेषण अधिक वार करना चाहिए। इसके अलावा और अधिक आंकड़े जुटाने और परिलक्षित करने का प्रयास करना चाहिए जिन्हें मूल्यांकनों हेतु उपयोग में लाया जा सकता है। निष्क्रिय खातों का विस्तृत अध्ययन करना चाहिए और इन खातों की अप्रोच और धारनाओं के संबंध में निर्णय लेना चाहिए।

31-03-2015 dh fLFkfr ds vuqlkj eY;kadu lkjka'k

सक्रिय सदस्य	3,45,48,189
सक्रिय लाभार्थी	51,04,395
विलंबित लाभार्थी/निष्क्रिय खाते	9,65,21,305
भावी वेतन वृद्धि	7.00% प्रति वर्ष
छूट/बट्टे की दर	8.00% प्रति वर्ष
सभी लाभों का वर्तमान मूल्य (करोड़ों में)	5,25,315,42 रुपये
भावी अंशदानों का वर्तमान मूल्य (करोड़ों में)	2,91,810.45 रुपये
31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कायिक निधि (करोड़ों में)	2,38,531.84 रुपये
निवल देयता (अधिशेष) (करोड़ों में)	(5,026.87 रुपये)

isa'ku lforj.k

1-39 वर्तमान समय में पेंशन का संवितरण, पेंश्न संवितरण बैंकों के कोर बैंकिग प्रणाली (सीबीएस) प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालयों को यह सुनिश्चित करने के अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि पेंशन पेंशनरों के खाते में महीने के पहले कार्य दिवस को जमा कर दी जाए।

1-40 पेंशन लाभों का मासिक संवितरण बैंकों की शाखाओं के नेट वर्क की माध्यम से निष्पादित किया जाता है जिनके साथ करार किए गए हैं। देशभर में पेंशन और अन्य लाभों के संवितरण हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों ने इस प्रयोजनार्थ राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों के साथ करार किए हैं। केन्द्रीकृत पेंशन संवितरण व्यवस्था करार एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक और डाकखानों के साथ भी किए गए हैं।

deZpkjh isa'ku ;kstuk] 1995 esa çeq[k vk'kks/ku@la'kks/ku

1-41 वर्ष 2015–16 में कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 और कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं।

1½ vukFk isa'ku ls lacaf/kr jkti= vf/klwpuk la[;k lk-dk-fu- 387¼v½ fnukad 01-04-2016

मासिक अनाथ पेंशनः अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 387(अ) दिनांक 01.04.2016 (कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 6 क द्वारा प्रदत्त शक्ति) और ईपीएस, 1995

सा.का.नि. 387(अ) – कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 6 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 तो आगे संशोधित करने हेतु निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थातः–

(i) यह योजना कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2016 है

(ii) इसे 16 नवम्बर, 1995 से प्रवृत हुआ समझा जाएगा।

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैरा–ग्राफ 16, उप–पैराग्राफ (4) में, खंड (क) के परंतुक के उपरांत, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात :–

"(कक) प्रत्येक अनाथ को जब तक ऐसा अनाथ 25 वर्ष की आयु का नहीं हो जाता मासिक अनाथ पेंशन देय होगीः

परन्तु यह कि मासिक अनाथ पेंशन किसी अनाथ को पच्चीस वर्ष की आयु के बाद देय होगी, यदि ऐसा अनाथ मानसिक विकार अथवा अशक्तता से ग्रस्त हो अथवा जो शारीरिक रुप से अपंग अथवा विकलांग हो।"

2½ 58 o"kZ dh mijkar 60 o"kZ rd çR;sd o"kZ ds fy, isa'ku esa 4% dh of) ls lacaf/kr jkti= vf/klwpuk la[;k lk-dk-fu- 440¼b½ fnukad 25-04-2016

सा.का.नि. 440(ई) – कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 6 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 तो आगे संशोधित करने हेतु निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थातः–

1. (i) यह योजना कर्मचारी पेंशन (द्वितीय संशोधन) योजना, 2016 है

   (ii) यह सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैरा–ग्राफ 12 में, उप–पैराग्राफ (7 क) के उपरांत, निम्नलिखित उप–पैराग्राफ जोड़ा जाएगा, अर्थात :–

   "(7ख) (क) कोई सदस्य जो 58 वर्ष की आयु का हो चुका है और अन्यथा इस पैराग्राफ के उप पैराग्राफ (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत पेंशन हेतु पात्र है, यदि वह ऐसा चाहे तो, उसे 58 वर्ष के बाद पेंशन आहरित करने की आयु को स्थगित करने की अनुमति दी जा सकती है परन्तु साठ वर्ष की आयु के बाद नहीं।

(ख) खंड (क) में यथासंदर्भित ऐसे मामलों में, –

(i) पेंशन की राशि आठावन वर्ष की आयु के उपरांत पूर्ण किए गए प्रत्येक वर्ष के संबंध में चार प्रतिशत की दर से बढ़ा दी जाएगी जिसे पैराग्राफ 3 के उपपैराग्राफ (2) के परन्तुक के अंतर्गत दी गई मजदूरी सीमा तक प्रतिबंधित कर दिया जाएगा;

(ii) सदस्य को, अपने विकल्प के आधार पर, कर्मचारी पेंशन निधि के पैराग्राफ 3 के अंतर्गत उस अवधी के संबंध में अंशदान जारी रखने की भी अनुमति दी जाए जिसके लिए पेंशन का आहरण स्थगित कर दिया गया है, यदि सदस्य अठावन वर्ष आयु के दौरान रोजगार जारी रखे हुए है, और उप पैराग्राफ (2) के अंतर्गत पेंशन के अभिनिर्धारण के प्रयोजनार्थ पेंशन योग्य सेवा और पेंशन योग्य वेतन की गणना उस अवधि को ध्यान में रखते हुए की जाएगी जिसके संबंध में अठावन वर्ष के उपरांत अंशदान किए गए थे, परन्तु साठ वर्ष आयु के बाद नहीं;

(iii) सदस्य जिसने इस उप–पैराग्राफ के अंतर्गत पेंशन आहरित करने की आयु को स्थगित करने का विकल्प दिया है, अठावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के उपरांत और इस तरह स्थगित की गई पेंशन आरंभ होने से पूर्व उसकी मृत्यु की स्थिति में, सदस्य का परिवार उस सदस्य की मृत्यु की तारीख के बाद की तारीख से पैराग्राफ 16 के उपपैराग्राफ (1) के खंड (ग) के अंतर्गत पेंशन का हकदार होगा जैसे कि सदस्य मासिक पेंशन की सदस्य की मौत की तारीख से शुरु हुई हो"।

3½ bMh,yvkbl ;ktuk] 1976 d vrxr ykHk dk c<kdj 6]00]000@& #i;s dj fn, tkus ls lcf/kr jkti= vf/klpuk l[;k lk-dk-fu- 543¼v½ fnukd 24-05-2016

(1) उप–पैराग्राफ (3) में, खंड (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

(i) "जिस माह उसकी मृत्यु हुई उससे पूर्ववर्ती बारह माह के दौरान, आहरित औसत मासिक मजदूरी (अधिकतम पन्द्रह हजार रुपये के अध्यधीन), का तीस गुणा जमा निधि में अथवा अधिनियम की धारा 17 अथवा "कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैराग्राफ 27 अथवा 27क के अंतर्गत छूट प्राप्त भविष्य निधि में दिवंगत के खाते में औसत शेष का पचास प्रतिशत, जैसी भी स्थिति हो, पूर्ववर्ती बारह माह के दौरान, अथवा उसकी सदस्यता की अवधि के दौरान, इनमें से जो भी कम हो, एक लाख और पचास हजार रुपये की सीमा के अध्यधीन, कुल छः लाख रुपये की सीमा के अध्यधीन"।

(ii) उप पैराग्राफ (4) में, "उप–पैराग्राफ (1), (2) अथवा (3)" शब्दों, कोष्ठकों और आंकड़ों के स्थान पर, "उपपैराग्राफ (1) अथवा (2)" शब्द, कोष्ठक और आंकड़े, प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

delpkjh fu{ki lgc) chek ;ktuk

1-42 ईडीएलआई योजना 01 अगस्त, 1976 को प्रवृत्त हुई। यह योजना नियोक्ताओं के नाममात्र अंशदान से समर्थित है। बीमा कवर का लाभ उठाने हेतु कर्मचारी द्वारा कोई अंशदान संदेय नहीं है।

ykxdj.k ,oa 0;kfIr

1-43 बीमा योजना उन सभी कारखानों/स्थापनों पर लागू है जिन पर अधिनियम लागू होता है। वे सभी कर्मचारी इस योजना के सदस्य हैं जो भविष्य निधि के सदस्य हैं।

;kstuk dh vrxZr ykHk

1-44 बीमा योजना के अंतर्गत लाभ 01.09.2014 को संशोधित किए गए थे। संशोधित योजना के अंतर्गत, किसी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, जो अपनी मृत्यु के समय इस योजना का सदस्य था, लाभ प्रदान किए गए, ताकि उसका परिवार सदस्य की अंतिम 12 माह की औसत मजदूरी का 20 गुणा पा सके। संशोधित योजना के अनुसार, योजना के अंतर्गत अधिकतम लाभ अब 6]00]000@& #i;s होगा, चूंकि योजना के अंतर्गत मजदूरी सीमा जिस तक अंशदान दिया जा सकता है वह 15000@& #i;s है।

1-45 ईडीएलआई में अंशदान हेतु मजदूरी सीमा राजपत्र अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 610 (अ) दिनांक 22.08.2014 द्वारा वर्तमान 6,500/– रूपये प्रतिमाह की धनराशि से बढ़ाकर प्रतिमाह 15,000/– रुपये कर दी गई है। इसकी मुख्य विवक्षाएं इस प्रकार हैं।

i. ईडीएलआई योजना के पैराग्राफ 22 के अंतर्गत पैराग्राफ 22(4) में किए गए नए उपबंध से लाभ 20% बढ़ाया गया, यह पैराग्राफ 22 के उप–पैराग्राफ (1) (2) और (3) के अंतर्गत ग्राह्य लाभों के अतिरिक्त है। अधिसूचना 01 सितम्बर, 2014 से प्रवृत्त होगी।

ii. ईडीएलआई योजना, 1976 में उपर्युक्त संशोधनों के साथ ही, लाभों की अधिकतम सीमा 24.05.2016 से वर्तमान 3,60,000/– रुपये की धनराशि से बढ़कर 6,00,000/– रुपये हो जाएगी।

iii. ईडीएलआई दावों के सभी मामलों में, जहाँ सदस्य की मृत्यु 01.09.2014 को अथवा उसके उपरांत हो, लाभ पैराग्राफ 22 के नए लागू हुए उप–पैराग्राफ (4) के अंतर्गत अनुमत्य 20% की वृद्धि के साथ प्रतिमाह 15,000/– रुपये की बढ़ी हुई मजदूरी सीमा के आधार पर विनियमित किए जाएंगे।

1-46 ईडीएलआई दावों की उन मामलों में जहाँ सदस्य की मृत्यु 01.09.2014 से पहले की तारीख को घटित हुई हो, लाभ प्रतिमाह 6,500/– रुपये की मजदूरी सीमा के आधार पर विनियमित किए जाएंगे।

dEpkjh Hkfo"; fuf/k lxBu dh dEI;wVjhdj.k ;kstuk

1-47 ईपीएफओ ने हाल ही के वर्षो में अपने व्यावसाय कार्यकलापों का कम्प्यूटरीकरण आरंभ किया है और वह अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में डेटावेस और कार्य प्रक्रियाओं का मानकीकरण हासिल कर पाया है। जबकि दावा निपटान, प्राप्ति और भुगतान लेखाकरण जैसी बुनियादी सेवा हैंडल करने हेतु विकसित अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर काफी हदतक स्थिर हो गया है और उससे संगठन की प्रचालनात्मक कार्यकुशलता में सुधार हुआ है, नियोक्ताओं और सदस्यों को वेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए वर्ष 2015–16 से पूर्व अनेक पोर्टल कार्यकलाप प्रारंभ किए गए थे। पोर्टल कार्यकलापों में मुख्यतः नियोक्ताओं के लिए अपनी सांविधिक देय राशियों के प्रेषण हेतु इलैक्ट्रॉनिक चलान–सह–विवरणी, भारत के साथ सामाजिक सुरक्षा करार (एसएसए) वाले

देशों को प्रवास करने वाले ईपीएफ सदस्यों को कवरेज प्रमाण–पत्र के निर्माण हेतु केन्द्रीकृत सॉफ्टवेयर, सदस्यों के लिए रोजगार बदलने पर ऑनलाइन अंतरण दावा पोर्टल और छूट प्राप्त स्थापनों को ऑनलाइन मासिक विवरणी दाखिल करने में समर्थ बनाने हेतु ऑनलाइन विवरणी शामिल हैं।

1-48 ईपीएफओ ने अपने व्यावसायिक कार्यकलापों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की संभावना का उपयोग करते हुए वर्ष 2015–16 के दौरान इस प्रयास को और आगे बढ़ाया है। ध्यान न केवल आंतरिक व्यवसाय प्रचालनों में सुधार लाने का बल्कि जबाव देही और पारदर्शिता लाने का रहा है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में, ईपीएफओ द्वारा लाभार्थियों और नियोक्ताओं को भी बेहतर सेवाएं प्रदान करने हेतु निम्नलिखित ई–शासन पहल की गई हैं।

1- ,l,e,l lok,

(क) ईपीएफओ ने उन सदस्यों के लिए शार्टकोड एसएमएस सेवा जैसी नई सुविधा की शुरुआत की है जिन्होंने अपना यूएएन सक्रिय कर लिया है। अपने पंजीकृत मोबाइल संख्याओं से सदस्य एक विनिर्दिष्ट संख्या अर्थात् 7738299899 पर प्रपत्र में एसएमएस भेजते हैं। एसएमएस का फार्मेट <<EPFOHO UAN LAN>> है। एलएएन चुनी गई भाषा के प्रथम तीन शब्द हैं। ईपीएफओ जवाब में सदस्यों को उनके पंजीकृत मोबाइल संख्याओं पर यूएएन, केवाईसी स्थिति, अन्तिम अंशदान, कुल पीएफ शेष संबंधी विवरण भेजता है।

(ख) ईपीएफओ उन सदस्यों को उनके खाते में मासिक पीएफ अंशदान जमा कर दिए जाने से संबंधित नियमित रुप से एसएमएस भेजता है जिन्हों ने अपना यूएएन नंबर सक्रिय करवा लिया है। एक एसएमएस संदेश नियोक्ताओं को भी भेजा जा रहा है कि उन्होंने मासिक अंशदान जमा नहीं कराया है अथवा विवरणी प्रस्तुत नहीं की है।

2 xj&lapkfyr [kkrk dk fy, v,uykbu gYiMLd

सदस्यों को अपने गैर–संचालित खातों का पता लगाने में सहायता करने के लिए एक हेल्पडेस्क तैयार किया गया है और सदस्य इन खातों को वर्तमान खाता (यूएएन) से जोड़ सकते हैं अथवा उन्हें हटा सकते हैं। सदस्यों को सुविधा प्रदान की गई है जिसमें सदस्य अपने रोजगार के ज्ञात ब्यौरे व्यक्तिगत विवरण के साथ प्रदान कर सकते हैं। नाम, जन्म तिथि और मोबाईल नं. के सिवाय कोई भी खाने अनिवार्य नहीं हैं। सदस्य का मोबाईल नं. पर भेजे गए PIN के माध्यम से सत्यापित किया जाता है। पंजीकृत किए गए प्रत्येक मामले के लिए एक संदर्भ आईडी भावी संदर्भों हेतु सृजित किया जाता है।

3. lnL; [kkrk dk v|ru djuk

सदस्यों के खातों में ब्याज जमा करने के लिए एक नया तंत्र विकसित किया गया है ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सदस्यों के खातों को स्वतः अद्यतन किया जा सके। दिनांक 01.04.2015 को, वर्ष 2014–15 के ब्याज को जमा करने के साथ ही सदस्यों के 15 करोड़ से ज्यादा खातों को अद्यतन कर दिया गया।

4. ekckby vuç;kx

ईपीएफओ वैबसाइट www.epfindia.gov.in से नए मोबाईल अनुप्रयोग को डॉउनलोड करके, सदस्य अपने मोबाईल फोनों की सुविधा से अपना यूएएन खाता सक्रिय कर सकेंगे और पास बुक के माध्यम से अपनी मासिक

जमा राशियों को देखने हेतु अपने खाते को भी एक्सेस कर सकते हैं और ईपीएफ के पास उपलब्ध अपना ब्यौरा भी देख सकते हैं। इसी तरह ईपीएफ पेंशन भोगियों को इस मोबाइल एप के माध्यम से अपनी पेंशन संवितरण के ब्यौरे एक्सेस करने की सुविधा दी गई है, इसी तरह नियोक्ता भी अपनी धनप्रेषण संबंधी ब्यौरे देख सकते हैं। यह अनुप्रयोग गूगल प्ले स्टोर पर डॉउनलोड हेतु भी समर्थ बनाया गया है।

5. ,l,e,l vk/kkfjr ;w,,u lfØ; djuk

यह सदस्यों को क्रेडिट अलर्टस, पासबुक आदि जैसे को प्रोसेस करने के लिए एसएमएस भेजकर अपने खाते सक्रिय करने में समर्थ बनाता है, इस तरह सक्रियकरण को और अधिक आसान बनाता है। एक बार सक्रिय हो जाने पर नंबर 7738299899 यूएएन कार्यक्रम में अभिकल्पित सभी सेवाओं के लिए पात्र बन जाता है। यह नई सेवा विशेषतः ऐसे सदस्यों के लिए सहायक है जिनकी कम्प्यूटरों अथवा स्मार्टफोनों तक पहुंच आसान नहीं है।

6. feLM dky lsok

ईपीएफओ में पहले ही शॉर्टकोड एसएमएस सेवा विद्यमान है जिससे सदस्य 7738299899 पर एसएमएस के माध्यम से अपने अंशदान और पीएफ शेष सहित अपने ब्यौरे जान लेने में समर्थ हो गए हैं। इस सेवा के विस्तार स्वरुप, मिस्ड काल सेवा का आशय प्रोसेस को और आसान बनाना है चूंकि सदस्य को निःशुल्क 01122901406 पर एक मिस्ड काल मात्र उसे सभी अभिकल्पित ब्यौरे प्रदान करेगी। चूंकि यह सुविधा केवल यूएएन सक्रिय करवाए गए सदस्यों को उपलब्ध है, अतः ऐसी सुविधा सदस्यों द्वारा यूएएन सक्रिय करवा लेने की प्रक्रिया को गति प्रदान करेगी। इसके प्रारंभ से लगभग 40 लाख मिस्ड काल पंजीकृत की गई हैं।

7. fMthVy gLrk{kj ds lkFk çfr"Bku dk v,uykbu iathdj.k%

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पंजीकरण हेतु संशोधित प्रक्रिया शुरु की है जिसमें नियोक्ता ऑनलाइन आवेदन करने और आवेदन करते समय डिजीटल रुप से हस्ताक्षरित दस्तावेज ऑपलोड कर सकेंगे। आवेदन प्रस्तुत करने पर, कोड नम्बर तत्काल अवगत कराया जाएगा और डॉउनलोड हेतु कोड आबंटन पत्र उपलब्ध होगा।

8. lHkh deZpkfj;ksa dks ;w,,u dk vfxze vkoaVu%

ईपीएफ का सदस्य नहीं होने पर भी, कोई नागरिक ऑनलाइन मोड के माध्यम से यूएएन प्राप्त कर सकता है। यूएनएन हेतु पंजीकरण के लिए, एकल पृष्ठ फॉर्म के रुप में सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। किसी वास्तविक दस्तावेज को प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है तथा केवाईसी, संपर्क और बैंक ब्यौरे जैसी छोटी–मोटी सूचना ही अपेक्षित है। यूएएन एसएमएस के माध्यम से आवेदनकर्ता को मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। यह सुविधा 09.12.2015 को शुरु की गई है।

9. bZih,Qvks ds fy, Qslcqd vkSj fVoVj gSaMy%

फेसबुक और ट्विटर हैंडल की सहायता से हितधारकों को एक और माध्यम सुलभ होगा जिसके जरिए वे अपनी शिकायते, विचार और संदेश सीधे ईपीएफओ को भेज सकते हैं। इसके अलावा, इन मंचों का उपयोग ईपीएफओ द्वारा सदस्यों एवं नियोक्ताओं को चल रहे

प्रत्येक घटनाक्रम के बारे में सूचित करने हेतु किया जाएगा। नई और भावी पहलों/सुविधाओं/सेवाओं के बारे में सभी सूचना प्रिंट विज्ञापन, एसएमएस आदि जैसे अन्य विभिन्न माध्यमों के अलावा इन मंचों के माध्यम से दी जाएगी। कर्मचारियों और नियोक्ताओं के साथ संप्रेशन का एक और माध्यम होने के नाते, इस सुविधा का उपयोग ईपीएफओ के सेवा प्रदाय और कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं पर फीडबेक प्राप्त करने के लिएभी किया जाएगा। सदस्य www.facebook.com/socialepfo और www.twitter.com/socialepfo पर सोसल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर ढूंढ़ सकते हैं। ईपीएफओ विद्यमान आईटी लैंडस्केप के समेकन हेतु अग्रसर है, जिसके द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय अनुप्रयोग से संबद्ध 120 डेटाबेस और मल्टिपल पोर्टल डेटाबेस समेकित किया जाएगा।

Hkkjrh; v/;{krk e fcDl bfM;k 2016

होटल ताज प्लेस, नई दिल्ली में 28 सितम्बर, 2016 को ब्रिक्स राष्ट्रों के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों द्वारा ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्री घोषणा का अंगीकरण

1-49 भारत ने 2016 में ब्रिक्स फोरम की अध्यक्षता ग्रहण की। विदेश मंत्रालय ने ब्रिक्स को जनकेन्द्रित बनाने और व्यक्ति से व्यक्ति विशेषतः युवा संपर्क बढ़ाने की दृष्टि से ब्रिक्स इवेंट्स कैलेंडर में बैठकों/ इवेंट्स को शामिल किया था। ये बैठकें/ इवेंट्स भारत को प्रदर्शित करने हेतु देशभर में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आयोजित की गईं।

1-50 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 26–27 जुलाई, 2016 को हैदराबाद में ब्रिक्स प्रथम रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) बैठक आयोजित की थी तथा ब्रिक्स मंत्रालयी बैठक हेतु कार्यसूची तथा मंत्रालयी घोषणा हेतु प्रारुप बिन्दुओं पर चर्चा की गई। ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रालयी बैठक 27–28 सितम्बर, 2016 को हुई। दो दिवस के विचारविमर्श के अंत में मंत्रालयी घोषणा को अंगीकार किया गया इस इवेंट में ब्रिक्स राष्ट्रों के प्रतिनिधियों/मंत्रियों तथा आईएलओ और आईएसएसए के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। घोषणा में रोजगार सृजन, श्रम बल को कुशल बनाने, सामाजिक सुरक्षा, औपचारिकता में रुपांतरण, प्रमुख ब्रिक्स श्रम एवं अनुसंधान संस्थानों की नेटवर्किंग और रोजगार सृजन के लिए

नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु नीतियां और कार्यक्रम कार्यान्वित करने में सर्वोत्तम परिपाटियां साझा करने सहित मुद्दे शामिल थे। मंत्रालयी बैठक से पहले 26 सितम्बर, 2016 को द्वितीय रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) बैठक हुई।

jkT; Je ef=;ksa@Je lfpoksa ds lkFk {ks=h; Je lEesyu

24.01.2017 को आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन

माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री, श्री बंडारु दत्तात्रेय गुवाहाटी में क्षेत्रीय श्रम सम्मेलन के तकनीकी सत्र की अध्यक्षता करते हुए

माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री, श्री बंडारु दत्तात्रेय चेन्नई में क्षेत्रीय श्रम सम्मेलन के तकनीकी सत्र की अध्यक्षता करते हुए

1-51 वर्तमान सरकार ने क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर समावेशी श्रम नीति निर्माण हेतु हितधारकों में निरंतर परामर्श में संलग्न रहने का दायरा बढ़ाया है। पूर्वी क्षेत्र के राज्यों का क्षेत्रीय श्रम सम्मेलन 20 सितम्बर, 2016 को माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री, श्री बंडारु दत्तात्रेय की अध्यक्षता में भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में पूर्वी क्षेत्रों के श्रम मंत्रियों और केन्द्र, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इससे कामगारों और नियोक्ताओं की क्षेत्रीय स्तर की समस्याएं समझने में मदद मिली है। माननीय मंत्री ने वृहतर परिदृश्य में ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल जैसे पूर्वी राज्यों में सामाजिक सुरक्षा उपायों पर बल दिया।

vkS|ksfxd laca/k

1-52 सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध की स्थिति बनाए रखना श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। केन्द्रीय एवं राज्य दोनों औद्योगिक संबंध तंत्र के लगातार प्रयासों से समग्र औद्योगिक संबंध माहौल शांति पूर्ण एवं समरस बना रहा। हड़तालों और तालाबंदियों की संख्या जो 2011 में 370 थी उसने

गिरावट का रुख दर्शाया तथा यह सितम्बर, 2016 तक 50 (अनन्तिम) रही। इसी तरह नुकसान हुए श्रम दिवसों के कारण हानि वर्ष 2011 में 14.46 मिलियन तथा सितम्बर, 2016 तक 0.58 मिलियन (अनन्तिम) रही।

1-53 जहाँ तक हड़तालों एवं तालाबंदियों के स्थान–वार/उद्योग–वार विवरण का संबंध है, विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में काफी अन्तर विद्यमान है। वेतन तथा भत्ते, बोनस, कार्मिक, अनुशासनहीनता तथा हिंसा एवं अन्य इन हड़तालों एवं तालाबंदियों के मुख्य कारण रहे।

1-54 उन संगठनों जिनके लिए केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है, में औद्योगिक विवादों के न्यायनिर्णयन करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबंधों के अधीन बाईस केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण दृसह–श्रम न्यायालय स्थापित किए गए हैं। ये न्यायाधिकरण धनबाद (झारखंड़), मुम्बई, नई दिल्ली तथा चंडीगढ़, (प्रत्येक में दो–दो न्यायालय) तथा कोलकाता, जबलपुर, कानपुर, नागपुर, लखनऊ, बंगलौर, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, एर्नाकुलम, आसनसोल तथा गुवाहाटी प्रत्येक में एक–एक स्थापित किए गए हैं।

1-55 इसके अलावा, मुंबई (नंबर 1) और कोलकाता में दो अधिकरण भी राष्ट्रीय अधिकरणों के रुप में कार्य करती हैं। 2016–17 की अवधि (31.10.2016 तक) के दौरान, इन केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण –सह–श्रम न्यायालयों द्वारा कुल 1301 मामले और 353 आवेदनों को निपटाया गया।

1-56 मामलों के लंबित रहने की स्थिति को कम करने के उद्देश्य से, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण दृसह–श्रम न्यायालयों द्वारा वैकल्पिक शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। अप्रैल, 2016 से दिसम्बर, 2016 तक की अवधि के दौरान, ब्यालीस (42) लोक–अदालतें आयोजित की गईं जिनमें एक सौ दो (102) मामलों का निपटान किया गया। लोक–अदालत की प्रक्रिया विवाद वाले पक्षों के बीच आपसी सहमति तथा समझौते जो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, के माध्यम से औद्योगिक विवाद के निपटान हेतु एक मंच प्रदान करती है। अतः लोक अदालतों का आयोजन और मामलों के निपटान की संख्या तद्नुसार परिवर्तित होती रहती है।

cky Je

1-57 बाल श्रम का उन्मूलन एक अत्यंत चिंता का विषय है और भारत सरकार इस मुद्दे को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। समस्या की गहराई और प्रकृति पर विचार करते हुए बाल श्रम की समस्या को हल करने के लिए यह एक सुदृढ़ बहुमुखी कार्यनीति पर कार्य कर रही है। इसमें सांविधिक एवं विधिक उपाय, बचाव एवं पुनर्वास, सामाजिक सुरक्षा एवं गरीबी उपशमन सहित सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा और रोजगार सृजन स्कीमें शामिल हैं। उद्देश्य एक ऐसे माहौल का सृजन करना है जिसमें परिवार अपने बच्चों को कार्य पर भेजने के लिए मजबूर न हों। सरकार ने सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं से कार्य करने वाले बच्चों को हटाने और उनका पुनर्वास करने का दृष्टिकोण अपनाया है।

श्रम एवं रोजगार सचिव, श्रीमती एम. सत्यवती, नई दिल्ली में त्रिपक्षीय परामर्श बैठक (जिसमें बाल श्रम प्रतिषेध संषोधन नियम शामिल थे) में स्वागत भाषण देते हुए

cky Je lc/kh uhfr

1-58 अगस्त, 1987 में घोषित बाल श्रम संबंधी राष्ट्रीय नीति में विस्तृत, समग्र और समेकित तरीके से बाल श्रम के जटिल मुद्दे पर ध्यान दिया गया है। इस नीति के अन्तर्गत कार्य योजना बहुमुखी है और इसमें मुख्य रुप से निम्नलिखित शामिल है:

- विधायी कार्य योजना
- बाल श्रमिकों की अधिकता वाले क्षेत्रों में परियोजना आधारित कार्यक्रम
- बाल श्रमिक के परिवार के लाभार्थ सामान्य विकास कार्यक्रमों पर ध्यान देना।

fo/kk;h dk;l ;ktuk

1-59 विधायी कार्य योजना के अन्तर्गत, बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम को वर्ष 1986 में अधिनियमित किया गया था। अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, 18 व्यवसायों एवं 65 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष की आयु से कम आयु के बच्चों के रोजगार को प्रतिबंधित किया गया है। अब सरकार ने बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 अधिनियमित किया है जो 01.09.2016 से प्रवृत्त हुआ। संशोधन में अन्य बातों के साथ–साथ, सभी व्यवसायों और प्रक्रिया में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन अथवा कार्य पर पूर्ण प्रतिषेधय नियोजन के प्रतिषेध की आयु को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत आयु से संबद्ध करनाय जोखिमकारी व्यवसायों अथवा प्रक्रियाओं में किशोरों (14 से 18 वर्ष की आयु) के नियोजन पर प्रतिषेध और अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं के लिए अधिक कड़ा दंड बनाना शामिल है।

cky Je dh vf/kdrk oky {k=k e ifj;ktuk vk/kkfjr dk;l ;ktuk

1-60 राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अनुसरण में, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम की शुरुआत वर्ष 1988 में की गई थी ताकि बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों का पुनर्वास किया जा सके। यह एक जारी रहने वाली केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम है और इस समय देश के 270 जिलों में संस्वीकृत है। इस स्कीम के अन्तर्गत कार्य कर रहे बच्चों की पहचान बाल श्रम सर्वेक्षण के जरिए की जाती है, उन्हें कार्य से हटाया जाता है और विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में भेजा जाता है ताकि उन्हें एक ऐसा माहौल प्रदान किया जा सके कि वे बाद में मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली से जुड़ पाएं। इन विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में औपचारिक शिक्षा के साथ–साथ बच्चों को छात्रवृत्ति, पूरक पोषण, व्यावसायिक प्रशिक्षण और नियमित स्वास्थ्य जाँच संबंधी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

1-61 चूँकि गरीबी ऐसी सामाजिक बीमारी का मुख्य कारण है इसलिए ऐसे बच्चों के शैक्षिक पुनर्वास को अभिसरण दृष्टिकोण के माध्यम से बाल श्रमिक के परिवारों के आर्थिक पुनर्वास द्वारा और अधिक बल दिया गया है ताकि भारत सरकार विभिन्न मंत्रालयों /विभागों की स्कीमों के लाभों के अन्तर्गत बच्चे और उनके परिवारों को शामिल किया जा सके।

,ulh,yih Ldhe dh f'k{kk dk vf/kdkj] 2009 ¼vkjVhb½ vf/kfu;e l iulc)rk

1-62 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अधिनियमन के साथ ही एनसीएलपी स्कीम की आरटीई योजना, 2009 के उपबंधों से पुनर्संबद्धता की आवश्यकता हुई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिनांक 02.07.2010 के अपने पत्र संख्या 10–4/2009–ईई. 4 के द्वारा सूचित किया कि एनसीएलपी विद्यालय, अनामांकित और विद्यालय बाह्य बच्चों के लिए आरटीई अधिनियम की धारा 4 का उपबंधों और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (आरटीई) नियम, 2010 के नियम 5 के अनुसार विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के रुप में कार्य कर सकते हैं।

v/;k; 1 e nh xbl dUæh; vf/kfu;ek dh lph e Øe l[;k 13 ij mfYyf[kr Þcky Je ¼çfr"k/k ,o fofu;eu½ vf/kfu;e] 1986** dk uke 01-09-2016 l ^^cky ,o fd'kkj Je ¼çfr"k/k ,o fofu;eu½ vf/kfu;e] 1986** l çfrLFkkfir dj fn;k x;k gA

U;ure etnjh vf/kfu;e] 1948

1-63 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 को अधिकतर असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रहे श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों ही सरकारें अपने–अपने संबंधित क्षेत्राधिकारों के अन्तर्गत अनुसूचित रोजगारों के संबंध में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरियों के भुगतान को निर्धारित, संशोधित, समीक्षा एवं प्रवर्तित करने के लिए उपयुक्त सरकारें हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में 45 अनुसूचित रोजगार हैं और राज्य क्षेत्र में 1709 रोजगार हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का प्रवर्तन दो स्तरों में सुनिश्चित किया जाता है। जबकि केन्द्रीय क्षेत्र में प्रवर्तन सामान्यता केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) के रुप में पदनामित मुख्य श्रमायुक्त (कें.) के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा किया जाता है, परन्तु राज्य क्षेत्र में अनुपालन राज्य प्रवर्तन तंत्र द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

1-64 मुद्रा स्फीति के विरुद्ध न्यूनतम मजदूरी सुरक्षित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ा हुआ परिवर्ती मँहगाई भत्ता (वीडीए) शुरु किया है। जहाँ तक राज्य/संघ शासित राज्यों का संबध है उनमें से 26 ने वीडीए को न्यूनतम मजदूरी का एक हिस्सा बनाया है। केन्द्र और राज्य सरकारें दोनों समय–समय पर इन अनुसूचित रोजगारों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी में संशोधन कर रही हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में पिछली बार 01.10.2016 से दरों में सशोधन किया गया था।

1-65 समरुप मजदूरी ढांचे को बनाने के लिए और समस्त देश में न्यूनतम मजदूरी की असमानता में कमी करने के लिए वर्ष 1991 में ग्रामीण श्रम संबंधी राष्ट्रीय आयोग (एनसी आर एल) की सिफारिशों के आधार पर एक राष्ट्रीय तल स्तरीय न्यूनतम मजदूरी (एनएफएलएमडब्ल्यू) की एक परिकल्पना की गई थी। एनएफएलएमडब्ल्यू का समय– समय पर संशोधन किया गया था। केन्द्रीय सरकार ने 01.07.2015 से (एनएफएलएमडब्ल्यू) को 137/– रुपये से बढ़ाकर 160/–रुपये प्रतिदिन कर दिया है। तथापि, यह नोट किया जाना चाहिए कि तल स्तरीय न्यूनतम मजदूरी असांविधिक उपाय है।

e t nwjh l=nk; vf/kfu;e] 1936

1-66 मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 कामगारों को समय पर मजदूरी का भुगतान और उनकी मजदूरी से कोई अनधिकृत कटौती न किया जाना सुनिश्चित करता है। अधिनियम की धारा 1 की उप–धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा प्रकाशित उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आँकड़ों के आधार पर, 11.09.2012 से मजदूरी की उच्चतम सीमा 10,000/–रुपये से बढ़ाकर 18,000/–रुपये कर दी गई है।

1-67 मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 6 को प्रतिस्थापित करने हेतु मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2016 लोक सभा में 15, दिसम्बर, 2016 को प्रस्तुत किया गया है ताकि नियोक्ता नियोजित व्यक्ति को वेतन का भुगतान चेक द्वारा अथवा उसे उनके बैंक खाते में जमा करके कर सकने में समर्थ हो सके और समुचित सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा औद्योगिक अथवा अन्य प्रतिष्ठानों को विनिर्दिष्ट करने में भी समर्थ हो सके, जो प्रत्येक नियोजित व्यक्ति को मजदूरी का भुगतान चेक द्वारा अथवा उसके बैंक खाते में जमा करके करेगा। चूंकि विधेयक पारित नहीं किया जा सका अतः मजदूरी संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 2016 दिनांक 28.12.2016 को जारी कर दिया गया है।

0;kolkf;d lqj{kk ,oa LokLF; ¼vks,l,p½

1-68 भारत के संविधान में किए गए प्रावधानों के अनुसार कामगारों के व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (ओएसएच) के प्रावधानों को खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) और फैक्टरी सलाहकार सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीएफएएसएलआई) द्वारा लागू किया जा रहा है ।

1-69 खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) खान अधिनियम,1952 के अंतर्गत नियुक्त किए गए अपने निरीक्षकों के माध्यम से खान उद्योग में कामगारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रावधानों को लागू करता है। डीजीएफएएसएलआई अपने डॉक सुरक्षा निरीक्षकों के माध्यम से डॉक में सुरक्षा प्रावधानों को लागू करता है और विभिन्न राज्य सरकारों के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय

स्तर पर कारखाना निरीक्षणालय के लिए समन्वयकारी अभिकरण का भी कार्य करती है।

1-70 व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (ओएसएच) क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं/ पहलें इस प्रकार हैं :–

(i) प्रत्येक वर्ष श्रम एवं रोजगार मंत्रालय कामगारों को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार, राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार एंव विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) प्रदान करता है ।

(ii) प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार केंद्रीय और राज्य सरकारों के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगे हुए कामगारों और निजी क्षेत्र में निर्माण करने वाली यूनिटों में कार्यरत 500 या अधिक कामगारों को उनके कार्यनिष्पादन, कर्तव्यनिष्ठा आदि का सम्मान करने के लिए प्रदान किया जाता है। वर्ष 2014 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार को माननीय प्रधानमंत्री के अनुमोदन से अंतिम रुप दे दिया गया है। वर्ष 2016 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार के लिए नामांकनों पर अभी आरंभिक चरण पर कार्रवाई की जा रही है।

(iii) विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार (वीआरपी) अलग–अलग कामगारों या कामगारों के समूह को उनके उत्कृष्ट सुझावों के लिए दिया जाता है जिससे उत्पादन में वृद्धि हो, सुरक्षा और स्वास्थ्य और आयात के विकल्पों जिससे विदेशी मुद्रा में बचत हो। राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (एनएसए) कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कवर किए गए औद्योगिक प्रतिष्ठानों, डॉक कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (नियोजन और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत कवर नियोक्ताओं को उनके अच्छे सुरक्षा कार्य निष्पादन के सम्मान स्वरूप दिया जाता है। 16 सितम्बर, 2016 को सिरी फोर्ट सभागार, नई दिल्ली में विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और सुरक्षा पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया।

(iv) खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कवर की हुई खानों में राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट सुरक्षा निष्पादन के सम्मान के लिए दिया जाता है। वर्ष 2011 और 2012 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) 20.03.2015 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए। प्रतियोगिता वर्ष 2013 और 2014 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) के पुरस्कार विजेताओं की सूची को अंतिम रुप देने हेतु बैठक धनबाद में 20 अक्टूबर, 2016 को आयोजित की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) के पुरस्कार विजेताओं की सूची को अंतिम रुप राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार समिति की अगली बैठक में दिया जाएगा।

;ktuk ifj0;;

1-71 मंत्रालय ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए श्रमिकों के कल्याण और विकास के लिए कुछ प्लान स्कीमें लागू की हैं। इन कार्यक्रमों में बाल श्रम के उन्मूलन, बंधुआ मजदूरों के उन्मूलन और पुनर्वास और स्वास्थ्य बीमा पर बल दिया गया है। महत्वपूर्ण योजनाएं असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) हैं।

1-72 योजना आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के दौरान श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की

योजना स्कीम के लिए 13,223 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया है। स्कीम परिव्यय और व्यय का वर्षवार ब्यौरा अध्याय 15 की तालिका 15.1 में दिया गया है।

1-73 vuql/kku ,o çf'k{k.k

¼d½ nÙkksir FksaxMh jk"Vªh; Jfed f'k{kk ,o fodkl cksMZ

1. दत्तोपंत थेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (पूर्ववर्ती केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड) का गठन 1958 में किया गया था जो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और इकाई/ग्राम स्तर पर कामगार शिक्षा कार्यक्रम लागू करती है। बोर्ड संगठित, असंगठित, ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्रों के कामगारों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कवर करता है।

2. बोर्ड के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य कामगारों की जन संख्या के सभी वर्गों के बीच जागरूकता उत्पन्न करना है। संयुक्त शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से पर्यवेक्षक और प्रबंधक कैडरों को भी कवर किया जाता है।

3. बोर्ड का मुख्यालय नागपुर में है और समस्त देश में इसके 50 क्षेत्रीय और 08 उपक्षेत्रीय निदेशालय का नेटवर्क फैला हुआ है। छः जोनल निदेशालय दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, भोपाल अपने संबंधित जोन के क्षेत्रीय निदेशालयों की गतिविधियों पर निगरानी रखते हैं।

4. बोर्ड का स्वरुप त्रिपक्षीय है और इसमें कामकगारों/नियोक्ताओं के केंद्रीय संगठनों, केन्द्रीय/राज्य सरकारों तथा शैक्षिक संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं।

¼[k½ oh- oh- fxjh jk"Vªh; Je lLFkku ¼ohohth,u,yvkbZ½

- वी.वी.गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है जो जुलाई,1974 में स्थापित किया गया था, वह श्रम अनुसंधान और प्रशिक्षण का एक प्रमुख संस्थान बन गया है। अपनी शुरुआत से, संस्थान ने अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और प्रकाशनों के माध्यम से संगठित और असंगठित क्षेत्रों में श्रम संबंधी विभिन्न पहलुओं से संबंधित विविध समूहों तक पहुँचने का प्रयास किया है। इन प्रयासों का ध्यानाकर्षण नीति गठन और कार्रवाई के अनुप्रयोग हेतु शैक्षिक परिज्ञान और समझ के अंतरण का विषय है ताकि समतावादी और लोकतांत्रिक समाज में श्रम के लिए एक न्यायोचित स्थान सुनिश्चित किया जा सके।

varjk"Vªh; lg;ksx

जिनेवा में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आईएलओ के 105वीं सत्र को संबोधित करते हुए

1-74 vkbZ,yvks dk varjk"Vªh; Je lEesyu dk 105oka l= rFkk vkbZ,yvks dh 'kklh fudk; dk 327oka l=&

भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का एक संस्थापक सदस्य है जिसने श्रम कल्याण पर सार्वभौमिक नीति बनाए जाने

में सक्रिय योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) का 105वां सत्र तथा शासी निकाय का 327वां सत्र 30 मई से 11 जून, 2016 तक जिनेवा में आयोजित किया गया श्री बंडारु दत्तात्रेय, माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय त्रिपक्षीय प्रतिनिधिमण्डल ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन(आईएलसी) में भाग लिया। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों के अलावा इस प्रतिनिधिमण्डल में कामगारों(केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठन) तथा केन्द्रीय नियोजक संगठन में से प्रत्येक की ओर से आईएलसी में 9 प्रतिनिधि शामिल थे। सम्मेलन के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय की बैठक का 327वां सत्र आयोजित किया गया।

1-75 विभिन्न मंत्रियों, वाइस मंत्रियों और उप–मंत्रियों को इस अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भाग लेने के लिए अधिकृत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सदस्य देशों से सरकारों, नियोक्ताओं और कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभागियों सहित राष्ट्राध्यक्षों एवं सरकारों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। आईएलओ सदस्य राज्यों से सरकारों, नियोजकों और कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभागियों ने सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में 332 सरकारी प्रतिनिधियों, 164 नियोजक प्रतिनिधियों तथा 165 कामगार प्रतिनिधियों दृ कुल मिलाकर 661 प्रतिनिधियों को प्रत्यायित किया गया। इसके अलावा, 1051 सरकारी सलाहकारों, 543 नियोजक सलाहकारों तथा 732 कामगार सलाहकारों = कुल 2326 सलाहकारों को सम्मेलन में प्रत्यायित किया गया। आईएलओ के गठन के प्रावधान के अनुरूप सम्मेलन के कार्य में भाग लेने के लिए कुल 2987 प्रतिनिधियों और सलाहकारों को नामित किया गया है।

1-76 11&13 tqykbl] 2016 dks chftax] phu e th&20 Je ,o jkstxkj ea=ky;ks dh cSBd

श्री बंडारु दत्तात्रेय, माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) तथा श्री शंकर अग्रवाल, तत्कालीन सचिव (श्रम और रोजगार) के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने 11–13 जुलाई, 2016 को बीजिंग, चीन में जी–20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। बैठक में अंत में जी–20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की घोषणा का अंगीकार किया गया।

1-77 Hkkjr dh v/;{krk e fcDl jkstxkj de'khy leg dh cSBd rFkk jkstxkj ef=;ks dh cSBd] 2016

भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के भाग के रूप में, ब्रिक्स की पहली रोजगार कर्मशील समूह की बैठक 26–27 जुलाई, 2016 के दौरान हैदराबाद में आयोजित की गई। ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रालीय बैठक नई दिल्ली में 27–28 सितम्बर, 2016 को आयोजित की गई। मंत्रालीय बैठक से पूर्व 26 सितम्बर, 2016 को द्वितीय रोजगार कर्मशील समूह की बैठक आयोजित की गई, जो वरिष्ठ स्तरीय अधिकारियों पर काम करती है तथा मंत्रालीय बैठक के साथ ही मंत्रालीय घोषणा के लिए कार्यसूची निर्धारित करती है।

1-78 vkbl,yvk dh 16oh ,f'k;k ç'kkar dh {ks=h; cSBd

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 16वीं एशिया प्रशांत की क्षेत्रीय बैठक 6–9 दिसम्बर, 2016 के दौरान बाली, इन्डोनेशिया में आयोजित की गई थी। श्री मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव के साथ श्री रजित पुन्हानी, संयुक्त सचिव के नेतृत्व में भारत के त्रिपक्षीय प्रतिनिधिमण्डल

तथा कामगार समूहों और नियोजक समूहों में से प्रत्येक के दो सदस्यों ने बैठक में भाग लिया।

LoPN Hkkjr vfHk;ku

1-79 श्रम और रोजगार मंत्रालय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रव्यापी "स्वच्छ भारत अभियान" चलाए जाने के आह्वान पर 25 सितम्बर, 2014 को आरंभ किए गए स्वच्छ भारत अभियान के कार्यान्वयन हेतु तथा इसे 2 अक्तूबर, 2019 तक जारी रखने के लिए अपनी वार्षिक कार्य योजना में इस मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के सभी प्रयासों के साथ स्वच्छ भारत अभियान के क्रियाकलापों का कार्यान्वयन कर रहा है।

1-80 मंत्रालय ने ईएसआईसी के सभी अस्पतालों, औषधालयों, कारखानों, विनिर्माण परिसरों में मई, 2016 (1–15 मई) के पहले पखवाड़े में सफाई अभियान चलाकर 1 मई, 2016 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया। इसके अलावा, सभी संबद्ध और अधीनस्थ निकायों के सभी संबंधित ब्यूरो प्रमुखों को कहा गया कि वे विशेष रूप से सफाई सुविधाएं प्रदान करने हेतु संबंधित परिसरों और प्रतिष्ठानों की सफाई के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए समुचित कार्रवाई करें। मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के कार्यालय से अनुरोध किया गया कि वे श्रम दिवस मनाने के लिए उक्त पखवाड़े के दौरान सफाई अभियान मनाने हेतु केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत प्रतिष्ठानों को निर्देश जारी करें।

1-81 e[; e=kky; e] 16&31 eb] 2016 vkj 1&15 vä cj] 2016 d i[kokMk d nkjku lQkb vfHk;ku pyk, x,A

1-82 श्रम शक्ति भवन और जैसलमेर हाउस में एक गहन सफाई अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान, भवन और बाहरी परिसर में सफाई पर दैनंदिन निगरानी रखने के लिए अधिकारियों को तल–वार नामित किया गया। इसके अलावा अभियान की अवधि के दौरान और उसके पश्चात अभियान के समग्र कार्यान्वयन हेतु नोडल अधिकारी, डीएस (प्रशासन) की अध्यक्षता में एक दल गठित किया गया। इन गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ➢ संयुक्त सचिव स्तर अधिकारियों द्वारा सभी स्वच्छता क्रिया–कलापों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करना।
- ➢ विभिन्न अवसरों पर माननीय मंत्री/सचिव (श्रम एवं रोजगार) द्वारा निरीक्षण करना।
- ➢ सभी अनुभागों में पुरानी फाइलों/रिकार्डों की छंटनी करने के लिए विशेष अभियान चलाना।
- ➢ गलियारों से अतिरिक्त/टूटे हुए फर्नीचर और रिकार्डों को हटाना।
- ➢ पार्किंग स्थल और खुले पार्क/परिसर क्षेत्र की उचित सफाई के रखरखाव के लिए वहाँ मलबा इकट्ठा नहीं होने देना।
- ➢ कार्यालय प्रकाशनों अर्थात् डायरी, स्पैरल पैड, फाइल कवर इत्यादि पर स्वच्छ भारत लोगो/कोटेशन दर्शित करना
- ➢ भवन परिसर के अंदर और बाहर लगे हुए पौधों को समय–समय पर छंटाई और सौन्दर्यकरण किया जाता है जिससे कि भवन साफ और सुंदर लगे।
- ➢ विभागीय कैंटीन में स्वच्छता की दशाएं सुनिश्चित करने के लिए सफाई के क्रियाकलाप और अन्य प्रावधान करना।

- सफाई और स्वच्छता बनाए रखने के लिए पुस्तकालय और स्टोर की नियमित सफाई।

1-83 अभियान के प्रथम वर्ष और 2019 तक की शेष अवधि के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। कार्ययोजनाओं में विनिर्दिष्ट किए अनुसार क्रियाकलापों का अनुसरण किया जा रहा है।

1-84 मंत्रालय के प्रस्तावित बजट को समाविष्ट करते हुए वर्ष 2017–18 के लिए मंत्रालय की स्वच्छता कार्य योजना(एसएपी) पेय जल एवं सफाई मंत्रालय को संप्रेषित की गई।

1-85 मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ और स्वायत्त संगठन प्रधानमंत्री के ''स्वच्छ भारत'' के अभियान के लिए मिशन के रूप में क्रिया–कलाप कर रहे हैं ।

lpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005

1-86 अच्छे शासन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि प्रशासन पारदर्शी, उत्तरदायी, नागरिक–हितैषी हो तथा सभी जानकारी जनता में प्रसारित करने में समर्थ हो। सूचना का अधिकार प्रशासन में इन सभी गुणों को सुनिश्चित करने का शक्तिशाली साधन है तथा इसलिए सरकार ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया जो 12.10.2005 से लागू किया गया है ।

1-87 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में उल्लिखित उपबंधों के अनुसरण में, श्रम और रोजगार मंत्रालय के संरक्षण में विभिन्न लोक प्राधिकरणों में अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु कार्रवाई की गई है। इसमें संगठन, प्रकार्य एवं कर्तव्य के विवरण, सीपीआईओ के पदनाम और अपीलीय प्राधिकारी आदि से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र की सूचना का प्रसारण शामिल है। मंत्रालय ने इस देश के नागरिकों के उपयोगार्थ सार्वजनिक किए जाने के लिए अपेक्षित विभिन्न श्रम अधिनियमों/विनियमों के बारे में सूचना का स्वतः स्वप्रेरण प्रकटीकरण मंत्रालय की वेबसाइट www.labour.nic.in पर भी आरंभ किया है। संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्त संगठनों की अपनी वेबसाइटें है जो मंत्रालय की वेबसाइट से संबद्ध हैं ।

1-88 मंत्रालय ने नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में केंद्रीय आरटीआई प्रकोष्ट की भी स्थापना की है जहाँ सूचना के अधिकार संबंधी आवेदन प्राप्त होते हैं। वर्ष 2016–17 (दिसंबर, 2016 तक) के दौरान 3681 आवेदन (मैनुअल एवं इलेक्ट्रानिक रूप से) मुख्य सचिवालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में प्राप्त हुए।

o"k	çkIr vkjVhvkbZ vkosnu
2005–2006	37
2006–2007	399
2007–2008	606
2008–2009	733
2009–2010	832
2010–2011	1154
2011–2012	1537
2012–2013	1110
2013–2014	1386
2014–2015	4539
2015–2016	4275
2016–2017 (31.12.2016 तक) (मैनुअल एवं इलेक्ट्रोनिक)	3681

1-89 दिसंबर 2016 की अवधि के दौरान, वर्ष 2015–16 के संबंध में 11 आवेदक केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) के पास दूसरी अपील के रूप में गए हैं जिसमें केंद्रीय सूचना आयुक्त ने लगभग सभी मामलों में अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय को सही ठहराया है ।

jkt xkj egkfun'kky; d fØ;k&dyki

1-90 रोजगार महानिदेशालय का रोजगार निदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में सभी रोजगार संबंधित क्रिया–कलापों के लिए उत्तरदायी है।

1-91 ''रोजगार'' समवर्ती विषय होने के कारण, केंद्रीय और राज्य सरकारों दोनों की जिम्मेदारी बनती है। नीति, कार्य पद्धति, मानक, मानदंड मार्गदर्शन बनाना केंद्रीय सरकार का दायित्व है जबकि रोजगार कार्यालय के प्रशासन का कार्य राज्य सरकारोंध्संघ राज्य क्षेत्रों का कार्य है। अधिकांश राज्यों में रोजगार निदेशालय राज्यों की राजधानी में स्थित हैं। इन क्रिया–कलापों के अतिरिक्त, रोजगार महानिदेशालय विशिष्ट लक्षित समूहों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण संस्थान भी चलाते हैं ।

1-92 24 राज्यों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए चौबीस कोचिंग सह मार्गदर्शन केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को नौकरी प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास निर्माण करने के लिए व्यवसायिक मार्गदर्शन और प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा, 14 कोचिंग सह मार्गदर्शन केंद्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को नौकरी प्राप्त करने के लिए टंकण एवं आशुलिपि के अभ्यास की सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाती है। ये केंद्र कर्मचारी चयन आयोग और अन्य भर्ती बोर्डों द्वारा ग्रुप 'ग' और समकक्ष पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को उनकी नियुक्ति हेतु सुधार करने के लिए भर्ती–पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध करवाते हैं। 2016–17 के दौरान, नवम्बर, 2016 तक 10126 उम्मीदवारों ने एनसीएससीज द्वारा टंकण और आशुलिपिक अभ्यास के लिए उपलब्ध करवाई गई सुविधाओं का उपयोग किया और एनसीएस केन्द्रों द्वारा आयोजित किए गए भर्ती–पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम में 711 उम्मीदवारों ने भाग लिया ।

1-93 देश में दिव्यांगों के लिए 21 राष्ट्रीय कैरियर सेवा केन्द्र कार्य कर रहे हैं, जिनमें से वडोदरा में एक केन्द्र विशेष रुप से दिव्यांग महिलाओं के लिए स्थापित किया गया है। 2013–14 के दौरान रांची में एक एनसीएससीडीए स्थापित किया गया है और यह संचालन की प्रक्रिया में है। ये केन्द्र दिव्यांग लोगों की सक्षमताओं का मूल्यांकन करते हैं तथा उन्हें मुख्य आर्थिक धारा में एकीकृत करने की दृष्टि से समायोजन प्रशिक्षण तथा कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं और उन्हें देश के उत्पादक नागिरक बनाते हैं। ये केन्द्र दिव्यांग लोगों के पुनर्वास में सामुदायिक सहभागिता तथा लोक जागरुकता सृजित करने में अति सक्रिय भूमिका निभाते हैं।

बाक्स 1.1

dUæh; vf/kfu;eks dh lwph	
Øe l[;k	vf/kfu;e dk uke
01.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948
02.	कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1952
03.	गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम,1986
04.	खान अधिनियम,1952
05.	लौह अयस्क खान, मैग्नीज अयस्क खान एवं क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण (उपकर) अधिनियम,1976
06.	लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क खान एवं क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम,1976
07.	अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम,1946
08.	बीड़ी कामगार कल्याण उपकर अधिनियम,1976
09.	चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम,1972
10.	सिने कामगार कल्याण उपकर अधिनियम,1981
11.	बीड़ी कामगार कल्याण निधि अधिनियम,1976
12.	सिने कामगार कल्याण निधि अधिनियम,1981
13.	बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986
14.	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम,1996
15.	ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम,1970
16.	समान पारिश्रमिक अधिनियम,1976
17.	औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947
18.	औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम,1946
19.	अंतर्राज्यिक प्रवासी कामगार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम,1979
20.	श्रम विधि (कतिपय स्थापनों को विवरणियाँ प्रस्तुत करने एवं रजिस्टर रखने से छूट) अधिनियम,1988
21.	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम,1961
22.	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948
23.	बोनस संदाय अधिनियम,1965
24.	उपदान संदाय अधिनियम,1972
25.	मजदूरी संदाय अधिनियम,1936
26.	सिने कामगार एवं सिनेमा थियेटर कामगार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम,1981
27.	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार उपकर अधिनियम,1996
28.	कारखाना अधिनियम,1948
29.	मोटर परिवहन अधिनियम,1961
30.	वैयक्तिक चोट (क्षतिपूर्ति बीमा) अधिनियम,1963** (निरस्त)

31.	वैयक्तिक चोट (आपात उपबंध) अधिनियम,**1962 (निरस्त)
32.	बागान श्रम अधिनियम,1951
33.	विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम,1976
34.	व्यवसाय संघ अधिनियम,1926
35.	साप्ताहिक अवकाश अधिनियम,1942* (निरस्ताधीन)
36.	श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार–पत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें) एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1955
37.	बाल (श्रम गिरवीकरण) अधिनियम,1938** (निरस्त)
38.	कर्मकार प्रतिकर अधिनियम,1923(अब कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम,1923के रूप में पुनर्नामित किया गया है)
39.	रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम,1959
40.	बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम,1976
41.	बीड़ी एवं सिगार कामगार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम,1966
42.	कर्मचारी देयता अधिनियम,1938** (निरस्त)
43.	असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम,2008
44.	श्रमजीवी पत्रकार (वेतन दरों का निर्धारण) अधिनियम,1958

अध्याय – 2

संगठनात्मक ढांचा और कार्य

Je {k=kf/kdkj

2-1 भारत के संविधान के अंतर्गत श्रम समवर्ती सूची में है जहां केन्द्र के लिए कतिपय आरक्षित मामलों के शर्ताधीन केन्द्र और राज्य सरकारें दोनों विधान अधिनियमित करने के लिए सक्षम हैं। (बॉक्स 2.1)

बॉक्स 2.1

fo"k;ksa dk vkoVu	
l?k lwph प्रविष्टि संख्या 55 – खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम एवं सुरक्षा का विनियमन।	leorhZ lwph प्रविष्टि संख्या 22 – श्रमिक संघय औद्योगिक और श्रम विवाद।
प्रविष्टि संख्या 61 – श्रमिक संघों से संबंधित औद्योगिक विवाद।	प्रविष्टि संख्या 23 – सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमाय रोजगार और बेरोजगारी।
प्रविष्टि संख्या 65 – 'व्यावसायिक प्रशिक्षण' संबंधी केन्द्रीय एजेंसियां और संस्थान	बीमाय श्रमिकों को रोजगार जिसमें कार्य दशाएं, भविष्य निधि, नियोजकों के दायित्व, कर्मकारों को मुआवजा, अक्षमता तथा वृद्धावस्था पेंशन और प्रसूति लाभ शामिल हैं।

Je vkSj jkstxkj e=ky; dk n'kZu] fe'ku] mís';] dk;Z] lxBukRed 0;oLFkk ¼C;jk çeq[k½

n'kZu

2-2 बाल श्रमिकों से रहित भारत सुनिश्चित करते हुए तथा निरंतर आधार पर नियोजनीयता को बढ़ाते हुए कामगारों की समुचित कार्य–दशाएं तथा जीवन की उन्नत गुणवत्ता।

fe'ku

2-3 कामगारों की कार्य की दशाओं, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को विनियमित करते हुए, बाल श्रम का उन्मूलन श्रम कानूनों का प्रवर्तन सुनिश्चित करते हुए तथा रोजगार सेवाओं को बढ़ावा देते हुए सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण का प्रावधान करने के लिए कार्यान्वयन नीतियां/कार्यक्रम/परियोजनाएं तैयार करना और कार्यान्वित करना।

mís';

1. असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों में बढ़ोतरी करना।
2. संगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
3. बाल श्रमिकों को खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं से हटाना।
4. कौशल विकास को बढ़ावा देना।
5. रोजगार सेवाओं को सशक्त करना।
6. औद्योगिक विवादों की रोकथाम और निपटान तथा श्रम कानून प्रवर्तन मशीनरी का सशक्तिकरण। तथा
7. कामगारों की सुरक्षा दशाओं और सुरक्षा में सुधार करना।

dkfed

Jh cMk# nÙkk=; ने 09.11.2014 से श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का कार्यभार संभाल लिया है।

Jherh ,e- lR;korh] vkb,,l ¼,th,e;Vh%82½ ने श्री श्री शंकर अग्रवाल, आईएएस (यूपी:80), सचिव (श्रम और रोजगार) जो दिनांक 30.09.2016 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से निवृत्त हुए, उनके स्थान पर दिनांक 01.10.2016 से सचिव (श्रम और रोजगार) का कार्यभार संभाल लिया है।

lxBukRed <kpk ¼C;jk çe[k½

e[; lfpoky;

Jh ghjkyky lefj;k] vkb,,l ¼Vhth%85½ ने 12.08.2015 से अपर सचिव (श्र. एवं रो.) का कार्यभार संभाल लिया है। वह मुख्य सतर्कता अधिकारी, विधि संबंधी सभी मामलों, सामाजिक सुरक्षा प्रभाग एकल डाटा/एकल कार्ड सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना के समेकन, मंत्रालय की सभी क्षेत्रीय/जोनल बैठकों के आयोजन, संसदीय मामलों का संपूर्ण प्रभार तथा आईटी एवं एनआईसी का कार्य देख रहे हैं। वह रोजगार महानिदेशालय का भी कार्य देख रहे हैं। वह मंत्रालय में सभी सांविधिक या सलाहकार बोर्डों/समितियों/बैठकों जिनमें वह सदस्य नहीं हैं, में भी एक विशेष आमंत्रित अधिकारी हैं। सचिव, (श्रम एवं रोजगार) द्वारा आवंटित अन्य विशेष कार्य।

Jh v:.k xks;y] vkb,,l ¼ihch%1985½ ने श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता, तात्कालीन संयुक्त सचिव और आर्थिक सलाहकार के स्थान पर दिनांक 01.11.2016 से वित्तीय सलाहकार और अपर सचिव का कार्यभार संभाल लिए हैं। वह वित्त, बजट एवं लेखा(बीएण्डए), रोकड़ एवं श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति के समक्ष अनुदान मांग से संबंधित मामले, मंत्रालय के योजनागत/योजनेत्तर व्यय की मॉनिटरिंग का काम देख रहे हैं।

Jh d-,e- xIrk ¼vkbbb,l%1982½ ने श्री पी.पी. मित्रा (आईईएस:1979) के स्थान पर दिनांक 03.01.2017 से वरिष्ठ श्रम और रोजगार वित्तीय सलाहकार का कार्यभार संभाल लिए है। वह ईएसए (श्रम ब्यूरो), वेतन बोर्ड, वेतन प्रकोष्ठ, आपदा प्रबंधन और योजना एकक का कार्य देख रहे हैं।

Jh jktho vjkMk] vkb,,l ¼,pokb%1987½ दिनांक 11.05.2016 से संयुक्त सचिव का पद संभाले हुए है। वह कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई), वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई), मीडिया सेल, औद्योगिक संबंध सहित रेलवे (एचओआईआर) के अपीलीय प्राधिकारी से संबद्ध सभी मामले, बाल और महिला श्रम और समन्वय/दूसरी राष्ट्रीय श्रम आयोग (एनसीएल) का कार्य देख रहे है।

Jh euh"k xIrk] vkb,,l ¼;Vh%1991½ दिनांक 03.11.2014 से संयुक्त सचिव का कार्यभार संभाले हुए हैं। वह श्रम सम्मेलन (एलसी)/आईएलएएस, श्रम सुविधा पोर्टल कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को छोड़कर सामाजिक सुरक्षा, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीडब्ल्यूई) और वित्तीय सलाहकार (ईपीएफओ) के अतिरिक्त प्रभार संभाले हुए हैं।

Jh jthr iugkuh] vkb,,l ¼ch,p%1991½ ने दिनांक 01.09.2016 से संयुक्त सचिव एवं श्रम कल्याण महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिए हैं। वह श्रम कल्याण–ग्रामीण और असंगठित, भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार (वीओसीडब्ल्यू) को छोड़कर बंधुआ मजदूर, आरएसबीवाई के शेष काम, असंगठित कामगार असामाजिक सुरक्षा सहित कामगारों का पंजीकरण और

उन्हें कार्ड जारी करना, डीबीटी, बीओसीडब्ल्यू अधिनियम, 1996 और बीओसीडब्ल्यू के कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 से संबंधित सभी पहलुओं, आईएसएलआरटीसी के सामान्य परिषद और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का कार्य देख रहे हैं।

Jh vkj-d- xIrk] ¼lh,l,l½ ने दिनांक 01.08.2016 से संयुक्त सचिव का कार्यभार संभाल लिए हैं। वह प्रशासन, केन्द्रीय श्रम सेवा और ईपीएफ और एमपी अधिनियम/ईपीफओ से संबंद्ध मामलें, लघु कारखाना विधेयक सहित श्रम कानून सुधार और एवीएमएस (एसीसी रिक्ति मोनिटरिंग प्रणाली) हेतु मडल अधिकारी, भविष्य, ई–स्पेरों, ई–अनुभव, स्वच्छ भारत मिशन, एपीएआर और डीएपीआरजी के साथ समन्वय, एनआईसी और यूएनडीपी जो राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस सेवा भारत के पोर्टल पर मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए इलेक्ट्रानिक सेवा को प्रदान करने हेतु परामर्शदात्री का काम देख रहे हैं।

M,- Mh- pk/kjh ने दिनांक 02.09.2013 से डीडीजी का कार्यभार संभाले हैं। वह वेतन बोर्ड, वेतन प्रकोष्ठ और ईएसए (श्रम ब्यूरो) और संसद एकक का कार्य देख रहे हैं और अपर सचिव (श्रम और रोजगार) को रिपोर्ट कर रहे हैं।

Jh noUæ flg ¼vkbbl,l%1986½ ने 15.12.2015 से आर्थिक सलाहकार का कार्यभाल संभाल लिया है। वे आरएफडी, राजभाषा, सार्वजनिक शिकायतें, मुख्य/नोडल रिकार्ड अधिकारी, स्कीमों का मूल्यांकन एवं निगरानी, आरटीआई तथा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) से संबद्ध सभी मामलों, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रभाग–कारखाना अधिनियम तथा खान अधिनियम से संबद्ध मामलों के कार्य देख रहे हैं। वह मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी भी है और अपर सचिव (श्रम और रोजगार) को रिपोर्ट कर रहे हैं।

egkfun'kd jkt xkj ¼Mh thb½ dk;ky;

Jh çoh.k JhokLro] ¼vkbl,l,l%1983½ 05.04.2013 से उप महानिदेशक (रोजगार) का पद संभाले हुए हैं।

e[; Je vk;ä ¼dUæh;½ ¿lh,ylh ¼lh½À dk dk;ky;

Jh vfuy dekj uk;d] ¼vkbvk,Q,l%1986½ ने 12.08.2015 से मुख्य श्रमायुक्त (केंन्दीय) का पद संभाल लिया है।

depkjh jkT; chek fuxe ¼b,lvkblh½

Jh nhid dekj] vkb,,l ¼ch,p%84½, ने दिनांक 31.07.2015 से ईएसआईसी के महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया है।

depkjh Hkfo"; fuf/k lxBu ¼bih,Qvk½

Jh oh-ih- tk;] vkb,,l ¼d,y%1987½ ने 01.03.2016 से ईपीएफओ के केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का पद भार संभाले हैं।

ljpuk ,o lxBu

2-4 मंत्रालय में निम्नलिखित सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय, स्वायत्त संगठन, न्यायनिर्णयन निकाय और विवाचन निकाय हैं।

lc) dk;ky;

jkt xkj egkfun'kky; ¼Mh thb½

2-5 यह कार्यालय पूरे देश में रोजगार सेवाओं के समन्वयन के लिए नीतियां, मानक, मानदण्ड और दिशा–निर्देश निर्धारित करने और भी उत्तरदायी है।

e[; Jek;ä ¼dUæh;½ lh,ylh ¼lh½] dk dk;ky;

2-6 यह कार्यालय (क) केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक विवादों को रोकथाम, जांच तथा निपटानय (ख) पंचाटों तथा करारों के प्रवर्तनय (ग) उन उद्योगों तथा प्रतिष्ठानों में श्रम कानूनों को कार्यान्वित करने, जिनके संबंध में केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार हैय (घ) केन्द्रीय कर्मचारी संगठनों से सम्बद्ध संघों की सदस्यता का सत्यापन करने ताकि उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं समितियों में प्रतिनिधित्व दिया जा सके और (ङ) अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत न्यूनतम मजदूरी के महंगाई भत्ता घटक के निर्धारण एवं संशोधन के लिए उत्तरदायी है।

dkj[kkuk lykg lok ,o Je lLFkku egkfun'kky; ¼Mhth,QklyhÃ½

2-7 यह निदेशालय, कारखानों और गोदी कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में नीति बनाने से संबंधित है। यह राज्य सरकारों द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन का समन्वय करने तथा इस अधिनियम के अधीन मॉडल नियम बनाने के लिए उत्तरदायी है। यह गोदी कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण) अधिनियम, 1986 के प्रशासन से भी संबंधित है। यह औद्योगिक सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य, औद्योगिक स्वच्छता, औद्योगिक मनोविज्ञान और औद्योगिक फिजियोलोजी में अनुसंधान करता है। यह मुख्यतः औद्योगिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिसमें औद्योगिक सुरक्षा में एक वर्ष का डिप्लोमा पाठयक्रम शामिल है। यह डिप्लोमा कारखानों में सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए एक आवश्यक अर्हता है। कारखाना निरीक्षकों का नियमित सेवाकालीन प्रशिक्षण इस संगठन का दूसरा महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यकलाप है।

Je C;jk

2-8 इस कार्यालय का मुख्यालय चंडीगढ़ एवं शिमला में हैं तथा यह कार्यालय रोजगार, मजदूरी, आय, औद्योगिक संबंधों, कामकाज की दशाओं आदि के बारे में सांख्यिकी तथा अन्य सूचना एकत्रण, संकलन तथा प्रकाशित करने के लिए उत्तरदायी है। यह औद्योगिक तथा कृषि/ग्रामीण श्रमिकों के संबंध में उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों को संकलित और प्रकाशित भी करता है।

v/khuLFk dk;ky;

[kku lj{kk egkfun'kky; ¼Mhth,e,l½

2-9 इस कार्यालय को खान अधिनियम, 1952 के उपबंधों तथा उनके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों को लागू करने का काम सौंपा गया है। यह खानों और तेल क्षेत्रों पर लागू भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के उपबंधों का प्रवर्तन भी करता है।

dY;k.k vk;ä

2-10 कल्याण आयुक्तों के सत्रह (17) कार्यालय, अभ्रक, चूना पत्थर तथा डोलोमाइट, लौह अयस्क, मैंगनीज तथा क्रोम अयस्क खानों और बीड़ी तथा सिनेमा उद्योगों में नियोजित कर्मकारों को कल्याण सुविधाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। ये कार्यालय नई दिल्ली (मुख्यालय) इलाहाबाद, अहमदाबाद, अजमेर, बंगलुरू,, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कण्णूर, देहरादून, हैदराबाद, जबलपुर, कोलकाता, नागपुर, पटना, रांची (झारखंड), रायपुर और तिरूनेवेल्ली में स्थित हैं।

Lok;Ùk lxBu

deipkjh jkT; chek fuxe ¼bl ,l vkbl lh½

2-11 यह निगम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है जिसमें बीमित व्यक्तियों तथा उनके परिवारों की चिकित्सा देख–रेख और उपचार की व्यवस्था है। बीमारी तथा प्रसूति, रोजगार के दौरान लगी चोट के लिए प्रतिपूर्ति, रोजगार के दौरान लगी चोट आदि के कारण कर्मकार की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों के लिए पेंशन के रूप में सहायता दी जाती है।

deipkjh Hkfo"; fuf/k lxBu ¼bih,Qvk½

2-12 यह संगठन कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। इस योजना के अंतर्गत शामिल कर्मकारों के लाभ के लिए इस संगठन द्वारा भविष्य निधि, परिवार पेंशन और जमा सहबद्ध बीमा योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है। यह संगठन कर्मचारी पेंशन योजना, 1995, जो 16.11.1995 से अस्तित्व में आयी है, के प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी है।

oh-oh- fxfj jk"Vh; Je lLFkku ¼ohohthvkbZ½

2-13 यह संस्थान जिसका मुख्यालय नोएडा (उत्तर प्रदेश) में स्थित है, एक पंजीकृत संस्थान है, जो कार्योन्मुखी अनुसंधान करता है और ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में ट्रेड यूनियन आन्दोलन में निम्नतर स्तर के श्रमिकों और औद्योगिक संबंधों, कार्मिक प्रबंधन, श्रमिक कल्याण आदि का काम देखने वाले अधिकारियों को भी प्रशिक्षण प्रदान करता है।

nÙkksiar FksxMh dsUnzh; Jfed f'k{kk vkSj fodkl cksMZ ¼iwoZorhZ lsUVªy cksMZ½

2-14 यह बोर्ड एक पंजीकृत सोसायटी है जिसका मुख्यालय नागपुर में है, श्रमिकों को श्रमिक संघवाद की तकनीकों में प्रशिक्षण देने संबंधी योजनाओं और श्रमिकों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का बोध कराना इस बोर्ड का कार्य है। बोर्ड ग्रामीण श्रमिक शिक्षा तथा कार्यात्मक प्रौढ़ शिक्षा संबंधी कार्यक्रम भी चलाता है।

U;k; fu.kZ;u fudk;

dsUnzh; ljdkj vkS|kSfxd U;k;kf/kdj.k vkSj Je U;k;ky; ¼lhthvkbZVh&lg&,ylh½

2-15 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबंधों के अधीन उन संगठनों के औद्योगिक विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए कुल मिलाकर 22 (बाईस) औद्योगिक अधिकरण सह–श्रम न्यायालय गठित किए गए हैं, जिनके संबंध में केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है। ये अधिकरण धनबाद (झारखंड), मुम्बई, नई दिल्ली और चंडीगढ़ (प्रत्येक में दो न्यायालय) तथा कोलकाता, जबलपुर, कानपुर, नागपुर, लखनऊ, बंगलुरू, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, एर्नाकुलम, आसनसोल और गुवाहाटी में प्रत्येक में एक न्यायालय स्थित है। इसके आगे मुम्बई (संख्या 1) तथा कोलकाता स्थित दो औद्योगिक अधिकरण राष्ट्रीय अधिकरण के रूप में कार्य करते हैं।

fookpu fudk;

fookpu cksMZ l;qä ijke'kZnk=h r= ¼tslh,e½

2-16 भारत सरकार ने 1966 में नियोक्ता के रूप में सरकार तथा उसके कर्मचारियों की महासभा के बीच समान प्रसंग के कई मामलों में अनसुलझे मतभेदों का समाधान करने के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (जे.सी.एम.) एवं अनिवार्य माध्यस्थम की स्कीम आरंभ की थी।

2-17 जेसीएम स्कीम के खण्ड 16 के अनुसार अनिवार्य विवाचन किसी वर्ग या ग्रेड के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों, साप्ताहिक कार्य घंटों तथा छुट्टी संबंधी अनिवार्य माध्यस्थम के प्रावधान तक ही सीमित है। विवाचन हेतु जेसीएम स्कीम के खण्ड 18 एवं 19 के अनुसार अगर किसी पक्ष द्वारा वांछित हो तो किसी विवाचनीय मामले पर मदभेद को माध्यस्थम बोर्ड को भेजा जाता है अगर वह राष्ट्रीय परिषद या उचित विभागीय परिषद, जैसा भी मामला हो, द्वारा विचार किया जा चुका हो तथा दोनों पक्षों के बीच मामले में अंतिम मतभेद अभिलिखित किया जा चुका हो।

2-18 संयुक्त सलाहकार उपकरण (जेसीएम) स्कीम के अंतर्गत, जुलाई, 1968 में माध्यस्थम बोर्ड (बीओए), का गठन किया गया था। बोर्ड में अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष एक स्वतंत्र व्यक्ति होता है तथा श्रम मंत्री द्वारा चुना जाता है (जरुरत अनुसार एसीसी तथा अन्य के अनुमोदन से)। अन्य दो सदस्यों की नियुक्ति भी श्रम मंत्री द्वारा विवादों को बोर्ड के समक्ष भेजते समय की जाती है, एक स्टाफ पक्ष के नाम के पैनल में से तथा एक ऐसे ही कार्यालयी पक्ष के पैनल में से। कर्मचारियों के किसी भी श्रेणी के किसी मामले पर जेसीएम फोरम में जब कार्यालयी पक्ष और स्टाफ पक्ष के बीच अंतिम मतभेद हो तो माध्यस्थम बोर्ड (बीओए) सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच झगड़े का सौहार्दपूर्ण, शांतिपूर्ण तथा न्याय संगत समझौते का उपकरण भी प्रदान करती है। संसद के अधिभावी अधिकार के अधीनस्थ माध्यस्थम बोर्ड की सिफारिशें दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होंगी। अध्यक्ष का पद माध्यस्थम बोर्ड (बीओए) 01.12.2005 से रिक्त पड़ा है।

Je vkj jkstxkj e=ky; e dkjokbl fd, tkus okys e[; fo"k;

2-19 संविधान की संघीय सूची और सातवीं अनुसूची की समवर्ती अनुसूची में संबंधित प्रविष्टियों से वांछित शक्तियों के अनुसरण में, श्रम और रोजगार मंत्रालय को निम्नलिखित कार्य आबंटित किए गए हैं:–

2-20 श्रम नीति (मजदूरी नीति सहित) और विधान, श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण, श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, महिला, बाल श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध जैसे विशेष लक्ष्य समूह से संबंधित नीति और केन्द्रीय क्षेत्र में श्रम कानूनों का प्रवर्तन, केन्द्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण–सह–श्रम न्यायालयों और राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरणों के माध्यम से औद्योगिक विवादों का न्यायनिर्णयन, श्रमिक शिक्षा, श्रम एवं रोजगार सांख्यिकी, रोजगार सेवाएं और व्यावसायिक प्रशिक्षण, केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार सेवाओं का प्रशासन, श्रम एवं रोजगार मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

dUæh; Je lok ¼lh,y,l½

2-21 केन्द्रीय श्रम सेवा (सी एल एस) का गठन 3 फरवरी, 1987 से बेहतर औद्योगिक संबंध सुनिश्चित करने, श्रम कानून प्रवर्तन और श्रम कल्याण के उद्देश्य से किया गया था। कैडर समीक्षा के पश्चात, केन्द्रीय श्रम सेवा (सी एल एस) को वर्ष 2004 में अधिसूचित कर दिया गया था।

2-22 500 या इससे अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले कारखानों और खानों तथा 300 या इससे अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले बागानों को संगत कानूनों के तहत निर्धारित संख्या में कल्याण अधिकारियों को नियुक्त करना अपेक्षित होता है। सीएलएस अधिकारी मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) द्वारा अध्यक्षता की गई, केन्द्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी (सीआईआरएम) में सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), उप–मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) और

अपर मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के तौर पर नियुक्त किए गए हैं जो केन्द्रीय क्षेत्र में सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंध को बनाए रखने के कार्य और उद्योगों तथा प्रतिष्ठानों में श्रम कानूनों के कार्यान्वयन कार्य को भी सौंपा गया है, जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार उपयुक्त सरकार है।

2-23 सीएलएस अधिकारियों को बीड़ी, सिने और गैर–कोयला कामगारों की कुछ श्रेणियों के लिए कल्याण निधि के प्रशासन हेतु महानिदेशक (श्रम कल्याण) के अंतर्गत श्रम और रोजगार मंत्रालय के कल्याण संगठन में सहायक कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), उप– कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय) और कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय) के तौर पर नियुक्त किया गया है।

2-24 श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), उप–श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय) और सहायक श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय) प्रतिष्ठान में जहां वह पदस्थापित है वहां सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंधों को प्रोत्साहित करने और निर्वाह करने हेतु महत्वपूर्ण योगदान करने की आवश्यकता होती है। उन्हें श्रमिकों को तैयार करने में संबंधित प्रबंधों को मदद प्रदान करने की आवश्यकता होती है और इसे कामगारों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद स्थापित भी करना है। उन्हें प्रबंधन और कामगारों के बीच प्रभावी संचार संपर्क के तौर पर सेवा करना है। वे वैधानिक कार्यों का निर्वाहन करते हैं और कामगारों के सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्रों में संबंधित प्रतिष्ठानों के प्रबंधन को सलाह और सहायता भी देते हैं।

2-25 केन्द्रीय श्रम सेवा (सीएलएस) की द्वितीय संवर्ग समीक्षा के परिणामस्वरुप केन्द्रीय श्रम सेवा के अधिकारियों की संवर्ग संख्या की पुनर्संरचना की गयी है तथा परिशोधन किया गया है अर्थात एचएजी स्तर पर 01 पद, एसएजी में 02 पद जेएजी में 59 पद, एसीएस में 115 पद तथा जेटीएस ग्रेड में 163 पद।

2-26 तीन वर्ग अर्थात मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) की अध्यक्षता में केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम), महानिदेशक की अध्यक्षता में कल्याण स्कंध, कारखाना/औद्योगिक प्रतिष्ठान में श्रम कल्याण स्कंध में पारदर्शिता और आवर्तन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय श्रम सेवा के अधिकारियों के स्थानांतरण/तैनाती की नीति/दिशानिर्देशों में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों के अनुसार तथा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में परिशोधन किया गया

l|ln ,dd

2-27 संसद एकक संसद से संबंधित सभी मामलों के लिए नोडल अनुभाग है। इस एकक के मुख्य कार्य निम्न हैं:

- राज्य सभा/लोक सभा प्रश्न शाखाओं से तारांकित तथा अतारांकित प्रश्नों के सभी नोटिसों और विशिष्ट चर्चा/ प्रस्ताव/अल्पावधि परिचर्चा इत्यादि को प्राप्त करता है तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए मंत्रालय के सभी संबंधित अनुभागों/प्रभागों को अग्रेषित करना है।
- संसद के हर सत्र से पहले विधायी कार्य से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए मंत्रालय के सभी संबंधित अनुभागों/प्राभागों को निर्देश देना।
- लोक सभा में नियम 377 के अन्तर्गत सदन में उठाए गए मामले तथा शून्य काल के दौरान राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से सार्वजनिक महत्व के तत्काल मामले इस अनुभाग के प्रशासनिक दायरे में आते हैं और यह एकक इससे संबंधित जानकारी संसद के संबंधित सदन को प्रस्तुत करता है ।
- संसदीय एकक माननीय श्रम व रोजगार मंत्री को उनके नाम और मंत्रालय के सामने सूचीबद्ध सदन में संसदीय मामलों के लिए, आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध कराता है।

➢ इस मंत्रालय से संबद्ध सलाहकार समिति की बैठक माननीय श्रम और रोजगार मंत्री की इच्छानुसार समय पर पूरे वर्ष आयोजित करना। इस वर्ष माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में 05.01.2016, 14.06.2016 तथा 01.12.2016 (दिसम्बर, 2016 तक) को परामर्शदात्री समिति की तीन बैठकें हुई।

bu cBdk e ftu ij fopkj&foe'k g,] o ekey Fk&

(i) डीजीएमएस और डीजीफासली के कामकाज (दिनांक 05.01.2016 को संसद भवन सौध, नई दिल्ली में) आयोजित

(ii) ठेका कामगारों के मामले (दिनांक 14.06.2016 को गोवा में आयोजित)

(iii) ईएसआईसी औषधालयों/अस्पतालों का उन्नयन (दिनांक 01.12.2016 को संसद भवन सौध, नई दिल्ली में आयोजित)

dfj;j çc/k ,o çf'k{k.k ¼lh,eVh½

2-28 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय–समय पर प्राप्त प्रशिक्षण परिपत्र परिचालित किए जाते हैं तथा इच्छुक अधिकारी/कर्मचारी अपना नामांकन फार्म भेजते हैं। प्रशासन विभाग नामांकन फॉर्मों पर कार्रवाई करते हुए उनको आइएसटीएम तथा अन्य प्रशिक्षण संस्थानों को उनकी ओर से आगे की कार्रवाई किए जाने के लिए अग्रेषित करता है।

foÙk Ldd/k

2-29 सचिव (श्रम और रोजगार), श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुख्य लेखांकन प्राधिकारी हैं तथा संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार (जेएसएण्डएफए) और लेखा नियंत्रक की सहायता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। जेएस एण्ड एफए बजट और वित्त के प्रमुख हैं तथा लेखा नियंत्रक(सीए) श्रम और रोजगार मंत्रालय में लेखांकन संगठन के प्रमुख हैं।

,dh—r foÙk çHkkx

2-30 मंत्रालय में वित्त सलाहकार एकीकृत वित्त प्रभाग के प्रमुख हैं। वित्तीय सलाह देने से संबंधित सभी मामलों में उप सचिव/(वित्त) उनकी सहायता करता है।

2-31 डीएफपीआर की अनुसूची–II में किए गए प्रावधान के अनुसार, संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता वाला आईएफडी निम्नलिखित कार्य करता है:–

- वित्त मंत्रालय द्वारा इस मंत्रालय को प्रत्यायोजित शक्तियों के क्षेत्र में आने वाले समस्त विषयों के संबंध में प्रशासनिक मंत्रालय को सलाह प्रदान करना;
- प्रत्यायोजित शक्तियों में आने वाले मामलों को छोड़कर ऐसे समस्त व्यय प्रस्तावों की छानबीन करना जिन्हें सहमति या टिप्पणी के लिए वित्त मंत्रालय को संदर्भित किया जाना अपेक्षित है;
- यह सुनिश्चित करना कि मंत्रालय बजट की तैयारी समय से करे और यह कि वित्त मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार बजट तैयार किया जाए;
- बजट प्रस्तावों को वित्त मंत्रालय भेजने से पहले उनकी पूरी तरह पड़ताल करना;
- योजनाओं को बनाने और प्रारम्भिक चरणों में उनके महत्वपूर्ण व्यय प्रस्तावों को तैयार करने में स्वयं को निकट से लगाये रखना;

- परियोजनाओं और अन्य चल रही योजनाओं के मामले में प्रगति/निष्पादन के मूल्यांकन से स्वयं को संबद्ध रखना और यह देखना कि ऐसे मूल्यांकन अध्ययनों के परिणाम बजट बनाते समय ध्यान में रखे जाएं;

- श्रम और रोजगार मंत्रालय के विभिन्न स्कंधों से प्राप्त एसएफसी/ईएफसी की जाँच व निगरानी

2-32 वर्ष 2016–2017 के दौरान, समस्त बजट और लेखा संबंधी विषयों को निर्धारित समय–सीमा के भीतर निपटाया गया। प्रस्तावों की सम्यक रूप से संवीक्षा करके यह सुनिश्चित किया गया कि व्यय, बजटीय विनियोजन, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाए और संगत स्कीमों/कार्यक्रमों के उद्देश्यों के अनुरूप किया जाए। जिनके संबंध में उसे उपगत किया गया था। वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा यथानिर्धारित व्यय प्रबंधन में राजकोषीय बुद्धिमतापूर्ण दिशानिर्देशों और कारगर रोकड़ प्रबंधन से संबंधित दिशानिर्देशों को भी सुनिश्चित किया गया।

2-33 13 (तेरह) एसएफसी/ईएफसी के एक ज्ञापनों तथा तीन मंत्रिमंडल टिप्पणियों की आईएफडी द्वारा जांच की गईं तथा अपेक्षानुसार, प्रत्येक मामले में मत/टिप्पणियां/सहमति प्रदान की गई।

jkt Hkk"kk

fgUnh dk mUkjkUkj ç;ksx

2-34 श्रम मंत्रालय ने वर्ष 2016–2017 के दौरान सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने और अधिकारियों/कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति रुचि पैदा करने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों/नियमों और राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों/दिशा–निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के हिन्दी प्रभाग को भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन और महत्वपूर्ण दस्तावेजों जैसे संसद में रखे जाने वाले कागजात, श्रम कानूनों, माननीय श्रम और रोजगार मंत्री जी के भाषण, प्रेस विज्ञप्ति आदि के साथ–साथ मंत्रालय के नेमी कार्य के अनुवाद का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

2-35 मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 16–30 सितम्बर, 2016 के दौरान हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इस अवसर पर अधिकारियों/ कर्मचारियों के बीच हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हिन्दी से जुड़ी नौ प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इनमें मंत्रालय के अधिकारियों/ कर्मचारियों ने बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया तथा प्रतियोगिता के विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाण–पत्र दिए गए।

2-36 हिन्दी प्रभाग में हिन्दी कार्य कम्प्यूटर पर किया जा रहा है। मंत्रालय की द्विभाषी वेबसाइट को अद्यतन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राजभाषा स्कन्ध से जुड़े अधिकारी हिंदी कार्य के संबंध में समय–समय पर निरीक्षण भी करते हैं।

2-37 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अधीन सभी दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए गए। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं तथा लक्ष्य के अनुसार वर्ष के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गईं।

çR;{k ykHk vUrj.k dk dk;kZUo;u ¼MhchVh½

2-38 डीबीटी कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित 18 योजनाएं 12 नकद अंतरण और 6 वस्तु–रूप में अंतरण, चयनित किया गया है।

udn varj.k ;kstuk,a

Ø-la-	;kstuk dk uke
1	बीड़ी कामगारों के बच्चों को छात्रवृत्ति
2	चलचित्र कामगारों के बच्चों को छात्रवृत्ति
3	लौह/मैंग्नीज/क्रोम अयस्क कामगारों के बच्चों को छात्रवृत्ति
4	चूना पत्थर तथा डोलोमाइट (एलएसडीएम) कामगारों के बच्चों को छात्रवृत्ति
5	बीड़ी कामगारों को आवास आर्थिक सहायता
6	लौह/मैंग्नीज/क्रोम अयस्क कामगारों को आवास आर्थिक सहायता
7	चूना पत्थर तथा डोलोमाइट (एलएसडीएम) कामगारों को आवास आर्थिक सहायता
8	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एलसीएलपी) के अन्तर्गत विशेष विद्यालयों में बच्चों को मानदेय
9	कोचिंग, मार्गदर्शन तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से एससी/एसटी नौकरी चाहने वालों के कल्याण की योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षुओं को मानदेय
10	अपंग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र (वीआरसी) के अंतर्गत निःशक्तजन प्रशिक्षुओं को मानदेय
11	बंधुआ श्रमिक के पुनर्वास योजना के अंतर्गत पुनर्वास सहायता
12	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीडब्ल्यूई) को अनुदान

oLrq&:i varj.k ;kstuk,a

Ø-la-	;kstuk dk uke
1.	बाल और महिल कल्याण हेतु स्वयं सेवी एजेंसियों को अनुदान सहायता
2	सौध अध्ययन आरंभ करने हेतु अनुसंधान और अकादमिक संस्थान को अनुदान सहायता
3.	वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) को अनुदान
4.	कर्मचारी पेंशन योजना
5.	असम के बागान कामगारों के लिए परिवार पेंशन–सह–जीवन आश्वासन और जमा लिंक्ड बीमा योजना
6.	प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई)

2-39 नकद अंतरण के मामले में चयनित 10 डीबीटी नकद योजनाओं के अंतर्गत योग्य लाभार्थियों को सभी लाभ मंत्रालय द्वारा दिया जाएगा जो लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से लाभार्थियों के आधार संबद्ध बैंक खातों में डाला जाएगा।

2-40 वस्तु–रूप अंतरण के मामले में जहां किसी व्यक्ति के बैंक खाते में नकद अंतरण नहीं किया जाता है तो योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के आधार संख्या को प्राप्त किया जाएगा और उसे द्विविरावृत्ति को छांटने हेतु अलग डाटावेस में रखा जाएगा।

fu;=d egkys[kk ijh{kd vkSj ih,lh dh ys[kk&ijh{kk iSjkvksa ij dh xbZ dkjZokbZ ij fVIi.kh

2-41 विवरण नीचे दिए गए कोष्टक में दिया गया है:

Ø-l-	fjiksVZ l- ,oa o"kZ	iSjk l-	laf{kIr fo"k;	orZeku fLFkfr
1	2015 का 18	11.1	कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन	डीजीएलडब्ल्यू ने अपने दिनांक 01.12.2016 के पत्र द्वारा डीजीए (सीई) के कार्यालय को संशोधित एटीएन भेज दिया है। इसे एपीएमएस पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा।
2	2015 का पीए 40	पूरी रिपोर्ट	कर्मचारी राज्य बीमा निगम के चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं पर निष्पादन लेखा–परीक्षा	एसएस–I अनुभाग ने दिनांक 14.12.2016 के पत्र द्वारा महानिदेशक लेखा–परीक्षा (केन्द्रीय व्यय) को संशोधित एटीएन भेज दिया है। इसे एपीएमएस पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा।
3	16वीं लोक सभा का 34	पूरी रिपोर्ट	ईपीएफओ का निष्पादन लेखा–परीक्षा	ईपीएफओ द्वारा संशोधित एटीएन तैयार किया जा रहा है।

अध्याय – 3

औद्योगिक संबंध
केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सी.आई.आर.एम.)

e[; Je vk;ä ¼dUæh;½ d lxBu dh xfrfof/k;k dh lf{kIr fjikV

3-1 मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) का संगठन जिसे केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) भी कहा जाता है, श्रम और रोजगार मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है। केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के प्रमुख मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) होते हैं। इसे केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक संबंध बनाए रखने, श्रम कानूनों को लागू करने और ट्रेड यूनियनों की सदस्यता का सत्यापन करने का कार्य सौंपा गया है। केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के मुख्यालय में 18 तथा फील्ड में 269 अधिकारी हैं। इन अधिकारियों के कार्यालय देश के भिन्न–भिन्न भागों में आंचलिक, क्षेत्रीय एवं इकाई स्तर पर फैले हुए हैं।

lxBu d dk;l

3-2 केन्द्रीय औद्योगिक संबध तंत्र का कार्य निम्नलिखित हैः

(i) केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक विवादों का निवारण एवं उनका निपटान करना।

(ii) केन्द्रीय क्षेत्र में श्रम कानूनों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों को लागू करना।

(iii) पंचाट लागू करना।

(iv) अर्द्ध–न्यायिक कार्य ।

(v) ट्रेड यूनियनों की सदस्यता का सत्यापन करना।

(vi) कल्याण

(vii) अन्य विविध कार्य

¼i½ vk|kfxd fookndk dh jkdFkke ,o fuiVku

3-3 केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र केन्द्रीय क्षेत्र की स्थापनाओं में निम्नलिखित के माध्यम से सद्भावपूर्ण औद्योगिक संबंध सुनिश्चित करता हैः–

- केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक संबंधों का अनुवीक्षण करना।
- विवादों का निपटान करने के उद्देश्य से, औद्योगिक विवादों में हस्तक्षेप करना, मध्यस्थता करना और सुलह कराना।
- हड़ताल और तालाबंदी रोकने के लिए आशंकित हड़ताल और तालाबंदी की परिस्थितियों में हस्तक्षेप।
- समझौते व पंचाट लागू करना।
- (1) कार्य समिति (2) देयों की वसूली (3) कामबंदी (4) छंटनी (5) अनुचित श्रम पद्धतियों आदि से संबंधित औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 के अन्य प्रावधानों को लागू करना।

3-4 वर्ष 2015–16 के दौरान केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र ने 582 आशंकित हड़तालों में हस्तक्षेप किया और उसके सुलहकारी प्रयासों से 579 हड़तालें रोकी जा सकीं जो 99.48 प्रतिशत सफलता दरदर्शाती है। वर्ष

2016–17 के दौरान अप्रैल–दिसम्बर की अवधि में केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र ने 635 आशंकित हड़तालों में हस्तक्षेप किया और उसके सुलहकारी प्रयासों से 608 हड़तालें रोकी जा सकीं जो 95.74 प्रतिशत सफलता दर दर्शाती है। तंत्र द्वारा वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 (अप्रैल–दिसम्बर) के दौरान निपटाए गए औद्योगिक विवादों का ब्यौरा निम्नवत है:

'kh"k	2015&16	2016&17 ¼vçSy&fnlEcj]16½
पिछले वर्ष से अग्रेषित औद्योगिक विवादों की संख्या	5057	5341
इस वर्ष के दौरान प्राप्त औद्योगिक विवादों की संख्या	6976	5847
कुल	12033	11188
निपटाए गए विवादों की संख्या	6692	5791
लंबित विवादों की संख्या	5341	5397
आस्थगित की गई हड़तालों की संख्या	720	616

¼ii½ Je dkuwuksa dk çorZu

3-5 केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र का महत्वपूर्ण मुख्य कार्य उन स्थापनाओं में श्रम कानूनों को लागू करना है जिनके लिए केन्द्र सरकार समुचित सरकार है। यह तंत्र निम्नलिखित श्रम कानूनों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों को लागू करता है–

(क) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 तथा उसके अंतर्गत खदानों, रेलवे, वायु यातायात सेवाओं एवं बंदरगाहों, घाटों और जेटी के लिए बनाए गए नियम।

(ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 तथा नियम।

(ग) ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 तथा नियम।

(घ) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 तथा नियम।

(ङ) अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 और नियम।

(च) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 तथा नियम।

(छ) उपदान संदाय अधिनियम, 1972 एवं तत्संबंधी नियम।

(ज) श्रम विधि (कतिपय स्थापनों को विवरणी प्रस्तुति और रजिस्टर रखने से छूट) अधिनियम, 1988

(झ) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 तथा नियम।

(ञ) भारतीय रेल अधिनियम का अध्याय VI–क रेल कर्मचारियों के लिए रोजगार के घंटो का विनियमन।

(ट) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 एवं नियम।

(ठ) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (खदान एवं सर्कस नियम, 1963) एवं नियम।

(ड) बोनस संदाय अधिनियम, 1965

3-6 केन्द्रीय क्षेत्र में लगभग 1.5 लाख स्थापनाएं हैं। केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के निरीक्षण अधिकारी विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत क्रैश–निरीक्षण कार्यक्रमों और कार्यदल निरीक्षणों के तहत नेमी

निरीक्षणों एवं विशेष निरीक्षण अभियानों के माध्यम से इन स्थापनाओं का निरीक्षण करते हैं ताकि श्रमिकों को लाभप्रद कानूनों का लाभ सुनिश्चित कराया जा सके। तंत्र में पारर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी निरीक्षण वेब समर्थित श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से किए जाते है। निरीक्षण रिपोर्ट 72 घंटों के भीतर श्रम सुविधा पोर्टल पर अपलोड की जाती है जिससे निरीक्षणों के दौरान पाई गई अनियमितताओं एवं कमियों को नियोक्ताओं द्वारा ठीक किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। असंगठित क्षेत्र में लाभप्रद अधिनियमों जैसे ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 को लागू करने पर विशेष जोर दिया जाता है। निरंतर चूक करने वालों तथा गंभीर उल्लंघनों के संबंध में मुकदमे दायर किए जाते हैं। वर्ष 2015–16 और 2016–17 (अप्रैल से दिसम्बर तक) की अवधि के निरीक्षणों का ब्यौरा निम्नानुसार दिया गया है:–

o"kZ 2015&16 ,oa 2016&17 ¼vçSy&fnlEcj½ ds fy, fofHkUu Je dkuwuksa ds vUrxZr fujh{k.kksa vkfn dh la[;k dks n'kkZus okyk fooj.k%

'kh"kZ	2015&16	2016&17 ¼vizSy&fnl- 2016½
किए गए निरीक्षण	29233	18,470
पाई गई अनियमितताएं	217609	1,27,698
दूर की गई अनियमितताएं	173360	1,19,848
दायर अभियोजनों की संख्या	5204	5,388
दोषसिद्धि की संख्या (प्राप्त एवं दोषमुक्ति)	4433	2,134

दोषसिद्धि की संख्या का अर्थ है दोषसिद्ध किए गए और दोषमुक्त किए गए

¼iii½ iapkV ¼vokMZ½ ykxw djuk

3-7 केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के अधिकारीगण केंद्रीय सरकार न्यायाधिकरण सह श्रम न्यायालय (सीजीआईटी) द्वारा जारी किए गए अवार्डों को लागू करते हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान पिछले वर्ष के अवार्डों सहित 2446 अवार्ड प्राप्त हुए, (अग्रणीत आँकड़ों सहित) जिनमें से 729 अवार्डों को लागू किया गया और 1003 अवार्डों को लागू करने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई तथा 714 अवार्ड अन्य कारणों से लंबित थे। वर्ष 2016–17 के दौरान (अप्रैल से दिसम्बर, 2016 तक) के दौरान 2526 अवार्ड प्राप्त हुए हैं (अग्रणीत आंकडों सहित) । इनमें से 648 अवार्डों को लागू किया गया और 809 अवार्डों को लागू करने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई और 998 अवार्ड अन्य कारणों से लंबित थे।

3-8 पंचाट को लागू करने में इसलिए कठिनाई आती है चूंकि नियोजक इनके कार्यान्वयन के संबंध में प्रायः उच्च न्यायालयों से स्थगन आदेश ले लेते हैं। इसके अतिरिक्त, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अंतर्गत नियोजक मंत्रालयों द्वारा नियोजकों के विरूद्ध अभियोजन शुरु करने के लिए यथापेक्षित स्वीकृति कभी–कभार ही प्रदान की जाती है।

o"k 2015&16 ,o 2016&17 ¼vçiy&fn lEcj½ d fy, ipkVk dk fooj.k

'kh"k	2015&16	2016&17 ¼vi[y&fn l- 2016½
(अप्रैल–दिसम्बर,16)		
पिछले वर्ष से अग्रेनीत मामले/ आवेदन/दावे	1666	1717
वर्ष के दौरान प्राप्त मामले/ आवेदन/ दावे	780	809
कुल	2446	2526
निपटाए गए मामले/ आवेदन/ दावे	729	648
स्थगन आदेश के कारण नहीं निपटाए गए	1003	809
अन्य कारण	714	998
कुल लंबित मामले	1717	1807

¼iv½ v/k&U;kf;d dk;%

3-9 सहायक श्रम आयुक्त (के.) से मुख्य श्रम आयुक्त (के.) स्तर के केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के अधिकारी कतिपय अर्ध–न्यायिक कार्य भी करते हैं जो निम्नानुसार हैं:

e[; Je vk;ä ¼d-½& भवन तथा अन्य निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996य के अंतर्गत महानिदेशक (निरीक्षक), औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी।

mi&e[;-J-vk-¼d-½& औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अधीन अपीलीय प्राधिकारी। ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) नियमावली, 1971 के नियम 25 (2) (V) (क) तथा (ख) के अंतर्गत प्राधिकारी तथा

{k-J-vk-¼d-½& न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत प्राधिकारी। ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) नियमावली, 1971, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी। औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अंतर्गत प्रमाणन अधिकारी, रोजगार के घंटे एवं विनियमन अधिनियम के अंतर्गत रेलवे श्रमिकों के पर्यवेक्षक

lgk-J-vk-¼d-½& उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अंतर्गत नियंत्रण प्राधिकारीय समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के अंतर्गत प्राधिकारीय ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत पंजीकरण तथा अनुज्ञप्ति अधिकारी ।

3-10 उपर्युक्त कुछ अधिनियमों/नियमों के अधीन इन अधिकारियों द्वारा निर्णीत मामलों का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

,eMCY;] ihMCY;w vkj ihth vf/kfu;e d vrxr nkok ekeyk dk fuiVku

'kh"k	2015&16	2016&17 ¼vi[y&fn l- 2016½
पिछले वर्षों से अग्रेषित दावों की संख्या	5905	4108
प्राप्त दावों की संख्या	4017	3926
निर्णीत दावों की संख्या	5814	2917
अवार्ड की राशि (रुपये में)	36,85,08,895	39,78,71,132
लंबित दावे	4108	5117

¼V½ dUæh; Jfed lf?k lxBuk ¼lhVh;vk½ l lc) Jfed l?kk dh lnL;rk dk lkeU; lR;kiu

3-11 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशों के आधार पर केन्द्रीय श्रमिक संघ सगठनों के प्रतिनिधित्व का सामान्य सत्यापन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसे मुख्य श्रमायुक्त (कें.) कार्यालय द्वारा किया जाता है। सामान्य सत्यापन का उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, समितियों, परिषदों आदि में केन्द्रीय श्रमिक संघ सगठनों का प्रतिनिधित्व निर्धारित करना है।

3-12 दिनांक 31.12.1980, 31.12.1989 और 31.12.2002 को पिछले तीन सामान्य सत्यापन कराए गए थे और श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा इन सत्यापनों के परिणाम क्रमशः जनवरी, 1985, दिसम्बर, 1996 और जनवरी, 2008 में प्रकाशित करवाए गए थे।

3-13 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशों के आधार पर केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों के प्रतिनिधित्व का सामान्य सत्यापन की प्रक्रिया नवम्बर माह, 2012 में शुरु की गई है। 31 दिसंबर, 2016 तक सामान्य सत्यापन संबंधी स्थायी समिति की 9 बैठकें मुख्य श्रमायुक्त (कें.) की अध्यक्षता में आयोजित की गई हैं और नये सत्यापन के लिए निम्नलिखित मुद्दे निर्धारित किए गए हैं:–

- 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार संबद्धता की तिथि
- सामान्य सत्यापन की प्रक्रिया।
- केन्द्रीय श्रमिक संघों को संगठन का दर्जा प्रदान करने हेतु मानदंड–सामान्य सत्यापन संबंधी स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित संशोधित प्रक्रिया के अनुसार सिर्फ वैसे श्रमिक संघ संगठन, जिनके कम से कम 8 लाख सत्यापित सदस्य हों और जिनके साथ 8 राज्यों के संघ पंजीकृत हों और जिनकी सदस्यता वर्तमान में कम से कम 8 उद्योगों में हों, उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठन के रुप में मान्यता दी जाएगी।
- दिनांक 01.11.2012 को सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दैनिक समाचार– पत्रों में एक विज्ञापन के माध्यम से इच्छुक केन्द्रीय श्रमिकों संघों को 31.01.2013 तक उनके सदस्यता दावों के सत्यापन के लिए एक अधिसूचना जारी की गई थी। दावे दाखिल करने की तारीख, 21.12.2012 को हुई स्थायी समिति की 6वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 31.03.2013 तक बढ़ा दी गई थी। समय बढ़ाने की सूचना 16.01.2013 को राष्ट्रीय दैनिक सामाचार–पत्रों में भी प्रकाशित की थी।
- केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों द्वारा कुल 15 दावे दाखिल किए गए, जिनमें से सम्यक विचार के उपरांत 21.06.2013 को हुई स्थायी समिति की 7वीं बैठक में समिति द्वारा चार दावे समाप्त कर दिए गए। 11 केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों से प्राप्त दावे सामान्य सत्यापन का प्रथम चरण आयोजित करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को भेज दिए गए थे, जोकि प्रक्रिया में हैं ।
- स्थायी समिति द्वारा अपनी 7वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों द्वारा आपत्ति जताने हेतु तारीख 15.11.2013 तय की गई है।

- इसी बीच, सभी आरएलसी, एएलसी और क्षेत्रीय कर्मचारियों को सीएलसी (सी), कार्यालय में सामान्य सत्यापन की प्रक्रिया से संबंधित विशेष प्रशिक्षण 5 एवं 6 दिसम्बर, 2016 को वी.वी.गिरी, एनएलआई, नोयडा में दिया जा चुका है।

- सामान्य सत्यापन का प्रथम चरण जुलाई, 2016 मे पूरा हो चुका है और मुख्य श्रमायुक्त (कें.) द्वारा सत्यापन के दूसरे चरण को अगस्त, 2016 में प्रारंभ करने का निदेश जारी किया जा चुका है।

- तथापि, यूओआई के विरुद्ध एनएफआईटीयू (डीएचएन) के द्वारा दायर किए गए केस में माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के दिनांक 28.01.2015 के निर्णय के निर्देशों के अनुसार 12 सीटीयूओ के रुप में एनएफआईटीयू के दावे सामान्य सत्यापन की प्रक्रिया में शामिल कर लिए गए हैं।

vu'kklu lfgrk d vrxr fdlh çfr"Bku e çe[k l?kk dh igpku dju e lfØ; etnj l?kk dh lnL;rk dk lR;kiu

3-14 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशों के आधार पर केन्द्रीय क्षेत्र में मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से अनुशासन संहिता के अंतर्गत किसी प्रतिष्ठान में प्रमुख संघों की पहचान करने में सक्रिय श्रमिक संघों की सदस्यता का सत्यापन किया जाता है।

3-15 वर्ष 2015–16 (01.04.2015 से 31.03.2016) में 23 प्रतिष्ठानों में संघों की सदस्यता के सत्यापन का कार्य गुप्त मतदान द्वारा किया गया था। ये प्रतिष्ठान निम्नवत हैं:–

1. मैसर्स फैरो स्क्रैप घाटी निगम लिमिटेड, विशाखापट्टनम
2. मैसर्स सीसी (आई) तेंदुर, रंगा रेड्डी जिला
3. मैसर्स खेतड़ी कोपर, खेतड़ीनगर, झूंझूनु, राजस्थान
4. मैसर्स एनटीपीसी विंध्याचल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, विंध्याचल,सिंगरोली, (म.प्र.)
5. मैसर्स प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद
6. मैसर्स कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड (केआरसीएल), मुम्बई–पंजीकृत
7. मैसर्स वी.ओ. चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट, तुत्तीकोरन
8. मैसर्स एनटीपीसी लिमिटेड सिंहार्दी (आ.प्र.)
9. मैसर्स एनटीपीसी ऊँचाहार, जिला रायबरेली (उ.प्र.)
10. मैसर्स विजयमोहिनी मिल्स तिरुवनंतपुरम
11. मैसर्स भाखड़ा बीस मैनेजमेंट बोर्ड (इरिगेशन विंग) नांगल पंजाब
12. मैसर्स भाखड़ा बीस मैनेजमेंट बोर्ड बीएसएल सुंदर नगर, (हिमाचल प्रदेश)
13. मैसर्स एफएसएनएल बर्नपुर (प.बं.)
14. मैसर्स कॉरपोरेट ऑफिस, नेल्को भुवनेश्वर
15. मैसर्स नरोरा एटोमिक पॉवर स्टेशन, भुवनेश्वर
16. मैसर्स बदरपुर थर्मल पॉवर स्टेशन, दिल्ली
17. मैसर्स एचएएल इंजन डिविजन, सुनाबेड़ा, कोरापुत्त
18. मैसर्स भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई जिला दुर्ग
19. मैसर्स दुर्गापुर स्टील प्लांट, (प.बं.)

20. मैसर्स राजमुंद्री एसेट ऑफ ओएनजीसी (आ.प्र.)

21. मैसर्स इलैक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद

22. मैसर्स भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मछलीपट्टनम

23. मैसर्स एनटीपीसी, तलचर थर्मल, अंगुल ओडिशा

jk"Vªh;—r cSadksa esa lfØ; la?kksa dh lnL;rk dk lkafof/kd lR;kiu

3-16 वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग ने दिनांक 19.11.2008 की अपनी अधिसूचना द्वारा बैंकों के कर्मकार /कर्मचारियों, निदेशक बोर्ड में निदेशकों को नामांकित करने के उद्देश्य से बहुमत स्थिति पता लगा ने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न संघों की सदस्यता संख्या को सत्यापित कराने की प्रक्रिया संशोधित कर दी है। इस अधिसूचना के अनुसार श्रमिक संघों की सदस्यता का सत्यापन अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक द्वारा नामांकित महाप्रबंधक के स्तर के नामोद्दिष्ट अधिकारियों द्वारा चेक ऑफ प्रणाली के माध्यम से किया जाना अपेक्षित है। नामोद्दिष्ट अधिकारी की रिपोर्ट के विरूद्ध अपील, अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष की जाती है।

3-17 उपर्युक्त प्रयोजन हेतु अपीलीय प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार अथवा उप–मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार हैं। अवधि (2015–16) में कोई अपील प्राप्त नहीं की गई है।

¼vi½ lwpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005

3-18 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अनुसरण में वर्ष 2015–16 के दौरान श्रम और रोजगार मंत्रालय से मुख्य श्रमायुक्त (के.) संगठन को अग्रेषित आवेदनों सहित सूचना का अधिकार संबंधी 1163 आवेदनों (ऑनलाईन–529, ऑफलाईन–534) का निपटान किया गया और जनवरी, 2016–दिसम्बर, 2016 के दौरान 825 (ऑनलाईन–485, ऑफलाईन–340) सूचना का अधिकार संबंधी आवेदनों का निपटान किया गया।

¼vii½ tu f'kdk;r

3-19 कैलेंडर वर्ष 2016 के दौरान कुल 9689 (7481 ऑनलाइन तथा 2208 ऑफलाइन) जन शिकायतें प्राप्त हुईं और कुल 9242 (7244 ऑनलाइन तथा 1998 ऑफलाइन) जन शिकायतों को निपटाया गया जो 95.38% निपटान को दर्शाता है ।

¼viii½ fofo/k dk;Z

3-20 केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) निम्नलिखित विविध कार्यों का भी निष्पादन करता है :–

1. न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड की आवधिक बैठकें आयोजित करना और अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार प्रत्येक छमाही में परिवर्ती महंगाई भत्ता अधिसूचित करना।

2. विभिन्न उच्च न्यायालयों में मंत्रालय के विरुद्ध दायर रिट याचिकाओं में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का बचाव करना।

3. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के निदेशानुसार शिकायतों की जांच करना।

4. विभिन्न नियोजनों में ठेका श्रम के प्रतिषेध की जांच करने के लिए विभिन्न उप समितियों के संयोजक के रूप में केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रमिक बोर्ड की सहायता करना।

5. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को प्रस्तुत की जाने वाली विभिन्न रिपोर्टें तैयार करने में मंत्रालय की सहायता करना।

6. मु.श्र.आ. (के.) संगठन द्वारा लागू विधानों पर संसद के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मंत्रालय को सूचना उपलब्ध करवाना।

7. अखिल भारतीय स्तर की हड़तालों और अन्य श्रम मामलों में संघर्ष की स्थिति पैदा होने पर श्रम और रोजगार मंत्रालय को सलाह देना।

8. मंत्रालय की सलाह पर संसदीय समितियों और अन्य महत्वपूर्ण शिष्टमण्डलों में भाग लेना।

9. मंत्रालय के निदेशानुसार सूचना एकत्रित करने के लिए राज्य सरकार के श्रम विभागों के साथ सम्पर्क स्थापित करना।

10. 'केन्द्रीय श्रम सेवा' के अधिकारियों को प्रशिक्षण देना।

¼IX½ dY;k.k ,oa çf'k{k.k

dY;k.k

3-21 सहायक श्रम कल्याण आयुक्त (ए एल डब्ल्यू सी) और उप श्रम कल्याण आयुक्त (डी एल डब्ल्यू सी) रक्षा और के.लो.नि.वि., सुरक्षा प्रेस, मिन्ट्स, आर्डनेंस फैक्ट्रियों, टेलीकॉम फैक्ट्रियों और अस्पताल आदि जैसी अन्य स्थापनाओं में तैनात किए जाते हैं जो कि केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन हैं। श्रम कल्याण आयुक्त (एलडब्ल्यूसी) इन स्थापनाओं के मुख्यालय में तैनात किए जाते हैं। ये अधिकारी अपनी संबंधित स्थापनाओं में सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध सुनिश्चित करते हैं। वे कर्मकारों के कल्याण तथा शिकायतों के निवारण, कल्याण योजनाओं के संचालन का कार्य भी देखते हैं और प्रबंधनों को दुकान परिषद, कार्य समितियों आदि जैसी द्विपक्षीय समितियों के गठन के साथ–साथ विभिन्न श्रम संबद्ध मामलों पर सलाह देते हैं।

çf'k{k.k

3-22 'श्रम अधिकारियों के प्रशिक्षण स्कंध का सुधार एवं सुदृढ़ीकरण' शीर्षक योजना स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय श्रम सेवा (सीएलएस) के तीन धाराओं में तैनात अर्थात (1) केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम)/मुख्य श्रम आयुक्त संगठन, (2) महानिदेशक श्रम कल्याण संगठन और (3) केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कल्याण अधिकारियों को नियमित आधार पर आंतरिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य सीएलएस अधिकारियों एवं एलईओ (सी) को उनके कर्तब्यों के कारगर निर्वहन हेतु काम काज के विभिन्न क्षेत्रों में कौशल एवं ज्ञान बढ़ाने की दृष्टि से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना है। ''प्रशिक्षण आवश्यकता विशिष्ट'' के संबंध में सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुमोदन से एक समिति गठित की गई थी और इसकी सिफारिशों के आधार पर चुनिंदा विशेषीकृत संस्थानों के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। 2016–17 के दौरान 120 प्रशिक्षुओं के लक्ष्य की तुलना में 35 अधिकारियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया।

¼x½ dyMj o"kZ ds nkSjku vkS|ksfxd lca/kksa ds çeq[k dk;Øe ftlesa lhvkbZvkj,e us eq[; Hkwfedk fuHkkbZ½

02 flrEcj] 2016 dk vf[ky Hkkjrh; vke gM+rky

3-23 प्रमुख केन्द्रीय श्रमिक संघों (सीटीयू) ने 30–03–2016 को अपनी संयुक्त घोषणा में अपनी 12 बिन्दुओं के मांगपत्र पर दबाव डालने के लिए दिनांक 02–09–2016 को आम देशव्यापी हड़ताल का निर्णय लिया 12 बिन्दु निम्नाकिंत हैः

1. जन वितरण प्रणाली को समरूप बनाते हुए तथा वस्तु बाजार में काल्पनिक व्यापार को प्रतिबंधित करते हुए मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु तात्कालिक उपाय।
2. रोजगार सृजन के लिए ठोस उपाय करते हुए बेरोजगारी को रोकना ।
3. सभी मूल कानूनों का बिना किसी अपवाद अथवा छूट के सख्त प्रवर्तन तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के लिए सख्त दंडात्मक उपाय ।
4. सभी श्रमिकों के लिए समरूप सामाजिक सुरक्षा कवर ।
5. सूचकांक के प्रावधान के साथ न्यूनतम रु 15,000/– प्रति माह की मजदूरी ।
6. सभी कामगारों के लिए न्यूनतम रु 3,000/– प्रति माह का सुनिश्चित बढ़ा हुआ पेंशन। 7. केंद्रीय एवं राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश को रोकना ।
8. निरंतर रूप से चलने वाले स्थाई कार्य में ठेकाकरण को रोकना तथा एक ही और समान कार्य के लिए नियमित श्रमिकों के बराबर ठेका श्रमिकों को वेतन एवं लाभ का भुगतान ।
9. 'बोनस, भविष्य निधि, उपदान राशि में वृद्धि' की पात्रता और भुगतान पर सभी अधिकतम सीमाओं को समाप्त करना ।
10. आवेदन जमा करने की तिथि से 45 दिनों की अवधि के अंतर्गत मजदूर संघों का अनिवार्य पंजीकरण तथा आईएलओ सम्मेलन सी87 तथा सी98 का तत्काल अनुसमर्थन।
11. रेलवे, रक्षा तथा अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में कोई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं ।
12. श्रम कानूनों में कोई एकपक्षीय संशोधन नहीं ।

3-24 तथापि बाद में बीएमएस ने हड़ताल के अपने आह्वान को वापस ले लिया । उक्त सम्बन्ध में, सभी सीएलसी (सी)/ आरएलसी (सी) ने सम्बंधित फील्ड कार्यालयों को उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संचालित किसी भी श्रमिक संघों से जब भी हड़ताल नोटिस प्राप्त हो हस्तक्षेप करने का निर्देश दिया तथा सीएलसी (सी.), मुख्यालय के कार्यालय में फील्ड कार्यालयों के माध्यम से हड़ताल की स्थिति की निगरानी तथा उससे सम्बंधित रिपोर्ट जमा करने हेतु निगरानी प्रकोष्ठ भी स्थापित किये गए ।

3-25 फील्ड कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार प्रमुख उद्योगों जो देशव्यापी हड़ताल से प्रभावित थे वे खान,कोयला, टेलीकॉम, बैंकिंग तथा बीमा, प्रमुख बंदरगाह, उड्डयन, सीमेंट, स्टील इत्यादि थे।

3-26 इस संबंध में क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योगों में हड़ताल की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी गई है।

c|d

¼1½ vf[ky Hkkjrh; c|d vf/kdkjh egkl?k ¼,vkbZchbZ,½

3-27 अखिल भारतीय बैंक अधिकारी महासंघ के महासचिव ने अपनी मांगों को मनवाने हेतु दिनांक 15.12.2015 को इंडियन बैंक संघ की मैनेजमेंट को 8.01.2016 को हड़ताल पर जाने का नोटिस सौंपा।

3-28 सीएलसी (सी) ने दिनांक 30.12.2015 को समझौता कार्यवाही संपन्न की। यूनियन 8 जनवरी, 2016 को हड़ताल पर चली गई।

2½ vf[ky Hkkjrh; c|d vf/kdkjh l?k

3-29 महासचिव, अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संघ ने भारतीय बैंक संघ के प्रबंधन को दिनांक 11.02.2016 को अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिनांक 29 फरवरी, 2016 से हड़ताल पर जाने की नोटिस सौंपी ।

3-30 आरएलसी (सी.) कोचीन ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और दिनांक 26.02.2016 को समाधान कार्यवाही की। यूनियन ने प्रस्तावित हड़ताल आस्थगित कर दी ।

3½ vf[ky Hkkjrh; vkjvkjch vf/kdkjh l?k

3-31 अखिल भारतीय आरआरबी अधिकारी संघ के महासचिव द्वारा वित्त मंत्रालय के सचिव को संबोधित करते हुए दिनांक 04.01.2016 को हड़ताल की नोटिस दी है जिसमें अपनी मांगों को मनवाने के लिए 10 एवं 11 मार्च 2016 को हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव दिया गया।

3-32 मुख्य श्रमायुक्त (कें.) ने दिनांक 15.02.2016 को समाधान की कार्यवाही की थी। वित्त सेवा विभाग को कम से कम तीन महत्वपूर्ण मुद्दों अर्थात् (i) भत्ते के मुद्दे (ii) अनुकम्पा नियुक्ति के मुद्दे तथा (iii) क्रमिक वृद्धि के मुद्दे पर मार्च 2016 के प्रथम सप्ताह के अंत तक निर्णय लेने का सुझाव दिया गया था। तब तक संयुक्त फोरम के प्रतिनिधियों से ऐसा कोई कदम नहीं मनवाने का अनुरोध किया गया जिससे आरआरबी में औद्योगिक संबंध प्रभावित हो। कुछ क्षेत्रों में 10 एवं 11 मार्च 2016 को हड़ताल की सूचना दी गई थी ।

3-33 अखिल भारतीय आरआरबी अधिकारी संघ के महासचिव तथा आरआरबी यूनियनों के यूनाइटेड फोरम के संयोजक ने क्रमशः दिनांक 09.06.2016 तथा 28.06.2016 को सचिव, वित्त मंत्रालय को संबोधित हड़ताल नोटिस में अपनी लंबित मांगों जैसे आरआरबी में पेंशन स्कीम बढ़ाने तथा अन्य वाणिज्यिक बैंकों के समतुल्य मजदूरी तथा भत्ते देने, अनुकंपा आधार पर नियुक्ति, अनियमित कामगारों का नियमितीकरण एवं एनआईटी अवार्ड के कार्यान्वयन हेतु 27 से 29 जुलाई 2016 तक हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव किया।

3-34 उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.) मुख्यालय ने 21.07.2016 को समाधान कार्यवाही आयोजित की। समाधान अधिकारी के प्रयास के कारण, पक्षकारों के बीच द्विपक्षीय चर्चा और डीएफएस से सकारात्मक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आरआरबी यूनियनों के यूनाइटेड फोरम ने 27,28 और 29 जुलाई 2016 के हड़ताल के आह्वान को आस्थगित करने का निर्णय लिया ।

¼4½ vkbMhchvkbZ vf/kdkfj;ksa ,oa deZpkfj;ksa dk ;wukbVsM Qkje

3-35 विभिन्न संघों/परिसंघों के बैनर के अंतर्गत आईडीबीआई बैंक अधिकारियों/ कर्मचारियों ने मार्च 2016 के दौरान हड़ताल का आह्वान किया था और इनमें शामिल थे– (i) आईडीबीआई बैंक यूनियनों का संयुक्त मंच (28–31 मार्च, 2016 से हड़ताल) (ii) आईडीबीआई अधिकारियों/ कर्मचारियों का यूनाइटेड फोरम (मार्च 2016 में हड़ताल) (iii) आईडीबीआई अधिकारी संगठन (28–31 मार्च, 2016 से हड़ताल) तथा आईडीबीआई कर्मचारी संघ (28 मार्च, 2016 को हड़ताल) और यह हड़ताल मुख्य रूप से सरकार के आईडीबीआई बैंक में 50% से नीचे अपने शेयर होल्डिंग को करने के अपने विकल्प का प्रयोग करने से संबंधित सरकार की अभिव्यक्ति के विरुद्ध थी ।

3-36 क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), मुम्बई ने 18, 21 एवं 22 मार्च, 2016 को समाधान कार्यवाहियाँ आयोजित कीं । तथापि संघ/ परिसंघ अखिल भारतीय हड़ताल पर चले गए ।

¼5½ ;wukbVsM cSad v,Q bafM;k

3-37 महासचिव, यूबीआईईए, यूबीआईईयू, यूबीआईएसकेएस तथा यूबीआईईसी ने युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता के प्रबंधन को दिनांक 13.01.2016 को संयुक्त रूप से एक हड़ताल की नोटिस दी है जिसमें अपने मांगों को मनवाने के लिए 9 मार्च, 2016 को हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव किया ।

3-38 क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोलकाता ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए मामले को दिनांक 17.02.2016, 04.03.2016 एवं 07.03.2016 को समाधान कर निपटाया। लंबी चर्चा/ समाधान कार्यवाहियों के बाद यूनियनों ने हड़ताल पर न जाने की सहमति दी।

¼6½ LojkT; dkexkj lxBu ¼,fDll cSad½

3-39 महासचिव, स्वराज्य कामगार संगठन (एक्सिस बैंक), मुम्बई ने दिनांक 17.01.2016 को मैसर्स एक्सिस बैंक लिमिटेड, मुम्बई के प्रबंधन को एक नोटिस भेजा जिसमें एक्सिस बैंक लिमिटेड की विभिन्न शाखाओं में कार्यरत ठेका श्रमिकों की मजदूरी संशोधन के संबंध में दिनांक 01.03.2016 से हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव दिया गया था ।

3-40 उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), मुम्बई ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए समाधान कार्यवाही की । यूनियन ने हड़ताल टाल दिया ।

3-41 महासचिव, स्वराज्य कामगार संगठन (एक्सिस बैंक), मुम्बई ने एक्सिस बैंक प्राइवेट लिमिटेड के एमडी एवं सीईओ को अपनी मांगें दिनांक 30.11.2016 से पूर्व पूरी नहीं होने की स्थिति में महाराष्ट्र, गुजरात तथा मध्यप्रदेश में हड़ताल सहित आंदोलन करने के प्रस्ताव की नोटिस दी ।

3-42 उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), मुम्बई ने मामले में हस्तक्षेप किया और हड़ताल टल गई ।

¼7½ nuk cSad deZpkjh ;fu;u ,oa nuk cSad vf/kdkjh ;fu;u

3-43 महासचिव, देना बैंक कर्मचारी यूनियन एवं देना बैंक अधिकारी यूनियन, राजस्थान ने देना बैंक के प्रबंधन को संयुक्त रूप से दिनांक 01.03.2016 को एक नोटिस दी थी जिसमें अपने मांगों को मनवाने के लिए 19.03.2016 को हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव किया गया था ।

3-44 क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), जयपुर ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए दिनांक 17.03.2016 को समाधान कार्यवाही की और उनकी सलाह पर यूनियन ने दिनांक 19.03.2016 की प्रस्तावित हड़ताल टालने पर सहमत हो गई।

¼8½ fgekpy xkeh.k cad vf/kdkjh depkjh l?k

3-45 महासचिव, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ तथा हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक अधिकारी संगठन ने अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए दिनांक 28.03.2016 को हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव करते हुए हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष को दिनांक 27.12.2015 को संयुक्त रूप से नोटिस दिया।

3-46 क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), चंडीगढ़ ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए दिनांक 18.01.2016, 05.02.2016, 23.02.2016 तथा 04.03.2016 को समाधान कार्यवाहियाँ कीं । यूनियन हड़ताल पर नहीं जाने के लिए सहमत हो गई।

¼9½ jkT; {k= cad depkjh l?k

3-47 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोगी बैंकों अर्थात् स्टेट बैंक ऑफ त्रैवनकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर तथा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के कर्मचारियों ने एसबीआई के साथ एसबीआई के सभी पाँच सहयोगी बैंकों के विलय संबंधी एसबीआई बोर्ड के निर्णय का विरोध करने के लिए दिनांक 20.05.2016 को संयुक्त रूप से एक दिवसीय राष्ट्र व्यापी हड़ताल पर चले गए।

3-48 एसबीआई के सहयोगी बैंकों के कार्मचारियों ने दिनांक 20.05.2016 को एक दिवसीय हड़ताल की।

¼10½ ,vkbchb,&,vkbchvk, ,o ,l,lchb,

3-49 महासचिव, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) तथा अखिल भारतीय बैंक संघ (एआईबीओए) ने संयुक्त रूप से दिनांक 22.06.2016 को तथा महासचिव, राज्य क्षेत्र बैंक कर्मचारी संघ नें दिनांक 23.06.2016 को आईबीए के प्रबंधन को नोटिस दिया जिसमें पाँच सहयोगी बैंकों में 12 जुलाई, 2016 को और सभी बैंकों में 13 जुलाई, 2016 को अपनी मांगें मनवाने के लिए हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव दिया गया था ।

3-50 मुख्य श्रमायुक्त (कें.) ने दिनांक 08.07.2016 को समाधान कार्यवाहियाँ कीं और सभी पक्षकारों को सकारात्मक वार्ता में शामिल होने की अपील की। यूनियनों ने प्रस्तावित हड़ताल टाल दी ।

¼11½ cad l?kk dk ;ukbVM Qkje

3-51 संयोजक, बैंक संघों का युनाइटेड फोरम (एआईबीईए, एआईबीओसी, एनसीबीई, एआईबीओए, बीईएफआई, आईएनबीईएफ, आईएनबीओसी, एनओबीडब्ल्यू, एनओबीओ) ने आईबीए के प्रबंधन को दिनांक 11.07.2016 को हड़ताल संबंधी नोटिस दी जिसमें सरकार के सुधार संबंधी पहलुओं जिनका लक्ष्य देश में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग प्रणाली को समाप्त करना था, का विरोध करने के लिए दिनांक 29.07.2016 को अखिल भारतीय बैंक हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव किया गया था ।

3-52 मुख्य श्रमायुक्त (कें.) ने दिनांक 26.07.2016 को समाधान कार्यवाही करते हुए यूएफबीयू से हड़ताल पर न जाने और विचाराधीन मुद्दों के सौहार्द्रपूर्ण समाधान के लिए आईबीए और डीएफएस से वार्ता करने की अपील की।

3-53 यूएफबीयू ने कहा कि वे हड़ताल पर जाने के अपने आह्वान पर पुनर्विचार तभी करेगी जब उनकी मांगें मान ली जाए। तथापि दिनांक 29.07.2016 को उनके द्वारा अखिल भारतीय हड़ताल की गई ।

¼12½ QMjy cSd deZpkjh ;fu;u

3-54 फेडरल बैंक कर्मचारी यूनियन के महासचिव ने दिनांक 27.08.2016 को फेडरल बैंक लिमिटेड के एमडी एवं सीईओ को नोटिस दी जिसमें विभिन्न मुद्दों एवं मांगों जैसे बैंक कर्मियों की भर्ती, संपर्क केंद्र के दिव्यांग कर्मचारियों को सेवा में खपाने, सेवा शाखाओं, क्रेडिट हब, जोनल कार्यालयों, विभागों आदि में आउटसोर्सिंग, करेंसी चेस्ट के रोकड़ वितरण कार्य की आउटसोर्सिंग आदि के लिए अपनी मांगों को मनवाने के लिए 11 अगस्त, 2016 को हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव किया गया था ।

3-55 उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), कोचीन ने सूचित किया कि सहायक श्रमायुक्त (कें.), एरणाकुलम ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए दिनांक 09.08.2016 को समाधान कार्यवाही की। यूनियन ने दिनांक 11.08.2016 के प्रस्तावित हड़ताल संबंधी आह्वान को टाल दिया ।

3-56 महासचिव, फेडरल बैंक कर्मचारी यूनियन, आलुवा ने दिनांक 26.09.2016 को फेडरल बैंक लिमिटेड के एमडी एवं सीईओ को नोटिस दी जिसमें अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिनांक 14.10.2016 को शाखाओं एवं कार्यालयों में हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव किया था ।

3-57 सहायक श्रमायुक्त (कें.), एरणाकुलम ने दिनांक 04.10.2016 तथा 07.10.2016 को समाधान कार्यवाहियाँ कीं। यूनियन ने प्रस्तावित हड़ताल टालने की सहमति दे दी थी ।

¼13½ cxky çkrh; cSd Bsdk deZpkjh l?k

3-58 महासचिव, बंगाल प्रांतीय बैंक ठेका कर्मचारी संघ, कोलकाता ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी को नोटिस दिया था जिसमें विभिन्न कारणों से 25 और 26 अगस्त, 2016 को पश्चिम बंगाल में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सभी एटीएमों में हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव दिया था।

3-59 सहायक श्रमायुक्त (कें.), कोलकाता ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए दिनांक 22.08.2016 को समाधान कार्यवाही की। लंबे परामर्श के बाद यूनियन ने अगले 10 दिनों तक अपनी प्रस्तावित हड़ताल टालने की सहमति दी थी।

¼14½ fo/kHkZ dksadu xzkeh.k cSd

3-60 महाप्रबंधक, विधर्भ कोंकन ग्रामीण बैंक, नागपुर ने महासचिव, विधर्भ कोंकन ग्रामीण बैंक कर्मचारी संगठन, चंद्रपुर को दिनांक 19.08.2016 को नोटिस दिया था जिसमें अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिनांक 26.09.2016 को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव दिया था।

3-61 क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), नागपुर ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए दिनांक 23.09.2016 को समाधान कार्यवाही की और समाधान कार्यवाही के दौरान संबंधित यूनियन ने सूचित किया कि प्रस्तावित हड़ताल को आस्थगित कर दिया गया ।

dk;yk @ xj dk;yk [kku

1 dky bfM;k fyfeVM ,o fl xjuh dkfy;jh t diuh fyfeVM

3-62 कोयला उद्योग में कार्य कर रहे चार केंद्रीय मजदूर संघ अर्थात् आईएनटीयूसी, एचएमएस, एआईटीयूसी एवं सीआईटीयू ने संयुक्त रूप से सचिव, कोयला मंत्रालय को दिनांक 20.01.2016 को एक नोटिस दिया था जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड एवं सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड में दिनांक 29.03.2016 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव दिया था।

3-63 क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोलकाता ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए दिनांक 22.03.2016 को समाधान कार्यवाही की। क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.), कोलकाता ने सूचित किया कि कार्यवाही के दौरान यूनियन की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और सीआईएल के प्रबंधन ने दिनांक 22.03.2016 को यह कहते हुए एक पत्र भेजा कि यूनियनों ने दिनांक 29.03.2016 को प्रस्तावित एक दिवसीय हड़ताल को आस्थगित करने की सहमति दे दी।

¼2½ u'kuy ÝV v,Q bf.M;u VM ;fu;u ¼,u,QvkbVh;½ ¼Mh,p,u½

3-64 महासचिव, नेशनल फ्रंट ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन (एनएफआईटीयू) ने दिनांक 20.02.2016 को कोल इंडिया–कोयला उद्योग में अपनी माँगों को मनवाने के लिए 2 मई, 2016 से हड़ताल पर जाने के प्रस्ताव का नोटिस दिया।

3-65 सीएलसी (सी) ने दिनांक 16.03.2016 को समझौता कार्रवाई सम्पन्न की और पक्षकारों को मामला सुलझाने हेतु आपसी वार्ता करने का अनुरोध किया।

¼3½ ,u,ylh thok vkikuFkk rkt fgykydj lxe

3-66 महासचिव एनएलसी जीवा ओपानथा तोजहिलालकर संगम, नेवेली कम्पनी दिनांक 13.04.2016 को सीएमडी एनएलसी लिमिटेड और निदेशक कार्मिक नेवेली को अपनी माँगों को मनवाने के लिए 02.05.2016 के बाद किसी भी दिन हड़ताल पर जाने के प्रस्ताव का नोटिस दिया।

3-67 एएलसी (सी) –II ने चेन्नई ने मामले में हस्तक्षेप किया और समझौता कार्रवाई सम्पन्न करते हुए संघ को हड़ताल न करने का परामर्श दिया। तत्पश्चात् संघ ने अपनी प्रस्तावित हड़ताल स्थगित कर दी।

3-68 विशेष सचिव जीवा ओपानथा तोजहिलालकर संगम नेवेली ने दिनांक 24.06.2016 को अपनी माँगों जो कि ठेका श्रमिकों को वीडीए बकाया का भुगतान करना, ठेका कामगारों को अंडरग्राउंड मजदूरी का भुगतान करना और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ठेका श्रमिकों को नियमित करना था, को मनवाने के लिए 04.07.2016 को भूख हड़ताल पर जाने के प्रस्ताव का नोटिस दिया ।

3-69 एएलसी (सी) चेन्नई ने समझौता कार्रवाई सम्पन्न की किन्तु यह असफल रही और यूनियन हड़ताल पर चली गई।

¼4½ Hkkjrh; dk;yk [knku Jfed l?k] fl xjkyh

3-70 महासचिव, भारतीय कोयला खदान श्रमिक संघ, सिंगरोली ने 01.06.2016 को नार्दन कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरोली के प्रबंधन को 5 बिन्दुओं की माँगों को मनवाने

के लिए 15.06.2016 से हड़ताल पर जाने के प्रस्ताव का नोटिस दिया ।

3-71 डिप्टी सीएलसी (सी) जबलपुर ने 14 जून, 2016 को समझौता कार्रवाई सम्पन्न की और यूनियन ने अपनी प्रस्तावित हड़ताल स्थगित कर दी ।

¼5½ dqnjse[k etnj l?k

3-72 महासचिव, कुदरेमुख मजदूर संघ ने दिनांक 25.05.2016 को अपने लंबित पड़े वेतन वृद्धि (दिनांक 01.01.2012 से देय) को निपटाने में असहयोग करने और एनएमडीसी के साथ विलय के संबंध में कुदरेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड (केआईओसीएल) के सामने एक दिन की हड़ताल पर जाने के प्रस्ताव का नोटिस दिया।

3-73 डिप्टी सीएलसी (सी), बैंगलोर ने सूचित किया कि उनके मामले पर प्रबंधन ने द्विपक्षीय चर्चा की है इसलिए यूनियन ने हड़ताल रद्द कर दी है ।

6- dk;yk etnj lHkk ¼fgUn etnj lHkk½

3-74 क्षेत्रीय महासचिव, कोयला मजदूर सभा ने दिनांक 20.06.2016 को साउथ इस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड, हसदेव के प्रबंधन को अपनी माँगों को मनवाने के लिए दिनांक 19.07.2016 से हड़ताल पर जाने के प्रस्ताव का नोटिस दिया

3-75 आरएलसी (सी) बिलासपुर ने सूचित किया कि दोनों पक्षों ने दिनांक 10.07.2016 और दिनांक 16.07.2016 को क्षेत्रीय स्तर पर द्विपक्षीय चर्चा की और यह भी सूचित किया कि दिनांक 19.07.2016 की प्रस्तावित हड़ताल को आस्थगित कर दिया गया।

7- vf[ky Hkkjrh; lQkbl etnj dkxsl] rsyxkuk

3-76 महासचिव, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस, तेलंगाना ने मै. सिंगरेनी कॉलियरिस कम्पनी लिमिटेड, कोठागुडेन, रामागुंडम, श्रीरमपुर, बेलम पल्ली क्षेत्रों में काम कर रहे सफाई कर्मचारी, ट्राई–साइकिल सफाई कर्मचारी, सीवेज कर्मचारी, ट्रैक्टर ड्राइवर, सफाई पर्वेक्षक और बागान श्रमिकों द्वारा दिनांक 15.10.2016 को या उसके बाद किसी दिन से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने के प्रस्ताव का नोटिस दिया।

3-77 एएलसी (सी), हैदराबाद ने मामले में हस्तक्षेप किया और 13.10.2016 और 21.10.2016 को समाधान कार्रवाई की। यूनियन ने हड़ताल को आस्थगित कर दिया।

lheUV

¼I½ ,lhlh okMh lheUV QSDVjh

3-78 अध्यक्ष श्रमजीवीगला कार्मिक संघ, कलाबुरागी ने एसीसी वादी सीमेन्ट फैक्टरी के कर्मचारियों और विभिन्न ग्रिन्डिंग यूनिटों के ठेका कर्मचारियों द्वारा एसीसी प्लांट वादी कलाबुरागी कर्नाटका के सामने दिनांक 10.03.2016 से अनिश्चित कालीन सत्याग्रह और आमरण भूख हड़ताल करने के लिए दिनांक 22.01.2016 को नोटिस दिया।

3-79 डिप्टी सीएलसी (सी), बैंगलोर ने मामले में हस्तक्षेप किया और यूनियन ने दिनांक 10.03.2016 से प्रस्तावित अनिश्चित कालीन हड़ताल को आस्थगित कर दिया।

j{kk

¼1½ bfM;u u'kuy fMQsal odZl QSMjs'ku

3-80 इंडियन नेशनल डिफेंस वर्कस फैडरेशन ने दिनांक 10.03.2016 को कमांडेट, आयुध डिपो को अपना मांग पत्र मनवाने के लिए 11 अप्रैल, 2016 से किसी भी दिन हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया।

3-81 आरएलसी (सी) चंडीगढ़ द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार प्रतिष्ठान में दिनांक 11.04.2016 से कोई हड़ताल नहीं थी।

¼2½ fMQsal lfoZl ¼lIykbZ½ flfofy;u odZl ;wfu;u

3-82 महासचिव, डिफेंस सर्विस (सप्लाई) सिविलियन वर्कस यूनियन, शिलांग ने कंमाडिंग ऑफिसर को दिनांक 11.03.2016 को अपने माँग पत्र को मनवाने के लिए 11.04.2016 से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया। डिप्टी सीएलसी (सी), गुवाहाटी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार हड़ताल को आस्थगित कर दिया गया ।

¼3½ bfM;u u'kuy fMQsal odZl QSMjs'ku

3-83 महासचिव, इंडियन नेशनल डिफेंस वर्कस फैडरेशन ने दिनांक 05.06.2016 को रक्षा मंत्रालय को अपनी मांगे मनवाने के लिए 11.07.2016 से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया ।

3-84 सभी उप सीएलसी (सी) को मामले में हस्तक्षेप करने का परामर्श दिया गया। यूनियन/एसोसिएशन द्वारा हड़ताल को आस्थगित कर दिया गया ।

Hkkjrh; [kk| fuxe

3-85 महासचिव एफसीआई कार्यपालक स्टाफ यूनियन, एफसी आई मजदूर संघ एवं एफसीआई वर्कस यूनियन ने क्रमशः दिनांक 22.12.2015, 28.12.2015 और 31.12.2015 को अपनी मांगे मनवाने के लिए 19.01.2016 से हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया ।

3-86 सभी क्षेत्रीय प्रमुखों से मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया। प्राप्त रिपोर्टो के अनुसार अभी तक कोई हड़ताल नहीं हुई है ।

¼II½ Hkkjrh; [kk| fuxe Jfed ;wfu;u

3-87 महासचिव, एफसीआई श्रमिक यूनियन, नई दिल्ली ने समस्त भारत में भारतीय खाद्य निगम के फैले हुए विभिन्न डिपो में काम कर रहे हैंडलिंग मजदूरों और सहायक मजदूरों का एफसीआई द्वारा चिकित्सा परीक्षा/शारीरिक स्वास्थ्य जाँच के आयोजन करने पर दिनांक 28.01.2016 को सीएमडी को दिनांक 06.04.2016 से हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया है ।

3-88 आरएलसी (सी), नई दिल्ली ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है और यूनियन द्वारा हड़ताल को आस्थगित कर दिया गया। समझौता कार्रवाई की अगली तारीख 05.05.2016 को निर्धारित की गई ।

3-89 भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ द्वारा अपनी माँगो जिनमें वेतन के 40 प्रतिशत की दर से अनुषंगी हितलाभ, नई पेंशन योजना को लागू करना और सेवानिवृत्ति चिकित्सा स्कीम और स्टाफ की संख्या को बढ़ाए जाना शामिल था, को मनवाने के लिए 27.05.2016 से राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाने का नोटिस आसूचना ब्यूरो द्वारा प्राप्त किया गया ।

3-90 यूनियन दिनांक 27.05.2016 से राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर चली गई ।

¼IV½ Hkkjrh; [kk| fuxe depkjh ,lkfl,'ku ¼lhvkbVh;½

3-91 महासचिव, एफसीआई श्रमिक यूनियन तिरुवनंतपुरम् ने अपनी लंबित माँगों को निपटाने के लिए 29 जून,2016 से देश भर में अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने के लिए सीएमडी, एफसी आई, नई दिल्ली को नोटिस दिया ।

3-92 आरएलसी (सी) नई दिल्ली ने सूचित किया कि हड़ताल वापिस ले ली गई। जैसा कि यूनियन के प्रतिनिधि ने उन्हें फोन पर बताया।

¼v½ Hkkjrh; [kk| fuxe Jfed l?k

3-93 अध्यक्ष, भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संघ ने दिनांक 13.07.2016 को कुछ डिपों में एफसीआई द्वारा कामगारों का एकत्रीकरण किया गया और डिपो में वर्तमान में काम कर रहे ठेका श्रमिकों की नियुक्ति की आशंका पर दिनांक 26.07.2016 को या उसके बाद से देश भर में हड़ताल पर जाने के लिए सीएमडी, एफसी आई, नई दिल्ली को नोटिस दिया।

3-94 आरएलसी (सी) नई दिल्ली ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और दिनाकं 21.07.2016 को समाधान कार्रवाई की और प्रस्तावित हड़ताल वापस ले ली गयी।

¼vI½ Hkkjrh; [kk| fuxe dkexkj iYysnkj l?k

3-95 महासचिव, भारतीय खाद्य निगम कामगार पल्लेदार संघ, लुधियाना ने दिनांक 01.08.2016 को सीएमडी, एफसीआई, नई दिल्ली को अपने विभिन्न मुद्दों पर दिनांक 17.08.2016 से अनिश्चित कालीन हड़ताल और आमरण अनशन या अन्य प्रकार की हड़ताल या अन्य श्रमिक हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया ।

3-96 एएलसी (सी) जालंधर, ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और समझौता कार्रवाई की और समझौते की अगली तारीख दिनांक 21.09.2016 को निर्धारित की गई।

ry

¼1½ jkok Bdk depkjh l?k

3-97 महासचिव, रावा ठेका कर्मचारी संघ नई दिल्ली ने दिनांक 02.05.2016 को गेल प्रबंधन को अपने 13 बिन्दुओं के माँग पत्र की माँगों को मनवाने हेतु दिनांक 19.05.2016 से या उसके बाद हड़ताल पर जाने के प्रस्ताव का नोटिस दिया।

3-98 डिप्टी सीएलसी (सी), हैदराबाद ने मामले में हस्तक्षेप किया और दिनांक 13.05.2016 को समझौता कार्रवाई की। संघ ने प्रस्तावित हड़ताल आस्थगित की।

¼2½ ry {k= depkjh ,lkfl,'ku

3-99 अध्यक्ष, तेल क्षेत्र कर्मचारी एसोसिएशन ने दिनांक 26.08.2016 को ईडी–एचआरओ, ओएनजीसी को अपनी माँगों को मनवाने के लिए दिनांक 20.9.2016 से काम के अधिकार सहित सीधी कार्रवाई, प्रदर्शन, विरोध, हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया।

3-100 एएलसी (सी), मुम्बई ने इस विवाद पर दिनांक 19.09.2016 को समझौता कार्रवाई की जिसमें दोनों पक्ष उपस्थित थे और आगे सुनवाई को दिनांक 10.10.2016 को अग्रेषित कर दिया गया। दोनों पक्ष लंबित समझौता कार्रवाई के दौरान औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

की धारा 22, 23 और 33 के अन्तर्गत संबंधित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सहमत हो गए।

3- Hkkjr iVkfy;e d,jij'ku fyfeVM

3-101 महासचिव, सामान्य एवं निर्माण कामगार संघ और महासचिव, कोचीन रिफाइनरिस, सामान्य कामगार कांग्रेस ने भारत पैट्रोलियम कॉरपरेशन लिमिटेड–कोच्ची रिफाइनरी (बीपीसीएल)–केआर को विभिन्न कारणों के लिए दिनांक 24.11.2016 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया है।

3-102 आरएलसी (सी), कोचीन आरएलसी (सी) नई दिल्ली ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और दिनाकं 21.11.2016 और 23.11.2016 को समझौता कार्रवाई की और प्रस्तावित हड़ताल वापस ले ली गयी।

cnjxkg rFkk xkmh

3-103 महासचिव, मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कामगार यूनियन, अध्यक्ष, चेन्नई बंदरगाह तथा गोदी कामगार कांग्रेस, महासचिव, मद्रास पोर्ट ट्रस्ट रेलवे कामगार यूनियन और महासचिव तथा मद्रास बंदरगाह तथा गोदी कामगार संघ ने चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के प्रबंधन को अपनी मांगों को मनवाने हेतु दिनांक 01.07.2016 या उसके बाद हड़ताल पर जाने के लिए संयुक्त नोटिस दिया।

3-104 आरएलसी (सी) ने दिनांक 28.06.2016, 30.06.2016 और 01.07.2016 को इस मामले पर समझौता कार्रवाई की। हड़ताल आस्थगित कर दी गई ।

¼2½ ikjknhi ikVl Mh,yvkj,l vkj Bdk dkexkj ,lkfl,'ku

3-105 महासचिव पारादीप पोर्ट डीएलआरएस और ठेका कामगार एसोसिएशन ने दिनांक 24.08.2016 को अध्यक्ष पारादीप पोर्ट ट्रस्ट को समान कार्य के लिए समान वेतन, पिछले सभी वर्षों में विभिन्न ठेकेदारों द्वारा नियुक्त किए गए डीएलआर तथा कामगारों का नियमितीकरण करने की माँगों को मनवाने के लिए 7 सितम्बर, 2016 से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया।

3-106 आरएलसी (सी), भुवनेश्वर, ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और समझौता कार्रवाई दिनाकं 06.09.2016 के लिए निर्धारित की गई लेकिन न तो प्रबंधन और न ही यूनियन ने इसमें भाग लिया। आरएलसी (सी), भुवनेश्वर ने सूचित किया कि अध्यक्ष पारादीप पोर्ट ट्रस्ट ने वरिष्ठ अधिकारियों और कुछ कामगारों के साथ चर्चा की है और अध्यक्ष के अनुरोध करने के बाद यूनियन/कामगारों ने हड़ताल वापिस ले ली और दिनांक 08.09.2016 से अपने काम पर वापस आ गए।

3-107 महासचिव, मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कामगार यूनियन, अध्यक्ष, चौन्नई बंदरगाह तथा गोदी कामगार कांग्रेस, महासचिव, मद्रास पोर्ट ट्रस्ट रेलवे कामगार यूनियन और महासचिव तथा मद्रास बंदरगाह तथा गोदी कामगार संघ ने चौन्नई पोर्ट ट्रस्ट के प्रबंधन अपनी को मांगों को मनवाने हेतु दिनांक 04.10.2016 या उसके बाद हड़ताल पर जाने के लिए संयुक्त नोटिस दिया।

3-108 एएलसी (सी), चौन्नई ने मामले में हस्तक्षेप किया और समझौता कार्रवाई की। संघ ने प्रस्तावित हड़ताल वापस ले ली।

¼4½ iEiigkj f'kfiax d,jikj'ku dkexkj ;fu;u

3-109 महासचिव, पुम्पपहार शिपिंग कॉरपोरेशन कामगार यूनियन ने दिनांक 03.10.2016 को पुम्पपहार शिपिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को विभिन्न मामलों के लिए दिनांक 26.10.2016 को हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया।

3-110 आरएलसी (सी), मदुरई ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और दिनांक 24.10.2016 को समझौता कार्रवाई की। आरएलसी (सी), मदुरई के अनुरोध पर यूनियन हड़ताल न करने के लिए मान गई।

3-111 विभिन्न पोर्ट संघों जैसे पारादीप पोर्ट यूनियन, मद्रास पोर्ट ट्रस्ट रेलवे मैन्स यूनियन, पारादीप अध्यक्ष, चेन्नई बंदरगाह तथा गोदी कामगार बंदरगाह कामगार यूनियन, विशाखापत्तनम, हार्बर एडं पोर्ट वर्कर्स यूनियन, मुम्बई पोर्ट, डॉक एवं सामान्य कर्मचारी यूनियन और कोचीन पोर्ट कर्मचारी संगठन से अपनी मांगों को मनवाने हेतु दिनांक 10.11.2016 या उसके बाद हड़ताल पर जाने के लिए नोटिस प्राप्त हुआ।

3-112 संबंधित डिप्टी सीएलसीस् (सी), से अनुरोध किया गया था कि वे मामले में हस्तक्षेप करें और हड़ताल आस्थगित कर दी गई।

fo|qr

¼1½ v,y bafM;k ikoj fxzM ,llh@,lVh ,Eiy,bl ,lksfl,'ku

3-113 राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया पावर ग्रिड एससी/एसटी एम्पलॉइज एसोसिएशन ने सीएमडी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को दिनांक 28.01.2016 को नोटिस दिया जिसमें कि 28.03.2016 को या इसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव किया गया था ।

3-114 डिप्टी सीएलसी (सी), चंडीगढ़ ने बताया कि एजीएम (प्रशासन) पीजीसीआईएल ने सूचित किया कि यूनियन के दिनांक 23.03.2016 के पत्र के तहत हड़ताल वापस ले ली गई ।

¼2½ Hkkjr byDVª,fudl odZl ;fuVh Q,je rFkk Hkkjr byDVª,fudl odZl ;fu;u

3-115 महासचिव, भारत इलेक्ट्रॉनिकस वर्कस यूनिटी फॉरम तथा भारत इलैक्ट्रॉनिकस वर्कस यूनियन ने संयुक्त रुप से भारत इलैक्ट्रॉनिकस, बैंगलोर को हड़ताल की नोटिस दी जिसमें कर्मचारियों के पेंशन स्कीम में योगदान के मुद्दे पर 02.03.2016 से हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव किया गया था ।

3-116 मामले पर डिप्टी सीएलसी (सी), बैंगलोर द्वारा समाधान की सुनवाई की गई तथा समाधान कार्यवाहियाँ दिनांक 17.02.2016, 26.02.2016 और 01.03.2016 को की गईं। यूनियन 02.03.2016 को हड़ताल पर चली गई।

¼3½ jk"Vªh; rki fo|qr etnwj ;fu;u

3-117 महासचिव, राष्ट्रीय ताप विद्युत मजदूर यूनियन भागलपुर ने एनटीपीसी भागलपुर को नोटिस दी जिसमें लंबे समय से लंबित अपनी माँगों की पूर्ति के लिए 19.10.2016 से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव किया गया था ।

3-118 डिप्टी सीएलसी (सी) पटना ने मामले में हस्तक्षेप किया तथा समाधान की कार्रवाई की । हड़ताल स्थगित कर दी गई ।

jsyos

3-119 विभिन्न रेलवे यूनियन/संघ जैसे साउथ सैन्ट्रल रेलवे एम्पलॉइज संघ, उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन, नार्थ ईस्ट रेलवे मजदूर यूनियन, दक्षिणी रेलवे एम्पलॉइज संघ, ईस्ट कोस्ट रेलवे श्रमिक यूनियन संघ, नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन आदि ने अपनी माँग पत्र पर जोर देने के लिए 11 जुलाई, 2016 से देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव किया ।

3-120 सभी डिप्टी सीएलसीस् (सी), से अनुरोध किया गया था कि वे मामले में हस्तक्षेप करें। यूनियन/एसोसिएशनों ने प्रस्तावित हड़ताल आस्थगित कर दी।

fofo/k

¼1½ vf[ky Hkkjrh; ljdkjh ulZ QsMjs'ku

3-121 महासचिव, अखिल भारतीय सरकारी नर्स फेडरेशन ने दिनांक 14.01.2016 को नर्सिंग संवर्ग के लिए सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग प्रतिगामी सिफारिशों के विरुद्ध दिनांक 12.02.2016 से 27.02.2016 तक क्रमिक भूख हड़ताल और 15.03.2016 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया।

3-122 आरएलसी (सी), नई दिल्ली ने श्री जे.के.खुराना, महासचिव, अखिल भारतीय सरकारी नर्स फेडरेशन को चर्चा के लिए बुलाया। चर्चा के दौरान यह बात सामने आई कि उनकी मुख्य शिकायत सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट से संबंधित थी, उनको अपनी शिकायत का निवारण करने के लिए अनियमितता समिति के पास जाने का सुझाव दिया गया, उनके अनुसार इस संबंध में वे संबंधित प्राधिकारियों के पास पहले ही जा चुके हैं।

3-123 महासचिव, अखिल भारतीय सरकारी नर्स फेडरेशन ने दिनांक 10.07.2016 को सातवें वेतन आयोग के संबंध में माननीय स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव द्वारा अपनी किसी भी माँग को न मानकर धोखा देने के विरोध में 2 अगस्त, 2016 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया।

3-124 डिप्टी सीएलसी (सी), नई दिल्ली कार्यालय ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और यूनियन को इस मामले पर अपनी टिप्पणी सौंपने के लिए कहा। यूनियन 02.08.2016 से हड़ताल पर चली गई।

¼2½ uks;Mk VdlkY deZpkjh la?k

3-125 महासचिव, नोयडा टकसाल कर्मचारी संघ (पंजीकृत) ने दिनांक 01.02.2016 को भारत सरकार टकसाल नोयडा के प्रबंधन को कामगारों की सेवा शर्तों में परिवर्तन के मामले में दिनांक 18.02.2016 से हड़ताल पर जाने के प्रस्ताव का नोटिस दिया।

3-126 आरएलसी (सी), देहरादून ने दिनांक 11.02.2016 को मामले में समाधान की कार्रवाई की। संघ ने प्रस्तावित हड़ताल आस्थगित कर दी गई।

¼3½ us'kuy QfVZykbtj ekdsZfVax ,Eiy;bt ;wfu;u

3-127 अध्यक्ष, नेशनल फर्टिलाइजर मार्केटिंग एम्पलॉइज यूनियन ने दिनांक 14.07.2016 को कार्यपालक निदेशक (एमकेटीजी) नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, नोयडा को एनएफएल प्रबंधन द्वारा एक तरफा कामगार विरोधी नीति अपनाने और कामगारों की अन्य शिकायतों के मुद्दे पर मार्केटिंग प्रभाग के सभी कार्यालयों में दिनांक 17.08.2016 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर जाने के प्रस्ताव का नोटिस दिया ।

3-128 डिप्टी सीएलसी (सी), देहरादून ,चंडीगढ़ और जबलपुर से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया। एएलसी (सी), करनाल ने समाधान कार्रवाई की और समाधान कार्रवाई की अगली तारीख 14.09.2016 को निर्धारित की गई।

¼4½ Hkkjrh; Hkkxksfyd lo{k.k

3-129 भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण के कामगारों से मृतक आश्रित कोटा पर आधारित अनुकम्पा नियुक्तियों पर विभागीय अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार और अनुचित व्यवहार के विरोध में जीएसआई कार्यालय के सामने दिनांक 03.10.2016 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाने का नोटिस प्राप्त हुआ।

3-130 आरएलसी (सी), लखनऊ ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और सूचित किया कि यूनियन द्वारा हड़ताल नहीं की गई ।

¼5½ vf[ky Hkkjrh; bl,lvkblh ulZ QSMjs'ku

3-131 महासचिव, अखिल भारतीय ईएसआईसी नर्स फेडरेशन ने महानिदेशक ईएसआईसी महानिदेशक, नई दिल्ली को अपनी माँगों को मनवाने के लिए देश के सभी ईएसआईसी मॉडल अस्पताल, ईएसआईसी अस्पतालों में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया ।

3-132 डिप्टी सीएलसी (सी), नई दिल्ली ने सूचित किया कि प्रस्तावित हड़ताल सफलतापूर्वक आस्थगित कर दी गई क्योंकि फेडरेशन हड़ताल को अनिश्चित काल के लिए आस्थगित करने के लिए मान गई।

e[; Jek;ä ¼dsa½ lxBu dk –f"Vi=

–f"Vi= 2030

3-133 औद्योगिक विवादों का समय पर और अर्थपूर्ण समाधान और शिकायतों का निपटारा कर सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखना।

3-134 चूककर्ता और उल्लंघन पर निरन्तर नजर रखना और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई कर श्रम कानूनों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना।

	lkr o"kZ dh ;kstuk		rhu o"kZ dh dk;Z ;kstuk
1	30 दिनों में औद्योगिक विवादों का समाधान के जरिए निपटान (i) नियोक्ताओं और श्रमिक संघों के साथ निरंतर बातचीत द्वारा (ii) प्रतिष्ठान स्तर पर शिकायत निवारण के सशक्तिकरण द्वारा	1	40 दिनों में औद्योगिक विवादों का समाधान के जरिए निपटान (i) नियोक्ताओं और श्रमिक संघों द्वारा निरंतर बातचीत द्वारा (ii) प्रतिष्ठान स्तर पर शिकायत निवारण के सशक्तिकरण द्वारा
2	10 श्रम कानूनों के संबध में पूर्ण अनुपालन का सुनिश्चय (i) आईटी–समर्थित तंत्र के माध्यम से चूककर्ता और उल्लंघन पर वास्तविक समय पर नजर रखकर (ii) 2–3 दिनों के भीतर सुधारात्मक कार्रवाई कर	2	10 श्रम कानूनों के संबध में पूर्ण अनुपालन का सुनिश्चय (i) आईटी–समर्थित तंत्र के माध्यम से चूककर्ता और उल्लंघन पर वास्तविक समय पर नजर रखकर (ii) 7 दिनों के भीतर सुधारात्मक कार्रवाई कर
3	एमडब्ल्यू अधिनियम, पीडब्ल्यू अधिनियम, और ईआर अधिनियम के अन्तर्गत दावा आवेदनों का निपटारा 2 महिनों के अंदर करना (i) दावों को ऑनलाइन फाइल करना (ii) ऑनलाइन रिकार्ड के आधार पर निपटारा करना	3	एमडब्ल्यू अधिनियम, पीडब्ल्यू अधिनियम, और ईआर अधिनियम के अन्तर्गत दावा आवेदनों का निपटारा 3 महिनों के अंदर करना (i) दावों को ऑनलाइन फाइल करना (ii) ऑनलाइन रिकार्ड के आधार पर निपटारा करना

4	उपदान अधिनियम के भुगतान के अन्तर्गत आदेश 2 महिनों के अन्दर जारी करना (i) दावों को ऑनलाइन फाइल करना (ii) ऑनलाइन रिकार्ड के आधार पर निपटारा करना	4	उपदान अधिनियम के भुगतान के अन्तर्गत आदेश 3 महिनों के अन्दर जारी करना (i) दावों को ऑनलाइन फाइल करना (ii) उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर निपटारा करना
5	उपदान अधिनियम के भुगतान के अन्तर्गत अपील का निपटारा 20 दिनों के अन्दर करना	5	उपदान अधिनियम के भुगतान के अन्तर्गत अपील का निपटारा 30 दिनों के अन्दर करना
6	सीएल(आरएंडए), बीओसीडब्ल्यू अधिनियम, आई एसएमडब्ल्यू अधिनियम और ईआर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण/लाइसेंस 3 दिनों के अंदर जारी करना	6	सीएल(आरएंडए), बीओसीडब्ल्यू अधिनियम, आई एसएमड. ब्ल्यू अधिनियम, और ईआर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण ध्लाइसेंस 5 दिनों के अंदर जारी करना
7	सीएल(आरएंडए), बीओसीडब्ल्यू अधिनियम, आई एसएमड. ब्ल्यू अधिनियम, और ईआर अधिनियम के अन्तर्गत अपील का निपटारा 15 दिनों के अंदर करना	7	सीएल (आरएंडए), बीओसीडब्ल्यू अधिनियम, आई एसएमडब्ल्यू अधिनियम, और ईआर अधिनियम के अन्तर्गत अपील का निपटारा 30 दिनों के अंदर करना

e t nj l?k vf/kfu;e] 1926

3-135 मजदूर संघ अधिनियम, 1926 एक केन्द्रीय अधिनियम है परंतु राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित किया जाता है। इसमें नियोजकों और कामगारों की ट्रेड यूनियनों के पंजीकरण से संबंधित उपबंधों की व्यवस्था है और कुछ मामलों में यह पंजीकृत ट्रेड यूनियनों से संबंधित विधि को परिभाषित करता है।

3-136 मजदूर संघ अधिनियम, 1926 का मजदूर संघ (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था और 09.01.2002 से इसे लागू किया गया था। संशोधनों का उद्देश्य संक्षेप में ट्रेड यूनियनों का क्रमिक विकास और यूनियनों की बहुलता घटाना तथा आंतरिक लोकतंत्र संवर्धन सुनिश्चित करना है।

3-137 यह अधिनियम 'समुचित सरकार' (संबंधित सरकारें) को व्यवसाय संघों के पंजीयक नियुक्त करने का अधिदेश देता है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत पंजीकरण चाहने वाले यूनियन को मजदूर संघ के नियमों की प्रति, संघ का विस्तृत विवरण तथा संघ की संपत्ति एवं देयों के सामान्य विवरण के साथ पंजीयक को आवेदन करना होता है। कोई भी मजदूर संघ पंजीकरण का पात्र नहीं है जब तक कि अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इसके कार्यकारी निकाय का गठन नहीं हो जाता। यह अधिनियम पंजीयक द्वारा पंजीकरण करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करता है।

3-138 केन्द्रीय मजदूर संघ संगठनों द्वारा समय समय पर 45 दिन के अंदर मजदूर संघों के अनिवार्य पंजीकरण की मांग को उठाया गया है। 45 दिन की अवधि में मजदूर संघों के अनिवार्य पंजीकरण की मांग की जांच की गई थी जब मंत्रालय मजदूर संघ अधिनियम में 1993 में संशोधन प्रस्तावों पर विचार कर रहा था। उस समय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने परामर्श दिया था कि अधिनियम के अंतर्गत 'मानद उपबंध' बनाए बगैर मजदूर संघों के पंजीकरण हेतु कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं होगा। तत्पश्चात मंत्रालय में निर्णय लिया गया था कि 'मानद पंजीकरण' के उपबंध को शामिल करना परामर्श योग्य नहीं होगा यदि पंजीयक सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने की तारीख से 45 दिनों के अंदर पंजीकरण के आवेदन को नहीं निपटाता है।

3-139 इस मुद्दे पर केन्द्रीय मजदूर संघ नियोक्ता संघों तथा विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की 2011 में दो त्रिपक्षीय परामर्श बैठकें आयोजित की गई थी तथा यह नोट किया गया था कि अधिकतर राज्य सरकारें मजदूर संघों के पंजीकरण हेतु पहले से ही समय सीमा निर्धारित कर चुकी थी परंतु बहुत से मामलों में उल्लंघन भी देखे गए थे। मंत्रालय में मामले की पुनः जांच की गई तथा दिनांक 31.01.2013 के इस मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या एस–13012/3/2011–आईआर (पीएल) द्वारा माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री के अनुमोदन से राज्य विनियम में समुचित संशोधन शामिल करके अथवा राज्य पंजीयकों को कार्यकारी आदेश जारी करके संबंधित राज्य विनियमों में मजदूर संघों के पंजीकरण हेतु आवेदनों के निपटान के लिए आवश्यक प्रावधान करने हेतु सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरणों को परामर्श जारी किया गया था। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को कहा गया है कि वे आदेशों का अनुपालन करें और इस मंत्रालय को सूचित करते हुए उचित कार्रवाई करें।

3-140 मजदूर संघों का 45 दिनों की अवधि के भीतर अनिवार्य पंजीकरण संबंधी उपबंध को शामिल करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और इसे संगत श्रम संहिता में शामिल किया जाएगा।

vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947

3-141 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में औद्योगिक विवादों की जांच व समाधान का प्रावधान है। इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हैं :–नियोजक और कर्मकारों के बीच सौहार्दपूर्ण एवं मधुर संबंध सुनिश्चित व परिरक्षित करनाय नियोजकों और नियोजकों, नियोजकों व कर्मकारों या कर्मकारों और कर्मकारों के बीच औद्योगिक विवादों की जांच करना व समाधान प्रदान करनाय अवैध हड़तालों व तालाबंदियां को टालना; कामबंदी व छंटनी के मामलों में कर्मकारों को राहत देनाय तथा सामूहिक सौदे बाजी करना।

3-142 हितधारकों से विस्तृत बातचीत के उपरांत, सरकार ने औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2010 के माध्यम से औधोगिक विवाद अधिनियम, 1947 संशोधन कर दिया है। संशोधित उपबंध 15.09.2010 से प्रवृत हुए हैं।

संशोधित अधिनियम में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित की व्यवस्था की गई हैः–

- अधिनियम की धारा 2(क) के अंतर्गत विद्यमान परिभाषा का विस्तार करते हुए परिभाषित शब्द 'समुचित सरकार' में संशोधन;
- कामगार की मजदूरी सीमा को, अधिनियम की धारा 2(एस) के अंतर्गत एक हजार छः सौ रुपये से बढ़ाकर दस हजार रुपये कर देना;
- अधिनियम की धारा 2(क) से उद्भूत विवादों के मामले में श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण तक सीधी पहुंच;
- अधिनियम की धारा 7 और 7क के अंतर्गत श्रम न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों की अहर्ताओं के दायरे को बढ़ाया जाना;
- वैयक्तिक शिकायतों से उद्भूत विवादों के समाधान हेतु बीस अथवा अधिक कामगार नियोजित करने वाले प्रत्येक औद्योगिक स्थापना में शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाना;

- श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण को, श्रम न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णयों तथा निपटान–आदेशों को निष्पादित करने के लिए अधिकारिता प्रदान करना।

ckxku Je vf/kfu;e] 1951

3-143 केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियमित बागान श्रम अधिनियम, 1951 एक केन्द्रीय अधिनियम है। यह अधिनियम बागान श्रमिकों के कल्याण की सुविधा प्रदान करता है और बागानों में कार्यदशाओं को विनियमित करता है। यह विधान सभी चाय, काफी, रबर, सिंकोना और दाल चीनी के बागों जो लगभग 5 हैक्टेयर अथवा अधिक क्षेत्र व्याप्त है जिसमें 15 अथवा अधिक व्यक्ति कार्यरत हों, पर लागू होता है। राज्य सरकारों को भी यह शक्ति प्रदान की गई है कि वे इस अधिनियम के सभी अथवा कुछ उपबंधों को किन्हीं बागानों में लागू कर सकते हैं जिसमें अन्य बातों के होते हुए भी 5 हैक्टेयर से कम क्षेत्र अथवा 15 से कम व्यक्तियों के नियोजन वाले क्षेत्र भी शामिल हैं। बागानों के परिक्षेत्र में आने वाले सभी कार्यालय, अस्पताल, औषधालय, विद्यालय एवं बाल गृह भी इस अधिनियम के दायरे में आते हैं। इस अधिनियम में स्वास्थ्य, कल्याण, कार्य घंटों, विश्राम अवधि, बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध आदि उपबंध शामिल हैं।

3-144 देश में सामाजिक एवं औद्योगिक संबंधों में हो रहे परिवर्तनों को देखते हुए सरकार ने वर्ष 2010 में सभी हितधारकों के साथ व्यापक त्रिपक्षीय विचार–विमर्श के पश्चात इस अधिनियम को बागान श्रमिकों के लिए अधिक कल्याणकारी बनाने के लिए इस अधिनियम में संशोधन किया है। संशोधित बागान श्रम (संशोधन) अधिनियम, 2010 के प्रमुख अंश निम्नवत हैं:

- 'नियोक्ता' की परिभाषा को व्यापक बना दिया गया है तथा अधिनियम के किसी उल्लंघन की स्थिति में नियोक्ताओं पर जिम्मेदारी निर्धारित करने संबंधी अस्पष्टताओं को समाप्त कर दिया गया है ।
- 'परिवार' की परिभाषा महिला पुरुष निरपेक्ष बना दी गई है जिससे कि आश्रित–सुविधाओं का लाभ लेने हेतु पुरुष अथवा महिला–कामगार के परिवार के बीच भेद मिटाया जा सके।
- मजदूरी सीमा को 750/– रुपये से बढ़ाकर प्रतिमाह 10,000/– रुपये करके 'कामगार' की परिभाषा का दायरा बढ़ा दिया गया है। एक वर्ष में 60 से अधिक दिन कार्य कर चुके ठेका कामगारों को भी अधिनियम के दायरे में शामिल कर दिया गया है। इस संशोधन के कारण ठेका मजदूरों को शामिल करते हुए काफी बड़ी संख्या में मजदूर बागान मजदूरी अधिनियम, 1951 में प्रदत्त सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे ।
- संशोधित अधिनियम में, बागानों में काम करने वाले कामगारों की सुरक्षा और व्यवसायगत स्वास्थ्य के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए एक नया अध्याय IV–क की व्यवस्था की गई है। इस अध्याय में कीटनाशक रसायनों और विषैले पदार्थों के प्रहस्तन, भण्डारण, प्रयोग और परिवहन के संबंध में कामगारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नियोक्ताओं पर बाध्यता रखी गई है और इस प्रकार के कामगारों को रसायनों और विषैले पदार्थों के खतरों और अनुप्रयोग के संबंध में प्रहस्तन हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इसमें रसायनों और विषैले पदार्थों का प्रहस्तन करने वाले कामगारों की आवधिक चिकित्सकीय जांच और उनके स्वास्थ्य

रिकार्ड के रख–रखाव का भी प्रावधान है। इस अधिनियम में इन कामगारों को संरक्षात्मक परिधान और उपस्कर सहित धोने, नहाने और आराम कक्ष जैसी सुविधाएं प्रदान करने का भी प्रावधान किया गया है। नियोक्ता बागानों में रसायनिक और विषैले पदार्थों के प्रहस्तन और परिवहन तथा प्रयोग के पर्यवेक्षण हेतु निर्धारित अर्हता रखने वाले पर्यवेक्षक नियुक्त करने के लिए विधिक रूप से बाध्य होंगे।

- बागानों में बच्चों के नियोजन पर पूरी तरह प्रतिषेध लगाया गया है।
- संशोधित अधिनियम में राज्य सरकारों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने तथा उनकी लागत चूककर्ता नियोक्ता से वसूल करने का आदेश दिया गया है। अब, नियोक्ता द्वारा चूक करने के मामले में, राज्य सरकार के पास कामगारों और उनके परिवारों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान करने तथा लागत उनसे वसूलने का अधिकार और उत्तरदायित्व होगा।
- अधिनियम में, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम,1923 के अनुसार दुर्घटना के मामले में नियोक्ता द्वारा आयुक्त के पास प्रतिकर जिस ढंग से पंजीकृत करवाया जाना है उसका ढंग निर्धारित करने हेतु एक नई धारा 32–ग जोड़ी गई है।
- संशोधित अधिनियम में किसी कामगार को, श्रमिक संघ के पदधारी जिसका ऐसा कामगार सदस्य हो, इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध करने से संबंधित शिकायत दाखिल करने के प्रावधान शिकायतकर्ता को उन्मुक्ति प्रदान करने के प्रावधान सहित किए गए हैं।
- अधिनियम का कारगार कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु अधिनियम के उपबंधों का पालन न करने के संबंध में दाण्डिक उपबंध भी अधिक कड़े बना दिए गए हैं।
- राज्य सरकारों को नियमों को बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है जो राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाएं। अब केन्द्र सरकार से इस संबंध में अनुमति लेने की कोई अनिवार्य अपेक्षा नहीं है।

3-145 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा यथासंस्तुत बागान श्रम अधिनियम, 1951 को और संशोधित करने संबंधी प्रस्ताव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के विचाराधीन है।

vkS|ksfxd jkstxkj ¼LFkkbZ vkns'k½ vf/kfu;e] 1946

(i) अधिसूचना का.आ.सं.1632 (ङ) दिनांक 04.05.2016 तथा अधिसूचना सं.का.आ. 2676 (ङ) दिनांक 10.08.2016 के जरिए केंद्र सरकार प्रोन्नत/नवसृजित पदों अर्थात् मुख्य श्रमायुक्त (कें.), अपर मुख्य श्रमायुक्त (कें.) तथा सभी उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.) के पदों पर नियुक्तियां केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संबंध में औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी के कार्य के निष्पादन करने के लिए करती है।

(ii) अधिसूचना सा.का.नि. सं. 976 (ङ), दिनांक 07.10.2016 के जरिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन परिधान विनिर्माण क्षेत्र के लिए "नियत कालीन रोजगार श्रमिक" संवर्ग को जोडा है।

(iii) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन विनिर्मित परिक्षेत्र हेतु भी" नियत कालीन रोजगार श्रमिक" संवर्ग को जोड़ने की प्रक्रिया में है ।

vk|kfxd lac/kk dk vuqoh{k.k

3-146 मंत्रालय, स्थानिक हड़तालों/तालाबंदियों, शामिल श्रमिकों की संख्या तथा बेकार गए श्रम दिवसों की संख्या, छंटनी की रिपोर्ट देने वाली इकाइयों की संख्या तथा कामबंदी की सीमा संबंधी सूचना श्रम ब्यूरो से प्राप्त होने के आधार पर देश में व्याप्त औद्योगिक सौहार्द का अनुवीक्षण करता है।

3-147 2011 –2016 (अनं) के दौरान हड़तालों तथा तालाबंदियों और बेकार गए श्रमदिवसों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

2011–2016 (अनं) के दौरान हड़तालों, तालाबंदियों और नष्ट हुए श्रम दिवसों की संख्या

o"kZ	gM+rky	rkykcanh	dqy	u"V dk;Z fnol
2011	179	191	370	14458038
2012	133	185	318	12936795
2013	103	155	258	12645371
2014 (अनं)	119	168	287	11095370
2015 (अनं)	163	21	184	2918617
2016 (अनं) (जनवरी– सितंबर)	46	4	50	576904

स्रोत: श्रम ब्यूरो, शिमला

(अनं): अनंतिम

3-148 हड़तालों और तालाबंदी की संख्या का स्थानिक/उद्योगवार विवरण तथा इसके फलस्वरूप प्रभावित श्रमिकों की संख्या एक समान नहीं है। बेकार गए श्रम दिवस, कामगार पर औद्योगिक अशांति के प्रभाव का प्रत्यक्ष माप है।

3-149 जैसा कि हड़तालों और तालाबंदियों से पता चलता है, अधिकांश औद्योगिक अशांति मुख्यतः अनुशासनहीनता एवं हिंसा, मजदूरी तथा भत्तों, व्यक्तिगत मामलों से संबंधित हैं। 2016 के दौरान औद्योगिक अशांति के लिए वेतन तथा भत्ते मुख्य कार्य कारण/घटक रहे।

rkykcanh

3-150 पिछले पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों में बंदी से प्रभावित होने वाली इकाइयों की संख्या निम्नानुसार रही:

2011–2016 (अनं.) के दौरान, तालाबंदी तथा इसके कारण प्रभावित होने वाले कामगारों की संख्या (केंद्र और राज्य क्षेत्र दोनों में)

o"kZ	rkykcanh	çHkkfor Jfed
2011	89	4274
2012	48	1934
2013	95	4476
2014(अनं)	34	4726
2015 (अनं)	15	1330
2016 (अनं) (जनवरी – सितंबर)	7	191

स्रोत: श्रम ब्यूरो, शिमला

(अनं): अनंतिम

3-151 इस अवधि के दौरान, वित्तीय कठिनाई, कच्चे माल की कमी, विद्युत की कमी, मशीनरी का खराब होना तथा उत्पादों की मांग का अभाव बंदी के मुख्य कारण रहे।

NiVuh

3-152 किसी नियोक्ता द्वारा किसी ऐसे कर्मकार को जिसका नाम औद्योगिक स्थापना के हाजिरी रजिस्टर में है और जिसकी छंटनी नहीं की गई है उसे रोजगार देने में असफलता, मना करने या असमर्थता को कामबंदी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बिजली, कच्चे माल की कमी, स्टॉक इकट्ठा होने या मशीनरी खराब होने जैसी आपूर्ति में आने वाली कठिनाइयों तथा मांग में मौसमी कमी के परिणामस्वरूप कामबंदी होती है।

3-153 वर्ष 2011–16 (अनं.) के दौरान छंटनी से प्रभावित होने वाली इकाइयों तथा इसके कारण प्रभावित होने वाले कामगारों की संख्या निम्नानुसार रही:

3-154 2011–2016 (अनं.) के दौरान, छंटनी तथा इसके कारण प्रभावित होने वाले कामगारों की संख्या (केंद्र और राज्य क्षेत्र दोनों में)

o"k	NiVuh	çHkkfor dkexkj
2011	17	1991
2012	8	1767
2013	59	7226
2014 (अनं.)	21	2515
2015 (अनं.)	47	3185
2016 (अनं.) (जन.–सित.)	12	1691

dke l: gVkuk

3-155 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अध्याय अ–ख में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार, 100 अथवा अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाली स्थापनाओं को बंदी, छंटनी अथवा कामबंदी को लागू करने से पूर्व विहित आवेदन फार्म में समुचित सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त करना अपेक्षित है। इस मंत्रालय में केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली स्थापनाओं से ऐसी बंदी, छटनी अथवा कामबंदी हेतु आवेदन प्राप्त होते हैं। इन आवेदन पत्रों की जांच की जाती है और प्रबंधन की प्रस्तावित कार्रवाई से संबंधित मामलों पर प्रबंधन तथा कामगारों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए सुनवाई का अवसर दिया जाता है। संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए मौखिक और लिखित निवेदनों के आधार पर और प्रबंधन के आवेदन के औचित्य/यथार्थता पर विचार करते हुए बंदी, छंटनी अथवा कामबंदी के लिए अनुमति प्रदान करने अथवा अनुमति प्रदान न करने का निर्णय लिया जाता है। जहां–कहीं अनुमति प्रदान की जाती है, यह सुनिश्चित किया जाता है कि कामगारों के हित यथासंभव संरक्षित रहें।

3-156 2011–2016 (अनं.) के दौरान छंटनी करने वाली इकाइयों तथा छंटनी किए गए कामगारों की संख्या निम्नानुसार है:

केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों–दोनों ही क्षेत्र में 2011–2016 (अन्तिम) के दौरान छंटनी और उससे प्रभावित कामगार

o"k	NiVuh	çHkkfor dkexkj
2011	8	47
2012	19	1237
2013	22	1297
2014(अनं.)	14	1798
2015(अनं.)	10	274
2016 (अनं.) जन.–सित.	3	3625

स्रोत: श्रम ब्यूरो, शिमला

(अनं.): अनंतिम

vkS|ksfxd f=i{kh; lfefr;k

3-157 औद्योगिक त्रिपक्षीय समितियों का गठन त्रिपक्षीय भावना को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ये त्रिपक्षीय समितियाँ मंच प्रदान करती हैं जिसके द्वारा, सामाजिक भागीदार आर्थिक सुधारों से प्रभावित उद्योगों और कामगारों की कठिनाइयों का मूल्यांकन कर सकते हैं। ये समितियाँ गैर–सांविधिक स्थायी समितियाँ हैं जिनकी बैठकों का आयोजन, जब कभी अपेक्षित हो किया जाता है। सरकार की प्रतिक्रियाशील भूमिका ने नियोजकों और कामगारों के हितों को सफलतापूर्वक सुमेलित किया है जिसके परिणामस्वरूप टकराव का रवैया, सहयोग के रूप में परिवर्तित हो गया है।

U;k;&fu.kZ;u

3-158 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबंधों के तहत केन्द्र सरकार के कुल बाईस औद्योगिक न्यायाधिकरण–एवं–श्रम न्यायालय उन संगठनों के औद्योगिक विवादों के न्यायनिर्णयन हेतु गठित किए गए हैं जिनके लिए केन्द्र सरकार समुचित सरकार है। ये न्यायाधिकरण धनबाद (झारखंड), मुम्बई, नई दिल्ली और चंडीगढ़ (प्रत्येक में दो–दो) तथा कोलकाता, जबलपुर, कानपुर, नागपुर, लखनऊ, बंगलुरु, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, एर्णाकुलम, आसनसोल और गुवाहाटी प्रत्येक में एक–एक स्थित हैं। इसके अलावा, मुम्बई (संख्या1) और कोलकाता भी दो औद्योगिक न्यायाधिकरण राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के रुप में कार्य कर रहे हैं।

3-159 अनसुलझे औद्योगिक विवादों के बड़ी मात्रा में लंबित पड़े मामलों को देखने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना से केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण की न्यायनिर्णयन प्रणाली के अंदर एक वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र के रूप में लोक अदालतें शुरू की गई हैं। इसका उद्देश्य समानांतर मंच के माध्यम से औद्योगिक विवादों को निपटाना है। जो मामले सापेक्षतया जटिल नहीं हैं उनका इस प्रणाली के माध्यम से न्यायनिर्णयन किया जाता है। तथापि, इसकी सफलता इस विधि के माध्यम से अपने मामले निपटाने के लिए वादी पक्षों के तैयार होने पर निर्भर करती है। केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी सुविधाप्रदाता की भूमिका निभाते हैं।

3-160 11वीं योजना में लोक अदालतों के इस तंत्र को न्याय–निर्णयन प्रणाली का अभिन्न अंग बना दिया गया है। 01.04.2016 से 31.12.2016 तक की अवधि के दौरान 42 लोक अदालतें आयोजित की गईं तथा उनके माध्यम से 102 मामलों को निपटाया गया।

अध्याय – 4

उत्पादकता

çkkue=h dh Je ijLdkj Ldhe%

4-1 उत्पादन तथा उत्पादकता, प्रौद्योगिकीय नवाचरण, लागत में बचत करने, आयात के विकल्प लाने, विदेशी मुद्रा में बचत तथा कर्तव्यों के निर्वहन में अनुपम जोश और उत्साह का प्रदर्शन करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, केन्द्रीय/राज्य सरकारों के विभागीय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियोजित कर्मकारों, (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में यथा परिभाषित) और निजी क्षेत्र में 500 अथवा अधिक कामगारों को नियोजित करने वाली विनिर्माण इकाइयों के लिए उनके कार्य निष्पादन तथा कार्य के प्रति समर्पण को मान्यता देने के लिए 'प्रधानमंत्री के श्रम पुरस्कार' नामक योजना का संचालन करता है। केवल वही कामगार ऐसे पुरस्कार के पात्र हैं जो विनिर्माण तथा उत्पादकता प्रक्रियाओं में कार्यरत हैं और जिनका निष्पादन मूल्यांकन करने योग्य है। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस अथवा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। क्रमानुसार ये पुरस्कार हैंः श्रम रत्न, श्रम भूषण, श्रम वीर/श्रम वीरांगना और श्रम श्री/श्रम देवी।

4-2 प्रत्येक श्रेणी के लिए नकद पुरस्कार की राशि और पुरस्कारों की संख्या rkfydk 4-1 में दी गई है।

4-3 नकद पुरस्कार के अलावा पुरस्कार विजेता प्रधानमंत्री से एक 'सनद' भी प्राप्त करते हैं। पुरस्कार विजेता रेलवे की द्वितीय श्रेणी के भाड़े के 75% की रियायत के भी पात्र होते हैं।

4-4 प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार 2015 केन्द्र और राज्य सरकार के विभागीय उपक्रमों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और 500 अथवा अधिक नियोजन वाली निजी क्षेत्र की इकाईयों के 33 कामगार समूहों को दिए गए। 2015 के दौरान श्रम रत्न वर्ग में कोई पुरस्कार विजेता नहीं है, अतः श्रम भूषण वर्ग में एक अतिरिक्त पुरस्कार दिया गया।

rkfydk 4-1
ç/kku e=h dk Je iqjLdkj
fofHkUu Jf.k;ksa ds vUrxZr udn iqjLdkj dh jkf'k vkSj iqjLdkjksa dh la[;k

Ø-la-	iqjLdkj dk uke	iqjLdkjksa dh la[;k	udn iqjLdkj dh jkf'k ¼#i;s½	ekunaM
1.	श्रम रत्न	1	2,00,000	उच्चतम पुरस्कार उस कामगार को दिया जाएगा जिसके पास वास्तव में उत्कृष्ट कौशल होगा और जिसने हर क्षेत्र में अद्वितीय योगदान किया हो।
2.	श्रम भूषण	4	1,00,000 प्रत्येक	कामगार जिसने उत्पादकता के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान किया हो और साथ ही जिसने उच्च स्तर की अभिनव क्षमता दर्शाई हो।
3.	श्रम वीर / श्रम वीरांगना	12	60,000 प्रत्येक	कामगार जिसकी समर्पित सेवा का निरंतर रिकार्ड रहा हो और जिसने उच्च स्तर की उत्पादकता हासिल की हो।
4.	श्रम देवी / श्रम श्री	16	40,000 प्रत्येक	कामगार जिसने कार्य के प्रति अभूतपूर्व जोश और उत्साह का प्रदर्शन किया हो और जिसने उत्पादकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया हो।

अध्याय – 5

मजदूरी

çLrkouk

5-1 भारत जैसे श्रम अधिशेष देश में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के लिए कोई एकसमान तथा व्यापक मजदूरी नीति होना मुश्किल है। संगठित क्षेत्र में मजदूरी का निर्धारण सामान्यतरू नियोजक तथा कर्मचारियों के बीच बातचीत तथा आपसी समझौते के आधार पर किया जाता है, तथा असंगठित क्षेत्र में, अशिक्षा के कारण और प्रभावी सौदेकारी शक्ति के अभाव में श्रमिक शोषण से असुरक्षित है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों दोनों द्वारा अपने–अपने अधिकार क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत अनुसूचित रोजगारों में मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित की जाती हैं। यह अधिनियम, नियोक्ताओं को समय–समय पर ऐसी निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी कर्मकारों को अदा करने के लिए बाध्य करता है।

U;ure etnjh vf/kfu;e] 1948

5-2 न्यूनतम ममजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत अधिनियम की अनुसूची में शामिल रोजगारों की मजदूरी की न्यूनतम दरों का निर्धारण/संशोधन करने के लिए राज्य तथा केन्द्र दोनों सरकार ''समुचित सरकारें'' हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में 45 अनुसूचित नियोजन हैं। जबकि राज्य क्षेत्र में ऐसे नियोजनों की संख्या (संचयी) 1709 है। न्यूनतम मजदूरी दरों में, विशेष भत्ता अर्थात्परिवर्ती महंगाई भत्ता जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ा हुआ है, भी शामिल है, जिसमें अप्रैल तथा अक्टूबर अर्थात्वर्ष में दोबार संशोधन किया जाता है। केन्द्रीय सरकार तथा सत्ताईस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भी परिवर्ती महंगाई भत्ते को न्यूनतम मजदूरी के एक घटक के रूप में अंगीकृत कर लिया है। केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र के अंतर्गत व्याप्त रोजगारों के लिए अकुशलकर्मकारों के संबंध में निर्धारित/ संशोधित मजदूरी की दरें सारणी 5.1 में दर्शाई गई हैं।

jk"Vªh; lrgh ¼¶ykj½ Lrj dh U;ure etnjh

5-3 देश में एकसमान राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी रखने के लिए तथा देश में न्यूनतम मजदूरी के अंतर को कम करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग की 1991 की सिफारिशों के आधार पर एक गैर–सांविधिक उपाय के रूप में राष्ट्रीय सतही स्तर की न्यूनतम मजदूरी आरंभ की गई। औद्योगिक कामगारों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के आधार पर केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय फ्लोर स्तर की न्यूनतम मजदूरी को 01.07.2015 से 137/–रुपये बढ़ाकर से 160/– रुपये प्रतिदिन कर दिया है।

dUæh; lykgdkj cksM ¼lh,ch½

5-4 केन्द्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 8 के अंतर्गत दिनांक 18 नवम्बर, 2016 की अधिसूचना सां.आ. संख्या 3495 (अ) द्वारा केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड (सीएबी) को पुनर्गठित किया है।

U;ure etnjh lykgdkj cksM ¼,eMCY;w,ch½

5-5 केन्द्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 7 के अंतर्गत दिनांक 02 मार्च, 2016

की अधिसूचना सा.आ. संख्या 1174 (अ) द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड (एमडब्ल्यूएबी) को पुनर्गठित किया है।

U;ure etnjh vf/kfu;e] 1948 e l'kk/kuk dh fLFkfr

5-6 संशोधन प्रस्तावो को दिनांक 17.06.2014 को सार्वजनिक क्षेत्र में टिप्पणियों को आमंत्रित करने हेतु रखा गया था। टिप्पणियों को शामिल करते हुए प्रारुप मंत्रिमंडलीय नोट को दिनांक 07.08.2014 को अंतरमंत्रालयी परामर्श हेतु तैयार कर परिचालित किया गया था। अधिनियम में संशोधन हेतु प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर विचार कर अपनी सिफारिशें देने के लिए दिनांक 29.10.2014 को आईएमजी का गठन किया गया। आईएमजी ने जून 2015 को अपनी सिफारिश रिपोर्ट दी है। आईएमजी के सिफारिश के आधार पर तैयार मंत्रिमंडलीय को अंतरमंत्रालयी परामर्श हेतु दिनांक 07.08.2015 को परिचालित किया गया। प्रारुप विधेयक सहित प्रारूप टिप्पणी को दिनांक 20.12.2016 को विधि एवं न्याय मंत्रालय को पुनरीक्षण हेतु अग्रेषित किया गया है।

U;ure etnjh vf/kfu;e] 1948 dk çorZu

5-7 सरकार खेतों में कार्य करने वाले श्रमिकों और कामगारों खासकर असंगठित क्षेत्र में, कल्याण तथा भलाई में वृद्धि करने एवं श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी कानूनों का पूर्णतः कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन न्यूनतम मजदूरी का प्रवर्तन केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) के माध्यम से किया जाता है। के.औ.सं.तं (सीआईआरएम) द्वारा वर्ष 2015–16 के दौरान प्रवर्तन के मामलों की स्थिति lkj.kh 5-2 में दर्शायी गयी है। राज्य क्षेत्र में राज्य प्रवर्तन तंत्र न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का प्रवर्तन सुनिश्चित करते हैं। विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में वर्ष 2014–15 के दौरान इस अधिनियम के प्रवर्तन की स्थिति lkj.kh 5-3 में दर्शायी गई है।

etnjh lank; vf/kfu;e] 1936

5-8 मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 को उद्योग में नियोजित कर्मकारों की मजदूरी की अदायगी को विनियमित करने और अवैध कटौतियों तथा/अथवा मजदूरी की अदायगी में अनुचित देरी के विरूद्ध एक त्वरित एवं प्रभावी उपचार सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 के अंतर्गत मजदूरी सीमा 1982 में 1600/– रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई थी।

5-9 महंगाई और मजदूरी में सामंजस्य बिठाने हेतु अधिकतम सीमा को आवधिक रूप से बढ़ाया जाता रहा है। अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा प्रकाशित उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आधार पर मजदूरी सीमा को 11.09.2012 से 10,000/–रु. से बढ़ाकर 18,000/– प्रतिमाह कर दिया है।

5-10 मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2016 मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 6 को प्रतिस्थापित करने के लिए 15 दिसंबर, 2016 को लोक सभा में प्रस्तुत कर दिया गया है ताकि नियोक्ता नियाजित व्यक्ति को चेक द्वारा अथवा उसके बैंक खाते में राशि जमा कराके मजदूरी का भुगतान कर सके और सरकारी राजपत्र अधिसूचना द्वारा उन औद्योगिक अथवा अन्य प्रतिष्ठानों को निर्दिष्ट करने के लिए उपयुक्त सरकार

को अधिकार मिल सके जो प्रत्येक नियोजित व्यक्ति को मजदूरी का भुगतान केवल चेक द्वारा अथवा उनके बैंक खाते में जमा कराके करेंगे। चूंकि विधेयक पारित नहीं किया जा सका, मजदूरी संदाय (संशोधन) अध्यादेश 2016 28.12.2016 को लागू किया गया।

e tnjh lnk; ¼ukekadu½ fu;e] 2009

5-11 मजदूरी संदाय के संबंध में महिला बनाम पुरुष को पूर्ण समानता प्रदान करने हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गठित विशेष कार्यबल की सिफारिश के अनुसार, केन्द्र सरकार ने मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 26 की उप–धारा (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जहां तक प्रयोज्य हो, नामांकन की प्रक्रिया को परिभाषित करते हुए तथा कामगारों द्वारा नामांकन को उनके परिवार के सदस्यों तक सीमित करते हुए दिनांक 29 जून, 2009 की अधिसूचना सा.का. नि. सं. 822 (अ.) द्वारा मजदूरी संदाय (नामांकन) नियम, 2009 को अधिसूचित किया है।

5-12 1950 और 60 के दशक में जब संगठित श्रम क्षेत्र अपने विकास की आरम्भिक अवस्था में था, तब सरकार ने कुछ क्षेत्रों में मजदूरी निर्धारण की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, श्रम मंत्रालय की स्वीकृत नीतियो के अनुरुप उनके लिए समय–समय पर आवश्यकता आधारित वेतन बोर्डों का गठन किया था। वेतन बोर्ड त्रिपक्षीय स्वरूप के होते हैं जिनमें कामगारों, नियोक्ताओं के प्रतिनिधि और स्वतंत्र सदस्य भाग लेते हैं और सिफारिशों को अंतिम रूप देते हैं। इस समय केवल दो बोर्ड, एक श्रमजीवी पत्रकारों और दूसरा गैर पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए सांविधिक वेतन बोर्डों के रूप में प्रचलन में हैं। अन्य सभी वेतन बोर्ड समाप्त हो गए है।

5-13 वर्ष 2002 में द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग (एनसीएल) ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि किसी भी उद्योग के कामगारों के लिए मजदूरी दरों के निर्धारण हेतु किसी भी वेतन बोर्ड, सांविधिक या अन्यथा, की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि, सरकार ने श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 के अधीन सांविधिक वेतन बोर्डों अर्थात् श्रमजीवी पत्रकार और गैर–पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों हेतु वेतन बोर्डों के गठन के संबंध में इसकी सिफारिशों को स्वीकार न करने का निर्णय लिया।

lekpkj i= deZpkfj;k grq oru ckM

5-14 श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें) तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 में श्रमजीवी पत्रकारों और समाचार पत्र प्रतिष्ठानों में नियोजित अन्य व्यक्तियों की सेवा शर्तों के विनियमन का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 9 और 13 ग में, अन्य बातों के साथ–साथ, क्रमशः श्रमजीवी पत्रकारों और समाचार पत्रों/समाचार एजेंसियों के गैर–पत्रकार कर्मचारियों के संबंध में मजदूरी की दरें निर्धारित और संशोधित करने के लिए वेतन बोर्डों के गठन का प्रावधान है। अधिनियम के अनुसार, वेतन बोर्ड में निम्नलिखित शामिल हैं:

- समाचार पत्र प्रतिष्ठानों से संबंधित नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति;
- अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत वेतन बोर्ड के लिए श्रमजीवी पत्रकारों के 3 प्रतिनिधि और धारा 13 ग के अंतर्गत वेतन बोर्ड के लिए गैर–पत्रकार समाचार पत्र के कर्मचारियों के 3 प्रतिनिधि;

- चार स्वतंत्र व्यक्ति, जिनमें से एक व्यक्ति उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो होना चाहिए और जिसे वेतन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

5-15 इस अधिनियम में वेतन बोर्डों के गठन हेतु अवधियों का उल्लेख नहीं है। विगत में, ऐसे कर्मचारियों हेतु वर्ष 1956, 1963, 1975, 1985,1994 और 2007 में वेतन बोर्डों का गठन किया गया था।

5-16 सरकार ने श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा शर्ते) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 की धारा क्रमशः 9 और 13–ग के अंतर्गत भारत के राजपत्र (असाधारण) में सां.आ. संख्या 809–(अ) और 810(अ) दिनांक 24.05.2007 की अधिसूचनाओं द्वारा दो वेतन बोर्डों का गठन किया है– एक श्रमजीवी पत्रकारों के लिए और दूसरा गैर पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए। वेतन बोर्डों को अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करने के लिए तीन वर्षों का समय दिया गया था। ये वेतन बोर्ड नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय से कार्य कर रहे थे।

5-17 सरकार ने श्रमजीवी पत्रकारों और गैर पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों हेतु वेतन बोर्डों के साथ परामर्श करते हुए 24.10.2008 की अधिसूचना संख्या सां.आ. संख्या 2524(अ) और सां.आ. 2525 (अ) द्वारा 08.01.2008 से मूल वेतन के 30% की दर से पत्रकारों और समाचार एजेंसी कर्मचारियों के लिए वेतन की अंतरिम दरें अधिसूचित की हैं।

5-18 सरकार ने न्यायमूर्ति के. नारायण कुरुप के स्थान पर, जिन्होंने 31.07.2008 को त्यागपत्र दे दिया था, मुम्बई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.आर. मजीठिया को साझा एक श्रमजीवी पत्रकारों के लिए और दूसरा गैर–पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए दोनों ही वेतन बोर्डों का अध्यक्ष नियुक्त किया। न्यायमूर्ति जी.आर. मजीठिया ने 04.03.2009 को कार्यभार ग्रहण किया।

5-19 केन्द्र सरकार ने दिनांक 02.06.2010 की अधिसूचना सा.आ. 1304(अ) तथा सा.आ. 1305 (अ) द्वारा श्रमजीवी पत्रकार तथा अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें) तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 9 तथा 13 ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रमजीवी पत्रकारों तथा गैर–पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए न्यायमूर्ति मजीठिया की अध्यक्षता में वेतन बोर्डों का कार्यकाल 31.12.2010 तक बढ़ा दिया है ताकि 31.12.2010 को अथवा उससे पहले वेतन बोर्डों की सिफारिशों को अंतिम रूप दिया जा सके।

5-20 वेतन बोर्डों ने सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट दिनांक 31.12.2010 को प्रस्तुत कर दी। मंत्रिमंडल ने 25.10.2011 को आयोजित अपनी बैठक में समाचार पत्र प्रतिष्ठानों एवं न्यूज एजेंसियों के श्रमजीवी पत्रकारों एवं गैर–पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए वेतन बोर्डों की सिफारिशों को स्वीकार करने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया, जैसा कि दिनांक 07.10.2011 की इस मंत्रालय की मंत्रिमंडल टिप्पणी में शामिल है।

5-21 मजीठिया वेतन बोर्डों की सिफारिशें, सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं और सरकारी राजपत्र में सां.आ. सं.2532(अ) दिनांक 11.11.2011 द्वारा अधिसूचित की गई हैं। चूंकि कार्यान्वयन भाग राज्य–सरकारों/संघ राज्य–क्षेत्रों में विहित है, अधिसूचना की प्रतियां इसके कार्यान्वयन के अनुरोध सहित सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दी गई हैं।

5-22 इसी बीच एबीपी प्रा.लि. बनाम भारत संघ तथा अन्य के मामले में 2011 में दायर रिट याचिका सं.246 तथा अन्य 11 रिट याचिकाएं जो अन्य समाचार–पत्र नियोजकों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की थीं, मजीठिया वेतन बोर्डों के गठन एवं सिफारिशों को चुनौती देती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2011 की उक्त रिट याचिका संख्या 246 में दिनांक 07.02.2014 के अपने निर्णय में निदेश दिया है कि सभी रिट याचिकाएं समाप्त कर दी गई हैं और यथा संशोधित/निर्धारित वेतन 11.11.2011 से देय होंगे जब भारत सरकार ने मजीठिया वेतन बोर्डों की सिफारिशें अधिसूचित की थीं। मार्च, 2014 तक के सभी बकायों का भुगतान सभी पात्र व्यक्तियों को 07.02.2014 से एक वर्ष की अवधि के अंदर चार बराबर किस्तों में किया जाएगा तथा अप्रैल, 2014 से संशोधित वेतन का भुगतान करते रहेंगे।

5-23 चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों का पालन नहीं किया गया था, इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2011 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 246 में दायर अवमानना याचिका (सिविल) सं. 411/2014 में अपने दिनांक 28 अप्रैल, 2015 के अपने आदेश के माध्यम से निदेश जारी किए हैं कि सभी राज्य सरकारें अपने–अपने मुख्य सचिवों के माध्यम से कार्य करते हुए दिनांक 28.04.2015 से चार सप्ताह के भीतर, श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम, 1955 की धारा 17 ख के अंतर्गत निरीक्षकों की नियुक्ति यह निर्धारण करने के लिए करें कि क्या मजीठिया वेतन बोर्ड अवार्ड के अंतर्गत पत्रकारों सहित समाचार पत्र कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के समाचार पत्र कर्मचारियों को देय राशियों एवं हकदारियों का क्रियान्वयन उसके निबंधनों के अनुसार कर लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए निरीक्षक अधिनियम द्वारा यथा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उपर निर्दिष्ट मामले में सटीक निष्कर्षों को दर्शाते हुए प्रत्येक राज्य के श्रम आयुक्तों के माध्यम से अपनी रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रस्तुत करेंगे। यह अधिनियम की धारा 17ख के अंतर्गत नियुक्ति की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर किया जाएगा। इसकी सूचना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 8 जुलाई,2015 को अनुपालनार्थ दी गयी थी।

5-24 अधिसूचना के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु, केन्द्रीय स्तर की मोनीटरिंग समिति प्रधान श्रम एवं रोजगार सलाहकार की अध्यक्षता में गठित की गई है। इस समिति की पहली बैठक 24.09.2012 को 7 दक्षिणी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए हैदराबाद में की गई थी। अभी तक देश के विभिन्न क्षेत्रों में केन्द्रीय स्तर की मोनीटरिंग समिति की छः बैठकें हो चुकी हैं। n'k e oru ckM vokM d fØ;kUo;u dh leh{kk gr lHkh jkT;k@l?k jkT; {k=k dk 'kkfey djr g, fnukd 16-10-2015 dk ubl fnYyh e lfefr dh ,lh lkroh cBd vk;kftr dh x;h FkhA

ckul lnk; vf/kfu;e] 1965

5-25 बोनस संदाय अधिनियम, 1965 20 अथवा उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले कतिपय प्रतिष्ठानों में लाभ अथवा उत्पादन अथवा उत्पदाकता और उससे जुड़ी बातों के आधार पर, उनमें नियोजित व्यक्तियों को बोनस के भुगतान का प्रावधान करता है।

2-26 अधिनियम की धारा, 10 के अंतर्गत प्रत्येक उद्योग और प्रतिष्ठान द्वारा 8.33% की दर से न्यूनतम बोनस संदेय है। किसी लेखाकरण–वर्ष में दिया जा सकने वाले उत्पादकता से जुड़े बोनस सहित न्यूनतम बोनस, अधिनियम की धारा 31–क के अंतर्गत किसी कर्मचारी के वेतन/मजदूरी के 20% से अधिक नहीं होगा।

5-27 बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के अंतर्गत दो अधिकतम सीमाएं उपलब्ध हैं। धारा 2(13) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सीमा जो अधिनियम के अंतर्गत किसी पात्र कर्मचारी को परिभाषित करती है, को सामान्यतः पात्रता सीमा के रूप में जाना जाता है। इसी तरह, धारा 12 के अंतर्गत बोनस की संगणना हेतु निर्धारित सीमा को गणना सीमा के रूप में जाना जाता है। मूल्य वृद्धि और वेतन संरचना में बढ़ोतरी से मेल बिठाने हेतु दोनों सीमाओं को संशोधित किया जाता है। वर्षों से हुए दो सीमाओं के संशोधन निम्नानुसार हैः–

Ø-l¡-	l¡'kk/ku o"kZ	ik=rk lhek ¼#i;s çfr ekg½	x.kuk lhek ¼#i;s çfr ekg½
1.	1965	1,600	7,50
2.	1985	2,500	1,600
3.	1995	3,500	2,500
4.	2007	10,000	3,500
5.	2016 (01.04. 2014 से प्रभावी)	21,000	7,000 प्रतिमाह अथवा समुचित सरकार द्वारा यथा निर्धारित, अनुसूचित नियोजन के संबंध में न्यूनतम मजदूरी, इनमें से जो भी उच्चतर हो वह।

5-28 बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2015 जिसे दिनांक 1.1.2016 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था और 01.04.2014 से प्रचालन में लाया गया था, उक्त संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए देशभर में विभिन्न प्रतिष्ठानों ने रिट याचिकाएं दायर की हैं। मंत्रालय ने यह अभिमत लिया है कि ये सभी मामले संविधान के अनुच्छेद 139 क के अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय को अंतरित कर दिए जाएं।

सभी राज्यों में 1.10.2016 की स्थिति के अनुसार न्यनूतम मजदूरी दरों की श्रेणी–वार सीमा (अनंतिम) (तालिका 5.1)

Ø- l¡-	jkT;@l?k jkT; {ks=	Js.kh							
		vd'ky		v/kZd'ky		d'ky		vfrd'ky	
		U;w-	vf/k-	U;w-	vf/k-	U;w-	vf/k-	U;w-	vf/k-
	dsUæh; {ks=	214.00	374.00	219.00	414.00	238.00	456.00	259.00	495.00
1	vka/kz çns'k	145.88	–	–	–	–	–	–	895.83
2	v#.kkpy çns'k	150.00	170.00	160.00	180.00	170.00	190.00	–	–
3	vle	240.00	–	280.00	–	350.00	–	450.00	–
4	fcgkj	181.00	197.00	188.00	206.00	232.00	251.00	282.00	308.00
5	NÙkhlx<	163.00	252.00	210.00	257.00	218.00	265.00	272.00	275.00
6	xksok	215.00	307.00	217.00	307.00	223.00	307.00	233.00	307.00
7	xqtjkr	150.00	276.00	276.00	284.00	284.00	293.00	–	–
8	gfj;k.kk	292.31	292.31	306.92	322.27	338.38	355.30	373.07	373.07
9	fgekpy çns'k	180.00	185.55	188.47	197.00	216.52	224.17	237.12	284.50
10	tEew&d'ehj	150.00	150.00	175.00	175.00	225.00	225.00	–	–
11	>kj[k.M	221.61	237.44	232.16	253.27	306.03	327.14	353.52	369.90

12	dukVd	182.39	289.74	188.39	304.74	210.86	329.74	213.06	332.96
13	dqjy	275.46	548.70	–	–	–	–	–	–
14	e/; çn'k	193.00	263.00	257.00	349.00	303.00	398.00	296.00	399.00
15	egkjk"V	180.00	315.49					–	–
16	e?kky;	170.00	170.00	181.00	181.00	191.00	191.00	212.00	212.00
17	ef.kiqj	122.10	122.10	129.97	129.97	132.60	132.60	–	–
18	fetkje	270.00	270.00	300.00	300.00	370.00	370.00	460.00	460.00
19	ukxkySM	115.00	115.00	125.00	125.00	135.00	135.00	145.00	145.00
20	vkfM'kk	200.00	200.00	220.00	220.00	240.00	240.00	260.00	260.00
21	iatkc	267.13	277.13	297.13	297.13	331.63	331.63	371.33	371.33
22	jkt LFkku	197.00	197.00	207.00	207.00	217.00	217.00	267.00	267.00
23	flfDde	220.00	220.00	242.00	242.00	275.00	275.00	319.00	319.00
24	rfeyukMq	146.00	455.60	–	–	–	–	–	–
25	f=ipqjk	142.46	346.15	162.81	375.00	184.96	403.85	280.00	405.42
26	mÙkjk[kM	200.00	272.12	231.54	291.54	235.31	310.96	249.23	356.35
27	mÙkj çn'k	161.00	211.67	233.33	300.71	261.33	354.67	299.17	418.83
28	if'pe cxky	211.00	278.00	232.00	306.00	255.00	337.00	370.00	–
29	vMeku ,oa fudkckj }hi leg	282.00	312.00	294.00	330.00	307.00	381.00	328.00	392.00
30	pMhx<	316.15	316.15	322.00	326.00	333.46	342.11	358.00	358.00
31	nknjk vkj ukxj gosyh	268.20	268.20	276.20	276.20	284.20	284.20	–	–
32	neu vkj nho	268.20	268.20	276.20	276.20	284.20	284.20	–	–
33	fnYyh	331.00	368.00	366.00	407.00	402.00	447.00	–	–
34	y{;}hi	255.20	255.20	280.50	280.20	305.20	305.20	335.20	335.20
35	iqMqpjh	55.00	255.00	–	–	–	–	–	–
36	rsyaxkuk	69.27	363.26						

आंकड़े अभी प्राप्त किए जाने हैं। जम्मू और कश्मीर के संबंध में 31.12.2013 की स्थिति के अनुसार मजदूरी की दरों को दर्शाते आंकड़े। असम और पश्चिम बंगाल राज्यों के अकुशल श्रेणी हेतु दर्शायी गयी न्यूनतम मजदूरी में चाय बागान की दरें शामिल नहीं हैं।

2015–16 के दौरान केन्द्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी (सीआईआरएम) द्वारा मजदूरी कानूनों के प्रावधानों का प्रवर्तन

Ø-l-	vf/kfu;e dk uke	fd, x, fujh{k.kk dh l[;k	nj dh xbl vfu;feÙkk,	vkjHk fd, x, vfHk;ktu	nk"k flf) ;k ¼ekeyk dh l[;k½	n t l nko
1	मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936					
(i)	खान	1353	13734	216	258	69
(ii)	रेलवे	153	1939	0	3	34
(iii)	वायु परिवहन सेवा	122	621	10	20	0
2	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948	9803	46467	1549	1476	743

वर्ष 2014–15 के दौरान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रवर्तन संबंधी ब्यौरे

Ø-l-	jkT;@la?k jkT; {ks=	fd, x, fujh{k.k	vfu;feÙkk,a		nkos		vfHk;kstu ekeys			çnku dh xbZ çfrifrZ dh jkf'k ¼^000 #-½	tqekZuk dh jkf'k ¼*000 #i;s½	
			ikbZ xbZ	nwj dh xbZ	nk;j	fuiVk, x,	yafcr	nk;j	fu.khZr		vf/kjkfir	olwyh xbZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
dsUæh; {ks=												
		6497	68376	86765	2167	2432	52583	3566	2694	59856.881	30526.71	35892.24
jkT; {ks=												
1	आंध्र प्रदेश*											
2	अरुणाचल प्रदेश*											
3	असम*											
4	बिहार	71103	21862	20387	7241	5314	2843	371	41	5293.698	4288.440	
5	छत्तीसगढ़*											
6	दिल्लीप*											
7	गोवा											
8	गुजरात	131738	37751	25610	123	0	45786	1885	775	831	296	176
9	हरियाणा*											
10	हिमाचल प्रदेश*											
11	झारखंड*											
12	जम्मू एवं कश्मीर*											
13	कर्नाटक*											
14	केरल*											
15	मध्य प्रदेश*											
16	महाराष्ट्र	20986	18106	13133	30	5	1564	311	126		225	1
17	मणिपुर*											
18	मेघालय*											
19	मिजोरम*											
20	नागालैण्ड*											
21	ओडिसा	18349	15570	10416	80	2	1243	558	16	छ. I.	3.000	शून्य
22	पंजाब*											
23	राजस्थान*											
24	सिक्किम*											
25	तमिलनाडू	136602	190	85	819	562	3738	234	889	30897	73	12
26	तेलंगाना											
27	त्रिपुरा*											
28	उतराखंड	1591	763	172	25	–	418	174	248	–	681	681
29	उत्तर प्रदेश*											
30	पश्चिम बंगाल*											
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	181	1438	1438	–	–	1	–	6	–	9.9	–
32	चंडीगढ़*											
33	दादरा एवं नागर हवेली*											
34	दमन एवं दीव*											
35	लक्षद्वीप	16633	248	156	–	–	–	–	–	–	–	–
36	पुदुचौरी*											

*सूचना अभी भी प्रतिक्षित है। स्रोतः– केन्द्रीय क्षेत्र हेतु–सीएलसी(सी) का कार्यालय, राज्य क्षेत्र हेतु–राज्य सरकार

अध्याय – 6

सामाजिक सुरक्षा

6-1 भारत में सामाजिक सुरक्षा योजना संगठित श्रम शक्ति के केवल एक छोटे भाग को व्याप्त करती है जिसे ऐसे कामगार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनका संगठन में सीधा नियोक्ता–कर्मचारी संबंध है। भारत में सामाजिक सुरक्षा विधान भारतीय संविधान में यथा –सम्मिलित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से शक्ति तथा भावना प्राप्त करता है। ये केवल नियोक्ता अथवा नियोक्ता तथा कर्मचारी के संयुक्त अंशदान के आधार पर अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा हितलाभ प्रदान करते हैं। जबकि कर्मचारी को सुरक्षात्मक पात्रता उपार्जित होती है, अनुपालन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से नियोक्ता के पास रहती है।

lkekftd lqj{kk dkuu

6-2 भारत में संगठित क्षेत्र के लिए अधिनियमित मूल सामाजिक सुरक्षा कानून हैः

- कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, 1948;
- कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (कोयला खदानों तथा असम राज्य में चाय बागानों में कार्यरत श्रमिकों तथा नाविकों के लिए पृथक भविष्य निधि विधान अस्तित्व में है)
- कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923
- प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
- उपदान भुगतान अधिनियम, 1972

lkekftd lqj{kk vf/kfu;e dk ç'kklu

6-3 कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के प्रावधानों को अनन्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। क.रा.बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत नकद हितलाभ को केंद्र सरकार द्वारा क.रा.बी. निगम के माध्यम से प्रशासित किया जा रहा है जबकि राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन क.रा.बी. निगम के साथ क.रा. बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत प्रशासित कर रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम 1952 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से भारत सरकार द्वारा प्रशासित किया जाता है। खदान तथा सर्कस उद्योग में प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 के प्रावधान को केंद्र सरकार द्वारा मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्र) तथा कारखानों, बागानों तथा अन्य प्रतिष्ठानों में राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित किए जा रहे हैं। उपदान भुगतान अधिनियम 1972 को केंद्र सरकार द्वारा अपने नियंत्रणाधीन, एक से अधिक राज्य में शाखाओं वाले प्रतिष्ठान, मुख्य पोर्ट, खदान, तेल–क्षेत्र तथा रेल कंपनियां प्रतिष्ठान तथा अन्य सभी मामलों में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रशासित किया जाता है। यह अधिनियम कारखानों तथा अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू होता है।

deZpkjh çfrdj vf/kfu;e 1923

6-4 अधिनियम का मुख्य उद्देश्य रोजगार से बाहर तथा के दौरान दुर्घटना के लिए श्रमिकों को क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए नियोक्ताओं पर दायित्व डालती है।

6-5 अधिनियम कारखानों, खदानों, बागानों, यंत्र चालित वाहनों, निर्माण कार्यों तथा अन्य निश्चित जोखिम वाले व्यवसायों पर लागू होता है। अधिनियम कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को रोजगार के दौरान चोट तथा दुर्घटना (निश्चित व्यवसायिक रोग सहित) की स्थिति तथा परिणामस्वरूप अपंगता अथवा मृत्यु की स्थिति में क्षतिपूर्ति प्रदान करता है।

gdnkjh

6-6 कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम की धारा 2(1)(घघ) के अंतर्गत 'कर्मचारी' होने के लिए, प्रथमतः एक व्यक्ति को नियोक्ता व्यापार अथवा व्यवसाय के लिए कार्यरत होना चाहिए; तथा अंततः जिस क्षमता से वह कार्य करता है अधिनियम की अनुसूची II की तालिका में होना चाहिए।

fgr ykHk

6-7 मृत्यु के मामले में क्षतिपूर्ति की दर दिवंगत कर्मकार की मासिक मजदूरी के 50% की प्रासंगिक आंकड़े से गुणा करने पर प्राप्त राशि या 1,20,000/– की राशि जो भी अधिक हो, के बराबर होगी। चोट के कारण स्थायी पूर्ण अपंगता के मामले में क्षतिपूर्ति, चोटग्रस्त कर्मकार की मासिक मजदूरी के 60 प्रतिशत को प्रासंगिक आंकड़े से गुणा करने पर प्राप्त राशि या 1,40,000/– की राशि, जो भी अधिक हो, के बराबर होगी।

ç'kklu

6-8 राज्य सरकारें निर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए नियुक्त आयुक्तों के माध्यम से इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रशासित करती है। अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार भी नियम बनाती है।

6-9 संबंधित मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सुझावों तथा श्रम पर दूसरी राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम में दिसंबर 2009 में कुछ संशोधन किए गए हैं।

deZpkjh jkT; chek vf/kfu;e] 1948

0;kfIr

6-10 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 दस या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले कारखानों पर लागू होता है। इस अधिनियम के उपबंध चरणबद्ध ढंग से क्षेत्रवार लागू किए जा रहे हैं। इस अधिनियम में एक समर्थकारी उपबंध शामिल है जिसके अंतर्गत 'उपयुक्त सरकार' को इस अधिनियम के उपबंधों को स्थापनाओं की अन्य श्रेणियों औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषि या अन्यथा तक विस्तार किए जाने की शक्ति प्रदान की गई है। इन उपबंधों के अंतर्गत राज्य सरकारों ने अधिनियम के उपबंधों का 10 या इससे अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाली दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंटों, पूर्वदर्शन थियेटरों सहित सिनेमा, सड़क, मोटर परिवहन उपक्रमों, समाचार पत्र, स्थाप. नाओं, शैक्षिक तथा चिकित्सा संस्थाओं तक विस्तार किया है। इक्कीस राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने दुकानों और स्थापनाओं की व्याप्ति हेतु व्यक्तियों की संख्या घटाकर 10 या उससे अधिक व्यक्ति कर दी है। अधिनियम के अंतर्गत व्याप्त कारखानों और स्थापनाओं के कर्मचारी जो कि 21,000/– प्रतिमाह की मासिक आय आहरित कर रहे हैं तथा 25,000/– प्रतिमाह आहरित करने वाले अपंग व्यक्ति योजना के

अंतर्गत व्याप्त हैं। क.रा.बी. योजना अब 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित 843 केंद्रों में संचालित है। दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार 2.13 करोड़ बीमाकृत व्यक्ति और करीब 8.28 करोड़ लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत व्याप्त हैं। वर्ष के अंत तक व्याप्त कारखानों और स्थापनाओं की संख्या 7.83 लाख तक पहुँच गई थी।

ç'kklu

6-11 क.रा.बी. योजना एक सांविधिक निकाय अर्थात् कर्मचारी राज्य बीमा निगम (क.रा.बी. निगम) द्वारा प्रशासित होती है। इसके सदस्यों में नियोक्ताओं, कर्मचारियों, केन्द्र तथा राज्य सरकारों, चिकित्सा व्यवसाय तथा संसद के प्रतिनिधि शामिल हैं। केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री इसके अध्यक्ष हैं। निगम के सदस्यों में से गठित एक स्थायी समिति इस योजना के प्रशासन के लिए अधिशासी निकाय के रूप में कार्य करती है। इसकी अध्यक्षता सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार करते हैं। इसमें 24 क्षेत्रीय बोर्ड और 323 स्थानीय समितियां अस्तित्व में हैं। महा. निदेशक निगम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं तथा वे निगम के साथ–साथ स्थायी समिति के भी पदेन सदस्य हैं। क.रा.बी. निगम का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। निगम के देशभर में 63 फील्ड कार्यालय 24 क्षेत्रीय कार्यालय, 37 उप क्षेत्रीय कार्यालय, 1 प्रभागीय कार्यालय तथा 2 शिविर कार्यालय हैं। इसके अतिरिक्त बीमाकृत व्यक्तियों को नकद हितलाभ प्रदान करने हेतु 628 शाखा कार्यालय तथा 185 भुगतान कार्यालय हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त 3 संपर्क कार्यालय हैं। नए कारखानों/स्थापनाओं के निरीक्षण और व्याप्ति हेतु देशभर में 428 निरीक्षण कार्यालय भी खोले गए हैं।

;kstuk dh fuf/k vkj çpkyu

6-12 क.रा.बी. योजना मुख्यतः नियोक्ताओं और कर्मचारियों के अंशदान द्वारा वित्त पोषित है। नियोक्ताओं और कर्मचारियों के अंशदान के हिस्से की दरें उनकी मजदूरी का क्रमशः 4.75% तथा 1.75% हैं। निगम ने राज्य सरकार के लिए चिकित्सा देखरेख व्यय के संबंध में प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित की है जो कि वर्तमान में 3,000 प्रति बीमाकृत व्यक्ति परिवार इकाई प्रतिवर्ष है। चिकित्सा देखरेख पर खर्च को क.रा. बी. निगम और राज्य सरकार के मध्य 7:1 अनुपात में बांटा जाता है। क.रा.बी. अस्पतालों और अन्य भवनों के अनुरक्षण सहित उनके निर्माण पर सभी पूंजीगत व्यय का वहन पूरी तरह निगम द्वारा किया जाता है।

fuos'k

6-13 क.रा.बी. अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त सभी अंशदान तथा उस निधि से संबंधित सभी अन्य राशियों जिनकी दिन–प्रतिदिन के व्ययों को चुकाने के लिए तुरंत आवश्यकता नहीं होती, का क.रा.बी. (केन्द्रीय) नियमावली के अंतर्गत निर्धारित रीति से निवेश किया जाता है। दिनांक 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार निधि का कुल निवेश 49,357.63 करोड़ रुपये था। इसमें से 12,449.90 करोड़ की राशि केन्द्र सरकार के विशेष जमा खाते में निवेश की गई तथा 36,407.73 करोड़ की शेष राशि का निवेश राष्ट्रीयकृत बैंकों के सावधि जमा में कर दिया गया।

d-jk-ch- n;k dk cdk;k

6-14 दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार 2249.96 करोड़ की राशि व्याप्त कारखानों/स्थापनाओं

के नियोक्ताओं द्वारा चूक किए जाने के कारण बकाया थी। इसमें से 1273.43 करोड़ की राशि वर्तमान में विभिन्न कारणों जैसे कारखानों का परिसमापन में चले जाने, नियोक्ताओं का अता–पता नहीं होने, न्यायालयों में वसूली विवादित होने इत्यादि के कारण वसूली योग्य नहीं है। 976.53 करोड़ की राशि वसूली योग्य बकाया है। क.रा.बी.निगम देयों की वसूली के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के विभिन्न उपबंधों तथा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत वसूली तंत्र, कानूनी और दंडात्मक कार्रवाइयों द्वारा आवश्यक वसूली कार्रवाई कर रहा है।

d-jk-ch- ;kstuk d varxZr LokLF; rFkk udn fgrykHk

6-15 चिकित्सा देखभाल के अलावा, क.रा.बी. योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को नकद हितलाभ का व्यूह भी प्रदान किया जाता है। यह बीमारी, अस्थायी अथवा स्थायी अपंगता के परिणामस्वरूप अर्जन क्षमता की क्षति, बीमाकृत महिला के संबंध में प्रसूति आदि के के समय में देय है। बीमाकृत व्यक्तियों जिनकी मृत्यु दुर्घटना अथवा व्यावसायिक बीमारी द्वारा रोजगार चोट से हुई है उन पर आश्रितजन मासिक भुगतान अर्थात आश्रित हितलाभ के हकदार होते हैं।

6-16 निगम द्वारा उन क्षेत्रों में जहां योजना संचालित है, नकद हितलाभ भुगतान स्थापित शाखा कार्यालयों तथा भुगतान कार्यालयों पर किया जाता है। क.रा.बी. योजना के अंतर्गत नकद हितलाभ की सूची निम्नानुसार है:–

- chekjh fgrykHk
  - √ वर्धित बीमारी हितलाभ
  - √ विस्तारित बीमारी हितलाभ
- vikxrk fgrykHk
  - √ अस्थायी अपंगता हितलाभ
  - √ स्थायी अपंगता हितलाभ
- vkfJrtu fgrykHk
- ekr`Ro fgrykHk
- fpfdRlk fgrykHk
- vU; fgrykHk
  - √ प्रसव व्यय
  - √ अंत्येष्टि व्यय
  - √ व्यावसायिक पुनर्वास
  - √ शारीरिक पुनर्वास
  - √ बेरोजगारी भत्ता (रा.गां.श्र.क.योजना)
  - √ रा.गां.श्र.क.योजना के अंतर्गत कौशल उन्नयन प्रशिक्षण

fpfdRlk n[kHkky

6-17 योजना से बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से अति विशिष्टता उपचार की यथोचित चिकित्सा सुविधाएं

प्रदान की जाती है। दिल्ली तथा नोएडा में छोड़कर राज्य सरकारों द्वारा योजना के अंतर्गत चिकित्सा देखभाल प्रशासित की जाती है। निगम lkj.kh 6-1 में दिए ब्योरे के अनुसार विभिन्न राज्यों में 5 व्यवसायजन्य रोग केन्द्र (ओ.डी.सी.) अस्पतालों सहित दिनांक 31.03.2015 को 36 अस्पताल सीधे संचालित कर रहा है।

deZpkjh Hkfo"; fuf/k vkj çdh.kZ mica/k vf/kfu;e] 1952

6-18 कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 फैक्टरियों और अन्य स्थापनाओं में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए भविष्य निधियों, पेंशन निधि और निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि गठित करने के उद्देश्य हेतु कल्याणकारी कानून अधिनियमित है। अधिनियम का लक्ष्य औद्योगिक कर्मचारियों और उसके परिवारों को जब वे संकट में हों और/या परिवार और सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करने में असमर्थ हो और वृद्धावस्था में उनकी रक्षा के लिए, अशक्तता, कमाने वाले की जल्द मृत्यु और अन्य कोई आकस्मिक व्यय होने पर सामाजिक सुरक्षा और समय पर आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

6-19 वर्तमान में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.भ.नि.सं.) के माध्यम से अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित तीन योजनाएं परिचालित हैः

- कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952
- कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976
- कर्मचारी पेंशन योजना, 1995

LFkkiukvksa ,o lnL;ksa dk dojst

6-20 वर्तमान में, अधिनियम 20 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाली और केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित कोई भी गतिविधि या अधिनियम की अनुसूची–I में निर्दिष्ट 190 विनिर्दिष्ट उद्योगों/स्थापनाओं के वर्गों पर लागू है। अनिवार्य कवरेज हेतु प्रावधान के अतिरिक्त अधिनियम की धारा 1(4) के अंतर्गत स्वैच्छिक कवरेज का भी प्रावधान है। दिनांक 31.03.2016 तक, छूट प्राप्त एवं अछूट प्राप्त दोनों क्षेत्रों में, क.भ.नि. योजना के अंतर्गत 1714.14 लाख की सदस्यता के साथ 9,26,297 स्थापनाएं और फैक्टरियां अधिनियम के अंतर्गत कवर्ड की गई। दिनांक 01.09.2014 से किसी कर्मचारी जिसका वेतन रू. 15000/– तक हो, को कवर्ड स्थापना में कार्यभार ग्रहण करने पर निधि का सदस्य बनना होगा।

cdk;k çcU/ku

6-21 31 मार्च, 2016 को रू. 6,185.08 करोड़ सभी योजनाओं के अंतर्गत बकाया थे। इसमें से 62.36% न्यायालयों द्वारा अवरोधित और जहां न्यायालयों द्वारा रोक लगाई गई है, के कारण तुरंत वसूली योग्य नहीं श्रेणी से संबंधित है। बकाया की वसूली के लिए, क.भ.नि. संगठन कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 8 के प्रावधानों के अंतर्गत विभिन्न कार्रवाइयां करता है। वह अवसूलनीय श्रेणी के अंतर्गत बकाया की वसूली हेतु रोक आदेश को हटाने के लिए कदम उठाता है। वह अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत चूककर्त्ता नियोक्ताओं के विरूद्ध अभियोजन की भी कार्यवाही शुरू

करता है और यदि नियोक्ता कर्मचारियों के अंशदान के भाग को काटते है परंतु उसे निधि में जमा नहीं करते है तो उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत अभियोजित करता है। वर्ष 2015–16 के दौरान, छूट प्राप्त एवं अछूट प्राप्त दोनों क्षेत्रों की स्थापनाओं के अंतर्गत कुल 8,464.37 करोड़ के बकाये में से रू. 2,279. 29 करोड़ की राशि वसूल की गई।

lnL;k dk lok

6-22 कर्मचारी भविष्य निधि योजना का सदस्य नौकरी छोड़ने पर उसके खाते में पड़ी राशि ब्याज सहित निकालने का पात्र है। वर्ष 2015–16 के दौरान, 54.27 लाख क.भ.नि. दावे निपटाए गए। योजना बीमारी, अशक्तता जैसी आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए और सामाजिक दायित्वों जैसे स्वयं/बच्चों का विवाह या बच्चों की उच्च शिक्षा और घर के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता हेतु भविष्य निधि खाते से आंशिक प्रत्याहरण भी उपलब्ध कराता है। वित्तीय वर्ष के अंत में सदस्य वार्षिक लेखा विवरणी प्राप्त करने का भी पात्र होता है जिसमें उसके शेष की जानकारी होती है। वर्ष 2015–16 के दौरान, 1,732.19 लाख वार्षिक लेखा विवरणियां जारी की गई।

delpkjh fu{ki lgc) chek ;ktuk] 1976

6-23 कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 (क.नि. स.बी.यो.) सभी फैक्ट्रियों/स्थापनाओं पर 1 अगस्त, 1976 से लागू है। सभी कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि योजना के सदस्य होते हैं, उन्हें इस योजना का सदस्य बनना भी आवश्यक होता है। नियोक्ताओं को बीमा निधि में वेतन अर्थात् मूल वेतन, मंहगाई भत्ता जिसमें भोजन रियायत एवं प्रतिहारण भत्ता शामिल है, यदि कोई है, का 0.5 प्रतिशत की दर से अंशदान करना आवश्यक होता है। इस योजना के पैरा 22 के अंतर्गत किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर दिए जाने वाले लाभों को 20% और बढ़ाया गया है। वर्ष 2015–16 के दौरान, नियोक्ताओं के अंशदान के रूप में 1,231.92 करोड़ रूपए की राशि जमा की गई। वर्ष 2015–16 के दौरान, 32,956 क.नि.स.बी. दावों का निपटान किया गया। 2015–16 के अंत में, क.भ.नि.सं. के पास इस योजना के अंतर्गत 17,992.05 करोड़ रूपए का संचित निवेश था।

delpkjh isa'ku ;ktuk] 1995

6-24 कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 16.11.1995 से लागू हुई। पेंशन योजना के शुरू होने से पूर्ववर्ती कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 बंद हो गई। हालांकि जो पेंशनभोक्ता पूर्ववर्ती कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे थे, वे कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत परिवार पेंशन प्राप्त करते रहेंगे।

;ktuk dk vrxr ykHk

6-25 कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत सदस्यों एवं उनके परिवारों को निम्नलिखित लाभ उपलब्ध हैं:

- मासिक सदस्य पेंशन
- अशक्तता पेंशन
- विधवा/विधुर पेंशन
- बाल पेंशन
- अनाथ पेंशन
- अशक्त बाल/अनाथ पेंशन

- नामिति पेंशन
- आश्रित पेंशन
- आश्रित अभिभावकों को पेंशन
- प्रत्याहरण लाभ

6-26 कर्मचारी भ.नि. संगठन द्वारा वर्ष 2015–16 के दौरान निपटाए गए पेंशन दावों (सभी लाभ) का श्रेणी–वार ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

nkos dh Js.kh	fuiVk, x, nkoksa dh la[;k
मासिक पेंशन लाभ (10ए+10डी)	3.85 लाख
मासिक पेंशन के अलावा (10बी+10सी)	45.97 लाख
सेवानिवृत्ति सह प्रत्याहरण लाभ	
कुल	49.82 लाख

i'ku fuf/k esa va'knku

6-27 इस योजना का वित्त पोषण केन्द्र सरकार द्वारा नियोक्ता के भाग के भविष्य निधि अंशदान के 8.33% तथा कर्मचारियों के मूल वेतन के 1.16% की दर से अंशदान में किया जाता है। समाप्त की गई कर्मचारी परिवार पेंशन निधि की समग्र राशि पेंशन निधि का संग्रह बना है। वर्ष 2015–16 के दौरान, रू. 32,057.08 करोड़ रू. पेंशन निधि अंशदान के रूप में प्राप्त हुए, जिसमें से रू. 29,026.88 करोड़ रू. नियोक्ताओं के भाग के रूप में प्राप्त हुए और 3,030.20 करोड़ रू. का अंशदान केन्द्र सरकार द्वारा किया गया। 2015–16 के अंत में, क.भ.नि.सं. के पास क.पें.यो. के अंतर्गत रू. 2,77,077.20 करोड़ का संचयी निवेश था।

i'ku ykHkkFkhZ

6-28 पूर्ववर्ती कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 के लाभार्थी नई कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करते रहेंगे। 31.03.2016 को 37]83]251 सदस्य, 9]30]372 पति/पत्नी, 23]038 माता–पिता, 5]74]137 संतान, 36]925 अनाथ तथा 10]058 नामिति पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे थे। वर्ष के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा डाक घरों के माध्यम से पेंशनभोक्ताओं के मध्य कुल संवितरित राशि :- 8]263-04 करोड़ थी।

çlfr çlqfo/kk vf/kfu;e] 1961

6-29 अधिनियम, सितंबर 1961 में पारित किया गया और 12 दिसंबर, 1961 को इसे सहमति मिली। यह अधिनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कवर किए गए कर्मचारियों को छोड़कर फैक्टरियों, खदानों, सर्कस उद्योग, बागान इकाइयों तथा दुकानों और स्थापनाओं जिनमें 10 अथवा उससे अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं, में काम करने वाली महिलाओं के रोजगार को, प्रसूति के लिए जन्म से कुछ पूर्व तथा बाद की अवधि के लिए विनियमित करता है तथा मातृत्व व अन्य लाभों का प्रावधान करता है। यह सिक्किम राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होता है। यह महिला कामगारों को मातृत्व अवकाश तथा कुछ विशेष भौतिक लाभों का प्रावधान करता है बशर्ते कि वे गर्भावस्था के कारण रोजगार से बाहर रहने पर कुछ विशेष शर्तों को पूर्ण करती हों। गर्भावस्था के कारण उनकी अनुपस्थिति की अवधि के दौरान गंभीर कदाचार को छोड़कर महिला कामगार की सेवाएं समाप्त नहीं की जा सकतीं। कोई महिला अधिकतम 12 सप्ताह का मातृत्व लाभ प्राप्त कर सकती है। अधिनियम 2008 में

संशोधित किया गया। अधिनियम के अंतर्गत 19.12. 2011 से रू. 3500/– मेडिकल बोनस के रूप में प्रदान किए जा रहे रहे हैं।

6-30 प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 में संशोधन करके कामकाजी महिलाओं के लिए दो जीवित बच्चों तक मातृत्व लाभ को वर्तमान 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने तथा दो से अधिक संतान होने पर 12 सप्ताह करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। प्रस्तावित संशोधन बिल में गोद लेने वाली तथा कमीशन्ड माताओं के लिए भी प्रावधान है। यह क्रेच तथा घर से काम करने की सुविधा भी प्रदान करता है। संशोधित विधेयक राज्य सभा में पारित हो चुका है तथा लोक सभा द्वारा भी इसे पारित किए जाने की संभावना है।

minku lnk; vf/kfu;e] 1972

mís';

6-31 उपदान संदाय अधिनियम, 1972 फैक्टरियों, खदानों, तेल–खनन क्षेत्रों, बागानों, बंदरगाहों, रेलवे कंपनियों, मोटर यातायात उपक्रमों, दुकानों अथवा स्थापनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को पांच वर्ष तक की सतत् सेवा पूर्ण करने पर अधिवर्षिता, अथवा उसकी सेवानिवृत्ति अथवा त्यागपत्र, अथवा उसकी मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण अशक्त होने अथवा बीमारी के कारण रोजगार समाप्त होने पर उपदान के अनिवार्य भुगतान का प्रावधान करता है। बशर्ते कि पांच वर्षों की सतत् सेवा वहां अनिवार्य नहीं होगी जहां किसी कर्मचारी के रोजगार की समाप्ति मृत्यु अथवा अशक्तता के कारण हुई है। उपदान संदाय अधिनियम 1972 के अंतर्गत उपबंधों के ग्रेचयूटि का भुगतान नियोक्ता की जिम्मेदारी होती है।

dojst

- प्रत्येक कारखानें, खान, तेल क्षेत्र, बागान, पत्तन और रेल कंपनी;
- किसी राज्य में दुकानों और स्थापनाओं के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अर्थ में, प्रत्येक ऐसी दुकान अथवा स्थापना को, जिसमें पूर्ववर्ती बारह मास में किसी दिन दस या अधिक व्यक्ति नियोजित हों अथवा नियोजित थे;
- प्रत्येक मोटर परिवहन उपक्रम जिसमें पूर्ववर्ती बारह मास में किसी दिन 10 अथवा अधिक व्यक्ति नियोजित थे;
- ऐसी अन्य स्थापनाओं अथवा स्थापनाओं के वर्ग को जिसमें पूर्ववर्ती बारह मास में किसी दिन, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, दस या अधिक कर्मचारी नियोजित हों अथवा नियोजित थे;

6-32 वह दुकान अथवा स्थापना जो एक बार कवर्ड हो जाएगी वह निरंतर कवर्ड रहेगी चाहे किसी भी समय नियोजित व्यक्तियों की संख्या दस से कम हो जाए।

ik=rk%

6-33 प्रशिक्षु को छोड़कर प्रत्येक कर्मचारी चाहे उसका वेतन कितना भी क्यों न हो पांच वर्ष अथवा अधिक की निरंतर सेवा करने के पश्चात ग्रेच्यूटी का पात्र होगा।

ग्रेच्यूटि का भुगतान सेवा की समाप्ति (i) अधिवर्षिता अथवा (ii) सेवानिवृत्ति अथवा त्यागपत्र अथवा किसी दुर्घटना अथवा रोग के कारण मृत्यु पर होगा। सेवा की समाप्ति में छटनी भी सम्मिलित है। परंतु पांच वर्ष की निरंतर सेवा की शर्त उस दशा में आवश्यक नहीं होगी जहां किसी कर्मचारी के नियोजन की समाप्ति का कारण उसकी मृत्यु या अशक्तता हो। कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसे दी जाने वाली ग्रेच्युटि उसके नामिति को दी जाएगी एवं यदि नामांकन नहीं किया गया है तो उसके वारिसों को दी जाएगी।

ykHk dh lx.kuk

6-34 नियोजन कर्मचारी को सेवा के प्रत्येक पूरे किए गए वर्ष अथवा छह मास से अधिक के उसके भाग के लिए, कर्मचारी द्वारा सबसे अंत में प्राप्त किए गए वेतन की दर पर आधारित 15 दिनों के वेतन की दर से, ग्रेच्यूटी का भुगतान करेगा। अधिनियम की धारा 4(3) के अनुसार कर्मचारी को देय ग्रेच्यूटी की राशि रू. 10 लाख से अधिक नहीं होगी।

ç'kklu

6-35 अधिनियम का प्रवर्तन केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। धारा–3 समुचित सरकार को अधिनियम के प्रशासन के लिए नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में किसी भी अधिकारी को नियुक्त करने का प्राधिकार देती है। खाने, मुख्य पत्तन, तेल क्षेत्र, रेल कंपनी एवं स्थापनाएं जिनका स्वामित्व अथवा नियंत्रण केंद्र के पास है एवं स्थापनाएं जिनकी शाखाएं एक से अधिक राज्य में है का नियंत्रण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। शेष कारखानों एवं/स्थापनाओं की देख–रेख राज्य सरकारों द्वारा की जाती है।

6-36 अधिनियम के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र/राज्य सरकारें विभिन्न क्षेत्रों के लिए नियंत्रक प्राधिकारियों एवं निरीक्षकों की नियुक्ति करती हैं। केंद्र/राज्य सरकारें अधिनियम के प्रशासन के लिए नियम भी बनाती हैं। महाराष्ट्र में अधिनियम के प्रशासन के लिए विभिन्न स्थानीय न्यायालयों को नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में उपदान संदाय अधिनियम (संशोधन) बिल 2008 को अधिनियम की धारा 2(ई) के अंतर्गत "कर्मचारी" की परिभाषा को संशोधित करने के लिए, उसे 31.12.2009 को अधिसूचित किया गया है जिसका उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों के अध्यापकों को पूर्ववर्ती प्रभाव अर्थात 3 अप्रैल, 1997 से, अर्थात शैक्षणिक संस्थानों को अधिनियम की परिधि में अधिसूचित करने की तिथि से कवर करना था। ग्रेच्यूटी की राशि को रू. 3.50 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने के उद्देश्य से उपदान संदाय अधिनियम 1972 में 24.05.2010 से संशोधन भी किया गया है।

lkj.kh 6-1		
क्र.सं.	jkT;	LFkku
1.	असम	बेलतला
2.	बिहार	फुलवारीशरीफ, पटना
3.	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	रामदरबार, चंडीगढ़
4.	दिल्ली	बसईदारापुर
5.	दिल्ली	झिलमिल
6.	दिल्ली	ओखला
7.	दिल्ली	रोहिणी
8.	गुजरात	बापूनगर, अहमदाबाद
9.	गुजरात	वापी
10.	गुजरात	नरोड़ा
11.	हरियाणा	गुड़गांव
12.	हरियाणा	मानेसर
13.	हरियाणा	फरीदाबाद
14.	हिमाचल प्रदेश	बद्दी
15.	जम्मू एवं कश्मीर	बरी ब्रह्मणा, जम्मू
16.	झारखंड	नामकुम, रांची
17.	झारखंड	आदित्यपुर
18.	कर्नाटक	राजाजीनगर, बेंगलुरु
19.	कर्नाटक	पीन्या
20.	केरल	आश्रमम्, कोल्लम
21.	केरल	उद्योगमंडल
22.	केरल	एषुकोण
23.	केरल	पेरीपल्ली
24.	मध्य प्रदेश	नंदा नगर, इंदौर
25.	महाराष्ट्र	अंधेरी, मुंबई
26.	ओडिशा	राउरकेला
27.	पंजाब	लुधियाना
28.	राजस्थान	जयपुर
29.	राजस्थान	भिवाड़ी
30.	तमिलनाडु	कोयम्बतूर
31.	तमिलनाडु	के.के. नगर, चेन्नई
32.	तमिलनाडु	तिरुनेलवेली
33.	तेलंगाना	नाचाराम, हैदराबाद
34.	तेलंगाना	एस.एस. सनतनगर, हैदराबाद
35.	उत्तर प्रदेश	नोएडा
36.	पश्चिम बंगाल	जोका, कोलकाता

d-jk-ch- fpfdRlk vk/kkfjd lajpuk ¼31-03-2016½ dh fLFkfr ds vuqlkj	
क.रा.बी. अस्पताल (संख्या)	151
क.रा.बी. अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तर (संख्या) (एनेक्सी/आरक्षित बिस्तर सहित)	23188
राज्य सरकार के अस्पतालों में आरक्षित बिस्तर	2805
विशेषज्ञों सहित चिकित्सा अधिकारी	7874
क.रा.बी. औषधालय/भारतीय चिकित्सा पद्धति इकाइयां	1459/188
पैनल क्लीनिक	954

अध्याय – 7

श्रम कल्याण

7-1 श्रम कल्याण निधि की अवधारणा असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सहायता उपायों को प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित की गई थी। इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा बीड़ी उद्योग में नियोजित कामगारों, कतिपय गैर–कोयला खानों और सिने कामगारों के लिए आवास, चिकित्सा देख–रेख, शिक्षा और मनोरंजनात्मक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पाँच कल्याण निधियां गठित करने हेतु अलग से विधान अधिनियमित किए गए हैं।

7-2 कल्याण निधियों की योजना नियोजक और कर्मचारी के विशिष्ट संबंधों के ढाँचे से अलग है, क्योंकि गैर–अंशदायी आधार पर सरकार द्वारा संसाधन जुटाये जाते हैं और कामगार के व्यक्तिगत अंशदान को जोड़े बिना कल्याण सेवाएं प्रभावी की जाती हैं। सैक्टरल पहुंच वाली कामगार निधियां अनेक गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन कार्यक्रमों के अतिरिक्त है, जिनकी क्षेत्रीय पहुंच है और जिनके लिये इनमें से अधिकांश कामगार भी पात्र हैं।

Je dY;k.k fuf/k;k

7-3 श्रम और रोजगार मंत्रालय बीड़ी, सिने कामगारों एवं गैर कोयला खान कामगारों की कतिपय श्रेणियों के लिए पाँच कल्याण निधियां संचालित कर रहा है। इन कामगारों के कल्याण के लिए संसद के निम्नलिखित अधिनियमों के अधीन निधियाँ स्थापित की गई हैं–

- अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946;
- चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972;
- लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976;
- बीड़ी कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1976; और
- सिने कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1981।

7-4 यह अधिनियम केन्द्र सरकार को इस निधि का उपयोग उन उपायों तथा सुविधाओं के संबंध में किए गए व्यय को पूरा करने में समर्थ बनाते है जो ऐसे कामगारों के कल्याण का प्रावधान करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन हों। उपर्युक्त अधिनियमों में निर्धारित लक्ष्यों को प्रभावी बनाए जाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, आवास, मनोरंजन और जल–आपूर्ति के क्षेत्र में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं तैयार की गयी हैं वे संचालित की जा रही हैं। योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

<table>
<tr><th>Ø- l-</th><th>e[; ;kstuk, ¼xj&;kstuk½</th><th>e[; fo'k"krk,</th></tr>
<tr><td colspan="3">f'k{kk</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>बीड़ी/सिने तथा खान कामगार कल्याण निधियों के अंतर्गत छात्रवृत्ति योजना</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">d{kk</th><th colspan="2">nj ¼#i;s e½</th></tr>
<tr><th>yMfd;k</th><th>yMd</th></tr>
<tr><td>कक्षा I से IV</td><td>250</td><td>250</td></tr>
<tr><td>कक्षा V से VIII</td><td>940</td><td>500</td></tr>
<tr><td>कक्षा IX</td><td>1140</td><td>700</td></tr>
<tr><td>कक्षा X</td><td>1840</td><td>1400</td></tr>
<tr><td>पीयूसी I एवं II, कक्षा XI एवं XII</td><td>2440</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>आईटीआई</td><td>10000</td><td>10000</td></tr>
<tr><td>गैर–व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रमय गैर–व्यावसायिक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमय दो–तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा बीसीए, बीबीए एवं पीजीडीसीए</td><td>3000</td><td>3000</td></tr>
<tr><td>व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रम अर्थात् बी.ई./बी.टेक/एमबीबीएस/ बीएमएस/बीयूएमएस/बीएससी (कृषि) तथा एमसीए/एमबीए</td><td>15000</td><td>15000</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>आईओएमसी तथा एलएसडीएम कामगारों के स्कूल जाने वाले बच्चों के आवागमन हेतु मोटर वाहनों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता हेतु योजना</td><td>सामान्य बस के लिए वित्तीय सहायता वास्तविक कीमत की 75% अथवा 7,00,000/– (सात लाख रुपये) तक (जो भी कम हो) तथा मिनी बस के लिए वास्तविक कीमत की 75% अथवा 5,00,000/– (पांच लाख रुपये) तक (जो भी कम हो) सीमित होगी।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>आईओएमसी/एलएसडीएम श्रम कल्याण निधि के लिए पुस्तकालयों को सहायता अनुदान हेतु योजना</td><td>प्रबंधन जो न्यूनतम 100 कामगारों के लाभ के लिए पुस्तकालय चलाते हैं, वे अधिकतम 10,000/–रुपये प्रतिवर्ष की सहायता अनुदान के पात्र हैं।</td></tr>
<tr><td colspan="3">शिक्षा योजना के अंतर्गत बीड़ी, एलएसडीएम, आईओएमसी तथा सिने कामगारों के बच्चों से आवेदन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। 2015–16 के लिए इन छात्रों को भुगतान एनएसपी.1. के माध्यम से किया गया था। 2016–17 के दौरान भी भुगतान एनएसपी.2. के माध्यम से किए जाएंगे।</td></tr>
<tr><td colspan="3">eukjatu</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क एवं चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खान कामगारों को उनके निवास स्थान से कार्य स्थल पर जाने तथा वापसी आवागमन हेतु मोटर वाहनों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता हेतु योजना ।</td><td>प्रबंधन को वित्तीय सहायता। सामान्य बस के लिए वित्तीय सहायता वास्तविक कीमत की 75% अथवा 7,00,000/– (सात लाख रुपये) तक (जो भी कम हो) तथा मिनी बस के लिए वास्तविक कीमत की 75% अथवा 5,00,000/– (पांच लाख रुपये) तक (जो भी कम हो) सीमित होगी।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>अभ्रक/आईओएमसी तथा एलएसडीएम खानों में नियोजित कामगारों के लिए शैक्षणिक–सह–अध्ययन भ्रमणों के लिए योजना</td><td>वित्तीय सहायता मैचिंग आधार पर योजना के अनुसार कतिपय शर्तों पर अधिकतम 30,000/–रुपये प्रति भ्रमण के अध्यधीन भुगतान योग्य है।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>6.</td><td>खान प्रबंधनों/बीड़ी सहकारी सोसायटियों को उनके खनकों/बीड़ी कामगारों के मनोरंजन के लिए टी.वी. सैटों की आपूर्ति।</td><td>सभी एसेसरीज के साथ टी.वी.सैट की कीमत 10,000/–रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि, यदि प्रबंधन ब्लैक एण्ड व्हाईट टी.वी.सैट उपलब्ध कराने की इच्छा जाहिर करता है, तो अधिकतम 4000/–रुपये के अध्यधीन निधि संगठन द्वारा सैट की पूर्ण कीमत का भुगतान किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>खान कामगारों के लाभ हेतु डिस एंटीना की खरीद हेतु खान प्रबंधनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए योजना</td><td>आर्थिक सहायता का भुगतान सभी एसेसरीज के साथ डिस एंटीना की वास्तविक कीमत की 50% अथवा 30,000/–रुपये जो भी कम हो, तक सीमित होगा।</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>खनन क्षेत्रों (आईओएमसी एवं एलएसडीएम) में खेल–कूद, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों के आयोजन हेतु योजना</td><td>
<table>
<tr><td>en</td><td>[kku çc/ku d; fy, or'eku lhek</td></tr>
<tr><td>खेल–कूद टूर्नामेंट इत्यादि आयोजित करने के लिए</td><td>20,000/–रुपये की सीमा के अध्यधीन वास्तविक व्यय का 75%</td></tr>
<tr><td>स्पोर्टस गियर की खरीद</td><td>20,000/–रुपये की सीमा के अध्यधीन वास्तविक व्यय का 75%</td></tr>
<tr><td>राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय त्योहारों के आयोजन जैसे सामाजिक क्रियाकलापों के लिए</td><td>3 त्योहार मनाने के लिए एक वित्त वर्ष में 7500/–रुपये की सीमा के अध्यधीन 2500/–रुपये प्रति क्रियाकलाप (सीडब्ल्यूडब्ल्यूएफ) को छोड़कर सभी निधियों पर लागू हो सकता है)।</td></tr>
<tr><td>डांस, ड्रामा, संगीत, वाक पटुता प्रतियोगिता जैसे सांस्कृतिक क्रियाकलापों के लिए</td><td>7 त्योहार मनाने के लिए एक वित्त वर्ष में 14000/–रुपये की सीमा के अध्यधीन 2000/–रुपये प्रति क्रियाकलाप (सीडब्ल्यूडब्ल्यूएफ) को छोड़कर सभी निधियों पर लागू हो सकता है)।</td></tr>
<tr><td colspan="2">टिप्पणीः– पूरे वर्ष के लिए कुल व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित बजट प्रावधानों की सीमाओं के अध्यधीन 40,000/–रुपये प्रति टूनामेंट से अधिक नहीं होना चाहिए तथा इसे कल्याण निधि से लिया जाएगा।</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>बीड़ी कामगारों (घरखाताबीड़ी कामगारों सहित) के लिए खेलकूद, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों का आयोजन करना।</td><td>10,000 अथवा अधिक बीड़ी कामगारों की जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए पूर्ण वर्ष का कुल व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित बजट प्रावधानों की सीमाओं के अध्यधीन 40,000/–रुपये प्रति टूनामेंट से अधिक नहीं होना चाहिए तथा इसे कल्याण निधि से लिया जाएगा।

यदि बीड़ी प्रबंधनों द्वारा आयोजित हों:– श्रम मंत्रालय के अनुमोदन/स्वीकृति से खर्च करने के बाद अधिकतम 2000/–रुपये प्रति आयोजन के अध्यधीन आयोजन की लागत का 50%</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>पुरी में होली डे होम के लिए योजना</td><td>होली डे होम में आने वाले आगंतुकों के लिए घूमने हेतु 50/–रुपये प्रति व्यक्ति (रिक्शा शुल्क सहित) की आर्थिक सहायता</td></tr>
<tr><td colspan="3">t ykifr</td></tr>
<tr><td></td><td>आईओएमसी तथा एलएसडीएम खनन क्षेत्रों में जलापूर्ति कार्यान्वित करने हेतु वित्तीय सहायता</td><td>योजना के संतोषजनक कार्यान्वयन पर अनुमानित लागत की 75% तक सहायता राशि निधि से उपलब्ध करायी जाएगी। योजना की लागत के अंश के भुगतान की स्वीकृति, सहायता की कुल राशि के आधे से अधिक नहीं, आरम्भिक वित्तीय सहायता के रूप में की जाएगी। स्वीकृति प्रतियां मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए।</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>अभ्रक खनन तथा एलएसडीएम क्षेत्रों में कुएं खोदने के लिए योजना</td><td>निधि द्वारा भुगतेय आर्थिक सहायता योजना में विनिर्दिष्ट स्लाईडिंग स्केल के अनुसार अधिकतम लागत के अधिकतम 75% के अध्यधीन सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित अनुसार निर्माण की वास्तविक लागत के 75% के बराबर होगी।</td></tr>
</table>

7-5 श्रम और रोजगार मत्रालय ने बीड़ी कामगारों के पुनर्वास के लिए कार्रवाई शुरू की है जिससे कि जीवन–यापन के लिए उन्हें एक व्यवहार्य वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराया जा सके क्योंकि बीड़ी विनिर्माताओं/बीड़ी कामगार संघों के बीच इस बात की आशंका है कि बीड़ी उद्योग में रोजगार के अवसर कम हो सकते हैं जिसका कारण तम्बाकू विरोधी अभियान है।

7-6 संशोधित एकीकृत आवास योजना (आरआईएचएस), 2007 1 अप्रैल, 2007 से बीड़ी कामगारों इत्यादि के लिए कार्यान्वित की जा रही है। कोई बीड़ी कामगार चाहे वह किसी स्थापना का कर्मचारी हो अथवा कोई घरखाता कामगार हो, जो 6500/– रूपये तक की मासिक पारिवारिक आय के साथ कम से कम 1 वर्ष तक बीड़ी उद्योग में कार्य कर चुका है, वह अपने/संयुक्त रूप से अपने परिवार के अन्य सदस्यों के स्वामित्व वाले भूखण्ड अथवा राज्य सरकार / ग्राम सभा द्वारा आवंटित भूमि पर मकान के निर्माण हेतु लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। 40000/– रूपये प्रति मकान प्रति श्रमिक की यह आवास आर्थिक सहायता श्रम कल्याण महानिदेशक द्वारा 50:50 के आधार पर दो बराबर किस्तों में (क) व्यक्तिगत कामगार द्वारा निर्माण के मामले में संबंधित क्षेत्र के कल्याण आयुक्त (ख) सामूहिक आवास योजना(जीएचएस) के अंतर्गत मकानों के निर्माण के लिए सहकारी सामूहिक आवास समितिय और (ग) इस योजना के आर्थिक रूप से गरीब वर्ग (इडब्लयूएस) घटक के अंतर्गत मकान निर्माण के लिए संबंधित राज्य सरकार को जारी की जाती है। छत स्तर तक के मकान के निर्माण के प्रयोजनार्थ डीजीएलडब्ल्यू द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन के समय 20,000 रूपये की पहली किस्त प्रति मकान प्रति कामगार अग्रिम आर्थिक सहायता के रूप में जारी की जाएगी। कुल आर्थिक सहायता के शेष 50 प्रतिशत अर्थात् 20,000 रूपये की दूसरी किस्त 50 प्रतिशत काम होने अर्थात हर तरह से निर्माण के पूर्ण होने के प्रयोजन से डीजीएलडब्ल्यू को काम के छत स्तर तक पहुंचने पर जारी की जाएगी। गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष (आदिनांक) के दौरान संशोधित एकीकृत आवास योजना (आरआईएचएस) के अंतर्गत स्वीकृत मकानों का विवरण निम्नानुसार है:

foÙkh; o"kZ	Loh–r edkuksa dh l[;k ftuesa vkfFkZd lgk;rk tkjh dh xbZ	0;;@Loh–fr ¼djksM+ #i;ksa esa½
2013–14	10519	21.3800
2014–15	12354	24.7089
2015–16	14544	13.8060
2016–17	8275	17.56 (30.11.2016 तक)

आरआईएचएस, 2007 को आरआईएचएस 2016 के रूप में संशोधित किया गया है जिसमें सहायता राशि को दिनांक 21.03.2016 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा संशोधित करके 150000/– रूपये किया गया है। तथापि, पूर्व व्यापी सहमति के लिए इसे वित्त मंत्रालय भेज दिया गया है तथा नई योजना के अंतर्गत कोई स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

7-7 श्रम कल्याण संगठन, जो इन निधियों का संचालन करता है, के प्रमुख महानिदेशक (श्रम कल्याण) हैं। राज्यों में इन निधियों के संचालन के प्रयोजनार्थ 17 क्षेत्रीय कल्याण आयुक्त उनकी सहायता करते हैं। प्रत्येक कल्याण आयुक्त के क्षेत्राधिकार को नीचे सारणी में दर्शाया गया है।

dY;k.k vk;ä vkj mudh {ks=kf/kdkj		
Ø-l-	{ks= dk uke	'kkfey fd, x, jkT;
1.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश
2.	अहमदाबाद	गुजरात, दीव
3.	अजमेर	राजस्थान
4.	बंगलुरू	कर्नाटक
5.	भुवनेश्वर	ओडिशा
6.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना
7.	जबलपुर	मध्य प्रदेश
8.	नागपुर	महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन
9.	रांची	झारखंड
10.	पटना	बिहार
11.	रायपुर	छत्तीसगढ़
12.	देहरादून	उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश
13.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार और सिक्किम
14.	गुवाहाटी	असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम
15.	तिरुनेलवेली	तमिलनाडु, पुदुचेरी
16.	चंडीगढ़	पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर
17.	कुन्नूर	केरल एवं लक्षद्वीप

lykgdkj lfefr;k

7-8 उपर्युक्त निधियों के संचालन से संबंधित मामलों में केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए संबंधित कल्याण निधि अधिनियमों के अधीन त्रिपक्षीय केन्द्रीय सलाहकार समितियाँ गठित की गई हैं। इन समितियों की अध्यक्षता केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री द्वारा नामित अध्यक्ष करते हैं। बीड़ी कामगार कल्याण निधि और सिने कामगार कल्याण निधि की केन्द्रीय सलाहकार समितियों में अध्यक्ष व सचिव को छोड़कर, 21 सदस्य होते हैं, केन्द्रीय सरकार, नियोक्ता संगठनों और कर्मचारी संगठनों में से, प्रत्येक से 7 सदस्य लिए जाते हैं और लौह अयस्क मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि तथा चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि की केन्द्रीय सलाहकार समिति में 18 सदस्य होते हैं, केन्द्रीय सरकार, नियोजकों के संगठनों व कर्मचारी संघों से, प्रत्येक से 6 सदस्य लिए जाते हैं।

midj yxkuk%

7-9 बीड़ी कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 में निर्मित बीडियों पर उत्पाद शुल्क के माध्यम से उपकर लगाने का प्रावधान है। इसे प्रति हजार निर्मित बीडियों पर 5 रूपये से बढ़ाकर 8 रूपये किया जा रहा है। तथापि, वर्ष 2016–17 से लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क (आईओएमसी) श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1976, चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खान (एलएसडीएम) श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972, अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946 तथा सिने कामगार श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1981 के अंतर्गत उपकर एकत्रण का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है।

0;; dk fooj.k

xr 2 foÙkh; o"kksZ dk fy, 0;; dk fooj.k ¼gtkj esa½							
		2014&15			2015&16		
fuf/k dk uke	;kstuk dk uke	chbl	vkjbl	0;;	chbl	vkjbl	0;;
chMCY;w MCY;w,Q	स्वास्थ्य	837550	819601	788149	894570	858978	858976
	शिक्षा	825904	743314	669513	875500	875500	835833
	मनोरंजन	2237	2116	1395	2378	2328	1541
	आवास	522346	406146	247089	553690	553674	138481
	dqy	2379200	2151300	1817745	2526700	2486000	1834831
,y,lMh,e		chbl	vkjbl	0;;	chbl	vkjbl	0;;
	स्वास्थ्य	77422	75718	69155	82634	82734	73455
	शिक्षा	13724	12348	6641	14589	14589	2347
	मनोरंजन	9508	9004	4873	10118	10118	4584
	आवास	9966	9257	5330	10592	10592	5892
	जल आपूर्ति	600	540		636	636	0
	कुल	149800	144600	122879	159700	159800	86278
vkbZvk,e,lh		chbl	vkjbl	0;;	chbl	vkjbl	0;;
	स्वास्थ्य	87880	86113	83921	93594	93594	84426
	शिक्षा	33258	30903	22612	35297	35297	22374
	मनोरंजन	4241	4004	1747	4500	4500	2650
	आवास	3170	3000	1736	3367	3367	1992
	जल आपूर्ति	110	99	0	115	115	0
	dqy	156500	151400	132768	167000	167000	111442

vHkd		chb	vkjb	0;;	chb	vkjb	0;;
	स्वास्थ्य	13615	13593	13085	14618	14618	12852
	शिक्षा	5475	5475	6105	5863	5863	6933
	मनोरंजन	832	832	427	892	892	421
	आवास	100	100	0	100	100	0
	d|y	25400	25400	24156	27300	27300	20206
flu		chb	vkjb	0;;	chb	vkjb	0;;
	स्वास्थ्य	15290	14383	11217	16297	16297	14421
	शिक्षा	2290	2440	1779	2457	2457	1204
	स्वास्थ्य	100	100	98	100	100	24
	d|y	18100	17300	13320	19300	19300	15649
	egk ;kx	2729000	2490000	2110868	2900000	2859400	2068406

अध्याय – 8

असंगठित कामगार

8-1 'असंगठित कामगार' को असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अंतर्गत एक गृह–आधारित कामगार, स्व–नियोजित कामगार अथवा असंगठित क्षेत्र में एक मजदूरी लेने वाले कामगार के रूप में परिभाषित किया गया है और इसमें संगठित क्षेत्र का वह कामगार शामिल है जो इस अधिनियम की अनुसूची–।। में उल्लिखित किसी भी अधिनियम अर्थात कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 3), औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14), कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948 (1948 का 34), कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19), प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (1961 का 53) और उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) में शामिल नहीं होता।

8-1 वर्ष 2011–2012 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, देश के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में कुल 47 करोड़ लोग नियोजित थे। इसमें से लगभग 8 करोड़ संगठित क्षेत्र और शेष 39 करोड़ असंगठित क्षेत्र में थे। असंगठित क्षेत्र में कामगार देश के कुल रोजगार के 90 फीसदी से भी ज्यादा हैं। बड़ी संख्या में असंगठित कामगार गृह आधारित श्रमिक हैं और बीड़ी बनाने, अगरबत्ती बनाने, पापड़ बनाने, वस्त्र सिलाई तथा कशीदाकारी जैसे व्यवसायों में लगे हुए हैं।

8-2 असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, रोजगार के अत्यधिक मौसमी प्रकृति के होने से, नियोक्ता–कर्मचारी में कोई औपचारिक संबंध नहीं होने तथा सामाजिक सुरक्षा की कमी के कारण पीड़ित रहते हैं। बहुत से विधान जैसे कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 ठेका श्रम (प्रतिषेध एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970, भवन तथा अन्य निर्माण कामगार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996; भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण (उपकर) अधिनियम, 1996 इत्यादि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर भी लागू हैं।

8-3 श्रम और रोजगार मंत्रालय असंगठित क्षेत्र के कुछ विशिष्ट कामगारों यथा बीड़ी कामगारों, सिने कामगारों तथा कतिपय गैर–कोयला खान कामगारों के लिए भी कल्याण निधियां संचालित कर रहा है। इन निधियों का प्रयोग श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याण कार्यकलापों अर्थात स्वास्थ्य देख–रेख, आवास, बच्चों के लिए शिक्षण सहायता, पेयजल की आपूर्ति इत्यादि के लिए किया जाता है।

v lxfBr {k= d dkexkjk d fy, 0;kid fo/kku

8-5 असंगठित क्षेत्र के कामगारों का कल्याण सुनिश्चित करने हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 को अधिनियमित किया है। यह अधिनियम 16.05.2009 से लागू है। अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय नियम बना दिए गए हैं।

8-6 vf/kfu;e dh çeq[k fo'k"krk,a fuEuor g%

- धारा (2) में असंगठित कामगार, स्व–नियोजित और मजदूरी कामगार संबंधी परिभाषाओं का प्रावधान है।
- धारा 3 (1) में केन्द्र सरकार द्वारा (क) जीवन और अक्षमता कवर; (ख) स्वास्थ्य और प्रसूति लाभ;

(ग) वृद्धावस्था संरक्षण; (घ) केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किये जाने वाले किसी अन्य लाभ से संबंधित मामलों पर असंगठित कामगारों के विभिन्न वर्गों हेतु योजनाएं तैयार किए जाने का प्रावधान है।

- धारा 3 (4) में राज्य सरकारों द्वारा भविष्य निधि, रोजगार से जुड़े चोट संबंधी लाभ, आवास, बच्चों के लिए शिक्षण योजनाएं, कौशल उन्नयन, अंत्येष्टि सहायता और वृद्धाश्रमों से संबंधित योजनाएं तैयार करने का प्रावधान है।

- धारा 4 केन्द्र सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं के वित्त पोषण से संबंधित है।

- धारा 5 में केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री की अध्यक्षता में सदस्य सचिव के रूप में महानिदेशक (श्रम कल्याण) तथा संसद सदस्यों, असंगठित कामगारों, असंगठित कामगारों के नियोक्ताओं, सिविल सोसायटी, केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले 34 नामित सदस्यों वाले राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन की संकल्पना की गई है।

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति से संबंधित व्यक्तियों, अल्पसंख्यकों और बोर्ड की महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व हेतु प्रावधान।

- राष्ट्रीय बोर्ड केन्द्र सरकार को असंगठित कामगारों के विभिन्न वर्गों हेतु उपयुक्त योजनाओं की सिफारिश करेगा; योजनाओं के क्रियान्वयन का अनुवीक्षण करेगा और अधिनियम के प्रशासन में उत्पन्न होने वाले मामलों पर केन्द्र सरकार को सलाह देगा।

- धारा 6 में राज्य स्तर पर इसी प्रकार के बोर्डों के गठन हेतु प्रावधान किया गया है।

- धारा 7 राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई योजनाओं के वित्तपोषण पैटर्न से संबंधित है।

- धारा 8 में जिला प्रशासन द्वारा रिकार्ड के रख–रखाव के कार्यों का निर्धारण किया गया है। इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार (क) ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत को; और (ख) शहरी क्षेत्रों में शहरी स्थानीय निकायों को ऐसे कार्य निष्पादित करने का निर्देश दे सकती है।

- धारा 9 में जिला प्रशासन द्वारा असंगठित कामगारों के लिए (क) उसके पास उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से संबंधित सूचना का प्रसार करने (ख) कामगारों के पंजीकरण और नामांकन को सुविधाजनक बनाने के लिए कामगार सुविधा केन्द्र गठित किये जाने का प्रावधान है।

- धारा 10 में अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण हेतु पात्रता मानदंड और प्रक्रिया का भी प्रावधान है।

- धारा 11–17 में अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु विविध उपबंधों का उल्लेख है।

8-7 अधिनियम के अंतर्गत असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा नियम, 2009 बनाये गए हैं तथा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का 18.08.2009 को गठन किया गया था। राष्ट्रीय बोर्ड असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं अर्थात् जीवन और अपंगता कवर, स्वास्थ्य, और प्रसूति लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण और सरकार द्वारा निर्धारित किये जाने वाले अन्य लाभों की सिफारिश करेगा। राष्ट्रीय बोर्ड की अब तक आठ बैठकें हुईं हैं और इनमें असंगठित कामगारों की कतिपय श्रेणियों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई), जनश्री बीमा योजना (जेबीवाई) और वृद्धावस्था पेंशन का विस्तार किए जाने की सिफारिश की गयी ।

8-8 भारत में लगभग 93% कामगार असंगठित क्षेत्र में है। असंगठित कामगारों और राज्य स्तर पर एजेंसियों के कल्याण के लिए "असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (यूडब्ल्यूएसएसए), 2008" की अनुसूची– II के अंतर्गत वर्तमान में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा भिन्न–भिन्न पात्रता मापदंडों, नामांकन प्रक्रियाओं और इनके अंतर्गत लाभों इत्यादि के साथ विभिन्न सामाजिक सुरक्षा स्कीमें चलाई जा रही हैं।

8-9 असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की अधिसूची के अन्तर्गत सूचीबद्ध की गई विभिन्न योजनाए:

Øe la-	dY;k.kdkjh ;kstuk dk uke	ea=ky;@ foHkkx	la{ksi
1.	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	ग्रामीण विकास मंत्रालय	भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार 60 वर्ष या उससे ऊपर के व्यक्ति और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवार (बीपीएल) से संबंध रखने वाले व्यक्ति को सहायता प्रदान की जाएगी। योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। 60–79 की आयु के व्यक्तियों के लिए 200 रुपये और 80 वर्ष और उससे ऊपर के व्यक्तियों के लिए 500 रुपये की केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। लाभ प्राप्तकर्ता की पहचान पेंशन, पेंशन की स्वीकृति और वितरण राज्य/संघ शासित सरकार द्वारा किया जाता है। योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा और कुछ राज्यों में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लागू किया जाता है।
2.	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	ग्रामीण विकास मंत्रालय	बीपीएल परिवार 18 से 59 वर्ष की आयु के प्रमुख जीविका अर्जक की मृत्यु होने पर प्रतिपूरक राशि प्राप्त करने का हकदार है। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय चल रही है।
3.	जननी सुरक्षा योजना	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को संस्थान में प्रसूति द्वारा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है। यह योजना गरीब गर्भवती महिलाओं जो उन राज्यों से संबंध रखती हों जिनमें संस्थान में प्रसूति की दर कम है जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम. राजस्थान, उड़ीसा, जम्मू एवं कश्मीर राज्यों में विशेष प्रबंध किया गया है। जबकि इन राज्यों को कम निष्पादन राज्य (एलपीएस) का नाम दिया गया है शेष राज्यों को उच्च निष्पादन (एचपीएस) का नाम दिया गया है। योजना गर्भवती महिलाओं में संस्थानों में प्रसूति को बढ़ावा देने के लिए महिला स्वास्थ्य स्वंय सेवक जिन्हें एएसएचए प्रत्यातित सामाजिक स्वास्थ्य कामगार कहा जाता है को कार्य आधारित प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाता है।
4.	हस्तकरघा बुनकर व्यापक कल्याणकारी योजना	वस्त्र मंत्रालय	इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में बुनकर समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। यह योजना वस्त्र मंत्रालय (हस्तकरघा विकास आयुक्त कार्यालय) द्वारा चलाई जाती है।
5.	हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याणकारी योजना	वस्त्र मंत्रालय	हस्तशिल्प असंगठित क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और आवास और स्वास्थ्य बीमा के लिए कारीगरों की कल्याणकारी आवश्यकताओं को पूरा करने की इच्छा रखता है।
6.	प्रमुख शिल्प व्यक्तियों की पेंशन	वस्त्र मंत्रालय	यह योजना 60 वर्ष या अधिक आयु के उन उन्नत शिल्पकारों को मदद देती है जो हस्तशिल्प में राष्ट्रीय पुरस्कारों या योग्यता प्रमाण–पत्र या राज्य पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं और उनकी निजी आमदनी 30 हजार प्रतिवर्ष से कम है और जो किसी अन्य स्त्रोत से अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

7.	मछुवारों के कल्याण और प्रशिक्षण और विस्तार के लिए राष्ट्रीय योजना।	पशु–पालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग	योजना के अन्तर्गत मछुवारों को उनके मछली पकड़ने के गाँव में आधारभूत सुविधाएं जैसे आवास, पीने का पानी, सामुदायिक भवन के निर्माण और ट्यूबवेल उपलब्ध करवाया जाता है। मछली पकड़ने के काम में सक्रिय रुप से लगे हुए मछुआरों को बीमा कवर भी उपलब्ध करवाया जाता है। उस मौसम में जिसमें मछली की उपलब्धता कम रहती है, उसमें मछुआरों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।
8.	आम आदमी बीमा योजना	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में आर्थिक रुप से पिछड़े वर्गों को जीवन बीमा कवर उपलब्ध करवाना है। एएबीवाई 47 पहचान किए गए व्यावसायिक समूह के अन्तर्गत गरीबी रेखा से ऊपर 18 वर्षों से 59 वर्षों के बीच की आयु के व्यक्तियों के लिए जीवन और अपगंता कवर का विस्तार करता है।
9.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना।	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के असंगठित कामगारों के परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध करवाने के लिए लागू की जाती है। योजना के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र में बीपीएल परिवारों (5 की एक यूनिट) को 30 हजार रुपये प्रतिमाह का स्मार्ट कार्ड आधारित निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध करवाया जाता है। यह सरकार का प्रयास है कि असंगठित कामगारों को एक चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) उपलब्ध करवाई जाए।

8-10- हाल ही में, केन्द्र सरकार ने ग्रामीण श्रमिक सहित सभी नागरिकों को लक्षित कर उनको व्यापक सामाजिक सुरक्षा मॉडल उपलब्ध करवाने के लिए निम्नलिखित तीन योजनाएं आरंभ की है।

i. vVy isa'ku ;kstuk ¼,ihokbZ½ एपीवाई के अन्तर्गत अंशदाता 60 वर्ष की आयु होने पर अपने अंशदान पर आधारित जो अटल पेंशन योजना से जुड़ने की आयु पर निर्भर करेगी के आधार पर एक निर्धारित न्यूनतम पेंशन प्राप्त करेंगे। केन्द्र सरकार उनके खातों में 5 वर्ष के लिए लाभग्राहियों के प्रीमियम का 50 प्रतिशत योगदान करेगी जो कि प्रतिवर्ष एक हजार रुपये तक सीमित है। अटल पेंशन योजना को लेने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष ओर अधिकतम आयु 40 वर्ष है। निर्धारित न्यूनतम पेंशन लाभ की गांरटी सरकार द्वारा दी जाएगी।

ii. çz/kkuea=h thou T;ksfr ;kstuk ¼ih,etstschokbZ½ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना ¼ih,etstschokbZ½ के अन्तर्गत अंशदाता द्वारा 330/–रुपये प्रतिवर्ष प्रीमियम के भुगतान पर 2 लाख रुपये का वार्षिक जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष की आयु के उन लोगों को उपलब्ध होगा जिनका एक बैंक खाता है जहां से प्रीमियम ऑटो–डेबिट सुविधा द्वारा ले लिया जाएगा।

iii. çz/kkuea=h lqj{kk chek ;kstuk ¼ih,e,lchokbZ½ पीएमएसबीवाई के अन्तर्गत 2 लाख रुपये के दुर्घटना मृत्यु जोखिम और पूर्ण विकलांगता को कवर करती है और एक लाख रुपये के आंशिक विकलांगता को कवर करती है। यह 18 से 70 वर्ष की आयु के उन लोगों को उपलब्ध होगा जिनका एक बैंक खाता है जहां से प्रीमियम ऑटो–डेबिट सुविधा द्वारा ले लिया जाएगा।

8-11 ijh{k.k d vk/kkj ij ekckby ,Vh,e dh LFkkiuk d fy, fu/kkfjr LFkkuk dh lphA

jkT;	{k=
केरल राज्य	मानजेश्वर क्षेत्रः चिनाला, कोदलामुगारु, मांजीबलिन मुदमबेल, कदम्बर, कुलुर, मांजीपल्ला, चिंगूरपडे, कोयलोर, सुलयामे, बुल्लुर, कानियला, कुरुदापावु, कसरगोड़े क्षेत्रः चामन्द, कालनद, पडे, कामबर, कानाथूर। त्रिवेन्द्रम क्षेत्रः पोनमुदी
झारखंड	ब्रजामदा, पाकुर, चक्रधरपुर देवगढ़ जिले में कुछ निचले क्षेत्र
कर्नाटक	कुर्ग
ओडिशा	सांबलपुर
राजस्थान	कोटा क्षेत्र में जहां अधिक खान कामगार हैं।

8-12 dY;k.k vk;qä }kjk vk;kftr d'kyl lkn c<ku gr çf'k{k.k f'kojk d C;kj

- माननीय एलईएम ने दिनांक 17/12/2016 को हैदराबाद में एक कैशलेस सौदे पर एक कैम्प का उदघाटन किया जिसमें 1200 कामगारों द्वारा भाग लिया गया था। दो कैम्प तेलंगाना में सिद्दीपट जिला और वारंगल जिले में संचालित किए थे जहां 759 कामगारों ने कैम्प में भाग लिया।
- अजमेर में 202 कैम्प कैशलेस ट्रान्सजैक्शन को प्रवर्तित करने के लिए संचालित किए गए थे जिनमें 5780 कामगारों ने भाग लिया।
- महाराष्ट्र में 52 कैम्प संचालित किए गए थे जिनमें 5281 कामगारों ने भाग लिया।
- झारखंड में पाकूर, चक्रधरपुर, चथरा और देओगढ़ के दूरवर्ती क्षेत्रों में कैम्प संचालित किए गए थे।
- केरल के कन्नूर में बीड़ी कामगारों के लिए 106 कैम्प संचालित किए गए जिसमें 2814 कामगारों ने भाग लिया और यह देखा गया कि 20% कामगार पहले से ही कैशलेस ट्रान्जेक्शन कर रहे थे।
- 9 कैम्प इलाहाबाद क्षेत्र में आयोजित किए गए जहां 573 से अधिक कामगारों ने भाग लिया।
- कल्याण आयुक्त, पटना द्वारा नवीनगर, धुलियान बाजार, कराहा गांव में कैशलेस ट्रान्सजेंक्शन और डीजिटल भुगतान पर जागरूकता उत्पन्न करने को 9 कैम्प आयोजित किए गए थे।
- ओडिशा के विभिन्न जिलों में 29 प्रशिक्षण कैम्प आयोजित हुए जिनमें 525 बीड़ी कामगारों द्वारा हिस्सा लिया गया।
- गुवाहाटी में 2 कैम्प संचालित किए गए और 240 बीड़ी कामगारों ने इस कैम्प में भाग लिया।
- रायपुर में 100 कैम्प आयोजित किए गए और 2034 बीड़ी कामगारों ने यह कैम्प में भाग लिया।
- कोलकाता में 27 जागरूकता कैम्प आयोजित किए गए थे जहां 3745 कामगारों ने हिस्सा लिया।
- गुजरात के पालनपुर, वादनगर, अहमदाबाद और बोरसद में 07 कैशलेस प्रशिक्षण कैम्प आयोजित हुए जहां 217 कामगारों ने भाग लिया।
- भवन निर्माण कामगारों के लिए बंगलुरू में दो प्रशिक्षण कैम्प आयोजित हुए।
- तिरूनेलवेली बीड़ी कामगारों के लिए 30 कैम्प आयोजित हुए जहां 669 कामगारों द्वारा भाग लिया गया।
- मध्य प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में बीड़ी कामगारों के लिए 14 प्रशिक्षण कैम्प संचालित किए गए जहां 1958 कामगारों ने भाग लिया।

8-13 lkjk'k

कैशलेस प्रशिक्षण कैम्प की संख्या 596 भाग लेने वाले कामगारों की संख्या लगभग 23581 कामगार।

8-14 cSd [kkrk [kksyus ds fy, vlaxfBr dkexkjksa dks lgk;rk ds fy, fo'ks"k vfHk;kuA

8-15 कल्याण आयुक्त द्वारा संचालित अभियान का परिणाम निम्न है:

1. बीड़ी कामगारों के 68028 नए बैंक खाते खोल दिए गए हैं।

2. सिने कामगारों के 7052 नए खाते खोल दिए गए हैं।

3. खान कामगारों के 3418 नए खाते खोल दिए गए हैं।

8-16 सभी कल्याण आयुक्तों द्वारा बीड़ी, सिने, बागान, खान, कारखाना कामगारों इत्यादि की संघनता वाले समूहों के निर्धारण हेतु सतत प्रयास किए जा रहे है ताकि जिन कामगारों के खाते नहीं है खोले जा सकें।

Hkou ,oa vU; fuekZ.k dkexkj

8-17 असंगठित क्षेत्र में कामगारों की सबसे बड़ी श्रेणियों में से एक निर्माण में लगे कामगारों की है। 2011–2012 में एनएसएसओ द्वारा किए गए प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 5.02 करोड़ कामगार निर्माण कार्यकलापों में लगे हैं। सरकार ने निर्माण कामगारों के लिए निम्नलिखित दो विधान अधिनियमित किये हैं–

- Hkou rFkk vU; fuekZ.k dkexkj ¼jkstxkj rFkk lsok 'krksaZ dk fofu;eu½ vf/kfu;e] 1996-
- Hkou rFkk vU; fuekZ.k dkexkj dY;k.k midj vf/kfu;e] 1996

8-18 इनके अलावा भवन तथा अन्य निर्माण कामगार (रोजगार तथा सेवा शर्तों का विनियमन) केन्द्रीय नियमावली, 1998 दिनांक 19.11.1998 को अधिसूचित की गई है।

8-19 यह अधिनियम उन सभी स्थापनाओं पर लागू होता है जिनमें किसी भवन या निर्माण कार्यों में 10 या अधिक कामगार नियोजित किये गये हों। यह अधिनियम किसी व्यक्ति विशेष पर लागू नहीं होता है इस कानून को लागू करने से उत्पन्न मामलों के संबंध में समुचित सरकारों को सलाह देने के लिए केन्द्रीय और राज्य सलाहकार समितियों के गठन के साथ–साथ राज्य सरकारों द्वारा कल्याण बोर्डों के गठन तथा निधि के अंतर्गत लाभ पाने वालों के पंजीकरण तथा उनके लिए पहचान–पत्र इत्यादि का प्रावधान भी किया गया है।

8-20 इन विधानों में राज्य स्तर पर कल्याण निधि की स्थापना करके निर्माण कामगारों के लिए रोजगार तथा सेवा शर्तें, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य तथा कल्याणकारी उपायों को विनियमित करने का प्रावधान है जिसका वित्तपोषण लाभ पाने वालों द्वारा दिए गए अंशदान, नियोक्ता द्वारा व्यय की गयी निर्माण लागत की 1 से 2 प्रतिशत के बीच की दर से सभी निर्माण कार्यों पर उपकर लगाकर किया जायेगा (सरकार ने उपकर की दर 1% अधिसूचित की है)। इस निधि का प्रयोग दुर्घटना के मामले में लाभभोगियों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने, वृद्धावस्था पेंशन, आवासीय ऋण, बीमा प्रीमियम के भुगतान, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा और प्रसूति लाभ आदि प्रदान करने के लिए किया जायेगा।

8-21 सभी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्रों ने राज्य कल्याण बोर्डों का गठन कर लिया है। तमिलनाडु सरकार अपना स्वयं का अधिनियम लागू कर रही है। 30.09.2016 तक राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा लगभग 284540 करोड़ रुपये की राशि उपकर के रूप में एकत्रित की गई है और 6097 करोड़ रुपये की राशि उनके द्वारा बनायी गई कल्याण योजनाओं पर व्यय की गयी है।

8-22 केन्दीय सरकार ने अन्य सनिर्न्माण कामगार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 60 के अंतर्गत सभी राज्य सरकारों संघ

राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को समय–समय अधिनियम का उचित क्रियान्वयन करने के निर्देश जारी करती रही है। इन निर्देशों के क्रियान्वयन विशेषकर राज्य भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा इस अधिनियम की धारा 22 के तहत स्थित कल्याण स्कीमों के लिए कर निधि के समुपयोग के संदर्भ में (श्रम एवं रोजगार) की अध्यक्षता में एक समीति का गठन किया गया। अनुवीक्षण समिति समय–समय पर अपनी बैठकें आयोजित करती है। वर्ष 2016–17 में अनुवीक्षण समिति ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के श्रम एवं रोजगार विभाग के प्रधान सचिवों/सचिवों के साथ 6 अप्रैल, 2016 और 21 जुलाई, 2016 को बैठकें की थी।

çoklh dkexkj vkSj varjkZT;h; çoklh dkexkj

8-23 2001 की जनगणना के अनुसार, देश में 314.54 मिलियन व्यक्तियों ने अपना आवास बदल लिया है तथा इसमें से 29.90 मिलियन या 9 प्रतिशत ने कार्य के लिए अपना राज्य छोड़ दिया है। अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 प्रवासी कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके हितों के संरक्षण के लिए अधिनियमित किया गया था।

8-24 यह अधिनियम अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगारों के नियोजन को विनियमित करता है तथा इसमें उनकी सेवा शर्तों का प्रावधान किया गया है। यह अधिनियम उस प्रत्येक स्थापना (और ठेकेदार) पर लागू होता है जिसमें पांच अथवा अधिक अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार नियोजित हों। अधिनियम में प्रत्येक अन्तर्राज्यीय प्रवासी कामगार के लिए पास बुक जारी करने का प्रावधान है जिसमें विस्थापन भत्ते की अदायगी जो मासिक वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर अथवा 75/– रुपये, जो भी ज्यादा हो, यात्रा भत्ते की अदायगी, जिसमें यात्रा अवधि के दौरान वेतन की अदायगी शामिल है, रहने का समुचित स्थान, चिकित्सा सुविधा, रक्षात्मक वस्त्र, वेतन का भुगतान, समान कार्य के लिए समान वेतन इत्यादि का पूरा ब्यौरा दिया गया हो।

8-25 केन्द्र एवं राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों में अधिनियम के प्रावधानों के प्रवर्तन की मुख्य जिम्मेदारी क्रमशः केन्द्र और संबंधित राज्य/केन्द्र शासित सरकारों की है।

8-26 çokl dh leL;k dks fofo/k dk;Zokb;ksa tSls xzkeh.k fodkl }kjk mUur <kapkxr lqfo/kkvksa ds çko/kkuksa ls {ks=h; fo"kerkvksa dks nwj djus ds fy, lk/kuksa ds leku forj.k] jkstxkj ds l`tu] Hkwfe lq/kkj] lk{kjrk c<+kus] foÙkh; lgk;rk vkfn ls jksdk tkuk pkfg,A jkT; Lrj ij cgrj jkstxkj ds voljksa ds l`tu grq ljdkj us Lo.kZ t;arh xzke Lojkstxkj ;kstuk ¼,lth,lokb½] çz/kkuea=h xzke lM+d ;kstuk ¼ih ,e th ,l okb½] lEiw.kZ xzkeh.k jkstxkj ;kstuk ¼,lthvkjokb½] jk"Vªh; dke ds cnys vukt dk;Øe ¼,u,Q,QMCY;wih½] bafnjk vkokl ;kstuk ¼vkbZ,okb½] ,dh—r iatrh Hkwfe fodkl dk;Øe ¼vkbZMCY;Mhih½] lw[kk laHkkfor {ks= dk;Øe ¼Mhih,ih½] jsfxLrku fodkl dk;Øe ¼MhMhih½ vkfn tSlh vusd ;kstuk,a 'kq: dh gSA blds vfrfjDr] ljdkj us gky gh esa xzkeh.k ifjokjksa dks 100 fnuksa ds jkstxkj xkjaVh gsrq jk"Vªh; xzkeh.k jkstxkj xkjaVh vf/kfu;e Hkh vf/kfu;fer fd;k gSA

8-27 प्रवासी कामगारों के उदगम तथा लक्षित क्षेत्रों में क्रियाकलापों के बेहतर क्रियान्वयन हेतु अंतर्राज्यिक समन्वय तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा राज्य सरकारों ने जून, 2012 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ऐसे ही समझौता ज्ञापन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ राज्य सरकारों के मध्य प्रस्तावित है।

अध्याय-9

बंधुआ श्रमिक

9-1 बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अधिनियमन के साथ ही 25.10.1975 से पूरे देश में बंधुआ श्रम प्रथा समाप्त हो गई थी। इसने सभी बंधुआ श्रमिकों को समान रूप से मुक्त कराया था और साथ ही उनके ऋणों का परिसमापन भी कराया था। इसने बंधुआ प्रथा को कानून द्वारा दंडनीय संज्ञेय अपराध बनाया था।

9-2 यह अधिनियम संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जा रहा है। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:–

- इस अधिनियम के लागू होने पर, बंधुआ श्रम पद्धति समाप्त हो गयी तथा प्रत्येक बंधुआ श्रमिक मुक्त तथा बंधित श्रम करने की किसी बाध्यता से मुक्त हो गया।
- कोई भी प्रथा, करार अथवा अन्य दस्तावेज जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को बंधुआ श्रम के रूप में किसी को सेवा देना अनिवार्य था, अमान्य थी।
- बंधित ऋण को चुकाने की देयताओं को समाप्त कर दिया गया माना गया था।
- बंधुआ श्रमिकों की जायदाद गिरवी आदि से मुक्त कर दी गयी थी।
- मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों को उनकी गृह भूमि से अथवा रिहायशी परिसरों से बेदखल नहीं किया जाना था जिस पर वह बंधुआ श्रमिक के रूप में रह रहा था।
- जिलाधीशों को इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए कतिपय कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का दायित्व सौंपा गया है।
- जिला तथा उप–जिला स्तरों पर सतर्कता समितियां बनाने की जरूरत है।
- अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन संबंधी अपराधों के मामले में, एक निर्धारित अवधि जो तीन वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है तक का कारावास तथा जुर्माना जो कि दो हजार–रुपए तक बढ़ाया जा सकता है,से दंडित किया जा सकता है।
- इस अधिनियम के अधीन अपराधों की सुनवाई हेतु न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियां कार्यकारी दंडाधिकारी को सौंपा जाना आवश्यक है। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की सरसरी तौर पर न्यायिक जांच की जा सकती है।
- इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय तथा जमानती है।

c/kvk etnjk d iuokl d fy, dUæh;—r :i l çk;kftr lyku Ldhe] 2016

9-3 राज्य सरकारों के प्रयासों को पूर्ण करने के उद्देश्य से, इस मंत्रालय ने बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए मई, 1978 में केन्द्रीयकृत रूप से प्रायोजित प्लान स्कीम प्रारम्भ की थी। इस योजना में मई, 2000 में काफी संशोधन किया गया था। मई, 2000 से इस संशोधित

योजना के अंतर्गत 20,000/– रूपये प्रति बंधुआ श्रमिक की दर से पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराई जाती थी जिसे केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बराबर–बराबर वहन किया जाता था। इसके अलावा, पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में, यदि वे अपना बराबर का अंशदान मुहैया कराने में असमर्थता जताते थे तो 100% पुनर्वास सहायता की जाती थी। इस योजना में प्रत्येक 3 वर्ष में बाल श्रमिकों की पहचान के लिए सर्वेक्षण कराने हेतु प्रति जिला 2 लाख रूपये की दर से, बंधुआ श्रम पद्धति के संबंध में जागरुकता सृजन क्रियाकलापों के लिए प्रति वर्ष 10 लाख रूपये तथा मूल्यांकन अध्ययनों के लिए 5 लाख रूपये प्रति वर्ष की राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती थी। दिनांक 30.09.2016 तक 2,82,429 बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों को योजना के अंतर्गत 8404.22 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

9-4 सरकार ने बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना स्कीम में 17 मई, 2016 से बदलाव किया है। परिवर्तित योजना 'बंधुआ श्रमिकों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की पुनर्वास योजना, 2016' के रूप में जानी जाती है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:–

(1) परिशोधित स्कीम केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम है। राज्य सरकारों से अपेक्षित नहीं होगा कि वे नकद पुनर्वास सहायता के प्रयोजनार्थ किसी समतुल्य अंशदान का भुगतान करें।

(2) वित्तीय सहायता को 20,000/– रुपये से बढ़ाकर 1,00,000/– रुपये प्रति वयस्क पुरुष लाभार्थी, अनाथों या संगठित और जबरन भीख मंगवाने वाले गुटों या बलात बाल श्रम के अन्य रूपों से छुड़ाए गए बच्चों तथा महिलाओं जैसे विशेष वर्ग के लाभार्थियों के लिए 2 लाख रुपये, परा–लिंगी, या वेश्यालयों, मसाज पार्लरों, स्थापन एजेन्सियों आदि, या तस्करी, जैसे प्रकट यौन शोषण से छुड़ाई गई महिलाओं या बच्चों जैसे वंचन या प्रभावहीनता के अत्यंत घोर मामलों वाले बंधुआ या बलात श्रम के मामलों में अथवा विक्लांग व्यक्तियों के मामलों में, या ऐसी परिस्थितियों में जहाँ जिला न्यायाधीश उचित समझे 3 लाख रुपये कर दिया गया है।

(3) बंधुआ श्रमिकों के सर्वेक्षण हेतु सहायता की धनराशि प्रति जिला 4.50 लाख रुपये है।

(4) पुनर्वास सहायता को जारी करना अभियुक्त की दोषशिद्धि से जोड़ दिया गया है।

(5) इस योजना में प्रत्येक राज्य द्वारा जिलास्तर पर जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में कम से कम 10 लाख रुपये की स्थायी कायिक निधि के साथ मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों को तत्काल सहायता देने हेतु बंधुआ श्रम पुनर्वास निधि के सृजन का प्रावधान है।

(6) योजना के अंतर्गत निधि मंत्रालय द्वारा जिला राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना सोसायटी को जारी की जाती है और जिला परियोजना सोसायटी बदले में निधि जिला प्रशासन सहित कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी करती है।

(7) राज्य द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों, मुक्त महिला बंधुआ श्रमिकों तथा बंधुआ बाल श्रमिकों की आवश्यकताओं का निराकरण करने हेतु उनकी क्षमता निर्माण के लिए सुरक्षित और सुनिश्चित माहौल, उनकी उचित शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु सुविधाएं, 12वीं कक्षा तक की शिक्षा पूरी होने तक अल्प स्टेहोम, कौशल विकास, शादी सहायता आदि प्रदान करके विशेष देखभाल उपलब्ध कराई जाती है।

9-5 उपर्युक्त प्रसुविधाएं, अन्य नकदी और गैर–नकदी प्रसुविधाओं जिनका कोई लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत हकदार है, फिलहाल प्रवृत्त किसी अन्य योजना द्वारा अथवा उसके अंतर्गत अथवा लागू कानून के तहत प्रसुविधाओं के अलावा होंगी। इसके अलावा, उपर्युक्त लाभ नीचे उल्लिखित भूमि एवं आवास घटकों, आदि के अतिरिक्त होंगे:

- आवास–स्थल और कृषि भूमि का आबंटन।
- भूमि विकास।
- कम कीमत वाली आवासीय इकाईयों की व्यवस्था।
- पशु–पालन, डेयरी, कुक्कुट–पालन, सुअर पालन आदि।
- वैतनिक रोजगार, न्यूनतम मजदूरी का प्रवर्तन आदि।
- लघु वन उत्पादों का एकत्रण और प्रसंस्करण।
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति।
- बच्चों की शिक्षा।

*****

अध्याय - 10

ठेका श्रमिक

10-1 ठेका श्रमिक सामान्यतः उन कामगारों को कहा जाता है कि जिन्हें प्रयोगकर्ता उद्यमों के लिए ठेकेदार द्वारा काम पर लगाया जाता है। यह रोजगार का एक महत्वपूर्ण व बढ़ता हुआ स्वरुप है। इन कामगारों की संख्या करोड़ों में है और ये मुख्य रूप से कृषि कार्यों, बागानों, निर्माण उद्योग, पत्तनों एवं गोदियों, तेल क्षेत्रों, कारखानों, रेलवे, जहाजरानी, विमान सेवा, सड़क परिवहन आदि के कार्य में लगे हैं।

10-2 ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 को इन कामगारों के हित को सुरक्षित रखने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह ऐसे प्रत्येक स्थापना/ठेकेदार पर लागू होता है जिसमें 20 अथवा अधिक कर्मचारी नियोजित हों। यह सरकारी प्रतिष्ठानों एवं स्थानीय प्राधिकरणों पर भी लागू होता है।

10-3 केन्द्र सरकार का रेलवे, बैंकों, खानों आदि जैसी स्थापनों पर नियंत्रण है तथा राज्य सरकारों का उस राज्य में स्थित इकाइयों पर क्षेत्राधिकार होता है।

10-4 केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा इस अधिनियम के प्रशासन से उत्पन्न होने वाले उन्हें संदर्भित किए गए मामलों पर संबंधित सरकारों को सलाह देने के लिए 'समुचित' सरकारों के रूप में अपनी क्षमता के केन्द्रीय तथा राज्य ठेका श्रम सलाहकार बोर्डों का गठन् किया जाना अपेक्षित है ये बोर्ड उचित समझी गयी समितियों को गठन करने के लिए प्राधिकृत होते हैं।

10-5 केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड (सीएसीएलबी) एक सांविधानिक त्रिपक्षीय तथा अर्ध–न्यायिक निकाय है। इसके गैर–सरकारी सदस्यों के कार्यकाल की अवधि तीन वर्ष है। वर्तमान सीएसीएलबी को 2 अप्रैल, 2016 को पुनर्गठित किया गया है। आदिनांक, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड की 90 बैठकें आयोजित की जा चुकी है।

10-6 अब तक केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड के परामर्श से विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठानों में ठेका श्रम के नियोजन को समाप्त करते हुए इस अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत 88 अधिसूचनाएं जारी की जा चुकी है।

10-7 प्रत्येक प्रतिष्ठान एवं ठेकेदार, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, को ठेका कार्य कराने के लिए पंजीकरण कराना/लाइसेंस लेना होता है। ठेका श्रमिकों की मजदूरी, कार्य के घंटे, कल्याण, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित हितों की संरक्षित रखा जाता है। ठेका श्रमिकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुख–सुविधाओं में कैंटीन, विश्राम कक्ष, प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाएं तथा कार्य करने के स्थान पर पीने के पानी आदि जैसी अन्य मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध करवाया जाना शामिल है। मजदूरी तथा अन्य लाभों का भुगतान सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी मुख्यतः ठेकेदार की होती है और चूक होने पर यह जिम्मेदारी प्रधान नियोक्ता की होती है।

10-8 इस अधिनियम के दायरे से प्रतिष्ठानों को छूट प्रदान करते हुए इस अधिनियम की धारा 31 अंतर्गत अब तक 22 अधिसूचनाएं जारी की जा चुकी है।

10-9 केन्द्रीय क्षेत्र में मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) की अध्यक्षता में केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) एवं उसके अधिकारियों को अधिनियम के उपबंधों एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है।

10-10 पंजीकरण/लाइसेंस अधिकारियों/अपीलीय अधिकारियों के संबंध में वर्तमान स्थिति के अतिरिक्त ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत सहायक कल्याण आयुक्तों/उप कल्याण आयुक्तों को पंजीकरण एवं लाइसेंस अधिकारियों के रूप में नियुक्त करने तथा कल्याण आयुक्तों को अपीलीय अधिकारियों के रूप में नामित करने के संबंध में अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।

अध्याय 11

महिलाएं एवं श्रम

efgyk Jfedk dh Hkfedk

11-1 भारत के श्रम बल में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में महिला कामगारों की कुल संख्या 149.8 मिलियन है तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिला कामगार क्रमशः 121.8 और 28.0 मिलियन है। 149.8 महिला कामगारों में से 35.9 मिलियम महिलाएं खेतिहर के रूप कार्यरत हैं तथा 61.5 मिलियन कृषि श्रमिक हैं। शेष महिला कामगारों में से 8.5 मिलियन घरेलू उद्योग में हैं तथा 43.7 मिलियन को अन्य कामगारों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

11-2 2011 की जनगणना के अनुसार, महिलाओं की कार्य – सहभागिता दर 2001 में 25.63 प्रतिशत की तुलना में 25.51 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की कार्य सहभागिता दर शहरी क्षेत्रों में 15.44 प्रतिशत की तुलना में 30.02 प्रतिशत है। श्रम ब्यूरो द्वारा अक्तूबर 2012 और दिसम्बर 2013 में संचालित तृतीय एवं चतुर्थ वार्षिक रोजगार–बेरोजगार सर्वेक्षण के अनुसार महिला श्रम बल सहभागिता दर 22.60% से बढ़कर 25.8% हो गई है।

11-3 2012 के दौरान रोजगार महानिदेशालय द्वारा कराए गए वार्षिक रोजगार पुनरीक्षण के अनुसार, संगठित क्षेत्र में कुल रोजगार 295.79 लाख है। कुल 295.79 लाख कामगारों में से संगठित क्षेत्र (सार्वजनिक तथा निजी) में 60.54 लाख महिलाएं रोजगार में हैं जो कि संगठित क्षेत्र के कुल रोजगार का 20.5% है। इसमें से 2011–12 के दौरान थोक और खुदरा व्यापार तथा रेस्तरां और होटलों में 0.94 लाख महिलाएं रोजगार में थीं।

efgyk dkexkjk d fgr dh lj{kk

11-4 राष्ट्रीय जन शक्ति और आर्थिक नीतियों के ढांचे के भीतर महिला श्रम बल संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण तथा समन्वयन।

- महिला कामगारों के संबंध में कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ सम्पर्क बनाए रखना।
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के कार्यान्वयन को मॉनिटर करना और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के अधीन सलाहकार समिति का गठन करना।
- महिला श्रमिकों के लिए विशेष रूप से विधिक अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में जागरूकता सृजन शिविर आयोजित करने वाले गैर सरकारी / स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान करना।

11-5 सरकार ने महिला कामगारों हेतु सौहार्दपूर्ण कार्य–वातावरण तैयार करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। विभिन्न श्रम कानूनों में अनेक संरक्षात्मक उपबंध समाविष्ट किए गए हैं। इनका वर्णन c,Dl 11-1 में किया गया है।

11-6 पुरुष और महिलाओं के लिए समान पारिश्रमिक से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 1951 के अभिसमय संख्या 100 का भारत सरकार ने वर्ष 1958 में अनुसमर्थन

किया था। संवैधानिक उपबंधो को प्रभावी बनाने और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय संख्या 100 का भी प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए, 1976 को समान पारिश्रमिक अधिनियम का अधिनियमन किया गया था।

leku ikfJfed vf/kfu;e] 1976

11-7 समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में उसी कार्य अथवा समान कार्य हेतु बिना किसी भेदभाव के पुरुष और महिला कामगारों को समान पारिश्रमिक का भुगतान किए जाने तथा उसी कार्य अथवा समान प्रकृति के कार्य हेतु भर्ती करते समय, अथवा भर्ती के उपरांत पदोन्नतियों, प्रशिक्षण अथवा स्थानांतरण जैसी सेवा की किसी शर्त में महिला कर्मचारी के विरुद्ध भेदभाव की रोकथाम का प्रावधान है। इस अधिनियम के उपबंधों का रोजगार की सभी श्रेणियों पर विस्तार किया गया है। इस अधिनियम को दोस्तों अर्थात केन्द्रीय स्तर और राज्य स्तर पर कार्यान्वित किया जाता है। केन्द्रीय क्षेत्र में, इस अधिनियम के प्रवर्तन का उत्तरदायित्व मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय), जो केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) की अध्यक्षता करते हैं, को सौंपा गया है। माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री की अध्यक्षता में इस अधिनियम के कारगर कार्यान्वयन हेतु उठाए गए कदमों का पुनरीक्षण करने हेतु समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 संबंधी केन्द्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है।

11-8 समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले नियोजकों के विरुद्ध न्यायालयों में शिकायतें दायर किए जाने के प्रयोजनार्थ इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित सामाजिक कल्याण संगठनों को मान्यता प्रदान की गई है।

- महिला विकास अध्ययन केन्द्र, नई दिल्ली
- स्वनियोजित महिला संघ, अहमदाबाद
- श्रम जीवी महिला मंच (भारत), चेन्नई
- सामाजिक अध्ययन न्यास संस्थान, नई दिल्ली।

11-9 उन मामलों में, जिनमें राज्य सरकार ''समुचित प्राधिकरण'' हैं, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के उपबंधों का प्रवर्तन राज्य के श्रमविभागों के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने के उद्देश्य से मंत्रालय के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा राज्य सरकारों से वार्षिक विवरणियां मंगायी जाती हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस अधिनियम का और अधिक कड़ाई से प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर सलाह दी जाती रही है ताकि महिला कामगारों की हालत में सुधार लाया जा सके।

efgyk Jfedk dh fy, lgk;rk vuqnku ;kstuk

11-10 यह मंत्रालय महिला श्रमिकों के कल्याण हेतु सहायता अनुदान योजना चला रहा है। यह योजना उन गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ)/स्वैच्छिक संगठनों (वीओ) द्वारा कार्यान्वित की जाती है जिन्हें महिला श्रमिकों की समस्याओं के बारे में सामान्य जागरूकता बढ़ाने पर लक्षित संगोष्ठियां और कार्यशालाएं आदि आयोजित करके कामकाजी महिलाओं को संगठित करने और केन्द्र/राज्य सरकारों के विभिन्न श्रम कानूनों के तहत उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करने और विधिक सहायता के लिए कुल परियोजना लागत की 75% (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 90%) वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का केन्द्र बिन्दु महिला श्रमिकों के लाभार्थ उपलब्ध केन्द्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों की विभिन्न योजनाओं/कानूनों के संबंध में सूचना का प्रचार–प्रसार करने और महिला श्रमिकों को मजदूरी तथा न्यूनतम मजदूरी, समान पारिश्रमिक आदि के क्षेत्र में जागरूक बनाना है।

11-11 इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए राज्य सरकार/जिला अधिकारी की टिप्पणी/सिफारिशों के साथ अग्रेषित प्रस्तावों पर विचार किया जाता है। राज्य सरकार की सिफारिशें पूर्ण और स्पष्ट होनी चाहिए और राज्य सरकार/जिला अधिकारी की सिफारिशों के साथ निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करनी चाहिए। पिछले तीन वर्षों से इस स्कीम के तहत लाभान्वित महिलाओं की संख्या 54,250 है।

11-12 श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस मंत्रालय तथा इसके संबद्ध कार्यालयों के महिला कर्मचारियों की कार्यस्थल पर यौन–उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए एक शिकायत समिति पुनर्गठित की गई है।

efgyk dkexkjk dk çf'k{k.k

11-13 महिला कामगारों के सशक्तिकरण के संबंध में भारत सरकार के जोर के अनुरूप, दत्तोपंत थेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (पूर्ववर्ती केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड) द्वारा बोर्ड के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिला कामगारों की और अधिक सहभागिता के लिए विशेष प्रयास किए गए। वर्ष 2016–17 (सितम्बर, 2016 तक) के दौरान, बोर्ड के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,05,274 महिलाओं ने भाग लिया था। कुल 1,05,274 महिला कामगारों में से, 49,909 अनुसूचित जाति श्रेणी और 16237 अनुसूचित जनजाति श्रेणी की थीं।

11-14 दत्तोपंत थेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (पूर्ववर्ती केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड) महिला कामगारों के लिए 2–दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित करता है जिसमें असंगठित क्षेत्र की विभिन्न श्रेणियों की केवल महिला प्रतिभागियों को नामांकित किया जाता है। सितम्बर, 2016 तक, महिला कामगारों के लिए ऐसे 309 विशेष कार्यक्रम संचालित किए गए थे जिनमें 11654 कामगारों ने भाग लिया। महिलाओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों, तथा महिला और बाल कल्याण के संबंध में विभिन्न श्रम विधानों के तहत उपबंधों तथा महिलाओं और बच्चों के उत्थान हेतु स्वास्थ्य और स्वच्छता, सम्पूर्ण देख–रेख आदि से संबंधित महिलाओं संबंधी केन्द्रीय और राज्य सरकार के विभिन्न अन्य उपबंधों से अवगत कराया जाता है।

f'k'kq ikyu dsUæ

11-15 महिला कामगारों की सुविधा हेतु शिशु पालन केन्द्र खोलने के लिए कतिपय श्रम कानूनों में सांविधिक उपबंधों की व्यवस्था की गई है। इन में कारखाना अधिनियम, 1948, बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966, खान अधिनियम, 1952, बागान अधिनियम, 1951 और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996, शामिल हैं।

c,Dl 11-1

efgykvksa dk fu;kstu&lajf{kkRed dkuuh micU/k

vf/kfu;e dk uke	lja{kkRed micU/k
1. बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966	शिशु गृहों का प्रावधान : ➢ ऐसे प्रत्येक औद्योगिक परिसरों में शिशु गृहों की व्यवस्था जहां सामान्यतः तीस से अधिक महिलाएं नियोजित हो वहां ऐसी महिला कर्मचारियों के छः वर्ष से कम आयु के बच्चों के उपयोग हेतु उपयुक्त कमरा अथवा कमरे प्रदान किए जाएंगे और उनका रखरखाव किया जाएगा।
2. बागान श्रम अधिनियम, 1951, आयु के बच्चों के उपयोग हेतु उपयुक्त कमरा अथवा कमरे प्रदान किए जाएंगे और उनका रखरखाव किया जाएगा।	➢ हर उस बागान में शिशु गृह का प्रावधान जहां पचास या इससे ज्यादा महिला कामगार (किसी ठेकेदार द्वारा नियोजित महिला कामगार सहित) नियोजित हों या महिला कामगारों (किसी ठेकेदार द्वारा नियोजित महिला कामगार सहित) के बच्चों की संख्या बीस या इससे ज्यादा हो। ➢ परिवार की परिभाषा महिला–पुरूष निरपेक्ष बना दी गई है ताकि आश्रित–लाभ उठाने के लिए पुरूष एवं महिला कामगारों के परिवारों के बीच अंतर मिटाया जा सके। परिवार में महिला कामगारों और पुरूष कामगारों की आश्रित विधवा बहन भी शामिल होगी। ➢ बागानों में कार्यरत कामगारों विशेषतया महिलाओं और किशोरों की सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य के सभी पहलुओं को कवर करने हेतु, बागानों में प्रयुक्त रसायनों, कीटनाशकों और विषाक्त पदार्थों को हैंडल करने, भंडारण करने अथवा लाने–लेजाने से संबंधित एक नया अध्याय जोड़ा गया है।
3. ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970	➢ ठेका श्रमिकों के रूप में सामान्यतः बीस या इससे अधिक महिलाओं के नियोजन वाले स्थान पर शिशु गृहों का प्रावधान। ➢ किसी ठेकेदार द्वारा महिला श्रमिक से प्रातः 6.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक के बीच ही काम लिया जाए। इस में अस्पताल एवं डिस्पेंसरी में काम करने वाली दाई तथा नर्सें शामिल नहीं है।

4. अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं से वाशर्तें) अधिनियम, 1979	➢ प्रवासी कामगार के रूप में सामान्यतः बीस या इससे अधिक महिला कामगारों को नियोजित करने वाले ऐसे प्रतिष्ठानों में शिशु गृहों का प्रावधान जिनमें प्रवासी कामगारों का नियोजन तीन माह या इससे ज्यादा जारी रहने की संभावना हो।
5. कारखाना अधिनियम, 1948	➢ सामान्यतः तीस से अधिक महिला कामगारों को नियोजित करने वाले हर कारखाने में शिशु गृह का प्रावधान। ➢ प्रातः 6.00 बजे से सायं 7.00 बजे के बीच की अवधि को छोड़ कर कारखाने में महिलाओं का नियोजन प्रतिशिद्ध है। तथापि, अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में, 10.00 बजे रात्रि तक महिलाओं के नियोजन की अनुमति है। ➢ खतरनाक संकार्यों वाले कतिपय कारखानों में भी महिलाओं का नियोजन प्रतिशिद्ध/प्रतिबंधित है। ➢ किसी भी महिला को गतिमान प्राइम मूवर के किसी भाग की सफाई करने, तेल लगाने या व्यवस्थित करने की अनुमति नहीं होगी। ➢ किसी भी महिला को कॉटन ओपनर के चलते समय कॉटन प्रेसिंग के लिए कारखाने के किसी भाग में नियोजित नहीं किया जाएगा।
6. खान अधिनियम, 1952	➢ भूमिगत खानों में महिलाओं का नियोजन प्रतिशिद्ध किया गया। भूमि पर स्थित किसी भी खान में महिला कामगारों के लिए प्रातः 6 बजे से सायं 7 बजे के बीच अनुमति है। केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, भूमि पर महिलाओं के नियोजन के घंटों में परिवर्तन कर सकती है। तथापि, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच महिलाओं के किसी भी नियोजन की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, भूमि स्थित खानों में काम करने वाली महिलाओं के विश्राम की अवधि किसी भी दिन रोजगार की समाप्ति और रोजगार की अगली अवधि के आरंभ होने के बीच ग्यारह घंटे से कम नहीं होनी चाहिए। महिला कामगारों के लिए अलग से शौचालय एवं धुलाई सुविधाओं का प्रावधान भी अधिनियम का भाग है।

7. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961	➢ गर्भावस्था/प्रसव हेतु 12 सप्ताह तक (100 वेतन छुट्टी) का प्रसूति लाभ। ➢ बच्चे वाली महिलाओं के लिए दो पोषणार्थ। ➢ गर्भपात/गर्भावस्था को समाप्त करवाने की स्थिति में छः सप्ताह की छुट्टी। ➢ महिला नसबंदी अप्रेशन के लिए दो सप्ताह की छुट्टी। ➢ गर्भावस्था/प्रसव से संबद्ध बीमारी की स्थिति में अधिकतम एक माह की छुट्टी। ➢ प्रसव के लिए नियोक्ता से कोई चिकित्सा सुविधा प्राप्त नहीं करने वाली महिलाओं को चिकित्सा बोनस (3500/–रुपये) ➢ गर्भावस्था के कारण अनुपस्थिति होने पर वर्खास्तगी पर प्रतिशेध। ➢ गर्भावस्था/प्रसूति छुट्टी के दौरान मजदूरी की कोई कटौती नहीं। ➢ प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2016 प्रसूति छुट्टी को विद्यमान 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किए जाने, शिशुशाला की सुविधा, घर से कार्य की सुविधा तथा गोद लेने वाली/कमिशनिंग माताओं के लिए 12 सप्ताह की प्रसूति प्रसुविधा हेतु सांसद के समक्ष विचाराधीन है।
8. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976	➢ एक ही कार्य या एक ही स्वरूप के कार्य के लिए पुरुषों तथा महिलाओं को समान पारिश्रमिक दिया जाना अधिनियम के अधीन सुरक्षित है। ➢ भर्ती या सेवा शर्तों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा सिवाय इसके कि किसी कानून के तहत अथवा अंतर्गत महिलाओं का नियोजन प्रतिशिद्ध या प्रतिबंधित किया गया हो।

9. कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) विनियम, 1950 के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948	➢ 12 सप्ताह का प्रसूति लाभ (सवेतन छुट्टी) जिसमें प्रसव की प्रत्याशित तारीख से छः सप्ताह से अनाधिक पूर्व का हो। ➢ प्रसूति लाभ के उपरांत बीमारी के कारण एक माह की विस्तारित प्रसुविधा ➢ गर्भ पात/गर्भावस्था को समाप्त करवाने की स्थिति में छः सप्ताह की छुट्टी। ➢ सिद्धान्तः प्रसुति लाभ को विद्यमान 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिए जाने और गोद लेने वाली/कमिशनिंग माताओं के लिए भी प्रसूति प्रसुविधाओं का निर्णय लिया गया।
10. बीड़ी कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1976	➢ इन अधिनियमों के तहत क्रम संख्या 10–13 में सलाहकार तथा केन्द्रीय सलाहकार समिति में महिला सदस्यों की नियुक्ति अनिवार्य है।
11. लौह अयस्क खान, मैग्नीज अयस्क खान, क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1976	
12. चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1972	
13. अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1946	
14. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार काविनियमन और सेवाशर्ते) अधिनियम, 1996	➢ भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्डों में एक महिला सदस्य का प्रतिनिधित्व। ➢ कल्याण निधि की महिला हित लाभार्थियों को प्रसूति लाभ का प्रावधान। ➢ जहां 50 से अधिक महिला निर्माण कामगार सामान्यतः नियोजित हैं वहां ऐसी महिला कामगारों के छः वर्ष से कम आयु के बच्चों के उपयोग हेतु शिशुगृहों की व्यवस्था।
15. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946	➢ कार्य–स्थलों पर महिला कामगारों के यौन–शोषण के विरूद्ध सुरक्षा संबंधी प्रावधान करना।

अध्याय-12

बच्चे एवं कार्य

çLrkouk

12-1 भारत सरकार देश में बाल श्रम उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे संविधान में बच्चों को आर्थिक गतिविधियों और उनकी आयु के अनुसार अनुपयुक्त उप–व्यवसायों में काम करने से सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान मौलिक अधिकारों में दिया गया है (अनुच्छेद–24)। संविधान में राज्य के नीति निर्देशात्मक सिद्धांत भी इस वचनबद्धता को जोरदार ढंग से दोहराते हैं।

lo/kkfud mic/k

vuPNn 21 d

f'k{kk dk vf/kdkj

राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा ऐसे ढंग से प्रदान करेगा जैसे राज्य, विधि द्वारा, निर्धारित करें।

vuPNn 24

dkj[kkuk vkfn e cPpk d fu;kstu dk çfr"k/k

चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बच्चों को किसी कारखाने अथवा खान में काम करने हेतु नियोजित अथवा किसी अन्य जोखिमकारी रोजगार में लगाया नहीं किया जाएगा।

vuPNn 39

jkT;] fo'k"kr;k] viuh uhfr fuEufyf[kr lfuf'pr dju dh fn'kk e funf'kr djxk %&

(ङ) कि कामगारों, पुरूषों एवं महिलाओं, का स्वास्थ्य एवं शक्ति, तथा बच्चों की नाजुक आयु का दुरूपयोग न हो तथा यह कि नागरिक आर्थिक आवश्यकता द्वारा अपनी आयु अथवा शक्ति से अनुपयुक्त उपजीविकाओं में जाने को बाध्य न हों।

12-2 इस समस्या के बहुमुखी स्वरूप को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में कार्यरत बच्चों से आरम्भ करते हुए अन्य व्यवसायों में कार्यरत बच्चों को भी उत्तरोत्तर रूप से शामिल करते हुए, देश में चरणबद्ध ढंग से बाल श्रम के उन्मूलनार्थ पुनीत और बहु–आयामी कार्यक्रम शुरू किया था। एक तरफ यह प्रवर्त्तन उद्देश्यों हेतु कानूनी कार्रवाई का प्रावधान करता है और दूसरी तरफ यह बच्चों के परिवारों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के साथ–साथ बाल बहुलता वाले क्षेत्रों में परियोजना आधारित कार्रवाई के लिए सामान्य विकास कार्यक्रमों पर संक्रेन्दित है।

jk"Vªh; cky Je&uhfr

12-3 नियोजन के विरुद्ध बच्चों के संरक्षण के लिए किए गए संवैधानिक एवं कानूनी उपबंधों को सन् 1987 में घोषित राष्ट्रीय बाल श्रम–नीति में वर्णित किया गया है।

इस नीति में बाल श्रम के जटिल मुद्दे को व्यापक, समग्र एवं एकीकृत ढंग से निपटने की बात कही गयी है। इस नीति के अंतर्गत कार्य योजना बहुमुखी है और इसमें मुख्यतया निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं:

(i) विधायी कार्य योजनाय

(ii) बच्चों के परिवारों के लाभार्थ सामान्य विकास कार्यक्रमों पर ध्यान देनाय और

(iii) बाल श्रमिकों की अधिकता वाले क्षेत्रों में परियोजना आधारित कार्यक्रम।

dk;l LFky ij ckydk dk fof/kd lqj{k.k

12-4 बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 का अधिनियमन, अधिसूचित जोखिमपूर्ण व्यवसायों (18) और प्रक्रियों (65) जैसे कालीन बुनना, भवन एवं निर्माण कार्य, ईंट–भट्टे, होजरी के सामान का उत्पादन आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन निशिद्ध करने तथा अन्य व्यवसायों/प्रक्रियाओं में बच्चों के कार्य की दशाएं विनियमित करने के लिए किया गया है। इसका एक उप–सिद्धांत यह होगा कि यदि कोई बच्चा कार्य स्थल पर जाता है, तो वह स्कूल नहीं जा पाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 14 वर्ष की आयु तक अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य के साथ मिलाने के लिए, सरकार ने बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 के अधिनियम के साथ बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1896 में संशोधन किया है जिसमें सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन या काम पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान है। संशोधन अधिनियम अनुसूचित जोखिमपूर्ण व्यवसायों और प्रक्रियाओं में 14–18 वर्ष की आयु के किशोरों के नियोजन या काम भी निषेध करता है। संशोधन अधिनियम 01.09.2016 से लागू हुआ।

12-5 अधिनियम की अनुसूची में अन्य व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं को जोड़ने या हटाने के लिए केन्द्र सरकार को सलाह देने हेतु बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी), जो कि विशेषज्ञों का निकाय है, का गठन करने की व्यवस्था का अधिनियम में प्रावधान है। समिति में अध्यक्ष तथा अधिकतम 10 सदस्य शामिल हैं जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। सरकार ने अधिनियम की वर्तमान अनुसूची की समीक्षा हेतु 01.09.2016 को टीएसी का गठन किया है।

12-6 बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम,1986 की धारा 2 (i) में, अधिनियम के कार्यान्वयन में केन्द्र और राज्य सरकारों–दोनों के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन प्रतिष्ठान या रेलवे प्रशासन या प्रमुख पत्तन या खान या तेल क्षेत्र के मामले में केन्द्र सरकार ''समुचित सरकार'' है। अन्य समस्त मामलों में राज्य सरकार ''समुचित सरकार'' है।

12-7 सरकार बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के प्रवर्तन पर भी पर्याप्त बल दे रही है। अधिनियम के अंतर्गत अधिनियम के उल्लंघन के लिए पिछले पांच वर्षों (2011–15) के दौरान, लगभग 10.00 लाख से निरीक्षण किए गए हैं, जिनके परिणामस्वरूप 0.19 लाख अभियोजन चलाए गए जिनमें से 5000 से अधिक दोषसिद्धियां प्राप्त की गयीं। अब, संशोधन अधिनियम के माध्यम से, अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए किए गए अपराध को संज्ञेय बनाया गया है तथा दाण्डिक उपबंध भी और कड़े बनाए गए हैं।

12-8 एनएसएसओ द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 2004–05 में कामकाजी बच्चों की अनुमानित संख्या 90.75 लाख थी तथा वर्ष 2009–10 में एनएसएसओ सर्वेक्षण के अनुसार, कामकाजी बच्चों की अनुमानित संख्या 49.84 लाख है। देश में 2011 के जनगणना के अनुसार 5–14 वर्ष के आयु वर्ग के कुल मुख्य कामगारों की संख्या 43.53 लाख है जो कि घटती प्रवृत्ति दर्शाती है।

ifj;ktuk vk/kkfjr dkjokbl

12-9 बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए सरकार ने देश के बाल श्रम बहुल 12 जिलों में कार्यरत बच्चों के पुनर्वास हेतु 1988 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम आरम्भ की थी। वर्तमान में आदिनांक यह स्कीम देश के 270 जिलों में संस्वीकृत है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत बाल श्रमिकों हेतु चल रहे विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों वाले जिलों की सूची rkfydk 12-1 में दर्शाई गई है।

12-10 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। परियोजना के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए स्कीम के अंतर्गत कलेक्टर/जिलाधीश की अध्क्षता में जिला स्तर पर, परियोजना समितियां गठित की जाती हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत, बच्चों को काम से हटाया जाता है और उन्हें विशेष स्कूलों में दाखिल कराया जाता है, जहाँ उन्हें ब्रिंजिग शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वजीफा, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं आदि प्रदान की जाती हैं और अन्ततः उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में लाया जाता है। इसके अलावा, परिवार के आर्थिक स्तर को उठाने के लिए इन बच्चों के परिवारों को सरकार के विभिन्न विकासात्मक और आय/रोजगार सृजन कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल करने के लिए इन बच्चों के परिवारों को लक्षित करने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से बाल श्रम की कुरीतियों के विरुद्ध तथा बाल श्रम कानूनों के प्रवर्तन हेतु जागरुकता जागरण अभियान का वित्त–पोषण करता है। वर्तमान में लगभग 1.20 लाख बच्चों के नामांकन के साथ देश में लगभग 3000 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कूल चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत, नवंबर, 2016 की स्थिति के अनुसार, 12.00 लाख से अधिक कार्यरत बच्चों को एनसीएलपी स्कीम के अंतर्गत पहले ही नियमित शिक्षा की मुख्यधारा में लाया जा चुका है।

12-11 पिछले पांच वर्षों के दौरान इस योजना के तहत वर्ष–वार आबंटित बजट एवं किया गया व्यय निम्नानुसार है: (आंकड़े करोड़ में)

o"k	ctV vkcaVu ¼vfre½	0;;
2011-12	143.00	142.66
2012-13	130.18	128.11
2013-14	111.00	110.73
2014-15	110.87	102.34
2015-16	99.50	93.20

ljdkjh dk;Øeks dk lek;ktu ¼dkUoxtlul½

12-12 जैसा कि बाल श्रम गरीबी, आर्थिक पिछड़ेपन, बुनियादी सेवाओं तक पहुँच का अभाव, निरक्षरता आदि जैसी विभिन्न सामाजिक आर्थिक समस्याओं का परिणाम

है, इसलिए सरकार केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा जिला स्तर पर चालू विकासात्मक स्कीमों के अभिसरण के लिए बेहद केन्द्रित और समन्वित प्रयास कर रही है। रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा के लिए कतिपय अधिकार और स्कीमें देने के लिए भारत सरकार की सभी पहलें बाल श्रम का उन्मूलन करने के प्रयासों का भाग हैं। परिशोधित एनसीएलपी दिशा–निर्देशों के अंतर्गत, सर्व शिक्षा अभियान और अन्य स्कीमों के साथ इसके अभिसरण पर अधिक बल दिया गया है। एनसीएलपी स्कूलों में प्रत्येक बच्चे के लिए स्कूल की वर्दियाँ और पाठ्य–पुस्तक एसएसए के अंतर्गत व्यवस्थित हैं जबकि सरकार की मध्याह्न भोजन स्कीम के माध्यम से पका हुआ पोषक भोजन सुनिश्चित किया जाता है। स्वास्थ्य जांच और स्वास्थ्य कार्ड बनाने सहित प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख का प्रावधान भी एनआरएचएम के अंतर्गत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

12-13 बच्चों का शैक्षिक पुनर्वास उनके परिवारों के आर्थिक पुनर्वास के साथ भी संपूरित किया जाना है। सरकार परिशोधित एनसीएलपी स्कीम तथा सरकार की विभिन्न विकासात्मक स्कीमों के अभिसरण के माध्यम से भी ने केवल कामकाजी बच्चों के बल्कि उनके परिवारों के उचित पुनर्वास पर ध्यान–केन्द्रण के साथ सुसंगत पद्धति को अंगीकार कर रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एकीकृत बाल संरक्षण कार्यक्रम के भाग के रूप में आश्रय स्थलों की उनकी स्कीमों के माध्यम से काम से छुड़ाए गए बच्चों को भोजन और आश्रय का प्रावधान करता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय को मनरेगा के अंतर्गत बच्चों के माता–पिता को उनके निवास स्थान के नजदीक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत छूट प्राप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराता है।

,ulh,yih ;kstuk dh f'k{kk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2009 ¼vkjVhbZ vf/kfu;e½ ls iqulZac) rk

12-14 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अधिनियमन के साथ ही, एनसीएलपी योजना की आरटीई अधिनियम, 2009 के उपबंधों से पुनर्संबद्धता की आवश्यकता हुई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिनांक 02.07.2010 के अपने पत्र सं.10–4/2009–ईई 4 द्वारा सूचित किया कि एनसीएलपी विद्यालय, अनामांकित और विद्यालय बाह्य बच्चों के लिए आरटीई अधिनियम की धारा 4 के उपबंधों और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (आरटीई) नियम, 2010 के नियम 5 के अनुसार विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के रुप में कार्य कर सकते हैं।

12-15 सरकार बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के प्रवर्तन पर भी अत्यधिक बल दे रही है। सरकार ने बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 का अधिनियमन किया है जो 01.09.2016 से लागू हुआ। इस संशोधन में अन्य बातों के साथ–साथ 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंधय नियोजन के निषेध की आयु को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से जोड़नाय जोखिमपूर्ण व्यवसायों या प्रक्रियाओं में किशोरों (14 से 18 वर्ष की आयु) के नियोजन का निषेध तथा अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले नियोजकों को कड़े दण्ड देना शामिल है।

cky Je vf/kfu;e e l'kk/ku d i'pkr ljdkj }kjk dh xb igy

12-16 इस अधिनियम में केन्द्र सरकार को अधिनियम की अनुसूची व्यवसायों और प्रक्रियाओं में जोड़ने या हटाने हेतु सलाह देने के लिए तकनीकी सलाहकार समिति (जो एक विशेषज्ञ निकाय है) के गठन का उपबंध है। केन्द्र सरकार ने अधिनियम की अनुसूची में व्यवसायों और प्रक्रियाओं के संबंध में केन्द्र सरकार को सलाह देने के लिए 01.09.2016 को तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया है।

12-17 इस अधिनियम में अधिनियम के कार्यान्वयन में केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों के अधिकार–क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन आने वाले प्रतिष्ठानों या रेलवे प्रशासन या प्रमुख पत्तन या खान या तेल क्षेत्र के संबंध में "समुचित सरकार" है। अन्य सभी मामलों में, राज्य सरकार "समुचित सरकार" है। इस संबंध में, संशोधन अधिनियम के अधिनियमन के पश्चात राज्य सरकारों/संघ राज्य–क्षेत्रों की ओर से की गई कार्रवाईयों की गणना करते हुए राज्य सरकारों/संघ राज्य–क्षेत्रों को राज्य कार्य योजना जारी की गई है।

12-18 भारत सरकार आईएलओ अभिसमय 138 और 182 का अनुसमर्थन नहीं कर सकी क्योंकि हमारे पूर्व कानून और पद्धतियां उक्त अभिसमय के प्रावधानों पूर्ण रूप से अनुरूप नहीं थीं। आईएलओ अभिसमय सं. 138 में अन्य बातों के साथ–साथ विहिति है कि रोजगार में प्रवेश की न्यूनतम आयु होनी चाहिए जो अनिवार्य शिक्षा या 15 वर्ष (विकासशील देशों के मामले में 14 वर्ष तक छूट) की आयु से कम नहीं होनी चाहिए। आईएलओ अभिसमय 182 में अन्य बातों के साथ–साथ जोखिमपूर्ण व्यवसायों में काम करने की न्यूनतम आयु का उल्लेख 18 वर्ष की आयु के रूप में है। यह संशोधन हमारी संविधियों को आईएलओ अभिसमयों के साथ श्रेणीबद्ध करता है तथा सरकार ने इन आईएलओ अभिसमयों का अनुसमर्थन करने हेतु आवश्यक कार्रवाई आरंभ की है।

12-19 मंत्रालय ने बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 के अंतर्गत अधिक स्पष्टता के साथ इसके बेहतर कार्यान्वयन के लिए नियम बनाने हेतु समिति का गठन भी किया है।

jk"Vh; cky Je ifj;ktuk Ldhe dk vuoh{k.k

12-20 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के समग्र पर्यवेक्षण और अनुवीक्षण हेतु सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय अनुवीक्षण समिति है। राज्य सरकारों को भी यह सलाह दी गई है कि वे राज्य स्तर की अनुवीक्षण समितियों का गठन केन्द्र की अनुवीक्षण समिति के समान ही करें।

12-21 jk"Vh; cky Je ifj;ktuk Ldhe dk eY;kdu

LofPNd lxBu d fy, lgk;rk

12-22 सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत, कार्यरत बच्चों के पुनर्वास के लिए कार्यान्मुख परियोजनाएं शुरू करने हेतु लागत की 75% वित्तीय सहायता, स्वैच्छिक संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों प्रदान की जा रही है। सहायता अनुदान योजना उन जिलों में कार्यान्वित की जा रही है जिनमें एनसीएलपी नहीं है।

cky Je d lc/k e ekuuh; mPpre U;k;ky; dk fu.k;

12-23 माननीय उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों को समय–समय पर विभिन्न निर्देश जारी किए हैं। इनमें से कुछ निर्देश निम्नलिखित हैं:

- जोखिमपूर्ण व्यवसायों में लगे बाल श्रमिकों के सर्वेक्षण को पूर्ण करना;
- अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन कर नियोजित किए गए प्रत्येक बच्चे के लिए उल्लंघन करने वाले नियोजक द्वारा 20,000/–रुपये के मुआवजे का भुगतान;
- जोखिमकारी व्यवसायों से हटाए गए बाल श्रमिक परिवार के किसी वयस्क सदस्य को वैकल्पिक काम दिया जाए अथवा जोखिमपूर्ण व्यावसाय में लगे प्रत्येक बाल श्रमिक के लिए समुचित सरकार द्वारा 5000/– रुपये की राशि का भुगतान किया जाए;
- काम से निकाले गए बालकों के परिवार को 25,000/– की कायिक निधि (20,000/–रुपये नियोजक द्वारा तथा 5,000/–रुपये समुचित सरकार द्वारा) पर ब्याज का भुगतान किया जाए;
- काम से निकाले गए बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए उपयुक्त संस्था में भेजने का प्रावधान या
- बाल श्रम पुनर्वास–सह–कल्याण निधि का गठन या
- अनुवीक्षण के प्रयोजनार्थ समुचित सरकार के श्रम विभाग में एक अलग कक्ष का गठन।

cky ,o fd'kkj Je iqukl fuf/k dk çko/kku%

12-24 पुनर्वास निधि के लिए सांविधिक समर्थन देने के लिए, सरकार ने जिला स्तर पर बाल एवं किशोर श्रम पुनर्वास निधि के गठन हेतु बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 में उपबंध यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया है कि बच्चों और किशोरों के कल्याण और शिक्षा के लिए निधि में एकत्रित राशि द्वारा न केवल उन्हें बचाया जाए बल्कि उनका भविष्य भी सुरक्षित किया जाए। बच्चों या किशोरों के नियोजकों से वसूले गए जुर्माने की राशि पुनर्वास निधि में जमा की जाएगी तथा काम से बचाए गए प्रत्येक बच्चे और किशोरों के लिए समुचित सरकार द्वारा पंद्रह हजार रुपये की राशि भी जमा कराई जाएगी।

तालिका 12.1

,ulh,yih ;kstuk ds vUrxZr ftyksa dh jkT;&okj lefdr lwph

क्रम संख्या	राज्यों के नाम	जिलों की संख्या	जिलों के नाम
1.	आंध्र प्रदेश	12	अनन्तपुर, चित्तूर, कुड्डापा, गुन्टूर, कुरनूल, नेल्लूर, प्रकासम, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, प.गोदावरी और कृष्णा
2.	असम	3	नौगांव, कामरूप और लखीमपुर
3.	बिहार	24	नालंदा, सहरसा, जमुई, कटिहार, अररिया, गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, पटना, सुपौल, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, नवादा, खगड़िया, सीतामढ़ी, किशनगंज, बेगूसराय, बांका, सारण, पुरनिया और भागलपुर
4.	छत्तीसगढ़	7	दुर्ग, बिलासपुर, राजनंदगांव, सरगुजा, रायगढ़, रायपुर और कोरबा
5.	गुजरात	9	सूरत, पंचमहल, भुज, बनासकांठा, दाहोद, वड़ोदरा, भावनगर, अहमदाबाद और राजकोट
6.	हरियाणा	3	गुड़गांव, फरीदाबाद, और पानीपत।
7.	जम्मू और कश्मीर	2	श्रीनगर और उधमपुर
8.	झारखंड	8	गढ़वा, साहिबगंज, दुमका, पाकुर, प.सिंहभूम (चाईबासा), पलामू, रांची और हजारीबाग
9.	कर्नाटक	17	बीजापुर, रायचुर, धारवाड़, बंगलौर ग्रामीण, बंगलौर शहरी, बेलगाम, कोप्पल, दावणगिरी, मैसूर, बगलकोट, चित्रदुर्ग, गुलबर्गा, बेल्लारी, कोलार, मांड्या, हावेरी और तुमकुर
10.	मध्य प्रदेश	21	मंदसौर, ग्वालियर, उज्जैन, बड़वानी, रीवा, धार, पूर्वी निमाड़ (खंडवा), राजगढ़, छिन्दवाड़ा, शिवपुरी, सीधी, गुना, शाजापुर, रतलाम, पश्चिमी निमाड़ (खरगौन) झाबुआ, दमोह, सागर, जबलपुर, सतना और कटनी।
11.	महाराष्ट्र	16	सोलापुर, थाणे, सांगली, जलगांव, नंदुरबार, नांदेड, नासिक, यवतमाल, धुले, बीड, अमरावती, जालना, औरंगाबाद, गौंदिया, मुम्बई उप–नगर और परबानी।
12.	नागालैण्ड	1	दीमापुर
13.	उड़ीसा	24	अंगुल, बालासोर, बरगढ़, बलांगीर, कटक, देवगढ़, गजपति (उदयगिरि), गंजम, झारसुगुड़ा, कालाहांडी, कोरापुट, मलकानगिरि, मयूरभंज, नबरंगपुर, नुआपाडा, रायगड़, सम्बलपुर, सोनपुर, जजपुर, क्योंझर, धनकेनत, खुर्दा, नयागढ़ और सुन्दरगढ़।
14.	पंजाब	3	जालंधर, लुधियाना और अमृतसर।

15.	राजस्थान	27	जयपुर, उदयपुर, टोंक, जोधपुर, अजमेर, अलवर, जालौर,चुरू, नागौर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, धौलपुर, सीकर, डुंगरपुर, भरतपुर, बीकानेर, झुंझनू, बूंदी, झालावाड़, पाली, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, दौसा, हनुमानगढ़, कोटा और बारान।
16.	तमिलनाडु	17	चिदम्बरनार (तूतीकोरीन), कोयंबटूर, धरमापुरी, वेल्लोर, सेलम, तिरूचिरापल्ली, तिरूनेलवेली, कृष्णागिरि, चेन्नई, एरोड, डिन्डीगुल, थेनी, काँचीपुरम, त्रिरूवनमल्लाई, तिरुवल्लूर, नाम्मकल और विरूधुनगर।
17.	उत्तर प्रदेश	47	वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही, बुलंदशहर, सहारनपुर, आजमगढ़, बिजनौर, गोन्डा, खेरी, बहराइच, बलरामपुर, हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर, फैजाबाद, बदायं, गोरखपुर, कुशीनगर, कन्नोज, शाहजहांपुर, रायबरेली, उन्नाव, सुलतानपुर, फतेहपुर, श्रावस्ती, प्रतापगढ़, बस्ती, सोनभद्र, मऊ, कोशाम्बी, बांदा, गाजियाबाद, जोनपुर, रामपुर, बरेली, लखनऊ, मेरठ, इटावा, आगरा, गाजीपुर, मथुरा, एटा, मुरादाबाद, इलाहाबाद, कानपुर नगर, अलीगढ़ और फिरोजाबाद।
18.	उत्तराखंड	1	देहरादून
19.	पश्चिम बंगाल	19	बर्दवान, उत्तरी दीनाजपुर, दक्षिण दीनाजपुर, उत्तरी चौबीस परगना, दक्षिणी चौबीस परगना, कोलकाता, मुर्शिदाबाद, मिदनापुर, मालदा, बांकुरा, पुरूलिया, बीरभूम, नादिया, हुगली, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, पूर्वी मिदनापुर एवं दार्जिलिंग।
20.	तेलंगाना	9	आदिलाबाद हैदराबाद, करीमनगर, खम्माम, महबूबनगर, नालगोंड़ा, रंगारेड्डी, वारंगल, निजामाबाद।
21.	दिल्ली	1	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली।
	कुल	270	

***

अध्याय-13

व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य

dkj[kkuk lykg lok vkj Je lLFkku egkfun'kky;

d- lxBu

13-1 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय, कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीफासली), मुंबई, कारखानों एवं पत्तनों/गोदियों में कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण से संबंधित मामलों में मंत्रालय के तकनीकी स्कंध के रुप में कार्य करता है। यह कारखानों एवं पत्तनों में व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी नीति और नियमों के निरुपण/समीक्षा में केंद्र सरकार की सहायता करता है, कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबंधों के कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन में राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के कारखाना निरीक्षणालयों से संपर्क बनाए रखता है, तकनीकी मामलों पर सलाह देता है, गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण) अधिनियम, 1986 को लागू करवाता है औद्योगिक सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य, औद्योगिक हाईजीन एवं औद्यागिक मनोविज्ञान इत्यादि में अनुसंधान कार्य करता है तथा जोखिम प्रक्रिया उद्योगों में कार्यरत पर्यवेक्षकीय कार्मिकों के लिए मुख्यतः औद्यागिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करता है जिसमें औद्योगिक सुरक्षा में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, औद्योगिक स्वास्थ्य में तीन महीने का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम – औद्योगिक स्वास्थ्य का एसोसिएट फेलो (ए एफ आई एच), सुरक्षा और स्वास्थ्य पर एक महीने का विशिष्ट प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शामिल हैं।

13-2 डीजीफासली संगठन की संरचना में मुख्यालय, पाँच श्रम संस्थान और 11 मुख्य पत्तनों में गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय शामिल हैं। मुंबई स्थित मुख्यालय में तीन प्रभाग/स्कंध है, नामतः कारखाना सलाह सेवा प्रभाग, गोदी सुरक्षा प्रभाग और पुरस्कार कक्ष।

13-3 केंद्रीय श्रम संस्थान, मुंबई ने वर्ष 1959 से कार्य करना शुरु किया और वर्तमान परिसर में संस्थान फरवरी 1966 में स्थानांतरित हुआ। समय के साथ संस्थान ने प्रगति की है और निम्नलिखित प्रभागों सहित एक प्रमुख राष्ट्रीय संसाधन केंद्र का दर्जा प्राप्त कर लिया हैः

- vk|kfxd lj{kk
- vk|kfxd gkbthu
- vk|kfxd fpfdRlk
- vk|kfxd 'kjhj fØ;k foKku
- vk|kfxd eukfoKku
- vk|kfxd ,xku,feDl
- i;koj.k vfHk;kf=dh
- depkjh çf'k{k.k
- y?k m|kx Ld/k
- mRikndrk
- Hkh"k.k tkf[ke vkj jlk;u lj{kk
- çc/k lpuk lok,

- lqj{kk ,oa LokLF; lapkj
- fuekZ.k lqj{kk

13-4 संस्थान के विभिन्न प्रभागों की गतिविधियों में अध्ययन एवं सर्वेक्षण करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, संगोष्ठियां एवं कार्यशाला आयोजित करना, तकनीकी सलाह देना, सुरक्षा परीक्षण करना, वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणों की जांच करके निष्पादन रिपोर्ट जारी करना, व्याख्यान देना इत्यादि शामिल है।

13-5 कोलकाता, चेन्नई, कानपुर और फरीदाबाद स्थित क्षेत्रीय श्रम संस्थान (RLIs) उनसे संबंधित देश के विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएँ प्रदान करते हैं। इन संस्थानों में से हरेक में निम्नलिखित प्रभाग/अनुभाग हैं:

- vkS|ksfxd lqj{kk
- vkS|ksfxd gkbZthu
- vkS|ksfxd fpfdRlk
- LVkQ çf'k{k.k ,oa mRikndrk
- lqj{kk vkSj LokLF; lapkj
- Hkh"k.k tksf[ke vkSj jlk;u lqj{kk

13-6 भारत के 11 मुख्य पत्तनों नामतः कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, कांडला, मार्मुगाव, तूतिकोरिन, कोच्चि, न्यू मैंगलोर और जवाहरलाल नेहरु पोर्ट में गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय स्थापित किए गए हैं। एन्नोर पत्तन पर गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है।

13-7 दिनांक 31.10.2016 तक संगठन में स्वीकृत तथा कार्यरत कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित है–

bdkb;ka	rduhdh		ç'kklfud		dqy	
	Lohd`r	dk;Zjr	Lohd`r	dk;Zjr	Lohd`r	dk;Zjr
मुख्यालय	11	7	46	34	57	41
कें.श्र.सं. मुंबई	49	40	69	46	118	86
4 क्षे.श्र.सं.	61	41	80	42	141	83
गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय	28	17	28	15	56	32
dqy	149	105	223	137	372	242

[k- laxBu dh xfrfof/k;ka

I. dkj[kkuk eas lqj{kk rFkk LokLF;

13-8 कारखानों में कार्यरत कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित विभिन्न मामलों को विनियमित करने का प्रमुख विधान, कारखाना अधिनियम, 1948 है। यह अधिनियम एक केंद्रीय विधि है जिसका मुख्य उद्देश्य कारखानों में कार्यरत कामगारों को औद्योगिक और व्यावसायिक जोखिमों से बचाना है। राज्य सरकार और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन अधिनियम के अंतर्गत अपने नियमों को निरुपित करते हैं तथा अपने कारखाना निरीक्षणालयों/महानिदेशालयों द्वारा अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का प्रवर्तन करते हैं।

13-9 अधिनियम के उचित प्रवर्तन के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय संसद के प्रति उत्तरदायी है। विभिन्न राज्यों और संघशासित प्रदेशों में अधिनियम के प्रावधानों के समान अनुप्रयोग के लिए डीजीफासली द्वारा बनाए गए आदर्श नियम परिचालित किए जाते हैं, जो कि स्थानीय जरुरतों के अनुसार आवश्यक आशोधनों के बाद राज्य कारखाना नियमों में शामिल किए जाते हैं। आदर्श नियमों को तैयार करते समय डीजीफासली, श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से राज्यों और संघशासित प्रदेशों के मुख्य कारखाना निरीक्षकों के लिए वार्षिक सम्मेलन आयोजित करता है, जिसमें राज्य सरकारों की भागीदारी और सहयोग शामिल है। अधिनियम को लागू करने और प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित सभी मामलों पर इन सम्मेलनों में चर्चा की जाती है। इसके अलावा, कारखानों में दुर्घटना और बीमारियों की रोकथाम के लिए अपनाए गए तरीकों और तकनीकों में प्रगति के बारे में भी यह सम्मेलन चर्चा का एक मंच है। मुख्य कारखाना निरीक्षकों के साथ परामर्श करके इन आदर्श नियमों को अद्यतन किया जा रहा है।

II. xksnh lqj{kk

13-10 गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986, दिनांक 14 अप्रैल 1987 को अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम के अधीन गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) नियम, 1989 और विनियम, 1990 बनाए गए। सामान के लोडिंग और अनलोडिंग से जुड़े गोदी कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के मामले, जिसमें गोदी कार्य के आनुषंगिक कार्य भी शामिल हैं – इस अधिनियम और विनियम के अंतर्गत शामिल हैं। इसके अतिरिक्त भारत के प्रमुख पत्तनों में डीजीफासली द्वारा गोदी सुरक्षा निरीक्षणालयों के माध्यम से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जोखिमपूर्ण रसायन के उत्पादन, भंडारण और आयात नियम 1989 प्रवर्तित किए जाते हैं।

¼d½ fØ;kdyki & fu"ikfnr

गोदी सुरक्षा निरीक्षणालयों द्वारा गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) नियमावली 1989 और विनियम 1990 के तहत प्रमुख पत्तनों पर निरीक्षण किए गए थे। विभिन्न पणधारकों के लाभार्थ अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे ।

¼[k½ fØ;kdyki & iokueku

1. सलाहकार समिति बैठक आयोजित की जाएगी।
2. गोदी सुरक्षा निरीक्षकों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा ।
3. 'पत्तन क्षेत्र में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य में प्रशिक्षण की आवश्यकता का आकलन' पर एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है और इसे वर्ष 2016–17 के दौरान पूरा कर लिया जाएगा ।

III. çf'k{k.k dk;Øe

13-11 0;kolkf;d dk;Øe

- कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 40 (ख) और इसके अधीन बनाए गए नियमों में यथा अपेक्षित केंद्रीय श्रम संस्थान, मुंबई, क्षेत्रीय श्रम संस्थान कोलकाता, चेन्नई, कानपुर और फरीदाबाद में 176 संगठनों में से 232 अधिकारियों को योग्य सुरक्षा अधिकारी बनाने के लिए 2015–16 में औद्योगिक सुरक्षा पाठ्यक्रम में एक वर्षीय उन्नत/पोस्ट डिप्लोमा कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- केंद्रीय श्रम संस्थान, मुंबई और क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद में 68 संगठनों के 68 चिकित्सा कार्मिकों के लिए तीन माह का औद्योगिक स्वास्थ्य में एसोसिएट फैलो पाठ्यक्रम वर्ष 2015–16 में आयोजित किया।

13-12 औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अप्रैल 16 से अक्तूबर 16 तक की अवधि के दौरान सेमिनार/कार्यशाला और अंतः संयंत्र कार्यक्रमों सहित 56 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 1547 प्रतिभागियों को लाभ हुआ। इसके अलावा डीजीफासली के विभिन्न प्रभागों और मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और कानपुर स्थित श्रम संस्थानों द्वारा संवर्धक कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनसे 2266 प्रतिभागियों को लाभ हुआ।

IV. v/;;u vkj lo{k.k

13-13 संविधि में समावेशन हेतु उचित मानकों का निरुपण करने तथा कारखानों और पत्तन क्षेत्र में कार्य की दशाओं, सुरक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार को मदद करने के लिए इसके प्रयास के तौर पर डीजीफासली द्वारा राष्ट्रीय अध्ययन और सर्वेक्षण आयोजित किए जाते हैं। कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 91 क के तहत दुर्घटनाओं के प्रति संवेदनशील कारखानों के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण आयोजित किया जा रहा है। केन्द्रीय श्रम संस्थान, मुंबई द्वारा संचालित ''श्रवण संरक्षण कार्यक्रम'' पर राष्ट्रीय अध्ययन ओर 'सिलिकॉसिस पर राष्ट्रीय व्यापारसिक सुरक्षा और स्वास्थ्य अध्ययन' का काम चल रहा है ।

13-14 कारखानों में कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण की दशाएं सुनिश्चित करने के लिए निश्चित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में राज्य में राज्य स्तरीय अध्ययन और सर्वेक्षण आयोजित किए जाते हैं। अप्रैल–अक्टूबर, 2016 की अवधि में क्षेत्रीय श्रम संस्थान, कानपुर द्वारा कुल 02 राज्य स्तरीय अध्ययन कराए गए हैं।

13-15 प्रबंधन के अनुरोध पर इकाई स्तर के परामर्श अध्ययन किए जाते हैं तथा संबंधित कारखानों में और अधिक सुधार के लिए सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु रिपोर्टें प्रस्तुत की जाती है। अप्रैल– अक्तूबर 2016 की अवधि के दौरान कुल 21 परामर्श अध्ययन आयोजित किए गए हैं।

I. u'kuy jQjy Mk;Xu,fLVd lsVj

13-16 सिलिकॉसिस, व्यावसायिक त्वचाशोथ आदि जैसे व्यावसायिक रोगों के संदिग्ध मामले नेशनल रेफरल डायग्नॉस्टिक सेंटर को राय के लिए भेजे जाते हैं।

II. Hkh"k.k nq?kZVuk vkj jk;u lqj{kk

13-17 मुंबई स्थित केंद्रीय श्रम संस्थान का भीषण दुर्घटना और रसायन सुरक्षा प्रभाग भीषण दुर्घटना जोखिमों के नियंत्रण, आपात योजनाएँ तैयार करने, सुरक्षा जॉच, जोखिम निर्धारण आदि के मामले में राज्य सरकारों और भीषण दुर्घटना जोखिम इकाइयों को सलाह देता है। वर्तमान में देश में भीषण दुर्घटना जोखिम इकाइयों, जोखिमपूर्ण रसायनों और स्थल पर आपात योजनाओं के विवरण इस प्रकार हैं–

i. भीषण दुर्घटना जोखिम इकाइयॉ : 1756

ii. जोखिमपूर्ण रसायन : 225

iii. स्थल पर आपात योजनाएँ : 1448

III. çc/k lwpuk lsok,a

13-18 केन्द्रीय श्रम संस्थान, मुंबई का प्रबंध सूचना सेवा प्रभाग डीजीफासली के क्रियाकलापों के संबंध में जानकारी देने का सबसे अच्छा स्रोत साबित हुआ। प्रबंध सूचना सेवा प्रभाग राज्य सरकारों तथा उद्योगों के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के लिए व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी प्राप्त करने तथा संगठन का प्रबंधन बेहतर तरीके से करने के उद्देश्य से विभाग की संगठनात्मक संरचना और गतिशीलता को कार्यान्वित करता है। एम आई एस के मूलभूत क्रियाकलाप निम्नलिखित हैं :

- वेबसाइट की अपडेटिंग और प्रबंधन डीजीफासली की वेबसाइट को यू आर एलः www.dgfasli.nic.in पर जारी किया गया है। इस वेबासाइट पर व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित नियमों, कारखाना अधिनियम 1948, गोदी कामगारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित विनियम, पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरु की गई प्रमुख अनुसंधान परियोजना से संबंधित जानकारी और श्वसन तथा गैरश्वसन प्रणाली से संबंधित वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणों पर परामर्श सेवाओं से संबंधित जानकारी दी गई है।

- 'डिजिटल इंडिया' अभियान के तहत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए ऑन लाइन फार्म, ज्वालारोधी उपकरण और स्थल की अधिसूचना से संबंधित सामग्री का विकास किया गया है और उसे डीजीफासली की वेबसाइट पर होस्ट किया गया है तथा इसकी मॉनीटरिंग नेशनल पोर्टल द्वारा की जा रही है।

- पुस्तकालय सह सूचना केन्द्र में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर विभिन्न पत्रिकाओं सहित व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर 25000 से अधिक पुस्तकें हैं।

- वेबसाइट पर एन एस डी एस से संबंधित जानकारी, अध्ययनों के सारांश, प्रशिक्षण कैलेन्डर, ए डी आइ एस से संबंधित सूचना और निविदा तथा ए एफ आई एच से संबंधित जानकारी दी गई है।

IV. vkS|kfxd lqj{kk] LokLF; ,oa dY;k.k dsæ

13-19 केंद्रीय श्रम संस्थान और क्षेत्रीय श्रम संस्थानों के औद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र पैनलों, मॉडलों, चार्ट, ग्राफ्स, आलेखों आदि के माध्यम से जोखिम संप्रेषण का प्रसार करते हैं जिसे उद्योगों के कामगार, कार्यपालक तथा अन्य देशों के प्रतिनिधि देखने आते हैं। अप्रैल 2016 से अक्टूबर 2016 की अवधि के दौरान 90 सुरक्षा और स्वास्थ्य संवर्धन कार्यक्रमों के आयोजन से 2266 आगंतुकों को इस केंद्र से लाभ हुआ।

V. oS;fäd lqj{kk midj.kk dk ijh{k.k

13-20 केंद्रीय श्रम संस्थान, मुंबई स्थित श्वसन एवं गैर–श्वसन वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण परीक्षण प्रयोगशालाएँ कनस्तर, मास्क, हेल्मेट, सुरक्षा जूतों, सुरक्षा चश्मों, सुरक्षा पट्टों, वेल्डिंग चश्मों आदि के निष्पादन परीक्षण करती हैं। समीक्षा अवधि के दौरान संबंधित बीआईएस मानकों के अनुसार निष्पादन गुण सुनिश्चित करने के लिए डस्ट रेस्पिरेटर, कनस्तर, डस्ट फिल्टर आदि जैसे 132 श्वसन सुरक्षा उपकरण तथा हेल्मेट, सुरक्षा जूतों आदि जैसे 149 गैर–श्वसन उपकरणों का परीक्षण किया गया।

VI. Tokykjks/kh fo|qr midj.kk dk vuqeksnu

13-21 बी आई एस मानक भा.मा. 2148–2004 के अनुसार, खतरनाक वातावरण में उपयोग वाले ज्वालारोधी विद्युत उपकरणों के लिए डीजीफासली, अनुमोदन एजेंसी है।

VII. ch vkbZ ,l lfefr;ksa esa çfrfuf/kRo %

13-22 सुरक्षा और स्वास्थ्य मामलों से संबद्ध विभिन्न बी आई एस समितियों/उपसमितियों में डीजीफासली के अधिकारियों ने प्रतिनिधित्व किया और मानक प्रारुप पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं।

VIII. lonZ/kukRed fØ;kdyki ¼iqjLdkj ;kstuk,¡½

13-23 श्रम मंत्रालय की ओर से, डीजीफासली विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार (जिसे पहले राष्ट्रीय श्रम वीर पुरस्कार कहा जाता था) और सन् 1965 से राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार योजनाएँ क्रियान्वित कर रहा है। इन योजनाओं में 1971, 1978 और उसके पश्चात 2007 में सुधार किया गया। फिलहाल लागू योजनाएँ इस प्रकार हैंः

- fo'odekZ jk"Vªh; iqjLdkj% ये पुरस्कार उन सुझावों को राष्ट्रीय स्तर पर महत्व देने के लिए प्रदान किए जाते हैं जिनके कारण

(i) उच्च उत्पादकता

(ii) सुरक्षा और कार्य परिस्थितियों में सुधार

(iii) विदेशी मुद्रा की बचत (आयात प्रतिस्थापन के साथ–साथ उत्पादन की गुणवत्ता और सुरक्षा) और

(iv) प्रतिष्ठान की समग्र दक्षता में सुधार हुआ हो। कारखानों, गोदियों, निर्माण स्थलों और परमाणु संस्थापनों में कार्यरत कामगार इसके अधीन आते हैं।

- jk"Vªh; lqj{kk iqjLdkj% राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन आने वाले औद्योगिक अधिष्ठानों तथा गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986, भवन तथा अन्य निर्माण कामगार (नियुक्ति और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 और परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड के अधीन संस्थानों के नियोक्ताओं को उनके अच्छे सुरक्षा निष्पादन को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। विजेताओं और उप–विजेताओं को शील्ड व प्रमाण–पत्र प्रदान किए जाते हैं। ए ई आर बी के अधीन कारखानों, निर्माण स्थलों और संस्थापनों के लिए स्कीम I से X तक व पत्तनों के लिए स्कीम XI से XIII तक लागू है।

13-24 fo'odekZ jk"Vªh; iqjLdkj vkSj jk"Vªh; lqj{kk iqjLdkj forj.k lekjksg ¼fu"iknu o"kZ 2014½

निष्पादन वर्ष 2013 के लिए विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार वितरण समारोह सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में 16 सितम्बर, 2016 को आयोजित किया गया और माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री बंडारु दत्तात्रेय ने विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के 117 विजेताओं और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार के 93 विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता सचिव, श्रम एवं रोजगार द्वारा की गई। पुरस्कार वितरण समारोह में लगभग 1000 प्रतिनिधियों, सुरक्षा वृत्तिकों और सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया। प्रमुख समाचार पत्रों और जन संचार माध्यमों में इस समारोह की व्यापक चर्चा हुई।

XIII. MhthQkLlh dh Iykg Ldhesa

13-25 विनिर्माण और पत्तन क्षेत्रों में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए वर्ष 2016–17 के दौरान डीजीफासली की निम्नलिखित प्लान योजनाएँ प्रस्तावित हैं।

13-26 Iykg Ldhe&I & {ks-J-l- Qjhnkckn dk jklk;fud çfØ;k ;wfuVksa vkSj ,e ,l ,e bZ ds fy, lqj{kk ç.kkfy;ksa ds mUur dsaæ dh rjg fodflr djuk

mís';%

- एम.एस.एम.ई. और रसायन प्रक्रिया उद्योगों की विशेष जरुरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद को सुरक्षा प्रणाली के क्षेत्र में एक उन्नत केंद्र की तरह विकसित करना।
- तकनीकी क्रियाकलाप को कार्यान्वित करने के लिए उन्नत प्रशिक्षण केंद्र, उन्नत अनुसंधान केंद्र और जागरुकता केंद्र का विकास।
- एम.एस.एम.ई के कामगारों, मालिकों और प्रबंधकों में ज्ञान, कौशल और जागरुकता विकसित करने के लिए घर–घर जाकर जानकारी देना तथा इसके लिए व्यापक सुविधा का विकास।

miyfC/k;k vkj iokueku xfrfof/k;k

Ø- l-	e[; ?kVd@xfrfof/k;k	miyfC/k;k ¼vçy&vDrcj 2016½	iokueku xfrfof/k;k ¼uocj 2016&ekp 2017
1.	विभिन्न पदों का सृजन	–	–
2.	प्रयोगशालाओं / केंद्रों की स्थापना *	1	–
3.	अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	1
4.	दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम	–	1
5.	अंतः संयंत्र प्रशिक्षण *	1	1
6.	लक्षित समूहों यथा कारखाना निरीक्षकों / सुरक्षा अधिकारियों आदि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	–	–
7.	औद्योगिक सुरक्षा में एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम	1	1
8.	प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम – औद्योगिक स्वास्थ्य का एसोसिएट फेलो चिकित्सा अधिकारियों के लिए	–	1
9.	लघु और मध्यम उद्यमों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	–	–
10.	अध्ययन / सर्वेक्षण / अनुसंधान	6	2
11.	राष्ट्रीय संगोष्ठी / कार्यशाला / सम्मेलन	1	1
12.	प्रकाशन / पोस्टर	–	2
13.	वीडियो फिल्म	–	–
14.	पुरस्कार	2	2

*आवश्यकता के आधार पर

13-27 केन्द्रों / प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लिए निम्नलिखित उपकरण खरीदे गए :

1. क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद में कलर एवं प्रकाश केन्द्र की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

13-28 Iyku ;ktuk&II MhthQklyh lxBu vkj dkj[kkuk] xkfn;k vkj iŸkuk e 0;k-l-LokLF; dk l–<hdj.k

mís';

समूचे देश में कारखानों, पत्तनों और गोदियों में कामगारों की व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने के लिए जिससे व्यावसायिक चोटों और रोगों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण होगा, 11 प्रमुख पत्तनों पर स्थित गोदी सुरक्षा निरीक्षणालयों, चेन्नई, कानपुर और कोलकाता में स्थित क्षेत्रीय श्रम संस्थानों और केन्द्रीय श्रम संस्थान, मुंबई सहित डीजीफासली संगठन की बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ बनाना।

miyfC/k;k vkj iokueku xfrfof/k;k

Ø- l	e[; ?kVd vkj xfrfof/k;k	miyfC/k;k ¼vçy&vDrcj 2016½	iokueku xfrfof/k;k ¼uocj 2016&ekp 2017½
1	क) डाटाबेस का उन्नयन और विकास	2	4
	ख) अनुप्रयोग कार्यक्रमों का विकास	1	–
	ग) अनुरोध पर सामग्री सुरक्षा डाटाशीट	*	*
	घ) उद्योगवार सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी	29	20
	ड.) मैनुअल, विवरण पुस्तिका का प्रकाशन	23	5
2.	ई गवर्नेंस के लिए न्यूनतम कार्यसूची का क्रियान्वयन	*	*
3.	विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं का आयोजन	20	10
4.	अध्ययन/सर्वेक्षण/ऑडिट का आयोजन	10	5
5.	प्रमुख पत्तनों में प्रवर्तन गतिविधियाँ (पोत, कंटेनर पोत, लूज गीयर, गोदियों, कंटेनर यार्ड, जोखिमपूर्ण संस्थापनों आदि का निरीक्षण)	848	652
6.	श्वसन और गैर श्वसन वै. सु. उपकरण का परीक्षण	252	100

* उद्योगों के अनुरोध प्राप्त होने पर ।

13-29 ^{k=h; Je lLFkku f'kykx dk fodkl^ ¼ubl Ldhe½

mís';%

इस स्कीम का उद्देश्य सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की जरुरतों को पूरा करना है जिसे वर्तमान में कार्यभार के कारण क्षेत्रीय श्रम संस्थान, कोलकाता द्वारा प्रभावी रुप से पूरा नहीं किया जा रहा है।

x½ ubl igy

13-30 संगठन के कार्य में सुधार लाने के लिए डीजीफासली द्वारा निम्नलिखित पहल किए गए:

- केन्द्रीय श्रम संस्थान, मुंबई द्वारा 27.4.2016 से 29.4.2016 तक ऐसबेसटॉसिस पर विशेष बल देते हुए न्यूमोकोनियोसिस पर आई एल ओ रेडियोग्राफ पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था।
- क्षेत्रीय श्रम संस्थान, चेन्नई द्वारा 26.7.2016 से 26.7.2016 तक 'प्रक्रिया सुरक्षा प्रबंध प्रणाली' पर राष्ट्रीय संगोष्ठि और स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया।
- केन्द्रीय श्रम संस्थान, मुंबई द्वारा 14.9.2016 से 16.9.2016 तक ऐसबेसटॉसिस पर विशेष बल देते हुए न्यूमोकोनियोसिस पर आई एल ओ रेडियोग्राफ पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था।
- मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लि. मुंबई में दिनांक 21.10.2016 को सक्षम व्यक्तियों के लिए लिफ्टिंग उपकरण, लूज गीयर और वायर रोप के परीक्षण जांच प्रमाणन् में उभरती प्रवृत्ति पर 7वीं कार्यशाला का आयोजन और संचालन किया गया था।
- निम्नलिखित विशिष्ट क्षेत्रों में केन्द्रीय श्रम संस्थान/क्षेत्रीय श्रम संस्थानों को उत्कृष्ट केन्द्र के रुप में मान्यता दी गई है:

केन्द्रीय श्रम संस्थान, मुंबई	–	गोदी सुरक्षा और अभियांत्रिकी उद्योग
क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद	–	एमएसएमई और रसायन प्रक्रिया सुरक्षा
क्षेत्रीय श्रम संस्थान, चेन्नई	–	निर्माण और ऑटोमोबाईल उद्योग
क्षेत्रीय श्रम संस्थान, कानपुर	–	चीनी (Sugar) उद्योग और पॉवर जेनरेशन
क्षेत्रीय श्रम संस्थान, कोलकाता	–	फेरस और गैर फेरस धातु तथा कागज उद्योग

[kku lqj{kk egkfuns'kky; ¼Mhth,e,l½

13-31 खनिज हर राष्ट्र की आर्थिक उन्नति का आधारस्तंभ होते हैं और भारत को यह प्राकृतिक उपहार प्रचुर मात्रा में मिला है. बढ़ते औद्योगीकरण के चलते मांग बढ़ने की वजह से विभिन्न खनिजों का उत्पादन बढ़ा है। प्रकारांतर से एक के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना में खनन विलक्षणतापूर्ण रीति से बढ़ा है। पहले से बड़े लक्ष्यों का ध्यान रखते हुए खनन कार्यों में मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा। rkfydk 13-1 कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों की प्रवृत्तियां दर्शाती है जैसे खानों की संख्या, खनन किए गए खनिजों का मूल्य, संस्थापित की गई मशीनों की कुल शक्ति और प्रयोग में लाए गए विस्फोटक, बड़े पैमाने पर मशीनों के प्रयोग की वजह से खानों में कार्य करने वाले लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का जोखिम पहले से बढ़ा है, भारत के संविधान के अनुसार, खानों में कार्य करने वालों के कल्याण और स्वास्थ्य का खयाल केन्द्रीय सरकार द्वारा रखा जाना है (प्रविष्टि 55–संघ सूची–अनुच्छेद 246), खान अधिनियम, 1952 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम इस उद्देश्य को विनियमित करते हैं। यह कार्य श्रम और रोजगार के केन्द्रीय मंत्रालय के अंतर्गत खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) द्वारा किया जाता है। खान अधिनियम और इसके अधीन बने विधानों को कार्य रूप देने के अलावा, डीजीएमएस अन्य संबद्ध विधानों का भी कार्यान्वयन करता है।

ये निम्नोक्त हैं:

[kku vf/kfu;e] 1952

- कोयला खान विनियम, 1957.
- लौह धातु खान विनियम, 1961
- तेल खान विनियम, 1984
- खान – नियम, 1955
- खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966
- खान बचाव नियम, 1985
- खान शिशु सदन नियम, 1966
- कोयला खान पिट हैड बाथ नियम, 1959

fo|qr vf/kfu;e] 2003

- भारतीय विद्युत नियम, 1956

lac) fo/kku

- कारखाना अधिनियम, 1948 अध्याय 3 और 4
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत खतरनाक रसायनों का निर्माण, भंडारण तथा आयात नियम, 1989.

- भूमि अधिग्रहण (खान) अधिनियम, 1885
- कोयला खान (परिक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 डीजीएमएस की भूमिका और कार्य

Mh th,e,l dk fe'ku%

13-32 निम्नोक्त के माध्यम से, खान के भीतर और उसके आसपास दुर्घटनाओं तथा बीमारी के जोखिम का पता लगाना और उसमें कमी लाना:

- उपयुक्त विधान, नियमों, विनियमों, मानकों और मार्गदर्शी सिद्धांतों का विकास
- अनुपालन को सुनिश्चित किए जाने हेतु पर्याप्त उपाय और
- कार्य करने वाले लोगों और हितधारियों के मन में सुरक्षा तथा स्वास्थ्य की संस्कृति का रोपण करने के लिए जागरूकता संबंधी पहल

Mh th,e,l dh –f"V%

13-33 खानों में नियोजित व्यक्तियों के कार्य और उनके कल्याण हेतु जोखिम रहित तथा निरापद स्थितियों का अविर्भाव करना.

Mh th,e,l ds orZeku dk;Zdyki esa çeq[k :i ls 'kkfey gSa%

1. खानों का निरीक्षण
2. निम्नोक्त का अन्वेषण करना –

   ए. दुर्घटनाएं

   बी. खतरनाक स्थितियां बन जाने पर आपातकालिक कार्रवाई

   सी. शिकायतें तथा अन्य मामले

3. ए. निम्नोक्त की संस्वीकृतिः

   1. सांविधिक अनुमति, छूट प्रदान करना और शिथिलता बरतना
   2. खान सुरक्षा उपकरण, सामग्री और उपस्करों का अनुमोदन

   बी) कार्यशाला आदि के माध्यम से सुरक्षा उपकरण, सामग्री तथा निरापद कार्य रीतियों को विकसित किए जाने हेतु बातचीत.

   सी) सुरक्षा विधान तथा मानकों का विकास डी) सुरक्षा जानकारी का प्रचार–प्रसार

4. सक्षमता प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए परीक्षाएं आयोजित करना
5. सुरक्षा बढ़ाने संबंधी पहल के कार्यों में शामिल हैंः–

   ए) निम्नोक्त का गठन –

   - खानों की सुरक्षा पर सम्मेलन
   - राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार
   - सुरक्षा सप्ताह और अभियान

   बी) संवर्धन कार्य–

   – सुरक्षा शिक्षा तथा जागरूकता कार्यक्रम

   – निम्नोक्त के माध्यम से कार्य करने वालों की सुरक्षा प्रबंधन में प्रतिभागिता' कार्यकर्ताओं का निरीक्षक

   - सुरक्षा समिति
   - त्रिपक्षीय समीक्षा

lxBukRed <kpk

13-34 खान सुरक्षा महानिदेशालय का कार्यालय श्रम तथा रोजगार मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है और इसका मुख्यालय धनबाद (झाड़खंड) में स्थिति है और इसके प्रमुख खान सुरक्षा महानिदेशक हैं। मुख्यालय में महानिदेशक की सहायतार्थ खान, विद्युत और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, व्यावसायिक स्वास्थ्य, सांख्यिकी, विधि, सर्वेक्षण, प्रशासन और लेखाकर्म हेतु विशेषज्ञ अधिकारी–कर्मचारी कार्य करते हैं। मुख्यालय में एक तकनीकी पुस्तकालय और एक एसएन्डटी प्रयोगशाला भी है जिससे कि संगठन को सहयोग मिलता है। कार्यालय से बाहर कार्य करने वालों का द्विस्तरीय संगठन है। पूरे देश में आठ जोन हैं, जहां का प्रभारी उप महानिदेशक होता है हर जोन कार्यालय के अंतर्गत तीन से चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं। हर क्षेत्र का प्रभार खान सुरक्षा निदेशक के पास होता है कुल मिलाकर ऐसे 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों से दूर खान संबंधी कार्यों पर केन्द्रित महत्व के क्षेत्रों में तीन उप–क्षेत्रीय कार्यालय भी खोले गए हैं। इनमें से प्रत्येक का प्रभारी उप निदेशक होता है। हर जोन में खनन संवर्ग के निरीक्षण कर्ता अधिकारियों के अलावा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधी अधिकारी भी होते हैं डीजीएमएस में कुल 732 लोग कार्य करते हैं जिनमें से 01.10.2016 की स्थिति के अनुसार 647 व्यक्तियों की स्थिति निम्नवत दर्शाई गई है:

J.kh	, lvkbZ;w d vuqlkj Lohd`r in	inLFk deZpkfj;ksa dh la[;k
ग्रुप – ए	279	171
ग्रुप – बी (राजपत्रित)	38	27
ग्रुप – बी (अराजपत्रित)	186	155
ग्रुप – सी	229	294*
dqy	732	647
	231**	

*कुछ लोग समाप्त किए गए/आउटसोर्सिंग के लिए तय किए गए पदों पर हैं।

** आउटसोर्सिंग से भरे जाने हैं

nq?kZVuk dh çof`Ùk

13-35 कोयला और कोयले से इतर दोनों ही तरह की खानों में जानलेवा और गंभीर दुर्घटनाओं की प्रवृत्ति rkfydk 13-2 में दर्शाई गई है कोयले और कोयले से इतर खानों के संबंध में जानलेवा दुर्घनाओं का कारण–वार ब्यौरा भी rkfydk 13-3 और rkfydk 13-4 में दिया गया है कोयला खानों में जानलेवा दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण डम्पर और ट्रक रहे उसके बाद परिवहन से इतर प्रकार की मशीनरी ऐसी दुर्घटनाओं का कारण बनी डंपरों और ट्रकों के बाद कोयले से इतर प्रकार की खानों में सबसे अधिक जानलेवा दुर्घटनाएं लोगों के गिर जाने के कारण हुई इन तमाम दुर्घटनाओं को रोकने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय ने कई उपाय किए हैं।

lqj{kk d mik;

13-36 खानों में आवश्यक सुरक्षा उपायों का प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए डीजीएमएस के निरीक्षण अधिकारियो द्वारा निरीक्षण और पूछताछ की जाती है। डीजीएमएस कोयला, लौह धातुओं तथा तेल खानों का निरीक्षण किए जाने के अलावा सभी जानलेवा दुर्घटनाओं,

निश्चित प्रकार की गंभीर दुर्घटनाओं और खतरनाक स्थितियों का अन्वेषण कर ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपचारात्मक उपायों की संस्तुति भी करता है। 2001 से 2016 के बीच दुर्घटनाओं की स्थिति rkfydk 13-5, में दर्शाई गई है। rkfydk 13-5बी में दर्शाए अनुसार 1951 से 2010 और 2011 से 2016 में 10 वर्ष के औसत आधार पर प्रति 1000 नियोजित व्यक्तियों पर जानलेवा दुर्घटनाओं में लोगों की जान गई है।

13-37 खान अधिनियम, 1952 की धारा 22 और 22ए, कोयला खान विनियम, 1957 का विनियम 103, लौहधातु खान विनियम, 1961 के विनियम 108 में डीजीएमएस को शक्ति प्रदान की गई है कि वह सुधारात्मक सूचनाएं जारी कर सके और खानों के भाग के तौर पर खानों में व्यक्तियों के नियोजन को बाधित या प्रतिषेधित करने के लिए प्रतिषेधात्मक आदेश दे सके. वर्ष 2006 के बाद से किए गए निरीक्षणों और की गई पूछताछों की संख्या rkfydk 13-6 में दर्शाई गई है।

ifji=

13-38 व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य मामलों पर खनन उद्योग को डीजीएमएस व्यापक व्यवहार्यता वाले परिपत्र जारी करता है। 01.04.2016 से 30.09.2016 तक की अवधि के दौरान कुल मिलाकर 08 तकनीकी और 05 अनुमोदन परिपत्र, 01 सामान्य परिपत्र और 02 तकनीकी निर्देश और 1 सामान्य निर्देश जारी किए गए।

l{kerk ijh{kk

13-39 इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि खान प्रबंधकों, सर्वेक्षकों, ओवरमैन, फोरमैन आदि के रूप में मात्र सक्षम व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाए इस हेतु कोयला खान विनियम, 1957 और लौहधातु खान विनियम, 1961 के अंतर्गत ली जाने वाली खनन परीक्षा बोर्ड की ओर से डीजीएमएस परीक्षाएं लेकर उन्हें सक्षमता प्रमाणपत्र जारी करता है. दिनांक 01.04.2016 से 30.09.2016 के बीच प्राप्त आवेदनों और दिए गए सक्षमता प्रमाणपत्रों की संख्या rkfydk 13-7 में दी गई है।

[kku lqj{kk midj.kksa dk vuqeksnu

13-40 कोयला खान विनियम, 1957, लौह धातु खान विनियम, 1961, तेल खान विनियम, 1984, खान बचाव विनियम, 1985 और भारतीय विद्युत नियम, 1956 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत दी गई सांविधिक बाध्यकारिताओं को पूरा करने के लिए खान में प्रयोग में लाए जाने वाले विभिन्न उपकरणों को खान के मुख्य निरीक्षक (यह खान सुरक्षा महा निदेशक के रूप में भी पदनामित है) द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। अनुमोदन की प्रक्रिया में मुख्य रूप से निर्माताओं द्वारा बरती गई गुणता नियंत्रण प्रणली और उपकरणों/सामग्री आदि को निर्मित करने की उनकी क्षमता का पता लगाने के लिए उनके आवेदनों की छंटनी किया जाना शामिल होता है ताकि उन्हीं का अनुमोदन किया जाए जो कि खानों के विषमतापूर्ण माहौल के बीच सुरक्षापूर्ण रीति से कार्य करने में सक्षम हों और जो विपरीत स्थति में दीर्घ काल तक कार्य करते रह सकें। इस बात की भी आवश्यकता होती है कि उपकरण संगत भारतीय मानकों के अनुरूप हों और यदि भारतीय मानक न हों तो इसके मूल के देश के मानकों को अपनाया जाए (आईएसओ/ईएन/डीआईएन आदि)। आवेदन में

अनुमोदित प्रयोगशाला का प्रमाणपत्र भी शामिल हो जो कि संगत मानकानुसार हो। प्रलेखों की छंटनी कर लिए जाने के उपरांत इनके सही पाए जाने पर, विभिन्न खानों में उपकरणों की खनन कार्य योग्यता को जांचने के लिए फील्ड परीक्षण अनुमोदन दिया जाता है। फील्ड में उपकरणों को सफलतापूर्वक प्रयोग में लाए जाने के बाद संबंधित खान प्रबंधन से निष्पादन रिपोर्ट प्राप्त की जाती है। यदि उपर्युक्त रिपोर्टें संतोषजनक पाई जाती हैं तो अनुमोदन कर दिया जाता है।

13-41 जिन उपकरणों/मशीनों/उपस्करों और सामग्रियों का अनुमोदन किया जाना आवश्यक होता है उन्हें प्रमुख रूप से इन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है:

- व्यक्तिगत संरक्षी उपकरण
- पर्यावरणीय अनुवीक्षक उपस्कर और उपकरण
- खनन कार्य करने हेतु मशीनरी और अन्य उपकरण तथा
- भूगर्भीय खानों में प्रयोग करने हेतु सुरक्षा सामग्री

13-42 अनुमोदित मदों के विवरण की सूची नीचे तालिका में दर्शाई गई है

01-04-2016 ls 30-09-2016 ds nkSjku vuqeksfnr jslfLVsVj] lsYQ jsLD;wvj] 'olu midj.k			
en	lsLoh—r fu;fer vuqeksnu@vuqeksnu foLrkj dh la[;k	lsLoh—r QhYM ijh{k.k@QhYM ijh{k.k vuqeksnu foLrkj dh la[;k	vuqeksnuksa dh dqy la[;k
श्वसन उपकरण	00	00	00
रेसुसिटेटर/रिवाइविंग उपस्कर	00	00	00
सेल्फ रेसक्यूअर (सीओएसआर)	01	00	01
कुल	01	00	01

01-04-2016 ls 30-09-2016 ds nkSjku vuqeksfnr midj.k] miLdj] lkefxz;ka vkSj e'khujh-		
lsLoh—r fu;fer vuqeksnu@vuqeksnu foLrkj dh la[;k	lsLoh—r QhYM ijh{k.k@QhYM ijh{k.k vuqeksnu foLrkj dh la[;k	vuqeksnuksa dh dqy la[;k
03	07	10

01-04-2016 l: 30-09-2016 d: nkjku foLQkVdk] ,DlIykMjk vkj fMVkuVjk vkfn dk vuqeknu		
lLoh—r fu;fer vuqeknu@ vuqeknu foLrkjk dh l:[;k	lLoh—r QhYM ijh{k.k@QhYM ijh{k.k vuqeknu foLrkj dh l:[;k	vuqeknuk dh d:y l:[;k
11	02	13

01.01.2016 से 30.09.2016 के दौरान खानों में मशीनी उपकरणों के प्रयोग हेतु दिए गए अनुमोदन नीचे दर्शाए गए हैं:–

Ø-l-	vuqeknu dk çdkj	fd, x, vuqeknuk dh l:[;k
1.	किए गए नियमित अनुमोदनों/अनुमोदन विस्तारों की संख्या	11
2.	किए गए नियमित अनुमोदन/विस्तार की संख्या	21
किए गए कुल अनुमोदनों की संख्या		37

01.04.2016 से 30.09.2016 के दौरान खानों में प्रयोग किए जाने के लिए विद्युत उपकरणों के अनुमोदनों को नीचे दर्शाया गया है:–

Ø-l-	vuqeknu dk çdkj	fd, x, vuqeknuk dh l:[;k
1.	फील्ड परीक्षण अनुमोदन	39
2.	फील्ड परीक्षण विस्तार	18
3.	नियमित अनुमोदन	21
4.	नवीकरण	70
किए गए कुल अनुमोदन		148

jk"Vªh; lqj{kk iqjLdkj ¼[kku½

13-43 श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने खानों में सुरक्षा मानकों की बेहतरी के लिए खान प्रचालकों में प्रतियोगी भावना को बढ़ाने और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट सुरक्षा कार्यों को मान्यता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) की स्थापना 1983 में की (आरंभिक प्रतियोगिता वर्ष 1982 था)। यह पुरस्कार आमतौर पर हर वर्ष भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है और इससे खनन समुदाय में भारी उत्साह का संचार हुआ है। वर्ष 2011 और 2012 प्रतियोगी वर्षों हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) 20 मार्च 2015 को नई दिल्ली में भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिए गए। वर्ष 2013 और 2014 की प्रतियोगिता हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार पाने वालों की सूची को अंतिम रूप दिए जाने हेतु दिनांक 20 अक्तूबर 2016 को धनबाद में एक बैठक का आयोजन किया गया। आगामी राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार समिति की बैठक में पुरस्कार पाने वालों की इस सूची को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

[kkuksa esa lqj{kk ij jk"Vªh; lEesyu

13-44 खानों में सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रिपक्षीय मंच है जिसमें नियोक्ताओं के प्रतिनिधि, ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, डीजीएमएस, विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों और इससे जुड़े संस्थानों, प्रोफेशनल निकायों, सर्विस एसोसिएशनों आदि के लोग भाग लेते हैं। ये खानों में सुरक्षा स्थिति तथा पारस्परिक सहयोग की दृष्टि से विद्यमान उपायों की पर्याप्तता की समीक्षा करते हैं। इस सम्मेलन द्वारा वे उपाय भी सुझाए जाते हैं जिनसे खान कर्मियों की सुरक्षा, कल्याण और उनके स्वास्थ्य में और सुधार आए। पहला सम्मेलन वर्ष 1958 में आयोजित किया गया और ग्यारहवां सम्मेलन नई दिल्ली में 4 और 5 जुलाई 2013 को आयोजित किया गया जिसमें तीन प्रमुख मुद्दे थे (1) लघु स्तरीय खनन कार्य (2) संविदागत कर्मियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण (3) जमीनी और भूगर्भीय परिवहन मशीनरी पर विस्तार से बातचीत की गई। इन सम्मेलनों की कई संस्तुतियों को सांविधिक मान्यता प्रदान की गई तो अन्य को प्रबंधकीय रीतियों और नीतियों में समाहित कर लिया गया। सम्मेलन के दौरान सामने आए निष्कर्षों और संस्तुतियों को अनुपालनार्थ खनन उद्योग में पहले ही परिपत्रित किया जा चुका है।

py jgh ;kstuk Ldhesa

Mhth,e,l dk l'kDr cukuk vkSj blds ey dk;Z ¼,lvkbZ,QvkMh½

13-45 यह एक सतत् रूप से चलने वाली योजना स्कीम है। इस स्कीम को डीजीएमएस की चल रही तीन योजना स्कीमों को मिलाकर बनाया गया है जिनके नाम हैं (1) एसएन्डटी क्षमताओं का आवर्धन, खान बचाव सेवाओं और मानव संसाधन विकास (एसएन्डटी) (1975), (2) सांविधिक परीक्षाओं को किए जाने के लिए मशीनरी को सशक्त करना (एसएसईएक्स)(2000–01), और (3) डीजीएमएस (पीआईएफ) (2000–01) में अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध करवा कर कौशल में सुधार लाना, के साथ व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य निगरानी, संवर्धनात्मक पहलें और आपातकालिक कार्रवाई प्रणाली।

इस स्कीम के उद्देश्य हैं:

- डीजीएमएस के प्रवर्तन स्कंध को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहयोग प्रदान करना
- खनन उद्योग को विकसित करना, आवश्यकता आधारित बचाव और आपातकालिक कार्रवाई सेवाओं में सुधार लाना और उन्हें अद्यतनीकृत करना।
- अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध करवाना जैसे कि कार्यालय भवन और आवासीय परिसर, संचार की सुविधाएं और कार्यालय उपकरण तथा कार्यालयों की फर्निशिंग।
- सांविधिक परीक्षा को आयोजित किए जाने के लिए मशीनरी को सशक्त किया जाना।
- खानों में व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सर्वेक्षण किया जाना

- ऑनलाइन इन्टरेक्टिव कम्यूनिकेशन और डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम (डीसी और डीआरसी तथा सभी अधिकारी) के साथ डाटा, ऑडियो–वीडियो और मेल संदेश भेजने की सुविधा हेतु अनन्य नेटवर्क उपलब्ध करवाया जाना।

- राष्ट्रीय खान सुरक्षा और स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र हेतु सुविधा केन्द्रों की स्थापना और खान आपदा प्रबंधन प्रणाली हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों का निरूपण करना।

¼,½ oKkfud vkj çk|kfxdh; lg;kx ¼,l ,M Vh½

13-46 इस स्कीम का लक्ष्य है कि डीजीएमएस में ही उसके अधिकारियों को वैज्ञानिक दृष्टि से सहयोग प्रदान किया जाए ताकि वे प्रवर्तन, विनियामक और अपनी संवर्धात्मक भूमिका का निर्वहन कर सकें। इससे खान प्रचालकों, कार्यकर्ता संगठन तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मामलों से जुड़े अन्य संस्थानों को वैज्ञानिक सहयोग प्राप्त होता है। एसएन्डटी योजना स्कीम के कार्यों में व्यावसायिक स्वच्छता/स्वास्थ्य, परत नियंत्रण, खान वातायन, खान गैस, अग्नि और विस्फोटक, खनन तकनीकों, खान के मशीनीकरण, तेल और खुली खानों की सुरक्षा, मानक निर्धारण और नीति योजना बनाने सहित व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के व्यापक आयामों को कवर किया जाता है।

13-47 सहयोग गतिविधियों को प्रमुख रूप से तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

¼1½ ;kstukc) lg;kx%

यह योजना सहयोग निम्नोक्त पर फील्ड कार्यालयों को दिए जाने के लिए है:

- वर्तमान मुद्दा जो प्रवर्तन की समस्या बन गया है

- प्रवर्तनात्मक कार्यनीति जिसमें अनुवीक्षणकारी उपकरणों या तकनीकों को विकसित करने की आवश्यकता है, और

- नमूना लेने, अनुमोदन से पहले की जांच करने और अन्य इसी तरह के कार्यों में बाहरी संगठनों के गुणता आश्वासन का अनुवीक्षण कार्य करना।

इन कार्यों का चयन गुणावगुण के आधार पर किया जाएगा, इनमें कौशल एवं सुरक्षा में सुधार और भावी आवश्यकताएं शामिल हैं।

¼2½ çfrfØ;kRed likV

प्रतिक्रियात्मक रिपोर्ट प्रस्तावित है ताकि क्षेत्रों के फील्ड कार्यालयों से आ रही मांगों पर वहां कार्रवाई की जा सके जहां:

- समस्या का अपने स्तर पर मूल्यांकन और विश्लेषण ताकि प्रवर्तन की समस्या को बेहतर रीति से समझा जा सके और प्रवर्तन कार्यनीति को निर्धारित करने में सहायता मिले।

- बाहरी अभिकरण के पास ले जाए बिना ही तकनीकी समस्या पर सहयोग अपेक्षित है।

¼3½ tkp lok,

गुणता नियंत्रण मानकों पर नमूना जांच के रूप में और आपातकालिक कार्रवाई की स्थिति पर फील्ड कार्यालयों को यह सेवा उपलब्ध करवाना।

çe[k dk;de% एसएन्टी योजना स्कीम के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल हैं:

(1) व्यावसायिक सुरक्षाः

- बोर्ड और पिलर कार्यों में सहयोग प्रणाली पर तकनीकी मानकों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण किया जाना।
- मल्टी–सीम कार्यों के स्थायित्व पर मानकों की समीक्षा।
- अग्नि का पता लगाने, इसे काबू करने, इससे निपटने और संरक्षी उपायों पर मानकों की समीक्षा और मानकों/मार्गदर्शी सिद्धांतों का परिशोधन।
- खान का मशीनीकरण किए जाने से जुड़े खतरों का मूल्यांकन करना और अनुवीक्षण तकनीकों और नियंत्रण उपायों का मानकीकरण।
- शक्तियुक्त जांच सहयोग और हाइड्रॉलिक/घर्षण उपकरणों हेतु नमूना जांच (चों) गृहों का मानकीकरण।
- अल्ट्रासोनिक जांच करने की तकनीकों और स्वीकरण तथा अस्वीकरण मानदंडों के निरूपण का मानकीकरण।
- अग्नि सह हाइड्रॉलिक तेलों की जांच किया जाना।

¼2½ 0;kolkf;d gkbZthu vkSj LokLF;

- ध्वनि, वायुजनित धूल, खान की गैसों और उजाले की कमी के कारण होने वाले व्यावसायिक खतरों पर निगाह रखने और इन पर काबू पाने के लिए अपनाई जाने वाली तकनीकों का मानकीकरण।
- चिकित्सा परीक्षाओं की समीक्षा और मानकीकरण।
- पहले से स्थापित व्यावसायिक बीमारी की निगरानी हेतु प्रक्रियाओं की समीक्षा और इनका मानकीकरण।

¼ch½ [kku cpko lsokvksa dk fodkl½

13-48 योजना स्कीम के इस घटक का लक्ष्य खनन उद्योग में उचित बचाव सेवाओं का संवर्धन करना है। इस स्कीम में व्यवस्था है कि बचाव उपकरण और स्वयं को बचाने वाले उपस्करों के डिजाइन की विशेषताओं का निर्णयात्मक मूल्यांकन किया जाए, इनके फील्ड निष्पादन का मूल्यांकन हो, इन बचावकारी उपस्करों के प्रयोग के उपरांत होने वाली दुर्घटनाओं की जांच की जाए, बचाव प्रतियोगिताएं करवाने वाले बचाव स्टेशनों। बचाव कक्षों का निरीक्षण किया जाए, सभी भूमिगत खानों का प्रबंधन कर आपातकालिक योजना के निरूपण को दृष्टिगत रखा जाए और खान बचाव नियम, 1985 के अंतर्गत अनुमतियों/अनुमोदन/शिथिलता प्रदान किए जाने हेतु आवेदनों पर कार्रवाई की जाए।

çeq[k dk;Øe½

1. रिससिटेटर की एस सी बी ए के लिये परीक्षण सुविधा की अधिष्ठापना।
2. रेस्क्यू का सृजन– (क) देश में बचाव की सुविधायें (ख) देश में किया गया वास्तविक बचाव/सुधार कार्य।
3. खानों/रेस्क्यू स्टेशनों/रेस्क्यू कक्ष आदि में बचाव सुविधाओं का निरीक्षण।
4. सेल्फ–रेस्क्यूअर का परीक्षण।
5. खान बचाव प्रतिस्पर्द्धा में समन्वय।
6. मानक व्यवस्था, आपातकालीन योजनाओं की समीक्षा।
7. खनन उद्योग को तकनीकी परिपत्र जारी करना।

8. खान बचाव नियमावली 1985 के तहत अनुमोदन/छुट देना।

¼x½ ekuo lalk/ku fodkl

13-49 यह योजना 1.4.1990 से एक साधारण पैमाने पर शुरू हुई। इस स्कीम के तहत डीजी एम एस के निरीक्षण अधिकारियों को व्यवस्थित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये धनबाद और नागपुर में संस्थान सहित खान सुरक्षा व स्वास्थ्य अकादमी की स्थापना की परिकल्पना की गई है ताकि उनकी तकनीकी और व्यावसायिक सक्षमता का उन्नयन और अद्यतन किया जा सके और विनियामक, प्रवर्तन, परामर्श और संवर्धनात्मक क्रियाकलापों में उनकी प्रभाविता में सुधार लाया जा सके। इस प्रकार से सृजित सुविधाओं का उपयोग वर्कमेन निरीक्षक और खनन उद्योग के प्रमुख सुरक्षा कार्मिकों में खान सुरक्षा सिद्धान्तों और पद्धतियों पर अद्यतन जानकारी का प्रसार करने में किया जाता है। प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित हैं–

1. प्रशिक्षण कार्यक्रम का विकास
2. प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन
   - (क) (i) नव आगन्तुक (ii) मौजूदा अधिकारी (iii) विशेष वक्तव्य
   - (ख) खनन उद्योग में प्रमुख कार्मिकों को प्रशिक्षण (i) प्रबन्धकीय कार्मिक (ii) सुरक्षा अधिकारी (iii) वेंटिलेशन अधिकारी
   - (ग) वर्कमेन निरीक्षकों को प्रशिक्षण

,l ,M Vh foHkkx us fuEufyf[kr fØ;kdykiksa dks vk;ksftr fd;k %

dk;Z ;kstuk	vçSy ls fnlacj 2016 rd dh miyfC/k;ka	fVIi.kh
¼,½ ,l o Vh lsy		
1. खान पर्यावरण सर्वेक्षण	–	
2. व्यावसायिक स्वास्थ्य समीक्षा, सर्वेक्षण तथा चिकित्सा जांच	05	
3. ग्राऊंड नियंत्रण	01	
4. खान मशीनीकरण (मशीन के पार्ट का परीक्षण)	शून्य	
5. अतिरिक्त कार्यः		
(क) एफ आर एच एफ परीक्षण (फायर रेसिसटेन्ट हाईड्रालिक फ्लूइड)	शून्य	
(ख) गैस विश्लेषण	02	
6. सम्मेलन/कार्यशाला का आयोजन	05	
7. जारी परिपत्र	07	
¼ch½ [kku jsLD;w lsok lsy %		
1. सेल्फ कन्टेन्ड रेस्क्यूअर का परीक्षण	01	
2. सेल्फ कन्टेन्ड श्वसन उपस्कर का परीक्षण	–	
3. रेस्क्यू प्रतियोगिता	शून्य	
4. फील्ड दौरा	11	
5. रेस्क्यू/रिकवरी अनुभव पर सम्मेलन का आयोजन	शून्य	

6. प्रथमोपचार प्रतियोगिता की मॉनीटरिंग	शून्य	
7. रेस्क्यू सुविधाओं पर रेस्क्यू डाटाबेस का सृजन	शून्य	
8. वास्तविक रेस्क्यू/ रिकवरीज पर रेस्क्यू डाटाबेस का सृजन	शून्य	
¼lh½ ekuo lalk/ku fodkl lsy %		
1. प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन		
(क) डीजीएमएस अधिकारी	शून्य	
(ख) खान उद्योग के प्रमुख कार्मिक	शून्य	
(ग) वर्कमेन निरीक्षक	शून्य	

13-50 1.4.2016 से 30.9.2016 तक की अवधि में खानों में उपयोग के लिये उपकरण, उपस्कर, सामग्री और मशीनरी के लिये अनुमोदन दिया गया था।

01-04-2016 ls 30-09-2016 ds nkjku midj.k] miLdj vkj o;fäd lqj{k.k midj.kka ds fy, vuqeknu		
Øekad	vuqeknu dk çdkj	fn, x, vuqeknu dh la[;k
1.	फील्ड ट्रायल/विस्तार की संख्या	01
2.	नियमित अनुमोदन/ विस्तार	–
कुल		01

[kku nq?kZVuk fo'ys"k.k vkj lwpuk MkVkcsl dk vk/kqfudhdj.k&

13-51 दसवी योजना (2002–07) की दो प्लान स्कीमों नामतः (1) खान दुर्घटनाओं का अध्ययन और खान सुरक्षा सूचना प्रणाली का विकास और (2) श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की 11वीं पंच वर्षीय योजना 2007–12 के लिये व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर कार्यकारी समूह की रिपोर्ट के अनुसार डी जी एम एस में सूचना डाटाबेस का आधुनिकीकरणय को समेकित करने के पश्चात यह पुनः संरचित प्लान स्कीम है। समेकन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इन स्कीमों को एक स्कीम श्खान दुर्घटना विश्लेषण और सूचना डाटाबेस का आधुनिकीकरण में समेकित किया गया था। यह प्लान स्कीम 12 वी पंचवर्षीय योजना 2012–17 में जारी है। बाद में, प्लान का एक भाग डी जी एम एस में ई–प्रशासन को मौजूदा प्लान स्कीम एम ए एम आई डी में मिला दिया गया है।

Ldhe dk mís';@nk;jk&

- जोखिम आकलन और प्रबंधन तकनीकी का प्रयोग करके दुर्घटनाओं और खतरनाक दुर्घटनाओं के विस्तृत विश्लेषण के माध्यम से खानों में दुर्घटनाओ और आपदाओं के जोखिम में कमी लाना और बढ़ावा देने वाले माध्यमों को सक्रिय बनाना।
- खानों में प्रचालन प्रणाली और परिवेश की विस्तृत जाँच करके दुर्घटना/आपदा की अत्यधिक संभावनावाली खानों की पहचान और ऐसी खानों के लिये कार्यान्वयन हेतु जोखिम प्रबंध योजना तैयार करना।
- इलेक्ट्रानिक तथा अन्य पारम्पारिक जन–संचार माध्यमों से विभिन्न रिपोर्टों तकनीकी निर्देश, दिशा दृनिर्देश, परिपत्र के जरिये खान संबंधी सूचना का प्रचार–प्रसार।
- पारदर्शिता, आसानी, उत्पादकता और सक्षमता के लिये संचालन के तरीके में बदलाव हेतु कार्य की प्रकिया को पुनः व्यवस्थित करना।
- प्रकियाबद्ध प्रणाली से कम्प्यूटरीकृत स्वतः प्रणाली की तरफ बढ़ना।

➢ तेल और गैस की खानों सहित खानों में व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जोखिम प्रेक्षणालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार का विकास और स्थापना।

उपलब्धि– vçy] 2016& flrEcj] 2016

1 प्रकाशित/प्रकाशित होने वाली रिपोर्टे–

(I) वार्षिक रिपोर्ट, 2013य वर्ष 2014 के लिये वार्षिक रिपोर्ट के प्रकाशन का कार्य चल रहा है।

(II) 1.1.2016 की स्थिति के अनुसार डी जी एम एस पर मानक टिप्पणी का प्रकाशन किया गया।

(III) भारत में खानों से संबंधित सांख्यिकी– भाग I (कोयला), 2013

(IV) भारत में खानों से संबंधित सांख्यिकी भाग II (कोयला इतर), 2013

(V) दुर्घटना के आंकड़ों और उनके विश्लेषण से संबंधित मासिक प्रकाशन.

2. खान प्रबंधन द्वारा 02 अभिज्ञात कोयला इतर खानों और 04 अभिज्ञात कोयला खानों के लिये जोखिम आकलन अध्ययन और सुरक्षा प्रबन्ध योजना का काम किया गया है।

3. भविष्य में समान प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने/उसमें कमी लाने के लिये खान प्रबंधन को 5 तकनीकी परिपत्र जारी किये गये है।

4. सभी घातक दुर्घटनाओं की जॉच से संबंधित रिपोर्टों की जांच की गई और डी जी एम एस की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किये जाने के लिये इन दुर्घटनाओं के कारणों और परिस्थितियों को अन्तिम रूप देकर संकलित किया गया।

5. संगठन के अन्तर्गत 'दुर्घटना अन्वेषण' संबंधी निर्देश तैयार करके परिचालित किया गया है। ये निर्देश अन्तर्राष्ट्रीय पद्धतियों के अनुरूप हैं।

6. डी जी एम एस द्वारा इसके अंशधारको के लिये शुरू की गई अद्यतन पहलों और नई सेवाओं के प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न अंचलों, क्षेत्रों और उप क्षेत्रों में 30 जागरूकता कैम्प आयोजित किये गये है।

7. मैसर्ज एस सी सी एल के सहयोग से 14.4.2016 को हैदराबाद, तेलंगाना में 'लांगवाल माइनिंग' पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया।

8. डी जी एम एस के 6 अधिकारियों को ई–प्रापण प्रणाली में प्रशिक्षण दिया गया।

9. डी जी एम एस के 2 अधिकारियों को हिन्दी प्रबोध में प्रशिक्षण दिया गया।

10. इस्ताम्बुल, तुर्की में 8–11 मई 2016 को आयोजित व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 8 वें अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में महानिदेशक ने भाग लिया।

11. 'श्रम सुविधा पोर्टल' के जरिये वार्षिक रिपोर्ट की ई–फाइलिंग पर कार्यशाला 24–25 अगस्त, 2016 को आयोजित की गई।

12. अगस्त 2016 में विभिन्न अंचलों में श्रम सुविधा पोर्टल के जरिये वार्षिक रिपोर्ट की ई–फाइलिंग पर जागरूकता शिविर लगाये गये।

13. व्यापार की प्रकिया में सुगमता लाने के लिये 'अनुमति, छूट और शिथिलता प्रणाली' के साफ्टवेयर माड्यूल पर एक दिवसीय कार्यशाला 24.09.2016 को आयोजित की गई।

14. खनन उद्योग के अधिकारियों के साथ 30.9.2016 से 1.10.2016 तक एक अन्य दो दिवसीय प्रयोगशाला व्यापार की प्रकिया में सुगमता लाने के लिये 'अनुमति, छूट और शिथिलता प्रणाली' के साफ्टवेयर माड्यूल पर आयोजित की गई।

13-52 प्लान स्कीम के तहत डी जी एम एस केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल की सिफारिशों के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुये ई–संचालन का कार्य कर रहा है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये ई–संचालन योजना बनाई गई है जिसके तहत औपचारिक संगठनात्मक व्यवस्था और परियोजना प्रबंध प्रणाली की स्थापना पर महत्व देते हुये इसे चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने का सुझाव दिया गया है।

13-53 orZeku o"kZ ds nkSjku Mh th ,e ,l }kjk fuEufyf[kr ubZ igy 'kq: dh xbZ g&

- कोयला में खान प्रबंधक के सक्षमता प्रमाण–पत्र के लिये कम्पूटर आधारित परीक्षा प्रणाली सफलतापूर्वक लागू की गई है। धातुओं के लिये खान प्रबंधक के सक्षमता प्रमाण–पत्र के लिये कम्पूटर आधारित परीक्षा प्रणाली लागू करने की प्रक्रिया चल रही है।
- राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र और/या राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र सेवा इंक द्वारा निम्नलिखित स्वतंत्र साफ्टवेयर माड्यूल का विकास कार्य चल रहा है। मैसर्ज अनईकाप्स टेक्नोलाजीज लि. जो एन आई सी एस आई के पैनल पर पंजीकृत वेंडर है, उसे साफ्टवेयर माड्यूल के विकास का काम सौंपा गया है। प्रत्येक माड्यूल की स्थिति निम्नलिखित है–

Øekad	lk¶Vos;j ekM~;wy	fLFkfr
1	अनुमोदन प्रणाली	परीक्षण संपन्न। प्रस्तावित बदलाव किए जा रहे हैं। दिसंबर 2016 तक जारी कर दिया जाएगा।
2	अनुमति, छूट और शिथिलता प्रणाली	परीक्षण संपन्न। प्रस्तावित बदलाव किए जा रहे हैं। दिसंबर 2016 तक जारी कर दिया जाएगा।
3	राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार(खान)	परीक्षण संपन्न। प्रस्तावित बदलाव किए जा रहे हैं। दिसंबर 2016 तक जारी कर दिया जाएगा।
4	दुर्घटनाएं और सांख्यिकी	परीक्षण जारी
5	लेखा और बजट	परीक्षण जारी
6	प्रशासनध्स्थापना	दूसरे चरण में किया जाएगा
7	विधायी प्रबंधन प्रणाली	
8	सामग्री प्रबंधन	

13-54 इसके अलावा, राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र द्वारा श्रम पहचान नम्बर (एल आई एन) के लिये सभी संगठनों (खान) के पंजीकरण, निरीक्षणों की रिपोर्टिंग, वार्षिक रिपोर्ट भेजने और शिकायतों के निपटान, कोयले की खानों के लिये जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली के लिये समेकित पोर्टल–श्रम सुविधा पोर्टल का विकास किया गया है जिसका उद्देश्य निम्नलिखित है–

- श्रम निरीक्षण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना।
- विभिन्न श्रम कानूनों के तहत निरीक्षण की रिपोर्टिंग करने के लिये एक ही स्थान पर सुविधा देना।

- आन–लाइन रिपोर्ट भेजने की सुविधा प्रदान करना।
- प्रमुख निष्पादन सूचकांकों के आधार पर श्रम निरीक्षण की मानीटरिंग में सुधार लाना।
- श्रम निरीक्षण की समेकित सूचना और इसका प्रवर्तन तथा,
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के पोर्टल से जुड़ी हुई प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली।

lpuk çc/k ¼lkf[;dh½ dh Hkfedk&

13-55 डी जी एम एस में कंप्यूटरीकृत सूचना प्रबंध (सांख्यिकी) प्रणाली है जिसकी देखरेख सांख्यिकी प्रभाग करता है। खान सुरक्षा से संबंधित विभिन्न आंकड़े प्राप्त होने पर यह प्रभाग इसकी जांच, संसाधन, और संकलन करता है। इस प्रभाग का दृष्टिकोण और उद्देश्य निम्नलिखित है।

–f"Vdk.k

13-56 भारतीय खानों के कर्मचारियों के लिये सुरक्षा, स्वास्थ्य व कल्याण के राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक मानक सुनिश्चित करने की दिशा में अनुपूरित और प्रतिपूरित करना।

13-57 mís';%

1. खान (कोयला) से संबधित रोजगार, मशीनरी, विस्फोटक, दुर्घटना सांख्यिकी से संबंधित आंकड़ो का संकलन, संसाधन और प्रकाशन।
2. खान (गैर कोयला) से संबधित रोजगार, मशीनरी, विस्फोटक, दुर्घटना सांख्यिकी से संबंधित आंकड़ो का संकलन, संसाधन और प्रकाशन।
3. सुरक्षा के मानकों के अनुसार खान प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिये खान सुरक्षा की दिशा में संवर्धनात्मक पहल (जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार खान) शुरू करना।
4. जब कभी आवश्यक हो, डी जी एम एस के प्रशासन में समन्वय करना।
5. मंत्रालय द्वारा पूछे गये संसदीय प्रश्न का उत्तर, विवरण, विभिन्न रिपोर्टों आदि को अन्तिम रूप देने में समन्वय स्थापित करना।

13-58 सांख्यिकी प्रभाग खान सुरक्षा के विभिन्न क्रियाकलापों के संबंध में जानकारी और आंकड़ों का विभिन्न कंप्यूटरीकृत डाटा आधार बहाल रखता है। डाटा आधार का रखरखाव और आंकड़ो का संसाधन विभाग द्वारा विकसित साफ्टवेयर के आधार पर किया जाता है। संसाधनो में कमी के बावजूद विभाग ने प्रमुख प्रकाशनों में तेजी लाई तथा खानों से आंकड़ा प्राप्त होने और आंकड़े प्रकाशित किये जाने के बीच समयान्तराल को कम करके उचित समयावधि का किया गया।

13-59 प्रभाग खान सुरक्षा और इससे संबंधित पहलुओं पर आंकड़ों का प्रचार–प्रसार सी एस ओ, श्रम ब्यूरो, आई बी एम, डीजीसी आई एंड एस, डीजीफासली आदि जैसे संगठनों में कर रहा है।

13-60 प्रभाग आई आई टी (आई एस एम), धनबाद, आई आई टी और बी आई टी (सिन्दरी) आदि जैसे विभिन्न संगठनों के अनुसंधानकर्ताओं की भी मदद कर रहा है।

13-61 आंकड़ा आधार में भारत में खान क्रियाकलापों में वृद्धि एक है। वर्ष 1997 से 2014 तक खनन कार्यकलापों में वृद्धि को lkfj.kh 13-1 में दर्शाया गया है। खानों में दुर्घटना की प्रवृत्ति lkfj.kh 13-2 में दर्शाई गई है। कोयला खानों में दुर्घटना की प्रवृत्ति का कारणवार ब्यौरा lkfj.kh 13-3 में दिया गया है। गैर–कोयला खानों में दुर्घटना की प्रवृत्ति का कारणवार ब्यौरा 13-4 में दिया गया है। खानों में दुर्घटनाओं और इसके परिणाम स्वरूप मौत खान सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण विषय हैं। इन्हें lkfj.kh13-5 ¼d½ और 13-5 ¼[k½ में दर्शाया गया है।

13-62 डी जी एम एस स्थापित मानकों के अनुसार सुरक्षा के संबंध में खानों का अत्यधिक तकनीकी निरीक्षण और जांच करता है। संबंधित आंकड़ा आधार रखा जाता है और विभिन्न वर्षों के लिये आंकड़ों का lkfj.kh 13-6 में दर्शाया गया है।

lkfj.kh 13-7 में जारी किये गये सक्षमता प्रमाण–पत्र और खानों के प्रबंधकों तथा अन्य कर्मचारियों से प्राप्त आवेदनों को दर्शाया गया है।

jk"Vªh; lqj{kk ifj"kn dk fØ;kdyki vkSj miyfC/k;k

¼31-3-2017 rd iwokZuqeku fØ;kdykiksa dks lkFk 1-4-2016 ls 31-10-2016 rd dk foLr`r fØ;kdykiksa vkSj o"kZ 2013&14] 2014&15] 2015&16 ds fØ;kdykiksa dh lehs{kk lfgr½

çLrkouk

13-63 श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 4 मार्च, 1966 को स्थापित राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एक स्वतंत्र, गैर–लाभ कमाने वाली स्वायत्त सोसायटी है। इसका उद्देश्य जीवन की क्षति, मानव पीड़ा और आर्थिक हानि पर रोक लगाने और उसमें कमी लाने के लिये सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर राष्ट्रीय आन्दोलन (असंगठित क्षेत्र सहित) को मजबूत बनाना और क्षमता निर्माण, सामग्री, विधि और प्रकिया का विकास करना है।

13-64 परिषद के कार्यकलापों का प्रबंधन और नियंत्रण त्रिपक्षीय गवर्नर–बार्ड द्वारा किया जाता है। बोर्ड में अध्यक्ष के अलावा, जिसे भारत सरकार द्वारा नामित किया जाता है, 51 सदस्य होते हैं। इसका मुख्यालय नवी मुम्बई में है। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थान है जिसके समूचे भारत में 8500 सदस्यों में शामिल हैं – (I) – कारपोरेट सदस्य (औद्योगिक प्रतिष्ठान, कर्मचारी संगठन, व्यावसायिक निकाय और संस्थान) (II) व्यापार संघ व संगठन (III) व्यक्तिगत सदस्य (IV) आजीवन सदस्य और (V) समूचे देश में 18 चौप्टर के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सदस्य।

13-65 egRoiw.kZ fØ;kdyki vkSj lsok;sa&

➢ jk"Vªh; Lrj ij

- राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशाला आयोजित करना।
- राष्ट्रीय स्तर तथा आवश्यकता के अनुसार इकाई स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- विभिन्न ओ एस एच विषयों पर ई–अधिगम कार्यक्रम संचालित करना।

- परामर्श सेवा में देना जैसे– सुरक्षा आडिट, जोखिम आकलन और एचएजैडअओपी अध्ययन, सुरक्षा जागरूकता सर्वेक्षण, आपदा प्रबंधन सेवायें।
- कारखानों, निर्माण स्थलों, अस्पताल, होटल, मॉल और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिये सुरक्षा की दृष्टि से निर्धारण करना।
- राष्ट्रीय सुरक्षा कैलेण्डर, पोस्टर आदि जैसी संवर्धन सामग्री का विकास।
- सूचना सामग्री– एच एस ई डायरी, पुस्तिका, एच एस ई लायब्रेरी की सुविधा प्रदान करना।
- तकनीकी मैन्युअल, पुस्तिका, महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशनों का पुनरू मुद्रण जैसे प्रकाशन।
- त्रैमासिक औद्योगिक सुरक्षा क्रानिकल और द्विमासिक इन्डस्ट्रियल सेफ्टी न्यूज पत्रिकाओं का प्रकाशन।
- राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता अभियानों का नेतृत्व करना– राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, सड़क सुरक्षा सप्ताह, अग्निशमन सेवा सप्ताह और विश्व पर्यावरण दिवस।
- (क) विनिर्माण (ख) निर्माण और (ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय स्तर पर एन एस सी आई सुरक्षा पुरस्कार स्कीम प्रचालित करना और वार्षिक पुरस्कार समारोह आयोजित करना।
- विभिन्न ओ एस एच विषयों पर वीडियो फिल्म तैयार करना।
- राष्ट्रीय सुरक्षा मानक के विकास में योगदान देना– बी आई एस सेक्शनल समिति की अध्यक्षता तथा अन्य सेक्शनल समितियों की सदस्यता।
- निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र जैसे, सी आई आई सेल, एल एन्ट टी, गेल, एन टी पी सी आदि से एन एस सी के कारपोरेट सदस्यों और उद्योग संघों का सहयोग और साथ मिलकर काम करना।

➢ vUrjkZ"Vªh; Lrj ij

- अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशाला का आयोजन करना।
- आईएलओ, यूएनईपी, डीजीयूवी (जर्मनी), एडीपीसी (बैंकाक) जेआईएसएचए (जापान), एनएससी (यूएसए), एआईएचए (यूएसए) केओएसएचए (कोरिया), केआईएसए (कोरिया), यूरोपियन कमीशन, अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ, एशिया प्रशान्त व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संगठन जिसका एन एस सी संस्थापक सदस्य है, के सदस्य संगठन के साथ सहयोग और साथ मिलकर काम करना।
- अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों और समारोह में भाग लेना और प्रस्तुतीकरण।

,u ,l lh Lo.kZ t;arh o"kZ dk vk;kstu

13-66 एन एस सी ने 4 मार्च, 2015 से अप्रैल 2016 तक स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया। इस वर्ष के दौरान विभिन्न संगठनों/एजेंसियों के साथ मिलकर और स्वतंत्र रूप से बहुत से क्रियाकलापों और समारोह का आयोजन किया गया। स्वर्ण जयंती समारोह का समापन महत्वपूर्ण अपोशो–31 अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन और अप्रैल 2016 में ए जी एम की बैठक के साथ हुआ।

13-67 एन एस सी ने अपने 45 वें राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस समारोह के समय नवी मुम्बई स्थित अपनी आडिटोरियम

में 4 मार्च, 2016 को 50 वें वार्षिक समारोह का आयोजन किया। श्री सतीष रेड्डी, अध्यक्ष, एन एस सी मुख्य अतिथि थे। ¼QkVkxkQ&1½

13-68- çe|[k fd;kdyki vkj miyfC/k;k|

1- vrjk"Vh; lxBuk d lkFk lg;kx

1-1 teu lkekftd n?kVuk chek] teuh-

एनएससी ने डीजीयूवी, जर्मनी के साथ करार का 3 वर्षों के लिये दिनांक 10 अक्तूबर, 2013 को नवीकरण किया है। इस समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग करना है जिससे कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा की दशाओं में सुधार आयेगा और कार्य से जुड़ी हुई दुर्घटनाओं और बीमारियों में कमी होगी।

इस समझौता ज्ञापन के एक भाग के रूप में विगत तीन वर्षों अर्थात 2013–14 से 2015–16 तक निम्नलिखित कियाकलाप किये गये–

- डी जी यू वी कोमपैक्ट, पत्रिका में महानिदेशक, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का साक्षात्कार प्रकाशित हुआ।
- अक्तूबर, 2013 में मुम्बई में सुरक्षा अधिकारियों के लिये राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन है
- इंडिया हेबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में डी जी यू वी द्वारा 23–24 सितम्बर, 2014 को आयोजित सिम्पोजियम और प्रदर्शनी में ''निर्माण सुरक्षा एन एस सी का दृष्टिकोण'' विषय पर प्रस्तुतीकरण।
- जी आई जेड और डी जी यू वी जर्मनी द्वारा संयुक्त रूप से 25 सितम्बर, 2014 को आयोजित भारतीय निर्माण क्षेत्र में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य विषय पर भारत–जर्मनी विचार– विमर्श में सहभागिता
- श्रम विभाग, महाराष्ट्र सरकार, एन सी पी ए, मुम्बई और भवन व्यापार जर्मन सामाजिक दुर्घटना बीमा संस्थान जर्मनी के सहयोग से डी जी यू वी द्वारा 19 नवम्बर, 2015 को आयोजित 'निर्माण उद्येग में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य – समस्या से समाधान तक' विषय पर सिम्पोजियम में भाग लेना।

1-2 dkfj;k 0;kolkf;d lj{kk vkj LokLF; ,tlh ¼dk'kk½] dkfj;k&

- एन एस सी, भारत और कोशा ने दिनांक 4 अप्रैल 2016 को 3 साल के लिए समझौता ज्ञापन को नवीन किया। व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों का आदान– प्रदान, परामर्श, परस्पर रुचि वाले विषयों पर संगोष्ठि/कार्यशाला/सम्मेलन या अनुसंधान कार्यक्रम तथा तकनीकी जानकारी और सामग्री का आदान–प्रदान आदि सहयोग के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित हैं।
- सिओल, कोरिया में 'एशिया और प्रशांत देशों में व्यासुरक्षा और स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार' पर दिनांक 19 जून से 3 जुलाई, 2013 तक आयोजित 2 सप्ताह का आई एल ओ–कोशा फेलोशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम में एन एस सी के निदेशक ने भाग लिया।

- कोशा, मुख्यालय, कोरिया में दिनांक 15–21 नवंबर 2015 तक 'व्यासुरक्षा और स्वास्थ्य' फेलोशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम में एन एस सी के 2 अधिकारियों ने भाग लिया ।

  वर्ष 2016–17 के दौरान दिनांक 4–8 जुलाई 2016 तक सिओल, रिपब्लिक ऑफ कोरिया में 'व्यासुरक्षा और स्वास्थ्य' फेलोशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें एन एस सी के एक अधिकारी ने भाग लिया। कार्यस्थल में औद्योगिक दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम के लिए व्यासुरक्षा और स्वास्थ्य पर व्यावहारिक ज्ञान और कौशल प्रदान करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था।

1-3 l;Dr jk"V i;kZoj.k dk;Øe ¼;w,ubZih½

- यू एन ई पी के साथ एक लंबी, सक्रिय और घनिष्ठ सहभागिता के रुप में एन एस सी को ''जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन'' से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तथा प्रेजेनटेशन बनाने के लिए दिनांक 30 जुलाई 2014 से 1 अगस्त 2014 तक 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया था। यह कार्यशाला संयुक्त रुप से यूएनईपी, एडीपीसी तथा रिसपोनसिबल केयर इन्क. न्यूजीलैंड के साथ केन्द्रीय पर्यावरण प्राधिकरण (सीईए) द्वारा आयोजित किया गया था। इस कार्यशाला में सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। एन एस सी के निदेशक ने कार्यशाला में भाग लिया और निम्नलिखित 4 व्याख्यान प्रस्तुत किए – 'जोखिम मूल्यांकन का ओवरव्यू, 'जोखिम स्वीकृति के मानदंड', 'जोखिम प्राथमिकता व जोखिम संचार' तथा 'निर्णय लेना'
- अमरीकन इन्स्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरज (ए आईसीएचई) के सेन्टर फॉर केमिकल प्रोसेस सेफ्टी (सीसीपीएस) ने यूएनईपी के साथ मिलकर मुंबई में दिनांक 15–16 दिसंबर 2014 को प्रक्रिया सुरक्षा पर दो दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। एन एस सी के महानिदेशक ने ''अपेल (एपीईएल–एल) में एन एस सी आई का अनुभव'' पर एक प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया जिसे यूएनईपी और अन्य प्रतिनिधियों द्वारा सराहा गया ।
- एडीपीसी और यूएनईपी की साझेदारी से आयोजित कार्यशाला में यू एन ई पी के आमंत्रण पर एन एस सी के उप निदेशक ने दिनांक 19 अगस्त से 21 अगस्त 2015 तक बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित कार्यशाला ''एपीईएलएल पर प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण – क्षेत्रीय कार्यशाला'' में भाग लिया। उन्होंने कार्यशाला में 2 प्रस्तुतीकरण किए जिसके शीर्षक निम्नलिखित हैं – ''भारत में एपीईएलएल का क्रियान्वयन'' तथा ''समुदाय तैयारी योजना– भारतीय अनुभव'' ।

1-4 tiku vkS|kfxd lqj{kk o LokLF; vlksfl,'ku ¼ft'kk½] tiku

- एन एस सी के साथ घनिष्ठ सहभागिता होने के कारण जिशा ने जपान में हो रहे अपने संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त करने के लिए आमंत्रण दिया है। आर एम सी रेडीमिक्स (भारत) के एक अधिकारी को मार्च, 2014 में आयोजित संगोष्ठि 'जपान में के वाय टी (जोखिम अनुमान प्रशिक्षण) व ओ एस एच एम एस' में भाग लेने के लिए नामित किया गया।

2- vrjk"Vh; dk;Øeks es lgHkkfxrk

पिछले 3 वर्षों के दौरान अर्थात 2013–14 से 2015–16 तक एन एस सी ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लिया है जैसे –

- राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य परिषद, इंडोनेशिया द्वारा जकार्ता, इंडोनेशिया में दिनांक 8 से 12 अक्तूबर 2013 तक आयोजित अपोशो–28। सम्मेलन की विषय वस्तु 'एनहैनसिंग सेफ्टी कल्चर, स्ट्राइविंग फॉर ससटेनबिलिटी' थी।

- वर्तमान एपीईएल एल हैंडबुक के संशोधन और दूसरे संस्करण के विकास के लिए दिनांक 10 दिसंबर 2013 को यूएनईपी के पेरिस कार्यालय में विशिष्ट सलाहकार समूह की एक अनुसमर्थन कार्यशाला आयोजित की गई थी ।

- द सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क प्रमोशन असोसिएशन, थाईलैंड (शॉपट) द्वारा दिनांक 2 जुलाई 2014 से 5 जुलाई 2014 तक बैंकॉक, थईलैंड में आयोजित अपोशो–29

- 'कार्यस्थल में सुरक्षा और स्वास्थ्य पर' 20वां विश्व सम्मेलन फ्रेंकफर्ट, जर्मनी में दिनांक 24–27 अगस्त 2014 तक आयोजित किया गया। एन एस सी में 'रोजगार के नए तरीकों और कार्य संगठन' पर एक सिंपोसियम आयोजित किया गया तथा 'स्वैच्छिक पहल के माध्यम से रोकथाम की संस्कृति को बढ़ावा देना ओर एन एस सी भारत अनुभव' विषय पर एक प्रस्तुतीकरण दिया। एन एस सी ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया समारोह में निर्माण स्थलों पर ऊंचाई पर कार्य करते समय सुरक्षा विषय पर फिल्म प्रस्तुत किया जिसे पुरस्कार के लिए नामित किया गया तथा समारोह के दौरान प्रदर्शित किया गया।

- 31वें आई सी ओ एच (व्यावसायिक स्वास्थ्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन) के साथ–साथ कोरिया व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य ऐजेन्सी (कोशा) द्वारा सियोल, कोरिया में दिनांक 31 मई से 5 जून, 2015 तक अपोशो 30 आयोजित किया गया। एन एस सी ने प्रदर्शनी में एक स्टॉल रखा जिसमें एन एस सी की गतिविधियों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने की क्षमता का प्रदर्शन किया गया। अपोशो 31 के बारे में 2 पृष्ठों की विवरणिका छपवाई गई और अपोशो 30 के वार्षिक सामान्य बैठक के समय वितरित की गई। अपोशो की परंपरा के अनुसार, अगले अपोशो सम्मेलन अर्थात अपोशो 31 को आयोजित करने के लिए एन एस सी अध्यक्ष को अपोशो झंडा सौंपा गया।

3. vçSy 2016 es okf"kZd lkekU; cSBd rFkk 31 oha viks'kk ¼,f'k;k ç'kkar O;kolkf;d lqj{kk vkSj LokLF; laxBu½ lEesyu

वर्ष 2016–17 के दौरान दिनांक 5 और 6 अप्रैल, 2016 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 31वें अपोशो सम्मेलन का आयोजन किया गया। bl nkSjku fnolh; vrjk"Vªh; lEesyu dh fo"k;oLrq ^lqj{kk] LokLF; i;kZoj.k&lekos'ku –f"Vdks.k] lkefgd fØ;k^ FkhA

श्री भंडारु दत्तात्रेय, माननीय राज्य मंत्री श्रम एवं रोजगार (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और एन एस सी के अध्यक्ष श्री सतीश रेड्डी ने इसकी अध्यक्षता की। सम्मेलन में 700 व्यक्तियों

ने भाग लिया जिसमें विभिन्न पणधारियों के राष्ट्रीय ओर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि और अन्य आमंत्रित व्यक्ति सम्मिलित थे। 35 विदेशी संगठनों के 85 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों तथा एशिया प्रशांत क्षेत्रों के 17 देशों और विश्व के अन्य देशों के अपोशो सदस्य–संगठनों ने इसमें भाग लिया। सम्मेलन में भारत, अपोशो सदस्य देश व अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसमें डीजीयूवी, यूएनईपी, अंतर्राष्ट्रीय सोशियल सेक्युरिटी असोसिएशन आदि सम्मिलित हैं, के 84 उच्च स्तर के सरकारी अधिकारियों और सुरक्षा के क्षेत्र के मान्य विशेषज्ञों ने 3 प्लेनरी और 12 समसामयिक सत्रों में वर्तमान एचएसई के मामलों से संबंधित विभिन्न विषयों पर अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए।

सम्मेलन के अलावा विज्ञान भवन के पीछे वाले बगीचे में 15,750 वर्ग फीट में सर्वोत्तम हैंगर का निर्माण किया गया जिसमें 64 वातानुकूलित स्टॉलें बनाई गईं। इन स्टालों में एच एस ई की प्रदर्शनी अयोजित की गई जिसमें 35 प्रदर्शनकर्ताओं ने अपने उत्पाद और सेवाओं की प्रदर्शनी की। इस प्रदर्शनी का उदघाटन माननीय मंत्री द्वारा किया गया।

एन एस सी की अप्रैल–जून 2016 की त्रैमासिक पत्रिका 'औद्योगिक सुरक्षा क्रोनिकल' विशेष तौर पर अपोशो 31 की उन बातों को उल्लिखित करती है जो महत्वपूर्ण हैं जैसे सम्मेलन व प्रदर्शनी के अंतिम कार्यक्रम, विशेष व्यक्तियों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा दिए गए सद्‌भाव संदेश, विशिष्ट विशेषज्ञों द्वारा दी गई विषय वस्तु से संबंधित सामग्री तथा कुछेक चयनित दस्तावेज। यह अंक माननीय मंत्री द्वारा सम्मेलन के उद्‌घाटन समारोह के दौरान जारी किया गया। ¼QkVk2½

4- jk"Vh; Lrj lg;kx@lc/k

4-1 Hkkjrh; bLikr çkf/kdj.k fy- ¼ly½ lj{kk lxBu] jkph

वर्ष 2011 से एन एस सी का सेल के साथ एक समझौता ज्ञापन है जिसे हर साल नवीन किया जाता है। मई 2016 में उसे अंतिम बार नवीन किया गया। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य सुरक्षा प्रशिक्षण, ऑडिट, आपातकालीन तैयारियां, विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के अभियानों आदि जैसे कार्यक्रमों को सुदृढ बनाना है। पिछले 3 सालों के दौरान अर्थात 2013–14 से 2015–16 तक समझौता ज्ञापन के अंतर्गत 33 कार्यक्रम अपनाए गए।

इसके अलावा वर्ष 2016–17 के दौरान (अक्तूबर 2016 तक) विभिन्न संयंत्रों और खानों में 3 सुरक्षा ऑडिट आयोजित किए गए ।

4-2 VkVk vkokl fodkl d- fy- ¼Vh ,p Mh lh ,y½

एन एस सी ने टी एच डी सी एल, मुंबई के साथ मिलकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं । समझौता ज्ञापन के तहत 4 मार्च 2014 को निर्माण सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर 3 फिल्में रिलीज की गईं ।

4-3 eq[; Je vk;kx¼dUæ½ Je vkj jkstxkj e=ky;] Hkkjr ljdkj

एन एस सी, मुख्य श्रम आयोग (केन्द्र) श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारियों को पिछले 12 सालों से प्रशिक्षण दे रही है। जुलाई 2014 में एन एस सी ने सी एल सी(केन्द्र) के साथ दो साल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें बी ओ सी डब्ल्यू

अधिनियम व नियमों के अंतर्गत प्रावधानों के क्रियान्वयन पर अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। फरवरी 2015 में 2 कार्यक्रम आयोजित किए गए 'दुर्घटनाओं की जांच' और 'बी ओ सी डब्ल्यू अधिनियम व केन्द्र नियमों के अंतर्गत सुरक्षा, स्वास्थ्य व कल्याण'। फरवरी 2016 में सी एल सी अधिकारियों के लिए 'दुर्घटना की जांच' पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 60 अधिकारियों ने भाग लिया। ¼QkVks 3½

मार्च 2017 में अन्य 2 प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित किए जाने की संभावना है ।

4-4 lh vkbZ vkbZ ukÅjk th&xkæ t mR—"V dUæ ¼,u th lh b½

एन एस सी ने सी आई आई एन जी सी ई के साथ मई 2015 में एक साल के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है जिसे जुलाई 2016 में नया किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है उद्योगों में प्रशिक्षित कामगारों का एक समूह सृजित करना जो औद्योगिक सुरक्षा में उत्कृष्टता को सहायता प्रदान कर सके, जो देश भर में उत्कृष्ट व्यवहार को बांट सके तथा औद्योगिक सुरक्षा से संबंधित मामलों से निपट सके। वर्ष 2015–16 के दौरान समझौते के अंतर्गत एन एस सी ने विभिन्न व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य विषयों पर 4 दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन कार्यक्रमों में कुल 76 प्रतिभागियों ने भाग लिया। यही नहीं, 2015–16 के दौरान 3 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 43 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सी आई आई एन जी सी ई द्वारा स्थापित औद्योगिक सुरक्षा पर 12 सदस्यों की टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष एन एस सी के महानिदेशक हैं।

4-5 M!xj l¶Vh ¼b½ çk-fy-

एन एस सी ने दिनांक 19 नवंबर 2014 में ड्रैगर सेफ्टी (इं) प्रा.लि.,मुंबई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत वर्ष 2015–16 के दौरान 'सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए कार्य में सुधार' पर 4 एक दिवसीय संगोष्ठियां राऊरकेला, दुर्गापुर, बाड़ी व बैंगलूरु में आयोजित की गईं ।

4-6 ,y ,.M Vh@xsy ¼b½ fy-@,u Vh ih lh

- 14 मई 2015 को मुंबई में एल एंड टी निर्माण के साथ ''ऊंचे टॉवरों में अग्नि सुरक्षा'' पर एक दिवसीय संगोष्ठि आयोजित की गई। इसमें 85 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 27 नवंबर 2015 को मुंबई के एन एस सी और गेल के संयुक्त प्रयास से 'तेल व गैस की क्रॉस कन्ट्री पाइप लाइन के सुरक्षित प्रचालन' पर एक संगोष्ठि का आयोजन किया गया जिसमें 71 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 1 दिसंबर 2015 को रिहादनगर में एन टी पी सी ओर एन एस सी ने संयुक्त रुप से 'आपदाकालीन प्रबंधन' पर राष्ट्रीय संगोष्ठि का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 108 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

5- byDVªkfud@fçaV ehfM;k dk lg;ksx

- ,u ,l Mh dk 44oka lekjksg ij fnukad 4 ekpZ 2015 dks njn'kZu dUæ] eqcbZ dk lg;ksxh puy ij egkfun'kd th dk lk{kkRdkj dk lh/kk çlkj.k fd;k x;k rkfd ykxksa eas ,u ,l Mh dk egRo dk ckjs eas ,d lkefgd

tkx#drk iSnk gks ldA lk{kkRdkj d nkSjku cgqr l lqj{kk ekeyk ij ppk dh xbA

- दूरदर्शन के सहयाद्री चेनल पर दिनांक 4 मार्च 2015 को सखी सहयाद्री नामक कार्यक्रम में निदेशक, एन एस सी ने 1 घंटे के लाइव कार्यक्रम में दर्शकों के साथ फोन पर सीधी बात की।

- दिनांक 13 अप्रैल 2015 को एन एस सी ने द इकोनॉमिक टाईम्स के साथ सहयोग करके सुरक्षा के संबंध में 4 लेख उनके अनुपूरक अंक ई टी फोकस में प्रकाशित किए।

- विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 5 जून 2015 को दूरदर्शन केन्द्र सहयाद्री चेनल ने निदेशक, एन एस सी को सखी सहयाद्री नामक कार्यक्रम में 1 घंटे के लाईव कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। फोन पर दर्शकों ने पर्यावरण के विषय में विभिन्न मसले उठाए जिनके उत्तर निदेशक, एन एस सी ने दिए।

- सड़क सुरक्षा को संवर्धित करने के लिए द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड के सदस्य महानिदेशक, एन एस सी हैं। दिनांक 16 जून 2015 को मुंबई में द इकोनॉमिक टाइम्स ने 'द इकोनॉमिक टाइम्स सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन शिखर सम्मेलन 2015' का आयोजन किया। सम्मेलन के पेनल चर्चा में एन एस सी के निदेशक ने भाग लिया। 'सुरक्षित प्रणाली–सुरक्षित सड़क – सुरक्षित नागरिक' सम्मेलन की विषय वस्तु थी।

- एन एस डी के 45वें समारोह में दूरदर्शन केन्द्र सहयाद्री चेनल ने 'हेलो सखी' नामक सीधा प्रसारित कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें एन एस सी को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। दिनांक 4 मार्च 2016 को एक घंटे के लाइव कार्यक्रम में श्री एम एम कुलकर्णी, निदेशक ने भाग लिया। फोन पर दर्शकों ने विभिन्न प्रश्न पूछे जिनके उत्तर श्री एम एम कुलकर्णी, निदेशक ने दिए। ये प्रश्न कामगारों, भारत और विदेश के उद्योगों में सुरक्षा निष्पादन की तुलना, यात्रा सुरक्षा, महिला सुरक्षा आदि से संबंधित थे।

- 'ऑटो पार्ट्स एशिया' पत्रिका के श्री टी मुरली ने एन एस सी के महानिदेशक का साक्षात्कार किया और इसे पत्रिका के 10 मार्च 2016 के अंक में प्रकाशित किया। महानिदेशक जी ने एन एस सी के क्रियाकलापों के बारे में जानकारी दी और यह भी बताया कि एन एस सी की सेवाओं और क्रियाकलापों से कंपनियों को कितना लाभ होगा।

6- jk"Vh; Lrj dk;Øe@xfrfof/k;k e çfrHkkfxrk

- ### LFkkb vfXu lykgdkj ifj"kn dh cBd

एन एस सी के महानिदेशक ने दिनांक 31 अक्तूबर तथा 1 नवंबर 2014 को गोआ में अग्नि सेवा, सिविल डिफेन्स, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित 36वीं स्थाई अग्नि सलाहकार परिषद की बैठक में भाग लिया।

- ### neu dh çn"k.k fu;=.k lfefr

एन एस सी के निदेशक दमन दियु व दादरा नगर हवेली के प्रदूषण नियंत्रण समिति के एक सदस्य हैं।

- **jkT; fo'k"kK eY;kdu lfefr¼,lb,lh&1½ bl o ,Q e=ky;] Hkkjr ljdkj**

निदेशक, एन एस सी को जनवरी 2014 में उक्त समिति का सदस्य नामित किया गया है। यह महाराष्ट्र राज्य में 2006 की ई आई ए अधिसूचना के वर्ग 'ख' में आनेवाले उद्योगों,खनन, सिंचाई और अन्य (भवन परियोजनाओं को छोड़कर) से संबंधित सभी परियोजनाओं का मूल्यांकन और विनियमन करेगा। यह राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाग आकलन प्राधिकरण, महाराष्ट्र को मदद भी देगा।

- **ch vkbl ,l lfefr çc/ku**

महानिदेशक, एन एस सी, सी एच डी 08 (व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा अनुभागीय समिति) भारतीय मानक ब्यूरो के अध्यक्ष हैं। विगत 3 वर्षों के दौरान महानिदेशक ने तीन बैठकों की अध्यक्षता की सीएचडी 08 की अगली बैठक नवंबर, 2016 में मुंबई में होनी है ।

- **;l ,y nf{k.k ,f'k;k vkx lj{kk ifj"kn cBd 2015**

यू.एल. इंडिया प्रा.लि. ने नई दिल्ली में 7–9 अक्तूबर, 2015 को 7वीं वार्षिक यू एल दक्षिण एशिया आग सुरक्षा परिषद बैठक 2015 का आयोजन किया। महानिदेशक, एन एस सी ने इस बैठक में भाग लिया और 'पेट्रोलियम उत्पादों के सुरक्षित परिवहन' पर एक प्रस्तुतीकरण दिया।

- **Je e=ky; dh çn'kuh vkj tkx#drk dk;Øe**

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरु की गई विभिन्न पहलों पर 31 मई 2015 को हैद्राबाद में प्रदर्शनी और जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंत्रालय के निमंत्रण पर कार्यक्रम में भाग लेने और प्रदर्शनी स्टॉल लगाने के लिए एन एस सी के दो अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया।

- **fcgkj jkT; vkink çc/k çkf/kdj.k dh jkT; Lrjh; ijke'k lfefr e ukekadu ¼ch,lMh,e,½**

बीएसडीएमए द्वारा स्थापित मानव उत्पन्न आपदा के लिए राज्य स्तरीय परामर्श समिति में महानिदेशक, एन एस सी को सदस्य नामित किया जो आपदा प्रबंधन और जोखिम कटौती और संबद्ध मामलों में सिफारिशें प्रदान करते हैं। दिनांक 31 अक्तूबर, 2015 को पटना में सलाहकार समिति की पहली बैठक में महानिदेशक ने भाग लिया।

राष्ट्रीय flfoy fMQUl d,yst ¼,u lh Mh lh½] ukxiqj के साथ सहयोग

एन सी डी सी, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आमंत्रण पर, एन एस सी के सहयोग से दिनांक 4–6 नवंबर 2015 को नागपुर में आपदा प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठि का आयोजन किया गया जिसकी विषय–वस्तु 'व्यावसायिक सुरक्षा के साथ सिविल डिफेन्स संघटित करना' थी। उद्घाटन समारोह में एन एस सी के महानिदेशक ने आधार व्याख्यान प्रस्तुत किया।

7- lj{kk] LokLF; vkj i;koj.k çf'k{k.k

'एच एस ई प्रशिक्षण' द्वारा कामगारों और अन्य कार्मिक वर्ग जिसमें सुरक्षा समिति के कार्यकारी सदस्य और मजदूर संघ के प्रतिनिधि शामिल हैं को कार्यस्थल में व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के बारे में जागरुक किया जाता है। चूंकि प्रशिक्षण प्रदान करना

एन एस सी का एक मुख्य क्रियाकलाप है इसलिए उद्योगों के उभरते मांगों के अनुसार प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को डिजाइन और विकसित किया जाता है।

वर्ष 2013–14, 2014–2015, तथा 2015–16 के दौरान 64 राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें 2333 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसके अलावा, 178 यूनिट स्तर के मांग आधार अंतः संयंत्र कार्यक्रम भी आयोजित किए गए जिसमें विभिन्न प्रकार के उद्योगों के 7304 कार्मिकों ने भाग लिया।

वर्ष 2016–17 (अक्टूबर 2016 तक) में 14 राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 497 प्रतिभागियों ने भाग लिया तथा 34 यूनिट स्तर के मांग आधार अंतः संयंत्र कार्यक्रम भी आयोजित किए गए जिसमें विभिन्न प्रकार के उद्योगों के 1493 अलग – अलग वर्गों के कार्मिकों ने भाग लिया। साथ ही, मार्च 2017 तक 10 विशेषज्ञ प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा 25 यूनिट स्तर के मांग आधार अंतः संयंत्र कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुरक्षा प्रशिक्षण क्रियाकलापों में सुधार लाने के लिए यह परिषद समय – समय पर परामर्श बैठकें आयोजित करती है।

b&yfux çf'k{k.k ikBîØe

- एन एस सी ने दिनांक 4 मार्च 2014 को 'निर्माण स्थलों में सुरक्षा' पर अपना पहला ई–लर्निंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरंभ किया। अभी तक इस पाठ्यक्रम के 5 दल आयोजित किए गए हैं जिसमें कुल 285 प्रतिभागियों ने भाग लिया। वर्ष 2016–17 में इस पाठ्यक्रम को छठे दल ने पूर्ण किया जिसमें 23 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- एन एस सी ने दिनांक 4 मार्च 2015 को 'रसायन सुरक्षा' पर अपना दूसरा ई–लर्निंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरंभ किया। अभी तक इस पाठ्यक्रम के 2 दल पूर्ण हो चुके हैं जिसमें कुल 115 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस पाठ्यक्रम का अगला दल तय कर दिया गया है और दिसंबर 2016 तक पूर्ण हो जाएगा।
- एन एस सी ने दिनांक 4 मार्च 2016 को 'औद्योगिक सुरक्षा' पर एन एस सी, मुख्यालय में अपना तीसरा ई–लर्निंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरंभ किया जिसका उद्घाटन एन एस सी के अध्यक्ष श्री सतीश रेड्डी ने किया। वर्ष 2016–17 के दौरान 2 दलों ने इस पाठ्यक्रम को पूर्ण किया और 273 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। इस पाठ्यक्रम का अगला दल नवंबर 2016 के लिए तय किया गया है।
- चौथा ई– अधिगम पाठ्यक्रम मार्च 2017 में शुरू किया जाएगा। प्रतिभागियों द्वारा इन पाठ्यक्रमों की अत्यधिक सराहना की गई है।

8- lqj{kk ijke'kZ lsok;sa&

o ओ एस एच आडिट और अन्य परामर्शी सेवाओं में अग्रणी होने के नाते एन एस सी विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठानों की सुरक्षा आडिट, विद्युत व अग्नि सुरक्षा आडिट, जोखिम आकलन, एचएजैडओपी अध्ययन, स्थल पर आकस्मिक योजना तैयार करने और उसकी समीक्षा करने, सेफ्टी रिपोर्ट तैयार करने, स्वास्थ्य प्रभाव आकलन, सुरक्षा जागरूकता सर्वेक्षण आदि जैसे कार्यों का आयोजन करता रहा है।

वर्ष 2013–14, 2014–15 और 2015–16 के दौरान कुल 347 परामर्श सेवाएं लेने वाली कुछ कम्पनियॉ है– सेल, गेल, एसीसी, एन टी पी सी, टाटा, एचपीसीएल, जिंदल स्टील, गोद्रेज, आईओसीएल, एल एंड टी, ओ एन जी सी, आर सी एफ, रिलायंस, नाभिकीय ईंधन कॉम्पलेक्स, उषा ब्रेको लि. आदि। एन एस सी द्वारा सुरक्षा आडिट रिपार्ट में दी गई सिफारिशें मौजूदा जोखिमों को दूर करने के लिये सुधार की साधन हैं तथा इनसे कार्य स्थल पर स्वास्थ्यप्रद वातावरण का सृजन होता है।

2015–16 के दौरान पहली बार, उषा ब्रेको लि. के अनुरोध पर एन एस सी ने भारत में महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के रोपवे की सुरक्षा आडिट की है। इसका प्रमुख उद्देश रोपवे प्रचालन और रखरखाव प्रबंध में निहित सुरक्षा प्रणालियों की जाँच करना था। इस आडिट से इस बात की जाँच होती है कि क्या प्रबन्धन सीटिंग व्यवस्था में यांत्रिक बचाव प्रणाली और रोपवे पर ध्यान दे रहा है। उत्तराखण्ड, गुजरात, केरल और ओडिशा में स्थित 6 रोपवेज की आडिट की गई थी।

2016–17 (अक्टूबर 2016 तक) के दौरान कुल 66 परामर्श कार्य किये गये थे। परामर्श सेवा लेने वाली कुछ कम्पनियां हैं – ए सी सी लि. अल्ट्राटेक सीमेंट, ओप जींदल सूपर थर्मल पावर स्टेशन, एन टी पी सी, भारतीय वायुपत्तन प्राधिकरण सीमेंस, भिलाई इस्पात संयन्त्र आदि। इसके अलावा, लगभग 50 परामर्श कार्य 13–03–17 तक किये जायेंगे।

- राष्ट्रीय रंगमंच कला केन्द्र, मुम्बई के लिये 17 जुलाई, 2015 को आकस्मिक बहिर्गमन योजना तैयार की गई।

- सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण योजन की स्थिति का आकलन करने तथा समान पैमाने पर प्रतिष्ठानों की तुलना करने के लिये एन एस सी ने कारखानों निर्माण स्थलों, अस्पताल, होटल, मॉल और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिये 2014–15 में एन एस सी आई सुरक्षा रेटिंग प्रणाली शुरू की है। यह 8 प्रमुख तत्वों पर आधारित गहराई से किया गया आकलन है जिसमें आई एस: 14489: 1998 के समान लगभग 70 उप–तत्व शामिल हैं जिसका उद्देश्य सुरक्षा प्रबन्धन प्रणाली में उत्कृष्टता हासिल करना है। इसमें मूल्यांकन के लिये विस्तृत दिशा–निर्देश के साथ प्रश्नावली का उपयोग होता है। अभी तक चार कार्य पूरे किये गये हैं।

  वर्ष 2016–17 के दौरान सी आई आई के सहयोग से एन एस आर एस को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है।

9- ohfM;k fQYek dk fuek.k–

वर्ष 2013 –14 के दौरान एन एस सी ने निम्नलिखित सुरक्षा फिल्मों का निर्माण किया है–

- हिन्दी में निर्माण स्थलों पर विदयुत सुरक्षा (अवधि लगभग 38 मिनट)
- हिन्दी में निर्माण स्थलों पर स्केफोल्ड सुरक्षा (अवधि लगभग 40 मिनट)
- हिन्दी में निर्माण स्थलों पर लिफ्टिंग उपकरण सुरक्षा (अवधि लगभग 47 मिनट)

वर्ष 2016–17 के दौरान एन एस सी का वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण (गैर–श्वसन) के चयन, उपयोग और रख–रखाव पर फिल्म तैयार करने का प्रस्ताव है।

10- jk"V Lrjh; tkx:drk vfHk;ku&

- राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस अभियान

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, 4 मार्च को इसकी स्थापना दिवस की याद में बहुत प्रकार की सुरक्षा संवर्द्धन सामग्री यथा, बेज, बैनर, पोस्टर, स्टिकर, पाकेट गाइड और उपयोगी वस्तुएं उचित सुरक्षा संदेश के साथ तैयार करता है ताकि स्वास्थ्य, सुरक्षा व पर्यावरण के महत्व के प्रति जागरूकता बनाने के लिये इसके सदस्य संगठनों को मदद मिल सके। यह समसामयिक मुद्दो को राष्ट्रीय स्तर पर उठाता है। इस अभियान को पूरे उत्साह से चलाया जाता है तथा प्रत्येक वर्ष विभिन्न विषयों के साथ समूचे देश में इसका आयोजन होता है।

इस अभियान को श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार से पूरी मदद मिलती है। माननीय श्रम और रोजगार मंत्री सभी राज्य और संघ शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों को यह अनुरोध करते हुये अर्ध शासकीय पत्र लिखते है कि वे अपने राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में संबंधित एजेंसियों को उचित तरीके से अभियान चलाने के लिये सलाह दें। संयुक्त सचिव भी सभी राज्य और संघ शासित प्रदेशों के श्रम सचिव को यह अनुरोध करते हुये अर्ध शासकीय पत्र लिखते है कि वे अपने राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में संबंधित एजेंसियों को उचित तरीके से अभियान चलाने के लिये सलाह दें। वे आकाशवाणी और दूरदर्शन महानिदेशक को भी इस अवसर पर आयोजित विभिन्न क्रियाकलापों/घटनाओं को उचित कवरेज देने के लिये अनुरोध करते हुये पत्र लिखते हैं। प्रत्येक वर्ष औसतन 1400 से भी अधिक संगठन और लगभग 10 मिलियन कर्मचारी राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस/सप्ताह अभियान में सीधे भाग लेते है।

वर्ष 2013–14, 2014–15 और 2015–16 के लिये एन एस डी अभियान का विषय था–

(i) 43 वाँ राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस (मार्च, 2014)	कार्यस्थल पर तनाव प्रबंधन और जोखिम नियंत्रण।
(ii) 44 वाँ राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस (मार्च, 2015)	सतत आपूर्ति श्रृंखला के लिये सुरक्षा संस्कृति का विकास।
(iii) 45 वाँ राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस (मार्च, 2016)	जीरो हार्म के स्तर पर पहुँचने के लिये सुरक्षा अभियान को मजबूत

बनाना। इसके अलावा, हमारे सदस्य संगठनों द्वारा निमंत्रण मिलने पर परिषद के अधिकांश तकनीकी अधिकारी उनके द्वारा इस अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में या प्रस्तुतीकरण देने के लिये भाग लेते हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस अभियान –2017, मार्च–2017, में आयोजित किया जायेगा।

- vfXu'keu l ok lIrkg vfHk;ku

आग की रोकथाम और बचाव के महत्व को उजागर करने के लिये विक्टोरिया डाक, मुम्बई पत्तन पर 14 अप्रैल 1944 को विध्वंसकारी आग और विष्फोट में मृतकों की याद में प्रत्येक वर्ष 14–20 अप्रैल के दौरान अग्नि सलाहकार, गृह मंत्रालय के दिशा–निर्देश में पूरे देश में अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विभिन्न विषयों के साथ अंग्रेजी और हिन्दी में

सुरक्षा संदेश के साथ अग्नि सुरक्षा से संबंधित पुस्तिका, पोस्टर, वीडियो, सीडी और बैनर का विशेष फोल्डर प्रकाशित करके अग्निशमन सेवा सप्ताह के उद्देशों को एन एस सी द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। उपरोक्त सुरक्षा संवर्द्धनात्मक सामग्री के अलावा परिषद प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करती है।

वर्ष 2013–14, 2014–15 और 2015–16 के लिये अग्नि सेवा सप्ताह के अभियानों का ब्यौरा निम्नलिखित है–

Øe	o"k	fo"k;	mRikfnr MhohMh	çdkf'kr iqLrd
1.	2013	आग आग ही है– मित्र या शत्रु यह हमारा निर्णय है	केबल गैलरी में आग से सुरक्षा	————————
2.	2014	आग की रोकथाम सर्वोत्तम बीमा है।	उदयोगों, वाणिज्यिक और आवासीय प्रतिष्ठानों में आग से सुरक्षा के लिये डिजाइन आधार	'आग से सुरक्षा' पर पुस्तिका
3	2015	सुरक्षित घरेलू प्रणाली और अनुमोदित विदयुत उपकरण अपनायें और आग से बचें।	जोखिमपूर्ण सामग्री के सड़क परिवहन में आग से सुरक्षा	'आग से सुरक्षा के लिये तैयारी पर पुस्तिका'

अग्नि सेवा सप्ताह, 2016 के लिये अग्नि सलाहकार, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय स्तर का विषय था– ''vkx dh n?kVukvk ls cp vkj jk"V dh fodkl dk c<kok n**A सदस्यों और संरक्षकों द्वारा इस सप्ताह को प्रभावी तरीके से मनाने में मदद करने के लिये एन एस सी द्वारा पाकेट गाइड, पोस्टर, 4 वीडियो सी डी जिसमें एक 'आकस्मिक ड्रिल और बचाव' (अंग्रेजी में) पर था, सहित सुरक्षा संदेश वाली संवर्धन सामग्री का विकास किया गया था और उनको उपलब्ध कराया गया था।

इसके अलावा, परिषद ने आग से सुरक्षा पर एक दिवसीय जाँच बिन्दु आडिट की शुरूआत की है और 12 विशेष 1– दिवसीय अन्तः संयन्त्र प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया है।

- fo'o i;kZoj.k fnol vfHk;ku

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1972 में स्थापित किये गये अनुसार प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है जो सामान्य व्यक्ति का समारोह है और इससे प्रत्येक वर्ष विभिन्न विषयों के साथ पर्यावरण में सुधार लाने के लिये सरकारों उदयोगों सामुदायिक समूहों और व्यक्तियों द्वारा कार्यवाही करने की प्रेरणा मिलती है। पर्यावरणकेप्रति जागरुकता लाने और सभी पणधारकों द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये यह अद्वितीय अवसर है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने में संगठनों को मदद करने के लिये एन एस सी ने पर्यावरण दिवस बेज, बैनर, पोस्टर, स्टिकर, पुस्तिका और प्रत्येक वर्ष के संगत विषय से संबंधित पर्यावरण सूचना पैकेज सहित अंग्रेजी और हिन्दी में विभिन्न प्रकार की सवर्धन सामग्री का प्रकाशन करके इस अभियान को बढ़ावा दिया।

वर्ष 2013–14, 2014–15 और 2015–16 के लिये विश्व पर्यावरण दिवस का विषय था–

(i)	विश्व पर्यावरण दिवस 2013	– सोचो, खाओ, बचाओ।
(ii)	विश्व पर्यावरण दिवस 2014	– अपनी आवाज उठायें, समुद्र सतह को नहीं
(iii)	विश्व पर्यावरण दिवस 2015	– सात विलियन सपने, एक ग्रह, सावधानी से उपभोग करें।

एन एस सी ने इस वर्ष भी (अर्थात 5 जून, 2016 को) विश्व पर्यावरण दिवस अभियान को बढ़ावा दिया। यू एन ई पी द्वारा चयनित अभियान का विषय ^oU; thou es vo/k 0;kikj ds f[kykQ l?k"kZ* था।

- **lMd lqj{kk lIrkg vfHk;ku**

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार नेतृत्व में सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रत्येक सप्ताह 11–17 जनवरी को समूचे देश में मनाया जाता है। एनएससी ने भी वर्ष 2011 से इस अभियान को बढ़ावा देने में सरकार के प्रयासों को अनुपूरित करना शुरू किया है। सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान के लिये एन एस सी ने सुरक्षा संदेश के साथ बहुत सी संवर्धन सामग्री तैयार की है जिसमें सड़क सुरक्षा पर पोस्टर, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालस द्वारा निर्णीत विषय पर बैनर, सड़क सुरक्षा पर फिल्म, परिवहन सुरक्षा तथा सड़क सुरक्षा पर पुस्तिका शामिल है।

वर्ष 2013–14, 2014–15, 2015–16 के लिये सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिये एन एस सी द्वारा विकसित विषय थे–

1.	सड़क सुरक्षा सप्ताह, 2014	आज सचेत रहो – कल जीवित रहो।
2.	सड़क सुरक्षा सप्ताह, 2015	गति अच्छी लगती है लेकिन यह मौत है।
3.	सड़क सुरक्षा सप्ताह, 2016	दुर्घटना से बचो और जीवन को सुरक्षित रखो।

सड़क सुरक्षा सप्ताह 2017 अभियान का विषय है– ^^n?kZVuk rdyhQnk;d gS vkSj lqj{kk ykHkçn** है।

¼12½ jk"Vªh; lqj{kk dSy.Mj&

सुरक्षा जागरूकता और शैक्षणिक कार्यक्रमों में मदद करने के लिये प्रत्येक वर्ष परिषद द्वारा एक पृष्ठ की जानकारी के साथ भारतीय संस्कृति के अनुकूल सुग्राह्य मूल संदेश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा कैलेण्डर प्रकाशित किया जाता है । कैलेण्डर में औदयोगिक सुरक्षा, आग की रोकथाम और बचाव, पर्यावरण संरक्षण, सड़क सुरक्षा और कार्टून के माध्यम से गृह–आधारित स्थितियों से संबंधित 6 महत्वपूर्ण विषयों को दर्शाया जाता है जिसे प्रत्येक वर्ष तैयार किया जाता है। कैलेण्डर में प्रत्येक वर्ष व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर जानकारी शीट भी होती है। प्रत्येक वर्ष सदस्य संगठनों और संरक्षकों में वितरण के लिये 2.9 लाख से अधिक प्रतियां मुद्रित की जाती हैं।

वर्ष 2013–14, 2014–15 और 2015–16 के लिये एन एस सी द्वारा विकसित सूचना शीट थी–

1.	कैलेन्डर, 2014	विद्यत सुरक्षा– करें और न करें।
2.	कैलण्डर, 2015	जीवन शैली की बीमारियाँ– कारण और निवारण।
3.	कैलेण्डर, 2016	मोबाइल फोन का सुरक्षित उपयोग।

कैलेण्डर, 2017– के लिये सूचना शीट का विषय है– vkx ls lqj{kk& djs vkSj u djsA सदस्य संगठनों और संरक्षकों में वितरण के लिये 2.90 लाख से अधिक प्रतियॉ मुद्रित कराने का प्रस्ताव है।

12- LokLF;] lqj{kk vkSj i;kZoj.k Mk;jh&

एन एस सी 1998 से स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण डायरी प्रकाशित करता रहा है जिसका उद्देश्य दैनिक रूप में और विशेष रूप में स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण से संबंधित विषयों पर उपयोगी सूचना को बढ़ावा देना है। इसके विषयों में स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी विधान व नीति, रासायनिक सुरक्षा, निर्माण सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण, स्वास्थ्य, खान और सड़क सुरक्षा आदि शामिल हैं। सदस्य संगठनों और संरक्षकों में वितरण के लिये एच एस ई डायरी की 30,000 से अधिक प्रतियां मुद्रित की जाती है।

वर्ष 2016 –17 के दौरान सदस्य संगठनों और संरक्षकों में वितरण के लिये एच एस ई डायरी –2017 की 30,000 से अधिक प्रतियां मुद्रित कराने का प्रस्ताव है जिसमें एच एस ई विधान और नीति, निर्माण सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा आदि विषय होंगे।

13- iqLrdky; vkSj if=dkvksa dh ykbczsjh&

एन एस सी के पास इसके सदस्यों और कर्मचारियों के उपयोग हेतु पुस्तकों और पत्रिकाओं की उन्नत लाइब्रेरी है। इसके संग्रह में सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण एवं इसे संबंधित विषयों पर 3,285 से भी अधिक तकनीकी पुस्तकें, विवरणिका रिपोर्ट, हैंडबुक, कोड, मानक आदि हैं। प्रत्येक वर्ष पुस्तकालय में नवीन विषयों पर पुस्तकों की खरीद की जाती है।

एन एस सी को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद– यू एस ए, भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय रसायन परिषद, भरतीय बिल्डर संघ आदि जैसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से पत्रिकायें प्राप्त होती हैं।

,u,l lhvkbZ lqj{kk iqjLdkj

14- एन एस सी आई सुरक्षा पुरस्कार–औद्योगिक उपक्रमों द्वारा ओ एस एच निष्पादन तथा ओ एस एच प्रबंधन प्रणाली में उपलब्धि का एक सतत स्तर हासिल करने के उद्देश्य से इसका महत्व है। पुरस्कार वर्ष 1998, 2005 और 2009 के लिये क्रमशः विनिर्माण, निर्माण और एम एस एम ई क्षेत्रों के लिये राष्ट्र स्तरीय सुरक्षा पुरस्कार स्कीमों का प्रचालन एन एस सी कर रहा है। सदस्य और गैर–सदस्य संगठनों को परिपत्र जारी करके तथा एन एस सी के वेबसाइट पर प्रत्येक वर्ष जनवरी/फरवरी में सभी तीन क्षेत्रों के लिये एन एस सी आई पुरस्कार स्कीमें घोषित की जाती हैं। एन एस सी के गवर्नर बोर्ड द्वारा गठित पुरस्कार समिति चार स्तरीय प्रकिया के तहत एक कठिन मानदण्ड का प्रयोग करते हुये आवेदनों का मूल्यांकन करती है।

एन एस सी के स्वर्ण जयंती वर्ष (2015–16) को ध्यान में रखते हुये पुरस्कार समिति ने इस वर्ष से ट्राफी की रूपरेखा में बदलाव लाने का निर्णय लिया है। तदनुसार समिति के अनुमोदन से नई ट्राफी तैयार की गई है।

- ,u,l lhvkbZ lqj{kk iqjLdkj lekjksg

o पुरस्कार समारोह 2012 का आयोजन 4 अक्तूबर 2013 को स्कोप काम्लेक्स, नई दिल्ली में किया गया। श्री अरूण कुमार सिन्हा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, अपर सचिव, श्रम व रोजगार मंत्रालय भारत सरकार मुख्य अतिथि थे। उन्होंने विनिर्माण क्षेत्र के

41 यूनिटों, निर्माण क्षेत्र के 12 यूनिटों और एम एस एम ई क्षेत्र की 15 यूनिटों को पुरस्कार वितरित किए।

- पुरस्कार समारोह 2013 का आयोजन 27 अक्तूबर 2014 को होटल हयात रिजेंसी, मुम्बई में किया गया। पुरस्कारों का वितरण माननीय इस्पात, खान और श्रम व रोजगार मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा किया गया। उन्होने विनिर्माण क्षेत्र के 41 यूनिटों, निर्माण क्षेत्र के 12 यूनिटों और एम एस एम ई क्षेत्र की 21 यूनिटों को पुरस्कार वितरित किए।
- पुरस्कार समारोह 2014 का आयोजन 12 मार्च 2015 को स्कोप काम्लेक्स, नई दिल्ली में किया गया। पुरस्कारों का वितरण माननीय श्रम व रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री बंडारू दत्तात्रेय द्वारा किया गया। उन्होने विनिर्माण क्षेत्र के 42 यूनिटों, निर्माण क्षेत्र के 9 यूनिटों और एम एस एम ई क्षेत्र की 15 यूनिटों को पुरस्कार वितरित किए।
- पुरस्कार समारोह 2015 का आयोजन 6 अप्रैल 2016 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया गया। पुरस्कारों का वितरण माननीय श्रम व रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री बंडारू दत्तात्रेय द्वारा किया गया। उन्होने विनिर्माण क्षेत्र के 43 यूनिटों, निर्माण क्षेत्र के 12 यूनिटों और एम एस एम ई क्षेत्र की 16 यूनिटों को पुरस्कार वितरित किए।

सदस्यों और गैर–सरकारी सदस्य संगठनों को परिपत्र जारी करके और एन एस सी के वेबसाइट के जरिये एन एस सी आई पुरस्कार स्कीम 2016 के तहत 8 फरवरी 2016 को सभी तीन क्षेत्रों के लिये उक्त की घोषणा की गई थी। विनिर्माण, निर्माण और एम एस एम ई क्षेत्र से प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन किया जा रहा है और परिणाम दिसम्बर, 2016 में घोषित किये जायेंगे तथा समारोह का आयोजन वर्ष 2017 में किया जायेगा।

15- ,u ,l lh d: dk;Zdyki d: v/;k;

एन एस सी मुख्यालय द्वारा दी जा रही उपरोक्त सेवाओं/कार्यकलापों के अलावा 18 अध्यायों में भी राज्य तथा स्थानीय स्तर पर विशेषकर क्षेत्रीय भाषाओं में सुरक्षा क्रियाकलापों/सेवाओं की व्यापक विविधता को दर्शाया गया है।

,u ,l lh dh 50oh o"kxkB lekjkg

ubZ fnYyh esa vi'kks 31 vUrjk"Vªh; lEesyu dk mn?kkVu

jk"Vªh; Lrj çf'k{k.k dk;ZØe e lh,y lh vf/kdkjh

ubl fnYyh e ,u,l lhvkbl lqj{kk iqjLdkj 2015 forfjr djr g, Jh HkMk# nRrk=;] ¼e/; e½ ekuuh; Je vkj jkt xkj jkT; e=h ¼Lor= çHkkj½ Hkkjr ljdkj

तालिका 13.1

Hkkjr esa [kku fØ;kdykiksa dh o`f)

o"kZ	fjiksfVZx [kkuksa dh la[;k			[kfut inkFkksZa dk ewY; ¼10 yk[k #i, esa½			i.kZ;kx ,p-ih- ¼000 esa½			Ç;kx fd, x, foLQksVd ¼000 Vu esa½	
	dks;yk	/kkrq	rsy	dks;yk	/kkrq	rsy	dks;yk	/kkrq	rsy	dks;yk	/kkrq
2006	568	1720	44	374671	162160	370657	5954	2496	468	345.3	95.1
2007	567	1770	49	419279	235351	256944	5842	2646	457	353.0	97.8
2008	569	1904	67	481635	289354	294290	5935	2857	845	395.3	110.7
2009	583	2002	74	581240	325453	351652	6248	3309	842	461.0	101.7
2010	592	1961	82	618357	434283	404801	6362	3310	851	493.2	97.2
2011	601	1956	85	666415	419109	399397	6809	3801	936	503.5	98.2
2012	582	2148	86	744934	448843	492060	6936	4101	854	474.6	102.2
2013	605	2230	88	1037522	423740	565656	7557	4104	1014	523.6	100.2
2014	588	2254	92	1212547	462475	544443	5799	3932	993	590.8	113.2

तालिका 13.2						
[kku e n?kVukvk dh çofÙk						
o"k	dk;yk [kku e n?kukvk dh l[;k			xj&dk;yk [kku e n?kukvk dh l[;k		
	?kkrd	xHkhj	dy	?kkrd	xHkhj	dy
2001	105	667	772	71	199	270
2002	81	629	710	52	205	257
2003	83	563	646	52	168	220
2004	87	962	1049	57	188	245
2005	96	1106	1202	48	108	156
2006	78	861	939	58	78	136
2007	76	923	999	56	79	135
2008	80	686	766	54	83	137
2009	83	636	719	36	94	130
2010	97	480	577	54	61	115
2011	65	533	598	44	82	126
2012	79	536	615	36	45	81
2013	77	456	533	58	52	110
2014	59	379	438	39	44	83
2015*	53	281	334	54	35	89
2016*	58	160	218	27	27	54

* वर्ष 2015 से 2016 तक का अनंतिम डाटा और वर्ष 2016 का डाटा दिनांक 30.9.2016 तक है ।

तालिका 13.3												
dk;yk [kku e n?kVukvk dh iofRr&dkj.kokj												
dkj.k	?kkrd n?kVukvk dh l[;k						xHkhj n?kVukvk dh l[;k					
	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015***	**2016***	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015***	**2016***
रुफ फॉल	11	5	8	10	3	3	16	21	17	18	6	6
स्लाइड फॉल	2	6	2	2	4	4	23	20	19	17	8	8
अन्य तल क्रिया	2	0	2	1	0	0	0	1	0	0	1	1
शाफ्ट में विंडिंग	1	0	0	0	0	0	14	4	3	5	2	2
रोप हॉलेज	3	2	3	1	1	1	54	48	42	33	17	17
डंपर, ट्रक आदि	23	27	29	17	14	14	24	20	22	15	10	10
अन्य यातायात मशीनरी	2	3	1	1	0	0	11	8	9	2	5	5
गैर यातायात मशीनरी	6	14	12	15	9	9	33	23	27	25	14	14
विस्फोटक	1	3	0	2	0	0	3	0	1	3	2	2
बिजली	5	3	7	2	6	6	1	3	2	3	2	2
गैस, धूल, आग आदि	0	3	0	1	0	0	0	1	0	2	1	1
व्यक्तियों का गिरना	1	8	8	2	3	3	167	168	135	129	131	30
सामान का गिरना	4	1	3	2	3	3	74	87	88	59	38	38
अन्य कारण	4	4	2	3	10	15	113	132	91	68	44	24
dy	**65**	**79**	**77**	**59**	**53**	**58**	**533**	**536**	**456**	**379**	**281**	**160**

* वर्ष 2015 से 2016 तक का अनंतिम डाटा और वर्ष 2016 का डाटा दिनांक 30.9.2016 तक है।

तालिका 13.4												
dkj.k	xSj dks;yk [kku esa n?kZVukvksa dh çofÙk & dkj.kokj											
	?kkrd n?kZVukvksa dh la[;k						xHkhj n?kZVukvksa dh la[;k					
	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015***	**2016***	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015***	**2016***
रुफ फॉल	0	3	2	3	1	1	2	5	2	0	2	2
स्लाइड फॉल	7	10	13	5	14	4	3	3	0	0	0	0
अन्य तल क्रिया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
शाफ्ट में विंडिंग	1	0	1	2	1	1	2	3	0	2	0	0
रोप हॉलेज	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
डंपर, ट्रक आदि	11	4	8	7	8	3	4	3	6	4	0	0
अन्य यातायात मशीनरी	0	1	3	0	2	2	6	0	0	2	1	1
गैर यातायात मशीनरी	10	5	4	5	2	2	15	8	12	11	8	4
विस्फोटक	4	4	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0
बिजली	0	0	2	3	0	0	3	0	0	1	1	1
गैस, धूल, आग आदि	0	0	3	0	1	1	0	0	0	2	1	1
व्यक्तियों का गिरना	5	5	9	8	17	5	22	8	11	10	5	5
सामान का गिरना	5	3	8	2	4	4	18	12	16	9	10	6
अन्य कारण	1	1	3	2	4	4	7	2	5	3	7	7
dqy	**44**	**36**	**58**	**39**	**54**	**27**	**82**	**45**	**52**	**44**	**35**	**27**

* वर्ष 2015 से 2016 तक का अनंतिम डाटा और वर्ष 2016 का डाटा दिनांक 30.9.2016 तक है।

तालिका 13.5 ए										
[kku e n?kVuk,a vkj ifj.kkfed e'rd										
o"k	dk;yk					xj&dk;yk				
	?kkrd n?kVuk			xHkhj n?kVuk		?kkrd n?kVuk			xHkhj n?kVuk	
	n?kVuk	e'r	?kkrd	n?kVuk	?kkrd	n?kVuk	e'r	?kkrd	n?kVuk	?kkrd
2001	105	141	14	667	706	71	81	8	199	200
2002	81	97	15	629	650	52	64	3	205	206
2003	83	113	12	563	578	52	62	16	168	169
2004	87	96	14	962	977	57	64	9	188	194
2005	96	117	19	1106	1119	48	52	4	108	109
2006	78	137	15	861	876	58	71	9	78	79
2007	76	78	77	923	940	56	64	13	79	92
2008	80	93	16	686	693	54	73	35	83	85
2009	83	93	14	636	646	36	44	3	94	101
2010	97	118	23	480	488	54	91	5	61	63
2011	65	67	10	533	546	44	50	9	82	84
2012	79	83	6	536	542	36	38	5	45	45
2013	77	82	11	456	457	58	74	15	52	53
2014	59	62	3	379	391	39	45	10	44	50
2015*	53	54	9	281	286	54	57	13	35	38
2016*	58	62	4	160	162	27	34	7	27	28

* वर्ष 2015 से 2016 तक का अनंतिम डाटा और वर्ष 2016 का डाटा दिनांक 30.9.2016 तक है।

तालिका 13.5 बी								
çfr 1000 fu;kftr 0;fä ;k ¼vkl ru 10 o"kk½ e ?kkrd n?kVukvk vkj e rdk d nj								
o"k	dk;yk [kku				xsj dk;yk [kku			
	vkl ru n?kVuk	n?kVuk nj	vkl ru ekj x,	eR;q nj	vkl ru n?kVuk	n?kVuk nj	vkl ru ekj x,	eR;q nj
1951-1960	222	0.61	295	0.82	64	0.27	81	0.34
1961-1970	202	0.48	260	0.62	72	0.28	85	0.33
1971-1980	187	0.40	264	0.55	66	0.27	74	0.30
1981-1990	162	0.30	185	0.34	65	0.27	73	0.31
1991-2000	140	0.27	170	0.33	65	0.31	77	0.36
2001-2010	87	0.22	108	0.27	54	0.32	67	0.40
2011-2016*	65	0.18	68	0.19	43	0.21	50	0.24

* vufre

तालिका 13.6									
fujh{k.k vkj tkp iMrky dh l[;k									
o"k	fujh{k.k dh l[;k				tkp iMrky dh l[;k				
	dk;yk	/kkr	ry	dy	dk;yk	/kkr	ry	dy	dy
2006	4192	2630	219	7041	951	338	27	1316	8357
2007	4330	2309	183	6822	796	380	24	1200	8022
2008	4614	2838	216	7668	840	417	24	1281	8949
2009	4404	3325	250	7979	899	372	52	1323	9302
2010	3486	3297	243	7026	911	462	52	1425	8451
2011	3216	3688	321	7225	956	452	68	1476	8701
2012	3811	3635	292	7738	933	537	40	1510	9248
2013	4039	3783	326	8148	866	438	31	1335	9483
2014	4664	4694	588	9946	1035	540	111	1686	11632
2015	6047	5889	786	12722	1280	653	36	1969	14691
2016*	3661	4134	525	8320	942	525	59	1526	9846

* आंकडे दिनांक 30.09.2016 तक के हैं।

तालिका 13.7				
vçy] 2016 l fl rcj 2016 rd d nkjku çkIr vkonu vkj tkjh fd, x, l{kerk d çek.ki=				
l{kerk d çek.ki=k d ox	dk;yk [kku fofu;e] 1957		/kkrqe; [kku fofu;e] 1961	
	çkIr vkonu	tkjh çek.ki=	çkIr vkonu	tkjh çek.ki=
प्रबंधक	81	293	58	111
सर्वेक्षक	347	22	134	7
ओवरमेन / फोरमेन	1273	214	1221	106
सिरदार / मेट	474	77	616	436
शोटफाईरर / ब्लास्टर	0	0	245	196
वाइनडिंग इंजिन ड्राइवर	0	0	2	22
गैस परीक्षण	2607	846	212	170

तालिका 13.8				
01-04-2016 ls 30-09-2016 ds nkSjku Mh th,e,l vf/kdkfj;ksa }kjk Hkkx fy, x, çf'k{k.kksa dk C;kjk				
Øekad	lsxksf"B] dk;Z'kkyk] flaiksft;e vkfn dk uke	LFky	vof/k	Hkkx fy, x, vf/kdkfj;ksa dh la[;k
1	अपोशो – 31	नई दिल्ली	5–6 अप्रैल, 2016	02
2	2 दिवसीय व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सम्मेलन और प्रदर्शनी .	गुवाहाटी	21–22 अप्रैल, 2016.	01
3	"खान सुरक्षा और विधान" पर आइ आई टी द्वारा आयोजित लघु अवधि पाठ्यक्रम	खडकपुर	09–11 मई 2016	01
4	व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सम्मेलन चेन्नई.	चेन्नई.	09–10 जून, 2016	01
5	Explosafe-2016 (व्यापारिक और रक्षा विस्फोटक में सुरक्षा, सेक्युरिटी और वर्तमान प्रवृत्ति पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठि) एक्सप्लोसेफ–2016	नागपुर	03–04 जून, 2016	02
6	सरकारी अधिकारी के लिए सार्वजनिक अधिप्राप्ति पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	फरीदाबाद	13–18 जून, 2016	06
7	"भारत में हाईवॉल खदान पर वर्तमान विकास" पर एक दिवसीय भारत–ऑस्ट्रेलियन संयुक्त कार्यशाला	सीआईएमएफ आर, धनबाद	27 जुलाई, 2016	04
8	"खान सुरक्षा" पर व्याख्यान	आई एस एम, धनबाद	04 अगस्त, 2016	01
9	"खान सुरक्षा और विधान"पर लघु अवधि पाठ्यक्रम	खडगपुर	12–14 सितंबर, 2016	01
10	ग्रानाइट निर्यात पर तकनीकी संगोष्ठि	करीमनगर	09 सितंबर, 2016	01
11	"खान सुरक्षा और पर्यावरण" पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला	रांची	13 सितंबर, 2016	03
12	खान में आधुनिक सुरक्षा के सिद्धांत	इसमा, कोलकाता	23 से 25 मई 2016	03

तालिका 13.9				
fnukad 01-04-2016 ls 30-09-2016 rd Mh th,e,l vf/kdkfj;ksa ds fons'k ;k=k@çf'k{k.k ¼fons'k½				
Øekad	ikB;Øe	LFky	vof/k	fdrus vf/kdkfj;ksa us Hkkx fy;k
शून्य				

अध्याय-14

दत्तोपंत थेन्गाड़ी राष्ट्रीय कामगार शिक्षा एवं विकास बोर्ड (पूर्वगत सीबीडब्ल्यूई)

lajpuk%

14-1 चेयरमैन, दत्तोपंत थेन्गाड़ी राष्ट्रीय कामगार शिक्षा एवं विकास बोर्ड (पूर्वगत सीबीडब्ल्यूई) के प्रमुख होते हैं। इसका मुख्यालय नागपुर में है। निदेशक, बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं जिनकी सहायतार्थ अपर निदेशक, वित्तीय सलाहकार, जोनल/क्षेत्रीय निदेशक एवं अधीनस्थ स्टॉफ आदि हैं। बोर्ड, 50 क्षेत्रीय तथा 09 उप क्षेत्रीय निदेशालयों के माध्यम से कार्य करता है। दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई तथा भोपाल में स्थित छः आँचलिक निदेशालय संबंधित अँचलों में स्थित क्षेत्रीय निदेशालयों के कार्यों का अनुवीक्षण करते हैं।

14-2 प्रत्येक क्षेत्रीय निदेशालय के लिए गठित त्रिपक्षीय क्षेत्रीय सलाहकार समितियाँ योजना की प्रगति की समीक्षा करती हैं और श्रमिक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करती हैं। भारतीय कामगार शिक्षा संस्थान (आईआईडब्ल्यूई), मुम्बई बोर्ड की सर्वोच्च स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1970 में की गई थी।

14-3 बोर्ड के अधिकारियों के प्रशिक्षण के कार्यक्रमों के अलावा केन्द्रीय मजदूर संघ संगठनों/महासंघों, स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्ताओं के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के लिए 1970 में स्थापित भारतीय कामगार शिक्षा संस्थान–एक सर्वोच्च स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान बोर्ड में है।

dk;Øe

14-4 बोर्ड संगठित, असंगठित, ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्रों के कामगारों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम नीचे दी गई तालिका में दर्शाए अनुसार आयोजित करता है।

Jfed f'k{kk ;kstuk ds vUrxr vk;kftr ikBîØe

Ø-l-	jk"Vªh; Lrj	Ø-l-	{k=h; Lrj	Ø-l-	bdkb Lrj	Ø-l-	fo'k"k J.kh
1	शिक्षा अधिकारी प्रशिक्षण एवं पुनः प्रशिक्षण पाठयक्रम	1	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	1	इकाई स्तर की कक्षाएँ	1	कार्यात्मक प्रौढ़ साक्षरता कक्षाएं
2	श्रमिक संघों का निर्माण करना	2	व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम	2	आवश्यकता पर आधारित विशेष कार्यक्रम	2	असंगठित श्रमिकों के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम (4–दिवसीय)
3	महिला सशक्तिकरण श्रमिक संघ प्रबंधन	3	संयुक्त शिक्षा कार्यक्रम (एक दिवसीय)	3	संयुक्त शिक्षा कार्यक्रम (2–दिवसीय)	3	दुर्बल वर्गों के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम (4–दिवसीय)
4	उप निदेशकों, अंचलिक निदेशकों एवं क्षेत्रीय निदेशकों का सम्मेलन (सीबीडब्ल्यूई)	4	स्वयं कोष निर्माण के अंतर्गत कार्यक्रम (1/2/3 दिवसीय) सीटीपी	4	प्रशिक्षित श्रमिकों के लिए संयंत्र स्तर पर कार्यक्रम (एक दिवसीय)	4	ग्रामीण श्रमिकों के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम (4–दिवसीय)
5	श्रमिक संघ नेताओं में कम्प्यूटर की जागरूकता	5	आवश्यकता आधारित परिसंवाद (1–2 दिवसीय)			5	असंगठित कामगारों के लिए पुनःप्रशिक्षण कार्यक्रम (एक दिवसीय)
6	श्रमिक संघ कार्यकर्ताओं के लिए नेतृत्व विकास	6	श्रमिकों एवं उनके जीवनसाथियों के लिए जीवन गुणवत्ता कार्यक्रम (4/2दिवसीय)			6	ग्रामीण जागरूकता शिविर (2–दिवसीय)
7	"श्रमिक संघ का संगठनात्मक विकास और भूमिका।"	7	मनरेगा			7	ग्रामीण श्रमिकों के लिए पुनरूप्रशिक्षण कार्यक्रम (एक दिवसीय)
8	राष्ट्रीय एकता में श्रमिक संघों की भूमिका					8	निम्नलिखित के लिए दो दिवसीय कार्यक्रमय
9	"अच्छी कार्यशाला" पर सीबीडब्ल्यूई (एमटीएस) के समूह 'ग' एवं 'घ' के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम					8 (क)	असंगठित श्रमिक/पत्थर खदानें आदि
10	नेतृत्व की गति की					8 (ख)	महिला श्रमिक

11	श्रम विधान एवं ठेका कामगार					8 (ग)	अनु.जाति/अनु.जनजाति श्रमिक
12	बदलते परिदृश्य में श्रमिक संघ के समक्ष चुनौतियां। बीकेएमएस के कार्यकर्ताओं हेतु।					8 (घ)	बाल श्रमिक/बाल श्रमिकों के माता–पिता
13	श्रमिक संघ एवं औद्योगिक संबंध।					8 (ङ)	श्रम कल्याण एवं विकास
14	– असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए कल्याणकारी प्रावधान"। – सन्निर्माण/बागान कामगारों के लिए श्रम कानूनों में कल्याणकारी प्रावधान।					8 (च)	सन्निर्माण कर्मकार
15	बदलते परिदृश्य में श्रमिक संघों का प्रबंधन"।					8 (छ)	एचआईवी/एड्स कार्यक्रम
16	"श्रमिक संघों के समक्ष उभरती चुनौतियां					8(ज)	रिक्शा चालक
17	कोयला/गैर कोयला खनन के ठेका कामगारों के लिए ठेका कामगार विकास कार्यक्रम।						
18	श्रमिक संघ एवं औद्योगिक संबंध"।						
19	जीवन बीमा के कर्मचारियों के लिए व्यक्तित्व विकास						
20	श्रमिक संघ के कार्यकर्ताओं के लिए उभरती श्रमिक संघ नीति						
21	श्रमिक संघ प्रबंधन						

14-5 1970 से लेकर 31 अक्तूबर, 2016 तक 30022 के प्रतिभागियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आईआईडब्ल्यूई में बोर्ड ने विभिन्न अवधियों के 1227 कार्यक्रम संचालित किए हैं। संगठित, असंगठित और ग्रामीण क्षेत्र में, बोर्ड ने आरंभ से अक्तूबर, 2016 तक विभिन्न अवधियों के कुल 14038262 कार्यक्रम संचालित किए हैं।

14-6 इसके अलावा, बोर्ड अपने श्रम कल्याण एवं विकास कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी स्कीमों के बारे में अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों के बीच जागरुकता जागृत कर रहा है।

14-7 सीबीडब्ल्यूई द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के लाभार्थियों के लिए वित्तीय वर्ष 2011–12 से विशेष कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। अप्रैल, 2016 से अक्तूबर, 2016 के दौरान बोर्ड ने मनरेगा स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 6056 कामगारों के लिए 158 कार्यक्रम संचालित किए हैं।

14-8 बोर्ड ने डिजिटल लेन–देनों को बढ़ावा देने के लिए तथा बैंक खाते खोलने हेतु अभियान आरंभ किया है। 23.12.2016 तक, कुल 5180 कामगारों को प्रशिक्षित किया गया है तथा 255 नए बैंक खाते खोले गए हैं।

jk"Vªh; Lrj dk dk;ZØe

14-9 भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान द्वारा शिक्षा अधिकारियों को रोजगार पूर्व प्रशिक्षण देने के साथ–साथ बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशकों तथा शिक्षा अधिकारियों के लिए पुनराभिविन्यास आयोजित करने के अलावा केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों/परिसंघों तथा स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों के लिए विभिन्न विषयों पर कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। श्रमिक संघों द्वारा कुछ विशेष मुद्दों को हल करने के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उक्त संस्थान में तीन प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं नामतः (i) औद्योगिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (ii) ग्रामीण और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शिक्षा तथा, (iii) महिला और बाल श्रम।

14-10 अप्रैल, 2016 से अक्तूबर, 2016 की अवधि के दौरान संस्थान द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गएः

dk;ZØe dk 'kh"kZd	dk;ZØeksa dh la[;k	çfrHkkfx;ksa dh la[;k
नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन (एनआरएमयू) सेन्ट्रल गवर्नमेंट इम्प्लॉइज कन्फीड्रेशन (सीजीईसी), वेस्टर्न रेलवे इम्प्लॉइज यूनियन, सीटीयूओ, सीआरएमएस, एचएमएस, इंटेक, बीएमएस, एटक, एनएफआईआर, एआईआरएमएफ, एनयूएसआई – एचएमएस एवं बीकेएसएम, आईसीएल, एनएलओ, टीयूसीसी जैसे ट्रेड यूनियन संगठनों तथा ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं के लिए विभिन्न विषयों पर आईआईडब्ल्यूई में राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।	24	562

{k=h; Lrj ij dk;Øe

14-11 अप्रैल, 2016 से अक्तूबर, 2015 तक की अवधि के दौरान क्षेत्रीय निदेशालयों द्वारा इकाई स्तर की कक्षाओं, ग्रामीण श्रमिकों और असंगठित क्षेत्रों तथा कमजोर वर्गों के श्रमिकों के लिए कार्यक्रमों सहित संचालित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

dk;Ødyki	y{; 2016&17	01-04-2016 ls 31-10-2016 rd miyfC/k	
		dk;Øe	çfrHkkxh
{k=h; Lrj			
प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (डेढ़ माह)	4	1	16
व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (21– दिवसीय)	31	10	222
प्रशिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठयक्रम (एक सप्ताह)	0	0	
प्रतिभागितापूर्ण प्रबंधन संबंधी संयुक्त शिक्षा कार्यक्रम (एक दिवसीय)	396	472	11585
स्वयं कोष निर्माण कार्यक्रम/सीटीपीजी (1/2/3 दिवसीय)	938	352	6921
आवश्यकता पर आधारित परिसंवाद (1/2 दिवसीय)	134	165	4048
श्रमिकों एवं उनके जीवनसाथियों के लिए जीवन गुणवत्ता कार्यक्रम (4–दिवसीय)	0	0	
श्रमिकों एवं उनके जीवनसाथियों के लिए जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम (2–दिवसीय)	47	17	558
कार्यात्मक प्रौढ साक्षरता कक्षाएं	2	0	
संयंत्र स्तर पर परिसंवाद (एक दिवसीय)	132	103	3156
निधि के स्वनिर्माण हेतु विशेष कार्यक्रम (पांच दिवसीय)	0	0	
प्रबंधन में कामगार सहभागिता	77	3	118
bdkbZ Lrj			
अंशकालिक/पूर्णकालिक इकाई स्तर की कक्षाएँ (तीन माह/तीन सप्ताह/एक माह)	46	8	194
उद्यम के संयुक्त परिषद के नए सदस्यों के लिए संयुक्त शिक्षा कार्यक्रम (दो दिवसीय)	134	159	3602
vlaxfBr {k=			
असंगठित श्रमिकों/दुर्बल वर्गों के लिए सशक्तीकरण कार्यक्रम (4–दिवसीय)	268	128	4970
असंगठित क्षेत्र/पत्थर खदान के श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2–दिवसीय)	653	508	19668

महिला श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2–दिवसीय)	524	367	13771
बाल श्रमिक/बाल श्रमिकों के माता–पिता के लिए कार्यक्रम (2–दिवसीय)	520	98	3804
अनु.जाति/अनु.जनजाति, एससीएसपी/टीएसपी के लिए कार्यक्रम (2–दिवसीय)	3904	1431	53856
श्रम कल्याण एवं विकास कार्यक्रम (2–दिवसीय)	524	299	11320
पंचायती राज के लिए कार्यक्रम (2–दिवसीय)	125	7	254
श्रमिकों एवं उनके जीवनसाथियों के लिए जीवन गुणवत्ता कार्यक्रम (4–दिवसीय)	134	26	1024
श्रमिकों एवं उनके जीवनसाथियों के लिए जीवन गुणवत्ता कार्यक्रम (2–दिवसीय)	134	24	1048
असंगठित के लिए पुनःप्रशिक्षण कार्यक्रम (1–दिवसीय)	268	123	6765
राज्य स्तरीय पूर्वोत्तर (तीन दिवसीय)	36	2	60
पंचायती राज (तीन दिवसीय) पूर्वोत्तर	27	3	84
पूर्वोत्तर के लिए विशेष कार्यक्रम (2/5 दिवसीय)	27	0	0
नेतृत्व विकास कार्यक्रम (दस दिवसीय)	27	0	0
xkeh.k {k=			
ग्रामीण जागरूकता शिविर (दो दिवसीय)	1045	488	19063
ग्रामीण श्रमिकों के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम (चार दिवसीय)	134	28	1099
ग्रामीण श्रमिकों के लिए पुनःप्रशिक्षण कार्यक्रम (एक दिवसीय)	259	64	3287
मनरेगा	548	158	6056

vlxfBr Jfedk dk lxfBr djuk rFkk xkeh.k Lo;l lodk dk çf'k{k.k

14-12 प्रारम्भ में बोर्ड की गतिविधियाँ संगठित क्षेत्र में केन्द्रित थीं। श्रमिक शिक्षा समीक्षा समिति की सिफारिशों पर बोर्ड ने 1977–78 में ग्रामीण क्षेत्र पर बल देना आरम्भ किया। आरम्भ में 7 प्रायोगिक परियोजनाओं से शुरू करते हुए ग्रामीण श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम नियमित एवं अनवरत कार्यक्रम बन चुके हैं। इस कार्यक्रम के निम्नांकित उद्देश्य हैं:

- श्रमिकों एवं नागरिकों के रूप में समस्याओं, विशेषाधिकारों और दायित्वों के प्रति विवेचनात्मक जानकारी को बढ़ावा देना;
- ग्रामीण कामगारों के आत्मविश्वास में वृद्धि तथा वैज्ञानिक मनोवृत्ति का निर्माण करना;
- श्रमिकों को अपने संगठन विकसित करने के लिए शिक्षित करना ताकि उनके माध्यम से वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सामाजिक–आर्थिक कार्यकलापों तथा दायित्वों की पूर्ति कर सकें और ग्रामीण समाज

के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक ढाँचे को मजबूत कर सकें;

- उनके वैयक्तिक एवं सामाजिक हित के संरक्षण एवं समर्थन में उन्हें शिक्षित करना;
- परिवार कल्याण योजना तथा सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेरित करना।

14-13 ग्रामीण जागरूकता शिविरों के संचालन में शिक्षा अधिकारियों की मदद हेतु ग्रामीण स्वयं सेवकों को क्षेत्रीय निदेशालयों में एक सप्ताह का अभिविन्यास/पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जाता है। इन शिविरों में भूमिहीन मजदूर, जनजातीय मजदूर, ग्रामीण क्षेत्रों से दस्तकार, वनकर्मी और शिक्षित बेरोजगार आदि भाग लेते हैं।

14-14 बोर्ड द्वारा हथकरघा, विद्युतकरघा, खादी और ग्रामोद्योग, औद्योगिक सम्पदाओं, लघु इकाइयों, हस्तकला, रेशम उद्योग, चटाई उद्योग, बीड़ी उद्योग में कार्यरत श्रमिकों तथा दुर्बल वर्गों के श्रमिकों जैसे महिला मजदूरों, अपंग मजदूरों, रिक्शा चालकों, निर्माण कामगारों, नागरिक और सफाई श्रमिकों की कार्यात्मक और शैक्षणिक जरूरतों पर आधारित एक से चार दिवसीय तद्नुकूल कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है।

fu"iknu

1. अप्रैल, 2016 से अक्तूबर, 2016 की अवधि के दौरान बोर्ड ने विभिन्न अवधियों के 5044 कार्यक्रमों का आयोजन किया और विभिन्न क्षेत्रों के 176549 श्रमिकों को प्रशिक्षित किया है। विवरण नीचे पैरा 14 की तालिका में दिया गया है।

çe[k miyfC/k;k

l'kfä dj.k dk;Øe

2. ग्रामीण शिविरों संबंधी समिति की सिफारिशों के अनुसरण में बोर्ड ने वित्त वर्ष 2003–2004 से 04 दिवसीय सशक्तीकरण कार्यक्रम आरम्भ किए हैं। अप्रैल, 2016 से अक्तूबर, 2016 की अवधि के दौरान असंगठित, कमजोर एवं ग्रामीण क्षेत्र के कामगारों हेतु आयोजित किए गये 156 सशक्तिकरण कार्यक्रमों से 6069 कामगार लाभान्वित हुए हैं।

ipk;rh jkt dk;ZdrkZvksa ds fy, dk;Øe

3. पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण संरचना के विकास तथा गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के लिए योजना बनाने तथा विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है जिसके लिए निर्वाचित पंचायती राज सदस्यों में ज्ञान तथा कौशल होना आवश्यक है। पंचायती राज की सफलता के लिए, पंचायती राज के सदस्यों को अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाने हेतु उनका शिक्षित तथा प्रशिक्षित होना जरूरी है। पंचायती राज संस्थान के चुने हुए सदस्यों को शिक्षित करने के लिए, भारत सरकार के बढ़ते दबाव के कारण बोर्ड ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान पंचायती राज संस्थान के चुने हुए सदस्यों के लिए 2–दिवसीय अवधि के अनन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किये हैं।

4. अप्रैल, 2016 से अक्तूबर, 2016 की अवधि के दौरान बोर्ड ने पंचायती राज संस्थाओं (उत्तर पूर्वी क्षेत्र सहित) के 338 चयनित सदस्यों के लिए 10 कार्यक्रम आयोजित किए।

xkeh.k@vlaxfBr {ks= ds çf'kf{kr Jfedksa ds fy, iqu% çf'k{k.k dk;Øe

5. बोर्ड ने बहुत पहले अर्थात पांच वर्ष पहले प्रशिक्षित श्रमिकों के लिए उनके प्राथमिक प्रशिक्षण के बाद ज्ञान स्तर को अद्यतन करने तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई विभिन्न कल्याण योजनाओं के

बारे में उन्हें जागरूक बनाने संबंधी पुनः प्रशिक्षण नामक नया एक–दिवसीय कार्यक्रम भी आरंभ किया। अप्रैल, 2016 से अक्तूबर, 2016 के दौरान इस तरह के 187 पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन 10052 ग्रामीण/असंगठित श्रमिकों के लिए किया गया।

Je dY;k.k ,o fodkl dk;Øe

6. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीण/असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच जागरूकता पैदा करने का कार्य केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड को सौंपा है।

7. तदनुसार, बोर्ड ने ग्रामीण/असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु अपने 50 क्षेत्रीय निदेशालयों के जरिए कार्यान्वयन के लिए दो दिवसीय अवधि का ''श्रम कल्याण एवं विकास'' नामक एक नया कार्यक्रम वर्ष 2003–2004 से अभिकल्पित और आयोजित किया है। अप्रैल, 2016 से अक्तूबर, 2016 की अवधि के दौरान बोर्ड ने श्रम कल्याण एवं विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण एवं असंगठित क्षेत्र के 11320 श्रमिकों के लिए 299 जागरूकता सृजन कार्यक्रम आयोजित किये हैं।

8. इसके अलावा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों को वितरित करने के लिए बोर्ड द्वारा पुस्तिकाओं और पत्रक के रूप में ज्ञानप्रद अध्ययन सामग्री तैयार कर ली गई थी।

lgk;rk&vuqnku ;kstuk

9. केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड अपनी सहायता– अनुदान योजना के माध्यम से श्रमिक संघ संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों आदि को उन्हें अपने श्रमिकों के लिए श्रमिक शिक्षा कार्यक्रमों को संचालित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

10. बोर्ड की सहायता–अनुदान योजना 1960 में प्रारंभ हुई और तब से बहुत विकसित हो चुकी है। श्रमिक संघों से प्राप्त सुझावों तथा माँगों पर विचार करते हुए इसे समय–समय पर परिवर्तित एवं संशोधित किया जाता है। सहायता–अनुदान योजना एवं इसके अंतर्गत व्यय पद्धति में पिछला संशोधन अप्रैल, 2005 में किया गया ताकि श्रमिक संघ व्यापक स्तर पर इस प्रणाली का लाभ उठा सकें। इसी प्रकार सहायता–अनुदान–योजना के नियमों एवं कार्यप्रक्रिया को श्रमिक संघों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तदनुसार सरल एवं संशोधित भी किया गया है।

11. श्रम संघ संगठनों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार 3 से 7 दिवसीय अवधि के पूर्णकालिक आवासीय एवं गैर–आवासीय कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सहायता अनुदान उपलब्ध है। सहायता अनुदान कार्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले विषयों और प्रतिभागियों की संख्या में लचीलापन रखा जाता है। सहायता अनुदान योजना ग्रामीण श्रमिकों के लिए भी लागू की गई है।

12. बोर्ड पंजीकृत श्रमिक संघों तथा अन्य संस्थानों को उनके अपने कामगार शिक्षा कार्यक्रम चलाने हेतु सहायता–अनुदान उपलब्ध कराता है।

13. बोर्ड केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों एवं राष्ट्रीय परिसंघों को राष्ट्र स्तरीय पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए भी सहायता अनुदान स्वीकृत करता है। अप्रैल से अक्तूबर, 2015 की अवधि के दौरान बोर्ड ने 4 श्रमिक संघों/संस्थानों को 59]310@& #i;| तक की राशि का सहायता अनुदान संस्वीकृत किया है। अब तक 6 कार्यक्रम संचालित किए गए हैं और 240 कामगारों को प्रशिक्षित किया गया है।

fgUnh dk ç;ksx

14. मुख्यालय, नागपुर में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति के संबंध में क्रमशः 29.4.2016 और 18.7.2016 को मुख्यालय, नागपुर में बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति की nk बैठकें आयोजित की गईं।

15. आईआईडब्ल्यूई, मुंबई में बोर्ड के 18 कर्मचारियों के लिए 22 vkj 24 vxLr] 2016 को राजभाषा हिन्दी की एक कार्यशाला आयोजित की गई थी जिसमें बोर्ड के जोनल और क्षेत्रीय निदेशकों के लिए समस्त मुख्यालय, नागपुर के 6 अधिकारी और 12 कर्मचारी शामिल थे।

अध्याय-15

योजनागत और योजनेतर कार्यक्रम

15-1 मंत्रालय ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के दौरान श्रमिकों के कल्याण और प्रगति के लिए अनेक योजना स्कीमें लागू की थीं। बाल श्रम उन्मूलन, बंधुआ श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वास, तथा स्वास्थ्य बीमा पर विशेष जोर दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) और प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा महत्वपूर्ण योजनाएं हैं।

15-2 श्रम और रोजगार मंत्रालय की योजना स्कीमों के लिए योजना आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के दौरान 13223.00 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया गया है। योजना के परिव्यय, और व्यय का वर्षवार ब्यौरा तालिका 15.1 में दिया गया है।

15-3 पिछले चार वर्षों के संबंध में योजनेतर कार्यकलापों के अंतर्गत परिव्यय और व्यय सारणी 15.2 दिया गया है।

15-4 मंत्रालय का महिला श्रम प्रकोष्ठ अनन्य रूप से महिलाओं और महिलाओं के कल्याण के उद्देश्य से बनाई गई योजनाओं पर कार्रवाई करते हैं।

15-5 सरकार के निर्देशानुसार, इस मंत्रालय ने प्रचलित वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) हेतु 251.10 करोड़ रु. (कुल योजना आबंटन का 16.2%) तथा जनजाति उप–योजना (टीएसपी) हेतु 127.10 करोड़ रु. (कुल योजना आबंटन का 8.2%) उद्दिष्ट किया है।

15-6 2016–17 के दौरान योजना आबंटन का दस प्रतिशत (155.00 करोड़ रुपये) पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम की विशिष्ट परियोजनाओं/स्कीमों के लिए उद्दिष्ट किया गया है।

15-7 श्रम और रोजगार मंत्रालय श्रम संबंधी मामलों पर अनुसंधान करने हेतु अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थाओं और गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) एवं स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान देता है। अनेक अध्ययन आरंभ किए गए, 73 अध्ययनों पर मसौदा रिपोर्टें प्राप्त हुईं, 67 रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया गया तथा 6 अध्ययनों पर कार्य चल रहा है।

तालिका 15.1

Je ,o jkstxkj e=ky;& ckjgoh ;kstuk ¼2012&17½ @ okf"kd ;kstuk çko/kku ,o 0;;

¼djkM #i; e½

Ø- l-	foHkkx@Ldhe	12oh ;kstuk ifj0;;	okf"kd ;kstuk 2014&15			okf"kd ;kstuk 2015&16			okf"kd ;kstuk 2016&17
			okf"kd vkdyu	foÙk vkdyu	okLrfod	okf"kd vkdyu	foÙk vkdyu	okLrfod	okf"kd vkdyu
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	श्रम ब्यूरो	167.05	48.25	44.92	27.95	43.32	43.32	30.78	50.00
2	औद्योगिक संबंध	73.27	20.06	19.56	15.60	19.31	18.31	16.07	25.00
3	डीजीफासली	87.29	7.10	7.10	5.13	6.10	9.10	5.99	11.30
4	डीजीएमएस	114.42	17.30	17.30	10.21	14.46	17.46	9.41	22.50
5	असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा जिसमें आरएसबीवाई भी शामिल है।	7316.00	1434.30	559.74	548.83	1320.52	64.84	5.83	144.50
6	बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास (क्र.सं. 5 पर दिए गए स्कीम के साथ विलय)	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	बाल एवं महिला श्रमिक	645.00	175.00	110.87	96.18	250.00	99.50	93.21	140.00
8	सीबीडब्ल्यूई	106.38	24.39	24.39	11.43	21.20	16.00	11.30	15.00
9	वीवीजीएनएलआई	40.00	6.25	6.25	6.25	6.37	6.37	6.37	11.00
10	सूचना प्रौद्योगिकी	8.60	2.00	2.15	2.06	2.24	2.90	2.71	3.00
11	अनुसंधान/शिक्षण संस्थानों तथा एनजीओ को श्रम संबंधी मामलों के लिए अनुसंधान का बीड़ा उठाने हेतु सहायता अनुदान।	4.30	0.50	0.50	0.18	0.50	0.34	0.23	5.50
12	रोजगार निदेशालय	141.00	19.60	19.60	15.86	28.90	71.90	61.01	1122.20
13	प्रशिक्षण निदेशालय	4498.19	693.85	618.15	515.83	440.10	291.66	254.46	--
	dqy	**13223.00**	**2448.60**	**1430.53**	**1255.51**	**2153.02**	**641.70**	**497.37**	**1550.00**
			(+सीडब्ल्यू47.40)						

सीडब्ल्यू सिविल कार्य संघट के लिए प्रयोग होता है जो शहरी विकास मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया है। रोजगार निदेशालय के योजना परिव्यय में राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) की स्कीम भी शामिल है। प्रशिक्षण महानिदेशालय कौशल और विकास मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया है।

तालिका 15.2

;kstuk rj çko/kku ,oa 0;;

¼djksM+ #i;s esa½

		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17
Ø- l-	Ldhe	ctV vkdyu	okLrfod 0;;	ctV vkdyu	okLrfod 0;;	ctV vkdyu	okLrfod 0;;	ctV vkdyu
1	सचिवालयी सामाजिक सेवाएं	36.67	32.98	39.05	37.6	43.08	40.02	47.89
2	अनुसंधान एवं सांख्यिकी	9.13	9.39	9.81	9.27	10.66	9.43	11.08
3	औद्योगिक संबंध	46.05	44.51	49.19	47.28	51.49	51.51	58.16
4	कार्य दशाएं एवं सुरक्षा	58.58	56.52	61.30	64.28	69.14	67.93	75.83
5	श्रम शिक्षा	56.90	43.83	54.42	49.18	57.68	57.68	57.68
6	श्रम कल्याण स्कीमें	264.73	203.96	272.90	220.11	290.00	207.15	302.44
7	सुरक्षित निधियों को अंतरण	193.15	287.27	194.98	189.80	207.34	171.64	211.38
8	सामाजिक सुरक्षा	2056.88	2033.16	2556.88	2310.99	2557.90	3557.9	4068.09
9	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	9.91	17.60	14.08	16.43	17.53	17.00	17.53
10	अन्य मद	0.74	0.16	0.74	0.33	0.86	0.57	0.86
11	अ.जा./अ.ज.जा. तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	5.11	4.86	5.25	5.36	6.07	5.67	6.55
12	रोजगार	38.24	36.64	40.72	39.43	43.99	39.48	46.49
13	प्रशिक्षण	52.16	50.8	55.39	53.86	59.95	56.13	0.00
	dqy	**2828.25**	**2821.68**	**3354.71**	**3043.92**	**3415.69**	**4282.11**	**4903.98**

अध्याय – 16

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण

vuqlfpr tkfr@tutkfr dY;k.k jk"Vªh; dsUæ

16-1 (पूर्ववर्ती अनुशिक्षण – सह–मार्गदर्शन केन्द्र) दो स्कीमें नामतःविशेष अनुशिक्षण स्कीम तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षण चलाते हैं।

16-2 यह योजना प्रायोगिक तौर पर वर्ष 1969–70 में चार केन्द्रों में शुरू की गई थी। योजना की सफलता को देखते हुए, चरणबद्ध क्रम से इसे उन्नीस अन्य राज्यों में विस्तारित किया गया। वर्तमान में, 24 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 24 अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा केन्द्र (इनमें से जोवाई केन्द्र पूर्ण रूप से कार्य करने के प्रक्रियाधीन है) कार्य कर रहे हैं। ये केंद्र रोजगार चाहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों के लाभ हेतु व्यावसायिक सूचनाएं, वैयक्तिक मार्गदर्शन तथा आत्मविश्वास निर्माण कार्यक्रम आयोजित करते हैं और पुराने मामलों की समीक्षा करते हैं। आवेदकों को रोजगार केन्द्रों में पंजीकरण के समय तथा अधिसूचित रिक्तियों के लिए उन्हें प्रायोजित किए जाते समय भी मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। ये केन्द्र अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों की रिक्तियों को भरने में नियोक्ताओं के साथ भी सम्पर्क रखते हैं।

16-3 इसके अलावा, इनमें से चौदह केन्द्र आशुलिपि और टंकण में प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं। अप्रैल, 2016 से नवम्बर, 2016 तक विभिन्न राष्ट्रीय कैरियर सेवा केन्द्रों की वास्तविक उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :

dk;dyki	doj fd, x, mEehnokjksa dh la[;k
पंजीकरण मार्गदर्शन	28256
प्रस्तुति पूर्व (प्री– सबमिशन) मार्गदर्शन*	4035
आत्मविश्वास निर्माण कार्यक्रम	17539
टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण	10126
भर्ती पूर्व प्रशिक्षण (पीआरटी)	711

**चयन/साक्षात्कार के लिए संबंधित नियोक्ता के पास जाने के पूर्व अभ्यर्थी को दिया गया मार्गदर्शन।*

fo'ks"k vuqf'k{k.k ;kstuk

16-4 केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की आरक्षित रिक्तियों में उनकी भर्ती को सुविधाजनक बनाने के लिए, रोजगार महानिदेशालय ने उनके लिए 'विशेष अनुशिक्षण योजना' नामक एक और योजना प्रारम्भ की है ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों को समूह 'ग' पदों की भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग तथा अन्य भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने में समर्थ बनाया जा सके। यह योजना दिल्ली में प्रायोगिक रूप में 1973 में आरंभ की गई थी और अब तक इस योजना के 32 चरण पूरे हो गये हैं। दिल्ली में विशेष अनुशिक्षण योजना का 33वां चरण 01.07.2016 से प्रगति पर है।

16-5 उपर्युक्त योजना की सफलता को देखते हुए, योजना का बंगलौर, कोलकाता, हैदराबाद, रांची, सूरत, कानपुर, चेन्नई, गुवाहाटी, हिसार, इम्फाल, जबलपुर,

तिरुअनंतपुरम, भुवनेश्वर, जयपुर, नागपुर, मंडी, जम्मू, जालंधर, कोहिमा तथा नहरलागुण में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा केन्द्रों के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया गया और इस योजना के अब तक 22 चरण पूरे हो चुके हैं और 23वां चरण 01.07.2016 से चल रहा है। अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा. के 17487 अभ्यर्थियों ने सफलतापूर्वक कोचिंग पूरी की है।

ukdjh ryk'ku oky f'kf{kr v-t-@v-t-t- dk dEI;Vj çf'k{k.k

16-6 रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पढ़े–लिखे नौकरी चाहने वालों के लिए आउटसोर्सिंग प्रशिक्षण प्रसुविधा के माध्यम से छरूमाह का कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए यह स्कीम फरवरी, 2004 में प्रारम्भ की गई। रोजगार बाजार में प्रशिक्षण प्राप्त जनशक्ति की मांग को ध्यान में रखते हुए यह योजना अगस्त, 2009 से 'ओ' लेवल का एक वर्षीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने संशोधित की गई है। आठ बैच में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 13960 अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) के माध्यम से 21 एनसीएससी की निगरानी में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 21 एनसीएससी की निगरानी में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अनु.जा./अनु.ज.जा. के 2000 उम्मीदवारों के बैठने की क्षमता से युक्त 9वीं बैच का प्रशिक्षण जुलाई, 2016 से चल रहा है। 01.08.2012 से एक वर्ष का 'ओ' लेवल का कम्प्यूटर प्रशिक्षण हार्डवेयर अनुरक्षण प्रशिक्षण भी शुरू किया गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 19 एनसीएससी में 5350 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को 4 बैचों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और 1000 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के बैठने की क्षमता के साथ अगस्त 2016 से पांचवें बैच का प्रशिक्षण चल रहा है। एनसीएस (www.ncs.gov.in) के अंतर्गत सरकार की पहल को देखते हुए, रोजगार संबंधी सेवाएं चाहने वाले अभ्यार्थियों के पंजीकरण के लिए एनसीएससी चिह्नित किए गए हैं।

Jfed dY;k.k fuf/k@;kstuk,a

16-7 संसदीय अधिनियमों के द्वारा सृजित पांच कल्याण निधियां नामतः माइका खान श्रमिक कल्याण निधि, चूना पत्थर तथा डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि, लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधिय सिने कामगार कल्याण निधिय और बीड़ी कामगार कल्याण निधि के अंतर्गत माइका खानों, लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क और क्रोम अयस्क खानों, चूना पत्थर तथा डोलोमाइट खानों में नियोजित, तथा सिने और बीड़ी कामगारों (अनु.जा./अनु.ज.जा. व्यक्तियों तथा निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों सहित) को चिकित्सा, आवास, शिक्षा, मनोरंजन, जलापूर्ति तथा परिवार कल्याण सुविधायें उपलब्ध कराने वाली अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। अ.जा./अ.ज.जा. व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों के संबंध में बजट/व्यय/लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या संबंधी आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते।

c/kvk etnjk dk iuokl

16-8 भारत में ऋण दासता प्रणाली सामाज के आर्थिक रूप से शोषित, असहाय तथा कमजोर तबकों से युक्त कतिपय श्रेणियों की ऋणग्रस्तता का परिणाम है। इस प्रणाली की शुरूआत असमान सामाजिक संरचना के द्वारा उपजी भूमि और परिसंपत्ति के असमान वितरण से हुई।

16-9 मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को पुनर्वासित करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने के उद्देश्य से, इस श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मई 1978

में बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम शुरू की। सरकार ने 17 मई, 2016 से बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीम को नवीकृत कर दिया है। नवीकृत योजना 'बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम, 2016' के नाम से विख्यात है। परिशोधित स्कीम केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम है। राज्य सरकारों से अपेक्षित नहीं होगा कि वे नकद पुनर्वास सहायता के प्रयोजनार्थ किसी समतुल्य अंशदान का भुगतान करें। वित्तीय सहायता को 20,000/– रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये प्रति वयस्क पुरुष लाभार्थी, अनाथों या संगठित और जबरन भीख मंगवाने वाले गुटों या बलात बाल श्रम के अन्य रूपों से छुड़ाए गए बच्चों तथा महिलाओं जैसे विशेष वर्ग के लाभार्थियों के लिए 2 लाख रुपये, और परा–लिंगी, या वेश्यालयों, मसाज पार्लरों, स्थापन एजेन्सियों आदि, या तस्करी, जैसे प्रकट यौन शोषण से छुड़ाई गई महिलाओं या बच्चों, जैसे वंचन या प्रभावहीनता के अत्यंत घोर मामलों वाले बंधुआ या बलात श्रम के मामलों में अथवा विक्लांग व्यक्तियों के मामलों में, या ऐसी परिस्थितियों में जहाँ जिला न्यायाधीश उचित समझे 3 लाख रुपये कर दिया गया है। बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु दिनांक 30.09.2016 तक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता के रुप में 8404.22 लाख रु. प्रदान किए गए। राज्यों को बंधुआ मजदूरों का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण करने, उनके संबंध में जागरूकता पैदा करने, संबंधी कार्यकलापों तथा उनका मूल्यांकन करने हेतु 830.20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है। अब तक इस योजना के अंतर्गत 2,82,429 बंधुआ मजदूर पुनर्वासित किए गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग रिपोर्ट, 1991 के अनुसार, जिन बंधुआ मजदूरों का पता लगाया गया, उनमें से 86.6% अनु.जा./अनु.ज.जा. श्रेणी से संबंधित हैं, अतः इस योजना के लाभ अधिकांशतः बंधुआ मजदूरों की इन श्रेणियों को प्राप्त हो रहे हैं।

16-10 इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को विस्तृत मार्ग–निर्देश जारी किए गए हैं। नवीकृत स्कीम के अंतर्गत निर्धारित प्रसुविधाएं, अन्य नकदी और गैर–नकदी प्रसुविधाओं जिनका कोई लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत हकदार है, फिलहाल प्रवृत्त किसी अन्य योजना द्वारा अथवा उसके अंतर्गत अथवा लागू कानून के तहत प्रसुविधाओं के अलावा होंगी।

lo{k.k vkj vuqla/kku v/;;u

16-11 श्रम ब्यूरो अन्य बातों के साथ–साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कामगारों के बारे में अलग से निम्नलिखित दो अध्ययन करता रहा है रू–

i) झाड़ू–बुहारू और हाथों से मल साफ करने, खाल उतारने और चर्म शोधन, हड्डी पीसने और शहरी क्षेत्रों में जूता बनाने जैसे अस्वच्छ व्यवसायों के चार समूहों में लगे अनुसूचित जाति कामगारों की कामकाजी और रहन–सहन दशायें। अब इन व्यवसायों का दायरा बढ़ाकर स्वच्छ व्यवसायों और सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के चुनिंदा केन्द्रों तक कर दिया गया है।

ii) चुनिन्दा औद्योगिक केन्द्रों/बेल्ट में अनूसूचित जनजाति श्रमिकों की सामाजार्थिक दशाएं।

16-12 ब्यूरो ने अब तक अनुसूचित जाति केन्द्रों में 9 सर्वेक्षण और अनुसूचित जनजाति केन्द्रों में 9 सर्वेक्षण कराये हैं। पिछला अनुसूचित जनजाति सर्वेक्षण उड़ीसा के कालाहांडी, बोलानगीर और कोरापुट जिलों की अनुसूचित जनजाति पट्टी में कराया गया तथा रिपोर्ट जारी कर दी गई।

Je ,oa jkt xkj e=kky; esa vkj{k.k

16-13 श्रम और रोजगार मंत्रालय में अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के प्रतिनिधित्व संबंधी आंकड़े rkfydk 16-1 में प्रस्तुत किए गए हैं।

16-14 ''निःशक्तता से ग्रस्त'' व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 की अपेक्षा के अनुसार, निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए 3% पद आरक्षित किए जाने होते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में विकलांग व्यक्तियों द्वारा धारित पदों के आंकड़े और संख्या rkfydk 16-2 में दी गई है।

rkfydk 16-1

Je vkj jkstxkj e=ky; rFkk blds lEc) vkj v/khuLFk dk;ky;k e vuqlfpr tkfr@vuqlfpr tutkfr d deipkjhfj;k dk çfrfuf/kRo

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (01.01.2016 की स्थिति के अनुसार)	आरक्षण के आधार पर अपेक्षित पद		तैनात		बेशी (+) कमी (–)	
		अ.जा. (15%)	अ.ज.जा. (7.5%)	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.
समूह 'क'	718	107	53	93	34	14(–)	19(–)
समूह 'ख'	899	134	67	126	53	8(–)	14(–)
समूह 'ग'	3149	472	236	662	230	190(+)	6(–)
कुल	4766	713	356	881	317	168(+)	39(–)

rkfydk 16-2

Je vkj jkstxkj e=ky; rFkk blds lEc) vkj v/khuLFk dk;ky;k e fu%'kärk ls xLr 0;fä;k ¼'kkjhfjd :i ls fodykx 0;fä;k½ dk çfrfuf/kRo

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (01.01.2016 की स्थिति के अनुसार)	निरूशक्त व्यक्तियों द्वारा धारित पदों की संख्या
समूह 'क'	718	4
समूह 'ख'	899	7
समूह 'ग'	3149	67
कुल	4766	78

अध्याय – 17

श्रम सांख्यिकी

Je C;jk] p.Mhx<@f'keyk d dk;l rFkk lxBukRed <kpk

17-1 वर्ष 1946 में स्थापित श्रम ब्यूरो श्रम के विभिन्न पहलुओं पर अखिल भारतीय स्तर पर श्रम आंकड़ों के संग्रहण, संकलन, विश्लेषण तथा वितरण में कार्यरत रहा है। ये आंकड़े उचित योजनाएं बनाने हेतु तथा श्रम बल के विभिन्न समूहों की स्थितियों में सुधार हेतु उचित उपाय सुझाने के लिए अनिवार्य आंकड़ा उपलब्ध करवाने में सहायक होते हैं । C;jk d e[; fØ;kdykik e 'kkfey g%

i) (i) औद्योगिक श्रमिकों (ii) खेतिहर तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों (iii) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में चुनिन्दा आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्य सूचकांकों तथा (iv) मजदूरी दर सूचकांकों का संकलन तथा रख–रखाव।

ii) विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत कानूनी तथा स्वैच्छिक विवरणियों के आधार पर श्रम के विभिन्न पहलुओं जैसे रोजगार, मजदूरी तथा उपार्जन, अनुपस्थिति, श्रम आवर्त, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण सुविधाएं, औद्योगिक संबंध आदि पर सांख्यिकीय सूचना का संग्रहण, संकलन तथा वितरण।

iii) संगठित/असंगठित क्षेत्रों के साथ–साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रमिकों, महिला श्रमिकों, ठेका श्रमिकों को शामिल करते हुए श्रम संबंधी मामलों पर अनुसंधान अध्ययन तथा सर्वेक्षण एवं विनिर्माण उद्योगों, खनन, बागान तथा सेवा क्षेत्र में व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण आयोजित करना।

iv) राज्य/संघशासित प्रदेश के कार्मिकों तथा प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न राज्य तथा केन्द्रीय ऐजन्सियों द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण देना

v) श्रम के क्षेत्र में नियमित तथा तदर्थ प्रकाशन निकालना ।

17-2 श्रम ब्यूरो के दो मुख्य स्कंध चण्डीगढ़ तथा शिमला में हैं तथा मुम्बई में अहमदाबाद कार्यालय के उप क्षेत्रीय कार्यालय के साथ अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई तथा कानपुर में इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

Je C;jk dh e[; miyfC/k;k rFkk xfrfof/k;k

miHkkäk eY; lpdkd

17-3 श्रम ब्यूरो द्वारा मासिक आधार पर नियमित रूप से संकलित तथा अनुरक्षित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निम्नानुसार हैः–

¼d½ vk|kfxd Jfedk d fy, vk/kkj 2001¾100 ij miHkkäk eY; lpdkd

1. औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो श्रमिक वर्ग जनसंख्या द्वारा उपभोग की गई वस्तुओं तथा सेवाओं की निर्धारित बास्केट की कीमतों में परिवर्तन की दर को मापता है, का संकलन तथा रख–रखाव श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सम्बद्ध कार्यालय द्वारा 1946 से किया जाता है।

2. श्रम ब्यूरो द्वारा आधार 2001=100 पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को tuojh] 2006 l uoEcj] 2016 rd संकलित तथा प्रकाशित किया गया है ।

3. इन सूचकांकों का प्रयोग मजदूरी संशोधन, अस्थिर मंहगाई भत्तों के निर्धारण, मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों को मापने तथा नीति निर्धारण हेतु किया जाता है।

4. वर्तमान श्रृंखलाओं के लिए भारण आरेखों को वर्ष 1999–2000 के दौरान आयोजित श्रमिक वर्ग पारिवारिक आय एवं व्यय सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया गया था । विस्तृत समूहों के लिए भार c,Dl 17-1 में प्रस्तुत किए गए हैं ।

5. ये सूचकांक प्रेस रिलीज, फैक्स, ई–मेल तथा मासिक इन्डैक्स लैटर के माध्यम से प्रत्येक अनुवर्ती माह के अंतिम कार्य दिवस पर प्रकाशित किए जाते हैं। इन्हें श्रम ब्यूरो की वैबसाइट www.labourbureau.nic.in पर डालने के अतिरिक्त ब्यूरो के मासिक प्रकाशन 'इण्डियन लेबर जरनल' में भी प्रकाशित किया जाता है ।

6. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक) पर वार्षिक प्रतिशत विभिन्नताएं, मासिक प्रतिशत विभिन्नताएं तथा मुद्रास्फीति की वार्षिक दरों को दर्शाते हुए तीन विवरण क्रमशः तालिकाओं 17-1] 17-2 rFkk 17-3 पर है ।

17-4 औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर एक वार्षिक रिपोर्ट भी जिसमें समूह/उप समूह स्तर पर सूचकांकों पर महत्वपूर्ण सूचना शामिल होती है, ब्यूरो द्वारा निकाली जाती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक) की आधार 2001=100 पर o"kZ 2015 dh okf"kZd fjiksVZ tkjh dj nh xbZ gS ।

¼[k½ xzkeh.k Jfedksa rFkk —f"k Jfedksa ds fy, miHkksä ewY; lwpdkad ¼lhihvkbZ@vkj,y@,,y½ ¼vk/kkj 1986&87¾100½

17-5 600 प्रतिदर्श गांवों से एकत्रित खुदरा मूल्य आंकड़ों पर आधारित ग्रामीण श्रमिकों तथा इसके उप समूह खेतिहर श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार 1986–87=100 पर 20 राज्यों तथा अखिल भारत के लिए मासिक आधार पर संकलित किया जा रहा है । इन सूचकांकों का प्रयोग न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत कृषि में रोजगार के संबंध में न्यूनतम मजदूरी के संशोधन तथा निर्धारण के लिए किया जाता है ।

17-6 Je C;wjks [ksfrgj rFkk xzkeh.k Jfedksa ds fy, miHkksä ewY; lwpdkad ¼vk/kkj½ 1986&87¾100½ dk uoEcj] 2016 rd ladfyr rFkk çdkf'kr dj pqdk gS A

17-7 सीपीआई.एल तथा सीपीआई. आरएल में वार्षिक विचलन का तुलनात्मक विवरण c,Dl 17-2 में दिया गया है। मासिक सूचकांक तथा मुद्रास्फीति की वार्षिक दर क्रमशः rkfydk 17-4 ,oa 17-5 esa nh xbZ gSA [ksfrgj rFkk xzkeh.k Jfedksa ds miHkksä ewY; lwpdkad dh ¼vk/kkj½ 1986&87¾100½ okf"kZd fjiksVZ o"kZ 2014&15 ds fy, çdkf'kr dj nh xbZ gSA

¼x½ vkS|ksfxd Jfedksa ds fy, miHkksä ewY; lwpdkad vk/kkj v|ru ¼m-e-l-&vkS-J-½

17-8 अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सिफारिशों के अनुसार परिवार आय तथा व्यय सर्वेक्षण 10 वर्षों की अवधि के अन्दर आयोजित करवाए जाने चाहिए। इन सर्वेक्षणों का आयोजन मूल्य तथा जीवन निर्वाह सांख्यिकी पर तकनीकी सलाहकार समिति के दिशा. निर्देशों के अधीन किया जाता है। तदनुसार, श्रम ब्यूरो द्वारा शृंखला को नए संभावित आधार अर्थात 2016=100 के साथ अद्यतन करने का कार्य जारी हैं। सर्वेक्षण का तकनीकी ब्योरा जैसे केन्द्रों का चयन, प्रतिदर्श आकार का निर्धारण, प्रतिदर्श डिजाईन, अनुसूचियाँ एवं अनुदेश इत्यादि को स्थाई त्रिपक्षीय समिति, तकनीकी सलाहकार समिति (मूल्य सांख्यिकी एवं निर्वाह लागत)

और राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग से आवश्यक अनुमोदन के उपरांत, अंतिम रूप दे दिया गया है। प्रथम चरण की इकाईयों के चयन हेतु प्राथमिक सर्वेक्षण को पहले ही पूर्ण कर लिया गया है तथा मुख्य सर्वेक्षण जनवरी, 2016 से देश के समस्त राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में शुरू कर दिया गया है। मूल्य आँकड़ों के चयन के लिए बाजार सर्वेक्षण को भी पूरा कर लिया गया है तथा चयनित 88 केन्द्रों के लिए मूल्य आँकड़ों के नियमित संग्रहण को सुनिश्चित किया जा रहा है।

17-9 डब्ल्यूसीएफआईएण्डईएस के माध्यम से प्राप्त किए आँकड़ों की संवीक्षा श्रम ब्यूरो द्वारा की जा रही है तथा आँकड़ों का संसाधन कार्य राष्ट्रीय इलैक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा किया जा रहा है। त्रुटि तालिकाओं की जाँच शुरू कर दी गई है। राष्ट्रीय इलैक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा ही नई शृखंला के लिए आँकड़ों की प्राप्ति हेतु सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। इस कार्य के उपरांत दो श्रृखंलाओं के बीच किसी एक मध्यस्थ कड़ी के निर्धारण हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए नई एवं मौजूदा शृखंला के समानांतर संकलन तथा भारित डायाग्रामों की तैयारी संबंधी कार्य सम्पन्न किया जाएगा। इन सभी कार्यों के निष्पादन के बाद नई श्रृखंला को राष्ट्रीय त्रिपक्षीय फोरम के समक्ष रखा जाएगा जहाँ पर इसे उच्च स्तरीय ट्रेड यूनियन नेताओं, नियोक्ता संघों के प्रतिनिधियों एवं केन्द्रीय तथा राज्यों के मन्त्रालयों दोनों के ही प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। त्रिपक्षीय समिति के अनुमोदन उपरांत सूचकांक को औपचारिक तौर पर जारी किया जाएगा।

¼?k½ etnjh nj lwpdkad

17-10 etnjh nj lwpdkadk dk o"kZ 2014 rd ldyu dj fy;k x;k gSA इन सूचकांकों का संकलन मूल मजदूरी तथा मंहगाई भत्ते के ऑकड़ों का प्रयोग करके किया जाता है जो कि भारत में संगठित क्षेत्र में श्रमिकों के उपार्जन की नियमित प्रकृति के होते हैं । वर्ष 2015 के लिए मजदूरी दर सूचकांकों के ऑकड़ों का संसाधन तथा संकलन किया जा रहा है । वर्ष 2012 से 2014 तक चयनित 21 उद्योगों में (1960 मूल्यों पर) मजदूरी दर सूचकांकों, निरपेक्ष मजदूरी दरों तथा वास्तविक मजदूरी दरों की सूचना भी rkfydk 17-6 में संलग्न है ।

dkuwuh rFkk LoSfPNd foojf.k;ka

17-11 श्रम ब्यूरो विभिन्न श्रम अधिनियमों के पारन्तुकों के तहत विभिन्न राज्य तथा संघ शासित प्राधिकारियों से प्राप्त वार्षिक कानूनी विवरणियों तथा राज्य एवं केन्द्रीय श्रम विभागों द्वारा प्रति माह श्रम ब्यूरो को भेजे गए औद्योगिक विवाद, कार्यबन्दी, अस्थायी छंटनी तथा छंटनी से संबंधित स्वैच्छिक आंकड़ों के आधार पर श्रम के विभिन्न पहलुओं पर श्रम आंकड़ों का संग्रहण, संकलन तथा वितरण करता है जैसाकि rkfydk 17-7 में दिया गया है ।

QhYM losZ{k.k rFkk v/;;u

17-12 आवधिक विवरणियों से संकलित आंकड़े श्रम के क्षेत्र में नियोजन तथा नीति निर्धारण हेतु सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते। तद्नुसार ब्यूरो द्वारा श्रम आंकड़ों की उपलब्धता में अन्तर को दूर करने हेतु श्रम के विभिन्न पहलुओं जैसे (i) रोजगार (ii) मजदूरी तथा उपार्जन, (iii) अर्थव्यवस्था के संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत्त श्रमिकों की कार्यकारी तथा निर्वाह स्थितियों पर आवधिक/तदर्थ सर्वेक्षण आयोजित करता है ।

¼d½ xzkeh.k Je vUos"k.k

17-13 ग्रामीण श्रमिकों की कार्यकारी तथा निर्वाह स्थितियों के सुधार के उद्देश्य से योजनाएं एवं कार्यक्रम बनाने में ग्रामीण श्रम अन्वेषण अत्यधिक सहायक होते

हैं। इस प्रयोजन हेतु आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा पंचवर्षीय आधार पर आयोजित इसके सामान्य रोजगार तथा बेरोजगारी सर्वेक्षणों के हिस्से के रूप में एकत्रित किए जाते हैं। सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर रिपोर्टों की तैयारी तथा प्रकाशन का उत्तरदायित्व श्रम ब्यूरो को सौंपा गया है। संगठन द्वारा ग्रामीण श्रम परिवारों के विभिन्न पहलुओं अर्थात् (i) ऋणग्रस्तता (ii) उपभोग व्यय (iii) मजदूरी तथा उपार्जन (iv) रोजगार तथा बेरोजगारी तथा (v) ग्रामीण श्रम परिवारों की सामान्य विशेषताएं पर रिपोर्ट निकाली जाती है ।

- ग्रामीण श्रम अन्वेषण के माध्यम से एकत्रित उपभोक्ता व्यय आंकड़ों को खेतिहर तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की श्रृंखला के संकलन हेतु भारण आरेख तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। खेतिहर तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की आधार 1986–87=100 के साथ वर्तमान श्रृंखला के लिए भारण ओरख राष्ट्रीय प्रतिदर्ष सर्वेक्षण (1983) के 38वें दौर के दौरान एकत्रित उपभोक्ता व्यय आंकड़ों से तैयार किया गया था । इस श्रृंखला (1986–87=100) ने नवम्बर, 1995 के सूचकांक से पुरानी श्रृंखला (1960–61=100) का स्थान ले लिया था । खेतिहर तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत खेतिहर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार में न्यूनतम मजदूरी निर्धारण तथा संशोधन करना सरल हो गया है ।

- bl ;kstuk ds rgr Je C;wjks 20 jkT;ksa@ la?k 'kkflr çns'kksa ds 600 çfrn'kZ xkaoksa ls çfrekg fu;fer :i ls 25 [ksfrgj rFkk xSj [ksfrgj 0;olk;ksa ds fy, etnwjh nj vkadMs ,df=r djrk gSA इस आंकड़े का प्रयोग न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन की सीमा सुनिश्चित करने हेतु किया जाता है । लागत अध्ययन आयोजित करने तथा राष्ट्रीय/राज्य आय के आकलन हेतु सही योजनाएं तथा कार्यक्रम तैयार करने के लिए भी यह आंकड़ा अत्यधिक प्रयोग किया जाता है ।

lnHkZ o"kZ ds nkSjku miyfC/k;, fuEukuqlkj g%

17-14 'ग्रामीण श्रमिक परिवारों की सामान्य विशेषताओं' पर ग्रामीण श्रम अन्वेषण (2009–10) तथा 'ग्रामीण श्रमिक परिवारों का उपभोग व्यय' पर ग्रामीण श्रम अन्वेषण की रिपोर्ट संकलित एवं जारी की जा चुकी है।

17-15 'ग्रामीण श्रमिक परिवारों में ऋणग्रस्तता' तथा 'ग्रामीण श्रमिक परिवारों की मजदूरी एवं उपार्जन' पर रिपोर्ट का कार्य जारी है।

¼[k½ etnwjh nj vkadMs%

- 20 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के 600 प्रतिदर्श गांवों से खेतिहर तथा गैर खेतिहर व्यवसायों के लिए मजदूरी दर आंकड़ों का संग्रहण जुलाई, 1986 से मासिक आधार पर नियमित रूप से किया जा रहा है ।

- etnwjh nj vkadMs vä|cj] 2016 तक 'इण्डियन लेबर जरनल' में संकलित तथा प्रकाशित किए गए ।

- o"kZ 2014&15 ds fy, Þxzkeh.k Hkkjr esa etnwjh njß नामक पुस्तक का संकलन एवं प्रकाशन किया गया।

¼x½ 0;kolkf;d etnwjh lo{k.k

17-16 निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आंकड़ा/सूचना उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षणों के विभिन्न दौर आयोजित किए जा रहे हैं ।

i) मजदूरी दर सूचकांक के निर्माण हेतु रोजगार, मजदूरी दरें तथा मंहगाई भत्ते पर व्यवसाय–वार आंकड़े ।

ii) बागान, खनन, विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र उद्योगों में उपार्जन में अन्तः उद्योग तथा अन्तरा–उद्योग के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए विभिन्न व्यवसायों में वेतन पत्रक उपार्जनों के विभिन्न घटकों पर आंकड़े।

iii) व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण का प्रथम दौर वर्ष 1958–59 में आयोजित किया गया तथा तभी से अब तक छः दौर आयोजित किए गए तथा उन पर रिपोर्टे प्रकाशित कर दी गई हैं। छठे दौर के सर्वेक्षण के अन्तर्गत जिसमें 56 उद्योगों का शामिल किया गया है जिनमें से 37 उद्योगों का सर्वेक्षण किया जा चुका है तथा उन पर रिपोर्टे प्रकाशित कर दी गई है ।

iv) व्यवासायिक मजदूरी सर्वेक्षण के सातंवें दौर के प्रस्ताव को अनुमोदन मिलने के बाद जोकि मंत्रालय से फरवरी, 2016 में मिला, संविदा आधार पर अन्वेषकों एवं पर्यवेक्षकों की भर्ती पूरी की गई। खदान क्षेत्र में फील्ड कार्य पूर्ण किया गया तथा आँकड़ा प्रविष्टि कार्य शुरू किया गया है। बागान क्षेत्र में फील्ड कार्य समाप्ति की ओर है। सेवा क्षेत्र में आँकड़ा प्राप्ति संबंधी कार्य जारी रहा जबकि विनिर्माण क्षेत्र के लिए सर्वेक्षण पूर्व कार्य जारी रहा।

¼?k½ Bdk Jfed lo{k.k

17-17 ठेका श्रमिक सर्वेक्षण का उद्देश्य ठेका श्रमिक (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के तहत प्रावधानों की तुलना में उद्योगों के विभिन्न समूहों में नियोजित ठेका श्रमिकों की समस्याओं की सीमा तथा प्रकृति तथा कार्यकारी स्थितियों का अध्ययन करना है। सर्वेक्षण के तहत एकत्रित सूचना ठेका श्रमिकों का ठेकेदार वार नियोजन, इन श्रमिकों द्वारा निष्पादित कार्य,ठेका श्रमिक के रोजगार को वरीयता देने के कारण, कार्यकारी स्थितियां, मजदूरी तथा भत्ते, शुल्क तथा कटौतियां, कल्याण सुविधाए, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध, ठेकेदार द्वारा रिकार्ड का रख–रखाव आदि से संबंधित होती है ।

17-18 श्रम ब्यूरो 1956–57 से अखिल भारतीय उद्योग विशेष ठेका श्रमिक सर्वेक्षण आयोजित कर रहा है। अब तक 39 उद्योगों में 47 सर्वेक्षण किए जा चुके हैं। gokb ifjogu m|kx e vfre Bdk Jfed lo{k.k o"k 2016 d nkjku fd;k x;k gA vkdMk dh çkfIr gr QhYM dk; rFkk vkdMk l lk/ku lc/kh dk; i.k gk x;k g vkj fjikV dk dk; vfre nkj e gA

¼3½ Je d fofHkUu legk dk lkekt kfFkd lo{k.k

17-19 इस घटक के तहत (क) असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों (ख) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में एससी/एसटी श्रमिकों (ग) महिला कामगारों की कार्य तथा निर्वाह स्थितियों का सर्वेक्षण और (घ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के कार्यान्यवन का मूल्याकंन करने हेतु सर्वेक्षणों का आयोजन किया जाता है।

¼p½ efgyk Jfedk dh lkekt kfFkd fLFkfr;k

17-20 दियासलाई उद्योग में Þefgyk dkexkjk dh lkekt kfFkd fLFkfrß घटक के अन्तर्गत अंतिम सर्वेक्षण अर्थात 22वाँ सर्वेक्षण तमिलनाडू और केरल राज्य में मई, 2014 में शुरू किया गया। सर्वेक्षण का आयोजन दो राज्यों अर्थात तमिलनाडू तथा केरल में किया गया । भारत के दियासलाई उत्पादन में इन दो राज्यों का योगदान 85 प्रतिशत से भी ज्यादा है। इस सर्वेक्षण के संबंध में रिपोर्ट अगस्त, 2014 में जारी की गई।

¼N½ m|kxk@fu;k tuk d vlxfBr {k= e Jfedk dh dk;dkjh rFkk fuokg fLFkfr;k

17-21 इस सर्वेक्षण का उद्देश्य उद्योगों/नियोजनों के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के सुधार हेतु उनकी कार्यकारी एवं निर्वाह स्थितियों पर आँकड़े एकत्रित करना है। अब तक 31 सर्वेक्षण आयोजित किए गए हैं तथा सभी रिपोर्टे प्रकाशित कर दी गई है।

¼t½ U;ure etnjh vf/kfu;e] 1948 d dk;kUo;u d eY;kadu ij v/;;u%

17-22 इस सर्वेक्षण का उद्देष्य देष के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न सूचीबद्ध नियोजनों में लागू न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की सीमा का मूल्यांकन करना है । अब तक ऐसे 28 अध्ययन आयोजित किए गए है तथा सभी रिपोर्टें प्रकाशित कर दी गई हैं।

¼i½ vuqlfpr tkfr@vuqlfpr tutkfr lenk;k l lcf/kr Jfedk dh dk;dkjh ,o fuokg fLFkfr;k%

17-23 श्रम ब्यूरो इस समूह के तहत निम्नलिखित दो प्रकार के अन्वेषण आयोजित करता है:

I. 'kgjh {k=k e fuEufyf[kr pkj vLoPN 0;olk;k e dk;jr vuqlfpr tkfr Jfedk dh dk;dkjh ,o fuokg fLFkfr;k

- स्वीपिंग एवं स्कैवेजिंग
- टेनिंग एवं फ्लेइंग
- बोन क्रशिंग
- शू–मेकिंग

17-24 सर्वेक्षण के कार्यक्षेत्र को यद्यपि कारखानों तथा संलग्न ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ व्यवसायों तक भी बढ़ा दिया गया है ।

II. vkS|kfxd dUæk@vkS|kfxd {k=k e vuqlfpr tutkfr Jfedk dh dk;dkjh ,o fuokg fLFkfr;k

17-25 श्रम ब्यूरो ने अब तक 9 अनुसूचित जाति श्रमिकों तथा 9 अनुसूचित जनजाति श्रमिकों के सर्वेक्षण आयोजित किए हैं ।

¼>½ ^u;k rRdky frekgh jkstxkj lo{k.k*

17-26 श्रम ब्यूरो चुने हुए श्रम प्रधान एवं निर्यात उन्मुखी क्षेत्रों नामतः वस्त्र जिसमें परिधान शामिल हैं, धातुए, हीरें एवं जवाहरात, ऑटोमोबाईल, परिवहन, आईटी/बीपीओ, चमड़ा एवं हथकरघा क्षेत्रों में 2009 से भारत में रोजगार पर आर्थिक मंदी के पड़ने वाले प्रभावों का निर्धारण करने के लिए तत्काल तिमाही रोजगार सर्वेक्षणों का आयोजन करता आ रहा है। श्रम ब्यूरो द्वारा इस प्रकार के अब तक 28 सर्वेक्षणों का आयोजन किया जा चुका है तथा रिपोर्ट जारी की जा चुकी है। इन सभी 28 सर्वेक्षणों में नियोजन में हुए क्षेत्र–वार बदलावों का ब्योरा rkfydk 17-8 में दिया गया है।

17-27 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इन सर्वेक्षणों की आवधिकताए परिणामों एवं कवरेज के कारण तत्काल तिमाही रोजगार सर्वेक्षणों की महत्ता पर विचार करते हुए निर्णय लिया है कि सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में प्रतिदर्श आकार को मौजूदा 2500 स्थापनाओं से बढ़ाकर 10,600 स्थापनाओं तक करते हुए तथा 8 बड़े क्षेत्रों अर्थात विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षाएँ स्वास्थ्य, आवास एवं रेस्तंरा को शामिल करते हुए एक वृहत स्तर पर तत्काल तिमाही रोजगार सर्वेक्षण का आयोजन किया जाए ताकि सर्वेक्षण के परिणाम देश के औद्योगिक क्षेत्र हेतु रोजगार में जारी प्रवृत्तियों को दर्शा सके। 1 अप्रैल, 2016 (प्रथम तिमाही की संदर्भ अवधि) तक रोजगार के अनुमान का प्राक्कलन 10628 स्थापनाओं से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर किया जाता

है। सर्वेक्षण के परिणामों से पता चला कि कुल 205.22 लाख रोजगार में से कुल रोजगार में 5.56 लाख के स्वरोजगार के हिस्से की तुलना में जोकि 2.71 प्रतिशत रहा है, 97.29 प्रतिशत हिस्से के साथ प्रबल रहा है। कर्मचारियों के प्रकार के रूप के माध्यम से कुल रोजगार का क्षेत्र–वार ब्योरा निम्नलिखित तालिकाओं में दिया गया है।

Lofu;kftr ,o deipkfj;k dk {k=&okj çfr'kr forj.k

Øe l[;k	{k=	fu;ktu ¼yk[k e½			fu;ktu e fgLlk ¼%½	
		Lofu;kftr	deipkjh	dqy	Lofu;kftr	deipkjh
1	विनिर्माण	2.79	98.38	101.17	2.76	97.24
2	निर्माण	0.10	3.57	3.67	2.72	97.28
3	व्यापार	0.77	13.68	14.45	5.33	94.67
4	परिवहन	0.09	5.71	5.80	1.55	98.45
5	आवास एवं रेस्तंरा	0.50	7.24	7.74	6.46	93.54
6	आईटी/बीपीओ	0.05	10.31	10.36	0.48	99.52
7	शिक्षा	0.95	49.03	49.98	1.90	98.10
8	शिक्षा	0.31	11.74	12.05	2.57	97.43
	dqy	**5.56**	**199.66**	**205.22**	**2.71**	**97.29**

¼¥½ okf"kd jkstxkj rFkk cjkstxkjh lo{k.k

17-28 देश में रोजगार–बेरोजगारी परिदृश्य सुनिश्चित करने हेतु आँकड़ा अन्तराल भरने के मद्देनजर श्रम ब्यूरो को मंत्रालय द्वारा वार्षिक रोजगार–बेरोजगारी सर्वेक्षण आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है। अब तक ऐसे 4 सर्वेक्षण श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित किए गए हैं तथा जिनकी रिपोर्टें प्रकाशित कर दी गई हैं। छठे तत्काल तिमाही रोजगार सर्वेक्षण का फील्ड कार्य जारी है।

17-29 दूसरे, तीसरे एवं चतुर्थ रोजगार–बेरोजगारी सर्वेक्षण के आधार पर 15 वर्ष तथा उससे ऊपर की आयु के लिए अखिल भारतीय स्तर पर सभी चार अवधारणाओं के आधार पर श्रम बल सहभागिता दर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात तथा बेरोजगारी दर इस प्रकार है:–

¼çfr'kr esa½

ekunM	f}rh; b|;|, l ¼2011&12½				r`rh; b|;|, l ¼2012&13½				prFkZ b|;|, l ¼2013&14½				ikapoka b|;|, l ¼2015&16½			
	,e	,Q	Vh	ih	,e	,Q	Vh	ih	,e	,Q	Vh	ih	,e	,Q	Vh	ih
,y,Qihvkj	77.4	25.4	-	52.9	76.6	22.6	-	50.9	74.4	25.8	-	52.5	75.0	23.7	48.0	50.4
MCY;ihvkj	75.1	23.6	-	50.8	73.5	20.9	-	48.5	71.4	23.8	-	49.9	72.1	21.7	45.9	47.8
;vkj	2.9	6.9	-	3.8	4.0	7.2	-	4.7	4.1	7.7	-	4.9	4.0	8.7	4.3	5.0

M- Male; F-Female; T-Transgender & P-Person

¼V½ m|kxks dk okf"kZd losZ{k.k

17-30 श्रम ब्यूरो आँकड़ा संग्रहण अधिनियम, 2008 के तहत उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के माध्यम से अनुपस्थिति, श्रम आवर्त, रोजगार, कार्य किए श्रम दिवस, सामाजिक सुरक्षा लाभ, उपार्जन, श्रम लागत तथा उत्पादन लागत पर एकत्रित आँकड़ों के संसाधन तथा वितरण के लिए उत्तरदायी है। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य अनुपस्थिति, श्रम आवर्त, उपार्जन, रोजगार, श्रम लागत तथा उत्पादन लागत पर क्रमबद्ध आँकड़ा आधार बनाना तथा विनिर्माण उद्योगों में श्रम लागत के विभिन्न घटकों का विश्लेषण करना है।

17-31 उद्योगों के गणना तथा प्रतिदर्श दोनों क्षेत्रों के लिए वर्ष, 2010–11 तथा 2011–12 के लिए संयुक्त उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण की रिपोर्टों के आधार पर तुलनात्मक श्रम आँकड़े c,Dl l|[;k 17-3 में दिए गए हैः–

¼B½ vuqla/kku

17-32 लोक सभा आकलन समिति की 88वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर श्रम संबंधित चुनिन्दा समस्याओं पर अनुसंधान आरम्भ करने के मद्देनजर श्रम ब्यूरो में जून, 1963 में एक लघु सैल की स्थापना की गई ।

¼i½ Hkkjrh; Je vuqla/kku lkj&laxg

17-33 इस सार–संग्रह द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी संगठनों, अनुसंधान संस्थानों तथा व्यक्तिगत शोधकर्ताओं द्वारा श्रम के क्षेत्र में आयोजित अनुसंधान अध्ययनों का टीकात्मक संदर्भग्रन्थ प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है । भारतीय श्रम अनुसंधान के 10वें सार–संग्रह (2008–2011) को वर्ष 2014 में प्रकाशित किया गया । भारतीय श्रम अनुसंधान के 11वें सार संग्रह (2012–2014) का अध्ययन कार्य परीक्षाधीन है।

¼ii½ efgyk Je ij lkaf[;dh; çksQkby

17-34 महिला श्रमिकों पर सांख्यिकीय प्रोफाइल निकालने का मुख्य उद्देश्य भारत में एक ही स्थान पर महिला श्रमिकों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तृत तथा अत्याधुनिक आँकड़े प्रस्तुत करना है। इस प्रोफाइल का 10वां संस्करण (2012–2013) वर्ष जून, 2014 में

प्रकाशित किया गया। महिला श्रमिकों पर सांख्यिकीय प्रोफाइल के 11वें संस्करण (2014–2015) की रिपोर्ट के कम्प्यूटरीकरण से संबंधित कार्य चल रहा है।

¼M½ Je lkf[;dh esa çf'k{k.k

17-35

(i) श्रम आंकड़ों में 54वॉ केन्द्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 07.09.2016 से 09.09.2016 के दौरान शिमला में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों/संघशासित प्रदेशों/केन्द्रीय विभागों से 23 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया ।

(ii) आयुध निर्माणी, मेडाक के 37वें तथा 38वें बैच के 47 कर्मचारियों के लिए 17.06.2016 और 14.07.2016 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम

(iii) स्वरस्थ्रा विश्वविद्यालय से 45 प्रतिभागियों/विद्यार्थियों के लिए 05.10.2016 को प्रशिक्षण कार्यक्रम

(iv) एमआईएलएलएसए मुम्बई से 18 प्रतिभागियों के लिए 24.11.2016 को प्रशिक्षण कार्यक्रम

17-36 श्रम ब्यूरो का कानपुर क्षेत्रीय कार्यालय प्राथमिक इकाइयों अर्थात् कारखानों तथा संस्थानों के लाभ हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए क्षेत्र में विभिन्न राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करता है। 25/04/2016 को 22 प्रतिभागियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

17-37 राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रशासन अकादमी (नासा) ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

i. 07/01/2016 को आईएसईसी कोलकाता के 17 प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

ii. 11–01–2016 से 15–01–2016 के दौरान 45 आईएसएस परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया।

iii. 14–12–2016 से 16–12–2016 के दौरान 28 आईएसएस परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया।

iv. 22/12/2016 को आईएसईसी कोलकाता के 28 प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

çdk'ku

17-38 सांख्यिकी अनुसंधान कार्य, अध्ययनों तथा सर्वेक्षणों के आधार पर ब्यूरो द्वारा कई प्रकाशन निकाले जाते हैं। 2016 के दौरान निकाले गए प्रकाशनों की सूची को rkfydk 17-9 में दिया गया है।

c,Dl 17-1	
miHkksäk eY; lwpdkad&vkS|ksfxd Jfed 2001¾100 ds rgr cgnw lewgksa ds fy, Hkkj	
leg	Hkkj
खाद्य	46.20
पान, सुपारी, तंबाकू एवं मादक पदार्थ	2.27
ईंधन एवं प्रकाश	6.43
आवास	15.27
वस्त्र, बैडिंग एवं फुटवियर	6.57
विविध	23.26
dqy	**100.00**

c,Dl 17-2

[kfrgj Jfedk rFkk xkeh.k Jfedk d fy, miHkkäk eY; lpdkd e vk/kkj 1986&87¾100 ij fofHkUurk dk rjyukRed fooj.k

o"k	lhihvkbZ &,,y	lhihvkbZ &vkj,y	okf"kd çfr'kr fopyu	
			lhihvkbZ &,,y	lhihvkbZ &vkj,y
1995-1996	237	238		
1996-1997	256	256	8.02	7.56
1997-1998	264	266	3.13	3.91
1998-1999	293	294	10.98	10.53
1999-2000	306	307	4.44	4.42
2000-2001	305	307	-0.33	0.00
2001-2002	309	311	1.31	1.30
2002-2003	318	321	2.91	3.22
2003-2004	331	333	4.09	3.74
2004-2005	340	342	2.72	2.70
2005-2006	353	355	3.82	3.80
2006-2007	380	382	7.65	7.61
2007-2008	409	409	7.63	7.07
2008-2009	450	451	10.02	10.27
2009-2010	513	513	14.00	13.75
2010-2011	564	564	9.94	9.94
2011-2012	611	611	8.33	8.33
2012-2013	672	673	9.98	10.15
2013-2014	750	751	11.61	11.59
2014-2015	800	802	6.67	6.79
2015-2016	835	839	4.37	4.61

ukV%&

i) वर्ष 1995–96 के लिए औसत पांच माह अर्थात् नवम्बर, 1995 से मार्च, 1996 पर आधारित है ।

ii) सूचकांक मूल्य संबंधित वित्त वर्ष की वार्षिक औसतें हैं ।

iii) कृषि श्रमिक/ग्रामीण श्रमिक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की आधार 1986–87=100 पर श्रृंखला नवम्बर, 1995 के सूचकांक से प्रकाशित की गई । कृषि श्रमिक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के मामले में पुरानी 1960–61 तथा नई 1986–87 श्रृंखला के बीच सम्पर्क कारक 5.89 है जबकि ग्रामीण श्रमिक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की श्रृंखला पहली बार नवम्बर 1995 के सूचकांक से आरम्भ की गई ।

स्रोतः श्रम ब्यूरो, शिमला

c,Dl 17-3

Øe l[;k	ekunM	o"k		2011&12 dh i'pkr 2012&13 esa % of)
		2011-12	2012-13	
1	2	3	4	5
1.	अनुपस्थिति दर (%)	08.90	07.17	-
2.	श्रम आवर्तत दर (%) क. अनुवृद्धि ख. वियोजन	 18. 49 16.57	 18.65 14.43	 - -
3.	नियोजन क. समस्त कर्मचारी (संख्या) ख. सभी कर्मकार (%) ग. ठेका श्रमिक (%)	 13429956 77.72 26.88	 12950025 77.62 26.59	 (-) 3.57 (-) 3.70 (-) 4.61

4.	कार्य किए गए प्रति श्रम दिवस की मजदूरी/वेतन (रू में) क. सभी कर्मचारी ख. सभी कर्मकार ग. ठेका श्रमिक	501.53 313.00 246.20	583.11 363.76 285.86	81.58 50.76 39.66
5.	कर्मचारियों की कार्य किए गए प्रति श्रम दिवस की श्रम लागत (रू में)	607.33	703.23	95.90

rkfydk 17-1

vk|kfxd Jfedk dk fy, miHkäk eY; lpdkd fopyuk dk rqyukRed foojk.k

	o"k	lhihvkb& vkbMCY;	çfr'kr fopyu ¼okf"kd½
II. vk/kkj **1982 = 100**	1989-90	173	6.36
	1990-91	193	11.56
	1991-92	219	13.47
	1992-93	240	9.59
	1993-94	258	7.50
	1994-95	284	10.08
	1995-96	313	10.21
	1996-97	342	9.27
	1997-98	366	7.02
	1998-99	414	13.11
	1999-2000	428	3.38
	2000-2001	444	3.74
	2001-2002	463	4.28
	2002-2003	482	4.10
	2003-2004	500	3.73
	2004-2005	520	4.00
	2005-2006	542	4.23
III. vk/kkj **2001=100**	2006-2007	125	6.83
	2007-2008	133	6.40
	2008-2009	145	9.02
	2009-2010	163	12.41
	2010-2011	180	10.43
	2011-12	195	8.33
	2012-13	215	10.26
	2013-14	236	9.77
	2014-15	251	6.36
	2015-16	265	5.58

नोट : i). सूचकांक मूल्य संबंधित वित्त वर्ष की वार्षिक औसत है।

ii). 1989–90 के लिए प्रतिशत विभिन्नता के संपर्क कारक अर्थात 4.93 का प्रयोग करते हुए 1982=100 के अंकों को बदल कर प्राप्त किया गया है। 1989–90 के लिए परिवर्तित अंक 853 था।

iii) इसी तरह 2006–07 के लिए प्रतिशत विभिन्नता को संपर्क कारक अर्थात 4.63 का प्रयोग करके 2001=100 के अंको को परिवर्तित करते हुए प्राप्त किया गया है। 2006–07 का परिवर्तित अंक 579 था।

iv) जनवरी, 2006 से वर्ष 2005–06 के लिए मूल्य को परिवर्तन कारक (4.63) का प्रयोग करके 2001=100 के अंकों से प्राप्त किया गया है।

rkfydk 17-2

lhihvkbZ&vkbZMCY;w ¼vk/kkj% 2001¾100½ esa ekfld fopyu

ekg	2010&11		2011&2012		2012&2013		2013&2014		2014&2015		2015&16		2016&17	
	lwpdkad	çfr'kr fopyu	lwpdkad	çfr'kr fopyu	lwpdkad	çfr'kr fopyu	lwpdkad	çfr'kr fopyu	lwpdkad	çfr'kr fopyu	lwpdkad	çfr'kr fopyu	lwpdkad	çfr'kr fopyu
अप्रैल	170	0.00	186	+0.54	205	+1.99	226	+0.89	242	+1.26	256	+0.79	271	+1.12
मई	172	+1.18	187	+0.54	206	+0.49	228	+0.88	244	+0.83	258	+0.78	275	+1.48
जून	174	+1.16	189	+1.07	208	+0.97	231	+1.32	246	+0.82	261	+1.16	277	+0.73
जुलाई	178	+2.30	193	+2.12	212	+1.92	235	+1.73	252	+2.44	263	+0.77	280	+1.08
अगस्त	178	0.00	194	+0.52	214	+0.94	237	+0.85	253	+0.40	264	+0.38	278	-0.71
सितम्बर	179	+ 0.56	197	+1.55	215	+0.47	238	+0.42	253	0.00	266	+0.76	277	-0.36
अक्तूबर	181	+ 1.12	198	+0.51	217	+0.93	241	+1.26	253	0.00	269	+1.12	278	+0.36
नवम्बर	182	+0.55	199	+0.51	218	+0.46	243	+0.83	253	0.00	270	+0.37	277	-0.36
दिसम्बर	185	+1.65	197	-1.01	219	+0.46	239	-1.65	253	0.00	269	-0.37		
जनवरी	188	+1.62	198	+0.51	221	+0.91	237	-0.84	254	+0.40	269	0.00		
फरवरी	185	-1.60	199	+0.51	223	+0.90	238	+0.42	253	-0.40	267	-0.74		
मार्च	185	0.00	201	+1.01	224	+0.45	239	+0.42	254	+0.40	268	+0.37		

rkfydk 17-3

vk|kfxd Jfedk dk fy, miHkkäk eY; lpdkd ¼vk/kkj% 2001¾100½ dk vk/kkj ij eæLQhfr dh okf"kd nj

o"k@ekg	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	lpdkd	eæLQhfr nj	lpdkd	eæLQhfr nj	lpdkd	eæLQhfr nj	lpdkd	eæLQhfr nj	lpdkd	eæLQhfr nj	lpdkd	eæLQhfr nj	lpdkd	eæLQhfr nj
जनवरी	172	16.22	188	9.30	198	5.32	221	11.62	237	7.24	254	7.17	269	5.91
फरवरी	170	14.86	185	8.82	199	7.57	223	12.06	238	6.73	253	6.30	267	5.53
मार्च	170	14.86	185	8.82	201	8.65	224	11.44	239	6.70	254	6.28	268	5.51
अप्रैल	170	13.33	186	9.41	205	10.22	226	10.24	242	7.08	256	5.79	271	5.86
मई	172	13.91	187	8.72	206	10.16	228	10.68	244	7.02	258	5.74	275	6.59
जून	174	13.73	189	8.62	208	10.05	231	11.06	246	6.49	261	6.10	277	6.13
जुलाई	178	11.25	193	8.43	212	9.84	235	10.85	252	7.23	263	4.37	280	6.46
अगस्त	178	9.88	194	8.99	214	10.31	237	10.75	253	6.75	264	4.35	278	5.30
सितम्बर	179	9.82	197	10.06	215	9.14	238	10.70	253	6.30	266	5.14	277	4.14
अक्तूबर	181	9.70	198	9.39	217	9.60	241	11.06	253	4.98	269	6.32	278	3.35
नवम्बर	182	8.33	199	9.34	218	9.55	243	11.47	253	4.12	270	6.72	277	2.59
दिसम्बर	185	9.47	197	6.49	219	11.17	239	9.13	253	5.86	269	6.32		

ukV% मुद्रास्फीति की दर की गणना पूर्व के वर्ष के अनुवर्ती माह के दौरान हुई प्रतिशत वृद्धि के आधार पर की गई है।

rkfydk 17-4

[kfrgj Jfedk d fy, miHkksäk eY; lpdkd ¼vk/kkj½ 1986&87¾100½ d vk/kkj ij eqækLQhfr dh okf"kd nj

ekg	2010&2011		2011&2012		2012&2013		2013&2014		2014&2015		2015&2016		2016&2017	
	lpdkd	eqækLQhfr nj @	lpdkd	eqækLQhfr nj @	lpdkd	eqækLQhfr nj @	lpdkd	eqækLQhfr nj @	lpdkd	eqækLQhfr nj @	lpdkd	eqækLQhfr nj @	lpdkd	eqækLQhfr nj @
1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
अप्रैल	538	14.96	587	9.11	633	7.84	711	12.32	771	8.44	805	4.41	848	5.34
मई	540	13.68	592	9.63	638	7.77	719	12.70	777	8.07	811	4.38	860	6.04
जून	547	13.02	598	9.32	646	8.03	729	12.85	785	7.68	820	4.46	869	5.98
जुलाई	554	11.02	604	9.03	656	8.61	740	12.80	799	7.97	822	2.88	877	6.69
अगस्त	557	9.65	610	9.52	666	9.18	754	13.21	808	7.16	832	2.97	876	5.29
सितम्बर	562	9.13	615	9.43	673	9.43	759	12.78	811	6.85	839	3.45	873	4.05
अक्तूबर	566	8.43	619	9.36	680	9.85	766	12.65	813	6.14	849	4.43	876	3.18
नवम्बर	570	7.14	621	8.95	685	10.31	777	13.43	813	4.63	853	4.92	878	2.93
दिसम्बर	581	7.99	618	6.37	688	11.33	765	11.19	807	5.49	853	5.70		
जनवरी	589	8.67	618	4.92	694	12.30	757	9.08	804	6.21	849	5.60		
फरवरी	584	8.55	621	6.34	700	12.72	757	8.14	803	6.08	843	4.98		
मार्च	585	9.14	625	6.84	704	12.64	763	8.38	803	5.24	843	4.98		

@ iol d o"k d vuorh ekg d vkdMk e çfr'kr of)

lkr Je C;jk f'keyk

rkfydk 17-4 ¼tkjh½

[kfrgj Jfedksa ds fy, miHkksäk eY; lwpdkad esa iwoZ ds ekg esa çfr'kr fopyu ¼vk/kkj 1986&87¾100½

ekg	2010&2011		2011&2012		2012&2013		2013&2014		2014&2015		2015&2016		2016&2017	
	lwpdkad	iwoZ ds ekg esa çfr'kr fopyu	lwpdkad	iwoZ ds ekg esa çfr'kr fopyu	lwpdkad	iwoZ ds ekg esa çfr'kr fopyu	lwpdkad	iwoZ ds ekg esa çfr'kr fopyu	lwpdkad	iwoZ ds ekg esa çfr'kr fopyu	lwpdkad	iwoZ ds ekg esa çfr'kr fopyu	lwpdkad	iwoZ ds ekg esa çfr'kr fopyu
1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
अप्रैल	538	0.37	587	0.34	633	1.28	711	0.99	771	1.05	805	0.25	848	0.59
मई	540	0.37	592	0.85	638	0.79	719	1.13	777	0.78	811	0.75	860	1.42
जून	547	1.30	598	1.01	646	1.25	729	1.39	785	1.03	820	1.11	869	1.05
जुलाई	554	1.28	604	1.00	656	1.55	740	1.51	799	1.78	822	0.24	877	0.92
अगस्त	557	0.54	610	0.66	666	1.52	754	1.89	808	1.13	832	1.22	876	-0.11
सितम्बर	562	0.90	615	0.82	673	1.05	759	0.66	811	0.37	839	0.84	873	-0.34
अक्तूबर	566	0.71	619	0.65	680	1.04	766	0.92	813	0.25	849	1.20	876	0.34
नवम्बर	570	0.71	621	0.32	685	0.74	777	1.44	813	0.00	853	0.47	878	0.23
दिसम्बर	581	1.93	618	-0.48	688	0.44	765	-1.54	807	-0.74	853	0.00		
जनवरी	589	1.38	618	0.00	694	0.87	757	-1.05	804	-0.37	849	-0.47		
फरवरी	584	-0.85	621	0.49	700	0.86	757	0.00	803	-0.12	843	-0.71		
मार्च	585	0.17	625	0.64	704	0.57	763	0.79	803	0.00	843	0.00		

स्रोतः श्रम ब्यूरो शिमला

rkfydk 17-5

xkeh.k Jfedk d fy, vf[ky Hkkjrh; miHkäk eY; lpdkd d vk/kkj ij eqækLQhfr dh okf"kd nj ¼vk/kkj½ 1986&87¾100½

ekg	2010-2011		2011&2012		2012&2013		2013&2014		2014&2015		2015&2016		2016&2017	
	lpdkd	eqækLQhfr nj @	lpdkd	eqækLQhfr nj @	lpdkd	eqækLQhfr nj @	lpdkd	eqækLQhfr nj @	lpdkd	eqækLQhfr nj @	lpdkd	eqækLQhfr nj @	lpdkd	eqækLQhfr nj @
1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
अप्रैल	538	14.96	587	9.11	634	8.01	711	12.15	773	8.72	809	4.66	854	5.56
मई	540	13.68	592	9.63	640	8.11	720	12.50	780	8.33	816	4.62	866	6.13
जून	547	13.02	597	9.14	648	8.54	730	12.65	787	7.81	824	4.70	874	6.07
जुलाई	554	11.24	604	9.03	658	8.94	741	12.61	801	8.10	827	3.25	881	6.53
अगस्त	556	9.66	610	9.71	667	9.34	753	12.89	810	7.57	836	3.21	881	5.38
सितम्बर	562	9.34	614	9.25	675	9.93	759	12.44	813	7.11	843	3.69	877	4.03
अक्तूबर	565	8.45	620	9.73	681	9.84	766	12.48	815	6.40	853	4.66	881	3.28
नवम्बर	569	6.95	621	9.14	686	10.47	777	13.27	816	5.02	857	5.02	883	3.03
दिसम्बर	580	8.01	619	6.72	689	11.31	766	11.18	810	5.74	857	5.80		
जनवरी	588	8.69	619	5.27	695	12.28	759	9.21	808	6.46	854	5.69		
फरवरी	584	8.55	623	6.68	701	12.52	759	8.27	806	6.19	849	5.33		
मार्च	584	8.96	626	7.19	705	12.62	765	8.51	807	5.49	848	5.08		

@ पूर्व के वर्ष के अनुवर्ती माह के आँकड़ों में प्रतिशत वृद्धि

स्रोत श्रम ब्यूरो शिमला

rkfydk 17-5 ¼tkjh½

xkeh.k Jfedk d fy, miHkkäk eY; lpdkd e iol d ekg e çfr'kr fopyu ¼vk/kkj 1986&87¾100½

ekg	2010&2011		2011&2012		2012&2013		2013&2014		2014&2015		2015&2016		2016&2017	
	lpdkd	iol dk ekg e çfr'kr fopyu	lpdkd	iol dk ekg e çfr'kr fopyu	lpdkd	iol dk ekg e çfr'kr fopyu	lpdkd	iol dk ekg e çfr'kr fopyu	lpdkd	iol dk ekg e çfr'kr fopyu	lpdkd	iol dk ekg e çfr'kr fopyu	lpdkd	iol dk ekg e çfr'kr fopyu
1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
अप्रैल	538	0.37	587	0.51	634	1.28	711	0.85	773	1.05	809	0.25	854	0.71
मई	540	0.37	592	0.85	640	0.95	720	1.27	780	0.91	816	0.87	866	1.41
जून	547	1.30	597	0.84	648	1.25	730	1.39	787	0.90	824	0.98	874	0.92
जुलाई	554	1.28	604	1.17	658	1.54	741	1.51	801	1.78	827	0.36	881	0.80
अगस्त	556	0.36	610	0.99	667	1.37	753	1.62	810	1.12	836	1.09	881	0.00
सितम्बर	562	1.08	614	0.66	675	1.20	759	0.80	813	0.37	843	0.84	877	-0.45
अक्तूबर	565	0.53	620	0.98	681	0.89	766	0.92	815	0.25	853	1.19	881	0.46
नवम्बर	569	0.71	621	0.16	686	0.73	777	1.44	816	0.12	857	0.47	883	0.23
दिसम्बर	580	1.93	619	-0.32	689	0.44	766	-1.42	810	-0.74	857	0.00		
जनवरी	588	1.38	619	0.00	695	0.87	759	-0.91	808	-0.25	854	-0.35		
फरवरी	584	-0.68	623	0.65	701	0.86	759	0.00	806	-0.25	849	-0.59		
मार्च	584	0.00	626	0.48	705	0.57	765	0.79	807	0.12	848	-0.12		

तालिका 17.6

क्रम सं.	उद्योग	मजदूरी दर सूचकांक (1963-65=100)			निरपेक्ष मजदूरी दर (मौद्रिक मूल्यों पर)			वास्तविक मजदूरी दर (1960 के मूल्यों पर)		
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
क	विनिर्माण उद्योग (1–14)	6373.4	6778.3	7312.0	303.03	322.07	347.30	6.38	6.08	6.16
	1. कॉटन उद्योग	4430.8	4688.7	4923.9	239.44	252.78	265.41	5.04	4.77	4.17
	2. सीमेंट	6776.7	7153.4	7520.5	305.20	322.16	338.69	6.43	6.08	6.01
	3. सिगरेट कारखाना	8115.1	9447.8	10382.5	397.92	463.35	509.19	8.38	8.75	9.03
	4. हाईड्रोजिनीकृत तेल	4785.1	4978.2	5179.6	244.51	254.38	264.67	5.15	4.80	4.69
	5. जूट उद्योग	7317.7	7671.6	8621.5	269.47	282.50	317.59	5.68	5.34	5.63
	6. इलैक्ट्रिकल मशीनरी	6319.7	6582.6	6868.9	320.57	333.90	348.43	6.75	6.31	6.18
	7. दियासिलाई कारखाना	4661.3	4860.7	5045.4	159.73	166.57	172.89	3.36	3.15	3.07
	8. कागज एवं कागज उत्पाद	7129.1	7962.1	8274.9	265.09	296.06	307.70	5.58	5.59	5.56
	9. रेलवे वर्कशॉप	14275.9	15464.5	17363.5	784.83	850.17	954.57	16.53	16.06	16.93
	10. प्रगलन एवं परिशोधन	5314.6	5494.8	5681.5	274.61	283.92	293.57	5.78	5.36	5.21
	11. साबुन कारखाना	6386.8	7052.0	7365.3	327.58	361.69	377.76	6.90	6.83	6.70
	12. चीनी	8870.6	9560.4	10069.1	299.14	322.58	339.64	6.30	6.09	6.02
	13. रेश्मी वस्त्र उद्योग	4223.6	4407.8	4566.1	191.20	199.41	206.45	4.03	3.77	3.66
	14. गर्म वस्त्र उद्योग	3666.0	3878.4	4878.9	184.08	194.86	246.69	3.88	3.68	4.38
ख	खदान उद्योग	8939.1	9399.9	9822.1	367.86	383.59	398.82	7.75	7.24	7.07
	15. कोयला खानें	8674.3	8973.3	9283.2	389.40	402.82	416.74	8.20	7.61	7.39
	16. लौह अयस्क खानें	8700.7	8883.0	9038.0	266.33	271.91	276.65	5.61	5.14	4.91
	17. मैग्नीज खानें	14025.8	16867.8	18993.4	287.07	345.24	389.87	6.05	6.52	6.92
	18. मीका खानें	4735.7	5104.8	5534.2	105.46	113.68	123.25	2.22	2.15	2.19
ग	बागान उद्योग	4052.9	4447.5	4670.4	89.20	97.32	102.13	1.88	1.84	1.81
	19. कॉफी बागान	7028.3	7988.2	8709.0	110.26	125.32	136.63	2.32	2.37	2.42
	20. रबड़ बागान	9883.2	11884.4	12668.5	179.00	215.25	229.45	3.77	4.07	4.07
	21. चाय बागान	3572.2	3862.5	4015.7	84.54	91.16	95.00	1.78	1.72	1.68
	समस्त उद्योग	6016.1	6427.0	6835.4	240.91	255.65	272.19	5.07	4.83	4.83

नोट: वर्ष 2015 के लिए मजदूरी दर संकलन किये जा रहे हैं

rkfydk 17-7		
Ø-l-	dkuuh foojf.k;k	vfre o"k ftudk fy, leh{kk çdkf'kr dh xb@vkdM çdkf'kr fd, x,
1.	कारखाना अधिनियम, 1948	2013
2.	मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936	2013
3.	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948	2014
4.	ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926	2013
5.	औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946	2013
6.	दुकाने एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम	2013
7.	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961	2013
8.	मोटयर परिवहन श्रमिक अधिनियम, 1961	2013
9.	बागान श्रम अधिनियम, 1951	2013
10.	कर्मकार प्रतिपूर्ति अधिनियम, 1923	2013
11.	स्वैच्छिक विवरणियां औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (क) कार्यबन्दी, (ख) छंटनी तथा (ग) अस्थायी छंटनी से संबंधित आंकड़े (घ) भारत में औद्योगिक विवाद	2013
नोटः आगामी वर्षों की समीक्षाएंधरिपोर्टें विभिन्न स्तरों पर अंतिम चरण में हैं		

rkfydk 17-8

frekgh lo{k.kk d nkjku fu;ktu ¼yk[kk e½ {ks= okj vuqekfur cnyko

Øå lå	m|kx@leg	flr]08 ls fnl] 08	fnl] 08 ls ekp] 09	ekp]09 ls tu] 09	tu] 09 ls flr]09	flr] 09 ls fnl] 09	fnl] 09 ls ekp] 10	ekp] 10 ls tu] 10	tu] 10 ls flr] 10	flr] 10 ls fnl] 10	fnl] 10 ls ekp] 11	ekp] 11 ls tu] 11	tu] 11 ls flr] 11	flr] 11 ls fnl] 11	fnl]11 ls ekp] 12	ekp] 12 ls tu] 12	tu*]12 ls fnl-12	fnl] 12 ls ekp] 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	खदान	-0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	वस्त्र	-1.72	2.08	-1.54	3.18	0.16	-1.19	-0.63	2.45	0.40	-1.21	-0.33	0.42	0.78	0.00	0.50	0.50	0.40
3	चमड़ा	-	-0.33	0.07	-0.08	0.09	0.00	0.21	0.04	0.16	-0.08	0.01	-0.02	-0.12	-0.03	0.00	0.06	0.08
4	धातु	-1.06	-0.29	-0.01	0.65	0.23	0.04	0.45	0.27	0.00	0.16	0.53	0.38	0.00	-0.07	-0.05	0.33	0.11
5	ऑटोमोबाइल	-0.83	0.02	0.23	0.24	0.06	0.29	0.51	0.29	0.18	0.13	0.18	0.22	-0.06	-0.01	-0.04	0.14	0.12
6	हीरे एवं जवाहरात	-0.99	0.33	-0.2	0.58	0.07	0.24	0.04	0.04	-0.10	-0.02	0.13	0.07	0.10	-0.03	0.05	-0.03	0.13
7	परिवहन	-0.96	-0.04	-0.01	0.00	-0.02	-0.02	-0.21	0.13	-0.01	0.06	-0.02	-0.05	0.34	0.16	0.00	0.01	-0.03
8	आईटी / बीपीओ	0.76	0.92	-0.34	0.26	5.7	1.29	1.29	1.08	1.41	2.87	1.64	2.04	1.09	1.04	0.27	0.64	0.28
9	हथकरघा / पावरलूम	-	0.07	0.49	0.15	0.09	-0.05	-0.03	0.06	0.03	-0.18	0.01	0.09	0.13	-0.26	0.00	0.03	-0.02
	;kx	-4.91	2.76	-1.31	4.97	6.38	0.61	1.62	4.35	2.07	1.74	2.15	3.15	2.26	0.81	0.73	1.68	1.07

* उपर्युक्त आंकड़े जून, 12 से दिसम्बर, 12 तक नियोजन में हुए अर्धवार्षिक बदलावों को दर्शाते हैं

(–) शामिल नहीं

io i"B ls | | | | | | | | | | | | rkfydk 17-8 ¼tkjh½
freklh lo{k.kk dk nkSjku fu;kstu ¼yk[kk esa½ {ks= okj vuqekfur cnyko

Ø-l-	m|kx@leg	ekp]13 ls tu] 13	tu] 13 ls flr]13	flr] 13 ls fnl]13	fnl] 13 ls ekp] 14	ekp]14 ls tu] 14	tu] 14 ls flr] 14	flr] 14 ls fnl] 14	fnl] 14 ls ekp] 15	ekp] 15 ls tu] 15	tu] 15 ls flr] 15	flr] 15 ls fnl] 15
1	2	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	खदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	वस्त्र	0.88	0.66	0.92	-0.56	0.69	0.49	0.79	0.24	-0.17	0.28	0.37
3	चमड़ा	0.18	0.05	0.13	0.03	0.07	-0.18	0.01	-0.08	0.08	-0.01	-0.07
4	धातु	-0.38	0.12	-0.20	0	0.47	0.47	-0.2	0.01	0	0.48	-0.12
5	ऑटोमोबाइल	0.08	0.07	-0.11	0.19	0.01	0.28	-0.23	0.2	-0.18	0.03	-0.13
6	हीरे एवं जवाहरात	0.08	-0.06	-0.06	0.01	0.07	0.08	-0.05	-0.06	-0.03	-0.02	-0.08
7	परिवहन	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03	0	-0.07	-0.01	-0.02	-0.02	0.01	-0.01
8	आईटी/बीपीओ	0.03	0.61	0.17	-0.04	0.51	0.57	0.89	0.37	-0.05	0.58	-0.14
9	हथकरघा/पावरलूम	0.00	0.00	0.00	0.04	0	-0.06	-0.03	-0.02	-0.06	-0.01	-0.02
	;kx	0.86	1.43	0.83	-0.36	1.82	1.58	1.17	0.64	-0.43	1.34	-0.2

¼&½ 'kkfey ugh

rkfydk 17-9
o"kZ 2016 esa çdkf'kr/vfre :i fn, x, çdk'kuksa dh lwph

Øe la-	çdk'ku
1.	इण्डियन लेबर जरनल (मासिक)
2.	वर्ष 2015 के लिए औद्योगिकी श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार 2001=100 पर वार्षिक रिपोर्ट
3.	कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए आधार 1986–87=100 पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वार्षिक रिपोर्ट 2014–15
4.	वर्ष 2012–13 के लिए उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, नियोजन एवं श्रम लागत (खण्ड–I) की रिपोर्ट तथा अनुपस्थिति, श्रम आवर्त नियोजन एवं श्रम लागत (खण्ड–II) की रिपोर्ट
5.	वर्ष 2014 के लिए न्यनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट
6.	वर्ष 2013 बागान श्रम अधिनियम, 1951 की वार्षिक समीक्षा
7.	वर्ष 2013 के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठान अधिनियम (स्थाई आदेश), 1946 पर समीक्षा
8.	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 पर समीक्षा– 2013.
9.	कर्मकार प्रतिपूर्ति अधिनियम, 1923 पर समीक्षा– 2013.
10.	वर्ष 2013 के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 पर समीक्षा
11.	वर्ष 2013 के लिए प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 पर समीक्षा
12.	मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 पर समीक्षा– 2013.
13.	वर्ष 2013 के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत कारखानों के ऑकड़ों पर वार्षिक रिपोर्ट
14.	भारतीय श्रमिक संघों पर रिपोर्ट 2013.
15.	वर्ष 2014–15 के लिए ग्रामीण भारत में मजदूरी दरों पर रिपोर्ट
16.	श्रम सांख्यिकी लघु पुस्तिका 2014.
17.	भारतीय श्रम सांख्यिकी 2014.
rnFkZ losZ{k.k	
i)	चुने हुए क्षेत्रों में, (अप्रैल से जून, 2015; जुलाई से सितम्बर, 2015 तथा अक्तूबर से दिसम्बर, 2015) नियोजन में आए बदलाव पर 26वीं, 27वीं तथा 28वीं तिमाही रिपोर्ट
ii)	नए तत्काल तिमाही सर्वेक्षण की प्रथम दौर की रिपोर्ट
iii)	पॉचवे वार्षिक रोजगार–बेरोजगारी सर्वेक्षण की रिपोर्ट

अध्याय – 18

श्रम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण

18-1 जुलाई 1974 में स्थापित, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई), श्रम अनुसंधान और शिक्षा के एक शीर्ष संस्थान के रूप में विकसित हुआ है। संस्थान ने आरंभ से ही अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और प्रकाशन के माध्यम से संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में श्रम के विभिन्न पहलुओं से जुड़े विविध समूहों तक पहुँच बनाने का प्रयास किया है। ऐसे प्रयासों के केन्द्र में शैक्षिक अंतर्दृष्टि और समझ को नीति निर्माण और कार्रवाई में शामिल करना रहा है ताकि समतावादी और लोकतांत्रिक समाज में श्रम को न्यायोचित स्थान मिल सके।

fo t:u

18-2 संस्थान को वैश्विक रूप से प्रतिष्ठा प्राप्त ऐसे संस्थान के रूप में विकसित करना जो उत्कृष्टता का केन्द्र हो तथा कार्य की गुणवत्ता और कार्य संबंधों को बढ़ावा देने के प्रति कृत संकल्प हो।

fe'ku

- निम्नलिखित के माध्यम से श्रम तथा श्रम संबंधों को विकास की कार्यसूची में विशेष केन्द्र के रूप में स्थापित करना है:–
- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना
- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना, और
- ऐसे विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण और साझेदारी बनाना जो श्रम से संबंधित हैं।

mn:n'; vkj vf/kn'k

18-3 संगम ज्ञापन में स्पष्ट रूप से उन विविध कार्यकलापों का उल्लेख किया गया है जो संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं। संस्थान के अधिदेश में निम्नलिखित 0कार्यकलाप शामिल हैं:–

(i) स्वयं अथवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों तरह के अभिकरणों के सहयोग से अनुसंधान करना, उसमें सहायता करना, उसे बढ़ावा देना और उसका समन्वयन करना;

(ii) शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करना और उनके आयोजन में सहायता करना;

(iii) निम्नलिखित के लिए स्कंध स्थापित करना

क. शिक्षा, प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण

ख. अनुसंधान, जिसमें क्रियानिष्ठ अनुसंधान भी शामिल है

ग. परामर्श और

घ. प्रकाशन और अन्य ऐसे कार्यकलाप, जो संस्थान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हों

(iv) श्रम तथा संबद्ध कार्यक्रमों की योजना बनाने और

उनके कार्यान्वयन में आने वाली विशिष्ट समस्याओं का विश्लेषण करना और उपचारी उपाय सुझाना

(v) लेख, पत्र–पत्रिकाएं और पुस्तकें तैयार करना, उनका मुद्रण और प्रकाशन करना

(vi) पुस्त्कालय एवं सूचना सेवाएं स्थापित एवं अनुरक्षित करना

(vii) समान उद्देश्य वाली भारतीय और विदेशी संस्थाओं और अभिकरणों के साथ सहयोग करना, और

(viii) फेलोशिप, पुरस्कार और वृत्तिकाएं प्रदान करना।

lLFkku dh ljpuk

18-4 संस्थान का शीर्ष शासी निकाय महापरिषद है, इसके अध्यक्ष केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं तथा यह संस्थान के कार्यकलापों के लिए विस्तृत नीति संबंधी मानक निर्धारित करती है। कार्यपरिषद, जिसके अध्यक्ष सचिव (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) होते हैं, संस्थान के कार्यकलापों को नियंत्रित, मॉनीटर एवं निर्देशित करती है। महापरिषद एवं कार्यपरिषद, दोनों त्रिपक्षीय निकाय हैं और इनके सदस्यों में केन्द्र सरकार, ट्रेड यूनियन महासंघों, नियोक्ता संघों के प्रतिनिधियों के साथ ही श्रम के क्षेत्र में काम करने वाले प्रख्यात विद्वान एवं व्यावसायिक शामिल होते हैं। संस्थान के महानिदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और इसके कार्यों के प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं। संस्थान के दिन प्रतिदिन के कामकाज में विविध विषयों में पारंगत संकाय सदस्य और प्रशासनिक स्टाफ महानिदेशक की सहायता करते हैं।

vul/kku

18-5 संस्थान के कार्यकलापों में अनुसंधान का प्रमुख स्थान है। अनुसंधान के विषयों में संगठित एवं असंगठित, दोनों ही क्षेत्रों में श्रम संबंधी समस्याओं के व्यापक आयाम शामिल हैं। बंधुआ मजदूरों, कामगाजी बच्चों, महिला कामगारों, प्रवासी कामगारों, भूमिहीन कृषि कामगारों आदि जैसे असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों की समस्याओं और मुद्दों के विश्लेषण को प्राथमिकता दी जाती है। संस्थान ग्रामीण कामगारों को संगठित करने के संभावित तरीकों, साधनों एवं विधियों को तलाशने के उद्देश्य से उनकी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियानिष्ठ अनुसंधान परियोजनाएं करता है।

ijh dh xbl ,o tkjh vul/kku ifj;ktuk,

18-6 संस्थान के विभिन्न अनुसंधान केंद्रों द्वारा पूरी की गई एवं जारी कुछ अनुसंधान परियोजनाएं नीचे दी गयी हैं।

1- jk"Vh; cky Je llk/ku gr dn

ijh dh xbl ifj;ktuk,

- भारत में बाल श्रम को रोकने और इसके प्रत्युत्तर में कुछ करने के लिए प्रभावी कार्यनीतियां एवं तकनीकें विकसित करना (यूनिसेफ – वीवीजीएनएलआई सहयोगात्मक बाल श्रम परियोजना) – फेज़ ।
- दक्षिण एशिया में बाल श्रम समाप्त करने की दिशा में: बाल श्रम पर सार्क–क्षेत्रीय–संसाधन केंद्र की स्थापना करना

tkjh ifj;ktuk,

- प्रलेखीकरण, डिजिटलीकरण एवं प्रसार के माध्यम से बाल श्रम के निर्धारकों को अवरुद्ध करना फेज़।
- राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला–स्तरीय हितधारकों को सुग्राही बनाने एवं उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए चुनिंदा जिलों में बच्चों के रोजगार का क्षेत्रक विश्लेषण

2- Je cktkj v/;;u gr, dUnz

ijh dh xbZ ifj;kstuk,a

- भारत में मजदूरियों में रुझान
- भारत से अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक प्रवासन – फेज I
- भारत में श्रम प्रशासन निष्पादन को बढ़ाना

tkjh ifj;kstuk,a

- भारत से अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक प्रवासन – फेज II
- संगठित विनिर्माण सैक्टर में मजदूरियां

3- jkstxkj lacU/k vkSj fofu;eu gsrq dsUnz

ijh dh xbZ ifj;kstuk,a

- भारत में प्राईवेट नियोजन अभिकरणों के लिए विनियामक ढांचा
- भारत में रोजगार एवं औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व प्रथाएं

tkjh ifj;kstuk,a

- निर्माण कामगारों के लिए कल्याण स्कीमों के कार्यान्वयन की स्थितिः उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नौएडा तथा पश्चिम बंगाल में न्यू टाउन–राजस्थान का तुलनात्मक अध्ययन
- राज्य–स्तर पर श्रम कानून सुधारः गुजरात, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल के मामले
- राज्य–स्तर पर श्रम कानून सुधारः राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं आंध्र प्रदेश के मामले

4- —f"k lacU/k vkSj xzkeh.k Je gsrq dsUnz

ijh dh xbZ ifj;kstuk

- भारत में रोजगार एवं औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी प्रथाएं

tkjh ifj;kstuk,a

- राज्य सरकारों द्वारा हाल के किए गए श्रम कानून संशोधनों का प्रभाव
- कृषि संकट तथा आम तौर पर ग्रामीण श्रमिक एवं विशेष तौर पर महिला कृषि श्रमिक
- छोटे बागानों में पारिवारिक श्रमिकों का प्रयोगः दक्षिण भारत में छोटे चाय एवं कॉफी बागानों का मामला

5- ,dhd`r Je bfrgkl vuqla/kku dk;ZØe

ijh dh xbZ ifj;kstuk,a

- दलित आंदोलन एवं श्रमिक आंदोलन का इतिहासः एक अनुसंधान एवं संग्रहण परियोजना – फेज़ IV
- न्यूनतम मजदूरी एवं सामाजिक सुरक्षाः मेज़र नेशनल लेबल रिपोर्ट ऑन लेबर (1929–2014) की महत्वपूर्ण सिफारिशें
- भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में महिला कामगारों का मौखिक इतिहास
- ट्रेड यूनियन इतिहास पर मौखिक इतिहास के ऑडियो कैसेट्स का डिजिटलीकरण – फेज़ II भारत में श्रम कानूनों का इतिहास

tkjh ifj;kstuk,a

- भारत में दलित आंदोलन एवं श्रमिक आंदोलन का इतिहासः फेज़ V
- भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में महिला कामगारों का मौखिक इतिहास
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के रिकॉर्डों का संकलन

6- Je vkj LokLF; v/;;u gr dn

ijh dh xbl ifj;ktuk,

- छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अपवाद अध्ययन
- आईएलओ अभिसमय 155 की संपुष्टि के लिए कृषि सैक्टर में अंतरों का विश्लेषण

7- fyx vkj Je gr dn

ijh dh xbl ifj;ktuk,

- उच्च शिक्षा एवं कार्य की दुनिया में अंतरः एक लैंगिक परिप्रेक्ष्य
- महिलाओं के काम को समझनाः महिलाओं के घरेलू काम एवं पूर्वोत्तर भारत में उनकी श्रम बाजार प्रतिभागिता का लैंगिक विश्लेषण
- कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण मॉड्यूल
- शिक्षा एवं रोजगार में लैंगिक समानताः एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य

tkjh ifj;ktuk,

- डिजिटल भेद को कम करने के लिए आईसीटी अनिवार्यताएं
- पूर्वोत्तर भारत में अप्रदत्त कार्य एवं महिला कामगारों के समय–उपयोग पैटर्नः अरूणाचल प्रदेश एवं त्रिपुरा के विशेष संदर्भ में

8- iokÙkj vul /kku ,o if'k{k.k gr dn

ijh dh xbl ifj;ktuk,

- पूर्वोत्तर भारत में सामाजिक संरक्षण स्कीमें

if'k{k.k vkj f'k{kk ¼2016&17½

18-7 वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, श्रम समस्याओं की जानकारी को बढ़ावा देने तथा उन पर काबू पाने के उपायों और साधनों का पता लगाने के प्रति संकल्पबद्ध है। इस संकल्प की प्राप्ति के लिए यह संस्थान अपनी विभिन्न गतिविधियों के द्वारा संगठित तरीके से श्रमिकों की समस्याओं के बारे में शिक्षा प्रदान करता है। जबकि अनुसंधान गतिविधियों के द्वारा अन्य विषयों के साथ–साथ विभिन्न वर्गों की बुनियादी आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है, अनुसंधान से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग नए प्रशिक्षण कार्यक्रम परिकल्पित करने तथा मौजूदा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए किया जाता है। प्रषिक्षण मॉड्यूलों को पुनः अभिकल्पित करने के साथ–साथ प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को अद्यतन बनाने के लिए इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्तियों से प्राप्त होने वाले फीडबैक का प्रयोग किया जाता है।

18-8 संस्थान के शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के श्रम संबंधों में संरचनात्मक परिवर्तन को भावी साधन माना जा सकता है। ये कार्यक्रम सद्भावपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अधिक सकारात्मक वातावरण के निर्माण में मदद कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये कार्यक्रम बुनियादी स्तर पर ऐसे नेतृत्व का विकास करने का प्रयास करते हैं जो ग्रामीण श्रमिकों के हितों का ध्यान रखने वाले स्वतंत्र संगठनों का निर्माण कर सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मनोवृत्ति के परिवर्तन, कुशलता के विकास तथा ज्ञान की दृष्टि पर समान रूप से बल दिया जाता है।

18-9 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दृश्य प्रस्तुतीकरण, व्याख्यानों, समूह चर्चाओं, वैयक्तिक अध्ययनों तथा व्यवहार विज्ञान तकनीकों के उचित मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। संस्थान की फैकल्टी के अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए गेस्ट फैकल्टी को भी आमंत्रित किया जाता है।

18-10 संस्थान निम्नलिखित समूहों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करता हैं:

- केद्र, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा विदेशों के श्रम प्रशासक तथा अधिकारी,
- सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों के प्रबंधक एवं अधिकारी,
- असंगठित/संगठित क्षेत्रों के ट्रेड यूनियन नेता तथा आयोजक, और
- अनुसंधानकर्ता, प्रशिक्षक, क्षेत्र कार्यकर्ता तथा श्रम मुद्दों से सम्बद्ध अन्य व्यक्ति।

18-11 इस वर्ष अप्रैल 2016 से नवम्बर 2016 के दौरान संस्थान ने 06 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों (विदेश मंत्रालय के आई.टी.ई.सी./एस.सी.ए.ए.पी., भूटान, श्रीलंका) सहित 74 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में विभिन्न देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों सहित कुल मिलाकर 1927 प्रतिभागियों ने भाग लिया। विवरण निम्न प्रकार हैं:

vi|y 2016 l| uoEcj 2016 d| nk|jku vk;k|ftr fd, x, i|f'k{k.k dk;|Øe

Øe l-	dk;|Øe dk uke	dk;|Øek| dh l[;k	dk;|Øe d| fnuk| dh l-	lgHkkfx;k| dh l[;k
1.	श्रम प्रशासन कार्यक्रम (एलएपी)	06	27	107
2.	औद्योगिक संबंध कार्यक्रम (आईआरपी)	07	38	176
3.	क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी)	30	144	807
4.	बाल श्रम कार्यक्रम (सीएलपी)	06	06	250
5.	स्वास्थ्य मुद्दे कार्यक्रम	01	05	23
6.	अनुसंधान विधि कार्यक्रम (आरएमपी)	05	52	114
7.	अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (आईपी)	06	91	129
8.	पूर्वोत्तर कार्यक्रम (एनईपी)	07	35	168
9.	सहयोगात्मक कार्यक्रम (सीपी)	01	04	45
10.	आंतरिक कार्यक्रम (इनहाउस)	05	105	108
	tk|M	74	507	1927

v|rjk"Vh; çf'k{k.k dk;|Øe

18-12 यह संस्थान विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा आई.टी.ई.सी./एस.सी.ए.ए.पी. कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु सूचीबद्ध है। vi|y 2016 l| uoEcj 2016 के दौरान संस्थान ने आई.टी.ई.सी./एस.सी.ए.ए.पी. कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न विषयों जैसे कि कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा, नेतृत्व विकास तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में श्रम और रोजगार संबंध पर 04 अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इनके अलावा भूटान सरकार के अधिकारियों के लिए श्रम प्रशासन एवं रोजगार प्रबंधन तथा श्रीलंका के अधिकारियों के लिए वैश्वीकरण, बदलते रोजगार संबंध और श्रम प्रशासन पर 02 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कुल मिलाकर 38 देशों के 129 विदेशी नागरिकों ने इनमें भाग लिया।

iokÙkj {k= d fy, dk;Øe

18-13 संस्थान ने इस अवधि के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के सरकारी अधिकारियों, केंद्रीय ट्रेड यूनियन नेताओं एवं एनजीओ के लिए 07 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 168 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

çdk'ku

18-14 विभिन्न श्रम संबंधी सूचनाओं का सामान्य तौर पर और संस्थान की अनुसंधान संबंधी उपलब्धियों का खासतौर पर प्रचार-प्रसार करने के लिए वीवीजीएनएलआई का एक गतिशील प्रकाशन कार्यक्रम है। इस कार्य को पूरा करने की दृष्टि से संस्थान जर्नल, अनियमित प्रकाशन, पुस्तकें और रिपोर्टें निकालता है। कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकांए इस प्रकार हैं:

ycj ,.M Moyie\V

18-15 लेबर एण्ड डेवलपमेंट संस्थान की एक छमाही अकादमिक पत्रिका है। यह पत्रिका सैद्धांतिक विश्लेषण और अनुभवजन्य परीक्षणों के माध्यम से श्रम के विभिन्न पहलुओं की समझ को बढ़ाने के प्रति समर्पित है। इसमें श्रम एवं संबद्ध मुद्दों के क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक के साथ–साथ कानूनी पहलुओं पर उच्च अकादमिक स्तर के लेख प्रकाशित किए जाते हैं। इसमें खासकर विकासशील देशों के संदर्भ में अनुसंधान टिप्पणियों एवं पुस्तक समीक्षा को भी प्रकाशित किया जाता है। यह जर्नल श्रम संबंधी अध्ययन में विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले प्रेक्टिशनरों और विद्वानों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

vokMl Mkbt LV% Je dkuuk dh if=dk

18-16 अवाड्र्स डाइजेस्ट एक द्विमासिक पत्रिका है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में अद्यतन निर्णीत कानूनी मामलों का सार दिया जाता है। इसमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और केद्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय दिए जाते हैं। इसमें लेख, श्रम कानूनों के संशोधन और अन्य संबंधित सूचना शामिल होती है। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं और वर्करों, श्रम कानूनों के सलाहकारों, शिक्षण संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के माध्यस्थों, प्रेक्टिस करने वाले वकीलों और श्रम कानूनों के छात्रों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

Je fo/kku

18-17 श्रम विधान एक द्विमासिक हिन्दी पत्रिका है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में अद्यतन निर्णीत कानूनी मामलों का सार दिया जाता है। इस पत्रिका में, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों तथा केद्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय रिपोर्ट किए जाते हैं। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं वर्करों, श्रम कानूनों के सलाहकारों, शिक्षण संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के मध्यस्थों, प्रैक्टिस करने वाले वकीलों और श्रम कानूनों के छात्रों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

bn/ku"k

18-18 संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला यह एक द्विमासिक न्यूजलेटर है जिसमें संस्थान की अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं शिक्षा, कार्यशाला, सेमिनार आदि विविध गतिविधियों की जानकारी दी जाती है। इस न्यूजलेटर में संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न घटनाओं की जानकारी भी दी जाती है। इसमें संस्थान के दौरों पर आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के प्रोफाईल के साथ ही फैकल्टी और अधिकारियों की शैक्षिक गतिविधियों पर भी प्रकाश डाला जाता है।

pkbYM gksi

18-19 चाइल्ड होप संस्थान का तिमाही न्यूजलेटर है। यह समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंच बनाकर, इस दिशा में अपने प्रयासों को गति प्रदान करते हुए बालश्रम को समाप्त करने के लिए एक मुख्य मार्ग तैयार करने के लिए निकाला जा रहा है।

Je laxe

18-20 श्रम संगम संस्थान के कर्मचारियों को हिंदी के प्रगामी प्रयोग की ओर उन्मुख करने तथा हिंदी के प्रसार में उनकी रचनात्मकता का उपयोग करने के लिए प्रकाशित की जाने वाली छमाही राजभाषा पत्रिका है। कर्मचारियों द्वारा स्वरचित कविताओं, निबंधों एवं कहानियों के अलावा इसमें कला एवं संस्कृति, ज्ञान–विज्ञान, समसामयिक घटनाओं, खेलों और महान व्यक्तियों/लेखकों की जीवनी को शामिल किया जाता है।

,u-,y-vkbZ- vuqla/kku v/;;u J`a[kyk

18-21 संस्थान अपने अनुसंधानिक निष्कर्षों को प्रसारित करने के एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला शीर्षक वाली एक श्रृंखला का प्रकाशन भी कर रहा है। अभी तक संस्थान ने इस श्रृंखला में 118 एन.एल.आई अनुसंधान अध्ययन निष्कर्षों को प्रकाशित किया है। अप्रैल–नवम्बर 2016 की अवधि के दौरान एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला के तौर पर निम्नलिखित अनुसंधान अध्ययनों को प्रकाशित किया गया:

- 117/2016 – भारत को कुशल बनाना: बहु–कौशल विकास केंद्रों का मूल्यांकन – ओतोजीत क्षेत्रमयूम
- 118/2016– भारत में श्रम प्रशासन के निष्पादन को बढ़ाना – किंगशुक सरकार

vU; Lkkef;d çdk'ku

18-22 संस्थान ने इस अवधि में एक प्रमुख प्रकाशन bafM;k gSaMcqd vkQ yscj (भारतीय श्रम पुस्तिका) निकाला। इस पुस्तिका में भारत में श्रम परिदृश्य के प्रमुख आयामों से संबंधित बुनियादी जानकारी को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। इसका उद्देश्य संगत सूचना को आसानी से समझे जाने वाले तरीके में मुहैया कराना है जिससे यह समाज के विस्तृत भाग तक सुलभ हो सके। संस्थान ने निम्नलिखित प्रकाशन भी निकाले:

- भारतीय श्रम पुस्तिका (हिंदी)
- भारतीय श्रम पुस्तिका (तेलुगू)
- भारतीय श्रम पुस्तिका (गुजराती)

18-23 इस अवधि के दौरान संस्थान द्वारा कुल मिलाकर 20 प्रकाशन (नियमित एवं सामयिक) निकाले गये।

,u- vkj- Ms Je lwpuk lalk/ku dsUæ ¼,uvkjMhvkjlh,yvkbZ½

18-24 एन. आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र (एनआरडीआरसीएलआई) देश में श्रम अध्ययन के क्षेत्र में एक अत्यन्त विख्यात पुस्तकालय-सह-प्रलेखन केंद्र है। केंद्र का नाम संस्थान के संस्थापक डीन स्वर्गीय (श्री) नीतिश आर.डे की स्मृति में 01 जुलाई 1999 को संस्थान के रजत जयंती समारोह के अवसर पर बदलकर एन. आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र रखा गया था। केंद्र पूरी तरह कंप्यूटरीकृत है और अपने प्रयोगकर्त्ताओं को निम्नलिखित सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करता है:

18-25 Hkkfrd lEink

iqLrdsa: नवम्बर 2015 से अक्टूबर 2016 के दौरान पुस्तकालय में 151 किताबें/रिपोर्ट्स/सजिल्द पत्र-

पत्रिकाएं खरीदी गयीं जिसके कारण पुस्तकालय में इन पुस्तकों/रिपोर्टों/ सजिल्द पत्र-पत्रिकाओं की संख्या 64,750 तक पहुंच गई।

i=-if=dk,¡: पुस्तकालय ने इस अवधि के दौरान 190 व्यावसायिक पत्र-पत्रिकाओं, मैंगजीनों और अखबारों का मुद्रित और इलैक्ट्रॉनिक दोनों रूपों में, नियमित रूप से अंशदान किया।

fMftVy vfHkys[kkxkj

18-26 डिजिटल आलेख में लगे अभिकरणों (राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय) के साथ नेटवर्किंग अभिलेखागार का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह अभिलेखागार देश के श्रमिक प्रलेखों का एक सबसे बड़ा डिजिटल संग्रहालय है, जहां सार्वजनिक सुलभता के लिए विश्वव्यापी वेब (www.indialabourarchives.org) में डाटा के 15 से अधिक गिगाबाइट्स मौजूद हैं। अभिलेखागार के लिए संकलन, श्रमिक इतिहास के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों, जिसमें देश के अंदर और देश के बाहर के विशेषज्ञों और अभिकरणों के साथ बातचीत और नेटवर्किंग शामिल है, के संबंध में अनुसंधान और संकलन परियोजनाओं के संचालन और अनुवीक्षण के जरिए सृजित किए जाते हैं।

18-27 fo'k"k jk"Vh;@vrjk"Vh; lfeukj@dk;'kkyk@nkj

- ''श्रम प्रशासन के निष्पादन का संवर्धन एवं त्रिपक्षीय सामाजिक संवाद का सुदृढ़ीकरण'' पर आईएलओ के साथ एक राष्ट्रीय त्रिपक्षीय सेमिनार 13 अक्टूबर 2015 को आयोजित किया गया जिसमें नियोक्ता संगठनों, ट्रेड यूनियनों तथा श्रम प्रशासकों ने भाग लिया।

- इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ 'मेटामोर्फजेज' (आईसीएएसः एमपी) और एसोसिएशन ऑफ इंडियन लेबर हिस्टोरियंस (एआईएलएच) के सहयोग से 'क्रोनोलोजीज ऑफ लेबरः अ ग्लोबल पर्सपेक्टिब' पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 22–23 जनवरी 2016 को किया गया। इस कार्यशाला में 40 ख्यातिप्राप्त इतिहासकारों ने भाग लिया, उन्होंने लंबी बीसवीं शताब्दी में एक राजनैतिक श्रेणी के तौर पर 'श्रम' की अस्थायी गतिशीलता पर चर्चा की। इस कार्यशाला में यह पाया गया कि ऐसी अंतर–क्षेत्रीय तुलनाएं अपने कालक्रम में अभिसरण एवं विस्तार का पता लगाते हुए 'श्रम' को महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अंग मानती हैं।

- प्रशिक्षण मॉड्यूल की विषय–सामग्री को अंतिम रूप देने के लिए वीवीजीएनएलआई–यूनिसेफ की सहयोगात्मक परियोजना के एक भाग के तौर पर 'भारत में बाल श्रम की रोकथाम एवं अनुक्रिया के लिए प्रभावी कार्यनीतियां एवं तकनीकें विकसित करना' पर एक कार्यशाला/बैठक का आयोजन 25 फरवरी 2016 को किया गया। इसका उद्देश्य राज्य स्तर पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण तथा बाल श्रम की रोकथाम, बाल श्रमिकों के बचाव एवं पुनर्वास में लगे बहु–क्षेत्रक सरकारी एवं गैर–सरकारी हितधारकों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए परियोजना वाले राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने से पहले विभिन्न सहयोगी विभागों/संस्थानों/संगठनों के प्रैक्टीशनरों/ प्रशिक्षकों से सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से वीवीजीएनएलआई द्वारा विकसति प्रशिक्षण मॉड्यूल को प्रदर्शित करना था।

- एसोसिएशन ऑफ इंडियन लेबर हिस्टोरियंस के सहयोग से 'श्रम इतिहास' पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 21–23 मार्च 2016 को किया गया। इस सम्मेलन का व्यापक विषय था –''वर्कर्स, लेबर एंड मीडिएशन''। यह विषय समसामयिक कार्य की दुनिया में हो रहे उल्लेखनीय परिवर्तनों

के संदर्भ में प्रासंगिक था। इसमें 121 अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय विद्वानों ने भाग लिया।

- इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर, ट्यूरिन के सहयोग से ''डिस्टेंस एजुकेशन एंड लर्निंग टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन प्रोग्राम'' का आयोजन 27–29 अप्रैल 2016 को किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षण में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के लिए वीवीजीएनएलआई के संकाय सदस्यों एवं अधिकारियों की क्षमता का विकास करना था।

- श्रम और रोजगार मंत्रालय, वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा संयुक्त रूप से 'फ्यूचर ऑफ वर्क एंड यंग पीपल्स एस्पिरेशंस' पर कार्यशाला का आयोजन 10 मई 2016 को किया गया।

- आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाल श्रम को समाप्त करना: अनुभवों को साझा करना पर तकनीकी परामर्श कार्यशाला का आयोजन 29 जून 2016 को किया गया। इस परामर्श में विभिन्न उपक्रमों द्वारा अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाल श्रम–मुक्त रखने के लिए अपनायी जा रही कार्यनीतियों तथा इनके पुनः प्रयोग में कार्यान्वयन के अनुभवों को साझा करने को सुलभ बनाया गया।

- श्रम कल्याण महानिदेशालय (डीजीएलडब्ल्यु) तथा आईएलओ के सहयोग से 'बंधुआ श्रमिक प्रणाली का पूर्ण उन्मूलनः आगे का रास्ता' पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 04–05 अगस्त 2016 को किया गया जिसमें बंधुआ श्रमिक प्रथा से निपटने वाले और बाल श्रमिकों का पुनर्वास करने वाले केंद्र एवं राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों, संस्थानों, विश्वविद्यालयों, सिविल सोसाइटियों एवं केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने किया। कार्यशाला का मुख्य जोर बंधुआ श्रमिक प्रणाली का पुनर्वास (उन्मूलन अधिनियम, 1976) में संशोधन करने के लिए प्रमुख सिफारिशों तथा बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय सैक्टर की स्कीम (2016) पर विस्तार से चर्चा करना था।

- संस्थान ने यूनिसेफ के सहयोग से 02 सितम्बर 2016 को एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य वीवीजीएनएलआई–यूनिसेफ की सहयोगात्मक परियोजना ''बाल श्रम डाटा विश्लेषण'' के एक भाग के तौर पर किए गए अनुसंधान अध्ययन भारत में बाल श्रम की स्थितिः रुझानों का मानचित्रण के निष्कर्षों का प्रसार करना था। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बाल श्रम पर जनगणना 2011 के विश्लेषण के निष्कर्षों को साझा करना, कुछ जिलों में कामकाजी बच्चों के संकेंद्रण के विशिष्ट कारणों को समझना, बाल श्रम की रोकथाम एवं उन्मूलन के लिए योजना बनाने हेतु राज्यों को जानकारी प्रदान करने के लिए 2001 की तुलना में 2011 में कामकाजी बच्चों के क्षेत्रों एवं व्यावसायिक बदलावों की पहचान करना, बाल श्रम की रोकथाम की योजना के बारे में यूनिसेफ के साथ–साथ राज्यों को सूचित करना था।

- इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर (आईटीसी), ट्यूरिन तथा वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के एक भाग के तौर पर किये जा रहे कार्यकलापों की प्रगति पर चर्चा करने के लिए आईटीसी, ट्यूरिन के एक प्रतिनिधिमंडल ने 20 सितम्बर 2016 को वीवीजीएनएलआई का दौरा किया।

- इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर (आईटीसी), ट्यूरिन तथा वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के एक भाग के

तौर पर रोजगार नीतियां: उद्यमिता शिक्षण एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से अफगानिस्तान में ग्रामीण युवा रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में भंगुरता से लचीलापन तक बढ़ना पर लेखकों की एक कार्यशाला का आयोजन 24–28 अक्टूबर 2016 को किया गया। इस कार्यशाला एवं संबंधित बैठकों में भाग लेने के लिए संस्थान के तीन संकाय सदस्यों ने आईटीसी, ट्यूरिन का दौरा किया।

इस कार्यशाला का उद्देश्य मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, सोशन अफेयर्स, मारटियर्स एंड डिसेबल्ड (एमओएलएसएमडी), गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान तथा अफगानिस्तान के ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के लिए आठ आमने–सामने के सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आवश्यक उद्देश्य, विषय–वस्तु तथा जानकारी का अभिकल्पन करना था। विचार–विमर्श के दौरान आठ प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित विषयों एवं स्थानों पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया – मॉड्यूल 1: अर्थव्यवस्था एवं श्रम (दुबई); मॉड्यूल 2: श्रम बाजार विश्लेषण एवं रोजगार नीति (काबुल); मॉड्यूल 3: युवा रोजगार: नीति से कार्रवाई (काुबल); मॉड्यूल 4: उद्यमशीलता (भारत); मॉड्यूल 5: प्रवासन एवं रोजगार (काबुल); मॉड्यूल 6: कौशल और रोजगारपकरता (भारत); मॉड्यूल 7: लिंग एवं श्रम: कमजोर राज्यों में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में (भारत); मॉड्यूल 8: अभिकल्पन से कार्यान्वयन: रोजगार नीतियों के लिए संस्थान (दुबई)। इन आठ आमने–सामने के सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समग्र उद्देश्य ''लैंगिक तौर पर संवेदनशील युवा रोजगार संवर्धन नीतियां एवं कार्यक्रम, जो अफगानिस्तान में वैश्विक तौर पर अच्छी प्रथाओं को दर्शाते हैं, को विकसित करने में स्थानीय हितधारकों की सहायता करना था।

- संस्थान ने श्रम बाजार, कौशल एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक प्रवासन पर एक तकनीकी विचार–विमर्श का आयोजन 19 नवम्बर 2016 को किया जिसमें सरकारी अधिकारियों, ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता संगठनों तथा शिक्षाविदों ने भाग लिया। यह विचार–विमर्श संस्थान द्वारा किये गये अनुसंधान अध्ययन 'भारत–जीसीसी श्रमिक प्रवासन' पर केंद्रित था। यह अध्ययन में भारत से खाड़ी देशों – जो भारतीय प्रवासी कामगारों के प्रमुख गंतव्य स्थल हैं, को श्रमिकों के प्रवासन के संदर्भ में श्रम बाजार विशेषताओं, कौशल विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम प्रवाह के संबंधों को उजागर करता है। प्रवासन सुशासन प्रणाली में बढ़ती हुई जटिलताओं तथा उत्प्रवास नीतियों के प्रतिबंधात्मक बनने अथवा अनेक श्रमिक प्राप्तकर्ता देशों में कौशल के चयनात्मक बनने के कारण इन संबंधों का विश्लेषण काफी महत्वूपर्ण हो जाता है। इसका तर्क यह है कि ऐसे मूल्यांकन श्रम बाजार एवं प्रवासन परिणामों, खासकर कम–कुशल एवं अर्ध–कुशल प्रवासियों के लिए, में सुधार करने के लिए सहायक होंगे।

- श्रम और रोजगार मंत्रालय, वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने संयुक्त रूप से प्रौद्योगिकी तथा कार्य का भविष्य पर एक कार्यशाला का आयोजन 29 नवम्बर 2016 को किया।

अध्याय – 19

सूचना प्रौद्योगिकी पहलें/ई-गवर्नेंस

19-1 सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स योजना सरकार के कार्य संचालन में पारदर्शिता लाने पर केन्द्रित है। ई–गवर्नेन्स पर सरकार की कार्यसूची का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु मंत्रालय में "सूचना प्रौद्योगिक विकास" की योजना स्कीम क्रियान्वित की जा रही है।

19-2 इस योजना का उद्देश्य मंत्रालय में विद्यमान सूचना प्रौद्योगिकी के ढांचे को सुदृढ़ बनाना तथा उसका उन्नयन करना है। सरकारी तंत्र के कार्य संचालन के उच्च मानकों और कागज रहित कार्य की दिशा में पहल करने का विचार है।

19-3 ई–गवर्नेंस के कार्यान्वयन के लिए सूचना प्रौद्योगिक बुनियादी ढ़ाँचे को मजबूत करने के लिए 12वीं योजना अवधि में 860.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया था। वित्त वर्ष 2016–17 में सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढ़ांचे के लिए 300 लाख रुपये की धनराशि नामोद्दिष्ट की गई है।

19-4 राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स योजना के महत्व को देखते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (आईटी सेल) निम्नांकित कार्य करता है:–

i. मंत्रालय की ई–कार्यालय में तब्दीली और मंत्रालय में इसका कार्यान्वयन।

ii. डिजिटल इंडिया के अंतर्गत सूचना एवं प्रौद्योगिकी मामलों के संबंध में लिए गए नीतिगत निर्णयों का प्रसार एवं कार्यान्वयन।

iii. डीटवाई द्वारा सरकारी वेबसाइट इत्यादि तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत सभी कार्यालयों को डीएआरपीजी।

iv. डीटवाई तथा डीएआरपीजी को आगे भेजने हेतु मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों से सूचना का एकत्रण एवं समाकलन।

v. ई–ऑफिस, ई–अधिप्राप्ति, अधिपोर्टल तथा मंत्रालय की वेबसाइट के संबंध में प्रशिक्षण/कार्यशालाएं/बैठकों आदि का आयोजन।

vi. विभिन्न सूचना एवं प्रद्यागिकी संबंधी सम्मेलनों /संगोष्ठियों / कार्यशालाओं आदि के लिए कर्मचारियों का नामांकन।

vii. भारत सरकार वेबसाइटों के लिए मार्ग निर्देशों के अनुसार श्रम तथा रोजगार मंत्रालय को नए विषय प्रबंधन ढ़ाचे आधारित वेबसाइट की तैयारी में सहायता।

viii. मंत्रालय के कार्यालयों की जिओ टैगिंग श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के कुल 2106 फील्ड यूनिटों को केन्द्रीय मंत्रालयों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकों के प्रयोग के एक हिस्से के रूप में इसरो के भुवन पोर्टल के साथ टैग किया गया है।

ix. मंत्रालय में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सभी तकनीकी मामलों के लिए संचालन सहयोग।

अध्याय – 20

सतर्कता एवं जनशिकायतों का निपटान

e[; lrdlrk vf/kdkjh dk nkf;Ro ,oa dk;l

i"BHkkfe

20-1 संगठन में शुचिता, सत्यनिष्ठा एवं कार्यकुशलता बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की है। मुख्य सतर्कता अधिकारी सचिव की सतर्कता कार्य करने में सहायता करते हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी, मुख्य कार्यकारी के विशेष सहायक/सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं तथा सतर्कता से जुडे सभी मामलों में सीधे उन्हें रिपोर्ट करते हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग की अध्यक्षता करते हैं तथा मंत्रालय एवं केंद्रीय सतर्कता आयोग के साथ–साथ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बीच संपर्क उपलब्ध कराते हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग से पूर्व परामर्श के पश्चात् की जाती है तथा ऐसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाती जिस पर आयोग को आपत्ति हो।

20-2 मुख्य सतर्कता अधिकारी के सतर्कता कार्य काफी महत्वपूर्ण होते हैं तथा इसमें उनके संगठन के कर्मचारियों द्वारा किए गए अथवा संभावित भ्रष्ट कार्यों के बारे में सूचना एकत्रित करना; उन्हें रिपोर्ट किए गए प्रमाणनीय आरोपों की जांच करना अथवा जांच करवाना; जहां भी आवश्यक हो, जांच रिपोर्टों पर अनुशासनिक परामर्श के लिए और अधिक विचार करना, अनुपयुक्त कार्यों/कदाचारों पर रोक लगाना आदि शामिल है। इसे व्यापक रूप में तीन भागों में बांटा जा सकता है। (i) निवारण सतर्कता, (ii) दंडात्मक सतर्कता एवं (iii) निगरानी एवं पहचान

o"kZ 2016 d nkjku fu"iknu dk çokgh ifj–';

nMkRed lrdlrk

f'kdk;r

20-3 पिछले वर्ष 2015 तक निपटाई गई 05 शिकायतों के आदि शेष सहित, इस वर्ष के दौरान 217 नई शिकायतें प्राप्त हुईं जिससे शिकायतों की कुल संख्या 222 हो गई है। इन 222 शिकायतों में से 208 का निपटान कर दिया गया है।

foHkkxh; dk;lkfg;k

20-4 वर्ष के दौरान एक नई विभागीय कार्यवाही की शुरूआत की गई तथा दो मामलों को निपटा दिया गया। संबंधित जांच प्राधिकारियों को आवश्यक निदेश जारी करके लंबित विभागीय कार्यवाहियां शीघ्रता से निपटाने के लिए गंभीर प्रयास किए गए ।

vfHk;ktu Loh–fr;k

20-5 वर्ष के दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो/भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो द्वारा मांगी गई सभी अभियोजन स्वीकृतियां जारी कर दी गईं। तीन माह से अधिक समय से कोई अभियोजन स्वीकृति मामला लंबित नहीं है।

fuokjd lrdlrk

20-6 मंत्रालय के कर्मचारियों द्वारा जमा की गई वार्षिक संपत्ति रिटर्नों की अच्छी तरह से जांच की गई जिससे कि किसी भ्रष्ट गतिविधि यदि कोई है, का पता

लगाया जा सके। चल/अचल संपत्ति खरीदने/बेचने के संबंध में दी गई सभी सूचनाओं की भी संबंधित कर्मचारी के ज्ञात आय स्रोतों के आलोक में जांच की गई। मंत्रालय में 31.10.2016 से 05.11.2016 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया तथा मंत्रालय के सभी अधिकारियों, स्टाफ सदस्यों ने सभी गतिविधियों में पूर्ण सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता बनाए रखने तथा जीवन के सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए 31.10.2016 को शपथ ली । संवेदनशील पदों/अनुभागों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के रोटेशनल स्थानांतरण सुनिश्चित करनेके लिए संबंधित प्रशासनिक विभागों को आवश्यक निदेश जारी किए गए।

tu f'kdk;rksa dk fuiVku ,oa lrdZrk i"BHkwfe

20-7 प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क.भ.नि.सं. के सतर्कता प्रभाग ने बाधा रहित सेवा प्रदान करने हेतु भष्ट्राचार का निरोध, नियंत्रण तथा अंकुश लगाने वाली निवारक सतर्कता उपायों की बहुआयामी युक्ति को अपनाया है।

20-8 अंशदाताओं की संख्या बढ़ने के साथ जैसे–जैसे संगठन का विस्तार हो रहा है, उसे सेवा वितरण की बढ़ती हुई जिम्मेदारियों का सामना भी करना पड़ता है। मुख्यालय में संयुक्त सचिव स्तरीय मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा सतर्कता प्रभाग का नेतृत्व किया जाता है तथा निवारक सतर्कता उपायों का प्रभावी क्रियान्वयन मॉनीटर करने हेतु मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नई दिल्ली में चार आंचलिक सतर्कता कार्यालय हैं।

d-Hk-fu-l- esa f'kdk;r fuokj.k ç.kkyh

20-9 संगठन, अपने उद्देश्यों के अनुरूप, निधि के सदस्यों की शिकायतों के निवारण और ग्राहक सेवा को प्रबल महत्व देता है। संगठन के सभी स्टेक होल्डर्स को गुणात्मक सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मुख्यालय, नई दिल्ली और क्षेत्रीय स्तर पर देशभर के 40 क्षेत्रीय कार्यालयों और 82 उप क्षेत्रीय कार्यालयों में विद्यमान ग्राहक सेवा प्रभाग पूर्ण सुविधा युक्त जनसंपर्क अधिकारी तथा सहायक स्टाफ से सुसज्जित है।

20-10 जन शिकायतों के निपटारे के लिए ग्राहक सेवा प्रभाग की दो स्तरीय संगठनात्मक संरचना है। मुख्यालय स्तर पर, अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस प्रभाग के मुखिया हैं और क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, सहायक भविष्य निधि आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी इनकी सहायता करते हैं।

20-11 क्षेत्र के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त और उप क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी अपने संबंधित कार्यालयों में ग्राहक सेवा प्रभाग के मुखिया होते हैं और वे सभी कार्य दिवसों पर सदस्यों की शिकायतों के निपटान के लिए उपलब्ध होते हैं। प्रत्येक फील्ड कार्यालय में एक पूरा सुविधा केंद्र है जिसे जनसंपर्क अधिकारी देखता है।

20-12 क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त/प्रभारी अधिकारी जो क.भ.नि.सं. में सभी फील्ड कार्यालयों के नोडल अधिकारी हैं, उनके कार्यालयों में क.भ.नि.सं. के ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं में सुधार तथा शिकायतों के तुरंत निपटान के उद्देश्य से शिकायतों की प्राप्ति और निपटान को नजदीकी से मॉनीटर करते हैं। प्रत्येक कार्यालय में नोडल अधिकारी का दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि उस कार्यालय से संबंधित शिकायतों का तुरंत निपटान हो ताकि शिकायतों को संपूर्णता में कम किया जा सके। उसके कार्यालय में शिकायतों के निपटान में होने वाली अत्यधिक देरी के लिए भी वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है।

20-13 इसके अतिरिक्त, देश के 10 अंचलों के अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त शिकायत निपटान प्रणाली

को मॉनीटर करते हैं और उनके क्षेत्राधिकार के अधीन कार्यालयों से संबंधित शिकायतों का निपटान करते हैं।

20-14 शिकायतें अंशदाताओं और नियोक्ताओं द्वारा की जाती है और इसके अतिरिक्त ये क.भ.नि.सं. को माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय, श्रम मंत्री, कैबिनेट सचिवालय, जन प्रतिनिधियों इत्यादि से भी प्राप्त होती है।

20-15 लोक शिकायतें निम्नलिखित माध्यमों से भी प्राप्त होती हैः–

- इंटरनेट आधारित प्रणाली पर ऑनलाइन
- डाक/ई–मेल के द्वारा
- व्यक्तिगत रूप में / फोन द्वारा

20-16 çkIr f'kdk;r e[; :i ls fuEufyf[kr {k=k ls lacf/kr gkrh g%&

- भ.नि./पेंशन/बीमा दावों का निपटान
- भ.नि. संचय का अंतरण
- वार्षिक लेखे जारी करना
- भ.नि. के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा नामांकन न करना
- लौट आए चेकों को पुनः जारी करना
- सदस्यों को विशिष्ट खाता संख्या (यू.ए.एन.) जारी करना
- सदस्यों के निष्क्रिय खाते
- एन.ई.एफ.टी. और अन्य इलैक्ट्रॉनिक लेन–देन
- सदस्यों के बैंक खातों से संबंधित बैकिंग मामले
- क.पें.यो. के अंतर्गत पेंशन की गणना

20-17 ग्राहक सेवा प्रभाग में प्राप्त शिकायतें कंप्यूटरीकृत प्रणाली (ई.पी.एफ.आई.जी.एम.एस.) में पंजीकृत की जाती हैं और सदस्य को ई–मेल द्वारा पावती भेजी जाती है। इसके पश्चात् शिकायतें निपटान हेतु फील्ड कार्यालयों जिससे संबंधित है, भेजी जाती हैं। शिकायतों की मॉनीटरिंग समर्थित प्रणाली से नियमित अंतराल पर की जाती है।

20-18 क.भ.नि.सं. में सेवा स्तर को सुधारने के लिए प्रतिबद्धता को दोहराते हुए समय–समय पर व्यापक नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और उनकी मुख्यालय और आंचलिक कार्यालयों द्वारा गहनता से मॉनीटरिंग की जा रही है। शिकायत निपटान की गुणवत्ता प्रदर्शन कार्य निष्पादन के मूल्यांकन की दिशा में काफी मायने रखती है।

20-19 पिछले तीन वर्षो के दौरान प्राप्त एवं निपटाई गई शिकायतों का विवरण निम्नलिखित हैः

	2015&16	2014&15	2013&14
वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतें	2159	4587	27853
वर्ष के दौरान प्राप्त	220745	179893	171224
कुल	222904	184480	199077
वर्ष के दौरान निपटान	221624	182321	194490
वर्ष के अंत में बकाया	1280	2159	4587
निपटान का प्रतिशत	99.43	98.83	97.69

20-20 ई.पी.एफ.आई.जी.एम.एस. के अंतर्गत पंजीकृत शिकायतों के अतिरिक्त भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय, पी.जी. एवं पेंशन के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सी.पी.जी.आर.ए.एम.एस. कार्यक्रम में पंजीकृत 7094 शिकायतें क.भ.नि.सं. में प्राप्त हुईं जिनमें से 6941 शिकायतें वर्ष के दौरान निपटाईं गई और 31.03.2016 को कुल अंत शेष 153 था ।

;fuoly [kkrk l[;k d fy, gYiMLd vkmV lkflx

20-21 16.10.2014 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ किए गए यू.ए.एन. कार्यक्रम की शुरूआत यूनीक अकाउंट नंबर (यू.ए.एन.) के आबंटन से हुई ।

20-22 क.भ.नि. सदस्यों को यू.ए.एन. आबंटित करने की पूरी प्रक्रिया में यह प्रत्याशित था कि इस प्रक्रिया में नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों के आपसी सहयोग की आवश्यकता होगी जिन्हें के.वाई.सी. अपलोड करने की प्रक्रिया, पूर्व एवं वर्तमान सदस्यता को जोड़ने की प्रक्रिया, के.वाई.सी. के प्रकार पर स्पष्टीकरण, ट्रांसफर के लिए फाईल आदि पक्षों के संबंध में सहायता अपेक्षित होगी।

20-23 तदनुसार, प्रोग्राम आरंभ होने के आरंभिक स्तर पर ही एक हेल्पडेस्क बना दी गई थी जो हर अवधि के दौरान उठे प्रश्नों के जवाब देने में काफी सफल रही एवं यू.ए.एन. प्रोग्राम की सफलता में सहायक सिद्ध हुई है । हैल्पडेस्क से टोल फ्री नंबर 1800118005 के अतिरिक्त ई–मेल uanepf@epfindia.gov.in द्वारा भी संपर्क किया जा सकता है ।

fuf/k vkid fudV

20.24 नियोक्ताओं सहित उनके विभिन्न स्टेकहोल्डर्स तक आसानी से पहुंच हेतु संगठन की ओर से प्रयास में–मौजूदा भविष्य निधि अदालतों का नामकरण fuf/k vkid fudV किया गया है और यह मासिक कार्यक्रम (जिसका आरंभ 10.07.2015 को हुआ) एक प्रमुख (आउटरीच) कार्यक्रम है जो सभी स्टेकहोल्डर्स को एक आम प्लेटफार्म पर लाता है और शिकायत के निवारण के अलावा विचारों के आदान–प्रदान और जानकारी के प्रचार की सुविधा प्रदान करता है।

20-25 जैसाकि भविष्य निधि अदालत के मामले में था, fuf/k vkid fudV का आयोजन प्रत्येक माह की 10 तारीख को होता है। यह कार्यक्रम संगठन के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित होता है और इसकी अध्यक्षता प्रभारी अधिकारी या उन की अनुपस्थिति में अगले वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा की जाती है। कार्यक्रम को प्रभावी और लाभकारी बनाने के लिए इसके आयोजन के संबंध में पहले ही, अधिमानतः पिछले माह की 20 तारीख तक प्रेस विज्ञप्ति और नियोक्ता एसोसिएशन और ट्रेड यूनियन के साथ संप्रेषण द्वारा पर्याप्त प्रचार किया जाता है। जहां तक संभव होता है, नियोक्ताओं को ई–मेल/एस.एम.एस. द्वारा भी सूचित किया जा रहा है।

f'kdk;rk dk v,uykbu ithdj.k ,o fuiVku

20-26 शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण एवं निपटान की सुविधा निम्नलिखित इंटरनेट आधारित शिकायत निपटान प्रणाली पर उपलब्ध है :–

भारत सरकार के जन शिकायत पोर्टल में केन्द्रीकृत जन शिकायत निपटान एवं मॉनीटरिंग प्रणाली (सी.पी.जी.आर.ए.एम.एस) का प्रयोग करना

20-27 सी.पी.जी.आर.ए.एम.एस कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग द्वारा विकसित एवं कार्यान्वित कार्यक्रम है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में भी सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा चुका है। सभी कार्यालय नियमित रूप से सी.पी.जी.आर.ए.एम.एस का प्रयोग कर मामलों की मॉनीटरिंग एवं निपटान कर रहे हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर उपलब्ध पोर्टल में क.भ.नि. इन्टरनेट शिकायत प्रबंधन प्रणाली (ई.पी.एफ.आई.जी.एम.एस.) का प्रयोग करना

20-28 वर्ष 2010 में आरंभ की गई ई.पी.एफ.आई.जी. एम.एस. ग्राहक सेवा प्रभाग द्वारा विकसित की गई इंटरनेट आधारित शिकायत निवारण प्रणाली है, जिसे संगठन की आवश्यकता के अनुरूप एन.आई.सी. के सहयोग से विकसित किया गया है । ई.पी.एफ.आई.जी. एम.एस. का विकास एक सिंगल विंडो प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है, जो कि शिकायतों के अंतिम निपटान तक उनका रिकार्ड, पावती तथा ट्रेक /मॉनीटर करने में सक्षम है ।

20-29 वर्तमान में, इस प्रणाली से न केवल अंशदाताओं को स्थान अथवा समय के प्रतिबंधों के बिना अपनी शिकायतों/प्रश्नों का पंजीकरण कराने में सुविधा मिली है बल्कि फील्ड कार्यालयों की शिकायतों का प्रबंधन करने में भी यह काफी लाभकारी सिद्ध हुई है। अंशदाता अब अपनी सुविधानुसार कहीं से भी प्रणाली से जुड सकते हैं।

20-30 ई.पी.एफ.आई.जी.एम.एस में कई विकसित विशेषताओं को लोड किया गया है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है– डाटाबेस द्वारा निर्देशित पंजीकृत शिकायतों का संचलन जिसमें पंजीकृत शिकायतों को ट्रैक करके उससे संबंधित कार्यालयों का पता लगा लिया जाता है। शिकायत के पंजीकृत हो जाने के पश्चात् प्रणाली द्वारा विशिष्ट पहचान संख्या सृजित की जाती है तथा तत्पश्चात स्वतः ही अंशदाता के ई–मेल (यदि उपलब्ध कराया गया हो) में पावती पत्र भेज दिया जाता है ।

o"kZ 2015&2016 ds nkSjku dk;Z fu"iknu

20-31 वर्ष 2015–16 के दौरान क.भ.नि.सं. में सतर्कता की गतिविधियों में निवारक सतर्कता का प्रधान क्षेत्र रहा है। अंशदाताओं को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने से संबंधित, संगठन की योजनाओं के बारे में लोगों में जागरूकता सृजित करने के लिए सी.वी.सी. के अनुदेशों के अनुसार विशेष सतर्कता अभियानों को आरंभ किया गया।

20-32 fuokjd lrdZrk

- ;w-,-,u- ¼;fuolZy [kkrk la[;k½ dks nksgjko ij jksd

  किसी भी अंशदाता को बहु यूनिवर्सल खाता संख्या जारी करने की संभावना को खत्म करने के क्रम में साफ्टवेयर में आवश्यक सुधार करने के लिए सूचना सेवा प्रभाग को निदेश दिया गया है।

- nkok fuiVku gsrq ekud çpkyu çfØ;k%

  दावा निपटान प्रक्रिया में विलंब की जांच करते समय यह पाया गया कि वर्तमान में कोई मानक प्रचालन प्रक्रिया मौजूद नहीं है। दावा निपटान प्रक्रिया में हेर–फेर की गुंजाइश को समाप्त करने के लिए मुख्यालय के वित्त प्रभाग को निदेश दिया गया है कि मांनक प्रचालन प्रक्रिया को तैयार करके अस्तित्व में लाया जाए।

- nkok fuiVku ds fy, ck;ks&ehfVªd y,x&bu vkjEHk djuk%

  दावा निपटान मामलों को संसाधित करते समय क.भ.नि.सं. को धोखा–धड़ी करने से रोकने के लिए सूचना सेवा प्रभाग से दावा निपटान प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर बायो–मीट्रिक लॉग–इन प्रणाली का आरंभ करने के लिए कहा गया है।

- fufonkvksa dks viyksM djus dh byDVªkWfud fjiksfVZax ç.kkyh dk vkjEHk%

  सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार सूचना सेवा प्रभाग को सुझाव दिया गया कि निविदाओं को अपलोड करने की इलैक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग प्रणाली को अस्तित्व में लाया जाए।

- tuf'kdk;r ç.kkyh eа lq/kkj %

  जन शिकायत निवारण प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ग्राहक सेवा प्रभाग को यह आरंभ करने की सिफारिश की गई थी कि (i) प्रत्येक अभियोग/शिकायत के लिए समय–वार निपटान रिपोर्टिंग प्रणाली, तथा (ii) भविष्य निधि देयों की जमा में अनियमितताओं के मामले, दावा निपटान में विलंब के मामले तथा सतर्कता से संबंद्ध शिकायतें आदि जैसी श्रेणियों में जनशिकायतों का वर्गीकरण।

20-33 nMkRed lrdZrk

- f'kdk;rsа&

  पिछले वर्ष (2015–16) के दौरान प्राप्त शिकायतों में नहीं निपटाई गई 76 शिकायतों सहित वर्ष 2014–15 के दौरान 235 नई शिकायतें प्राप्त हुईं जिससे कि कुल निपटाने योग्य शिकायतों की संख्या 311 हैं। इन 311 शिकायतों में से 51 शिकायतों के अंत शेष को छोड़कर वर्ष के दौरान 260 शिकायतें निपटाई गई हैं।

- vkjaHk dh xbZ vuq'kklukRed dk;ZokfggÈ&

  वर्ष के दौरान 69 नई अनुशासनिक कार्यवाहियां शुरू की गई। इनमें से 45 दीर्घ दंड से तथा 24 लघु दंड से संबंधित कार्यवाहियां थीं।

- vfre :i nh xbZ vuq'kklukRed dk;ZokfgÕ;kа

  वर्ष के दौरान 87 अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को अंतिम रूप दिया गया है। इनमें से 61 कार्यवाहियों में दीर्घ एवं लघु दंड लगाए गए हैं।

- eqdíek pykus gsrq çkIr dh xbZ Loh—fr%

  2015–16 के दौरान 11 मामलों में मांगी गई मुकद्दमे की स्वीकृति दी गई थी।

20-34 fuxjkuh ,oa [kkst

- dsaæh; tkap C;wjks@Hkz"Vkpkj fujks/kh C;wjks ds lkFk leUo; cSBdsa

  केंद्रीय जांच ब्यूरो/भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो के साथ समन्वय बैठकें आयोजित की गई तथा अनुमोदित सूचियां तैयार की गई हैं तथा ओ.डी..आई. (ODI) सूची को अद्यतन किया गया।

- सतर्कता जागरूकता सप्ताह– 2015 का मनाया जाना (26.10.2015 से 31.10.2015):

20-35 सतर्कता जागरूकता सप्ताह – 2015 के दौरान नियोक्ताओं द्वारा, कामगारों को न्यायोचित देयों का भुगतान नहीं करने, दावों के निपटान में विलंब, सदस्य खातों का अंतरण नहीं करने, ठेकेदारों द्वारा कर्मचारियों का गैर–नामांकन से संबंधित अभियोग/शिकायतों के निवारण हेतु तंत्र की जांच करने के लिए अधिकारियों की टीम द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, बांद्रा, कोलकाता, दिल्ली (दक्षिण), दिल्ली (उत्तर), गुड़गांव तथा जयपुर के छः औचक निरीक्षण किए गए थे।

20-36 इसके अतिरिक्त, त्वरित सेवा प्रदान करने की ओर क.भ.नि.सं. की प्रतिबद्धता के संबंध में सामान्य जनता के साथ–साथ क.भ.नि.सं. के विभिन्न स्टेक होल्डरों को संवेदनशील बनाने हेतु सतर्कता संबद्ध विभिन्न अन्य गतिविधियों को आयोजित किया गया था। इस संबंध में प्रत्येक क.भ.नि. कार्यालय तथा सार्वजनिक स्थानों जैसे पेट्रोल पंप, बैंक, रेलवे स्टेशन आदि पर बैनर एवं पोस्टर लगाए गए। स्थानीय क.भ.नि.सं. फील्ड कार्यालयों द्वारा कानपुर, सूरत, जयपुर, गोवा, फरीदाबाद, दिल्ली, चेन्नई, इन्दौर, कोयम्बतूर, रायपुर, कोलकाता तथा जमशेदपुर के 31 स्कूल एवं 30 कॉलेजों में "भ्रष्टाचार मुक्त समाज की ओर अग्रसर होने पर" भाषण प्रतियोगिताएं एवं पैनल चर्चाएं आयोजित

की गई हैं। लगभग प्रत्येक क.भ.नि. कार्यालय में अन्य गतिविधियां जैसे वाद–विवाद प्रतियोगिता, नारा लेखन, निबंध लेखन आदि भी आयोजित की गई थीं । सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान जन जागरूकता का सृजन करने के लिए प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किए गए थे।

de|pkjh jkT; chek fuxe e lrd|rk

20-37 क.रा.बी. निगम की सतर्कता शाखा भ्रष्टाचार उन्मूलन के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग के अनुदेशों एवं दिशा–निर्देशों को लागू करती है, केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा अन्य स्रोतों से सतर्कता पहलु से संबंधित प्राप्त शिकायतों की जांच करती है और क.रा.बी. निगम (कर्मचारिवृंद एवं सेवा की शर्तें) विनियमावली 1959 में यथा परिकल्पित कदाचार करने पर निगम के कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करती है। मुख्यालय में सतर्कता प्रभाग के मुखिया मुख्य सतर्कता अधिकारी होते हैं। चार आंचलिक सतर्कता अधिकारी तथा चार आंचलिक जांच कार्यालय (विभागीय जांच) दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता में अवस्थित हैं। एक उप चिकित्सा आयुक्त (चिकित्सा सतर्कता) मुख्यालय में तैनात है। शिकायतों की जांच आंचलिक सतर्कता अधिकारियों एवं उप चिकित्सा आयुक्त (चिकित्सा सतर्कता) द्वारा की जाती है तथा विभागीय जांच, आंचलिक जांच अधिकारियों (विभागीय जांच) के साथ–साथ अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जांच अधिकारी के तौर पर नियुक्त अन्य अधिकारियों द्वारा की जाती है। निवारक उपाय के तौर पर, विभिन्न राज्यों में तैनात आंचलिक सतर्कता एककों तथा चिकित्सा सतर्कता अधिकारियों द्वारा क.रा.बी. कार्यालयों अर्थात् उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों, उप क्षेत्रीय कार्यालयों, शाखा कार्यालयों, अस्पतालों एवं औषधालयों इत्यादि का आवधिक तथा औचक निरीक्षण किया जाता है।

20-38 दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 की अवधि के दौरान सतर्कता प्रभाग द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों के संबंध में ब्योरा निम्नानुसार है।

20-39 वित्तीय वर्ष 2015–16 में, आंचलिक सतर्कता निरीक्षण एककों ने 125 कारखानों का निरीक्षण किया तथा 95,09,50,409.00/– तक की लोप मजदूरी का पता लगाया। आगे, क.रा.बी. निगम की 214 शाखा कार्यालयों तथा क.रा.बी. योजना के अंतर्गत संचालित 28 औषधालयों/अस्पतालों का भी निरीक्षण किया गया। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 134 शिकायतों का निपटान किया गया।

20-40 प्राधिकारियों ने 65 आरोप पत्र जारी किए जिसमें 61 मामले प्रमुख दंड प्रक्रिया के अंतर्गत तथा 4 मामले लघु दंड प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल थे। वर्ष के दौरान, 83 प्रमुख दंड आरोपित किए गए जिनमें से 'ग' श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में 63 प्रमुख दंड के मामले थे तथा 'क' एवं 'ख' श्रेणी के अधिकारियों के संबंध में 20 प्रमुख दंड के मामले थे। 12 मामलों में लघु दंड आरोपित किए गए जिनमें से 11 दंड 'ग' श्रेणी के कर्मचारियों पर तथा 1 दंड 'क' श्रेणी के कर्मचारी पर लगाए गए। देश भर में निगम के सभी कार्यालयों में दिनांक 26.10.2015 से 31.10.2015 तक सतर्कता जागरुकता सप्ताह आयोजित किया गया।

de|pkjh jkT; chek fuxe ¼d-jk-ch-fu-½ e ykd f'kdk;rk dk fuokj.k

20-41 लोक शिकायत निदेशालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में, निगम में सार्वजनिक शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। निगम, बीमाकृत व्यक्तियों, उनके पारिवारिक सदस्यों, नियोक्ताओं, नियोक्ता संगठनों, कर्मचारियों, कर्मचारी संगठनों, अति महत्त्वपूर्ण

व्यक्तियों/सांसदों/विधायकों आदि से प्राप्त शिकायतों की निगरानी निगम के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत शिकायत निपटान अधिकारियों के माध्यम से करता है।

20-42 प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रिमंडल सचिवालय से प्राप्त शिकायतों के तीव्र निपटान हेतु निगम मुख्यालय में अनुवीक्षण वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जाता है तथा प्रत्येक सप्ताह/प्रत्येक माह इसकी साप्ताहिक/मासिक रिपोर्ट श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी जाती है। निगम की विभिन्न संस्थाओं अर्थात् क्षेत्रीय कार्यालयों/उप क्षेत्रीय कार्यालयों/क.रा.बी. अस्पतालों/औषधालयों तथा आदर्श अस्पताल सहित अस्पतालों के लिए अन्य लोक शिकायत मामलों के निपटान के संबंध में प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को समेकित तिमाही रिपोर्ट भेजी जाती है।

20-43 सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, उप क्षेत्रीय कार्यालयों, क.रा.बी. अस्पतालों/औषधालयों में प्राप्त लोक शिकायतों की मॉनीटरिंग नामोद्दिष्ट लोक शिकायत अधिकारी द्वारा की जाती है। इसके अलावा, संबंधित क्षेत्रों/उप क्षेत्रों/शाखा कार्यालय स्तर पर सुविधा समागम/ओपन हाउस बैठकें निगम के वरिष्ठ अधिकारियों तथा व्यापार संघ और नियोक्ता प्रतिनिधियों की उपस्थिति में नियमित अंतराल में आयोजित की जा रही हैं। ऐसी बैठकें आम तौर पर जहां भी संभव हो, शिकायत को आमने–सामने निपटाने के लिए क्षेत्रीय निदेशक/उप क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी निदेशक अथवा वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की जाती हैं।

20-44 वह राज्य, जहां क.रा.बी. योजना कार्यान्वित की गई है, में शिकायतों के समय पर निपटान के लिए हमारे क्षेत्रीय निदेशक तथा राज्य चिकित्सा आयुक्तों द्वारा चिकित्सा हितलाभ संबंधी शिकायतें राज्य सरकार प्राधिकरण के समक्ष रखी जाती हैं।

20-45 योजना के लाभार्थियों के साथ बेहतर बातचीत किए जाने के क्रम में सभी क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय/क.रा.बी. अस्पतालों तथा आदर्श अस्पतालों में सुविधा केंद्र खोले गए हैं। निगम अपने अधिकारियों तथा स्टाफ के लिए लोक शिकायतों पर कार्यशालाएं तथा सेमिनार आयोजित करता है। अनुदेश, परिपत्र तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचना वेबसाइट पर अपलोड की जाती है।

20-46 क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक/वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त/राज्य चिकित्सा आयुक्त/चिकित्सा अधीक्षक/निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली को निदेश दिया गया है कि मंत्रालय के निदेशालय, लोक शिकायत से प्राप्त शिकायतों को प्राथमिकता दी जाए। कैबिनेट सचिवालय के अनुदेशानुसार शिकायतें 30 दिनों के अंदर निपटाई जाएंगी। उन्हें कार्यदिवसों पर भारत सरकार की वेबसाइट http//pgportal.gov.in को देखने तथा उनके कार्यालय से संगत शिकायतों का केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण तथा मॉनीटरिंग प्रणाली (सीपीग्राम्स) द्वारा ऑनलाइन निपटान करने और pg.hqrs@esic.in पर ई–मेल के माध्यम से मुख्यालय को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है।

20-47 सीपीग्राम्स की तरह क.रा.बी. निगम के स्वतंत्र लोक शिकायत मॉड्यूल का शुभारंभ दिनांक 13.08.2015 को किया जा चुका है तथा दिनांक 15.08.2015 से इसे जनता के लिए अभिगम्य किया जा चुका है। यह विभिन्न पणधारियों को www.esic.in/webspace/web/grievance/home के माध्यम से संबंधित क.रा.बी. निगम कार्यालय/अस्पतालों को शिकायतें सीधे दर्ज करने में सहायता करता है।

20-48 योजना को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए तथा पणधारियों और लाभार्थियों को तुरंत तथा सही सूचना/दिशानिर्देश मुहैया कराने के लिए दिनांक 07.12.2006 से टोल फ्री हैल्पलाइन 1800–11–2526 (सभी कार्यदिवसों में प्रातः 9.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक) सक्रिय की गई है तथा दिनांक 01.07.2011 से यह हैल्पलाइन सप्ताह में सात दिन चौबीस घंटे कार्य कर रही है। दिनांक 01.04.2015 से दिनांक 31.03.2016 तक कुल 55403 कॉलें प्राप्त की गई हैं। ये कॉलें सूचना लेने से शिकायत दर्ज करने तक विभिन्न प्रकार की थीं। यह उल्लेख किया जाता है कि सभी कॉलों को तुरंत उठाने के साथ–साथ सभी उत्तरों को विनम्रता से भी दिया गया।

20-49 दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक क.रा.बी. निगम द्वारा निपटाई गई शिकायतों का ब्योरा निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	सीपीगाम्स के माध्यम से प्राप्त शिकायतें	संख्या
1.	दिनांक 31.03.2015 तक के अनुसार शेष अनिर्णीत शिकायतें	200
2.	दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक प्राप्त शिकायतें	1921
	कुल	2121
3.	दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 की अवधि के दौरान निपटाई गई शिकायतें	2101
4.	दिनांक 31.03.2016 तक के अनुसार अनिर्णीत शिकायतें	20

अध्याय – 21

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
भारत एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आइ एल ओ)

21-1 वर्ष 1919 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के स्थापना काल से संस्थापक सदस्य रहा है और सन 1922 से आइ एल ओ के प्रशासी निकाय का स्थायी सदस्य रहा है। वर्तमान में आइ एल ओ के 186 देश सदस्यगण हैं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का एक अनोखी विशेषता इसका त्रिपक्षीय चारित्र है। संगठन के प्रत्येक चरण में सरकारें अन्य दो सामाजिक सहभागियों यथा कर्मीगण तथा नियोजको से जुड़ा है आइ एल ओ के तीन अंग हैः– (1) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन– अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की महासभा जिसकी बैठक प्रति वर्ष जून माह में ओयोजित की जाती है (2) प्रशासी निकाय–अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कार्यकारिणी परिषद जिसकी बैठक तीन बार, वर्ष के मार्च, जून तथा नवम्बर महीने की जाती है तथा (3) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय – एक स्थायी सचिवालय।

21-2 अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मुख्यतः सदस्य राष्ट्रो के अंशदानों द्वारा वित्त पोषित है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का बजट कैलेन्डर वर्ष का अनुकरण करता है तथा सदस्य राष्ट्र के सरकारों द्वारा दिये जाने वाले वार्षिक अंशदान का निर्धारण संयुक्त राष्ट्र के एक मूल्यांकन पैमाना के तर्ज पर वर्ष–प्रति–वर्ष के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2017 हेतु भारतीय अंशदान एस एफ 2,786,397.00 रहा है जो अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कुल बजट एस एफ 378,351,039.00 है तथा भारतीय मुद्रा में कुल 19,19,27,025.00 रूपया (लगभग) है।

21-3 भारत तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का रिश्ता वर्षो से काफी गहरा तथा मजबूत रहा है। इस रिश्ते की वजह से आपसी हित भी साधित हुये है। वास्तव में भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के उद्देश्यों इसके वैचारिक पद्धतियों, चर्चाओं तथा कार्यशैली को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है वहीं अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी भारत के वैधानिक ढाँचे पर निष्पक्षता का प्रभाव डाला है। मानवीय गरिमा, सामाजिक न्याय, अवसर की समानता, भेदभाव का त्याग, संघ की स्वतंत्रता आदि कुछ ऐसे सामान्य मद है, जो भारत तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संविधान में समान है। न्यायसंगत तथा निष्पक्ष विश्व आदेश का सृजन, आर्थिक वृद्धि के तुल्य न्यायोचित वितरण एवं इन प्रयोजनों के लिए नियोजन के अवसरों का सृजन, सामायोग्य लाभों को बढ़ाने के लिए उत्पादकता में वृद्धि, श्रमिक भागीदारी, मानवीय प्रौद्योगिकी का विकास, एवं पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी आयाम, गरीबी उन्मूलन तथा मानवीय आर्थिक सुधार, भारत द्वारा अन्तर्राट्रीय श्रम संगठन को सौपे गये प्रमुख विषय है।

21-4 अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के उद्भव काल से ही इसके गतिविधियों में भारत की अग्रसक्रिय भूमिका रही है। त्रिपक्षीय आकार के भारतीय शिष्टमंडल नियमित रूप से अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भाग लेता रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ही अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की मुख्य नीति निर्धारक संगठन है। चूँकि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा अपनाये गये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम मानकों

का इसके प्रतिनिधिमंडल तथा सलाहकारों के व्यापक अनुभवों द्वारा संवर्द्धित किया गया है, अतएव लम्बे समय तक भारतीय शिष्टमंडल के सदस्यों द्वारा इस अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर हासिल किये गये अनुभव के कारण हमारे राष्ट्रीय कानूनों एवं अभ्यासों को अधिकाधिक अपेक्षित अन्तर्राष्ट्रीय संदर्श प्रदान करने में सहयोगी रहा है। अब तक हमने 45 सम्मेलनों तथा आइ एल ओ का एक प्रोटोकाल का अनुसमर्थन किया है।

21-5 सम्मेलन के अनुसमर्थन पर अद्यतन नवीनतम पहल

(i) त्रिपक्षीय समिति सम्मेलन का 38वीं बैठक दिनांक 10 जनवरी 2017 को नई दिल्ली में केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार सचिव श्रीमती एम. सत्यवती की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। सम्मेलन में केन्द्रीय मजदूर संगठनों, नियोजक संगठनों, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों के प्रतिनिधिगण तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधिकारीगण मौजूद थे।

(ii) भारत के श्रम नीति प्रक्रियाओं में त्रिपक्षवाद एक अभिन्न अंग रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का अनुसमर्थन में हुये अद्यतन प्रगति पर चर्चा करने तथा भावी रोड मैप बनाने की सिफारिशों का पहल करने की दिशा में समिति सम्मेलन को विशेष आदेश प्राप्त है। समिति ने सी– 187 (व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु प्रोन्नयनकारी ढाँचा के संबंध में) सी– 153 (सड़क परिवाहन में कार्य घंटे तथा विश्राम अवधि के संबंध में) तथा मानक पुनरीक्षण प्रणाली की दिशा में आइ एल ओ के कार्य में भारत के योगदान तथा सी– 185 एवं सामुद्रिक श्रम सम्मेलन 2006 के अनुसमर्थित करने में भारत सरकार के निर्णय के संबंध में हुई प्रगति पर संतोष प्रकट किया।

(iii) समिति ने बाल श्रम (निषेध एवं विनियंत्रएण) संशोधन विधेयक, 2016 के संबध में केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रयासों की प्रशंसा की, जिसे जुलाई, 2016 में संसद द्वारा पास कर दिया गया। इस संशोधन के साथ ही भारत आइ एल ओ सम्मेलन सी–138 तथा सी–182 को अनुसमर्थित करने के नजदीक पहुँच गया है।

(iv) सी ओ सी ने संगठन की स्वतंत्रता एवं अधिकारों की रक्षा के संबंध में सी–87 तथा संगठित करने के अधिकर एवं सामूहिक सौदेबाजी के संबंध में सी–98 से जुड़ी मामलो पर विचार करने के लिए में केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, नई दिल्ली कार्यालय के प्रतिनिधियों की समिति बनाने का निर्णय लिया ।

vUrjk"Vªh; Je lEesyu dk 105oka rFkk ç'kklh fudk;] vkb ,y vks dk 327oka l=

21-6 अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 105वाँ तथा आइ एल ओ का प्रशासी निकाय का 327वाँ सत्र का आयोजन 30 मई– 11 जून 2016 तक जेनेवा में किया गया उक्त सम्मेलन में उच्य स्तरीय भारतीय त्रिपक्षीय शिष्टमंडल का नेतृव श्री बंडारू दत्तात्रेय, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा किया गया। उक्त शिष्टमंडल में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों के अतिरिक्त श्रमिक (केन्द्रीय मजदूर यूनियन संगठन) तथा केन्द्रीय नियोजक संगठन पक्ष में प्रत्येक के 9 प्रतिनिधिगण सम्मिलत थे। सम्मेलन के बाद आइ एल ओ के प्रशासी निकाय के 327वाँ सत्र का बैठक की गई।

21-7 विभिन्न मंत्रियों, उप–यांत्रियों को आइ एल सी में भागीदारी हेतु अधिकृत किया गया। सम्मेलन में राज्याध्यक्षो तथा आइ एल ओ के सदस्य राज्यों के सरकारी प्रतिनिधियों, नियोजको तथा श्रमिकों ने भाग लिया।

Iyujh lfefr e gLr{ki

21-8 माननीय श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने दिनांक 7 जून 2016 को हुई आइ एल सी के सम्पूर्ण सत्र को संबोधित किय। उन्होने हिन्दी में संबोधन करते हुए रोजगार सृजन एवं सामाजिक प्रतिभूति द्वारा विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होने एन सी एस तथा संशोधित बंधुआ श्रम प्रर्नवास योजनाओं पर किये गये नयी पहल पर भी प्रकाश डाला। श्रम एवं रोजगार सचिव ने 7 जून 2016 को प्लेनरी सत्र को संबंधित करते हुए सरकारों को रोजगार सुरक्षा, पगार सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा पर बल दिया। उन्होंने गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन के विशेष संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र 2030 विकास एजेन्डा के औचित्य पर चर्चा किया। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सामाजिक न्याय एवं श्रमिक कल्याण के सिद्धान्तों के प्रति भारतीय प्रतिबद्धता की बात स्वीकार की।

lEesyu lfefr;k e gLr{ki

21-9 समिति ने सीमा के सामाजिक वार्ताओ के मुद्दो, अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक संबंधो में आइ एल ओ की भूमिका तथा व्यापार समझौताओं में श्रम मानकों की का समावेश के मुद्दो को उजागार करने के अलावे विश्व आपूर्ति श्रंखलाओं में उत्कृष्ट कार्य के मामला पर चर्चा करते हुए एक नयी आइ एल ओ उपकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। व्यापार समझौतों में श्रम मानकों को सम्माहित करने के मामले पर भारत ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की क्योकि यह विकासशील देशों के विरूद्ध गैर–शुल्क अवरोधक उत्पन्न कर सकता था। हमने भी वर्तमान आइ एल ओ मानक के विरूद्ध प्रतिक्रिया जताई। आपूर्ति श्रृंखलायें एवं जटिल/कठिन तिर्यक छेदी/मामला है जिसपर विचार प्रकट करने या फैसला लेने के पूर्व लंबी बहस की आवश्यकता है।

21-10 समिति में युद्ध से शांति की ओर परिवर्तन संबंधित 71वीं सिफारिश में संशोधन का मानक निर्धारण एजेन्डा पर चर्चा करते हुए प्राथमिक रूप से मुख्य पदों की परिभाषाओं जिसमें संकट, संघर्ष, आपदा तथा संशोधित उपकरण तथा अन्य संगत संयुक्त राष्ट्र ढाँचाओं के बीच संगति पर चर्चायें हुई। मूल 1944 उपकरण में संशोधन कार्य को अन्तर्राष्ट्रीय एवं गैर अन्तर्राष्ट्रीय सौन्य संघर्षो तथा आपदाओं जिसमें शांति, सुरक्षा के संदर्भ में प्राकृतिक एवं कृत्रिम आपदायें एवं लचीलापन शामिल है, संकटो के कारण आगे बढ़ाया गया। जहाँ व्यापक सर्वसम्मति से प्रस्तावित उपकरण को राष्ट्रीय क्षमताओं एवं उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए ढाँचागत बनाने की बात थी वहाँ ऐसे कई शाखायें थी, जिन्हें स्वभावतः विहित करना आवश्यक प्रतीत हो रहा था, और मूल विषय में राष्ट्रीय कानूनों तथा प्रणालियों को पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया गया था। भारतीय प्रत्युतर को एम.इ.ए के साथ मिलकर तैयार किया गया था। पी.एम.आइ जेनेवा में उल्लेख किया गया कि प्रत्येक देश को आपदा एवं संकट से निपटने के लिए अपना स्वंय का नियमों एवं विनियमों को समूह संस्थागत तथा प्रशासनिक ढाँचा बनना चाहिए। प्रस्तावित सिफारिशों के मार्गदर्शी तथ्यों एवं उपलबध सुविधाओं के माध्यम से देशों को उनकी अर्थ–व्यवस्थाओं तथा समाजों शांतिपूर्ण एवं लचीला बनाना है तथा अकाल्पनिक बाध्यताओं को नहीं लागू करना है। भारतीय हस्तक्षेप के कारण आइ एल ओ उपकरण तथा संगत संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन/समझौताओं की आवश्यकता पर बल दिया।

21-11 तृतीय सम्मेलन समिति ने ''अच्छे वैश्विकरण हेतु सामाजिक न्याय के लिए आइ एल ओ घोषणा का प्रभाव मूल्यांकन'' एजेन्डा पर चर्चा किया, जिसे वर्ष 2008 में अपना लिया गया। प्रस्ताविक मूल्याकन का स्वागत करते हुए भारत ने घोषणा में किसी नये तत्व के समावेश न करने की आवश्यकता पर बल दिया। पीयर पुनरीक्षण जैसी पुनरीक्षण पद्धतियों को अधिक समर्थन नहीं प्राप्त हुआ। भावी कार्य योजना के निर्धारित में राष्ट्रीय प्रसंगों की पहचान करने पर सर्वसम्मति जताई गयी। इस बात को भी स्वीकारा गया कि पुनरीक्षण अभ्यास से सदस्य राष्ट्रों में अतिरिक्त रिपोर्टिंग बाध्यतायें नहीं उत्पन्न हो।

vkb ,y vk ç'kklh r= dk 327ok l=

21-12 दिनांक 11 जून 2016 को जेनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रशासी निकाय के 327वाँ सत्र का आयोजन किया गया। उस सत्र में भारतीय शिष्टमंडल ने भाग लिया।

vUrjk"Vh; Je lEeyu d 105ok l= d nkSjku vi/kku cBd

fcDl ef=;k dk lEeyu

21-13 भारत ब्रिक्स मंच 2016 के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों तथा आइ एल सी सीमान्त घोषणा प्रमुखों के लिए भोज बैठक का आयोजन किया। अंत में ब्रिक्स सम्मेलन में सामान्य रूचि के मामले की इस समूह से चर्चा किया जिसे इसे मंच से नियोजन सृजन एस एम ई, औपचारिक परिवर्तन तथा अभ्यासों की साझेदारी के माध्यम से उत्प्रेरित किया जा सकता है। भारत ने भी नियोजन के पथ पर घटनाओं का प्रस्तावित कैलेन्डर की साझेदारी की ब्रिक्स देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाने के संभावित रीतियों जैसे इन्टरनेट समूह, वीडियों क्रान्फ्रेंसिंग आदि पर चर्चायें की गयी। सदस्यों ने भी 105वीं आइ एल सी का एजेन्डा विशेषकर वैश्विक आपूर्ति श्रंखला की समिति के विकास के मुद्दों की चर्चायें की। प्रस्ताव दिया गया कि मामला को बाद में इस वर्ष में प्रकाशित किये जाने वाले अनुसचिवीय विज्ञप्ति में शामिल किया जाए। सम्मेलन ने संयुक्त विवरणी को भी अपनाया गया।

,, lih,th ef=;k dh cBd

21-14 भारत ने आइ एल ओ का एशिया–पैसिफिक समूह का समन्वयक की हैसियत से 8 जून 2016 को एएसपीएजी–देशों अनुसचिवीय बैठक का आयोजन किया। बैठक में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्रियों तथा एएसपीएजी देशों के शिष्टमंडल प्रमुखों ने भाग लिया। चर्चा का विषयवस्तु ''सर्वांगीण विकास हेतु रोजगार का सृजन'' था। आइ एल ओ के महानिदेशक श्री गाय राइडर तथा एशिया पैसिफिक के आइ एल ओ क्षेत्रीय निरीक्षक ने भी बैठक में भाग लिया। बैठक का अध्यक्ष तथा मेजबान के रूप में माननीय श्रम एवं राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभारी) एल एवं सी हेतु रोजगार सृजन तथा सर्वांगीणता हेतु भारतीय पहल की झलकियाँ प्रस्तुत की। बैठक में श्रम एवं राजगार सचिव एवं राजदूत तथा जेनेवा में भारत की पी आर ने भी बैठक को संबोधित किया।

f}i{kh;@}fikf'kod cBd

21-15 मंत्री के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल ने इरान, जपान तथा श्रीलंका के साथ तीन द्विपक्षीय बैठकों में शामिल हुआ। निम्नांकित मामलों पर विचार किया गया।

bjku%

- एक–दूसरे की अर्थवस्था में निवेश को प्रोत्साहित करना।

- कौशल विकास।
- लोक नियोजन सेवाओं में साझेदरी।

tiku%

- जपान द्वारा तकनीकी सहायता।
- आइ टी एवं आइ टी ई एस क्षेत्रों में श्रम प्रवास भागीदारी।
- एन सी एस का सुदृढीकरण।

Jhyadk%

- वी वी जी एन एल आइ के साथ एम ओ यु।
- एस एस ए तथा ए ए को अंतिम रूप देना।

th&20 ea=h;ksa dk jkf= Hkkst

21-16 अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक ने दिनांक 8 जून 2016 को जी20 श्रम मंत्रिगण को दिया गया परंपरागत दावत की मेजवनी की। माननीय श्रम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के उक्त दावत में भाग लिया। इसमें मंत्री ने चीनी प्रेसीडेन्सी को उनके उद्यमवृति तथा नवपरिवर्तन का समर्थन किया। उन्होंने उद्यमवृति तथा एस एम ई को प्रोत्साहित करने हेतु भारत के पहल पर संक्षिप्त चर्चा की।

xqVfujis{k ea=h eaMyh; cBd

21-17 दिनांक 7 जून 2016 को गुटनिरपेक्ष मंत्रीमंडलीय बैठक की अध्यक्षता इरान, जो गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का वर्तमान अध्यक्ष है, द्वारा कि गई। माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री तथा सचिव ने बैठक में भाग लिया।

lfpo cBd ¼Je ,oa jkstxkj ea=ky;½ dh cBd

21-18 उपरोक्त बैठक के अतिरिक्त भारत तथा आइ एल ओ के बीच सहयोग का सुदृढ़ीकरण करने तथा भावी कार्य हेतु वैश्विक विकास संबंधित मामलो के महत्व पर चर्चा करने के लिए श्रम एवं रोजगार सचिव ने महानिदेशक आइ एल ओ तथा उप–महानिदेशक (नीति) आइ एल ओ के साथ एक बैठक की।

fofo/k%

21-19 श्रम एवं रोजगार मंत्री ने भारतीय कर्मीगण तथा नियोजकगण की मेजबानी की तथा उनके समस्याओ एवं मुद्दों से जुड़ी एजेन्डा जिसकी चर्चा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में की जा रही थी, को समझा।

vkb ,y vks ds ç'kklh fudk; dk 328oka l=

21-20 दिनांक 27.10.2016 से 10.11.2016 तक जेनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रशासी निकाय का 328वां सत्र का आयोजन किया गया। उक्त सत्र में भारत के शिष्टमंडल में श्रीमती एम सत्यवती, सचिव, श्रम एवं रोजगार, श्री मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव तथा श्रीमती अनुजा बापट, निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अतिरिक्त जेनेवा में स्थायी मिशन के अधिकारीगण सम्मिलित हुए।

vkb ,y vks dk 16oka ,f'k;k iSflfQd {ks=h; lEesyu

21-21 अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का 16वां एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक का आयोजन दिनांक 6–9 दिसम्बर 2016 तक बाली इंडोनेशिया में किया गया, जिसमें भारत

के त्रिपक्षीय शिष्टमंडल के रूप में श्री मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव, के साथ श्री रजित पुनहानी, संयुक्त सचिव तथा श्रमिक संगठनों एवं नियोजक संगठनों की ओर से दो–दो प्रतिनिधि मौजूद थे।

fnuk¡d 11&13 tqykbZ 2016 dk chftax] phu esa th&20 Je ,oa jkstxkj ea=;ksa dh cSBd

21-22 दिनांक 11–13 जुलाई 2016 का बीजिंग, चीन में चलने वाले बैठक में भारत की और से गये शिष्टमंडल का नेतृत्व श्री बंडारू दत्तात्रेय, श्रम एवं रोजगार, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा किया गया।

Hkkjrh; v/;{krk dk rgr fcDl bfM;k 2016

21-23 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 26–27 जुलाई 2016 को हैदराबाद में ब्रिक्स प्रथम रोजगार कार्यकारी समूह (EWG) का आयोजन किया जिसमें ब्रिक्स मंत्रियों/अनुसचिवीय बैठक का एजेन्डा तथा अनुसचिवीय घोषणा का प्रारूप बिन्दुओ पर चर्चा की गयी। ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बठैक का आयोजन दिनांक 27–28 सितम्बर 2016 को नई दिल्ली में किया गया। दो दिवसीय बैठक की समाप्ति के दौरान अनुसचिवीय घोषणा कि गई। इस बैठक में ब्रिक्स राष्ट्रों के प्रतिनिधिगण मौजूद थे। घोषणा में रोजगार सृजन, कार्यबल कौशल, सामाजिक प्रतिभूति, औपचारिक परिवर्तन, ब्रिक्स नेटवार्किंग प्रमुख श्रम एवं अनुसंधान संस्थाओं तथा रोजगार सृजन हेतु नवपरिवर्तन एवं उद्यमवृति को प्रोत्साहित करने हेतु नीतियों एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन में अच्छे अभ्यासों की साझेदारी जैसे मुद्दों पर चर्चायें हुई।

इस बैठक के पूर्व दिनांक 26 सितम्बर 2016 को द्वितीय रोजगार कार्यकारी समूह की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में ब्रिक्स राष्ट्रों के वरीय स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया तथा इसमें मंत्रिमंडलीय बठैक का एजेन्डा तथा मंत्रिमंडलीय घोषणा के प्रारूप को अंतिम रूप दिया गया।

fcDl vuqlfpoh; cSBd

21-24 अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 105वें सत्र के अनुरेख दिनांक 09.06.2016 को ब्रिक्स मंत्रियों की समान्तर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मानीय श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा किया गया।

vkb ,y vks] ç'kklh fudk; dk 326oka l=

21-25 दिनांक 10 से 24 मार्च 2016 तक जेनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रशासी निकाय का 326वां सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में भारत के शिष्टमंडल ने श्रम एवं रोजगार, सचिव श्री शंकर अग्रवाल ने जेनेवा में भारत के स्थायी मिशन के सदस्यों के साथ भाग लिया। शिष्टमंडल में श्री मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव तथा श्रीमती अनुजा बापट, निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अन्य सदस्य थे।

ç'kklh fudk; ds 326oka l= dk ,tsUMk

lLFkkxr 'kk[kk ¼vkb ,u ,l½

vUrjk"Vªh; Je lEesyu dk ,tsUMk

21-26 इस एजेन्डा मद में हस्तक्षेप के दौरान भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के एजेन्डा हेतु विषय

चुनने की प्रक्रिया को अधिक लचीला बनाने की मांग की सदस्य राष्ट्र अपने क्षेत्र के समकालीन विषयों का क्षेत्रवार व्यापक विकल्प देने की स्वैच्छिक सूची देने हेतु प्रोत्साहित किये जाए।

ySfxd lekurk 2010&15 vkSj vkbZ,yvks dk;Z ;kstuk 2016&17 uhfr dh :ijs[kk ds fy, vkbZ,yvks dk;Z ;kstuk dk Lora= eY;kadu dk ifj.kke

21-27 भारत सरकार ने भारत की पहल की संगठनात्मक स्तर पर उपलब्धियों की सराहना की साथ ही साथ भारत सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि त्रिपक्षीय भागीदारों के लैंगिक समानता के मुद्दे पर राय ली जानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में महिलाओं के प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए हमने बल दिया है, जबकि राष्ट्रीय सरकारें त्रिपक्षीय प्रतिनिधिमंडलों में लिंग संतुलन को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी सामाजिक भागीदारियों द्वारा प्रतिनिधियों/सलाहकारों के चयन में बहुत सीमित भूमिका है। इसलिए, हमें लगता है कि आईएलओ विशेष निर्देश और त्रिपक्षीय प्रतिनिधिमंडलों के गठन के लिए अनिवार्य दिशा निर्देशों के साथ आना चाहिए। यह लंबे समय तक क्षमता निर्माण में और राष्ट्रीय स्तर पर तीन सहयोगियों द्वारा लैंगिक संतुलन को मिलेगा। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय और उप–क्षेत्रीय स्तर पर, आईएलओ को विशेष रूप से वरिष्ठ कर्मचारियों और तकनीकी नीति विशेषज्ञ महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ने की उम्मीद है।

e;kZfnr dke vkSj lekos'kh lrr fodkl% o`f'od uhfr ds fy, pqukSfr;k

21-28 भारत ने ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के हस्तक्षेप किए गए लक्ष्य को याद किया। एजेंडा 2030 के लक्ष्य 8 और निरंतर, समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और सभी के लिए अच्छे काम को बढ़ावा देने की दिशा में ब्रिक्स एवं श्रम और रोजगार मंत्रियों की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। ब्रिक्स द्वारा आम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास और समन्वय के लिए एक बहुत उचित नीति एवं रणनीति विकसित की जा रही है। विकास कार्यसूची के ढांचे के भीतर श्रम और रोजगार के मुद्दों को विकसित करने में आईएलओ की सफलता को स्वीकार किया गया। आईएलओ को इन मुलाकातों में नेतृत्व की भूमिका लेने के लिए मर्यादित काम सुनिश्चित करने हेतु स्थायी समावेशी विकास और तेजी से वसूली की प्रक्रिया के लिए नीतियों को सुनिश्चित करना है।

ns'kksa ds ekeys%

21-29 पी. एम. आई, एम ई ए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद फिजी, कतर, वेनेजुएला और म्यांमार के देशों के मामले में भारत ने हस्तक्षेप किया।

uhfr fodkl dh 'kk[kk

lekos'kh fodkl vkSj csgrj ;qokvksa dks jkstxkj dh lEHkkoukvksa ds fy, vkSj vf/kd ,oa csgrj jkstxkj ds volj

21-30 आईएलओ की रणनीति और बड़े पैमाने पर प्रस्तावित उपायों की विशेष रूप से इस तथ्य का प्रस्ताव रणनीति राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक आर्थिक संदर्भ को भारत अपने हस्तक्षेप द्वारा समझना चाहता है, के व्यापक दृष्टिकोण की सराहना की। यह विवेकपूर्ण हो सकता है अगर आईएलओ, राष्ट्रीय सरकारों, जिनमें से अधिकांश नए सिरे से काम कर रहे हैं या मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा आदि नीतियों द्वारा। यह सुनिश्चित करना होगा

कि राष्ट्रीय आकृति और प्राथमिकताऐं अच्छी तरह से प्रोत्साहित हो रही हैं और प्रयास दोहराये नहीं जा रहे हैं। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि संसाधनों को वैकल्पिक रूप से उपयोग किया जाता है। भारत ने जोर दिया है कि निजी क्षेत्र जो प्राथमिक नौकरी प्रदाता के रूप में कार्य करता है के रूप में, यह आवश्यक है कि सामाजिक भागीदारों नीति तैयार करने में रचनात्मक भाग लें। हमने आईएलओ द्वारा सामाजिक भागीदारों के क्षमता निर्माण के लिए काम करने, जिससे कि सामाजिक वार्ता प्रक्रिया को व्यापक विकास परिदृश्य और मुख्य श्रम एवं रोजगार मुद्दों की समझ उचित संदर्भ में देखी जाती है, को प्रोत्साहित किया। भारत ने दुनिया भर में सक्षम युवाओं द्वारा सबसे अच्छे अवसर का लिए उपयोग करने के लिए श्रम गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए आईएलओ प्रोत्साहित किया।

fu"i{k vkj çHkkoh Je iyk;u uhfr;k dk c<kok nukA

21-31 भारत एक स्रोत और गंतव्य देश दोनों है। महिलाओं सहित प्रवासी श्रमिकों की एक बड़ी संख्या में निर्माण क्षेत्र में लगे हुए हैं। एक और बड़ा हिस्सा घरेलू कामगारों का है। भारत ने अपने हस्तक्षेप तथा पहल द्वारा सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा, सहित, ईपीएफ खाते की पोर्टेबिलिटी के लिए यूनिवर्सल एकाउंट संख्या (यूएएन) और निर्माण के लिए ईएसआईसी द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और अन्य असंगठित मजदूरों मुख्य रुप से जो प्रवासी हैं, के लिए अपनी प्रतिबद्धता के प्रति भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को विस्तार से बताया। हम आईएलओ से दुनिया भर में प्रवासी कामगारों के लिए अच्छी तरह से परिभाषित उचित स्तर के निष्पक्ष और मर्यादित उपचार घटकों को विकसित करने की उम्मीद करते हैं। यह सदस्य देशों के लिए एक दिशा–निर्देश के रूप में सेवा कर सकते हैं। भारत ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम मानकों को बढ़ावा देने में आईएलओ की रणनीति का समर्थन किया। हमने भी दक्षिण एशियाई देशों में निष्पक्ष पलायन को बढ़ावा देने पर आईएलओ देश कार्यालय नई दिल्ली द्वारा किये गए कार्य की सराहना की और भविष्य में इस तरह के सूक्ष्म स्तर हस्तक्षेप का स्वागत किया। श्रम पलायन मुद्दों का नियंत्रण एक तरह से हो कि यह स्रोत और गंतव्य देशों दोनों के लिए एक जीत की स्थिति में परिणत हो।

o"k 2015 d l;ä jk"V ,Ml lfefr d v/;{k d :i e egkfun'kd d dk;dky d nkjku gkfly fd;k x;k ifj.kkeA

21-32 भारत ने महानिदेशक, आईएलओ के गतिशील नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र एड्स रणनीति 2016–21, जो आईएलओ के जनादेश के लिए एक मजबूत कड़ी है की सराहना की। हमने आईएलओ के इस एजेंडे में सामाजिक भागीदारों द्वारा एक और अधिक सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है। भारत में एचआईवी/एड्स नीति ढांचा आईएलओ के शून्य कार्यक्रम के साथ मजबूत संबंध है। इस तरह अन्य प्रासंगिक राष्ट्रीय कार्यक्रमों के रूप में टीबी आदि पर भी भारत ने बेहतर आधारभूत तारीख स्थिति पर बल दिया। के साथ की सराहना की है।

vuorh vrjk"Vh; Je lEeyu d 102o l= ¼2013½ e lkekftd lokn ij ppk dju d fy,%

dk;l ;ktuk dk fØ;kUo;u

21-33 सामाजिक संवाद आईएलओ के चार सामरिक उद्देश्य के महत्वपूर्ण स्तंभों और सर्वसम्मति बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन से एक और सभी के लिए

अच्छे काम को बढ़ावा देने के लिए है। वैश्विक आर्थिक मंदी के मौजूदा परिदृश्य में, दुनिया के कई हिस्सों में बेरोजगारी की दर और श्रमिक अशांति बढ़ती है, यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर सामाजिक संवाद को बढ़ावा देना सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपने हस्तक्षेप में भारत ने की देश/क्षेत्रीय कार्यालयों की भागीदारी की वृद्धि पर जोर दिया। राष्ट्रीय संदर्भ बेहतर समझने के लिए इससे आईएलओ सम्मेलनों का अनुसमर्थन के लिए बाधाओं पर काम करने के लिए मदद मिलेगी। भारत ने महसूस किया कि एसआरएम के चल रहे आभ्यास ने अनुसमर्थन प्रक्रिया को समझने का मौका दिया है और क्या इस प्रक्रिया में काम किया है या कि नहीं किया गया प्रतीत होता है। हमने आईएलओ से राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक साथी के साथ संलग्न होने का आग्रह किया क्योंकि क्षमता निर्माण के लिए बेहतर नीति प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सुसज्जित हैं। त्रिपक्षीय परामर्श की राय मांग तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि और अधिक रचनात्मक परामर्श पर तीन सहयोगियों को शामिल करना चाहिए। भारत में VVGNLI सहित क्षेत्रीय और उप–क्षेत्रीय स्तर पर सामाजिक बातचीत पर ध्यान केंद्रित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के ट्यूरिन मॉडल को दोहराने के लिए आईएलओ से पूछा गया।

lkoltfud futh Hkkxhnkjh% çxfr ij fjikV

21-34 अपने हस्तक्षेप में भारत ने सराहना की है कि पीपीपी के धन का 46% रोजगार को बढ़ावा देने, कौशल विकास, युवाओं को रोजगार, एसएमई और टिकाऊ उद्यमों के कारण है, पर यह चिंता का विषय है कि 2014–15 पीपीपी आईएलओ के अतिरिक्त बजटीय फंडिंग (EBF) के पांचवें योगदानकर्ता बन गए हैं। हालांकि वहाँ EBFs के माध्यम से पीपीपी उलझाने के लिए मजबूत आर्थिक औचित्य हो सकता है, हमें लग रहा है कि यह पारदर्शिता और मजबूत बजट नीति की दृष्टि से एक दूसरे के लिए द्वितीय अच्छे विकल्प के रूप में माना जाना चाहिए। इसके अलावा, हम यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वित्त निर्णय लेने मानदंड नहीं हो जाते हैं और आईएलओ की मूल संगठनात्मक मूल्यों की अनदेखी नहीं कर रहे हैं।

dkuuh eqík vkj vrjk"Vh; Je ekudk /kkjk ¼LILS½

ekudk igy% l?k dh Lor=rk ij lEeyuk vkj flQkfj'kk vkj lfefr d vkonu ij fo'k"kKk dh lfefr d v/;{kk dh l;ä fjikV

21-35 पर्यवेक्षी प्रणाली आईएलओ का अभिन्न अंग है। जरूरत इतनी है कि यह बदलते सामाजिक वास्तविकताओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए यह अपने दायित्वों का पालन करने में देशों को सहुलियत दे सकें। भारत को आईएलओ से कार्य की दुनिया में विभिन्न देशों में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक रचनात्मक भूमिका निभाने की उम्मीद है।

21-36 अपने हस्तक्षेप में भारत सभी पर्यवेक्षी तंत्र अर्थात् CEACR, CAS और CFA के बीच एक पारदर्शी और सतत वार्ता का समर्थन किया। हमने यह भी जोर देकर कहा कि कैस में कार्यवाही में एक विशेष मामले को प्रवेश और बंद करने दोनों के लिए प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से परिभाषित और विकसित किया जाना चाहिए। इससे दोशों को अपनी निष्पक्ष प्रतिक्रिया तैयार करने और रिपोर्टिंग बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। हम दृढ़ता से विश्वास है कि राष्ट्रीय स्तर पर विवाद समाधान के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और देश की राष्ट्रीय सेटअप सूचना पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। आईएलओ को पर्यवेक्षी प्रणाली के मुद्दों जो राष्ट्रीय

कानूनों के दायरे में उचित रूप से नहीं निपटा जा सकता है पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यह केवल राष्ट्रीय setups के बीच बेहतर संबंधों का निर्माण नहीं ही होगा बल्कि आईएलओ मानकों के अनुरूप पर्यवेक्षी प्रणाली पर काम का बोझ युक्तिसंगत सुनिश्चित करेगा।

ekudks dh leh{kk r= f=i{kh; dk;Z leg dh igyh cBd dh fjiksVZ

21-37 भारत ASPAG की ओर से इस हस्तक्षेप किया। ASPAG एसआरएम पहल के शासनादेश के महत्व को दोहराया। आईएलओ के मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, आईएलओ सम्मेलनों और सिफारिशों, सरल, समेकित और काम के समकालीन बनाया जाना चाहिए। ASPAG ने सिफारिश कि एक तरहएसआरएम कार्यकर्ता और दूसरी तरफ उद्यमों की स्थिरता सुनिश्चित होनी चाहिए। कार्य समूह को प्रासंगिकता निर्णय लेने या मौजूदा उपकरणों की अन्यथा अनुसमर्थन, संगतता और अन्य मानकों के स्तर जैसे मानकों को ध्यान में रखना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए संसाधन आईएलओ मानकों का एक सुसंगत नीति के ढांचे के भीतर फिट है और एक ही समय बदलते रोजगार परिदृश्य में नौकरियों की आउटसोर्सिंग आदि के कारण में बहुराष्ट्रीय उद्यमों के कारण बहु–परत नियोक्ता प्रणाली के मुद्दे का समाधान हो। ASPAG ने जोर दिया कि समयबद्ध कार्रवाई आवश्यकता है।

ç'kklhfudk; vkSj varjk"Vªh; Je lEesyu ¼MCY;w ih @ thchlh½ ds dkedkt ij dk;Z dj jgh ikVhZA

21-38 भारत ने अनावश्यक प्रक्रियात्मक देरी से बचने के लिये सम्मेलन बुलाने से पूर्व जानकारी के शुरुआती प्रचार–प्रसार, समितियों के लिए अग्रिम पंजीकरण की प्रक्रिया, तकनीकी समितियों और तैयारी की प्रक्रिया में तेजी से आंदोलन के लिए समिति अध्यक्षों की पूर्व नामांकन के व्यक्तिगत वेब पृष्ठों पर सामग्री के शुरुआती पोस्टिंग की तरह प्रस्तावों का समर्थन किया। भारत बेहतर समय प्रबंधन प्रयोजन के लिए बैठकों का समय सीमित करने के लिए भी सहमत हुआ।

mPp Lrj ¼,p ,y½

oS'ohdj.k ds lkekftd vk;ke ij dk;Z ikVhZ 'kj.kkfFkZ;ksa vkSj vU; tcju foLFkkfir yksxksa ds Je cktkj çHkkoksa dk lEcksf/kr fd;k tkukA

21-39 शरणार्थियों और जबरन विस्थापित लोगों के प्रवाह में वृद्धि संरचना और काम की दुनिया के ढाँचा के लिए चुनौतियाँ है जो वैश्विक स्तर पर एक सामूहिक और समन्वित नीति कार्रवाई के लिए मांग करता है। भारत की ओर से हस्तक्षेप में आईएलओ के शासी निकाय के 325 सत्र में हुई चर्चा का स्मारण किया गया और शरणार्थियों और विस्थापितों के बीच अंतर की एक रेखा खींचने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। दोनों घटना के प्रसंग काफी अलग है और इसलिए दो मामलों के श्रम बाजार निहितार्थ तदनुसार संबोधित करने के लिए तैयार किए जाना चाहिए। हम दृढ़ता से लगता है कि वर्तमान शरणार्थी संकट अल्पावधि के साथ ही मध्य और लंबी अवधि के संदर्भ में विश्लेषण किया जाना चाहिए। हमें राजनीतिक मानवीय और विकास संबंधी उपायों के बीच इंटरकनेक्टिविटी समझने की जरूरत को समझते हैं। आईएलओ को बहुत सावधानी से अपने रास्ते पर चलने की जरूरत है। नियम के अनुसार राष्ट्रीय दायित्वों से परहेज किया जाना चाहिए। हमने सार्वभौमिक मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराया। भारत हमेशा से

एक बहुलवादी समाज है जो बहु जातीय, बहु भाषी, बहु धार्मिक है और हमने हमेशा मिलनसार होते हुए और गरिमा और सम्मान के साथ प्रवासियों को आत्मसात किया है।

thch dh vi/kku cBd%

21-40 भारतीय प्रतिनिधिमंडल सचिव (एल एंड ई) के नेतृत्व में शासी निकाय के पक्ष तर्ज पर काफी बैठकों कीं। डीजी, आईएलओ के साथ अपनी बैठक में सचिव ने भारत सरकार द्वारा भारत में कर्मचारियों के लिए नौकरी की सुरक्षा, मजदूरी सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए अपनी पहल एवं प्रतिबद्धता के प्रति हाथ में लिये सुधारों का मूल्यांकन किया जाना है। डीजी ने भारत वैश्विक मंदी के बावजूद सराहनीय विकास दर हासिल की है, की सराहना की। वे भारत में घरेलू बाजार के विकास की संभावनाओं और भारत के श्रम बाजार पर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के निहितार्थ पर चर्चा की।

ç'kklh fudk;] vkbl,yvk dk 328 l=

21-41 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय (जीबी) की 328 सत्र 27वें अक्टूबर से 10वें नवंबर, 2016 जिनेवा में से आयोजित की गई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल सचिव (एल एंड ई), श्रीमती एम सत्यवति के नेतृत्व में जेनेवा में भारत के स्थायी मिशन के साथ शासी निकाय की बैठकों में भाग लिया। श्री मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव और श्रीमती अनुजा बापट, निदेशक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल व अन्य सदस्य थे।

ç'kklh fudk; dk 328 l= dk ,tMk

uhfr fodkl dh /kkjk ¼ihvk,y½

0;kikj le>krk e Je lcf/kr çko/kku%

vkbl,yvk djuk dk fy, gky dk #>kuk vkj çklfxdrk

21-42 भारत के लिए श्रीमती सत्यवती, सचिव श्रम और रोजगार द्वारा हस्तक्षेप में कहा गया है कि व्यापार समझौतों में श्रम मानकों के शामिल किए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ तुलनात्मक लाभ होने की संभावना है और क्षमताओं और विकासशील देशों के संदर्भ में अंतर को ध्यान नहीं देता। इसलिए हम महसूस करते हैं कि मानकों व्यापार समझौतों में श्रम आदर्श नहीं होना चाहिए। व्यापार समझौतों कि ले जाने के लिए एक श्रम प्रावधान अभी भी समझौतों कि छोटी संख्या है और उपलब्ध आंकड़े अभी तक प्रारंभिक है और जाँच को निर्णायक के रूप में इस पल में नहीं लिया जाना चाहिए। भारत ने आईएलओ एवं विश्व व्यापार संगठन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के स्पष्ट अधिदेश का मुद्दा उठाया। 1996 विश्व व्यापार संगठन के सिंगापुर मंत्रिस्तरीय घोषणा का जिक्र करते हुए जिसमें स्पष्ट रूप से संरक्षणवादी प्रयोजनों के लिए श्रम मानकों के उपयोग को खारिज कर दिया था सचिव महोदया ने कहा कि देशों, विशेष रूप से कम मजदूरी वाले देशों, कोई रास्ता, प्रश्न के संज्ञान में होना चाहिए की तुलनात्मक लाभ हेतु विकसित करने पर काम करने के लिए एक कार्यालय का आग्रह किया सांख्यिकी और डाटा बेस, जिसमें क्षेत्रीय एवं अन्य प्रासंगिक हो, का एक कार्यालय बनाया जाए जिससे उपयोगिता के आधार पर इन समझौतों को प्रतिभागी राष्ट्रों के बीच, विवादास्पद मुद्दे पर कोई निर्णय लेने के पूर्व वितरीत किया जाए।

21-43 व्यापार समझौतों में श्रम से संबंधित प्रावधानों के मुद्दे पर ब्रिक्स बयान भारत के राजदूत और जिनेवा में पीआर, श्री अजीत कुमार द्वारा दिया गया था। ब्रिक्स ने संज्ञान में लिए कि व्यापार समझौतों में श्रम मानकों को शामिल करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है और सदस्य

राज्यों के साथ ही सामाजिक भागीदारों द्वारा आईएलओ की सहायता और मार्गदर्शन या तो व्यापार समझौतों के प्रावधानों को लागू करने में या श्रम को की गई मांग को ध्यान में लेने के रूप में क्षमता निर्माण के लिए एक विकासात्मक परिचालन कार्यक्रम के लिए एजेंडा नोट में संकेत दिया गया कि सार्वभौमिक सहमति या कुछ मामलों पर और अधिक डेटा के अभाव में व्यापार समझौतों के लिए वांछनीय अपेक्षित के रूप में भी स्पष्टता के रूप में ही प्रस्तावित नहीं कर सकता है। मौलिक सिद्वांतों एवं कार्य में अधिकारों पर आईएलओ घोषणा (1998) एवं समाजिक न्याय पर न्यायोचित वैश्वीकरण (2008) के संदर्भ में ब्रिक्स में कहा गया कि दोनों सिद्धांत कहते है कि श्रम मानकों को संरक्षणवादी व्यापार के जिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ब्रिक्स मुद्दे की गहराई से आकलन और आईएलओ की तकनीकी सहायता और व्यापार समझौतों में श्रम प्रावधानों के विश्लेषण का समर्थन है। सामाजिक भागीदारों के क्षमता निर्माण आईएलओ के तकनीकी सहायता के एक प्रमुख का ध्यान केंद्रित क्षेत्र में होना चाहिए। ब्रिक्स में आईएलओ के स्पष्ट रूप से देशों पर जनादेश, विभाज्य तथा कभी–कभी परिभाषित किये गये विरोधाभासी अनुपालन के बोझ से बचने को कहा गया।

lLFkkxr /kkjk ¼vkbl,u,l½

oif'od vkifr J`[kyk ¼lkekU; ppk½ e e;kfnr dke d fo"k; e çLrko ikfjr dju d fy, Åij dk ikyu dj½

21-44 भारत द्वारा ब्रिक्स के प्रस्ताव का साथ दिया तथा 105वें आईएलसी के पूर्ण अधिवेशन में भारत द्वारा किए गए हस्तक्षेप करने के लिए भेजा। भारत सरकार ने इस बात को दोहराया कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला एक अत्यंत जटिल और दूर्भर संदर्भों की है। भारत का मानना है बेगार की उपस्थिति, बाल श्रम, सुरक्षा की स्थिति, श्रम सुरक्षा आदि के रूप में अधिक मौलिक सवालों को संबोधित करना किसी भी मानकं को स्थापित पहलुओं पर तैयार करने से अधिक महत्वपूर्ण है। आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय श्रम सभ्य काम के सभी पहलुओं से निपटने के मानकों के लिए एक व्यापक भंडार है। आईएलओ मानकों के वर्तमान संग्रह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अच्छे काम के घाटे को संबोधित करने के लिए सक्षम है या नहीं इस निष्कर्ष में पहले पहुचना चाहिए और सामान्य निकाय के समक्ष विचार के लिए रखा जाना चाहिए। सचिव, श्रम एवं रोजगार ने श्रम अधिकारों का कारण जानने के लिए भारत की प्रतिबद्धता और श्रमिकों की रक्षा के हितों को ध्यान में रखने की प्रतिबधता को दोहराया। उन्होंने कहा कि श्रम अधिकार और हमारे संविधान से सामाजिक न्याय प्रवाह का ध्यान रखा जाना चाहिए। हम इन शर्तों पर काम भी कर रहे हैं। उन्होने संक्षिप्त में बाल श्रम अधिनियम 2012, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम, और श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के सार्वभौमिकरण जैसे नवीनतम पहल पर चर्चा की। त्रिपक्षीय श्रम मानकों की स्थापना और श्रम और रोजगार नीतियों की उभरती दिशा में भारत अग्रसर है। उन्होने इस बात को दोहराया कि आईएलओ का प्रयास होना चाहिए कि राष्ट्रों के घरेलू कानूनों और नीतियों को इतना मजबूत किया जाए कि श्रमिकों के अधिकारों को देश की संप्रभुता पर सवाल उठाय बिना या कम किए बिना देशों में लागू किया जा सकें।

21-45 राजदूत और पीआर, पीएमआई जिनेवा द्वारा ब्रिक्स पर बयान दिया गया था। श्रम एवं रोजगार मंत्री ने घोषणा ब्रिक्स का जिक्र करते हुए उन्होंने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और रोजगार सृजन के लिए अपने

योगदान के महत्व के साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में श्रम मुद्दों के समाधान में मौजूदा चुनौतियों को स्वीकार किया। ब्रिक्स अनुसंधान और डेटा भंडार का एक बहुत जरूरत के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अच्छे काम करने की चुनौतियों को समझने के लिए जोर दिया। यह भी कहा जाता है कि महत्वपूर्ण संकेतक एक राष्ट्रीय परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से देशों द्वारा अपनाया जाना चाहिए। व्यापार पर पहले से ही विवाद उठाए जा रहे हैं जबकि और बातचीत के जरिए अन्य के द्वारा, मुख्य रूप से विश्व व्यापार संगठन, में आगाह किया है कि किसी भी प्रस्तावित ढांचे परस्पर विरोधी प्रभाव के लिए नेतृत्व नहीं करना चाहिए। सरकार ने ब्रिक्स की नीति विकास की प्रक्रिया में एक भागीदार के रूप में प्रस्तावित ब्रिक्स को पहचानने के लिए आईएलओ का आभार व्यक्त किया। भारत की सीमा पर आईएलओ क्षमता निर्माण तथा त्रिपक्षीय वार्ता का समर्थन के लिए सामाजिक साथी के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके अलावा आईएलओ सम्मेलनों के आगे अनुसमर्थन और जी.एस.सी.के लिए प्रासंगिक सिफारिशों के आवेदन के लिए चुनाव प्रचार पर विचार करना चाहिए।

21-46 भारत ने अपने हस्तक्षेप में जोर देकर कहा कि गरीबी और लिंग भेद ऐसे दो क्षेत्र हैं जिन पर यदि पर्याप्त रूप से ध्यान दिया जाए, तो मानवता के लिए कारगर साबित हो सकते हैं, जो ऐसा तथ्य है जिसे सतत विकास के लक्ष्यों में पर्याप्त रूप से पहचान मिली है। अपने विचार देते हुए, सचिव, श्रम और रोजगार ने 2018 में सम्मेलन सत्र के लिए 'कार्यजगत में महिलाओं एवं पुरुषों के विरुद्ध हिंसा' संबंधी विचार–विमर्श हेतु भारत की उत्सुकता को अभिव्यक्त किया। हमारा विश्वास है कि हरित पहल मानकों द्वारा नहीं अपितु सामूहिक एवं विविध दायित्व और पारस्परिक सहयोग और धारणीयता द्वारा चालित होनी चाहिए। गरीबी हम सभी के लिए चिंता का क्षेत्र है। गरीबी का उपशमन भारत के लिए प्राथमिकता है तथा इसी कारण महसूस करते हैं कि "एसडीजी के लिए प्रभावी विकासात्मक सहयोग" संबंधी चर्चा में विलंब नहीं किया जाना चाहिए। हमने सम्मेलन सत्र में कार्यसूची मद के रूप में 'बेरोजगारी और न्यून–रोजगार का बदलता स्वरूपरू प्रौद्योगिकी और बदलाव के अन्य संरचनात्मक उत्प्रेरकों की भूमिका' के समावेशन की अपनी तरजीह का संकेत दिया था तथा 2019 के भीतर ही इस पर विचार–विमर्श करना चाहेंगे। हमने लिंग विशिष्ट परिप्रेक्ष्य के साथ सम्मेलन सत्र 2019 में कार्यसूची मद के रूप में 'असमानताएं और कार्यजगत' के समावेशन का समर्थन किया। भारत ने भी सामाजिक संवाज के कार्यनीतिक उद्देश्य के साथ टी साइकिल के केंद्रीभूत का समर्थन किया।

21-47 भारत के हस्तक्षेप में स्वागत किया गया कि यह मुद्दा आईएलसी 2018 में मानक विन्यास मद हेतु प्रथम चर्चा के लिए पेश किया गया है। हिंसा और समुचित कार्य विरोधाभासी हैं तथा साथ–साथ विद्यमान नहीं होने चाहिए। भारत ने पहचान की है कि कार्यस्थल में हिंसा और शोषण ऐसे रूपों में हो सकता है जो अक्सर दिखाई नहीं देते हैं और कामगार तथा नियोक्ता अक्सर ऐसे कृत्यों के बारे में बातचीत करने में कठिनाई महसूस करते हैं। अतरू उनकी मौजूदगी के सही रूपों की पहचान करना तथा ऐसे मंच प्रदान करना महत्वपूर्ण है जिस पर पीड़ित अपनी आवाज उठा सकें और उन पर चर्चा की जा सके तथा इनसे प्रभावी रूप से निपटने के लिए तंत्र विद्यमान हो। भारत ने हिंसा और शोषण जैसे शब्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की मांग है। भारत ने नीति विषयक में स्पष्ट लिंग परिदृश्य पर भी बल दिया।

uhfr fodkl vuHkkx

lkekftd lj{k.k ryk dk l`tu vkj foLrkj.k ¼çe[k dk;Øe lfgr½

21-48 इस कार्यसूची मद पर एएसपीएजी विवरण का समन्वय किया। सामाजिक संरक्षण तलों का सृजन बेहद महत्वपूर्ण है तथा निरंतर आर्थिक मंदी और बढ़ती असुरक्षा से संघर्षरत आज के विश्व में आधारभूत है। एएसपीएजी ने क्षमता निर्माण, हस्तधारणीयता की वैश्विक गतिविधियों तथा सूचित नीतिगत निर्णयों वाले देशमों के लिए अनुसंधान आधारित समाधान प्रदान करने को प्रोत्साहित किया। अनौपचारिक कामगारों, प्रवासी कामगारों आदि, जो कार्यबल का बहुत बड़ा भाग हैं, के सामाजिक संरक्षण से संबंधित मुद्दों के कार्यसंचालन हेतु नवाचारी समाधान अपेक्षित हैं। एएसपीएजी ने सदस्य राज्यों के बीच ज्ञान के आदान–प्रदान में अपने प्रयासों में बढ़ोतरी करने हेतु कार्यालय से अनुरोध किया ताकि सभी हितधारकों और नीति निर्माताओं तक पेस्ट पद्धतियों और नवाचारी समाधानों का प्रचार किया जाए। भारत उन एशियाई देशों में से है जो आईएलओ के प्रमुख कार्यक्रम सभी के लिए सामाजिक संरक्षण तल के हिस्से हैं।

21-49 भारत ने अपने हस्तक्षेप में एपीएफ संबंधी आईएलओ कार्यनीति का समर्थन किया विशेष रूप से डीडब्ल्यूसीपी के माध्यम से कार्यान्वयन का तथा एसडीजी के संदर्भ में इसे अनुकूल बनाकर समर्थन किया। आर्थिक अस्थिरता ने अप्रत्याशित अरक्षितताएं उत्पन्न कर दी हैं। प्रत्यक्ष रोजगार संबंधों के धुँधले पड़ने, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं द्वारा पेश जटिलताओं तथा जवाबदेही सौंपने में सामने आने वाली कठिनाईयों द्वारा यह और अधिक गहन हो गई है। भारत का दृढ़ विश्वास है कि एसपीएफ की प्रदानगी सरकार का अनिवार्य दायित्व है। हमारे पास यह कहने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है कि वृद्धि की एकमात्र रूप से समावेशन में फलीभूत नहीं होती है जब तक कि सकारात्मक उपाय न किए जाएं। भारत सरकार ने हाल ही के वर्षों में प्रमुख रूप से सभी तक सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करने पर ध्यान–केन्द्रित किया है। हम व्यापक संदर्भ में चुनौतियों पर विचार कर रहे हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा की मूलभूत सेवा के संस्थागत और प्रदानगी के ढ़ांचे को सशक्त किया जा रहा है। सही आधार वाले दृष्टिकोण में शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु शिक्षा के अधिकार के बाद, हम अब जनमानस के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य लाभों को सशक्त करने और सार्वभौम बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को कार्यान्वित कर रहे हैं। भारत श्रम गतिशीलता का समर्थन है। इससे हमारे कामगारों को उपलब्धता उत्पन्न होते ही नौकरी के समुचित अवसरों का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। उचित प्रवासन के सिद्धांतों पर खरा उतरने के लिए सामाजिक सुरक्षा की सुवाह्यता सुनश्चित करना अनिवार्य है। हाल ही में सम्पन्न नई दिल्ली में ब्रिक्स श्रम मंत्रियों की बैठक में आरआईसीएस राष्ट्र ब्रिक्स देशों के बीच एसएस कायम करने पर अग्रसक्रिय रूप से काम करने के लिए सहमत हुए। सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमों का देश–प्रेरित होना आवश्यक है तथा प्रत्येक देश की राष्ट्रीय परिस्थितियों के आधार पर कार्यान्वित किए जाने चाहिए। हम आईएलओ से आशा रखते हैं कि यह प्रमुख कार्यक्रम के कार्यान्वयन वाले देशों में नीति–निर्माताओं और हितधारकों को क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करे।

dk;Øe] foÙkh; vkSj ç'kklfud vuHkkx

y[kk&ijh{kk vkSj fujh{k.k [k.M½ mPp& Lrjh; eY;kadu dh ppkZ,¡ dk;Z uhfr ,o mfpr dk;Z n'kh; dk;Øe ds eY;kadu

21-50 भारत ने 'नौकरियां और विकास 2010–15 के लिए आईएलओ की कौशल विकास कार्यनीति के स्वतंत्र मूल्यांकन' संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट पर टिप्पणी दी।

कौशल पहल प्रमुख रूप से देश की प्राथमिकताओं, किसी देश के जनसांख्यिकीय, क्षेत्रीय और प्राकृतिक लाभों जैसे घटकों द्वारा प्रेरित हैं। प्रत्येक देश की कौशल अपेक्षा अथवा इस संबंध में देश के प्रत्येक क्षेत्र की कौशल अपेक्षा व्यापक रूप से भिन्न होगी। भारत चाहेगा कि कौशल पहल में आईएलओ की भूमिका आईएलओ की मूल सक्षमता के इर्द–गिर्द बनाई जाए न कि अन्य क्षेत्रों पर इधर–उधर बंटे संसाधनों के इर्द–गिर्द। हमारा मत है कि आईएलओ की भूमिका समन्वयक के रूप में अधिक अनुकूल है। सूचना का भण्डार होने के नाते आईएलओ कौशल के क्षेत्र में सभी देशों की क्षेत्र विशिष्ट बेहतर पद्धतियों के साथ साझेदारी में सहायक हो सकता है। इस क्षेत्र में आईएलओ, प्राथमिकता के क्षेत्रों की पहचान करने और आवश्यकता के मूल्यांकन में हमारी सहायता कर सकता है। अतः, आईएलओ को स्वयं अपने स्तर पर कौशल विकास आरंभ करने के बजाय नीति–निर्माताओं और निर्वाचक व्यक्तियों को कौशल प्रदान करने पर ध्यान–केन्द्रित करना चाहिए।

uhfr fodkl vuHkkx%

LFkk;h miØek dk lo/ku djuk

21-51 उपक्रम की पहल अत्यधिक जटिल पहल है। एसएमई और प्रशिक्षुता अर्थव्यवस्था के नए चेहरे हैं। लेकिन भीतर की विविधता महत्वपूर्ण है। निम्न स्तरीय एसएमई से लेकर उच्च मूल्य वाले एसएमई की संपूर्ण विस्तृत–श्रेणी की भिन्न चुनौतियां और शक्तियां हैं। नीतिगत प्रक्रिया में तदनुसार बदलाव होता है। भारत में वर्तमान विनिर्माण पर्यावरण एमएसएमई द्वारा शासित है। भारत में 1–40 आकार के 30 मिलियन से अधिक एमएसएमई परिचालित हैं। भारत की नीतिगत पहलों का फोकस सूक्ष्म, लघू और मध्यम उपक्रमों पर रहा है क्योंकि वे देश के उत्पादन, रोजगार और निर्यात से अर्जन और करोड़ों लोगों को आजीविका प्रदान करने में योगदान देते हुए वृद्धि के संचालक हैं। परिणाम की सफलता मुख्यतः नियोक्ताओं की स्वैच्छिक भागीदारी पर निर्भर करती है। वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के वर्तमान परिदृश्य में यह और भी अधिक महत्ता है। मूल्य श्रृंखला में प्रौद्योगिकी का अंतरण, राष्ट्रीय विधान के अनुपालन पर बल तथा दायित्व का स्वामित्व सहित उचित हस्तसंचालन का बहुत अधिक महत्व होगा। हमारा विश्वास है कि एमएनई की घोषणा की समीक्षा इन पहलूओं को और अधिक स्पष्ट रूप से उजागर करेगी। इनमें से प्रत्येक पहल को दायित्व की साझेदारी के सिद्धांतों का आधार देना आवश्यक है तथा हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने उपाय उचित रूप से तैयार करें।

dkuuh eí vrjk"Vh; Je ekud vuHkkx: ekud leh{kk r= f=i{kh; dk;'khy leg dh nljh cBd dh fjikV

21-52 भारत ने अपने हस्तक्षेप में एसआरएम त्रिपक्षीय कार्यशील समूह की दूसरी बैठक में वस्तुगत कार्य के लिए इस समूह को बधाई दी। भारत ने एएसपीएजी समूह के सदस्य के रूप में इस बैठक में भागीदारी की। हम आईएलओ से चाहेंगे कि यह कार्यनीतिक उद्देश्यों की कवरेज में प्रगामी बढ़ोतरी करने के दृष्टिगत अद्यतन लेख–पत्रों का अनुसमर्थन करके आईएलओ के पुराने लेख–पत्रों को प्रतिस्थापित करने, लेकिन इसी के साथ यह सुनिश्चित करने के संदर्भ में सदस्य देशों को अपने राष्ट्रीय परिदृश्य समीक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करने के अपने कार्य में तेजी लाए कि इन कार्रवाईयों के परिणामस्वरूप कामगारों की सुरक्षा में कमियां न आएं। अद्यतन लेख–पत्रों के अनुसमर्थन में सदस्य देशों के समक्ष आने वाली बाधाओं के प्रलेखन और विश्लेषण को इस प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। जबकि एसआरएम एक बारगी वृहत कवायद है, फिर

भी हमारे लिए निर्वाचक व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किए जाने रहे और प्रतिक्रिया व्यक्त किए जाने वाले विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों की अनुभूति लेने के क्षेत्र में नियमित रूप से कार्य करने के अपने तंत्र का सृजन और सुदृढ़ीकरण करना भी आवश्यक है। मानक समीक्षा तंत्र त्रिपक्षीय कार्यशील समूह के लिए समूह के अधिदेश को पूरा करने हेतु समग्र दृष्टिकोण रखना आवश्यक है जैसे एक ओर कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा तथा दूसरी ओर उपक्रमों की संवहनीयता सुनिश्चित करना।

'kj.kkfFk;ksa vkSj cyiwoZd foLFkkfir 0;fä;ksa dh Je cktkj rd igqap lacaf/kr f=i{kh; rduhdh cSBd dk ifj.kke

21-53 भारत ने विषय पर पूर्व चर्चाओं के मुद्दे पर अपनी स्थिति को दोहराया और मात्र संतुलित, बहु–आयामी, लचीली और समन्वित प्रतिक्रिया की मांग की। भारत ने तकनीकी बैठक द्वारा संस्तुत स्वैच्छिक और गैर–बाध्यकारी मार्गदर्शी सिद्धांतों का समर्थन किया। हमने यह भी नोट किया है कि सदस्य राज्य शरणार्थियों द्वारा उत्पन्न श्रम बाजार की चुनौतियों को संबोधित करने तथा कुछ मार्गदर्शी सिद्धांतों पर व्यक्त संदेहों पर ध्यान देने के संबंध में विभिन्न विचार एवं परिप्रेक्ष्य रखते रहे हैं। शरणार्थी शासी आर्थिक प्रवासियों से भिन्न शरणार्थी राज्य एवं इसका 1967 का संलेख संबंधी 1951 के यूएन अभिसमय सहित अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी कानून के अंतर्गत विशेष स्थिति का लाभ उठाते हैं। शरणार्थियों से संबंधित श्रम और रोजगार के मुद्दों का दिशा–निर्देशन सु–व्यवस्थित शरणार्थी कानून के ढ़ांचे के अंतर्गत जारी रहना चाहिए तथा अन्य लेख–पत्रों का प्रयोग करने के प्रयास सावधानीपूर्वक किए जाने चाहिए। प्रस्तावित मार्गदर्शी सिद्धांतों से किसी भी रूप में सदस्य राज्यों के इससे संबंधित दायित्वों में बदलाव नहीं आना चाहिए।

mi;qä ds vykok] Hkkjr us vkbZ,ylh esa vkorh ppkZvksa ds pØ lacaf/kh fu.kZ;] vkbZ,yvks &vkbZ,lvks vuqca/k dh :ikRedrkvksa] lkekftd laokn ds l'kfä dj.k rFkk vkbZ,yvks ls lacf/kr vU; rduhdh ,oa ç'kklfud eqíksa lfgr vkbZ,yvks vkSj blds vxkeh dk;Zlpkyu ls lacf/kr ekeyksa ij gLr{ksi fn,A

vkbZ,yvks ds 'kklh fudk; ds ik'oZ esa th&20 cSBd

21-54 अध्यक्षता की सुपुर्दगी हेतु चीन के लिए तथा कार्यकाल का आरंभ करने हेतु जर्मनी के लिए प्रथम अनौपचारिक जी20 बैठक आईएलओ के शासी निकाय के पार्श्व में 2 नवंबर, 2016 को सम्पन्न हुई। जर्मनी ने अपनी अध्यक्षता में जी20 की ईडब्ल्यूजी की कार्यसूची और समारोहों के कैलेण्डर की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस कार्यसूची में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, प्रवासियों और शरणार्थियों के मुद्दों, काम के भविष्यं, महिला रोजगार के साथ ही वैश्वीकरण और इसकी चुनौतियों तथा एसडीजी पर विचार–विमर्श का प्रस्ताव है। इस बैठक में भारत की ओर से संयुक्त सचिव, श्री मनीष गुप्ता, तथा निदेशक, श्रीमती अनुजा बापट ने भाग लिया।

21-55 भारत ने अपने प्रारंभिक हस्तक्षेप में कार्यसूची का स्वागत किया। वैश्वीकरण और महिला रोजगार के मुद्दे अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं तथा ईडब्ल्यूजी की पूर्व चर्चाओं के अनुरूप हैं। तथापि, जीएससी और शरणार्थियों के मामलों पर भारत ने अपनी स्थिति को दोहराया। इसने विचार–विमर्श को आईएलओ में चल रहे विचार–विमर्श के दायरे के भीतर सीमित रखने की भी मांग की।

22 Qjojh] 2016 dk ftuhok e ekud leh{kk r= ¼,lvkj,e½ d lc/k e f=i{kh; dk;'khy leg dh çFke cBd ij fjikV

21-56 आईएलओ द्वारा गठित मानक समीक्षा तंत्र(एसआरएम) संबंधी त्रिपक्षीय कार्यशील समूह की प्रथम बैठक जिनीवा में 22 से 26 फरवरी, 2016 को आयोजित की गई। डॉ. ओन्कार शर्मा, उप क्षेत्रीय श्रमायुक्त ने बैठक में भाग लिया।

21-57 एसआरएम के त्रिपक्षीय कार्यशील समूह का वास्तविक उद्देश्य शासी निकाय को निम्नलिखित मुद्दों पर सिफारिशें देने के दृष्टिगत अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों की समीक्षा करना हैः–

- अभिसमयों और नए मानकों की अपेक्षा वाली सिफारिशों सहित इन सिफारिशों की कवरेज में कमी की पहचान।
- पहले से परीक्षीत मानकों, परिशोधन की अपेक्षा वाले मानकों, पुराने मानकों तथा अन्य संभावित स्पष्टीकरणों की वर्तमान स्थिति।
- समयबद्ध अनुवर्ती कार्रवाई।

21-58 डॉ ओंकार शर्मा, क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.) ने समूह को राष्ट्रीय श्रम कानूनों की समीक्षा करने में भारत सरकार द्वारा किए गए हालिया प्रयासों की जानकारी दी। समूह को यह जानकारी भी दी गई कि सरकार श्रम कानूनों की समीक्षा करते समय मौजूदा कानूनों के उपबंधों को चार श्रम संहिताओं नामतः मजदूरी, औद्योगिक संबंध, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा के रुप में संहिताबद्ध करने की प्रक्रिया में है।

21-59 डॉ ओंकार शर्मा, क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.) ने समूह को यह भी जानकारी दी कि श्रम कानूनों की समीक्षा करते समय हमने अप्रासंगिक कानूनों (जो मौजूदा रोजगार परिदृश्य में संगत नहीं हैं) की पहचान की है और उन्हें मौजूदा रोजगार/कार्य परिदृश्य के अनुसार कानूनों के मौजूदा उपबंधों के साथ संगत बनाने का प्रयास किया है ताकि कामगारों के मुद्दों को पूरी तरह से हल किया जा सके और उपक्रमों की व्यवहार्यता सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त इस प्रयास में कानून के उपबंधों का सरलीकरण भी शामिल है।

21-60 समूह का यह मानना था कि भारत सरकार के प्रयासों की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को देखते हुए उनकी उपयोगिता की समीक्षा करने की है और जहां तक संभव होगा इसकी पुनरावृत्ति की जाएगी।

21-61 डॉ ओंकार शर्मा द्वारा इन प्रयासों को शुरू करते समय पारदर्शिता के महत्व पर जोर दिया ताकि इस संबंध में हितधारकों को किसी तरह का संदेह नहीं हो। भारत सरकार, नियमित रुप से श्रम सुधारों के प्रयास के साथ–साथ हितधारकों के साथ त्रिपक्षीय विचार–विमर्श करके बातचीत को आगे बढ़ा रही है।

02 l 04 Qjojh] 2016 rd xvkxtk] phu e vk;kftr phuh jk"Vª@;{k dh v/;{krk e igy jktxkj lc/kh dk; leg dh ¼EWG½ dh th &20] dh cBd

21-62 भारत से निम्नलिखित प्रतिनिधिमंडल ने 02 से 04 फरवरी, 2016 के दौरान गुआंगजौ, चीन में आयोजित कार्य समूह (EWG) रोजगार की पहली बैठक में भाग लिया।

21-63 भारत, रोजगार सृजन के लिए एक प्रभावी रणनीति के रूप में उद्यमिता को शामिल किए जाने का समर्थन करता है और सामाजिक सुरक्षा नेट प्रणाली के लिए न्यायसंगत और अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता पर जोर

देने के रूप में यह विश्व स्तर पर आपूर्ति और कार्यबल की मांग को संतुलित करने का अवसर देता है।

21-64 ओईसीडी द्वारा प्रस्तुतियाँ दी गई और विश्व बैंक द्वारा उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए अपने उद्यम और उपायों शुरू करने के लिए उद्यमियों के समक्ष चुनौतियों पर बल दिया गया। ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत और ब्रिटेन जैसे देशों के अनुभवों को साझा किया गया।

21-65 प्रस्तुतिकरण दिए गए और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण पर बल दिया गया। विशिष्ट एमएसएमई क्षेत्र और स्टार्ट–अप इंडिया के लिए शुरू की गई हालिया पहलों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों को समूह के साथ साझा किया गया। इसके अलावा, कौशल विकास और उद्यमिता विकास के लिए विशेष नीति भी देश में तैयार की गई और उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया गया है।

chftx esa phu dh v/;{krk esa vk;kftr esa th&20 dh Je ,oa jkstxkj lacaf/kr eaf=Lrjh; cSBd ¼11 ls 13 tqykbZ 2016½

21-66 श्री बंडारू दत्तात्रेय, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री तथा श्रम सचिव, श्री शंकर अग्रवाल ने जी –20 श्रम और रोजगार संबंधी आयोजित मंत्रीस्तरीय बैठक में 11 से 13 जुलाई, 2016 के दौरान बीजिंग, चीन में भाग लिया। ईडब्ल्यूजी के प्रतिनिधियों ने 2016 के जी–20 के एजेंडे से संबंधित कार्य और एलईएमएम बीजिंग घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने के लिए बैठक की। जी–20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों ने (i) रोजगार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने पर नीति के लिए प्रतिबद्धताओं से संबंधित मुद्दों (ii) श्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण और (iii) आय में वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली और काम की परिस्थितियों के कौशल की जरूरत पर हस्तक्षेप किया। हालांकि, भारत सरकार द्वारा इस बैठक में किए गए हस्तक्षेप इस प्रकार हैं:–

l=&1 i;kZIr jkstxkj ds volj ksa dk l`tu

21-67 भारत का हस्तक्षेपः रोजगार सृजन गरीबी उन्मूलन के लिए एकमात्र स्थायी व्यवहार्य नीति है जो 2030 के लिए निर्धारित कार्यसूची का पहला लक्ष्य भी है। औपचारिक क्षेत्रों में अच्छे वेतन के साथ रोजगार सृजन और पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा श्रम बाजार में न्यूनतम असमानता और समग्रता को सुनिश्चित करता है और मर्यादित कार्य के विकास के लक्ष्य की ओर ले जाता है। औपचारिक क्षेत्र में रोजगार का सृजन अधिमानतः उद्यमिता नवाचार पर आधारित और प्रौद्योगिकी नेतृत्व व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त मंच के रूप में भारत द्वारा स्वीकार किया गया है। स्टार्टअप्स एवं एम.एस.एम.ई. के समर्थन के लिए मौजूदा नीतिगत वातावरण में रणनीतिक सुधार के कई पहल किए गए हैं जिससे कि रोजगार का इच्छुक बने रहने के बजाय भारत रोजगार का सृजक बन सके। हाल ही में भारत सरकार ने मॉडल दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम बनायार है जो सभी दुकानों और छोटे खुदरा विक्रेताओं, होटल, मॉल, सिनेमा और आईटी /आईटीईएस प्रतिष्ठानों सहित प्रतिष्ठानों को सर्वसमय खुले रहने के लिए अनुमति देगा। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐसी योजना है जो कॉलेज छोड़ने वाले बच्चों के लिए औपचारिक क्षेत्र के रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने में एक सहायक कदम है। सूचना प्रौद्योगिकी के कुशल उपयोग के साथ नौकरी चाहने वालों, नियोक्ताओं और प्रशिक्षण प्रदाताओं को एक साझा मंच पर लाने के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा (NCS) पोर्टल शुरू किया

गया है। हम श्रम कानूनों को सरल, तर्कसंगत और पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया में हैं जिससे श्रमिकों के अधिकारों को बिना नुकसान पहुँचाए अधिक औपचारिक क्षेत्र की नौकरियों का संवर्धन किया जा सके।

l= 2& fu;ktuh;rk dk lo/ku &

21-68 Hkkjr dk gLr{ki% भारत को अपने कार्यबल को रोजगार संबंधी कौशल और ज्ञान से युक्त करने की आवश्यकता है ताकि वे देश के आर्थिक विकास के लिए बेहतर योगदान कर सकें। युवा जनसंख्या को कौशलयुक्त बनाने की दृष्टि से कुशल भारत मिशन को बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन में 2022 तक 50 लाख लोगों को कुशल बनाना है। कौशल विकास पहल योजना मॉड्यूलर नियोजनीय कौशल (एमईएस) और राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) ढांचे पर आधारित योजना है जिसका लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना प्रचालित है जिससे एम.एस.एम.ई के युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के काफी अवसर उपलब्ध कराने में सहायता मिलती है और उन्हें विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा विदेशों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए तथा चयनित क्षेत्रों एवं रोजगार संबंधी भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षण एवं प्रमाणन हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसरण में प्रवासी कौशल विकास योजना नामक एक नई पहल शुरू की गई है। जी–20 समूह श्रम गतिशीलता को बढ़ावा दे रही है और हमारा प्रयास दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और निष्पक्ष पलायन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हस्तक्षेप करने का है। भारत में सार्वजनिक रोजगार सेवा को राष्ट्रीय कैरियर सेवा (NCS) मंच के रुप में बदल दिया गया है ताकि प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित मंच पर नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं को एक साथ लाया जा सके। हम इस मंच के लिए WAPES के साथ अपनी सहभागिता और श्रम बाजार में सूचनाओं की असमानता को पाटने के लिए आगे बातचीत और नेशनल पब्लिक रोजगार सेवा के बीच सक्रिय सहयोग चाहते हैं।

l= 3& e;kfnr dk;l dk çkRlkfgr djuk

21-69 Hkkjr dk gLr{ki% हम सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में योजना आधारित दृष्टिकोण से अधिकार आधारित हकदारी की ओर बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जन–धन योजना (पीएमजे डीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना (पी एमएसवाई) दो ऐसे पहल हैं जिसका उद्देश्य सर्वत्र सामाजिक कवर प्रदान करना है। बैंक खातों को खोलकर वित्तीय समावेशन और सरकारी रियायतों तथा अन्य हकों का प्रत्यक्ष लाभ–अंतरण सुनिश्चित करने में एमजेडीवाई एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना जीवन, वृद्धावस्था पेंशन और सभी स्थायी निःशक्तों सहित दुर्घटनाओं के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान कर रहा है। सार्वभौमिक खाता संख्या द्वारा सामाजिक सुरक्षा लाभ की सुवाह्यता को बढ़ाकर 6.57 मिलियन लोगों तक किया गया है। हम उपलबध संस्थागत अवसंरचना के भीतर अनौपचारिक क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में उतरोत्तर नए श्रेणी के कर्मियों को ला रहे हैं। असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 इस दिशा में एक युगांतकारी विधान है जो स्वास्थ्य, प्रसूति, मृत्यु, निःशक्तता और वृद्धावस्था के लिए लाभ प्रदान करता है। हम लोग न्यूनतम वेतन/मजदूरी के दायरे का विस्तार कर रहे हैं ताकि इसे सर्वत्र लागू किया जा सके। हम अच्छे और सुरक्षित कार्य– परिवेश

के प्रति प्रतिबद्ध हैं। कामगारों की सुरक्षा के लिए कारखाना अधिनियम और नया प्रस्तावित लघु कारखाना अधिनियम में कई प्रभावकारी प्रावधान समाहित हैं। हम बेहतर अनुपालन और अत्यधिक लक्ष्य और केन्द्रीकृत प्रवर्तन शासन को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। सदस्य देशों के बीच अधिक समन्वय और सामाजिक सुरक्षा समझौतों को मजबूती प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जी–20 का गठन किया जा सकता है जो आगे मर्यादित कार्य के साथ सुगम प्रवास और श्रम गतिशीलता के कारणों में सहायता प्रदान कर सकता है, जिसे जी–20 सदैव प्रोत्साहित करता रहा है।

21-70 जी–20 राष्ट्रों के श्रम और रोजगार मंत्रियों के साथ बीजिंग घोषणा को अंगीकार करने के साथ सभा की समाप्ति हुई।

dk;l&igyk d lc/k e vkbl,yvk dk Hkfo";%&

21-71 आईएलओ शताब्दी पहल ''कार्य का भविष्य'' के अन्तर्गत क्रमशः मई एवं नवम्बर के महीने में आईएलओ और मंत्रालय के वीवीजीएनएलआई द्वारा संयुक्त रूप से ''कार्य का भविष्य और युवा लोक आंकाक्षा'' एवं ''प्रौद्योगिकी'' शीर्षक पर दो कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

gnjkckn e fnukd 27&28 tykb] 2016 dk fcDl jktxkj dk;l leg dk lEeyu%

21-72 फरवरी,2016 में भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता स्वीकार कर ली है। ब्रिक्स सम्मेलनों की कार्यसूची में पारस्परिक हितों से जुड़े आर्थिक विषयों के साथ–साथ आवश्यक सामयिक वैश्विक विषयों पर चर्चा के साथ हाल के वर्षों में इसके दायरे में काफी विस्तार हुआ है। ब्रिक्स समन्वय के दो स्तम्भ हैं– नेताओं और वित्त मंत्रियों के साथ बैठकों के माध्यम से आपसी हितों व्यापार और स्वास्थ्य, विज्ञान एवं तकनीक, शिक्षा, कृषि, संचार श्रम आदि के विषय पर परामर्श तथा कार्य–समूहों/वरीय अधिकारियों के सभाओं के माध्यम से अनेक क्षेत्रों में व्यवहारिक समन्वय। नियमित वार्षिक सम्मेलनों सहित आईएलओ के सीमांत नेताओं और जी–20 के शीर्ष सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाता है।

21-73 ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह (BEWG) की पहली बैठक ब्रिक्स देशों में श्रम एवं रोजगार को ट्रैक करने के लिए कार्यसूची को एक स्वरुप देने हेतु वरिष्ठ अधिकारी स्तर एवं ब्रिक्स देशों के बीच 27–28 जुलाई, 2016 को हैदराबाद में आयोजित हुई। श्री बंडारू दत्तात्रेय, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने भारत द्वारा आयोजित बैठक को संबोधित किया। इन दो दिनों के दौरान वहां i) ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह को अंतिम रूप देने, ii) "समावेशी विकास के लिए रोजगार सृजन" पर आईएलओ द्वारा प्रस्तुतिकरण iii) ब्रिक्स देशों के बीच संभव सामाजिक सुरक्षा समझौतों पर भारत द्वारा प्रस्तुति और iv) सत्र प्रारुप ब्रिक्स मंत्रिस्तरीय घोषणा पर चर्चा के सत्र आयोजित किए गए।

fcDl Je vkj jktxkj e=h Lrjh; cBd ubl fnYyh e 27&28 flrcj] 2016 dk vk;kftr dh xbl%&

21-74 भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के भाग के रूप में fcDl Je vkj jktxkj e=h Lrjh; cBd 27&28 flrcj] 2016 dk ubl fnYyh e gbl FkhA दो दिन के विचार–विमर्श के अंत में एक मंत्रिस्तरीय घोषणा अंगीकृत की गई थी जिसमें अन्य के अतिरिक्त आईएलओ और आईएसएसए जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और ब्रिक्स मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया था। घोषणा पत्र में रोजगार सृजन के लिए नवीनता एवं उद्यमिता

को प्रोत्साहित करने हेतु रोजगार सृजन, कर्मचारियों के कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा, औपचारिकता में अंतरण, प्रमुख श्रम एवं अनुसंधान संस्थानों की ब्रिक्स नेटवर्किंग तथानीति एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को सांझा करने सहित मुद्दे शामिल थे।

21-75 श्री बंडारू दत्तात्रेय, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने कहा कि भारत ने भारतीय प्रेजिडेंसी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया। श्रम और रोजगार मुद्दों के क्षेत्रों पर दो दिनों के दौरान उपयोगी विचार विमर्श किया गया। इन चर्चाओं के अंत में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रिस्तरीय घोषणा अंगीकृत की गई।

21-76 भारत ब्रिक्स श्रम मंत्रियों की इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मौजूदगी से प्रोत्साहित हुआ है। भारत बेहद खुश है कि प्रेजिडेंसी पहल के रूप में तथा तिपक्षीयता तथा सामाजिक संवाद की सर्वोत्तम परम्परा में भारत ब्रिक्स राष्ट्रीय सामाजिक भागीदारों को इस मंच से जोड़ सका। एक बहुत ही सकारात्मक विशेष सत्र में रोजगार सृजन, सतत विकास, सामाजिक सुरक्षा और सभ्य काम, जो भारत के लिए प्रासंगिक हैं, के मुद्दे उठाए गए। नियाक्ताओं के साथ–साथ कामगारों, दोनों तरफ के सामाजिक भागीदारों ने सक्रिय रूप से भाग लिया तथा सकारात्मक सुझाव दिए। नियोक्ता और कर्मचारियों के पक्ष से प्रमुख संगठनों अर्थात् भारतीय नियोक्ता परिषद तथा भारतीय मजदूर संघ ने ब्रिक्स राष्ट्रों के अपने समकक्ष प्रतिनिधियों से समन्वय किया तथा मत निर्माण हेतु 26 नवंबर को विचार विमर्श किया था।

21-77 मंत्री द्वारा उठाए गए अन्य महत्वपूर्ण मुददों में शामिल हैं:

– ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका को शामिल करते हुए ब्रिक्स की पांच महत्वपूर्ण उभरती अर्थव्यवस्थाओं में दुनिया की आबादी का 43%, विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 37% और विश्व व्यापार का 17% शामिल है। ब्रिक्स ने मुख्य रूप से आपसी हित के आर्थिक मुद्दों पर विचार विमर्श के साथ अपने सहयोग शुरू किए। सामयिक वैश्विक सहयोग के मुद्दों को शामिल करने के लिए समय के साथ सहयोग के क्षेत्र विस्तृत हो गए।

– पहला ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रीयों का सम्मेलन ऊफा, रूस में आयोजित हुआ, इसमें यह पहचान की गई कि रोजगार स्तंभ आवश्यक है और इस प्रकार ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह (BEWG) की नींव रखी।

– भारत के लिए ब्रिक्स व्यावहारिक सहयोग के रूप में है। भारतीय प्रेसीडेंसी सहयोग के लिए एक पांच आयामी दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है। यह सहयोग को संस्थागत करने, सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज तथा इन पहलों की निरंतरता सुनिश्चित करते हुए हमारे पिछले फैसलों और प्रतिबद्धताओं को लागू करने के बारे में है।

– ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्री स्तरीय बैठक 27–28 सितम्बर, 2016 को नई दिल्ली में हुई थी। सभी ब्रिक्स राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया था और विविध मुद्दों जिनका सामूहिक रूप से अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों में इन देशों द्वारा सामना किया जा रहा है पर चर्चा की। विचार–विमर्श में ''रोजगार सृजन'', ''सामाजिक सुरक्षा'', और ''औपचारिकता सहित समावेशी विकास'' शामिल थे। ब्रिक्स मंत्रिस्तरीय घोषणा ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों द्वारा अंगीकृत की गई।

– ब्रिक्स मंत्रिस्तरीय घोषणा कार्रवाई उन्मुख बयान है। रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी और सतत विकास की ओर ले जाने वाले श्रम बाजार की औपचारिकता से संबंधित विषय क्षेत्रों में कठोर हस्तक्षेप एवं कार्रवाई का प्रस्ताव किया गया है।

– सदस्य देश ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौतों को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए। संयुक्त अनुसंधान और प्रशिक्षण गतिविधियों, विभिन्न हितधारकों के क्षमता निर्माण और विशेषज्ञता के क्षेत्रों में सूचना के आदान प्रदान के लिए ब्रिक्स के सदस्य देशों में श्रम अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थानों को आगे बढ़ाने के लिए एक नेटवर्क विकसित करने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया।

– ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों द्वारा थॉट प्रोवोकिंग सत्र किए गए जिनमें उन्होंने अपने देशों में सर्वोत्तम प्रथाओं, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए सुधारों और सामने आ रही चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, आईएलओ और आईएसएसए ने ब्रिक्स के सदस्य देशों की नीतिगत पहल की सराहना की और ब्रिक्स राष्ट्रों के सामने आ रही बाधाओं को दूर करने के सुझाव दिए। चर्चा खुलेपन के माहौल में हुई और देशों ने अपनी चिंताओं एवं चुनौतियों पर उत्सुकता प्रदर्शित की। भारत की पहल और परिवर्तनकारी निर्णयों विशेष रूप से हाल ही में बाल श्रम अधिनियम में 14 साल की आयु से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए संशोधन, वृधित वेतन सहित 26 सप्ताह का प्रसूति अवकाश, न्यूनतम मजदूरी में संशोधन, और रोजगार सृजन पर व्यापक पहल को ब्रिक्स देशों के साथ–साथ आईएलओ ने स्वीकार किया तथा सराहना की।

– मंच ने सतत विकास की समग्र नीति उद्देश्य के लिए रोजगार सृजन की केन्द्रीयता को स्वीकार किया।

"ब्रिक्स के सदस्य देशों के श्रम संस्थाओं की नेटवर्किंग'' तथा ''सामाजिक सुरक्षा समझौतों को प्रोत्साहन" पर एक व्यापक सहमति बनी और इन ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रिस्तरीय घोषणा में शामिल किया गया है। अब श्रम और रोजगार मंत्रियों की घोषणा और निष्कर्ष और समझौतों को सदस्य देशों के नेताओं द्वारा विचार के लिए रखा जाएगा और ब्रिक्स नेताओं की घोषणा में समुचित उल्लेख किया जाएगा जिसे अक्टूबर 2016 में गोवा में अंगीकृत किया जाएगा और यह सहयोग और मेल–जोल को मजबूत करने के लिए साथ–साथ मार्ग प्रशस्त करेगी।

rduhdh lg;ksx dk;ZØe

21-78 भारत और आईएलओ रोजगार, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, काम काजी दशाओं में सुधार, तकनीकी सुविधाओं और कौशल विकासका उन्नयन, प्रबंधन परामर्श विकास, सामाजिक सुरक्षा, कौशल विकास और अन्य श्रम से संबंधित मुद्दों के क्षेत्रों में विभिन्न तकनीकी कार्यक्रमों में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं परिणामी सहयोग सांझा करते हैं।

21-79 आईएलओ की सक्रिय भागीदारी नीति के तहत भारत और आईएलओ के बीच सहयोग, आईएलओ, नई दिल्ली की बहुआयामी टिमों के साथ–साथ आईएलओ मुख्यालय में तकनीकी विभागों द्वारा तकनीकी इनपुट से समर्थित है। तकनीकी विशेषज्ञों अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों, सांख्यिकी में सलाहकार सेवाएं प्रदान करते हैं और भविष्य में भी संभव सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा करते हैं। सरकार मजदूरों और नियोक्ता संगठनों की त्रिपक्षीय मशीनरी ने बारीकी से आईएलओ के साथ आगामी वर्षों के लिए मुख्य बेहतर कार्य राष्ट्र कार्यक्रम उद्देश्यों की पहचान के लिए काम किया।

21-80 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से तेरह अधिकारियों को आईएलओ द्वारा तूरिन, इटली में अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से प्रदान की की गई फैलोशिप

के तहत प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, सेमिनार और बैठकों के लिए तैनात किया गया था।

21-81 आईएलओ भारत में वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, केन्द्रीय श्रम संस्थान (मुंबई), क्षेत्रीय श्रम संस्थान (कोलकाता, कानपुर और चेन्नई) तथा रोजगार महानिदेशालय के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों सहित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन संस्थानों और देश के विभिन्न अन्य प्रमुख संस्थानों में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं का उपयोग करता है।

cgi{kh; lg;kx

mPp Lrj dh vrjjk"Vh; cBd

21-82 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैठकें जहां भारत ने सक्रिय रूप से भाग लिया, हैः –

- श्रीमती अनिता त्रिपाठी उप–सचिव ने 2–4 फरवरी, 2016 के दौरान गुआंगजौ, चीन में जी 20 रोजगार कार्य समूह की प्रथम बैठक में भाग लिया।
- श्री शंकर अग्रवाल, सचिव (श्रम एवं रोजगार), श्री मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव और श्रीमती अनुजा बापट, निदेशक ने 10–24 मार्च 2016 के दौरान जिनेवा में आयोजित आईएलओ के शासी निकाय की 326वीं बैठक में भाग लिया।
- श्री देवेन्द्र सिंह, आर्थिक सलाहकार ने 18–22 अप्रैल 2016 को सोची, रूस में रुस के ऑल रसियन स्वास्थ्य और सुरक्षा सप्ताह में भाग लिया।
- श्री मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव और श्रीमती अनिता त्रिपाठी, उप–सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने शंघाई, चीन में 27–29 अप्रैल, 2016 को जी 20 रोजगार कार्य समूह के दूसरी बैठक में भाग लिया।
- श्री बंडारू दत्तात्रेय, माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री शंकर अग्रवाल, सचिव (श्रम एवं रोजगार) और श्री सी. सुदर्शन रेड्डी, राज्यमंत्री के निजी सचिव ने 11–13 जुलाई, 2016 के दौरान बीजिंग, चीन का दौरा किया। उन्होंने जी 20 रोजगार कार्य समूह की की चौथी बैठक और वहां आयोजित जी 20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया ।
- श्री दलजीत सिंह, उप–महानिदेशक तथा श्री श्याम सिंह, उप–महानिदेशक, श्रम ब्यूरो ने ''अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की औपचारिकता पर अकादमी" पर 20–22 सितंबर, 2016 को वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में आई.एल.ओ. कार्यक्रम में भाग लिया था।
- श्री ओंकार शर्मा, क्षेत्रीय श्रमायुक्त (सी) ने जिनेवा, स्विट्जरलैंड में 10–14 अक्टूबर, 2016 को मानकों की समीक्षा तंत्र (एसआरएम) पर त्रिपक्षीय कामकाजी समूह की दूसरी बैठक में भाग लिया।
- श्री मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव ने 27–28 अक्टूबर, 2016 के दौरान आईटीसी तूरिन में आईटीसी की 79वीं बोर्ड की बैठक में भाग लिया था।
- श्रीमती एम. सत्यवती, सचिव (श्रम एवं रोजगार), श्री मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव और श्रीमती अनुजा बापट, निदेशक ने 27.10.2016 से 10.11.2016 के दौरान आयोजित आईएलओ के शासी निकाय के 328वें सत्र में भाग लिया।
- श्री सुभाष कुमार, अवर सचिव ने 17–18 नवंबर, 2016 को भारत और श्रीलंका के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौते पर बातचीत में भाग लिया।

- श्री राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव ने तूरिन, इटली में 29/11/2016–09/12/2016 तक आईटीसी / आईएलओ प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने आईटीसी, तूरीन में अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ–साथ बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 में हाल ही में किए गए संशोधनों तथा आईएलओ अभिसमय, 138 एवं 182 के अनुसमर्थन पर विचार–विमर्श करने के लिए 6–7 दिसंबर, 2016 के दौरान आईएलओ, जिनेवा का भी दौरा किया था ।

- श्री मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव, श्री रजित पुनहानी, संयुक्त सचिव और भारतीय त्रिपक्षीय प्रतिनिधिमंडल ने 6–9 दिसंबर, 2016 को बाली, इंडोनेशिया में आईएलओ के 16 वें एशिया पैसीफीक क्षेत्रीय बैठक में भाग लिया।

- श्रीमती अनुजा बापट और श्री एस. के. शशिकुमार, वरिष्ठ फेलो, वीवीगिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने 19–21 दिसंबर, 2016 को बर्लिन, जर्मनी में जर्मन प्रेसीडेंसी के तहत जी–20 रोजगार कामकाजी समूह की प्रथम बैठक में भाग लिया।

21-83 श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों से मिलने के लिए कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों ने भारत का दौरा किया, हैं:

- मि. गॉय रायडर, महानिदेशक आईएलओ ने 5–9 जुलाई 2016 के दौरान भारत का दौरा किया। उन्होंने द्विपक्षीय विचार–विमर्श के लिए 7 जुलाई 2016 को श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के साथ एक बैठक की थी।

- श्री हू कीमींग, चीन की पीपुल्स गणराज्य के राज्य परिषद की विधान मामलों की उप–मंत्री ने 20 जून 2016 को सचिव (श्रम एवं रोजगार) के साथ एक बैठक की थी।

- श्री विक वान व्यूरेन, निदेशक, आईएलओ–डीडब्ल्यू ने 27 अक्टूबर, 2016 को सचिव (श्रम एवं रोजगार) के साथ एक बैठक की थी।

- श्री अहमद शाह सालेह, श्रम–उप मंत्री, अफगानिस्तान सरकार ने श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के साथ एक बैठक की।

अध्याय – 22

रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय

i"BHkfe

22-1 पुनर्वास तथा रोजगार महानिदेशालय (डीजीआरएंडई) तथा रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीईएंडटी) जिसे अब रोजगार महानिदेशालय (डीजीई) के रूप में जाना जाता है, की स्थापना भूतपूर्व रक्षा सेवा कार्मिकों और कार्यमुक्त किए गए युद्ध कार्मिकों का नागरिक जीवन में पुनर्वास करने के प्रयोजनार्थ की गई थी।

22-2 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् महानिदेशालय को पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों से संबंधित कार्य भी सौंपा गया। तत्पश्चात, 1948 के प्रारम्भ में सभी श्रेणी के रोजगार चाहने वालों को रोजगार सेवा तथा 1950 में सभी नागरिकों की प्रशिक्षण सेवाओं की व्यवस्था को भी निदेशालय के कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया ।

22-3 प्रशिक्षण और नियोजन सेवा समिति (1952 में स्थापित शिवा राव समिति) की सिफारिशों के अनुसरण में रोजगार कार्यालयों तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का दैनंदिन प्रशासनिक नियंत्रण 01.11.1956 से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्र एवं राज्यों के बीच लागत सहभागिता आधार पर हस्तांतरित कर दिया गया।

22-4 प्रतिष्ठान की लागत पर होने वाले खर्च का 60 प्रतिशत राज्य सरकारों के साथ केन्द्र द्वारा 31.03.1969 तक वहन किया जाता रहा, जिसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा मई, 1968 में लिए गए निर्णय के आधार पर यह योजना बन्द कर दी गई।

22-5 प्रत्येक क्रमिक पंचवर्षीय योजना के साथ केन्द्र तथा राज्यों में रोजगार सेवा और प्रशिक्षण सेवा के कार्यकलापों में विस्तार होता रहा है। अक्टूबर, 2016 के अन्त तक कार्य कर रहे रोजगार कार्यालयों की कुल संख्या 978 (76 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो सहित) है।

22-6 वर्तमान में उप महानिदेशक (रोजगार) महानिदेशालय के प्रमुख हैं। महानिदेशालय के संगठनात्मक ढाँचे में रोजगार निदेशालय तथा सचिवालय विंग नामक दो मुख्य विंग हैं।

mÙkjnkf;Ùo

- रोजगार निदेशालय
- राज्य सरकारों के परामर्श से राष्ट्रीय रोजगार सेवा के विस्तार एवं विकास हेतु कार्यक्रमों की योजना बनाना एवं निर्माण करना।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में रोजगार सेवा के कार्य में समन्वय स्थापित करना।
- रोजगार सेवा कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना तथा स्टाफ प्रशिक्षण सामग्री विकसित करना।
- राज्यों में रोजगार कार्यालयों की नीतियों, प्रक्रियाओं

और कार्य पद्धतियों के मूल्यांकन का आवधिक कार्यक्रम संचालित करना, ताकि सेवा के प्रगामी विकास हेतु राज्य सरकारों का मूल्यांकन किया जा सके तथा उन्हें सलाह दी जा सके तथा राष्ट्रीय नीतियों, मानकों एवं प्रक्रियाओं का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

- कुछ विनिर्दिष्ट क्षेत्रों जहां भर्ती के लिए व्यापक परिचालन अपेक्षित है, वहां अधिशेष व कम कार्मिकों के समायोजन हेतु एक केन्द्रीय एजेन्सी उपलब्ध कराना।
- संगठित क्षेत्र एवं रोजगार कार्यालयों के लिए श्रम बाजार सूचना का संकलन एवं प्रचार–प्रसार करना तथा समान रिर्पोटिंग प्रक्रियाएं निर्धारित करना।
- बेरोजगार युवाओं से उनकी योग्यता एवं कौशल के उपयुक्त आजीविकाओं के चुनाव एवं योजना बनाने के लिए रोजगार कार्यालयों तथा विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो (यू ई आई जी बी एक्स) के माध्यम से किए जाने वाले व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं आजीविका परामर्श सेवा के मध्य समन्वय करना।
- विकलांगों की अवशिष्ट क्षमता का मूल्यांकन करना तथा उनके आर्थिक पुनर्वास को सुगम बनाने के लिए उन्हें समायोजन प्रशिक्षण प्रदान करना।
- भारत सरकार के उन मंत्रालयों के कार्यों में समन्वय करना तथा उनसे परामर्श करना जिनके कार्य देश में रोजगार की स्थिति को प्रभावित करते हैं।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों को व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं विश्वास सृजन में प्रशिक्षण प्रदान करना।
- राष्ट्रीय रोजगार नीति तैयार करना।

lkfof/kd mic/k

22-7 रोजगार महानिदेशालय द्वारा लागू किए गए सांविधिक उपबंध हैं: –

- रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम। गैर–सांविधिक निकाय रोजगार महानिदेशालय के अंतर्गत काम कर रहा है:–

xSj&lkfof/kd fudk;

22-8 रोजगार महानिदेशालय के अंतर्गत कार्य कर रहा गैर–सांविधिक निकाय यह है:

- राष्ट्रीय रोजगार सेवा पर कार्य समूह

jkstxkj lsok ds fy, miyC/k vk/kkjHkwr lajpuk

jkT; ljdkjksa ds ikl%&

- 31.12.2014 को पूरे भारतवर्ष में 978 रोजगार कार्यालय (विकलांगों हेतु 42 विशेष रोजगार कार्यालयों सहित) हैं।
- 31.12.2014 को विभिन्न राज्यों में सामान्य रोजगार कार्यालयों में विकलांग व्यक्तियों हेतु 38 विशेष प्रकोष्ठ कार्य कर रहे हैं।

- राज्य रोजगार निदेशालय सामान्यतः राज्यों की राजधानी में स्थित हैं।

dUæ ljdkj d ikl%

- अन्यथा सक्षम व्यक्तियों हेतु 21 राष्ट्रीय आजीविका सेवा केंद्र (पूर्ववर्ती वीआरसीज) जिनमें से विशेष रूप में विकलांग महिलाओं हेतु एक केन्द्र वडोदरा में स्थापित किया गया है।
- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु 24 राष्ट्रीय आजीविका सेवा केंद्र (पूर्ववर्ती सीजीसीज)।
- नोएडा (यूपी) स्थित राष्ट्रीय आजीविका सेवा संस्थान (एनआईसीएस) पूर्ववर्ती सीआईआरटीईएस।
- नई दिल्ली में रोजगार निदेशालय के अंतर्गत केन्द्रीय रोजगार कार्यालय।

fof'k"Vrk,¡

jkt xkj lsok

22-9 रोजगार महानिदेशालय किसी रोजगार सृजन योजना का कार्यान्वयन नहीं करता है। इसकी भूमिका भारत में राष्ट्रीय रोजगार सेवा के माध्यम से देश में हो रहे रोजगार सृजन का समन्वय करना और इस पर नजर रखना है। रोजगार सेवा का नेटवर्क 1951 में 18 रोजगार कार्यालयों से बढ़कर 31.12.2014 को 978 रोजगार कार्यालय हो गया है।

22-10 रोजगार कार्यालयों द्वारा निभाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण भूमिका बेरोजगार युवाओं को वेतन वाले रोजगारों में कमी के कारण स्व–रोजगार उपक्रमों हेतु प्रेरित करना एवं उनका मार्गदर्शन करना है। 22 चुनिन्दा रोजगार कार्यालयों में विशेष स्व–रोजगार संवर्धन सैल कार्य करते रहे हैं।

22-11 31.10.2015 को रोजगार चाहने वालों को व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार परामर्श प्रदान करने के लिए देश में रोजगार कार्यालयों में 409 व्यावसायिक मार्गदर्शन एकक तथा विश्वविद्यालय परिसरों में 76 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो (यूईआईजीबीएक्स) कार्य कर रहे हैं।

22-12 नियमित एवं विश्वसनीय श्रम बाजार सूचना का रखरखाव करने हेतु राज्यों में रोजगार सेवा, रोजगार बाजार सूचना (ईएमआई) कार्यक्रम को कार्यान्वित करती रही है। कार्यक्रम में सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त प्रतिष्ठान एवं 10 या अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले निजी क्षेत्र के गैर –कृषीय प्रतिष्ठान शामिल हैं।

22-13 24 राज्यों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु चौबीस राष्ट्रीय आजीविका सेवा केंद्र (पूर्ववर्ती सीजीसीज) की स्थापना की गई है। इन केन्द्रों द्वारा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों को व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं विश्वास सृजन में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, 14 राष्ट्रीय आजीविका सेवा केंद्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों को टंकण एवं आशुलिपि का अभ्यास करने की सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। ये केन्द्र समूह 'ग' एवं समकक्ष पदों हेतु कर्मचारी चयन आयोग एवं अन्य भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की नियोजनीयता में सुधार के लिए भर्ती–पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी आयोजित करते रहे हैं। वर्ष 2016–17 के दौरान नवम्बर, 2016 तक 10126 उम्मीदवारों ने टंकण एवं आशुलिपि का अभ्यास करने के लिए राष्ट्रीय आजीविका सेवा केंद्रों में प्रदान की गई

सुविधाओं का लाभ उठाया तथा 711 उम्मीदवारों ने एनसीएस द्वारा आयोजित भर्ती–पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

22-14 देश में विकलांगों हेतु इक्कीस राष्ट्रीय आजीविका सेवा केंद्र (एनसीएससीडीए) (पूर्ववर्ती वीआरसीज) कार्य करते रहे हैं, जिनमें से, वडोदरा स्थित एक केन्द्र विशेष रूप से विकलांग महिलाओं हेतु स्थापित किया गया है। वर्ष 2013–14 के दौरान रांची में एक एनसीएससीडीए स्थापित किया गया है और यह प्रचालन की प्रक्रिया में है। ये केन्द्र विकलांग व्यक्तियों की अवशिष्ट क्षमताओं का मूल्यांकन करते हैं तथा उन्हें समायोजन प्रशिक्षण और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं जिससे उन्हें आर्थिक मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और उन्हें देश का उत्पादक नागरिक बनाया जा सके। ये केन्द्र विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास में लोक जागरूकता तथा सामुदायिक भागीदारी उत्पन्न करने में पहले से सक्रिय भूमिका निभाते हैं। वर्ष 2016–17 के दौरान (31.11.2016 तक) इन केन्द्रों द्वारा 21384 विकलांग व्यक्तियों का पंजीकरण, 21,277 का मूल्यांकन एवं 7455 का पुनर्वास किया गया। कौशलयुक्त कार्यबल की मांग एवं आपूर्ति के बीच संबंध की सहक्रिया करने के लिए सरकार ने शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडीज) के लिए 5 आदर्श आजीविका केन्द्र स्थापित किया है। ये केन्द्र विकलांग युवाओं के लिए महत्वपूर्ण कार्यकलाप के रूप में आजीविका परामर्श देने पर बल देंगे ताकि बाजार के अनुसार कौशल वृद्धि पाठ्यक्रमों का अनुसरण हो। एनसीएससीडीए के अधिकारियों को व्यावसायिक परामर्श तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहुंच परामर्श सत्र और कार्य मेले इन आजीविका केंद्रों में मुख्य कार्यकलाप होंगे।

22-15 रोजगार महानिदेशालय (मुख्यालय) स्थित भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के माध्यम से भूतपूर्व विकलांग सैनिकों/सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों तथा उनके आश्रितों को नियोजन संबंधी सेवा प्रदान की जाती है। वर्ष 2016 (जनवरी से अक्टूबर) के दौरान 17 विकलांग पूर्व सैनिक तथा आश्रित, भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के माध्यम से रोजगार सहायता के लिए पंजीकृत थे।

22-16 राष्ट्रीय आजीविका सेवा संस्थान (पूर्ववर्ती सीआईआरटीईएस) रोजगार सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने तथा एनईएस (एनसीएस) के विभिन्न कार्यकलापों से संबंधित मामलों में अनुसंधान करने तथा एनईएस कार्यक्रमों के बेहतर कार्यान्वयन हेतु उपकरण एवं तकनीकें विकसित करने के लिए उत्तरदायी है। यह व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं आजीविका परामर्श के लिए आजीविका साहित्य भी तैयार करता है। एनसीएस पर एनआईईएलआईटी के सहयोग से रोजगार अधिकारियों के लिए 10 एनआईईएलआईटी केंद्रों में पूरे भारत में 5 जनवरी, 2016 से 18 फरवरी, 2016 तक क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान लगभग 900 रोजगार अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। राष्ट्रीय आजीविका सेवा पोर्टल प्रबन्धन से संबंधित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम वीआरसी और सीजीसी के अधिकारियों के लिए (14.04.2016) को आयोजित किया गया था। एनसीएस से संबंधित रोजगार अधिकारियों के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण एनआईईएलआईटी के सहयोग से पूरे भारत में 17 अक्टूबर, 2016 से 22 नवम्बर, 2016 तक 9 एनआईईएलआईटी केंद्रों में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 400 रोजगार अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

jk"Vªh; jkstxkj uhfr%

22-17 श्रम और रोजगार मंत्रालय ने फरवरी, 2013 में राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू करने के लिए एक मंत्रिमंडल नोट अग्रेषित किया था। हालांकि, इस दस्तावेज का स्तर बढ़ाने और इसे अद्यतन करने की सलाह दी गई थी। इसके बाद मंत्रालय ने राष्ट्रीय रोजगार नीति का प्रारूप बनाने का कार्य वीवीजीएनएसआई को सौंप दिया और उसे तैयार करते समय यह बात उभर कर आई कि इस नीति में व्यापक जटिलताएं थीं और विभिन्न हितधारकों, मंत्रालयों, विभागीय ट्रेड यूनियनों, अनुसंधान संस्थानों और राज्य सरकारों इत्यादि से राय अपेक्षित थी। तदनुसार 4 अप्रैल, 2014 को एक अन्तर मंत्रालीय समिति गठित की गई थी और विचार और सुझाव मांगने के लिए हितधारकों को अवधारणा नोट परिचालित किया गया। प्रारूप नीति पर 29.8.2014 को राज्य के मंत्रियों से भी चर्चा की गई है। प्रस्तावित रोजगार नीति की रूपरेखाओं पर चर्चा करने के लिए 4.6.2015 को एक अन्य प्रमुख हितधारक के साथ विचार–विमर्श सत्र आयोजित किया गया। राष्ट्रीय रोजगार नीति से संबंधित दृष्टिकोण पत्रों पर चर्चा करने के लिए 1.07.2016 को एक बैठक आयोजित की गई। चर्चा के आधार पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय रोजगार नीति का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया जारी है।

jk"Vªh; vkthfodk lsok

22-18 मंत्रालय आजीविका परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों, शिक्षुता, इन्टर्नशिप पर सूचना, आदि जैसी विभिन्न रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय रोजगार सेवा के रूपान्तरण हेतु एक मिशन मोड परियोजना के रूप में राष्ट्रीय आजीविका सेवा (एनसीएस) परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस परियोजना की प्रगति का सार नीचे दिया गया है।

22-19 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए मिशन मोड परियोजना का मूल्यांकन एवं अनुमोदन नवम्बर–दिसम्बर, 2013 में 148.70 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ किया गया। आजीविका केन्द्रों की स्थापना करने संबंधी सरकार की मंशा को साकार करने हेतु नवम्बर, 2014 में परियोजना परिव्यय को मूल्यांकित करके बढ़ाकर 292.20 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 12 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार कार्यालयों को एक साथ जोड़ने के लिए और नियमित आधार पर रोजगार मेले आयोजित करने के लिए 348 करोड़ रु. के बढ़े हुए परिव्यय से परियोजना का दायरा और बढ़ाया गया। वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए परियोजना का अनुमोदित परिव्यय 69.66 करोड़ रुपए था और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए इसे बढ़ाकर 100.00 करोड़ कर दिया गया है।

22-20 एन सी एस के तहत सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं तथा सीधे ही आजीविका केंद्रों, साझा सेवा केंद्रों, मोबाइल डिवासेस, साइबर कैफे आदि के माध्यम से इन्हें देखा जा सकता है। एन सी एस मंच पर विभिन्न हितधारकों में रोजगार चाहने वाले, उद्योग, नियोक्ता, रोजगार कार्यालय (आजीविका केंद्र), प्रशिक्षण प्रदाता, शैक्षिक संस्थान तथा नियोजन संगठन शामिल हैं।

22-21 एनसीएस पोर्टल (एनसीएसपी) को यूआरएल (www.ncs.gov.in) पर आरंभ कर दिया गया है। पोर्टल भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 20/7/2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राष्ट्र को समर्पित किया गया। प्रयोगकर्ताओं की सहायता के लिए मंगलवार से रविवार तक एक समर्पित हेल्पडेस्क (बहु–भाषी) (सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक) 18004251514 पर उपलब्ध है।

इसमें 53 क्षेत्रों के अंतर्गत 3000 से अधिक व्यवसायों की आजीविका सामग्री का समृद्ध भण्डार है। पोर्टल रोजगार मेलों के आयोजन को भी सुकर बनाता है जहां नियोक्ता तथा रोजगार चाहने वाले दोनों संपर्क कर सकते हैं। एनसीएस पोर्टल की संक्षिप्त सांख्यिकी नीचे दी गई है:

30-11-2016

Ø-l-	dk;Zdyki	ckM ij l[;k
1	रोजगार चाहने वालों की संख्या	3,70,96,799
2	नियोक्ताओं की संख्या	14,85,810
3	आजीविका व्यवसायों की सूचना	3,000

22-22 आजीविका परामर्श पर सरकार के बढ़ते हुए ध्यान के साथ, मंत्रालय का आजीविका सलाहकारों के एक नेटवर्क को सृजित करने का प्रस्ताव है जहां आजीविका केंद्र अपने क्षेत्र में आजीविका परामर्श का केंद्र बन जाएंगे। प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 1947 सलाहकारों ने 30.11.2016 तक एनसीएस पोर्टल पर पंजीकरण कराया है।

22-23 एनसीएस पोर्टल आजीविका और रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए संस्थानों और संगठनों की सहभागिता हेतु एक खुला वास्तुशिल्प भी प्रदान करता है। एनसीएस पोर्टल प्रमुख या अन्य क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने को कोटिबद्ध करने या इनमें सुधार करने में सहायता के लिए विशिष्ट पेज तैयार कर सकता है। सहभागी संस्थानों को एनसीएस पोर्टल पर समुचित स्थान और लिंक उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि गैर–विशेषता आधार पर सेवाओं की सुपुर्दगी में सुधार किया जा सके और ये निगरानी प्रणाली के अनुरूप हों। मंत्रालय ने हमारे कार्यबल को अधिकाधिक रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए अनेक संस्थानों और संगठनों के साथ संबंध स्थापित किया है, जिनमें से कुछ अग्रणी संगठन ये हैं– इंडियन स्टाफिंग फैडरेशन (आईएसएफ), क्विकर जॉब्स, Monster.com, टेक महिन्द्रा (सरल रोजगार), उबर, गेट अहेड फास्ट, हिन्दुस्तान टाइम्स, इन्डीड, फ्रेशर्स वर्ल्ड, फर्स्ट जॉब, मेरा जॉब, अर्बन क्लैप, व्ही बॉक्स, डिलीवरी ट्रैक, कौशल प्रशिक्षण प्रदाता संघ, पोर्टिया, एमिटी यूनिवर्सिटी, Babajob.com, रिटर्न ऑफ द मिलियन स्माइल (इंडिया ओल्ड एज/गोल्ड फिश) और डाक विभाग।

22-24 एनसीएस परियोजना के लिए विभिन्न अवसरों पर राज्य सरकारों के साथ अनेक बार विचार–विमर्श किया गया। राष्ट्रीय आजीविका सेवा एवं आजीविका केन्द्रों की संरचना को तैयार करने में प्रमुख मंत्रालय, शैक्षिक जगत एवं उद्योग शामिल रहे हैं। एनसीएस के अन्तर्गत मौजूदा परामर्श संबंधी साहित्य को डिजिटाइज करके आजीविका परामर्शी संबंधी विषय–वस्तु का ज्ञान–संग्रह सृजित करने और इसे हितधारकों द्वारा आवधिक रूप से अद्यतन बनाने हेतु और विभिन्न उपयोगकर्ताओं तक इसे सुगम बनाने का प्रस्ताव है। आजीविका परामर्शदाताओं का नेटवर्क, मूल्यांकन उपकरण, ग्रामीण पहुंच कार्यनीतियों आदि जैसे राष्ट्रीय आजीविका सेवा के अन्तर्गत विभिन्न पहलुओं के लिए बहु–हितधारक विशेषज्ञ समूह गठित किए गए हैं। इस परियोजना के संचालन के लिए समितियां भी गठित की गई हैं।

22-25 एनसीएस परियोजना में प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हेतु रोजगार सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्यों द्वारा स्थापित किए जाने वाले आदर्श आजिविका केंद्रों (एमसीसीज) की स्थापना की भी परिकल्पना की गई है। सरकार ने 30.11.2016 तक 107 आदर्श आजीविका केंद्रों (7 गैर–वित्तपोषित एमसीसीज) की स्थापना को अनुमोदित कर दिया है। सरकार वित्तीय वर्ष 2016–17

के दौरान इन केंद्रों को चालू करने की प्रक्रिया में है। इन एमसीसीज को 60+20=80% का भुगतान 31.3.2017 तक जारी करने की सम्भावना है।

22-26 978 रोजगार कार्यालयों को एनसीएस पोर्टल के साथ जोड़ने और रोजगार कार्यालयों के उन्नयन के लिए आंशिक वित्तपोषण और रोजगार मेलों के आयोजन के लिए एनसीएस परियोजना का भी विस्तार किया गया है। 16 राज्यों ने प्रस्ताव भेजे हैं और 30.11.2016 तक 06 राज्यों को निधियां जारी कर दी गई हैं।

22-27 समानांतर कार्रवाई के रूप में, मंत्रालय ने राष्ट्रीय आजीविका सेवा के क्षेत्र में अभिविन्यास की बहु–आयामी कार्य–नीति, पुनश्चर्या और विशेष प्रशिक्षण के अन्तर्गत राष्ट्रीय रोजगार सेवा के अधिकारियों तथा आदर्श आजीविका केंद्रों में तैनात किए जा रहे युवा पेशेवरों के क्षमता निर्माण हेतु एक कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। 1556 (चरण 1 में 908 + और चरण 2 में 648) रोजगार अधिकारियों को 30.11.2016 तक एनसीएस पोर्टल प्रबन्धन पर प्रशिक्षित किया गया है। 53 युवा पेशेवर (वाईपीज) भर्ती किए गए हैं और सितम्बर, 2016 तक विभिन्न एमसीसीज में नियुक्त किए गए हैं और अन्यों की भर्ती की जा रही है।

अध्याय – 23

राष्ट्रीय रोजगार सेवा

Hkfedk

23-1 केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से राष्ट्रीय रोजगार सेवा हेतु नीतियां, मानक व प्रक्रियाएं निर्धारित की जाती हैं। राष्ट्रीय रोजगार सेवा पर एक कार्यकारी समूह, जिसमें केन्द्र व राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं, इस परामर्श प्रक्रिया में सहायता करता है। राष्ट्रीय रोजगार सेवा पर कार्यकारी समूह की नियमित बैठकें रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक, श्रम और रोजगार मंत्रालय, की अध्यक्षता में आयोजित की जाती हैं। राज्य सरकारों के श्रम एवं रोजगार सचिवों / राज्य रोजगार निदेशकों/रोजगार महानिदेशालय के अन्य प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों द्वारा बैठकों में भाग लिया जाता है। कार्यकारी समूह ने राष्ट्रीय रोजगार सेवा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार किया तथा आवश्यक सिफारिशें कीं।

jk"Vªh; jkstxkj lsok dh fo'ks"krk,a

- राष्ट्रीय रोजगार सेवा के अंतर्गत सिक्किम राज्य को छोड़कर समस्त राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र आते हैं।
- रोजगार कार्यालयों का दैनंदिन प्रशासन संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के नियंत्रणाधीन है।
- इसका 978 रोजगार कार्यालयों का नेटवर्क है।
- प्रशासनिक कार्यकरण के एक भाग के रूप में, रोजगार कार्यालय सांख्यिकीय विवरणियों के माध्यम से आंकड़े एकत्र किए जाते हैं जिनमें प्रत्येक विवरणी में विभिन्न अवधियों के दौरान पंजीकरण, नियोजन, इत्यादि जैसे विशिष्ट क्षेत्र के कार्य शामिल हैं।
- रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम 1959 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारत ई. आर.–I विवरणियों में रोजगार, रिक्तियों, कर्मचारियों के व्यावसायिक एवं शैक्षिक ढांचे इत्यादि के संबंध में संगठित क्षेत्र (समस्त सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान तथा 10 या अधिक कामगारों वाले समस्त गैर–कृषि निजी क्षेत्र प्रतिष्ठान) से आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। निजी क्षेत्र में 10 से 24 कामगारों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों को स्वैच्छिक आधार पर शामिल किया जाता है।

23-2 रोजगार सेवा अब केन्द्र एवं राज्य सरकार और डीजीई, का संयुक्त मुद्दा है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ईएमआई एकत्र करने, व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार संबंधी परामर्श देने और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के नियोजन सहित रोजगार सेवाओं द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों, मानकों एवं प्रक्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय रोजगार सेवा के लिए नीतियाँ, मानक और प्रक्रियाएं राज्य सरकारों से परामर्श करके केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। राष्ट्रीय रोजगार सेवा के कार्यकारी समूह में केन्द्र एवं राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हैं जो

इस सलाहकारी प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं। राष्ट्रीय रोजगार सेवा पर कार्यकारी समूह की नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं। कार्यकारी समूह ने राष्ट्रीय रोजगार सेवा से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार किया और आवश्यक सिफारिशें कीं।

23-3 राष्ट्रीय रोजगार सेवा को राष्ट्रीय आजीविका सेवा में परिवर्तित करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने नवम्बर, 2013 के दौरान एक कार्यकारी समूह गठित किया जिसमें राज्य सरकारों, नियोक्ता संघों के प्रतिनिधि एवं अन्य हितधारक शामिल हैं। इस कार्यकारी समूह की प्रथम बैठक 3 दिसम्बर, 2013 को आयोजित की गई। सेवा की उपयोगिता, पहुंच तथा दक्षता में सुधार करने सहित विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत रूप से चर्चाओं एवं ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, राष्ट्रीय आजीविका सेवा की आधारशीला रखते हुए सरकार द्वारा सिफारिशों का अनुमोदन किया गया।

jkstxkj dk;kZy; ¼fjfä;ksa dh vfuok;Z vf/klwpuk½ vf/kfu;e] 1959

23-4 रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम 1959 के तहत रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना तथा नियोक्ताओं द्वारा रोजगार कार्यालयों को रोजगार संबंधी विवरणियां (ई.आर.–I और ई.आर–II) प्रस्तुत करने का प्रावधान है। यह अधिनियम, सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त प्रतिष्ठानों तथा गैर–कृषि कार्यकलापों में रत और 25 या अधिक कामगारों को नियुक्त करने वाले निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। अधिनियम को लागू करना राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का दायित्व है। अधिकतर राज्योंध्संघ राज्य क्षेत्रों में इस प्रयोजन के लिए विशेष प्रवर्तन तंत्र स्थापित है। अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर श्रम संबंधी संसदीय स्थाई समिति द्वारा विचार–विमर्श किया गया तथा उसने यह सिफारिश की है कि रोजगार कार्यालयों के कार्यकरण को समाज की आवश्यकताओं के प्रति और अधिक संगत बनाने के लिए अधिनियम को व्यापक रूप से संशोधित किया जाए तथा मंत्रालय में इसकी जांच की जा रही हैं।

तदनुरूप, अधिनियम के ढांचों पर विचार–विमर्श करने के लिए प्रमुख मंत्रालयों को शामिल करते हुए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा एक अंतर–मंत्रालयीय समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है। समिति ने इसके निरसन तथा राष्ट्रीय रोजगार सेवा (एनसीएस) के नीतिगत ढांचे को आरंभ करने की सिफारिश की है तथा इस दिशा में अनुवर्त्ती कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच, आईएमसी ने मौजूदा अधिनियम को एनसीएस का चलन होने तक जारी रखने का निर्णय लिया है।

jk"Vªh; jkstxkj lsok dk dk;Z&fu"iknu*

23-5 31.12.2014* की स्थिति के अनुसार 978 रोजगार कार्यालयों के नेटवर्क का ब्यौरा rkfydk 23-1 में दिया गया है। रोजगार चाहने वालों का पंजीकरण, नियोजन, आजीविका परामर्श तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार बाजार सूचना एकत्रित करना रोजगार कार्यालयों की मुख्य गतिविधियाँ हैं।

rkfydk 23-1

➢ jkstxkj dk;kZy;ksa dh dqy la[;k ¼31-12-2014* dh vuqlkj rd½ eas fuEufyf[kr lfEefyr gSa%	978
➢ fo'ofo|ky; jkstxkj lwpuk ,oa ekxZn'kZu C;wjks ¼;w-bZ-vkbZ- th-ch-,Dl-½	76
➢ O;kolkf;d ,oa dk;Zdkjh jkstxkj dk;kZy;	14
➢ 'kkjhfjd :i ls fodykaxksa ds fy, fo'ks"k jkstxkj dk;kZy;	42
➢ ckxku Jfedksa ds fy, fo'ks"k jkstxkj dk;kZy;	01

23-6 दिसंबर, 2014 तक पंजीकरण एवं नियोजन के संबंध में किया गया कार्य निम्नानुसार दिया गया है:

rkfydk 23-2

31.12.2014 की स्थिति के अनुसार चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या	संख्या (लाख में)
पुरुष	311.83
महिलाएं	170.78
कुल	482.61
वर्ष 2014 के दौरान नियोजित रोजगार चाहने वालों की संख्या	
पुरुष	2.78
महिलाएं	0.61
कुल	3.39
वर्ष 2014 के दौरान पंजीकृत रोजगार चाहने वालों की संख्या	
पुरुष	37.68
महिलाएं	21.89
कुल	59.57

iathdj.k ,oa fu;kstu dh çeq[k fo'ks"krk,a%

23-7 jkstxkj dk;kZy;ksa dh la[;k

रोजगार कार्यालयों की संख्या वर्ष 2014 में 978 रही है। 978 रोजगार कार्यालयों में से, 76 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो, 14 व्यावसायिक एवं कार्यकारी रोजगार कार्यालय, 42 विकलांगों हेतु विशेष रोजगार कार्यालय तथा बागान श्रमिकों हेतु 1 विशेष रोजगार कार्यालय है।

23-8 pkyw jftLVj%

चालू रजिस्टर पर 482.61 लाख रोजगार चाहने वालों की कुल संख्या में से, 311.83 लाख रोजगार चाहने वाले पुरुष तथा 170.78 लाख रोजगार चाहने वाली महिलाएं हैं।

23-9 iathdj.k%

2014 के दौरान पंजीकृत 59.7 लाख रोजगार चाहने वालों की कुल संख्या में से, 37.68 लाख रोजगार चाहने वाले पुरुष थे तथा 21.89 लाख महिलाएं थीं। सर्वाधिक रोजगार चाहने वाले व्यक्ति (13.61 लाख) तमिलनाडु में पंजीकृत थे, इसके बाद 6.86 लाख महाराष्ट्र, 5.41 लाख केरल, 4.44 लाख गुजरात, 3.56 लाख उत्तर प्रदेश एवं 3.36 लाख पश्चिम बंगाल में थे।

23-10 fu;kstu%

वर्ष 2014 के दौरान, रोजगार कार्यालयों के माध्यम से जिन 3.39 लाख रोजगार प्राप्त करने वालों को रोजगार प्राप्त हुआ, उनमें 0.61 लाख महिलाएं थीं।

23-11 2006 से 2013 की अवधि में वर्ष–वार पंजीकरण, नियोजन, अधिसूचित रिक्तियां, भेजे गए नाम तथा चालू रजिस्टर संबंधी विवरण तालिका 23.3 में दिया गया है।

rkfydk 23-3

¼vkdM gtkj e½

o"kZ	jkstxkj dk;kZy;] ;bZvkbZthch,Dl $	iathdj.k	fu;kstu	vf/klwfpr fjfä;ka	Hkkth x, uke	pkyw jftLVj
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2006	947	7289.5	177.0	358.2	3029.5	41466.0
2007	965	5434.2	263.5	525.8	3666.1	39974.0
2008	968	5315.9	305.0	570.8	3344.0	39112.4
2009	969	5693.7	261.5	419.5	2589.3	38152.2
2010	969	6186.0	505.4	706.9	3747.1	38818.5
2011	966	6206.3	471.5	819.7	5142.9	40171.6
2012	956	9722.2	427.6	682.8	2982.2	44790.1
2013*	956	5969.4	348.5	510.7	3002.1	46802.5
2014	978	5957.2	338.5	762.0	4220.4	48261.1

*31.10.2014 तक रोजगार कार्यालयों की कुल संख्या 978 है। तथापि प्रयोग किए गए आंकड़ों के बीच संगतता हेतु दिसम्बर, 2013 की स्थिति के अनुसार आंकड़ों के कट–ऑफ बिंदु को प्रयोग किया गया है।

dUæh; jkstxkj dk;kZy;] fnYyh

23-12 केन्द्रीय रोजगार कार्यालय, दिल्ली केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों में 1400/–रु. प्रति माह (संशोधन पूर्व) तथा उससे अधिक के मूल वेतन की वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रकृति की रिक्तियों का विज्ञापन करने हेतु उत्तरदायी है। डीओपीटी द्वारा निर्धारित संशोधित प्रक्रिया के अनुसार ईई (सीएनवी) अधिनियम 1959 के अनुसार सीईई को अधिसूचित सभी रिक्तियों को केंद्रीय सरकार कार्यालय (सीईई) द्वारा रोजगार समाचार में विज्ञापित किया जाना है। जनवरी, 2016 से अक्तूबर, 2016 तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा अधिसूचित 63 रिक्तियों का डीएवीपी द्वारा प्रकाशित रोजगार समाचार में विज्ञापन दिया गया। इनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य (जिसमें समस्तर आरक्षण सहित) के लिए क्रमशः 11, 08, 17 एवं 27 रिक्तियां शामिल हैं।

jkstxkj cktkj lwpuk dk;Øe ¼bZ-,e-vkbZ-½

dk;Z{kS=] foLrkj ,oa lhek

23-13 संगठित क्षेत्र में रोजगार संबंधी आंकड़े रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अंतर्गत एकत्र किए जाते हैं जिसे रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 व इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा सांविधिक आधार प्रदान किया जाता है। रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम का विस्तार अब सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कर दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों और निजी क्षेत्र के 25 या उससे अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले गैर–कृषीय प्रतिष्ठानों के लिए यह कार्यक्रम लागू है। 10 से 24 कामगारों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों को स्वैच्छिक आधार पर शामिल किया जाता है।

23-14 तथापि, रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम में कृषीय प्रतिष्ठानों (पौधारोपण तथा कृषि मशीनी उपकरण के अतिरिक्त), स्वनियोजितों या स्वतंत्र कामगारों, अंशकालिक कामगारों, रक्षा बलों, विदेशों में भारतीय मिशनों, मुंबई व कोलकाता महानगरों में 25 से कम कामगारों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों तथा अति लघु प्रतिष्ठानों (10 से कम कामगारों को नियोजित करने वाले) में रोजगार को शामिल नहीं किया जाता है। रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के अनुसार नियोक्ताओं के लिए रोजगार विवरणी (ई.आर–I) तथा व्यावसायिक विवरणी (ई आर–II) को क्रमशः त्रैमासिक तथा द्विवार्षिक अंतराल पर भेजना अनिवार्य है। रोजगार विवरणियों को प्रत्येक तिमाही के अंतिम कार्य दिवस पर रोजगार को दर्शाते हुए त्रैमासिक अंतराल पर प्रस्तुत किया जाता है जबकि व्यावसायिक विवरणियां द्विवार्षिक रूप से एकत्र की जाती हैं।

jkstxkj dk;kZy;ksa dk ewY;kadu

23-15 रोजगार कार्यालय और विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो का संयुक्त तकनीकी मूल्यांकन कार्यक्रम देश में संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के सहयोग से यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है किः–

- स्वीकृत नीतियों तथा प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जाएं।
- मानकों का रखरखाव एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जाएं।
- रोजगार कार्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाया जाएं।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच प्रभावी समन्वय रखा जाएं।
- कर्मचारी वृंद एवं अधिकारियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाएं।
- इन सेवाओं में सुधार करने के लिए आवश्यक उपाय सुझाए जाएं।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में रोजगार कार्यालयों के कार्यकरण का मूल्यांकन एक सतत कार्यकलाप है। मूल्यांकन रिपोर्टों में दिए गए सुझावों के अनुपालन का प्रभावी रूप से अनुसरण किया जाता है।

0;kolkf;d ekxZn'kZu ,oa jkstxkj ijke'kZ

23-16 रोजगार कार्यालयों तथा विश्वविद्यालय परिसर में काम करने वाले विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो (यू.ई.आई.जी.बी.एक्स.) में व्यावसायिक मार्गदर्शन एकक रोजगार चाहने वालों को व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार संबंधी परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान रोजगार कार्यालयों में 409 व्यावसायिक मार्गदर्शन इकाइयों तथा 76 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो (यू. ई. आई. जी. बी. एक्स.) ने रोजगार चाहने वालों तथा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को आवश्यक मार्गदर्शन एवं सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कार्य करना जारी रखा। व्यावसायिक मार्गदर्शन एकक और यूईआई एवं जीबीएक्स आजीविका वार्ताओं, वैयक्तिक परामर्श सत्रों, सामूहिक विचार–विमर्श, आजीविका प्रदर्शनियों तथा फिल्म–प्रदर्शन आदि के माध्यम से विद्यार्थियों, अध्यापकों, अभिभावकों तथा रोजगार चाहने वालों (व्यक्तिगत एवं सामूहिक – दोनों रूपों में) के बीच प्रचारित – प्रसारित करने हेतु व्यावसायिक सूचना का एकत्रण व संकलन करते हैं।

23-17 Lo&jktxkj lo/ku

- वैतनिक रोजगारों की सामान्य कमी के कारण स्व–रोजगार संवर्धन कार्यक्रम आरंभ किया गया।
- बेरोजगार युवाओं को अपनी आजीविका के रूप में स्व–रोजगार हेतु प्रेरित करने के लिए रोजगार कार्यालयों को इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है।
- देश में 28 चुनिंदा रोजगार कार्यालयों में स्व–रोजगार संवर्धन कक्ष (एसईपीसी) स्थापित किए गए जिनमें से अब 22 स्व–रोजगार संवर्धन कक्ष मौजूद हैं।

vkdMk dk çdk'ku

23-18 रोजगार महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित प्रकाशनों का ब्यौरा बॉक्स 24.1 में दिया गया है।

jktxkj dk;ky; lkf[;dh	यह रोजगार महानिदेशालय का वार्षिक प्रकाशन है। इसमें आंकड़ के विस्तृत विश्लेषण सहित सम्पूर्ण रोजगार कार्यालय सांख्यिकी को प्रस्तुत किया जाता है।
okf"kd jktxkj leh{kk	यह ई.एम.आई. आंकड़ों पर आधारित एक वार्षिक प्रकाशन है। यह उद्योग के तीन अंक स्तर तक के वर्गीकरण में विस्तृत आंकड़े तथा संगठित क्षेत्र में मौजूद रोजगार स्थिति का सम्पूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करता है।
f'k{krk çf'k{k.k ;ktuk d rgr Hkkjr e 0;olk; f'k{krk çf'k{k.k	यह एक वार्षिक प्रकाशन है जो रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के सर्वेक्षण एवं अध्ययन विभाग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह प्रकाशन शिक्षुता प्रशिक्षण में कार्यरत प्रतिष्ठानों, प्रवेश क्षमता, परिणामों तथा श्रम बाजार में उनकी नियोजनीयता के साथ–साथ वर्तमान परिदृश्य के संक्षिप्त विश्लेषण संबंधी आंकड़ों को दर्शाता है।
dUæ ljdkj d depkfj;k dh tux.kuk	यह प्रकाशन समूचे देश में कार्य कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह जनगणना देश में स्थित रोजगार कार्यालयों (ईएमआई इकाइयों) के नेटवर्क के माध्यम से की जाती है।
Hkkjr e jktxkj d voljk ij cqyfVu	यह प्रकाशन इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, कृषि, औषधि, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा अध्यापन इत्यादि विभिन्न शाखाओं में मेट्रीकुलेट, आईटीआइज डिप्लोमा धारकों, डिग्री एवं स्नातकोत्तर अर्हताओं वाले व्यक्तियों के लिए विभिन्न व्यवसायों का अर्हता–वार विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

अध्याय – 24

विशेष श्रेणियों को रोजगार सहायता

24-1 रोजगार सेवा के अन्तर्गत पूर्व की तरह ही महिलाओं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, विकलांगों तथा विकलांग भूतपूर्व सैनिक जैसे रोजगार चाहने वाले कमजोर वर्गों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयास जारी रखे गए।

efgyk,¡

24-2 वर्ष 2006 से बाद के वर्षों में रोजगार चाहने वाली महिलाओं से संबंधित रोजगार कार्यालयों का वर्ष–वार निष्पादन rkfydk 24-1 में दिया गया है।

rkfydk 24-1

¼gtkj esa½

o"kZ	iathdj.k	fu;kstu	efgykvksa dk pkyw jftLVj	dqy pkyw jftLVj	dqy pkyw jftLVj ls efgykvksa dk pkyw jftLVj dk %
2006	2537-4	31-3	11781-0	41466-0	28-4
2007	1835-5	46-5	12001-5	39974-0	30-0
2008	1756-1	51-9	12328-2	39114-9	31-5
2009	1989-9	53-4	12404-7	38152-2	32-5
2010	2005-4	107-1	12924-1	38818-5	33-3
2011	2122-6	85-7	13694-8	40171-6	34-1
2012	3511-0	67-8	15645-8	44790-1	34-9
2013	2233-2	58-7	16549-1	46802-5	35-4
2014	2189-4	60-8	17078-3	48261-1	35-4

vuqlwfpr tkfr;k@vuqlwfpr tutkfr;k

24-3 वर्ष 2010 के दौरान और इससे आगे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रोजगार चाहने वालों के लिए रोजगार कार्यालयों के निष्पादन का ब्यौरा rkfydk 24-2 में दर्शाया गया है।

rkfydk&24-2

¼yk[k esa½

J.kh	xfrfof/k	2010	2011	2012	2013
vuqlwfpr tkfr	iathdj.k	6-84	8-82	12-75	10-25
	fu;kstu	0-32	0-30	0-31	0-32
	pkyw jftLVj	64-04	66-82	71-66	72-92
vuqlwfpr tutkfr	iathdj.k	3-64	3-23	3-71	3-44
	fu;kstu	0-19	0-20	0-19	0-21
	pkyw jftLVj	23-09	24-04	25-31	24-87
vU; fiNMk oxZ	iathdj.k	14-75	17-00	22-77	18-33
	fu;kstu	0-27	0-22	0-19	0-23
	pkyw jftLVj	99-36	105-76	116-71	114-14

vuqlwfpr tkfr@vuqlwfpr tutkfr ds jkstxkj pkgus okyksa ds lac/k esa eq[; fo'ks"krk,¡ fuEu çdkj gSa*

- अनुसूचित जाति के रोजगार चाहने वालों का चालू रजिस्टर वर्ष 2012 में 71.66 लाख से बढ़कर वर्ष 2013 में 72.92 लाख हो गया, जिससे 1.26 लाख की वृद्धि हुई।
- अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों का चालू रजिस्टर वर्ष 2012 में 25.31 लाख से घटकर वर्ष 2013 में 24.87 लाख हो गया, जिससे 0.44 लाख की कमी हुई।
- वर्ष 2013 के अंत में चालू रजिस्टर में कुल रोजगार चाहने वालों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों की संख्या क्रमशः 15.6% एवं 5.3% थी।
- अनुसूचित जाति के रोजगार चाहने वालों के नियोजन की संख्या वर्ष 2012 में 0.31 लाख से बढ़कर वर्ष 2013 में 0.32 लाख हो गई।

vuqlwfpr tkfr@vuqlwfpr tutkfr grq jk"Vªh; vkthfodk lsok dsaæ

24-4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कुल चौबीस राष्ट्रीय आजीविका सेवा केन्द्र (एनसीएस) स्थापित किए गए हैं और दिल्ली, जबलपुर, कानपुर, चेन्नई, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, जयपुर, राँची, सूरत, आइजोल, बंगलौर, इम्फाल, हिसार, नागपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, मंडी, कोहिमा, जोवई, जम्मू, जालंधर एवं नाहरलागुन एवं पुडुचेरी प्रत्येक में ऐसा एक–एक केंद्र स्थित है। जोवई एवं पुडुचेरी के एनएससीज को कार्यात्मक बनाना प्रक्रियाधीन है।

;s dsUæ fuEufyf[kr dk;Z djrs gSa

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को रोजगार से संबंधित अध्यापन–सह– मार्गदर्शन प्रदान करना।
- नियोक्ताओं द्वारा बुलाए जाने के वक्त उनके द्वारा संभावित रूप से सामना की जाने वाली परीक्षा/साक्षात्कार के प्रकार और रोजगार की अपेक्षाओं संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना।

- आरक्षित रिक्तियों के प्रति प्रेषण का परिणाम जानने के लिए नियोक्ताओं के साथ उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई करना।

- रोजगार चाहने वालों के लिए व्यावसायिक सूचना /व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श और आत्मविश्वास सृजन कार्यक्रमों के आयोजन के साथ–साथ रोजगार विकसित करने संबंधी कार्य करना।

- आइजोल, हिसार, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, मंडी, कोहिमा, जोवई, जम्मू, जालंधर और नाहरलागुन स्थित राष्ट्रीय आजीविका सेवा केन्द्रों के सिवाय उक्त केन्द्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों को आशुलिपि एवं टंकण में अभ्यास की सुविधाएं प्रदान करना।

- समय–समय पर, विभिन्न नियोजनकर्ता प्राधिकरणों तथा भर्ती अभिकरणों के सहयोग से समूह 'ग' पदों हेतु कर्मचारी चयन आयोग आदि द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से अ.जा./अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों की नियोजनीयता में सुधार के लिए उनके लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करना।

24-5 vu-tk-@v-t-tk- gr fo'k"k v/;kiu ;ktuk dh e[; fo'k"krk,

- दिल्ली में एनएसएससी के जरिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को समूह 'ग' पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं/चयन परीक्षाओं हेतु तैयार करने के लिए एक विशेष अध्यापन योजना चलाई जा रही है।

- अभी तक 32 चरणों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 7604 रोजगार चाहने वालों ने लिपिक/आशुलिपिक पदों के लिए सफलतापूर्वक कोचिंग पूरी कर ली है।

- अध्यापन की अवधि 11 माह है और प्रशिक्षुओं को मुफ्त पाठ्यक्रम पुस्तकों और सीमित लेखन सामग्री के अलावा वृत्तिका प्रदान की जाती है। शिक्षण संस्थाओं को अनु.जा./अनु.जन.जा. के अभ्यर्थियों को अध्यापन प्रदान करने के लिए व्यावसायिक प्रभार दिए जाते हैं।

- उक्त विशेष अध्यापन योजना के लाभों को देखते हुए इस योजना का विस्तार कानपुर, कोलकाता, बंगलौर, हैदराबाद, राँची, सूरत, गुवाहाटी, इम्फाल, हिसार, जबलपुर, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, जयपुर, भुवनेश्वर, मण्डी, नागपुर, दिल्ली, जम्मू, जालंधर, कोहिमा और नाहरलागुन के इक्कीस और केन्द्रों में कर दिया गया है।

- विस्तारित योजना के 22 चरणों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 9883 अभ्यर्थियों ने सफलतापूर्वक कोचिंग पूरी कर ली है। 01.07.2016 से 23वां चरण प्रगति पर है।

jktxkj dk;ky;k e ith—r v-tk-@v-t-tk- d jktxkj pkgu okyk dk dEI;Vj çf'k{k.k çnku dju gr ;ktuk

24-6 रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शिक्षित रोजगार चाहने वालों को बाह्य स्रोतों से प्रशिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध कराकर कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना फरवरी, 2004 से आरंभ की गई। छह माह की अवधि का प्रशिक्षण बंगलौर, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हिसार, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, नागपुर, सूरत, कानपुर, तिरुवनंतपुरम, रांची एवं मंडी में देने की व्यवस्था की गई तथा इसका समन्वय इन स्थानों पर स्थित डीजीई के संबंधित राष्ट्रीय आजीविका सेवा केन्द्रों द्वारा किया जाता है। अब तक योजना के 5 चरण पूर्ण हो गए हैं तथा 3086 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण

प्रदान किया गया। यह पाया गया कि श्रम बाजार की बदलती हुई मांगों के मद्देनजर उम्मीदवारों को छः माह का कम्प्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उन्हें नियोजनीयता प्रदान करने के लिए अधिक लाभप्रद नहीं रहा है। अतः वर्ष 2009–10 से यह निर्णय लिया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, जिसे 3.08.2009 से प्रारंभ किया गया है, के तहत डीओईएसीसी सोसाइटी के माध्यम से अ.जा./अ.ज.जा के 1000 अभ्यर्थियों को एक वर्षीय 'ओ' स्तरीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जाए। उपर्युक्त वर्णित स्थानों के अतिरिक्त, 03.08.2009 से जम्मू, जालंधर, इंफाल एवं कोहिमा में भी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 08 बैचों का प्रशिक्षण पहले ही पूर्ण किया जा चुका है। आठ बैचों में अ.जाति/अनु.ज. जाति के 13960 अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) के माध्यम से संशोधित 'ओ' स्तरीय एक वर्षीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रवेश तथा प्रशिक्षण दिया गया है। उपर्युक्त वर्णित स्थलों के अतिरिक्त एनसीएससी, नाहरलागुन सहित अ.जा./अ.ज.जा. हेतु 21 एनएससीज में अ.जा./अ.ज.जा. के 2000 रोजगार चाहने वालों की सीट क्षमता के साथ 'ओ' स्तरीय एक वर्षीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण का 9वां बैच जुलाई, 2016 से आरंभ किया गया है। 1.8.2012 से एक वर्षीय 'ओ' स्तरीय कंप्यूटर हार्डवेयर अनुरक्षण प्रशिक्षण भी आरंभ कर दिया गया है।

24-7 चार बैचों का प्रशिक्षण पहले ही पूरा किया जा चुका है। चार बैचों में अ.जा./अ.ज.जा. के 5350 अभ्यर्थियों को प्रवेश एवं प्रशिक्षण दिया गया। हिसार एवं जालंधर के सिवाय उपर्युक्त वर्णित सभी स्थलों में अ.जा./अ.ज.जातियों हेतु 19 एनसीएससीज में अ.जा./अ.ज.जा. के 1000 अभ्यर्थियों की सीट क्षमता से अगस्त, 2016 से एक वर्षीय कंप्यूटर हार्डवेयर अनुरक्षण का 5वां बैच प्रारंभ किया गया है।

24-8 रोजगार निदेशालय की योजनाओं हेतु 2016–17 के दौरान 22.20 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, "अध्यापन, मार्गदर्शन एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से ''अ.जा./अ.ज.जा. के रोजगार चाहने वालों का कल्याण'' एवं विद्यमान अ.जा./अ.ज.जा. हेतु राष्ट्रीय आजीविका सेवा केंद्रों (एनसीएससीज) में नए पाठ्यक्रमों का आरंभ तथा अब तक शामिल न किए गए राज्यों में नए एनसीएस की स्थापना" तथा "विकलांगों का पुनर्वास"।

24-9 वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु रोजगार निदेशालय की प्लान योजनाओं के बजट अनुमानों का ब्यौरा तालिका 24.3 में दिया गया है:

rkfydk 24-3

Øe l[;k	jkstxkj funs'kky; ds rgr Iyku ;kstuk,a	ctV vuqeku 2016&17 ¼#- djksM+ esa½
	योजनाएं/कार्यक्रम	ए
1	अध्यापन, मार्गदर्शन एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से अ.जा./अ.ज.जा. के रोजगार चाहने वालों का कल्याण एवं विद्यमान अ.जा. /अ.ज.जा. हेतु राष्ट्रीय आजीविका सेवा केंद्रों (एनसीएससीज) में नए पाठ्यक्रमों का आरंभ तथा अब तक शामिल न किए गए राज्यों में नए एनसीएससीज की स्थापना।	13.80
2	कार्यालय भवन, कर्मचारी निवास, कौशल प्रशिक्षण संस्थान, विकलागों हेतु वीआरसीज तथा ग्रामीण पुनर्वास विस्तार केंद्रों का निर्माण, उन्नयन एवं अनुरक्षण	8.40

MhchVh ;kstuk Þ0586ß v/;kiu ekxZn'kZu vkSj O;kolkf;d çf'k{k.k ds ek/;e ls v-tk-@v-t-tk- ds jkstxkj pkgus okyksa dk dY;k.k dk ;kstuk lkj%

24-10 अध्यापन/प्रशिक्षण/मार्गदर्शन आदि के माध्यम से रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अनु.जा./अ.ज.जा. के शिक्षित रोजगार चाहने वालों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए अ.जा./अ.ज.जा. हेतु 24 अध्यापन–सह–मार्गदर्शन केंद्र (सीजीसीज) अर्थात् एनसीएससीज चलाए जा रहे हैं। डीबीटी योजना के तहत इस समय 21 एनसीएससीज शामिल हैं जिसमें तीन उप योजनाओं में 4300 लाभार्थी अर्थात (1) विशेष अध्यापन योजना (1300 लाभार्थी), (2) कम्प्यूटर "ओ" स्तरीय प्रशिक्षण साफ्टवेयर पाठ्यक्रम (2000 लाभार्थी) तथा (3) कम्प्यूटर "ओ" स्तरीय कम्प्यूटर हार्डवेयर रखरखाव प्रशिक्षण (1000 लाभार्थी) शामिल हैं। किसी विशेष माह के दौरान न्यूनतम 80% उपस्थिति के आधार पर 500 रु./– प्रति प्रशिक्षु प्रति माह की दर से वृत्तिका का भुगतान किया जाता है। वि.व. 2014–15 के दौरान प्रशिक्षुओं को वृत्तिका के संवितरण हेतु कुल 1.07 करोड़ रु. आवंटित किए गए, 2015–16 हेतु 1.57 करोड़ रु. का बजट अनुमान आवंटित किया गया तथा 2016–17 (चालू वि.व.) हेतु 2.45 करोड़ रु. की राशि (ब.अ.) आवंटित की गई है।

MhchVh ;kstuk la[;k Þ0584ß fodykax O;kolkf;d iquokZl dsæ ¼ohvkjlht½ ;kstuk ds varxZr vU;Fkk l{ke vH;kfFkZ;ksa dk ofÙkdk dk ;kstuk lkj

24-11 इस समय देश में 21 एनसीएसडीए हैं जो चलने–फिरने की बाधा, दृष्टि व श्रवण बाधा, हल्की मंद बुद्धिमता एवं ठीक हुए कुष्ठ रोगियों की श्रेणी के विकलागों (अक्षम व्यक्तियों के रूप में भी संदर्भित) की शेष क्षमताओं का मूल्यकांन करते हैं तथा उनके जल्द आर्थिक पुनर्वास को सरल बनाने के लिए उन्हें समायोजन प्रशिक्षण प्रदान करते है। इन केंद्रों में कोई औपचारिक रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त, चल कैम्पों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों तक भी पुनर्वास सेवाओं का विस्तार किया गया है। अब, 01–07–2016 से 2 एनसीएसडीए अर्थात ऊना एवं वडोदरा डीबीटी योजना के तहत शामिल हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु कुल आवंटित बजट 2 लाख रु. है।

fodykax O;fDr

jkstxkj dk;kZy;*

24-12 रोजगार सेवा रोजगार चाहने वाले विकलांग व्यक्तियों की विशेष आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए विशेष प्रयास करती रही है जिसका विगत पांच वर्षों का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार दिया गया हैः–

jkstxkj pkgus okys fodykax O;fä;ksa ds laca/k esa jkstxkj dk;kZy;ksa dk dk;Z fu"iknu

¼gtkj e½

o"kZ	iathdj.k	fu;kstu	pkyw jftLVj
2004	52.4	3.4	565.9
2005	57.2	3.2	578.9
2006	58.8	3.4	597.4
2007	57.7	3.4	660.0
2008	54.9	3.7	669.4
2009	56.1	3.3	665.5
2010	57.0	3.2	664.2
2011	63.2	3.3	687.3
2012	54.1	2.1	715.2
2013	30.5	1.9	717.3

- *चालू रजिस्टर पर विकलांग व्यक्तियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है।*
- *2012 के दौरान रोजगार चाहने वाले नियोजित विकलांग व्यक्तियों की संख्या 2.1 हजार थी।*

'kkjhfjd :i l fodykxk d fy, fo'k"k jk txkj dk;ky;%

24-13 यद्यपि, राष्ट्रीय रोजगार सेवा के अंतर्गत रोजगार कार्यालय सामान्यतया विकलांगों के नियोजन के प्रति उत्तरदायी हैं, फिर भी उनके संकेन्द्रित नियोजन हेतु विशेष रोजगार कार्यालयों की स्थापना भी की गई थी। ये रोजगार कार्यालय विकलांगों को उनकी अवशिष्ट शारीरिक एवं मानसिक संभाव्यताओं के सबसे अनुकूल रोजगार प्राप्त करने हेतु प्रयास करते हैं। दिसम्बर, 2013 की स्थिति के अनुसार विकलागों हेतु 40 विशेष रोजगार कार्यालय थे तथा शारीरिक रूप से विकलांगों से संबंधित 38 विशेष प्रकोष्ठ थे।

24-14 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा केन्द्र सरकार से वित्तपोषित तथा सामान्य रोजगार कार्यालयों से संबद्ध एक विशेष नियोजन अधिकारी के साथ विकलांगों के लिए अब तक अड़तीस विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना की गई है। ये विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा रोजगार कार्यालयों में विकलांग आवेदकों के लिए खोले गए विशेष प्रकोष्ठों/एककों के अतिरिक्त हैं।

24-15 वर्ष 2011 एवं 2012 के दौरान विशेष रोजगार कार्यालयों का कार्यनिष्पादन निम्न तालिका में दिया गया है:–

o"k	2011	2012	2013
पंजीकरण	10213	13606	5653
नियोजन	462	237	249
चालू रजिस्टर	98639	102687	94657

vU;Fkk l{ke 0;fä;k gr jk"Vh; vkthfodk lok dUæ ¼,ulh,lhMh,½

24-16 श्रम और रोजगार मंत्रालय, विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (एसजेई मंत्रालय), जो विकलांगों के कल्याण हेतु नोडल मंत्रालय है, से रोजगार महानिदेशालय (डी जी ई) नियमित रूप से समन्वय एवं सहयोग करता रहा है।

- देश में इक्कीस अन्यथा सक्षम व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय आजीविका केंद्र (एनसीएससीडीए) कार्य कर रहे हैं, इनमें से वडोदरा स्थित एक केन्द्र विशेष रूप से विकलांग महिलाओं हेतु स्थापित किया गया है। 2013–14 के दौरान रांची में एक (एनसीएससीडीए) की स्थापना की गई है तथा यह संचालित किए जाने की प्रक्रिया में है।
- ये केन्द्र विकलांगों की अवशिष्ट कार्यक्षमता का आकलन करते हैं और उन्हें आर्थिक मुख्य धारा में लाने तथा उन्हें देश के उत्पादक नागरिक बनाने के उद्देश्य से समायोजन प्रशिक्षण एवं कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
- ये केन्द्र विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु जन–जागरूकता एवं सामुदायिक भागीदारी उत्पन्न करने के लिए पूर्व–सक्रिय भूमिका निभाते हैं।
- 2016–17 (31.10.2016 तक) के दौरान इन केन्द्रों ने 32794 विकलांगों का पंजीकरण, 19,878 का मूल्यांकन एवं 7,354 का पुनर्वास किया।
- (एनसीएससीडीए), गुवाहाटी के लिए एक बाधामुक्त भवन का निर्माण पूरा कर लिया गया है।
- विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए (एनसीएससीडीए) में माड्यूलर रोजगार परक कौशल पर आधारित कौशल विकास पहल योजना प्रारम्भ की गई है।
- कौशल युक्त कार्यबल की मांग एवं आपूर्ति के बीच सम्पर्क का समन्वय करने हेतु सरकार ने

(एनसीएससीडीए) को विकलांग व्यक्तियों हेतु आदर्श आजीविका केन्द्रों में रूपान्तरित करने का निर्णय लिया है। ये केन्द्र कौशल संबर्धन पाठ्यक्रमों, जो बाजार–प्रेरित हैं, का अनुसरण करने के लिए विकलांग युवाओं हेतु एक मुख्य कार्यकलाप के रूप में करियर परामर्श पर ध्यान केन्द्रित करेंगे। (एनसीएससीडीए) के अधिकारियों को व्यावसायिक परामर्शी तकनीकों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहुंच परामर्शी सत्र एवं रोजगार–मेले इन आजीविका केन्द्रों का एक मुख्य क्रिया–कलाप होंगे।

fodykax Hkwriwo lfudk rFkk vkfJrk dk lgk;rk

24-17 भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित तथा प्राथमिकता श्रेणियों के लिए चिन्हित रिक्तियों के प्रति विकलांग भूतपूर्व सैनिकों/सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों तथा युद्ध में मारे गए या गंभीर रूप से विकलांग रक्षा सेवा कार्मिकों/सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों के आश्रितों को नियोजन सेवाएं प्रदान करने के लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय में एक भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ की जुलाई, 1972 में स्थापना की गई। तत्पश्चात, विशेष सेवा के कार्यक्षेत्र का शांति काल के दौरान विकलांग हुए भूतपूर्व सैनिकों के साथ–साथ शांति काल के दौरान मारे गए अथवा गंभीर रूप से विकलांग हुए रक्षा सेवा कार्मिक के आश्रितों के लाभार्थ भी विस्तार किया गया बशर्ते कि मृत्यु अथवा विकलांगता फरवरी, 1981 से सैन्य सेवा के कारण थी। वर्ष 2016 (जनवरी से अक्टूबर) के दौरान 17 विकलांग भूतपूर्व सैनिक एवं आश्रित रोजगार सहायता हेतु पंजीकृत किए गए।

vYi l[;d

24-18 राष्ट्रीय जनजीवन के सभी क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की पूर्ण एकजुटता के प्रधानमंत्री के निर्देश के अनुसरण में राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण और नामों की सूची भेजने के मामलों में अल्पसंख्यक समुदायों के साथ कोई भेदभाव न किया जाए। अल्पसंख्यकों के पंजीकरण तथा नियोजन के मामले में हुई प्रगति की निगरानी करने के लिए तथा अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में चल–रोजगार कार्यालय पंजीकरण कैम्पों को आयोजित करने के लिए रोजगार कार्यालयों को निदेश देने हेतु निगरानी प्रकोष्ठों का गठन करने के लिए भी राज्य सरकारों को सलाह दी गई है।

दिसम्बर, 2013 के अन्त तक अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों पर कुल मिलाकर 57.5 लाख रोजगार चाहने वाले थे। ये चालू रजिस्टर पर कुल रोजगार चाहने वालों का 12.3% बनता है।

अध्याय – 25

रोजगार सेवा में अनुसंधान व प्रशिक्षण

jk"Vh; vkthfodk lok lLFkku

25-1 राष्ट्रीय आजीविका सेवा संस्थान (पूर्ववर्ती) केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान (सीआईआरटीईएस) रोजगार सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण, राष्ट्रीय रोजगार सेवा से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के मामलों में अनुसंधान आयोजित करने तथा रोजगार कार्यालयों के माध्यम से विद्यार्थियों, रोजगार चाहने वालों तथा अभिभावकों की आजीविका आयोजना हेतु उपयोगी आजीविका साहित्य के प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय आजीविका सेवा कार्यक्रम के तहत सभी हितधारकों के क्षमता निर्माण हेतु एनआईसीएस नोडल संस्थान है।

25-2 çf'k{k.k lc/kh dk;dyki

- एनसीएस से संबंधित रोजगार अधिकारियों के लिए एनआईईएलआईटी के सहयोग से 5 जनवरी, 2016 से 18 फरवरी, 2016 तक देशभर में 10 एनआईईएलआईटी केंद्रों में क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान लगभग 900 रोजगार अधिकारी प्रशिक्षित किए गए।
- वीआरसी और सीजीसी के अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय आजीविका सेवा पोर्टल प्रबंधन पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया गया (14.04.2016) था।
- रोजगार चाहने वालों के लिए 18.05.2016 को एनसीएस पोर्टल प्रबंधन पर एक कार्यशाला –सह–प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- 20.5.2016 को नियोक्ताओं के लिए एनसीएस पोर्टल प्रबंधन पर एक कार्यशाला–सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- ई–ऑफिस पर 22–07–2016 को एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- युवा पेशेवरों के लिए 04–07–2016 से 20–07–2016 तक तीन सप्ताह का एक प्राराम्भिक प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- रोजगार अधिकारियों के लिए एनसीएस पर एनआईईएलआईटी के सहयोग से पूरे भारत में 9 एनआईईएलआईटी केंद्रों पर 17 अक्टूबर, 2016 से 22 नवम्बर, 2016 तक क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान लगभग 400 रोजगार अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

25-3 çf'k{k.k dk;Øe dk lpkyu

- युवा पेशेवरों के तीसरे बैच के लिए 02.01.2017 से 18.01.2017 तक प्रारम्भिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
- एनसीएस पर रोजगार अधिकारियों के लिए तीसरे चरण का क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम एनआईईएलआईटी के सहयोग से पूरे भारत में 9 एनआईईएलआईटी केंद्रों में फरवरी, 2017 के माह के दौरान आयोजित किया जाएगा।
- युवा पेशेवरों के प्रथम बैच के लिए 19.01.2017 से 21.01.2017 तक पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जाएगा।

25-4 ,uvkblh,l e jk"Vh; vkthfodk lok dk;dyki

- युवा पेशेवरों के लिए एनआईसीएस, नोएडा में 1, 2 और 3 अप्रैल, 2016 को और बेंगलुरु में 8 और 9 अप्रैल, 2016 को भर्ती अभियान का दूसरा चक्र आयोजित किया गया।

- भारत में रोजगार सेवाओं तथा आजीविका परामर्श के उभरते परिदृश्य को बेहतर रूप से रूपांतरित करने में सहयोग हेतु युवा सामाजिक नेतृत्वकर्ताओं के ज्ञान, ऊर्जा तथा सोचने के नए तरीके का उपयोग करने की सरकार की पहल के एक भाग के रूप में, अट्ठाइस युवा पेशेवरों को भर्ती किया गया है और विभिन्न राज्यों में अवस्थित विविध आदर्श आजीविका केंद्रों में तैनात किया गया है।

- युवा पेशेवरों के लिए भर्ती अभियान का तीसरा चक्र एनआईसीएस, नोएडा में 10–12 अगस्त, 2016 को और गुवाहाटी में 27 अगस्त, 2016 को संचालित किया गया।

- सीआईआरटीईएस में तैनात युवा पेशेवर राष्ट्रीय आजीविका सेवा के विविध कार्यकलापों की नियमित रूप से निगरानी कर रहे हैं, अर्थात
    - राष्ट्रीय आजीविका सेवा पोर्टल सुधार तथा डाटा विश्लेषण
    - उद्योग संगठनों, शैक्षिक तथा प्रशिक्षण संस्थानों, कौशल प्रदाताओं इत्यादि जैसे हितधारकों के नेटवर्क को व्यापक बनाने के लिए पहुंच कार्यक्रमों को विकसित करना।
    - प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए विषय–वस्तु का विकास।
    - राष्ट्रीय आजीविका सेवा की दृश्यता में सुधार हेतु सोशल मीडिया के साथ पारस्परिक–विचार–विमर्श करना।
    - आदर्श आजीविका केंद्र के कार्यकलापों का समन्वय।

- एनआईसीएस पर परिसर में 20.07.2016 को एक बृहत् रोजगार मेला आयोजित किया गया।

- सीआईआईआई, जेएनटीयू के सहयोग से 30.07.2016 को हैदराबाद में एक बृहत् रोजगार मेला आयोजित किया गया।

25-5 lhvkbvkjVhb,l dk iu% ukedj.k djuk

- केंद्रीय रोजगार सेवा अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान (सीआईआरटीईएस) का राष्ट्रीय आजीविका सेवा संस्थान (एनआईसीएस) के रूप में पुनः नामकरण किया गया है और इसका पुनः नामकरण 20.07.2016 को माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री द्वारा किया गया था।

अध्याय – 26

लिंग आधारित बजट

¼d½ v-tk-@v-t-tk- dk dY;k.k

योजना में अ.जा./अ.ज.जा. की श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों हेतु आत्मविश्वास सृजन विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु अनु.जा./अनु.ज.जा. हेतु राष्ट्रीय आजीविका सेवा केंद्र शामिल हैं। ये राष्ट्रीय आजीविका सेवा केन्द्र विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा एजेंसियों के लिए भर्ती–पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में संबद्ध किए गए हैं।

dk;Øe	vuqekfur ifj.kke @ mís';	dk;Øe@mi dk;Øe dk fyax ?kVd	dqy lkoZtfud 0;; 2015&16 ¼;kstuk ,oa xSj ;kstuk½			efgykvksa@yM+fd;ksa ij lkoZtfud 0;; ¼2015&16½			fyax ds vk/kkj ij oxhZ—r ykHkkfFkZ;ksa ¼efgykvksa rd ykHkksa dk foLrkj½ ¼2015&16½ y{; ,oa efgyk ykHkkfFkZ;ksa@ oLrqijd@ foÙkh;@vU;ksa dh fu"iknu la[;k
			;kstuk	xSj ;kstuk	;ksx	;kstuk	xSj ;kstuk	;ksx	
v/;kiu] ekxZn'kZu ,oa 0;kolkf;d çf'k{k.k rFkk v-tk-@v-t- tkfr;ksa gsrq fo|eku jk"Vªh; vkthfodk lsok dsUæksa ¼,ulh,llht½ esa u, ikBîØeksa dk vkjaHk rFkk vc rd 'kkfey u fd, x, jkT;ksa esa u, ,ulh,llht dh LFkkiuk ds ek/;e ls v-tk-@v-t-tk- ds jkstxkj pkgus okyksa dk dY;k.k]	v/;kiu] ekxZn'kZu ,oa 0;kolkf;d çf'k{k.k ds ek/;e ls v-tk-@v-t- tkfr;ksa ds jkstxkj pkgus okyksa dh fu;kstuh;rk esa of) djuk	dk;Øe cjkstxkj f'kf{kr jkstxkj pkgus okys iq#"kksa o efgykvksa&nksuksa ds fy, gS	10-08	5-51	15-59	4-74	2-59	7-33	83958 ¼47%½

¼[k½ 2015&16 ds nkSjku lkoZtfud O;; vkSj ykHkkfFkZ;ksa dh la[;k dk fyax vk/kkfjr fo'ys"k.k ¼tsaMj½ fooj.k

¼djksM+ #i, esa½

dk;ZØe	vuqekfur ifj.kke @ mís';	dk;ZØe@mi dk;ZØe dk fyax ?kVd	dqy lkoZtfud O;; ¼#i,½ 2015&16 ¼;kstuk ,oa xSj ;kstuk½			efgykvksa@yM+fd;ksa ij dqy lkoZtfud O;; ¼2015&16½ ¼;kstuk vkSj xSj ;kstuk½			fyax ds vk/kkj ij oxhZ—r ykHkkFkhZ ¼efgykvksa rd ykHk dk foLrkj½ ¼2015&16½@y{; ,oa efgyk ykHkkfFkZ;ksa@oLrqijd@foÙkh;@vU;ksa dh fu"iknu la[;k
			;kstuk	xSj ;kstuk	;ksx	;kstuk	xSj ;kstuk	;ksx	
'kkjhfjd :i ls fodykax O;fä;ksa dk lgk;rk	O;kolkf;d iquokZl esa vof'k"V {kerkvksa dk eY;kadu djuk] lek;kstu çf'k{k.k çnku djuk ,oa lgk;rk miyC/k djukA	ykHkkfFkZ;ksa esa iq#"k ,oa efgyk,a&nksuksa 'kkfey gSa	4-34	15-89	20-23	1-26	4-61	5-87	22373 ¼efgyk ykHkkFkhZ½ 29%

fVIif.k;k

fVIif.k;k

fVIif.k;k

fVIif.k;k